

भारतीय सरकार एवं राजनीति

एश नेन ग्राहन

चगड़े?

प्रस्तुति

द्रष्टव्याधनारायण

धनुषाद्वा-दर्शन
नैदिनी उप्रोक्ती
रेषुरता पामेषा
धनाम नंतरी



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय प्रथ-निर्माण पोजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी प्रथ अकादमी द्वारा प्रकाशित।

प्रथम-संस्करण : १६७४

Bharatiya Sarakar Evam Rajaniti

संस्करण(विद्यार्थी)	१४.००
पुस्तकालय संस्करण	२०.००

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी प्रथ अकादमी
ए-२६/२, विद्यालय भार्ग, तितक नगर,
जयपुर-४

मुद्रक :

आलेख प्रिन्टर्स,
एम० आई० रोड, जयपुर

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम-परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग” की स्थापना की थी। इसी योजना के अन्तर्गत पीछे १९६६ में पौंच हिन्दी-भाषी प्रदेशों में प्रत्येक प्रकादमियों की स्थापना की गई।

राजस्थान हिन्दी प्रत्येक प्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट प्रत्यनिर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-प्रन्थों का निर्माण करवा रही है। विश्वविद्यालयों के प्राच्यापकों और छात्रों को इन विषयों की उच्चतर शिक्षा की सभी प्रकार की सहायक और सदमें सामग्री हिन्दी में प्राप्त हो सके इस उद्देश्य को सामने रखते हुए स्तरीय प्रन्थों के हिन्दी अनुवाद के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर अधिष्ठृत विद्वानों द्वारा लिखे गये निवन्धों, शोधलेखों आदि का हिन्दी अनुवाद, सकलन तथा सारसंक्षेप प्रकाशित करने की योजना भी प्रकादमी द्वारा कियान्वित की जा रही है। प्रकादमी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १५० से भी अधिक प्रत्येक प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी ओर में तैयार करवाई गई है।

इसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था तथा शासनतंत्र का, इतिहास, संविधान तथा परंपराओं के परिप्रे क्ष्य में, यथार्थमूलक अध्ययन प्रस्तुत करने की उष्टि से तत्संबंधी विभिन्न पक्षों पर अधिकारी विद्वानों के निवन्धों के हिन्दी अनुवाद सकलित हैं। पुस्तक दो खंडों में विभक्त है। इस प्रथम खंड में सरकारी संस्थाओं के संदर्भ में भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। आशा है इस सामग्री में राजनीति के अध्येताओं को उच्चतर अध्ययन एवं मनन की प्रभूत सामग्री एवं प्रेरणा प्राप्त हो सकेंगी तथा यह पाठ्यपुस्तक एवं सदमें पुस्तक—दोनों के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक का संपादन राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा० इकबालनारायण ने किया है जो अपने विषय के भारत प्रसिद्ध विद्वान् एवं विचारक हैं। उनके इस सकलन और संपादन का देश में इस विषय के एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में स्वागत होगा, इसमें हमें सन्देह नहीं है।

भूमिका

मुझे अपनी सम्पादित पुस्तक 'भारतीय सरकार एवं राजनीति : एक संकलन' पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सरकारी संस्थाओं के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के विविध पक्षों पर प्रकाश ढाला गया है। दूसरे भाग में राजनीतिक व्यवस्था का राजनीति की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की योजना है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि इन दोनों भागों के माध्यम से सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निकट से देखा-परखा जा सकेगा।

इस संकलन की आधारभूत मान्यता यह है कि यद्यपि संवैधानिक ढाँचा वह रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसके अन्तर्गत सामान्यत राजनीतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है परन्तु आनुभविक टृप्टिकोण यह मिथ्क करता है कि अन्त में राजनीतिक यथार्थ संवैधानिक यथार्थ के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करता है। इसलिए इस संकलन में संवैधानिक रूपरेखा के साथ-साथ संस्थाओं के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश ढाला गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि राजनीतिक यथार्थ किस प्रकार, किस दिशा में संविधान-निर्माताओं की आधारभूत मान्यताओं, मन्त्रियों और आकाशांशों को परिणत कर रहा है। इस प्रकार विश्लेषण का जो टृप्टिकोण इस संकलन में अपनाया गया है उसका उद्देश्य संविधान के व्यावहारिक स्वरूप को राजनीतिक यथार्थ के संदर्भ में समझना और इन दोनों की अन्तर्निर्भरता पर प्रकाश ढालना है। मेरी टृप्टि में भारतीय सरकार एवं राजनीति का इसी उद्देश्य से अध्ययन होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो टृप्टिकोण अपनाया गया है वह एक मिथिला टृप्टिकोण है जिसमें ऐतिहासिक, कानूनी-संस्थागत और आनुभविक टृप्टिकोण के समन्वित प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भान्तर तथा व्यावहारिक पक्षों के अध्ययन का प्रयास किया गया है। यह मिथिला टृप्टिकोण जानबूझ कर अपनाया गया है क्योंकि मेरी यह निश्चित धारणा है कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए कोई भी एक टृप्टिकोण पर्याप्त नहीं है और इसलिए उपलब्ध टृप्टिकोणों को आवश्यकतानुसार समन्वित करके ही राजनीतिक यथार्थ का मर्यादपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है।

प्रस्तुत संकलन के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करना भी यहां मनुप्रसुक्त न होगा। प्रथम, जैसाकि स्पष्ट किया जा चुका है, इसके माध्यम से संवैधानिक रूपरेखा और राजनीतिक यथार्थ की अन्तःप्रक्रिया के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भान्तर क्षेत्र व्यावहारिक स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था के विवार के प्रयोग में इसके राजनीतिक सम्बन्धों के ताने-बाने सम्बन्धी आधारभूत घर्ष को ध्यान में रख कर इसे

एक व्यापक ऐतिहासिक, संस्थागत और आनुभविक परिवेश में देखा गया है। द्वितीय, इस संकलन में बहुधा जिन लेखकों की रचनाएँ चुनी गई हैं वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन विषयों के सम्बन्ध में अच्छा शोध-कार्य किया है और अपने कृतित्व से विश्लेषण सम्बन्धी नई हटिया प्रदान की हैं। इस प्रकार, इस संकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि पाठकों को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तथ्यों से सम्बन्धित शोधकर्ताओं और उच्चकोटि के लेखकों से परिचित कराया जाए। तृतीय, जैसाकि सामान्यतः विदित है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था स्वयं अभी निर्माण की प्रक्रिया में है और कभी-कभी राजनीतिक यथार्थ स्वयं में अधिक गतिशील स्थिति का प्रतीक दिखाई देता है और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विविध पक्षों के सम्बन्ध में मान्यताएँ व हटिकोण बनते और बदलते रहे हैं। इस संकलन में बहुधा वह लेख चुने गए हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर मान्यताओं व हटिकोणों के प्रतीक हैं। यह सम्भव है कि पुस्तक के दूसरे संस्करण तक इसमें से कुछ मान्यताएँ व हटिकोण बदल जाएँ और इसलिए यह भी सम्भव है कि इस परिवर्तित संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए हम अपने आगामी चयन में कुछ नए लेख जोड़ ले या पुराने लेखों को निकाल कर उनके स्थान पर नए लेखों का चयन करें।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसे संकलन का पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में क्या महत्व है? स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए कोई भी पाठ्य पुस्तक अपने में पूर्ण नहीं हो सकती। वह दिशा-निर्धारण अवश्य कर सकती है परन्तु उसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों और प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का अध्ययन तो करना ही होगा। इस संकलन में विभिन्न विषयों पर आधिकारिक रूप से लिखी गई पुस्तकों के अंशों एवं लेखों का चयन किया गया है और इस प्रकार यह संकलन अच्छी पाठ्य पुस्तक का पूरक कहा जा सकता है। क्योंकि भारतीय सरकार एवं राजनीति के विषय में अभी तक हिन्दी में कोई अच्छी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह स्वयं पाठ्य पुस्तक और उसके पूरक, दोनों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस संकलन में सम्मिलित प्रत्येक लेख से पूर्व में एक सक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी देने का साहस किया है जिसमें उस हटिकोण के अतिरिक्त जो अन्य हटिकोण हैं तथा उसके सम्बन्ध में जो मेरी धारणा है, उसकी और इंगित किया गया है। प्रत्येक लेख के अन्त में अतिरिक्त अध्ययन के लिए कुछ अन्य कृतियों की ओर भी संकेत किया गया है क्योंकि कोई भी पाठ्य पुस्तक अथवा संकलन उस समय तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि वह पाठक वर्ग में यह चेतना न उत्पन्न करे कि ज्ञान का सामर अवाह है और जितना हम अधिक पढ़ते हैं उतनी ही हमें यह अनुभूति होती कि हम कितना कम जानते हैं। इससे यह प्रेरणा भी जुड़ी होती है कि हम और पढ़े। सम्भवतः इस 'और पढ़ने' की आकांक्षा का संतुष्टीकरण अतिरिक्त अध्ययन में दिए गए संकेतों से हो सकेगा।

प्रकाश्य संकलन के लिए मैं भारतीय सरकार एवं राजनीति से सम्बन्धित उन सभी लेखकों का आभारी हूँ जो मेरे निकट के मित्र हैं और जिन्होंने मेरी प्रारंभना पर रचनाओं की

इस संकलन में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति देकर मेरे प्रति अपने स्नेह का परिचय दिया है । इन रचनाओं के प्रकाशकों के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग के दिना मम्भवतः यह संकलन सम्भव नहीं हो पाता ।

मेरे आभार का विवरण पहाँ समाप्त नहीं होता । मुख्यतः मैं अपने सहयोगी अनुवादक मंडल के सदस्यों का आभारी हूँ जिनका अधक प्रयाग इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है । इन सभी ने इस प्रयास को मात्र अनुवादक का कार्य ही नहीं समझा वल्कि इस संकलन में उन्होंने उतनी ही रुचि प्रकट की जितनी कि किसी मौतिक ग्रन्थ निर्माण के प्रयास हेतु आवश्यक होती है । यदि यह संकलन उपयोगी सिद्ध होता है तो इसका एकमात्र कारण मेरे सहयोगी अनुवादक मंडल के सदस्यों का निष्ठापूर्ण प्रयास ही होगा ।

साथ ही मैं डॉ० शान्तिप्रसाद वर्मा, भूतपूर्व प्रध्यक्ष एवं प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने इस संकलन की प्रेरणा दी प्रीत जिसकी सामयिक समाप्ति के लिए उनका सतत परामर्श मुझे मिलता रहा । राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक डॉ० जी० एम० मायेन्ड नया उत्तरानन्द थी यशोदेव शत्य के स्नेहपूर्ण अनुस्मारकों की भी इस संकलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके लिए मैं उन दोनों का अहली हूँ । इसके अतिरिक्त, श्री सुबोध भूषण गुप्ता, जिन्होंने सम्पादन में सहायता व अनुवाद के अतिरिक्त पाण्डुलिपि के प्रूफ भी देखे, हार्दिक आभार के पात्र हैं । सम्पूर्ण पाण्डुलिपि को टंकित करने के लिए मैं श्री बाबूलाल पाटनी का भी कृतज्ञ हूँ ।

इस संकलन की कमियां और 'सीमाएँ' मेरी अपनी हैं जिनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ फिर भी यदि यह संकलन पाठ्यों में विषय में सम्बन्धित अतिरिक्त सामग्री के प्रति आवश्यक जिज्ञासा उत्पन्न करता है तो मैं अपने प्रीत अपने साधियों के इस प्रयास को सफल मानूँगा ।

अन्त में, मैं इस पुस्तक को अपने उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले दशक में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रागण में मुझे भारतीय सरकार एवं राजनीति सम्बन्धी सामग्री के हिन्दी में भ्रमाव के प्रति सतत स्मरण दिनाया और उसकी आवश्यकता पर ध्येय दिया । यह संकलन तत्सम्बन्धी भ्रमाव की पूर्ति की दिशा में संभवनः एक छोटाना प्रयास है ।

कृतज्ञता-ज्ञापन

सम्पादक निम्नलिखित लेखों व पुस्तक-अंशों के पुनः प्रस्तुतिकारण के लिए सम्बन्धित ऐच्चको, सम्पादक का और/अथवा प्रकाशकों का श्रद्धांश है :

१. ए० अप्पादोराई : द्वैध शासन (डायमार्कि इन प्रेविट्स, पॉर्टफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३७, पृ० ३४७-३८२)।
२. के० टी० शाह : प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन (प्रोविन्शिल आॅटोनीमी, बोरा एण्ड क० पब्लिशर्स, बम्बई, १९३७, पृ० ४१-४६)
३. मे० नविल अॉस्टिन : 'सफल संविधान पर एक टिप्पणी' (दि इण्डियन कॉस्टीट्यूशन: कानूनरस्टोन आॅफ ए नेशन का अन्तिम मध्याय, पॉर्टफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६६, पृ० ३०८-३३०)
४. डोनाल्ड स्मिथ : भारत में धर्मनिरपेक्षता (इंडिया एज ए सेक्युरर स्टेट पर धर्मन आधारित, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६३, पृ० ४६४-५०१)
५. पी० बी० गजेन्द्रगढ़कर : धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान (राजस्थान विश्वविद्यालय में अठारहवें दीक्षान्त समारोह १९६५, के घवमर पर दिया गया दीक्षान्त भाषण, विश्वविद्यालय के सौजन्य से)
६. माकुंस काण्डा : राज्य स्वतन्त्रता के द्वारा (पेस्ट बंगाल एण्ड के डरमाइंग प्रोसेज इन इण्डिया, प्रिन्सटन, १९६८, पृ० २००-२२४)
७. धर्मोक चंदा : योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य (के डरेलिम इन इंडिया, संदर्भ, ऐलन एण्ड धनविन, १९६५, पृ० २८०-२६०)
८. आइवर जैनिम : धनमनीयता (साम करेक्टेरिस्टिक्स आॅफ दि इंडिया कॉम्प्यूट्यूनन, लदन, आवरफोर्ड, १९५३)
९. ए० एच० हेनसन व जेनेट डालस : संगीय सरकार (इण्डियाड डेमोक्रेमी, देहरादून, विकास, १९७२, पृ० ६४-१११)
१०. पी० बी० मुगर्जी : मूल धर्मिकार और संवेधानिक मंशोपन (इग्नी शीर्षक से नो०-तत्र समीक्षा, नई दिल्ली में प्रकाशित खेत्र; यर्प ४, धंक ४, अन्दूखर-दिग्दावर १९७२, पृ० १०-२३)
११. एच० एम० सीरवई : राज्यनीति के निर्दर्शन मिदान्त (डायरेक्टर विभिन्ना धारा स्टेट पॉलिसी, श्री जबरेंद्रन, श्री धर्मेन्द्रेन, श्री मुगरमेन्नग मुशीम कोट डिगिलन्म इन ए करेक्ट परसोनेशन से सामार, गोमाइटी क्रॉर डेमोक्रेमी, १९७३, पृ० ११-२८)

- १२ के० आर० बॉम्बावाल : भारत का राष्ट्रपति : विवेक की सीमाएँ (दि प्रसिडेंट ऑफ इण्डिया : लिमिटेड ऑफ डिस्ट्रिशन, इण्डियन जरनल ऑफ पोलिटिकल माइंस खण्ड ३७, न० ३ व ४, जुलाई-दिसम्बर अंक, १९६६, पृ० २३-३६) .
- १३ एच० एम० जैन : राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति (एकचुम्ल पोजीशन . ऑफ दि प्रेसिडेंट, दि इण्डियन एकजे क्यूटिव, इलाहाबाद, चंतर्य पब्लिशिंग हाउस,) .
१४. हरीश खरे : प्रधानमन्त्री का पद . शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह (दि इण्डियन प्राइम मिनिस्टर : ए प्ली फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजे शन ऑफ पावर, जरनल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, जनवरी-मार्च, १९७१, पृ० २२-५०)
१५. एस० मोहन कुमारमगलम : भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन (जूडिशल अपोइंटमेंट्स : एन एनालिसिस ऑफ दि रीसेन्ट कट्रोवर्सी ओवर दि अपोइंटमेंट ऑफ दि चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया, ऑफिसफोर्ड एण्ड आइ० बी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, १९७३, पृ० १५-३५)
१६. अरविन्द के० शर्मा : भारत में योजना आयोग-पुनर्गठन का प्रश्न (दि प्लानिंग कमीशन इन इण्डिया : ए केस फार रीऑगेनोइजे शन (जरनल ऑफ एडमिनिस्ट्रे शन, जनवरी, १९७० खण्ड IX, नं० १)
१७. एम० गुतालिव : केन्द्रीय लोकसेवा आयोग (यूनियन पब्लिक मविस कमीशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन, लदन खण्ड ४२, १९६४, पृ० ३७३-३६०)
१८. अपने व्यक्तिगत लेख राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण की समस्या के प्रकाशन के लिए सम्पादक, जरनल ऑफ अफीकन एण्ड एशियन स्टडीज का कृतज्ञ है। उक्त जरनल में यह लेख 'ऑफिस ऑफ गवर्नर : दि प्रॉब्लम ऑफ रोल आइडेन्टिफिकेशन के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, स्प्रिंग १९६८, १ (२), पृ० १७१-१८२.

हमारे सहयोगी लेखक

१. अपादोराई, डॉ० ए०

'दि सबस्टांस ऑफ पॉलिटिक्स' के सुविळ्हात लेखक; इण्डियन कांउसिल ऑफ बल्ड प्रफेयर्स के भागासचिव (१९४४-५५); भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रोफेसर (१९५५-६४); केन्द्रीय लोकसेवा योगोग के सदस्य (१९६४-६७); संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के पेरिस भ्रष्टिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार (१९४८) तथा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के भूतपूर्व निदेशक।

प्रमुख प्रकाशन—डायझार्क इन प्रेविट्स; रिवीजन ऑफ डेमोक्रेसी, कलेक्टिव सिक्युरिटी; दि यूज ऑफ फोसं इन इंटरनेशनल रिलेशन्स, एसेज इन पॉलिटिक्स एण्ड इंटरनेशनल रिलेशन्स तथा सर मॉरिस खायर के साथ सम्पादित स्पीचेज एण्ड डॉक्यूमेंट्स आँन दि इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन।

२. शाह, प्रो० के० टी०

बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर तथा भारतीय संविधान-मभा के एक प्रमुख सदस्य। अर्थशास्त्र में विशेष प्रतिभा और उसके सन्दर्भ में भारत की उदीयमान राजनीतिक व्यवस्था का विद्वत्तापूरण अध्ययन।

प्रमुख प्रकाशन—कॉन्स्टीट्यूशन, फॉक्शन्स एण्ड फाइनेंस ऑफ इण्डियन स्यूनिसिपेलिटीज सिक्स्टी ईयर्स ऑफ इण्डियन फाइनेंस; कंडरल फाइनेंस इन इंडिया; फौरेन ऑफिलगे शन ऑफ इंडिया; प्रोविन्शन ऑफोनोमी तथा ब्हारई पाकिस्तान-एण्ड ब्हारई नॉट ?

३. आंस्टिन, प्रो० प्रेनविल

— प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री; भारतीय राजनीति अध्ययन का विशेष विषय, १९६६ में प्रकाशित छंति इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन: कॉन्स्टोन ऑफ ए नेशन संविधान सभा की रचना, क्रिया-कलापों, आधारभूत मान्यताओं, तथा तदनन्तर प्रभावों का प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

४. स्टिम्प, प्रो० डोनाल्ड

अमेरिका के पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विभाग से सम्बद्ध। भारत का अध्ययन विशेष रुचि का विषय रहा है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र। नेहरू के राजनीतिक विचारों पर शोध और तदनन्तर प्रकाशित शोध कार्य—नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी: पोलिटिकल थॉट ऑफ एन एशियन डेमोक्रेट। इसके अतिरिक्त रिलिजन एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेंट तथा इण्डिया एज ए सेक्युलर स्टेट उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं।

५. गजेन्द्रगढ़कर, डॉ० पी० थी०

एम० ए, एल० एस० थी०, एल० एस० थी०, पद्म विभूपण (१६७२); न्यायाधीश वर्ष्यर्दि उच्चन्यायालय (१६४५-५७), उच्चतम न्यायालय (१६५७-६४), उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (१६६४-६६); वर्ष्यर्दि विश्वविद्यालय के उपराजनपति (१६६६-७१) तथा यन्मान अध्येतिक निदेशक, कानून सुपार थायोग।

प्रमुख प्रकाशन—नां, विवर्टी एण्ड गोशल जस्टिस; काशमीर-ट्रिलोनेट एण्ड प्रॉसेसट; जवाहरलाल नेहरू—ए मिस्प्रैग आँफ दि मेन एण्ड हिं टीचिस; मेक्युलरिस्म एण्ड दि इण्डियन कॉस्टीट्यूशन तथा दि कॉस्टीट्यूशन आँफ इण्डिया-दट्स फ़िल्मोंसफी एण्ड बेगिङ पास्टुट्युलेट्स।

६. फ़ाउडा, प्रो० मार्कुस एफ०

कोलंगट विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के सहायक प्रोफेसर तथा सेंटर फॉर इन्टर-नेशनल स्टडीज, एम० थाई० थी० में रिसार्च एसोसिएट। भारतीय राजनीति विशेषतः पश्चिम बगाल की राजनीति, विजेन गचि का विषय रही है और उसके सम्बन्ध में भारतीय सघवाद के योजना की ओर इंगित करना, उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रमुख प्रकाशन—बेस्ट बगाल एण्ड दि केइसाइजिंग प्रोसेज इन इण्डिया तथा रेफिक्स पालिटिक्स इन वेस्ट बगाल।

७. चन्दा, थी अरोक के०

भारत के भूतपूर्व कॉम्पोज़ेक्ट तथा प्राइटर जनरल; भारतीय सघवाद, अर्थत्र एवं योजना के क्षेत्र में विशेषीकृत योगदान। (पुस्तक-प्रकाशन के दोरान मृशु)

प्रमुख प्रकाशन—केडरलिस्म इन इंडिया : ए स्टडी आँफ यूनियन-स्टेट रिलेशन्स प्राम्पेक्ट्स आँफ आँटिट कट्टोल, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन।

८. जैनिरस, सर आद्विवर

क० थी० ई०, क्यू० सी०, डी० लिट्, एल० एल० थी०, एफ० थी० ए०, पास्टर आँफ डिनिटी हॉल, केम्ब्रिज, तथा प्रे इनके बेचलर।

राजनीतिविज्ञान, विशेषतः संवैधानिक विधि के विश्वविद्यालय लेखक।

प्रमुख प्रकाशन : सम करेक्टरिस्टिक्स आँफ दि इण्डियन कॉस्टीट्यूशन; दि ब्रिटिश कॉमनवेल्य आँफ नेशन्स; दि ब्रिटिश कॉस्टीट्यूशन; एश्रोच टु मेल्फ गवर्नेमेट; केविनेट गवर्नेमेट; कॉस्टीट्यूशनल लॉज आँफ कॉमनवेल्य; पालियामेट; पार्टी पॉलिटिक्स तथा डोमी-नियन आँफ सीलोन : दि डेवलपमेट आँफ दट्स लॉज एण्ड कॉस्टीट्यूशन।

९. हेनसन प्रो० ए० एच० तथा डगलस, जैनेट

स्व० प्रो० हेनसन लीड्स विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर थे। उन्होंने भारतीय राजनीति के विविध प्रमाणों पर विद्वत्तापूर्ण कार्य किया, विशेषतः भारतीय अर्थतन्त्र, योजना

व मंधवाद पर उन्होंने ग्राविकारिक रूप से लिखा । उनकी प्रमुख कृतियों में दि प्रोसेज ऑफ प्लानिंग; ए स्टडी ऑफ इण्डियाज फाइब इयर प्लान्स; पब्लिक इंटरप्राइज एण्ड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट; पार्लियामेंट एण्ड पब्लिक ओनररशिप तथा इंडियाज हेमोके सी विशेष उल्लेख-नीय हैं ।

जेनेट डगलस लीइस पोलिटेक्नीक में समसामयिक अध्ययन विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं ।

इण्डियाज हेमोके सी प्रो० हेनसन की अन्तिम कृति थी जो उन्होंने जेनेट डगलस के साथ मिलकर लिखी थी ।

१०. मुखर्जी, जस्टिस पी० बी०

बेरिस्टर एट लॉ, कलकत्ता उच्चन्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश । कुछ विशेषी-कृत-न्यायिक लेखों के अतिरिक्त 'श्री एलिमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ दि इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन' (भूलाभाई स्मृति व्याख्यान) प्रकाशित ।

११. सीरवई, श्री एच० ऐम०

प्रमुख न्यायशास्त्री; एडवोकेट जनरल, महाराष्ट्र तथा एडवोकेट, उच्चतम-न्यायालय, नई दिल्ली । केशवानंद भारती बनाम वेरल राज्य (१९७३) के मुकद्दमे में सफल तर्कों के लिए विख्यात ।

प्रमुख प्रकाशन—कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया; दि पोजीशन ऑफ दि जूडिशरों अण्डर दि कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया; श्री आर० के० गर्ं श्री तथा एस० मोहन कुमार-मंगलम के साथ 'श्री जमेंट्स, श्री अमेंडमेंट्स, श्री कंट्रोवर्सीज'; तथा बम्बई लॉ रिपोर्टर में प्रकाशित लेख 'दि फंडमेंटल राइट्स के० एट दि कॉसरोड्स' ।

१२. बॉम्बवाल, डॉ० के० आर०

प्रिसिपल, राजकीय डिप्री कॉलेज, पियोरागढ़ (उ.प्र.); राजनीतिविज्ञान विशेषतः संवैधानिक विधि के प्रख्यात लेखक; वियतनाम में इण्टरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एण्ड कट्रोल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के राजनीतिक सलाहकार तथा उससे पूर्व कॉन्कॉर्स सचिव रहे ।

प्रमुख प्रकाशन—इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स; भेजर कन्टेन्पोरेरी कॉन्स्टीट्यूशन न सिस्टम्स तथा फाउण्डेशन्स ऑफ इण्डियन फैडरेलिजम । इसके अतिरिक्त एस० पी० अम्यर व उपा मेहता द्वारा सम्पादित एसेज इन इण्डियन फैडरेलिजम तथा एस० ए० एच० हाकी द्वारा सम्पादित 'मूलियन-स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया' में प्रकाशित शोध-लेख उल्लेखनीय ।

१३. जेन, डॉ० एच० एम०

रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
प्रमुख प्रकाशन

यूनियन एक्जुक्यूटिव; राइट टु प्रॉपर्टी अंडर दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन तथा अनेक महत्वपूर्ण शोध-लेखों के लेखक ।

१४. खरे, भी हरीश

प्राध्यापक, राजनीतिविज्ञान विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली

प्रमुख प्रकाशन . जरनल आँफ कॉस्टीट्यूशनल एण्ड पालियामेटरी स्टडीज, नई दिल्ली में प्रकाशित लेख व टिप्पणियां, विशेषतः दि इंडियन प्राइम मिनिस्टर : ए प्ली फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आँफ पावर। (जनवरी-मार्च १९७१ अक)

१५. रेहो, डॉ. धी. गोपाल

डॉ. लिट; भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तरप्रदेश; चेयरमेन, चिल्ड्रेन्स फ़िल्म सोसायटी; मशी, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय (१९६२-६३) —कामराज मोजना के ग्रन्तर्गत मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र; काप्रे स दल के उपनेता (१९६५-६७) प्रमुख प्रकाशन : विश्वगृह समेत आठ मौलिक कृतियां तथा बगाली की अनेक प्रतिष्ठित कृतियों का तेलगु में अनुवाद।

१६. कुमारमंगलम, श्री एस. मोहन

बैरिस्टर एड लॉ; मद्रास के एडवोकेट जनरल (१९६६); चेयरमेन, इंडियन एम-साइन्स (१९६६ से १९७१); इस्पात व सानसंबंधी, भारत सरकार (१९७१-७२); नई, १९७३ में दिल्ली में हुई बोइंग विमान दुर्घटना में अचानक मृत्यु।

श्री कुमारमंगलम को न्यायपालिका में सुधार से सम्बन्धित उनके विचारों के कारण विशेष स्थाति मिली। वह न्यायाधीशों में सामाजिक दर्शन के प्रति सजगता चाहते थे। प्रमुख प्रकाशन—'जूडिशल अपोइंटमेंट्स': एन एनालिसिस आँफ दि रीसेन्ट कंट्रोर्वर्सी ओवर दि अपोइंटमेंट आँफ दि चीफ जस्टिस आँफ इंडिया' तथा श्री जजमेंट्स, श्री अमेंट-मेंट्स, श्री सुपरसेशन्स (भार. के. गग्न व एच. एम. सीरवई के साप्त)।

१७. शर्मा, श्री अरविन्द के

प्राध्यापक, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; फ़िलहाल अतिरिक्त प्रध्ययन के उद्देश्य से लदन में प्रवास; अनेक महत्वपूर्ण शोध-लेखों की रचना व राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स से समय-समय पर सम्बद्ध।

१८. मुतालिब, डॉ. एम. ए.

प्रध्यक्ष, लोकप्रशासन विभाग, उत्तरान्ध्रिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (भांधप्रदेश), इंडियन इंस्टीट्यूट आँफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा "व्रिटिश सिविल सर्विस मे" वाइटनी काउन्सिल्स" विषय पर रिसर्च फ़ोलोअप प्रदान की गई; अनुसंधान पूरा होने पर संदर्भ-सूचन आँफ इकॉनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स द्वारा उन्हे पी-एच. डी. की डिप्री प्रदान की गई; जून-जुलाई १९६६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित पंचायती राज पर एक समर सूची का निदेशन व तत्पश्चात् भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा मंचालित एक रिसर्च प्रोजेक्ट का निदेशन।

विषय से सम्बन्धित विविध पक्षों पर अनेक शोध लेखों की रचना तथा 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन' पुस्तक वा नेशन

विषय-सूची

भूमिका

कृतज्ञता-ज्ञापन

नेश्वर-परिचय

भाग १

संविधानिक विकास के प्रमुख आयाम

१. १९०६ के मोर्ले-मिन्टो सुधार	मोटेग्यू व चेम्सफोर्ड	१
२. दृंग शासन	ए. अप्पादोराई	२५
३. प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राज व्यवस्था का आश्वासन	के. टी. शाह	४५

भाग २

भारतीय संविधान की संरचना तथा श्रोत

४. सकल संविधान पर एक टिप्पणी	प्रेनविल घोस्तिन	५६
------------------------------	------------------	----

भाग ३

राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप

५. भारत में धर्मनिरपेक्षता	डोलाहड़ स्मिथ	८६
६. धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान	पी. बी. गोदान्दगडकर	१००
७. राज्य स्वतन्त्रता के श्रोत	मार्कुर्स फाण्डा	१११
८. योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य	अशोक चन्दा	१३०
९. धनमनीयता	आद्वर नेनिमत	१४०
१०. संसदीय सरकार	हेनरिन व डगलस	१५२

भाग ४

राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक भापार : मूल अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त

११. मूल अधिकार प्रोट संविधानिक संगीयन	के. दी. मुरार्डी	११६
१२. गव्यनीति के निदेशक सिद्धान्त	एच. एन. मीर्झा	१८४

भाग ५

मराठाओं संस्थाएँ

१३. मारठा वा राष्ट्रवादि	के. पाट. बोरवाल	१११
--------------------------	-----------------	-----

१४.	राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति	एच. एम. जैन	२१४
१५.	प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के स्थाकरण का आग्रह	हरीश सरे	२३६
१६.	राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण की समस्या	इकबालनारायण	२६५
१७.	भूल्यमंथी का पद : उ. प्र. के राज्यपाल का राष्ट्रपति के नाम पत्र	बी. गोपाल रेहड़ी	२७५
१८.	भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन	एस. मोहन कुमारमग्नम	२८४
१९.	भारत में घोजना आयोग : पुनर्गठन वा प्रश्न	श्रविन्द शर्मा	२६७
२०.	केन्द्रीय लोक मेवा आयोग	एम. मुतालिब	२०७

१६०६ के मोलें-मिन्टो सुधार

भारत में संसदीय प्रणाली के विकास में १६०६ के मोलें-मिन्टो सुधार महत्वपूर्ण रथान रखते हैं, यद्यपि इससे पूर्व भी इस दिशा में प्रयास किए जा चुके थे। घरतः इन सुधारों पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय संविधानिक सुधारों के विषय में, १६१८ में भारत गवर्नर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुद्दे अंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट मेटेपूर्च-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। संविधानिक सुधारों के संदर्भ में प्रस्तुत यत्त्व को सर्वाधिक संतुलित माना जाता है।

रामपाल

लाड़ मिटो के शासन के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या ब्रिटिश शक्ति के उदय के समय उनके द्वारा अनुमूल दो तर्फों को एक ही शासन में समाहित करने की थी। उन्होंने मुगल सम्भाटों तथा हिन्दू राजाओं से प्राप्त निरंकुश शासन तथा ब्रिटिश राजसत्ता व संसद से प्राप्त संविधानवाद, इन दोनों सिद्धान्तों का समन्वय करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य इस प्रकार के संविधानिक निरंकुशतंत्र की रचना करना था जो एशियाई निरंकुशतन्त्रों से पूर्णतः मिश्र हो, विधि के शासन से प्रतिवद्ध हो, जिसकी परिपदों में ऐसे प्रतिनिधि हों जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हों तथा जिसमें शासन संकीर्ण घट्टमत के आधार पर स्वयं को एक प्रबल व निरंकुश शक्ति के रूप में प्रभावशाली बनाए रख सके। उनका उद्देश्य एक ऐसे संविधान की रचना करना था जिसके प्रति अनुदार मत एक निश्चित रूप अपनाले और भावी परिवर्तनों का पर्याप्त विरोध करता रहे। उन्होंने कल्पना की कि समाज का कुलीन वर्ग तथा उदार लोग, जिनका तत्कालीन भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं था, शासन के पक्ष का समर्थन करेंगे तथा प्राप्त स्थिति के संतुलन में, किसी संमानित परिवर्तन व भारतीय संस्थाओं के सोकतन्त्रीकरण के किसी भी प्रयास का वे विरोप करेंगे।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

समाधान के प्रति असंतोष :

ये धाशावादी अपेक्षाएँ अस्वायी थीं। नौ वर्षों में मोले-मिटो सुधारों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। भारतीय मत को अब वे अपेक्षाएँ विलुप्त स्वीकार्य नहीं हैं और विद्यने परम्परा के प्रकाश में सरकारी मत भी अब उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। हमारे विचार से ऐसा स्वयं सुधारों के द्वारा परिवर्ती अनुपात में साए गए राजनीतिक विकास, युद्ध के कारण उत्तम हुई लोकतंत्रीय मावनाओं, कुछ अंशों में स्वयं सुधारों में निहित कुछ चढ़ेश संसदीय शासन की व्यवस्था करना नहीं है। बस्तुतः लाड़ मोले ने सम्पूर्ण विश्वास के साथ लाड़ मिटो के शासन के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और इस पर बल दिया कि ये सुधार उत्तरदायी शासन की दिग्गज में प्रयास नहीं थे। उन्होंने लिखा :

"आपके द्वारा इस बात का विरोध कि आपकी सरकार किसी भी अंश में परिवर्ती अर्थ में भारत के लिए उत्तरदायी शासन की समर्थक है, आपके अनुस्य इसकी सत्यता को अपने अनुभव से पहचाना है कि यह प्रणाली स्वयं आपके शब्दों में भारतीय साम्राज्य के अन्तर्गत कई जातियों से निमित जनसंख्या की प्रवृत्तियों के लिए कभी उचित नहीं होगी।" अनेक कारणों से एक कारण आपके पत्र में स्थानीय शासन से सम्बन्धित वक्तव्य द्वारा सुझाया गया है कि "भारतीय संघान्त्र व्यक्ति द्वीना पश्चात् नहीं करते हैं, अंशतः इसलिए भी व्योकि वे चुनाव में एक निम्न सामाजिक स्थिति वाले विरोधी उम्मीदवार से पराजित होने के अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं होते। भारत में सूरोलीय प्रकार के किसी प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन की स्थापना उद्देश्य, के अभिप्राय अपवा दृच्छा का संठन करते हुए, आपको सरकार ने अपना उद्देश्य, मात्र यत्तमान सरकारी तथा सुधार करना अवश्य ऐसी नवीन व्यवस्था का निर्माण यताया है जो इस देश के शिक्षित लोगों की अपने देश के शासन में भाग लेने की स्वाभाविक आकांक्षा को पूरा करती हो। मुझे यह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं कि योजना के प्रति आपको समादृ की सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है।"

"उन सभी लोगों के लिए, जिनका भारतीय नीति को बहाइट होने अपना कल्पना से निर्देशित करने में हाय है, सफलता का एक मुख्य मापदण्ड अपवा कर्तृती यही होती कि इग्ना सर्वोच्च शक्ति को दामता तथा विसरता पर अपा अपवा करने में उग गमय तक कोई उदारता न हो। प्रजानीय है तथा यही किसी महात्वान्वादी को संतुष्ट करने में कोई विशेष साम हो है। जब तक कि उन्होंने भारतीय शासन में उग गमय तक कोई उदारता न हो, तो जिन पर भारत में हाती, अपवा तथा भारतीय जनना वो सम्पूर्ण भारादृ निर्भर करती है। अपवा भारतीय शासन के लिए उग गमय को अपवा की अपवा करना ये मुझे यह प्रभाग है कि इसमें

निहित प्रत्येक प्रस्ताव जहाँ एक और जनसामान्य के मत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, वही दूसरी और सरकार को उस मत के सम्पर्क में लाने तथा उसकी सभी प्रवृत्तियों व भावनाओं से परिचित कराने का भी प्रयास किया गया है ताकि सरकार को नया विश्वास और अभिज्ञान, विचारों व सहानुभूति का एक व्यापक आधार मिल सके।"

१६०६ के सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ

प्रतिनिधित्व वीर व्यवस्था :

यहाँ पर हमारे लिये उम पत्र-व्यवहार पर प्रकाश ढालना आवश्यक नहीं है जिसके माध्यम से मैं भूल प्रस्ताव विकसित हुए। हमारा उद्देश्य इन सुधारों की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना तथा उन स्थितियों को स्पष्ट करना है जिन्होंने इन सुधारों का स्वच्छ निर्धारित किया। इसके प्रस्तावक इस बात पर सहमत थे कि हितों तथा मतों की असीम भिन्नता के कारण भारत में वर्गों तथा हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना ही परिपदों के संगठन में निर्वाचन के सिद्धान्त को निर्धारित करने का व्यावहारिक आधार बन सकता था। कुछ नीमित हितों, जैसे—निगम, विश्वविद्यालय, चंम्बर्स आँफ कामर्स तथा चार्य बागान समुदायों के लिए सीमित निर्वाचक निर्धारित करना सरल कार्य था। इस दिशा में कठिनाइयाँ तब उत्पन्न हुईं जब विस्तृत हितों अथवा समुदायों, जैसे—व्यावसायिक वर्गों व भू-स्वामित्व-सम्बन्धी हितों अथवा महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों, जैसे कई प्रान्तों में मुसलमानों तथा पंजाब में सिक्खों की सुरक्षा का प्रश्न उठा। मुसलमानों ने बस्तुतः इस बात के लिए दबाव ढाला तथा लाई मिट्टी से यह आश्वासन प्राप्त कियां कि वे अपने पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सम्भवतः उस समय इस निरंय के दूरगामी परिणामों तथा बाद में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सका। इन सब पर विचार करने का अवसर हमें बाद में उपलब्ध होगा। इसी प्रकार विस्तृत भू-स्वामित्व सम्बन्धी हितों के लिए उच्च मताधिकार के आधार पर एक विशिष्ट निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। प्रान्तीय परिपदों के अवशिष्ट (residuary) निर्वाचन क्षेत्र जो शेष जनता के प्रतिनिधित्व का एकमात्र माध्यम थे, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों के मतदान समूहों से मिलकर बनते थे।

प्रान्तीय परिपदों में सरकारी बहुमत का परिवर्त्याग :

प्रारंभ में लाई मिट्टी की सरकार प्रान्तीय परिपदों में नाममात्र का सरकारी बहुमत रखने के पक्ष में थी। उसका उद्देश्य केवल इतनी ही संख्या में सरकारी सदस्य बुलाना था जिन्हें सरकारी कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक हों। विन्तु बम्बई में यिन सरकारी बहुमत के कार्य-सम्पादन संभव हो सका था। १६०६ में वहाँ की स्थानीय परिपद में १० सरकारी सदस्य तथा १४ गैर-सरकारी सदस्य थे यद्यपि ३ गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर कभी भी सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था। अतः प्रान्तीय परिपदों में सरकारी

बहुमत के परित्याग से उत्पन्न संकट का सामना करने का निरांय लिया गया। इसके अतिरिक्त कार्य-सम्पादन की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण निरांय भी लिये गए जैसे, इस दिशा में अंशतः निषेधाधिकार का आश्रय, प्रान्तीय व्यवस्थापन से संबंधित आंशिक वैधानिक प्रतिवन्ध, अदांछनीय कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक तथा प्रान्तीय परिपद् द्वारा प्रसंहयोग की स्थिति में गवर्नर जनरल की विधान परिपद् द्वारा प्राप्त विधि-निर्माण संबंधी निहित शक्ति के प्रयोग में विश्वास। प्रान्तीय परिपदों की अधिकतम् संख्या को बढ़े प्रान्तों में ५० तथा छोटे प्रान्तों में ३० तक बढ़ा दिया गया। सामान्यतः संगठन इस प्रकार क्रिया जाना था कि सरकारी तथा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की तुलना में बहुमत प्राप्त हो। बंगाल इसका अपवाद था जहां निर्वाचित सदस्यों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था।

भारतीय विधान परिपद के सम्बन्ध में भी विस्तार किया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त सदस्यों की संख्या साधारणतः ६० है। इनमें अधिकतम् गैर-सरकारी संख्या (मंभवतः २८) है। गवर्नर जनरल को तीन विशिष्ट समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों तथा दो अन्य स्थानों को अपनी इच्छा से मनोनीत करने का अधिकार है। इस संदर्भ में भी क्षेत्र की अपेक्षा हितों के प्रतिनिधित्व पर निर्भर करना आवश्यक माना गया है। २७ निर्वाचित स्थान अंशतः कुछ विशिष्ट निर्वाचित क्षेत्रों जैसे सात प्रान्तों में भूस्वामियों, पाँच प्रान्तों में मुसलमानों, एक प्रान्त में मुस्लिम भूस्वामी एकान्तर (alternate) चुनाव में तथा दो चौर्वर्स आँफ कॉमर्स के मध्य वैट हुए हैं। शेष खुले स्थान नौ प्रान्तीय विधान-परिपदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित से मरे जाते हैं। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये आँकड़े बंगाल के पुनर्विभाजन की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक वैधानिक परिवर्तनों तथा उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रान्तों के लिए निर्मित विधान परिपद की संरचना पर आधारित हैं। गवर्नर जनरल की विधान परिपद में इस प्रकार सीमित सरकारी बहुमत बनाए रखा गया। लाड़ मोर्ले ने यह व्यवस्था की कि गवर्नर जनरल की परिपद अपने व्यवस्थापिक तथा कार्यपालिका के स्वरूप में इस प्रकार गठित हो कि यह उन सर्वधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए सतत् निर्विरोध शक्ति अंजित करती रहे जिनके लिए यह राजसत्ता व संसद् के प्रति उत्तर-दायी है।

निर्वाचन के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता :

ये व्यवस्थाएँ जिन नियमों में निहित थी उनकी विशेषता इस बात में थी कि उनमें प्रकट हुए से निर्वाचन के नियमों को स्वीकारा गया था। यह उल्लेखनीय है कि १८६३ के नियमों में उनका व्यावहारिक हूप में भाकलन करते हुए भी कानूनी हूप से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। १८०६ तक परामर्शदात्री संस्थामो द्वारा प्रस्तुत किये गए नामांकनों को वैधानिक हूप में मानना अनियार्थ नहीं था, यद्यपि व्यवहार में इस प्रकार के नामांकन अस्वीकार नहीं किये गए थे। इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि नामांकन को अस्वीकार कर

सकने की शक्ति के कारण कुछ स्थितियों में अवांछनीय उम्मीदवारों के नामों को वापिस कर लिया गया। १६०६ में निर्वाचन के सिद्धान्त की कानूनी मान्यता में निर्वाचन की कानूनी कमियों को अनिवार्यतः क्रियान्वित करने की व्यवस्था निहित थी। इसके साथ ही सम्राट् (emperor) के प्रति निष्ठा व स्वामिभक्ति की शपथ भी आरोपित की गई थी।

प्रस्ताव रखने का अधिकार :

परिपदों के संगठन में परिवर्तन के समान ही उनकी कार्य-प्रणाली में भी महत्वपूरण परिवर्तन किये गए। मह पूर्णतः सत्य है कि जहा तक विधि निर्माण सबसी व्यवस्थाओं का प्रश्न है अब तक १६६१ के पुराने अधिनियम के अनुसार ही विधान परिपद की शक्तियाँ निर्धारित हैं किन्तु कार्य-प्रणाली का क्षेत्र प्रभावशाली ढंग से विस्तृत कर दिया गया। जैसाकि स्पष्ट है १६६१-१६६२ के करीब तीस वर्षों में परिपदों का कार्य विधि-निर्माण के अतिरिक्त कुछ नहीं था। १६६२ के अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार तो दिया था किन्तु सदस्यों को उसके बारे में अथवा उस विषय पर परिपद में मतदान से संबंधित प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं था। व्यवहार में सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित बजट पर विचार करने के लिए वर्ष में एक या दो दिन रख दिए जाते थे। लाड मोले के सुधारों ने न केवल बजट को अंतिम रूप से निर्धारित करने से पूर्व उस पर विचार करने का अधिकार ही दिया बल्कि उसके बारे में प्रस्ताव रखने तथा उस पर मतदान करने का अधिकार भी प्रदान किया। प्रस्ताव रखने का अधिकार मात्र बजट तक ही सीमित नहीं था अपिन्तु अब सांवंजनिक हित के सभी प्रश्नों पर प्रस्ताव रखे जा सकते थे और उन पर मतदान किया जा सकता था। ये प्रस्ताव भावनाओं को अभिव्यक्त करने के माध्यम थे तथा इनका महत्व कार्यपालिका के संदर्भ में परामर्श देना था। कुछ प्रश्नों पर जैसे देशी रियासतों के विषय में, कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता था। कोई भी प्रस्ताव सरकार के अध्यक्ष द्वारा, जोकि परिपद का अध्यक्ष भी होता था, मात्र इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता था कि उसके भत्ते में उक्त प्रस्ताव सांवंजनिक हित में नहीं है। इसके साथ ही सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार की व्यापकता प्रदान करते हुए इस सम्बन्ध में पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया।

प्रगति का स्वरूप

आगे चल कर हमें इन सुधारों के व्यावहारिक पक्ष को जानने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर संक्षेप में यह विचार करना समीचीन होगा कि किस प्रकार मोलैं-मिण्टो सुधारों ने संवंधानिक विकास को आगे बढ़ाया। उन्होंने संबंधित प्रतिनिधित्व पर बल दिया यद्यपि उन्होंने उसे प्रत्यक्ष अध्यवा साधारण मताधिकार पर आधारित करना असंभव ठहराया। उन्होंने सरकारी विधानों के लिए गैर-सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने की वांछनीयता को भी स्वीकार किया यद्यपि संकटपूर्ण स्थिति में वे मनोनीत सदस्यों के समर्थन को ही पर्याप्त

समझते थे। इसके अतिरिक्त वे निवाचित राज्यों के विभिन्न वर्गों के अलग-अलग हितों तथा अंततः भारतीय विधान परिषद् द्वारा पारित विवेक के सामूह किये जाने पर निर्भर थे, जिसमें सरकारी वहुमत को बनाए रखा गया था। स्पष्टतः परिषदों के सम्बन्ध में मात्र विधान समिति होने की पुरानी धारणा को छोड़ कर उन्हें सरकार की गतिविधियों की जाँच-पड़ताल करने वाली संघर्ष बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए उन्हें प्रशासनिक विषयों पर चर्चा करने तथा सरकार से उसके द्वारा दिये गए प्रबन्धों के उत्तर में तर्क-वितर्क करने के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिकार प्रदान किये गए थे। साड़े भौतें की यह असहमति “यदि यह कहा जाता है कि सुधारों के इस सम्बन्ध ने प्रत्यक्ष मा अप्रत्यक्ष हृष से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की दिशा में प्रगति की तो, मैं इस से कोई सरोकार नहीं रखूँगा” — निस्संदेह तब स्पष्ट हो जाती है जब हम उसके द्वारा विटिंग संसद की सर्वोच्चता को दिये गए महत्व पर ध्यान देते हैं। यह असहमति तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब वह लाडे मिट्टों की सरकार के इस परामर्श को स्वीकृति देता है, जिसका प्रत्येक विशिष्ट भारतीय प्रशासक ने अनुभव के आधार पर समर्थन किया और कहा कि भारत में अत्यधिक सीमित निवाचित क्षेत्रों तथा अप्रत्यक्ष भौतिकीरण से अधिक कुछ भी अपेक्षा करना सर्वथा कल्पनातीत है। उसने इस संवेधानिक हिटिकोए को स्वीकार किया कि उस समय तक विटिंग निवाचिको के नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था जब तक कि भारतीय निवाचिक गए, जो अभी तक कहीं हिटिंगोवर नहीं हो रहे थे, इस भार को उठाने की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेते। तथापि यह कहा जा सकता है कि अभी हमने जिन विशेषताओं की चर्चा की है जो निस्संदेह उस दिशा में स्पष्ट प्रगति की सूचक थी, जहाँ से वह स्थिति अधिक दूर नहीं थी जब उत्तरदायी सरकार का प्रश्न उपस्थित होने की सम्भावना हो सकती थी।

एक विधायिनी अभिसम्प्रय :

भारत में विधायिनी समितियों के विकास की समोक्षा में एक धन्य बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उपर्युक्त अनुच्छेद में हमने यह स्पष्ट किया कि केन्द्रीय विधायिनी परिषद् ने संपूर्ण भारत के लिए विधि-निर्माण का कार्य अपने में केन्द्रित रखा था। किन्तु बाद के वर्षों में धीरे-धीरे एक विश्वास का बातावरण बना, जिसके अनुसार साधारणतः भारत सरकार प्रान्तों के लिए उन विषयों पर कानून नहीं बनाती थी जो स्वयं प्रान्तीय विधायिनी परिषदी (Legislative council) के अधिकार में थे। छोटे प्रान्तों में इस प्रकार की सत्याग्रो की स्थापना इस हक प्रवृत्ति का समर्थन करती है कि भारतीय विधान मंडल (Indian legislature) किसी भी ऐसे विषय पर विधि-निर्माण करने से पूर्व, जिस पर विधि-निर्माण का अधिकार बस्तुतः प्रान्तीय विधान पड़त को था, आवश्यक विशिष्ट कारण स्पष्टीकरण के रूप में अवश्य दे देती थी।

निष्कर्ष

इस सब के बावजूद १९०६ के सुधार न तो भारत की राजनीतिक समस्या का कोई समाधान

कर सकते थे और न उन्होंने ऐसा किया ही। सीमित भत्ताधिकार तथा अप्रत्यक्ष निवाचन सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने में असमर्थ रहे। यद्यपि विशिष्ट निवाचन क्षेत्र इसके अध्यवाद थे जहाँ भर्तों का प्रयोग किसी विशिष्ट हृष्टिकोण तथा प्रभाव से किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व अविभाजित रहा, परिणामस्वरूप जहाँ सरकार को पर्याप्त प्रश्नों व आलोचना का शिकार बनना पड़ा, वही ये प्रश्न व आलोचना उत्तरदायित्व की उस वास्तविक भावना से अवृत्ते थे, जो स्वयं सत्ता प्राप्त करने की सम्भावना के परिणामस्वरूप आती है। एक ऐसी कार्यपालिका की अवधारणा को, जो पूर्ण अध्यवा आशिक रूप से निर्वाचित परिषदों से प्रभावित होती हो, स्वीकार नहीं किया गया था। संपूर्ण सत्ता सरकार में केन्द्रित रही तथा परिषदों का कार्य मात्र उसकी आत्मोचना करना रहा। सरकार सत्ता में ढील देने के लिए किसी प्रकार तंयार नहीं थी परिणामनः प्रान्तीय सरकारें भारत सरकार द्वारा तथा भारत सरकार, भारत संचिव व ड्रिटिश ससद् के द्वारा नियन्त्रित थी। इस प्रकार की स्थिति वाह्य कारणों के अभाव में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती थीं। यह योजना प्रस्तुत दिशा में प्रगति के मार्ग को अधिक प्रशस्त नहीं करती थी। केवल यही उपाय शेष रह गया था कि स्थायी बनी रहने वाली कार्यपालिका के प्रत्येक प्रशासनिक तथा विधि सम्बन्धी कार्यों को ये निर्वाचित परिषदें स्वीकार करती रहें। इस स्थिति ने उन संघर्षों तथा गतिरोध को उत्पन्न कर दिया जिनकी चर्चा अन्यत्र की जाएगी। हमारे विचार में मोर्लैं-मिट्टो सुधार उस अवधारणा की चरम परिणति थे जिसने भारत सरकार को कल्याणकारी निरक्षण तत्र (benevolent despotism) बना दिया (जिस पर कभी-कभी सतकं प्रजातंत्रीय प्रहार होते थे, जो बहुधा अपनी जनता के परामर्शं एव सुझावों पर विचार करती थी) सरबाटें के शब्दों में—“सरकार अब भी दरबार में एक राजा के समान है, किन्तु अब उसके दरबारी भ्रस्तुष्ट हैं तथा उस राजा के वैयक्तिक शासन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शासन कायर तथा अक्षमवान हो गया है। परिषदों में संसदीय परम्पराएँ उस सीमा तक स्वीकार कर ली गई हैं जहाँ वे मतभेद को जन्म दे सकती हैं। किन्तु क्योंकि ऐसा संम्बव नहीं है अतः वास्तविक मान्यता के कारण वे कल्याणकारी सावित हुई हैं। बतंमान स्थिति में भारत में न तो उस पुरानी व्यवस्था का श्रेष्ठ अंश बचा है और न ही हम नई व्यवस्था का श्रेष्ठ अंश ले पाए हैं। लोकप्रिय सरकार का आधार उत्तरदायित्व होता है जो परिषदों को पूर्णतः अप्राप्य है। इस बारे में पूर्णतः सहमति है कि इस प्रथम उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इन्हें वास्तविक कार्य सौंपे जाने चाहिए। सौंध ही उसका प्रत्यक्ष रूप से जनता से सम्बन्ध होना चाहिए जो उनसे किये गए कार्यों के बारे में पूछताछ करे।”

(II)

“हमने लाडं मिट्टों के समय में विधान परिषदों में किए गए परिवर्तनों की नव्य पर्याप्त विस्तार से की है। अब हमारा उद्देश्य सुधार के बाद इन परिषदों के कार्यों की जाँच

करना तथा यह पता लगाना है कि किस सीमा तक ये द्वन भाकोंसाथीओं को पूरा कर सकें। उनके बारे में यह दावा किया गया था कि ये जनता का वास्तविक तथा प्रभावशाली ढंग में सहयोग प्राप्त करेंगी। ऐसा न केवल समय-नामय पर होने वाले विधि-निर्माण के कार्य में अपितु प्रतिदिन के प्रशासन के संदर्भ में किया जाएगा। हमें यह देखना है कि ऐसा कहीं तक किया गया। सर्वप्रथम हमें यह जात फरना है कि किस सीमा तक ये परिषदें महीं भी में जनता की प्रतिनिधि थीं, तथा दूसरे स्तर पर हमें यह जानना होगा कि कहीं तक जनता के प्रतिनिधि परिषदों में विधि-निर्माण तथा प्रशासन को प्रभावित कर पाएं।

२ तंत्रानि निर्वाचन व्यवस्था के द्वेष : मताधिकार का सीमित स्वदृष्टि :

इस तथ्य से इन्हाँर नहीं किया जा सकता कि यतंमान निर्वाचन व्यवस्था प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के हिट्टिकोण से अत्यधिक वृद्धिशुण है। इसमें मुख्य दोष यतंमान मताधिकार का अत्यधिक सीमित दोष है। उन निर्वाचन दोषों में अतिरिक्त, जो किसी विनिष्ट वर्ग अध्यया समुदाय के लिए हैं, अन्य निर्वाचन दोषों में भतदाताओं तथा परिषदों में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के बीच कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। भारतीय विधान परिषद् में १८ सदस्य ऐसे हैं जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये हैं तथा मात्र ६ ऐसे हैं जिन्हे समग्र जनता के प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचित कहा जा सकता है। अप्रत्यक्ष है कि सबसे विशाल निर्वाचन दोष, जो भारतीय विधान परिषद् को एक सदस्य चुन कर भेजता है उसमें ६५० व्यक्तियों से अधिक भतदाता नहीं हैं तथा परिषद् के अधिकार निर्वाचन दोष, उसमें छोटे हैं। वे निर्वाचन दोष जो जनता को भौत से ६ प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, भारतीय विधान परिषदों के गैर-भारतकारी सदस्यों से मिल कर बनते हैं, तथा इनमें भतदाताओं की भौतिक संख्या २२ ही होती है। एक भागले में तो यह संख्या मात्र नहीं है। प्रान्तीय परिषदों के मामले में भी सदस्यों का विभाजन इसी प्रकार विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्ड के सदस्य या तो स्वयं चुनाव करते हैं अथवा भतदाताओं का नियंत्रण करते हैं। किन्तु किसी भी स्थिति में भतदाताओं की संख्या निर्वाचन दोष में कुछ सौ व्यक्तियों से अधिक नहीं होती। यदि हम सीमित वर्ग के निर्वाचन दोषों की उपेक्षा करें तो स्थानीय समिति को, जो सीमित वर्ग में जनसामान्य का प्रतिनिधित्व करती है, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक १००० निर्वाचिकों पर ३६ प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। मुसलमान प्रति १००० निर्वाचिक गण १०३ सदस्य भेजते हैं। किन्तु जहाँ बाद के दो बागों में निर्वाचिक गण १०३ सदस्य भेजते हैं वहाँ बाद के दो बागों में निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। स्थानीय मामलों में वह अप्रत्यक्ष ही नहीं अपितु दोहरे रूप में अप्रत्यक्ष है व्योंगी सदस्यों को जो लोग चुनते हैं वे उन स्थानीय संस्थाओं के सदस्य हैं जिनका चुनाव उनके निर्वाचन दोषों से पूर्णतः वैयक्तिक अधिक स्थानीय हितों के आधार पर होता है। वह विधान परिषदों के संगठन को भाग में रखकर नहीं किया जाता। ऐसी परि-

स्थिति में हमें यह मानना पड़ता है कि प्रान्तीय परिपदों के गैर-सरकारी सदस्य, भारत की विधान परिषद् तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में अपने प्रतिनिधियों के संदर्भ में व्यवहार रूपेण प्राथमिक मतदाता हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति जो प्रारम्भिक मतदाता के रूप में मत देता है तथा वह जो उसके प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद् में बैठता है इन दोनों के मध्य पूरणतः कोई सम्बन्ध नहीं है। व्यवहार में उस प्राथमिक मतदाता के मत का विधान परिषद् की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता पर, जो अपने मत का प्रयोग करता है न तो कोई उत्तरदायित्व होता है और न ही उसकी राजनीतिक शिक्षा की कोई सम्भावना ही है। एक ऐसे निर्वाचिक गण को प्रशिक्षित करने का कार्य, जो एक उत्तरदायी सरकार के भार को वहन कर सके अब तक अवूरा बना रहा है तथा जैसाकि हम आगे चल कर देखेंगे, ये कठिनाइयाँ गहन हैं और इनका समाधान पर्याप्त समय लेगा।

प्रतिनिधियों में वकीलों का अधिक अनुपात :

वर्तमान निर्वाचन-व्यवस्था का एक छोटा किन्तु उल्लेखनीय परिणाम निर्वाचन में सफलता पाने वाले लोगों में कानूनी व्यवसाय के लोगों के अनुपात में वृद्धि है। यदि हम भारत की विधान परिषद् पर १६०६, १६१२ तथा १६१६ के निर्वाचनों के बाद संगठन की दृष्टि से ध्यान दें तो यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों में वकीलों का प्रतिशत क्रमशः ३७, २६ तथा ३३ था। यदि हम भूस्वामी तथा व्यापारी दर्गे के विशेष प्रतिनिधित्व को हटा दें तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी पृथक् कर दें, जिनकी संख्या के बारे में आँकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं, और तब प्रान्तीय परिपदों के मात्र गैर-सरकारी सदस्यों की ओर ही देखें, तो हम पाते हैं कि वकीलों का प्रतिशत १६०६ तथा १६१२ में ४० तथा ४५ प्रतिशत रहा तथा वर्तमान परिषद् में यह अनुपात ५४ प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्यतः भूस्वामियों के स्थान पर हुई है जो व्यावसायिक हितों के मुकाबले में भी महत्व खो चुके हैं। प्रान्तीय परिपदों में भी स्थिति इसी प्रकार की है। इनमें से अधिकांश स्थान परिषदों में विशिष्ट स्थान-भूस्वामियों तथा व्यावसायिक लोगों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं तथा वे प्रायः इन्हीं वर्गों के लोगों से मरे जाते हैं। यह स्थिति परिपदों के सम्पूर्ण स्वरूप में कानूनी तरंगों को थोड़ा कम करती है। इसके बावजूद भी सभी विधान परिषदों में संयुक्त रूप से वकीलों का प्रतिशत, निर्वाचित सदस्यों (वर्मा को छोड़कर) १६०६ में ३८, १६१२ में ४६ तथा १६१६ में ४८ था। किन्तु यदि हम मात्र उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ही ध्यान दें जो जनसामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाले थे और किसी विशिष्ट हित से पृथक् थे, अर्थात् जो स्थानीय व जिला परिपदों के सदस्यों से मिल-कर बने थे, तो यह ज्ञात होता है कि १६१६ में ७० में कम से कम ४६ (लगभग ७० प्रतिशत) सदस्य वकील थे। इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे निर्वाचन क्षेत्र जिससे सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता है उनमें २.१ अनुपात वकीलों के होने की संभावना होती है। राजनीति में वकीलों का बहुमत अन्यत्र भी संसदीय शासन

प्रणाली की विशेषता के स्थ में पाया जाता है तथा यह स्थानान्वित भी है बर्तीन गोदान शासन प्रणाली में विधि-निर्माण का कार्य प्रतग्रामण होता है तथा यह अधिकांशतः इसे धारपूर्ण भापणों द्वारा किया जाता है जिसमें निस्सन्देह घटीन ही अधिक सामग्री स्थिति में रहते हैं। भारत में इन परिस्थितियों में एक परिस्थिति और सम्मिलित हो गई है। यही शिक्षित वर्गों के लिए व्यवसाय चयन करने का धोन बड़ा संहीण है। यह तथ्य है कि ऐसे ही व्यवसाय के लोगों का इन्हें अधिक धनुषात में विधान परिषदों में रहना सामान्य जनता के हित में नहीं है। अतः हम यह सुझाय इत्य सम्मानपूर्ण व्यवसाय का विरोध करने भी हट्टि से अथवा परिषदों में उनकी उपरोक्तियों को कम मानने की हट्टि से नहीं, अन्तु इस हट्टि से कर रहे हैं कि हमारे नए निर्वाचन धोन इस विचार दो ध्यान में रख कर निर्धारित हिते जाएँ कि अत्य व्यवसाय तथा वर्ग के लोगों को परिषदों में पर्वत स्थान मिले। ऐसा ग्रामीण वर्गों के लिए कुछ निश्चित योग्यताएँ निर्धारित कर किया जा सकता है।

सरकारी गुट उनका कार्य :

दूसरी भौत सरकार के हट्टियों को प्रस्तुत करने ये उसे कियान्वित करने के तरीके भी आलोचना का विषय है। यह पुराना विचार कि विधान परिषदें भी अपने विधायिकी पद में सरकारें ही हैं, अब भी गवर्नर्मेंट और इंडिया एक्ट की धारा ६३ तथा ७३ में प्रतिव्यन्ति होता है। जैसाकि विद्वित है अभी हाल में उसे मवियों द्वारा कियान्वित किया गया है। निस्सन्देह यही भावण है कि परिषदों में सरकारी गुट को विशिष्ट कठोरता के साथ बनाए रखा गया है। ग्रंथसरकारी सदस्यों को पर्याप्त सामग्र देवियन्त्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु यह हट्टियों कि विधि-निर्माण अब भी कार्यपालिका व सरकार का प्राथमिक विशेषाधिकार है, सामान्य है। यदि सरकार ने, जो स्वयं संसद के प्रति उत्तरदायी है, अपने सरकारी सदस्यों को निजी विधेयकों पर स्वतन्त्र स्थ से बोलने या मत देने का अधिकार दिया है तो ऐसा नियमानुसार नहीं अन्तु अपवाद स्वस्फुल हुआ है। सरकारी कार्यवाई पर उनका नियंत्रण और भी कठोर हो रहा है। परिषद् की कार्यवाई पर सरकार का नियन्त्रण रहा है। सामान्यतः सरकारी अधिकारी न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न ही वे प्रश्नाव रख सकते हैं तथापि यह प्रवृत्ति विकितिहृद है कि अधिक मामलों को उन्मुक्त प्रश्न माना जाए। मत-विभाजन की स्थिति में सरकारी गुट सरकार के पद में ही मत देता है।

सरकारी सदस्यों पर इसका प्रभाव :

परिषद् में होने वाली प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की सहज कल्पना की जा सकती है। सरकार के नियंत्रण की नुलना कॉमन सेम्ब (House of Commons) में होने वाले कठोर दलीय अनु-शासन से की जाती है किन्तु हमारे मत में उसकी उपयोगिता बहुत कम है। दलीय अनुशासन में सदस्य यदि सचेतक के शादेश को मानने के लिए प्रेरित होता है तो उसके पीछे यह भावना होती है कि सदन में सरकार की हार का भर्म मंत्रिमंडल में परिवर्तन है। अतः यह उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत सीमित मत क उस विशिष्ट प्रश्न

पर, उन व्यापकतर विद्वानों के लिए परित्याग कर दे, जो उसके दल का आधार हैं। इसके अतिरिक्त कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यवित्रित निरंय प्रभावशाली हो जाता है कारण सरकार का तथा सरकारी दल के विरोध में दल के समर्थकों द्वारा भत्तदान करने के कारण सरकार का पतन हो जाता है। इस व्यवस्था का मूल आधार उत्तरदायित्व है, किन्तु मारतीय विधान परिषद् में सरकार के साथ मत देने का उत्तरदायित्व अभी तक विद्यमान है और इस वनाने का प्रयास नहीं किया गया है जैसाकि लेवेस्टन ने बहुत बयों पहले कहा था कि अंतर्भूत व अनुशासन के बीच यह सधर्य कभी धर्याधिक तीव्र हो सकता है।

भारतीय सदस्यों पर प्रभाव .

विधान परिषदों के भारतीय सदस्यों पर यह प्रभाव स्पष्टतः उन्हें सुधर करता है। उनका हृष्टिकोण सरकारी सदस्यों के विषय में पूर्वाधी हो जाता है जो एक गुट का निर्माण कर लेते हैं। भारतीय सदस्य ऐसे विचार-विमर्श में, जिसमें वक्ताओं का बहुमत उनके विचार में सरकार के विश्वास जा रहा है, माग ले सकते हैं। चूँकि सरकार अक्सर एक ही हृष्टिकोण सरकारी है अतः वह ऐसा एक ही वक्ता के माध्यम से करवा कर सुनुष्ट हो जाती है किन्तु जब भत्तदान का अवसर आता है तब संपूर्ण सरकारी गुट सरकारी प्रस्ताव को पारित करवा लेता है अतः वह ऐसा काम ही कभी आता है। इस प्रकार भारतीय सदस्यों के मत को परिषद् के रिकॉर्ड में रखने का अवसर शायद ही कहना कठिन है। यहाँ यह कहना कठिन है कि परिषद् के निरंय अधिकांशतः स्वयं सरकार के निरंय होते हैं। यहाँ यह कहना कठिन है कि अधिकांश सरकारें सरकारी गुट का प्रयोग करना नाप्रसन्न करती हैं जिसका उन्हें प्रायः सामना करना पड़ता है। यह तथ्य, कि परिषदों में भारतीय सरकारी सदस्य क्षम है, न केवल इस गुट-बंदी को और अधिक जटिल बना देता है अपितु इसे अवांछनीय रूप भी प्रदान करता है। परस्पर विचार-विमर्श में कट्टा आने लगती है। इन सबके अतिरिक्त यह सरकारी एकता स्वाभाविक रूप से निवार्चित सदस्यों के आपसी मतभेदों को समाप्त करती है तथा उन्हें सरकार के विश्वासंगठित होने के लिए प्रेरित करती है। परिणामस्वरूप इनमें मनोनीत भारतीय सदस्य भी सम्मिलित होने लगते हैं।

परिषद् की कार्रवाई पर प्रभाव :

उपरोक्त कारणों से परिषद् की संपूर्ण कार्रवाई अवास्तविक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। चूँकि निवार्चित सदस्यों की संख्या सीमित है, तथा विषय का ज्ञान पहले से ही होता है अतः विचार-विमर्श अवसर तब तक रचित्वान होता है जब तक विचाराधीन प्रमाण किसी प्रकार की मावनामों को ठेस न पहुँचाता हो अथवा किन्हीं हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। चूँकि सरकार ने पर्याप्त सीमा तक परिषदों की कार्रवाई पर नियन्त्रण करने की प्रयास की है अतः परिषदों ने कभी भी किसी ऐसे सुगठित मत को विकसित करने की प्रयास

नहीं किया जो उनके व्यवितरण प्रयासों के स्तर को उठाने में राहापक होता। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बवतव्यों के स्तर में सुधार हो रहा है। अब विचार-विमर्श के संदर्भ के प्रतिरिक्त पहले से संयार किये गए भापणों का पाठन, तथा एक बार चर्चित विषयों की पुनरावृत्ति, दोनों में पहले की अपेक्षा कम दोष पाये जाते हैं। इन घवसरों का अनुभव तब होगा है जब सरकार विचार-विमर्श से पृथक हो जाती है, तथा मतों के विभिन्न स्वरूपों को स्वतन्त्र रूप से प्रकट होने का अवसर देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकार द्वारा भविष्य में सरकारी गुट को समाप्त कर दिया जाए तो परिषदों की कार्रवाई में नई शक्ति का संचार किया जा सकता है।

सरकारी सदस्यों की स्थिति :

परिषद पर सरकारी नियमण को स्पष्ट करने के लिए १९११ तथा १९१२ की दो घटनाओं की ओर हमारा ध्यान सहज ही आकृष्ट होता है। ये घटनाएँ मोर्ले-मिटो सुधारों के संकीर्ण स्वरूप को स्पष्ट कर देती हैं। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि भारतीय विधान परिषद् में सरकारी सदस्यों का प्रवेश सबं प्रथम उस समय किया गया जब यह संस्था भारत में एक मात्र व्यवस्थापिका थी, जिससे यह अपेक्षा थी कि इसमें प्रान्तीय हितों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। सभी प्रान्तों में परिषदों की स्थापना होने के पश्चात् भी यह विचार यथावत् बना रहा। जब लाई डफरिन द्वारा सुधारों के अनुहूल भारतीय बजट पर विचार किया जाने लगा तब यह प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई कि केन्द्रीय विधान परिषद् में प्रान्तीय सदस्य वित्तीय प्रश्न को लेकर सम्बंधित प्रान्त की स्थिति के प्रति असंतोष व्यवत् करते थे। यह प्रया मोर्ले-मिटो सुधारों के पश्चात् भी बनी रही किन्तु अब भारत सरकार इस सदस्यों के वित्तीय निर्णयों से संबंधित आलोचना पूर्वावृत् सहिष्णुता से नहीं सुनती थी। कभी-कभी तो यह प्रतिक्रिया इतनी अप्रत्याशित होती थी कि वह प्रान्तीय आधार पर आलोचना करने वाली को चकित कर, असमंजस में डाल देती थी। दो प्रान्तीय सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण में उत्पन्न इस आकस्मिक परिवर्तन की आलोचना भी की, किन्तु लाई हाईडिंग की सरकार का निर्णय था कि १९०६ के सुधारों ने संपूर्ण परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकारी बहुमत को निम्नतम् व्यवहारिक सीमा तक घटा दिया गया था। अब विभिन्न प्रान्तों के सदस्य वहाँ मात्र प्रान्तों के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए ही नहीं थे अपितु विधि-निर्माण के समान बजट पर विचार करते समय भी भारत सरकार का समर्थन करने के लिए थे। जब तक भारतीय विधान परिषद् में सरकारी तत्त्व पर्याप्त मात्रा में था, तब तक सरकार द्वारा प्रान्तीय सदस्यों की आलोचना पर कोई आपत्ति नहीं हुई किन्तु बड़ी संख्या में निर्वाचित सदस्यों के प्रदेश के पश्चात् इस प्रकार के अभ्यास को समाप्त करना भाव-श्यक हो गया। परिणामतः अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई। इस कल्पना को अमान्य ठहरा दिया गया कि भारतीय विधान परिषद् केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के मध्य परस्पर वार्ता का एक मंच थी। अब यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना सर्कारी होगा कि अपने प्रान्तों के लिए और अधिक अच्छी वित्तीय व्यवस्थाएँ प्राप्त करने के

उद्देश्य से मद्रास तथा वम्बई के सरकारी सदस्य न केरन अन्तीय सरकारों के हाइड-कोण को प्रकट कर रहे थे अपने प्रत्यांतों के निर्वाचित सदस्यों के विचारों को भी वारणी दे रहे थे। मोर्जे-मिन्टो मुवारो के अन्तर्गत यह एक जटिल स्थिति है कि लोकप्रिय द्विप्तिकोण अपनाने से कभी भी सरकारी हाइट एवं सरकारी अनुशासन से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रान्तीय सरकारों की स्थिति :

इसी प्रकार के सिद्धान्तों से युक्त संघर्ष एक वर्ष बाद प्रान्तों में उत्पन्न हुआ। वम्बई प्रान्त की सरकार भारत सरकार को शेखाण्डिक भविकारियों को प्रभावित करने वाली कुछ मान्यताओं में परिवर्तन करवाने में असफल रही। हम उन प्रस्तावों के औचित्य अथवा अन्तीचित्य पर इस समय टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किन्तु ये प्रस्ताव स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय थे। वम्बई विधान परिषद् में एक निर्वाचित सदस्य द्वारा इस प्रस्ताव को संवैसम्मति से पारित किया गया था। वम्बई सरकार ने इस संवैसम्मत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा एक बार उन्होंने यह प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भी रखा। यह तक दिया गया कि इस प्रस्ताव को संपूर्ण परिषद् का समर्थन प्राप्त है। किन्तु भारत सरकार तथा भारत सचिव ने इस कदम पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ऐसे प्रयास व्यवस्था के विरुद्ध है। इस संदर्भ में लाड़ कू का कथन विशेष उल्लेखनीय है—

“भारत सरकार को प्रान्तीय परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है अतः ऐसी स्थिति में उसकी नीति तथा आदेशों की प्रान्तीय शासन के संदर्भ में रखा करने का दायित्व पूरीरूप से इन प्रान्तीय विधान परिषदों व सरकारों पर छोड़ दिया गया है। केवल उसी स्थिति में, जब भारत सरकार इम्पीरियल काउंसिल में अपनी एकता को बनाये रखने के लिए बाध्य होती है, एक प्रान्तीय सरकार के लिए विधान परिषद् में कार्रवाई का संचालन इन प्रकार करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि किसी भी प्रशासनिक मान्यता में भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के बीच विरोधाभास न दिखायी दे। यह कहना निरर्थक है कि इन दोनों सरकारों के संवैधानिक उत्तरदायित्वों में अंतर है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की प्रशासन व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसी भावना को ध्यान में रखकर भारत की एकता को बनाये रखा जा सकता है। उन विधानकारी प्रवृत्तियों पर उचित नियन्त्रण रखा जाए जो सरकार की सत्ता को विश्वालित करने के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार मेरे विचार से स्थानीय सरकारों का उद्देश्य किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय भारत सरकार के निर्णय व आदेशों को बनाए रखना है।”

इस प्रकार एक और उदाहरण स्पष्ट होता है जबकि सरकारी अधीनता तथा सरकारी एकता के सिद्धान्त को लोकप्रिय आकांक्षाओं के सिद्धान्त के विपरीत महत्व प्रदान किया गया। इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में गैर-सरकारी आकांक्षाओं के प्रति आदर सदा सरकारी अनुशासन के अतुरुल नहीं होता था। सरकारी अनुशासन

भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक था। जब तक तक यह स्थिति परिवर्तित नहीं होती, तब तक विधान परिषदों की शक्तियाँ यथार्थपरक नहीं हो सकती। इस बात का अनुभव (ब्रिटिश) संसद, मारत सचिव तथा भारत सरकार को अवश्य करना चाहिए।

परिषदों का कार्य :

यदि हम भारत में विधान परिषदों द्वारा किये गए वास्तविक कार्य की ओर हृष्टिपात करें तो सर्वप्रथम हमें भारतीय विधान परिषद को प्रान्तीय विधान परिषदों से पृथक करना चाहिए। भारतीय विधान परिषद के सम्मुख न केवल अध्यधिक महत्वपूर्ण समस्याएँ ही आई हैं अपितु परिषद को तुलना में वे कम समरूप भी हैं। इसके सदस्यों को बहुत से विषयों के संबंध में काफी कम ज्ञान होता है तथा विचार-विमर्श प्रायः प्रस्ताव के सभी पदों पर केन्द्रित न होकर मात्र सिद्धान्तों के इदं-गिर्द धूमता है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय परिषद के विपरीत भारतीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत है।

भारतीय विधान परिषद : विधि-निर्माण पर गैर-सरकारी सदस्यों का प्रभाव :

यदि भारतीय विधान परिषद की कार्रवाई पर १६१० के बाद से हृष्टिपात किया जाए तो एक सामान्य प्रेषक को यह जानकार आश्वर्य होगा कि विधि-निर्माण, जो विधान सभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसमें परिषद को प्रत्यक्षतः बहुत कम रुचि थी। १६१०-१७ के आठ दौषिण्यों के दौरान परिषद ने १३१ विविध कानून पारित किए जिनमें से ७७ अद्यवा ५६.१ प्रतिशत बिना किसी वाद-विवाद के पारित कर दिए गए। परिषद की कार्रवाई का विवरण यह बताता है कि इनका अधिकांश भाग वित्तीय विधेयकों को अद्यवा निम्न अधिनियमों को समाविष्ट करता था, जबकि १६१४ में युद्ध के प्रारम्भ से प्रस्तावित विधेयक तकनीकी रूप से जटिल ये और परिषद स्वयं अपने भत में उन पर विचार करने हेतु सक्षम नहीं थी। महायुद्ध के दौरान भारत सरकार की नीति विवादास्पद विधेयकों को स्थगित करने की रही। कुछ उन विषयों को भी स्थगित किया जाता रहा जो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। कीजदारी कानून (Criminal Procedure Code) को संशोधित करने के विधेयक को जानबूझ कर स्थगित करना इस तथ्य को प्रभावित करता है। हमें यह याद रखना होगा कि केन्द्रीय परिषद में अधिक पिछड़े तथा उन्नत दोनों क्षेत्रों से ही प्रतिनिधि आते हैं। इस कारण अधिक प्रगतिशील प्रान्तों से गैर-सरकारी सदस्यों की सामान्य योग्यता व अभिव्यक्ति का स्तर ऊँचा पाया जाता है। वस्तुतः यह भी 'नहीं कहा जा सकता कि प्रान्तीय सरकारों ने हमेशा केन्द्रीय परिषद को अपने सर्वंशेष्ठ प्रतिनिधि भेजने का प्रयास किया है। स्वाभाविक रूप से अक्षर वे सर्वंशेष्ठ प्रतिनिधियों को प्रान्तीय स्तर पर ही रखना अधिक पसंद करते हैं। तथापि इनमें अधिक विधेयकों का इतना कम विरोध कर्त्ता हमारे इसका मूल कारण रूपमें सरकार द्वारा यथासम्भव विरोध को टासने का प्रयास है। इस उद्देश्य

की पूर्ति के लिए किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले गैर-सरकारी मत को आश्वस्त करने का हर समय प्रयास किया जाता है। संभवतः यह सत्य है कि विधेयकों के स्वरूप पर परिपद का नियंत्रण प्रारंभ में अधिक होता है न कि उस समय जब उन पर विचार-विमर्श किया जाता है। विभागों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि पहले से ही विधेयक की सभी विवादासाद विशेषताओं को समाप्त कर दिया जाता है और बाद में विषय से संबंधित सभी संशोधनों का विरोध किया जाता है। इस प्रकार यह संभव है कि परिपद में प्रस्तुत किये गए संशोधनों को बहुत कम स्वीकार किया जाए जबकि विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व सुझावों को स्वीकार करने के अवसर अधिक होते हैं। विधि-निर्माण की दिशा में रचनात्मक कार्य वस्तुतः पत्र-व्यवहार द्वारा होता है जो निःसन्देह अधिक समय लेता है जबकि परिपद में सरकार के बहुमत की स्थिति में इतना समय रागने की संभावना ही नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह मानने का बोई कारण नहीं है कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करने के उपरान्त उसे प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते। विपरीततः ऐसा अनुभव किया गया है कि सरकारी बहुमत के बाबूदूद गैर-सरकारी सदस्य विधि-निर्माण पर अपना प्रभाव ढालने में सफल हुए हैं। विधि-निर्माण के क्षेत्र में अधिकांश ठोस कार्य समस्त प्रचार भादि से दूर समिति-कक्ष में किया जाता है न कि मुख्य कक्ष में। परिपद में सरकारी गुट की उपस्थिति सदस्यों द्वारा की जाने वाली आलोचना को अवास्तविक स्वरूप प्रदान कर सकती है। समिति कक्ष तक इनका प्रभाव नहीं पहुँच पाता है। गैर-सरकारी सदस्य, जो किसी विशिष्ट प्रस्ताव में इन रखता है अथवा किसी विधेयक में परिवर्तन करना चाहता है, उस विधेयक को विशिष्ट समिति में स्थान दिलाने के प्रयत्न में सफल हो जाता है। अथवा वह सदस्य उस विधेयक से संबंधित सरकारी सदस्य से सपर्क स्थापित कर व्यक्तिगत क्षमता में इस विषय पर उससे बातचीत कर सकता है। इस प्रकार परिपद की आलिखित कार्रवाई से वस्तुतः गैर-सरकारी सदस्यों के वास्तविक प्रभाव का स्वरूप स्पष्टतः प्रकट नहीं होता। १९०६ के पश्चात् मात्र आठ विधेयकों को वास्तविक रूप से गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा। जैसानि हम देख चुके हैं ७७ के विषय में कोई बाद-विवाद ही नहीं हुआ। जैसे ५६ में से अधिकांश की ओर सार्वजनिक ज्ञान बहुत कम आकर्षित हुआ। किन्तु जब कभी भी भारतीय सदस्य किसी विशेष हित्तिकोण को अपनाते थे वे अत में उसे पूरा करने में सफल होते थे। यहाँ हम कुछ भावश्यक उदाहरण देख सकते हैं। भारतीय न्यायालय शुल्क (Indian Court Fees) संशोधन, विधेयक भारतीय फैक्ट्री विधेयक (१९११)^१ दि इंडियन पेटेंट्स एण्ड डिजाइन विल (१९११), अपराधी जनजाति विधेयक (१९११) जीवन बीमा कंपनी विधेयक (१९१२) भारतीय कंपनी विधेयक (१९१६) तथा भारतीय डेफिकल विधेयक (१९१६) इन सभी में पर्याप्त सीमा में सुधार किया गया तथा ऐसा सामान्यतः गैर-सरकारी सदस्यों की प्रेरणा से किया गया। 'द छाइट फॉस्टरस बैचेस' विल एक अत्यधिक साधारण विधेयक था किन्तु इससे संबंधित घटना-चक्र इस बात का साक्षी है कि सरकार जनजाति का सम्मान करने के लिए तत्पर रहती थी। इसके प्रथम प्रस्तुतीकरण पर इस विधेयक की कठोर आलोचना इस प्राधार

पर की गई थी कि निर्धन उपमोक्षाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने इस विषय पर जांच करने के लिए इस विधेयक को वापिस ले लिया था। आगामी बर्ष जब इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया गया तब तक विरोध समाप्त हो चुका था। फलस्वरूप विधेयक पारित हो गया। तथापि पटना विश्वविद्यालय विधेयक इस बात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसमें गैर-सरकारी आलोचना के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी सरकार ने भारतीय सदस्यों की ओर से ठीस विरोध का सामना किया है तो देश की शांति व सुरक्षा के मामलों को छोड़कर मामान्यतः उसने उनकी बात को स्वीकार किया है।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक :

१६१० से केवल पांच निजी विधेयक बेन्द्रीय विधान परिषद् द्वारा पारित किए गए। इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण 'मुसलमान बचफ वेलिंटेंग बिल' (१६१३) या जिसको पारित करने में स्वयं सरकार ने सहायता की। इसके अतिरिक्त 'हिन्दू मुसलमान डिसपोजीशन आँफ प्रॉपर्टी बिल' (१६१६) था। चार अन्य विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। गोदले का एलीमेंटरी एज्युकेशन बिल' बहु का स्पेशल मैरिज बिल तथा मेसर्स भादगी तथा दादाभाई का विधेयक जो बेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में था। इनमें से पहले दो अस्वीकार कर दिए गए। पहले को अस्वीकार करने का कारण सरकार द्वारा तकनीकी कठिनाइयाँ बताई गईं तथा दूसरे के सम्बन्ध में सरकार ने घपनी व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई जो उस विधेयक के कानून बन जाने पर उपस्थित हो सकती थीं। किन्तु इस सरकारी इट्टिकोए का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण तथ्य, सरकार की इस बारे में जानकारी थी, कि दोनों विधेयकों के बिश्व गैर-सरकारी विरोध बिलकुल भी नहीं था। शेष दो विधेयकों पर बल नहीं दिया गया बयोंकि सरकार उन पर कानून बनाने का स्वयं विचार कर रही थी किन्तु सरकार को घपने वह विधेयक जो अल्पायु वाली लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित था, स्थगित कर देना पड़ा बयोंकि उस के विषय में यह निश्चित था कि गैर-सरकारी भत्ता इस प्रस्ताव में निहित विषय से सहमत नहीं होगा। जैसाकि सरकारी बहुमत के सम्मुख अपेक्षा की जा सकती थी, निजी विधि-निर्माण का दबाव बढ़ नहीं रहा था तथापि इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी।

प्रशासन से संबंधित समिति के प्रभाव :

अब हम परिषद् के कार्य के दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दें जिसका संबंध इस बात से है कि परिषद् प्रश्न पूछ कर तथा प्रस्ताव लाकर प्रशासन के कार्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। यह तथ्य कि १६११ की तुलना में १६१७ में दुग्धने प्रश्न पूछे गये, इस बात का प्रमाण है कि प्रश्न पूछने के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। बत्तमान में मूल प्रश्न पूछने वाले को ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग दिया गया है। यथापि ऐसी मूलना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पाई जाती है

जिनका उल्लेख प्रकाशित रिपोर्ट में किया गया है। विस्तृत सांख्यिकी सूचना माँगी जाती है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है तथा कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो स्थानीय परिषदों में पूछे जाने चाहिए। सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तथा वित्तीय भागों पर प्रस्ताव रखने वा अधिकार १६०६ में विधान परिषद् को प्रदान किया गया। तत्सम्बन्धी यह सुविधा कथित परिवर्तनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। तत्सम्बन्धी अनुभव से यह प्रमाणित हो जाता है। १६१७ के अंत तक बुल मिला कर १६८ प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से २४ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गए, ६८ वापिस ले लिये गए, तथा ७६ मत विभाजन द्वारा या उसके बिना ही भस्त्रीकार कर दिये गए। तथापि ये संस्थाएँ स्वयं उन प्रस्तावों की सुविधा से उत्पन्न प्रभाव को स्पष्ट नहीं करती हैं। कुछ मामलों में सदस्य प्रस्ताव को इसलिए वापिस नहीं ले सकता है क्योंकि वह सरकारी पक्ष के इस मत से आश्वस्त हो जाता है कि उसका प्रस्ताव अनुपयुक्त है। किन्तु इससे भी बढ़कर संभावना इस बात की होती है कि यद्यपि सरकार किन्हीं तकनीकी व वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव को बत्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकती किन्तु सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वह प्रस्तुतकर्ता के विचार से सहमत है। इसके अतिरिक्त कई प्रस्ताव पूर्व निर्धारित नीति के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं अथवा सरकार बिना जांच किये उन्हें स्वीकार करना अवांछनीय समझती है। तथापि वह प्रस्ताव उस विषय में निहित प्रश्न पर पुनर्विचार आवश्यक बना देता है। कभी-कभी ये स्वयं सरकारी नीति में परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसाकि वस्तुतः अनिवार्य शिक्षा तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में हुआ। ये दोनों विषय ऐसे ये जिन पर सामान्य मत रुक्कं व सक्रिय थे। एक सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ७३ प्रस्ताव साधारण थे। बहुत मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सके। वे विषय जिन पर लिये गए निर्णय परिषद् के प्रस्तावों से प्रभावित हुए ये निम्नलिखित थे— बुद्ध बस्तियों में करारबद्ध श्रम व्यवस्था को समाप्त करना, संयुक्त प्रान्त में एक कार्यकारिणी परिषद् को स्थापना, पंजाब में उच्च न्यायालय की स्थापना, जेल प्रशासन पर एक समिति की स्थापना, उसकी रिपोर्ट, सार्वजनिक सेवाओं तथा औद्योगिक शायोगों की स्थापना। इन महत्वपूर्ण विषयों की सूची को अन्य कम महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करके बढ़ाया जा सकता है जिनमें गैर-सरकारी प्रस्तावों ने सरकारी कार्य व नीति को निश्चित रूप से प्रभावित किया है, किन्तु इस प्रश्न पर अब अधिक विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है। नवीनतम प्रशासनिक गतिविधियों का कोई भी प्रेरक इस तथ्य से परिचित है कि किस प्रकार परिषद् में, गैर-सरकारी सदस्यों का हृष्टिकोण सभी सार्वजनिक भागों के विचार-विमर्श को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जब सरकार विसी प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ होती है तब भी उस पर विचार-विमर्श करना उपयोगी सिद्ध होता है ताकि गैर-सरकारी हृष्टिकोण को अभिव्यक्ति मिले जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करने का अवसर मिल सके।

गैर-सरकारी सदस्यों का हितकोण :

जिन प्रवृत्तियों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनके विषय में इतनी कम अधिक में निश्चय-पूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। तथापि हम भारतीय विद्यान परिपद के सदस्यों द्वारा सरकारी विधि निर्माण के प्रति अपनाए गए उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार की प्रशंसा करना उचित समझते हैं। कई अत्यधिक विद्यालयस्पद विदेयकों के पारित होने में, जैसे प्रेस एवं टेलीग्राफ़ के द्वीरण सरकार को अधिकांश समर्थन गैर-सरकारी सदस्यों से मिला। सरकार को इसी प्रकार का समर्थन वास्तविक भूत्त्व के अन्य विदेयकों जैसे, डिफ़ेन्स ब्रॉडकॉम्प्लेक्स एवं तथा हाल में साम्राज्य कोष में १० करोड़ के अनुदान के प्रश्न पर सदन से मिला। ऐसे ही व्यावहारिक रूप से कार्य करने के उचित उदाहरण फैक्टरीज एवं टेलीग्राफ़ पर किये गए विचार-विमर्श के रूप से उपलब्ध हैं। जब हम इन प्रस्तावों पर हुए विचार-विमर्श पर ध्यान देते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी वहूमत निजी सदस्य द्वारा रखे गए किसी भी प्रस्ताव को पारित करना असम्भव बना देता है यदि वह सरकार के विरुद्ध रखा गया हो। इस प्रकार प्रस्तावों का अपेक्षाकृत प्रभावहीन स्वरूप यह स्पष्ट कर देता है कि सदस्य विधि-निर्माण के समान अपने भाषणों व मतदान में उत्तरदायित्व की भावना अभिव्यक्त नहीं करते हैं तथा उनसे संबंधित विचार-विमर्श जातीय भेदभावना से पूर्ण रहा है जिसकी चर्चा हमने अन्यत्र की है। इन कारणों ने गैर-सरकारी, मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्यों में संगठित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति को विकसित किया है। मिटो-मोले सुधारों के व्यवहार में आने के पश्चात् यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से हड़ होती गई है। यद्यपि मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कुछ विशिष्ट हितों का प्रतिनिवित्व करने के लिये होती है, तो भी प्रारंभ में उनसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा की गई थी। उन्होंने अनेक मामलों में निर्वाचित सदस्यों के साथ कार्य किया है। विशेष रूप से जातीय भेदभाव के प्रश्न पर यह पूर्णतः स्वभाविक था कि वे सामान्य भारतीय मत से पृथक् मत नहीं प्रकट करते। तथापि हमारा विचार है कि प्रस्तावों के स्थान पर विधि-निर्माण के संदर्भ में हमें परिपद के वास्तविक कार्य के स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। अतः उपर्युक्त कारणों से यह कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी सदस्यों में (पूरोहीय सदस्यों को छोड़कर, जो प्रायः सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं) संगठित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास हुमा है।

प्रान्तीय विधान परिपद

इसी प्रकार का कार्य-विश्लेषण प्रान्तीय परिपदों के बारे में करना भी वांछनीय होता, किन्तु इस समय न तो इतनी तत्संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है और न ऐसा करने के लिए पर्याप्त अवसर ही है। तथापि भारतीय तथा प्रान्तीय परिपदों के मध्य कुछ अंतर प्रकाट रूप से स्पष्ट है। प्रान्तीय परिपदों के निर्वाचित तथा सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य विचार-विमर्श के विषय से अधिक परिचित व निकट प्रतीत होते हैं जो उन्हें परिपद के बाहर भी सरकारी सदस्यों के संपर्क में लाता है। परिणामस्वरूप अधिक निकट का

पपकं स्थापित होता है। तूंकि सदस्यगण अधिक दूर नहीं रहते हैं अतः इसके सब वर्षे भर में समान रूप से विभाजित होते हैं। केन्द्रीय विधान परियद की तुलना में इनके अधिवेशन कम अवधि वाले होते हैं। परिणामतः थोड़े-से सरकारी सदस्यों पर कार्य-भार प्राप्तिं में उतना अधिक नहीं पड़ता जितना कि भारत सरकार की विधान परियद में होता है। किन्तु इनमें भौतिक भेद संभवतः यह है कि सभी प्राप्तों में गैर-सरकारी सदस्य बहुमत में हैं। बंगाल में तो निर्वाचित सदस्यों का कुछ स्थानों पर बहुमत है। किन्तु इस तथ्य ने कि गैर-सरकारी सदस्य अधिक अनुपस्थित रहते हैं तथा सरकारी सदस्य नियमित रहते हैं, गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी विधेयकों के प्रस्तुतीकरण में सामान्यतः बहुमत के विरोध से वाधा उत्पन्न हुई है। अक्सर ऐसे अवसर आए हैं जब स्थानीय सरकार किसी ऐसे विधेयक को बनाने में असमर्थ रही है जिसे बनाना वह बाधनीय समझती थी। जैसाकि कहा जा चुका है भारत सरकार की सामान्य नीति किसी विधेयक के प्रारूप की विभिन्न धाराओं से संबंधित विरोध को जानने की रही है ताकि प्राप्त जनमत के प्रकाश में विधेयक के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। इसके अतिरिक्त युद्ध के दौरान विवादास्पद विषयों को स्वर्गित करने की प्रवृत्ति ने विधि-निर्माण प्रक्रिया को सीमित किया है। अतः इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय कुछ सीमा तक अमान्य हो जाते हैं। यह एक तथ्य है कि विशिष्ट समितियों ने विधेयकों के प्रारूप को वास्तविक रूप व आकार प्रदान करने में उपयोगी कार्य किया है। तुलनात्मक रूप से कुछ अन्य मामलों में तो चन्होंने इससे भी अधिक भूमिका निभायी है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधि-निर्माण को प्रभावित करने के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में संयुक्त-प्राप्त झूलिसिर्पलिटीज विधेयक को लिया जा सकता है। इस विधेयक को विशिष्ट समिति द्वारा आमूल रूप से परिवर्तित कर दिया गया, और इसके बाद स्वयं परियद में २७ संशोधन सरकार द्वारा स्वीकार किये गए। एक संशोधन तो सरकार के विशद भी स्वीकार हुआ। विधेयक की एक सर्वाधिक महत्व-पूर्ण धारा, जो नगरपालिका बोर्ड में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, गैर-सरकारी सदस्यों के सम्मेलन के विचार-विमर्श का परिणाम थी तथा इस एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को विधेयक में स्थान दिया गया। किसी भी प्राप्ति में निजी सदस्यों के विधेयक अधिक संख्या में पारित नहीं किए गए। बम्बई की परियद में ६ में भाव एक विधेयक पारित हुआ जबकि यह मानना होगा कि शेष में से अधिकांश महत्वपूर्ण समस्याओं के संदर्भ में ही प्रस्तुत किये गए थे। यू० पी० में गैर-सरकारी सदस्य, खाद्यानों में मिलावट तथा अकीम व जुए के बारे में विधेयक पारित करवाने में सफल हुए। किशोरों द्वारा धूम्रपान के बारे में एक निजी सदस्य का विधेयक विशिष्ट समिति के पास है। विहार तथा उड़ीसा में एक निजी सदस्य का विधेयक अनिवार्य शिक्षा के विषय में चयन समिति को सौंपा गया है। उबत दोनों विषय बंगाल में दो निजी विधेयकों का आधार हैं।

प्रश्न पूछने के अधिकार की उपयोगिता :

प्राप्तों में प्रश्न पूछने के अधिकार का प्रयोग भारतीय विधान परियद की तुलना में अधिक

हुम्मा है। यू०पी० में प्रश्नों की संख्या १६१० में २१८ से बढ़कर १६१६ में ४५८ तक पहुँच गई। ऐसी ही उल्लेखनीय वृद्धि बंगाल में भी हुई है। मद्रास में यह वृद्धि उससे भी कही अधिक है। एक प्रान्तीय सरकार का अनुमान है कि परियद में पूछे गये संतुर्ण प्रश्नों में से २० प्रतिशत प्रश्न पूर्वकाशित सूचनाओं के विषय में होते हैं। इसके साथ ही अनुपयोगी आंकड़ों को जानने के लिए प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी पाई गई है। इससी भौत प्रश्नों ने कभी-कभी प्रस्तावों का उद्देश्य भी पूरा किया है जब इनके माध्यम से सरकारी नीति के विषय में प्रतिवेदन भाँगा जाता है। हमारा यह विश्वास है कि सामान्यतः उदारमत यह स्वीकार करता है कि सरकार उचित प्रश्नों का जवाब समुचित उत्तरों से देती है।

प्रस्ताव के अधिकार का उपयोग :

यह सही है कि प्रस्ताव रखने का अधिकार पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुआ तथा जिस भारी सम्भ्या में प्रस्ताव सदस्यों द्वारा वापिस ले लिये गए वह सरकार के उदार हृष्टिकोण का परिचायक है। यद्यपि उन प्रस्तावों को मूल रूप में स्वीकार तो नहीं किया किन्तु यह इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का प्रयोग संतुलित रूप में अवश्य किया गया। भिन्न प्रान्तों में प्रस्तावों की संख्या में पर्याप्त अंतर था। कुछ प्रान्तों में यह गतिविधि एक समूह तक की सीमित थी। यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय सरकारें प्रस्तावों को पर्याप्त महस्त्र प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप उन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए पूर्ण प्रभाव डाला जाता है जिन्हें सरकारें अवांछनीय समझती हैं। सरकार के विरुद्ध अधिक प्रस्ताव परित नहीं हुए हैं। यदि कोई प्रस्ताव सरकार की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार भी होता है और सरकार यह निर्णय लेती है कि उसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तो सरकार उसे स्वीकार न कर सकने के कारणों को प्रायः प्रकाशित करती है। चर्चित प्रस्तावों का प्रभाव मात्र उस विषय तक ही सीमित नहीं रहता जिसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी विषय पर विचार-विमर्श निश्चय शीर्खनामक हृष्टिकोण को जन्म देता है। एक प्रान्तीय परियद में १६००-१६ की अवधि के बीच में प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया अथवा प्राप्त करने में सहायता की (१) अफीम व जुआ संबंधी एकट (२) एक नवीन पशु फार्म (३) परियद का पुस्तकालय (४) अपराधी जनजातियों की वस्ती को हटाना (५) गंभीर अपराधों के लिए दण्डित गरीब कैदियों की सुरक्षा (६) बर्मी के माँत व्यापार का नियमन (७) स्कूल छोड़ने की परीक्षा के साथ मैट्रिक परीक्षा को आशिक समानता देने की छूट (८) पुलिस के हिटो सुपरिल्टेडेन्ट के पद को क्रमोद्धत करना (९) राजस्व के विभाजन को समाप्त करने का आवश्यक (१०) एक तीय-स्थल तक सङ्क-निर्माण के लिए सरकारी सहायता (११) कुछ कॉलिजों के प्रतिवेदनों को प्रकाशित करना तथा (१२) प्रान्तीय शैक्षणिक सेवाओं के एक सदस्य के लिए कार्यवाहक की नियुक्ति आदि।

सभी भौत सरकारी सदस्यों में संगठित कार्य करने की प्रवृत्ति कुछ प्रान्तों में अन्य की

अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जैसे पंजाब में, जहाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या अन्य परिपदों की अपेक्षा अधिक है तथा बड़ी, जहाँ किसी भी आम प्रान्त की तुलना में कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अन्य प्रान्तों में गैर-सरकारी सदस्य परस्पर सहयोग करते व साथ मत देते हैं।

सुधारों से गोखले की अपेक्षाएँ

१६०६ में भारतीय नेशनल कांग्रेस के सम्मुख बोलते हुए गोखले ने न्यायसंगत रूप से मोलैं-मिन्टो सुधारों को सरकार के नौकरशाही स्वरूप का संशोधित रूप बताया। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रारम्भिक संस्था माना तथा यह अपेक्षा की कि अब भारतीयों का स्थानीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा तथा वे स्वेच्छानुसार व्यवस्था कर सकेंगे। किन्तु वह आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। यद्यपि कुछ प्रान्तों में इस दिशा में प्रयास किये गए हैं। दोनों ओर से अधिक व्यान प्रान्तीय परिपदों पर दिया गया है तथा स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गोखले ने, जिन्हें संपूर्ण सरचना का मूल आधार माना था, उन्हें प्राप्त करने का उद्देश्य अब आंखों से छोड़ दिया है। हमारी हृष्टि में यह पर्याप्त महत्वपूर्ण कारण है कि हम स्थानीय संस्थाओं के विकास का कार्य, जो अभी तक अधूरा है, भारतीय हाथों में सौंप दें। दूसरी ओर, गोखले ने प्रशासन, विधि-निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्था की चर्चा की थी जो समस्या का केन्द्र-स्थल हैं तथा उनका विचार था कि इस सदर्भ में सुधार स्वयं में एक क्रान्ति के उमान थे। अब गुप्त प्रशासनिक निर्णयों के स्थान पर उन्मुक्त विचार-विमर्श होने लगा था। भारत सरकार के वित्तीय नियंत्रण पर भी परिपदों में विचार-विमर्श तथा आलोचना का प्रावधान था। (यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यद्यपि केन्द्रीयकरण आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, किन्तु वित्तीय हस्तांतरण के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाने के संबंध में आशाएँ अभी तक नष्ट नहीं हुई थीं)। इसके अतिरिक्त उनकी अपेक्षा थी कि 'कार्यकारिणी परिपद' में भारतीयों के प्रवेश से जाति-भेद संबंधी विचार-विमर्श पृष्ठभूमि में चले जाएंगे और उच्चतम् परिपदों में भारतीय हृष्टिकोण को प्रभाव-पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा। जहाँ तक विधि-निर्माण का प्रश्न था, गैर-सरकारी बहुमत, प्रान्तों में विरोधात्मक भूमिका प्राप्त कर चुका था। यदि केन्द्रीय परिपद में स्थिति कुछ मिल थी तो इसका कारण उनका यह विचार था कि भारत सरकार-प्रान्तीय मामलों में कम हस्तक्षेप करेगी जिससे निर्वाचित सदस्य प्रान्तीय मामलों को प्रभावित करने के आवश्यक अवसरों का पूर्ण सदुपयोग कर सकेंगे। गोखले के अनुसार ये सुविधाएँ विस्तृत तथा उदार थीं, और दोहरा उत्तरदायित्व प्रदान करती थीं। सरकार की मात्र आलोचना करने के स्थान पर भव उसके साथ सहयोग की आवश्यकता थी तथा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई शक्तियों का संतुलित व नियंत्रित तरीके से संपूर्ण जनता के हित में प्रयोग किया जाना था। संपूर्ण जनता के हित के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जन-शिक्षा, सकाराई, कृषि कृषण तथा तकनीकी शिक्षा, ऐसे विस्तृत व महत्वपूर्ण प्रश्न ये

जिनकी व्यवस्था सरकार जनता के सहयोग के अमाव में नहीं कर सकती थी। अंततः उन्होने भारतीय जनता को चेतावनी दी कि वह मात्र स्वप्नहृष्टा न बने, तथा अन्य उत्तरदायित्वों की भाँग करने से पहले यह प्रमाणित करे कि वह इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन दक्षता से कर सकती है।

असफलता के कारण

इन अपेक्षाओं के संदर्भ में यह समझने में कठिनाई नहीं रहती कि मोर्ले-मिटो सुधारों की उपर्योगिता, १० वर्षों के थोड़े-से समय में ही भारतीयों की राजनीतिक आकाशाओं को पूरा करने में क्यों असमर्थ हो गई। नई स्थानों ने सद्भावनापूर्ण वातावरण में कार्य करना प्रारम्भ किया तथा दोनों पक्षों में सद्भावपूर्ण विधि से कार्य करने की इच्छा थी। किन्तु उसकी सफलता १० लिए कुछ शर्तें आवश्यक थीं जिनका अमाव बना रहा। स्थानीय संस्थाओं में सामान्य रूप से कोई प्रगति नहीं हुई थी, प्रान्त स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई, तथा कुछ प्रगति के बावजूद प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या अधिक नहीं थी। और कि भारतीय सरकार पर विटिश संसद के नियंत्रण में कोई ढील नहीं दी गई थी अतः स्वयं भारत सरकार स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण में किसी प्रकार की ढील नहीं दे सकी। इस प्रकार परिपद द्वारा सरकार को प्रभावित करने वाला क्षेत्र वित्त तथा प्रशासन दोनों ही हृष्टि से अत्यधिक सीमित हो गया। हर बार स्थानीय सरकार को प्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ती थी। वह न तो वित्तीय विधियों पर स्वतंत्र निर्णय से सकती थी और न ही प्रशासनिक मामलों में क्योंकि उनका संबंध भारत सरकार से भी था और ऐसी स्थिति में एक भाग विकल्प परिपद के हृष्टिकोण को भारत सरकार के सम्मुख रखना था। विधि-निर्माण के संदर्भ में भी सरकारी अधीनता के विचार से अधिकांश वास्तविक कार्य गोपनीय ढंग से करने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया। यद्यपि परिपद उससे कही अधिक शक्तिशाली थीं जितना उनके सदस्य स्वयं अपने बारे में कल्पना कर पाते थे तथापि वे अपनी सफलताओं को उस नाटकीयता से प्रदर्शित नहीं कर सकती थीं जो उनको राजनीतिक हृष्टि से प्रभावशाली सिद्ध करता। यही कारण है कि परिपद में विधि-निर्माण के स्थान पर प्रस्तावों में सदस्य अधिक रुचि प्रकट करते थे। किसी प्रस्ताव को सरकार के विश्वद पारित-करवाने में न केवल सदस्यों को अपना पृथक् मत आलेखित करवाने का अवमर उपलब्ध होता था, जोकि भविष्य में फलदायी तिद्द हो सकता था, अपितु वह सदस्यों की महान् नैतिक विजय भी होती थी। यह भी प्रमाणित है कि ऐसे विषय जो संपूर्ण भारतीय तत्त्व की अभिष्यक्ति करते हों, सरकार के विरोध का संवधेष्ठ अवसर प्रदान करते थे। और कि शक्ति का केन्द्रीकरण परिपदों के प्रभाव को दीए बनाता था, अतः ग्रंथ-सरकारी सदस्यों ने अपनी मावनाओं को प्रकट करने के तरीकों को और अधिक अपनाया। इस प्रकार दोनों ओर से भाड़म्बरपूर्ण आचरण को अत्रय मिना तथा अध्यायपूर्ण भावना और गहन होती गई। इस सम्पूर्ण समय में राष्ट्रीय भेतना तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने थीं भावना शिक्षित भारतीयों में हृतर होती गई।

तथा परिषदें अपने सीमित सुधारों के कारण अपर्याप्त उपचार सिद्ध हुईं। अतः जहाँ परिषदों के अन्दर विरोध की मावना दृढ़ होती गई तथा असफल प्रयासों के कारण असन्तोष उत्पन्न हुआ वही परिषदों के बाहर भी यह मावना तीव्र होने लगी। मोर्ले-मिन्टो सुधारों के शुरू होने के कुछ समय पश्चात् यह सम्मानना उत्पन्न हो गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की महत्ता समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि परिषद् में निर्वाचित सदस्यों द्वारा सरकार के कार्य में सहयोग देना राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मात्र स्वनिर्मित संगठनों से अधिक प्रभावशाली तरीका सिद्ध होगा। किन्तु सुधारत्तरक परिषदों के विशद्ध भान्ति के कारण, सार्वजनिक समाजों की उपर्योगिता फिर घड़ने लगी, जहाँ सदस्य कारंवाई सम्बन्धी नियमों के नियन्त्रण के अभाव में सरकार की आलोचना उन्मुक्त रूप से तथा किसी उत्तर की आशा के बिना कर सकते थे। अब हमारे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि यदि प्रक्रिया के नियमों को उदार बना कर, सरकारी नियन्त्रण ढीला कर स्वतन्त्र विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता और गैर-सरकारी हट्टिकोण को समझने की कोशिश की गई होती तो इन सुधारों से किस सीमा तक परिवर्तन आया होता। जो भी हो, ये घटनाएँ पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। आलोचकों की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद परिषदों ने अपना कार्य कमतापूर्ण तरीके से किया है। किन्तु वे भारतीय भत को संतुष्ट करने में असफल रही हैं। अब उनका अस्तित्व भारतीय सुदस्यों तथा सरकार के मध्य तनाव को बढ़ाएगा जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व से अनियन्त्रित आलोचना को प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्तमान स्थिति

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मोर्ले-मिन्टो सुधारों से उत्पन्न स्थिति सर्वशेष रूप से प्रस्तुत कथन में व्यक्त की गई है :

“हमें इस विषय में निर्णय ले लेना चाहिए कि या तो हम स्वयं शासन करे अथवा जनता को शासन करने दें। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। हमें स्वेच्छा से हस्तान्तरण के लिए तैयार होना चाहिए। वर्तमान में हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग रियायत देकर शासन कर रहे हैं तथा प्रत्येक रियायत, ऐसा प्रतीत होता है कि हम से संघर्ष करके ली जा रही है। हम सार्वजनिक कार्य को सौदेवाजी व बातचीत के माध्यम से कर रहे हैं—यह स्वस्थ प्रकार की सौदेवाजी भी नहीं है अपितु विभिन्न प्रकारों के सम्मुख तौबता से समर्पण करने के समान है। यह एक ऐसा समर्पण है जो दोनों पक्षों में कदूता को जन्म देता है। यह निस्सदेह व्यक्तियों का दोष नहीं है अपितु स्वयं कार्य-विधि का निश्चित परिणाम है। लाड़ काज़न के बाइसराय काल तक इस निर्णय के प्रति दृढ़ता पाई जाती थी कि वही किया जाय जो भारतीयों के हित में हो, चाहे स्वयं भारत इसे पसंद करे या न करे। उसके शासन काल में जो परिवर्तन किये गए उन्होंने चुनौती देने व विरोध करने की शक्ति को जन्म दिया। उत्तरदायित्व विहीन प्रभाव तथा शक्ति का सम्मान करने के स्थान पर हम समर्पण

कर देते हैं। हम उदार निरंकुशतंत्र का परिचयाग करते जा रहे हैं तथा लोग—विशेषज्ञः वे लोग जो हमारे शुभचितक हैं, यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस नीति के स्थान पर हम कौन-सी नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं। इस प्रकार, हम कुछ सीमा तक अपने प्रभाव को छोड़ रहे हैं तथा शक्ति से बंचित हो रहे हैं। यदि हम भारत निरंकुशवाद का सहारा लें तो कई लोग हमारा समर्थन करेंगे। परिणामतः हम शातिष्ठीर्ण व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वर्धोंकि यह असंभव लगता है, अतः हमें निश्चित रूप से यह प्रकट करना चाहिए कि हम शासन के पूर्वी आदर्श से पश्चिमी आदर्श की ओर उन्मुख हो रहे हैं। द्वितीय, हमें इस स्थिति में भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण तथा दबाव बनाए रखना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में हम न तो आन्तरिक शांति अवधा जनता के सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं और न किसी अन्य चीज़ की ही, सिवाय इसके कि निरन्तर वह दुर्बलता बढ़ती ही जाए जो पूर्वी देशों में प्राप्त होती है। इसके बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं।"

इन शब्दों में हमें बारेन हेस्टिंग्ज की अर्थात् उक्ति की प्रतिघटनि प्राप्त होती है—
विश्व के किसी भी भाग में एक-एक बड़ती रुचि का समर्थन तथा घटती रुचि का दमन इतना स्पष्ट नहीं पाया जाता जितना कि वह भारत में पाया जाता है। 'संकरण' की स्थिति वस्तुतः एक कठिन तथा संकटपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी उपेक्षा करना अद्वारदर्शी प्रमाणित होगा। किन्तु प्राचीन संरचना इस विकास को स्वीकार नहीं करती है। इस स्थिति में जो किया जा सकता है वह यही कि परिषद् के गैर-संसदीय राज्यों की संल्या वड़ा दी जाए। यह एक ऐसा कदम है जो सरकार को उन अधिकारों से बंचित कर देगा जो विधि-निर्माण को पारित करवाने के लिए आवश्यक हैं। अतः एक नई संरचना का निर्माण आवश्यक हो गया है। इसका अर्थ नवीन सामग्री के निर्माण के लिए समय मिलना, उसके स्थायित्व के लिए वास्तविक प्रयास करना, निर्देशन व सर्वेक्षण की वास्तविक शक्ति को बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर उस समय तक हस्तक्षेप भी करना है, जब तक कि यह कार्य पूर्णतः हो नहीं जाता।

Further Readings

- Ilbert, Sir Courtenay : The Government of India.*
(A brief historical—survey of parliamentary legislation relating to India)
Oxford, 1922 pp. 99-122,
- Sharan, Parmatma :* *The Imperial Legislative Council of India.*
Delhi, S. chand & Co. 1961 (pp.) 151-211

द्वैध शासन

मोर्लैं-मिटो सुधारों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में संसदीय शासन पद्धति को ब्रिटिश नीति के अतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, यद्यपि भारत इस दिशा में एक लम्बे समय से अग्रसर हो रहा था। प्रथम विश्व-युद्ध व होमलूल आदोलन के बाद ब्रिटिश नीति में इसके पक्ष में प्रत्यक्ष परिवर्तन भी हो रहा था। २० अगस्त, १९१७ को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत को धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान करना है। इस क्रम की पहली कड़ी १९१६ के अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के रूप में प्रारम्भ हुई। इस योजना को द्वैध शासन भी कहा जाता है।

ए० अप्पादोराई ने अपने शोध प्रबन्ध 'डाइआर्कि इन प्रेसिट्स' (ज्योफी कम्बर लैण्ड, अौंसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३७) में इस योजना के संबंध में एक आलोचनात्मक हिट्कोण प्रस्तुत किया है। यहाँ पुस्तक के अतिम दो अध्यायों को पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है। (प० ३४७-३५२) —सम्पादक

द्वैध शासन एक अभिनव प्रयोग है। इसके क्रियान्वयन की १६ वर्षीय अवधि के परिणाम-स्वरूप यह अपेक्षित था कि यह राजनीतिक अनुमति में वृद्धि करेगा। क्या हम अपने सर्वेक्षण के प्रकाश में यह कह सकते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में द्वैध शासन के क्या गुण-दीप हैं? इस संदर्भ में समाधान योग्य एक प्रारंभिक प्रश्न तुरन्त उठाया जा सकता है और वह यह कि क्या द्वैध शासन ने चस्तुतः उसी रूप में कार्य किया जैसा कि उसका लक्ष्य था? सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में उसके पृथक् प्रतिमान एक सामान्य वक्तव्य कठिन बना देते हैं। इसके बावजूद यह तक दिया जा सकता है कि यह विभिन्नता संविधान-निर्माताओं को पूर्व दिलित थी और उन्होंने संभवतः इसका स्वागत किया था क्योंकि उनके अनुमार इससे एक महत्वपूर्ण अनुमति अर्जित होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार भी किए जा सकेंगे। हमारा सर्वेक्षण यह भी दर्शाता

है कि पद्धति द्वैध शासन की एक सामान्य रूपरेता संविधान में थी लेकिन उसके महत्वपूर्ण विस्तार के संबंध में संविधान निर्माताओं का इरादा सदैव हड़ नहीं था। उनका मंत्रव्य यह था कि मन्त्री, जिनका चयन एक लोकप्रिय विपान मंडल से होता था, सामान्यतः सरकार के कुछ निश्चित विषयों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए और स्पष्टतः उन्हें सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधानमण्डल के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन कई प्रान्तों में मंत्रियों या विधान मंडल के निर्वाचित बहुमत के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार व्यवहार में असाध्य हृष्टिगत हुआ। दलीय संगठन का सामान्यतः अभाव, सरकारी व नामांकित सदस्यों की उपस्थिति और साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली के साथ-साथ कुछ मंत्रियों की हर स्थिति में पदासीन बने रहने की लालसा-ये सब कारण इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे।

अतः इस दिशा में संविधान निर्माताओं के मूल मंत्रव्य से स्थिति स्पष्टतः भिन्न थी। लेकिन यह अवस्था सब प्रान्तों के लिए सही नहीं थी। कुछ प्रान्तों में, जैसे भौद्रास, बैन्द्रीय प्रात व संयुक्त प्रान्त में, अस्याई रूप से ही सही लेकिन मन्त्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने विधान सभा के निर्वाचित बहुमत का विश्वास खो दिया या जब उन्होंने यह अनुमति किया कि उन पर गवर्नर का नियंत्रण अधिक कठोर हो रहा है, जिसकी व्यवस्थापिका के प्रति उनके उत्तरदायित्व से संगति नहीं है, तो वे त्याग-पत्र देने को तैयार थे। किसी तरह दलीय व्यवस्था का अस्तित्व जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं था और मन्त्रिमण्डल की लोकप्रिय भावना व गवर्नर द्वारा दिया गया सहयोग-ये दोनों स्थितियाँ संयुक्त रूप से उसकी सफलता की व्याख्या करती हैं।

संयुक्त प्रबल मंडल समिति ने यह स्पष्ट रूप से लिख दिया था और विधान मंडलों में अध्यक्षों द्वारा, बार-बार यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार के दोनों भागों में विचार-विमर्श, जो एकरूपता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, 'सामान्य निर्णय' पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। विचार-विमर्श में एकता होना आवश्यक था पर निर्णयों में नहीं। अनुमति यह प्रमाणित करता है कि इस स्थिति का व्यवहार में सदैव पातान नहीं किया गया।

वास्तव में किसी भी प्रान्त में द्वैध शासन ने उस भाँति कार्य नहीं किया जैसीकि उससे अपेक्षा थी। यह घटक कुछ विशिष्ट महत्व का है। किसी भी संविधान में मूलभूत आशय से परिवर्तन होता है किन्तु द्वैध शासन में यह जिस सीमा तक हुआ उससे यह संशय उत्पन्न होता है कि कही द्वैध शासन असंबंध स्थितियों की माग तो नहीं करता। तथापि परिस्थितियों की वे विभिन्नताएँ, जिनके अन्तर्गत द्वैध शासन का प्रयोग किया गया विशिष्ट शैक्षणिक महत्व की हैं।

II

दोप

यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रायः एक दशक से अधिक समय तक द्वैध शासन के

द्वंध शासन

संवंय में विचार-विमर्श चलता रहा किन्तु इस बीच इसका कोई समर्थक नहीं था। यहाँ तक कि जब यह योजना विचाराधीन थी तब भी इसे मात्र एक श्रेष्ठतर विकल्प के रूप में ही स्वीकारा गया था। इसके पक्ष में सर्वाधिक प्रबल तर्क यही था कि यह तत्कालीन परिस्थितियों ने राष्ट्र से कम हानिप्रद है। साउं कर्जन इसी मत के समर्थक थे। उनका कहना था कि 'मैं द्वंध शासन-व्यवस्था से भूगण करता हूँ' लेकिन वह उसके विरुद्ध नहीं थे, योकि उनका विचार था कि इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। एक मारतमंत्रों की टिटिं में। यह पडित्यप्रदर्शन समुदाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। उनका अनुमान था कि यह संविधान उस समुदाय के लिए प्रभुपुरुष होगा जिसके प्रतीत होता है कि जिसके प्रति एंग्लो-मेक्सन समुदाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। उनका अनुमान था कि यह संविधान मॉडेल पर आधारित है। इसके आलोचक इसे राजनीतिक आदर्शों अधिकारातः ए ग्लो-सेक्सन मॉडेल पर आधारित है। जब यह व्यवस्था कुछ समय के लिए चिदान्ततः दोपूरण व व्यवहार में असत्य भानते थे। जब यह व्यवस्था कुछ समय के एक गवर्नर का मत था कि 'द्वंध शासन एक योक्तिल, जटिल व अव्यवस्थित प्रणाली थी, जिसका कोई तात्काल आधार नहीं था और जो मात्र समझौते पर आधारित थी।'^१ उन्होंने कहा थुम्बव इस संदर्भ में समर्पतः सामान्य मावना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है।^२ उन्होंने आधार मिला, कि मेरा अनुमत्व यह है कि आपसी सुरक्षित सरकार परमन्द नहीं की गई पर उसे प्रादर मिला, कोई आश्चर्य नहीं कि द्वंध शासन के लिए प्रयुक्त आम घोलचाल की मापा अधिक सम्मान-जनक नहीं थी। उसे 'राजनीतिक द्विप्लनीति' व 'कट्टरतंत्र'^३ के नाम से जाना जाता था।

उत्तेजक मान्यताएः :

द्वंध शासन की व्यवस्था के प्रति निरादर के अनेक कारण हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसकी मान्यताएँ उत्तेजनापूरण प्रतिक्रियाएँ जगाने वाली हैं। द्वंध शासन स्पष्टतः अविश्वास पर आधारित है। इस अविश्वास को मूलतः इस पूर्वग्रह से बल मिलता है कि जनता में स्वशासन की धमता नहीं है। यही कारण है कि महत्वपूरण विषयों जैसे शांति व व्यवस्था, भूमि कर आदि, जो प्रत्यक्षतः जनता के जीवन से सर्वाधित हैं, लोकप्रिय नियंत्रण में नहीं रखे गए। सर जॉन रीस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा "उन्हें दोडने की अनुमति नहीं दी जा सकती योकि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे विना सहारे के चल भी सकेंगे!"^४

^१ स्मरण वत के अंश, भाग II, १८३.

^२ समुक्त कमेटी २६३-३३ II-ऐ., २६८.

^३ आर. ई. सी. आर, परिवर्णन ६, II २० पी. बी. ऐ.ल. नो. VII,

^४ १९६ हाउस ऑफ कॉमन्स बहस ५ एस २६८.

की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह व्यवस्था कई गुना अच्छी है ऐसोंकि दूध शासन का प्रारम्भ इस विश्वास से होता है कि कुछ विधयों का प्रशासन व्यक्ति स्वयं चला जाता है। दूसरे शब्दों में दूध शासन अविश्वास की अपेक्षा विश्वास पर आधारित है। यस्तुतः दूध शासन एक दुधारा हथियार है जिसका दोनों तरफ से प्रयोग हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी महत्वपूर्ण यह है कि देश की स्वामिमती जनता, जो आत्मचेतना से अनुप्राणित हो रही है, इसे किस रूप में प्रहृण करती है। यह सहज मानव प्रवृत्ति है कि वह अपने उड़े श्यों के हित में चुराइयों को बढ़ा बढ़ा कर देती है और अच्छाइयों को छोटा करके। सक्षेप में एक और जहाँ इस व्यवस्था में हाथ बैठाने वाले व्यक्ति स्वशासन मोर्च माने याएँ हैं वही दूसरी ओर यह भी अन्तिनिहित है कि जनता अद्योग्य है। यह स्थिति अवांछनीय है और इसीलिए इसका प्रतिरोध किया गया है। इसे जितना शीघ्र समाप्त किया जा सके उतना ही अच्छा है। यह निष्कर्ष विवेक के आधार सही नहीं उत्तरता परन्तु इस मांग की सम्भावना स्वयं इस व्यवस्था में अन्तिनिहित है और यह पता लगाना कठिन है कि किस तरह इस व्यवस्था में कोई सम्भावित सुधार इसे अधिक रुचिपूर्ण बना देगा। प्रस्तावित व्यवस्था के प्रति रोप कई रूपों में प्रकट किया जाता है लेकिन विशेषतः सुरक्षित विधयों के प्रशासन के प्रति विरोध अधिक है। यह विरोध सुरक्षित प्रशासन के अनुदान की अस्तीकृति, इनके कानूनों की अनुत्तरदायी आलोचना और विधान मंडल द्वारा सुरक्षित विभागों के लिए लगाए जाने वाले नए करों के प्रति असहमति की भावना के रूप में दिखाई देता है। विरोध की तीव्रता इस तथ्य से और अधिक बढ़ जाती है कि विरोध का आधार अवास्तविक है। परिपद के सदस्य यह जानते हैं कि वाहे वे विल पास न करें अनुदान स्वीकार न करें तब भी सरकार उसी तरह सामान्य रूप से चलती रहेगी और जनता को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वे यह भी जानते हैं कि गवर्नर की प्रभाणीकरण की शक्ति का प्रयोग किया जायेगा। ऐसा विरोध कार्यकारी पार्टीदों की अकुशलता से और अधिक बढ़ जाता है। उदाहरणस्वरूप बंगाल की विधान सभा परिपद का एक हृष्य लिया जा सकता है “सर हैनरी हीलर (एक कार्यकारी पार्टी) ने हमें अनुत्तरदायी कहा” एक सदस्य चिलाया।^५ और आज इसी तरह की बात उनके अनुयायियों ने कही और मिठो वार्डन द्वारा स्थिति चरम सीमा पर पहुँच गई। उन्होंने कहा कि विचाराधीन प्रस्ताव “विल्कुल निरर्थक था”। एक प्रारंभिक परिपद का अपनी प्रतिष्ठा के लिए ईर्ष्यालू होना व कार्यकारी पार्टीदों की अकुशलतायें दोनों स्थितियाँ संयुक्त रूप से नए विरोधों को ही जन्म देती हैं।

प्रतिरोध का एक सामान्य व्यवहार दूसरे प्रकार से भी व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए परिपदों का वहिकार करना और घन्दर से संविधान को नष्ट करने का प्रयत्न करना। यह अपदस्य करने का प्रयत्न और कार्यवाही को असम्भव बना देने को इच्छा वास्तव में दुर्भमनीय है। जब तक संविधान हस्तातरित विधयों में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के पूरण नियंत्रण में बाधा डालता है, उसका प्रतिरोध किया ही जाएगा। ऐसी स्थिति में संविधान

द्वंध शासन

किसी प्रगति का माध्यम नहीं होगा, वह मात्र एक घटम होगा। यह इसी स्थिति का परिणाम है कि सरकार-विरोधी अधिक लोकप्रिय है जबकि अन्य सभी सरकार परस्त या 'पदलोनुप' कहे जाते हैं। सविधान को नष्ट करने की बात जातिगत व राष्ट्रीय भावना को प्रभावित करती है। यह अपेक्षाकृत आसान है व अधिक लोकप्रिय है। एक बार तो यह विचित्र सुभाव दिया गया कि सदस्यों को यह शपथ लेनी होगी कि वे सविधान के अनुसार कार्य करें।^६ यह आलोचना सही है कि व्यवधान और औचित्यपूर्ण विरोध के मध्य कोई विभाजक रेखा लीचना कठिन है।

सरकार के परस्पर व्यापो कार्य :

द्वंध शासन का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि शासन के कुछ दोनों में मन्त्री और विधान मण्डल किसी नीति को क्रियान्वित करने व उस सदर्भ में पहल करने के लिए स्वतन्त्र है। वे स्वयं नीति निर्माण कर उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब सुरक्षित प्रशासन का प्रभाव या तो विलुल न हो या बहुत कम हो। व्यवहार में यह असम्भव है क्योंकि कोई भी विधेयक जिसमें दण्ड विषयक धाराएँ उपलब्ध हैं, वे सुरक्षित विषयों से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं और उनको बिना न्यायालय अधिकार पुलिस की सहायता के लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ सफाई, अनिवार्य टीका, अनिवार्य जिक्का, नशावन्दी और ऐसे ही अन्य विषयों से सम्बन्धित विधेयक बिना दण्ड विषयक धाराओं के निरर्थक हैं। नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किसी न किसी स्तर पर विंत विभाग के पास भेजना पड़ता था जो एक सुरक्षित विभाग था। इस हिटि से बद्वई सरकार^७ का द्रुचिनुमान विशेष रूप से सही सिद्ध हुआ.....

"सरकार के रिकॉर्ड के एक प्रसंग से यह जात होता है कि शायद ही सरकार के किसी विभाग में कोई ऐसा महत्व का प्रश्न बहस व निर्णय के लिए आया होगा जिसके लिए अन्तीय सरकार को अन्य विभागों के संदर्भ में व्यान देने की आवश्यकता न पड़ी हो। पूर्ण रूप से सरकार का प्रायमिक कर्तव्य शान्ति व व्यवस्था को स्थापना है, निबंल की बलवान से रक्षा करना है और यह देखना है कि उसके सम्मुख उपस्थित ऐसे भी प्रश्न जो विभिन्न वर्गों के हितों को प्रभावित करते हैं, पर्याप्त व्यान पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महत्व के सभी द्वारा परिवर्तन लाने के लिए सुभाव के रूप में प्रस्तुत किये गए, उन सब में सुरक्षित विभागों के अध्यक्षों का प्रसंग स्वतः ही आ गया। सरकार का कोई भी कार्य या विषय ऐसा नहीं था जहाँ विषयों में परस्पर-व्यापन न हो। परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त कि हस्तान्तरित विषयों से सम्बन्धित मन्त्री के लिए यह सम्भव हो कि वह सरकार के विभागों का प्रशासन सुरक्षित विषयों के सदर्भ में चला सके, आधारहीन है।"^८ इस यथार्थ का प्रशासन से सम्बद्ध प्रत्येक मनुभवी मन्त्री ने समर्थन किया

^६ बार ३० फ़रिददेव १, II, १५२
^७ भारत सरकार, प्रथम दिसंबर, १९५०-१.

भारतीय सरकार एवं राजनीति

है। ऐसी परस्पर-व्यापन की स्थिति कभी-कभी विधान परिषदों के अध्यार्थों के समाने भी कठिनाई उत्पन्न कर देती थी। बहस को प्रासंगिक पक्षों पर चलाने के लिए एक तरह के विषयों को दूसरे से पृथक् करना उन्हें नितान्त कठिन दिलाई देता था।¹⁵

यह कहा जा सकता है कि यह तर्क को बढ़ा बढ़ा कर प्रस्तुत करना है योकि व्यवहार में सरकार के कार्य अवसर विभाजित होते हैं या हो सकते हैं जैसे कि केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सरकार के मध्य, या वहे दोनों पर संघीय सरकारों में। इसके अतिरिक्त तनावों को रोकने के लिए नियमों की व्यवस्था की जाती है, जो वस्तुतः की गई थी तथा संघर्ष की स्थिति में समाधान किया जा सकता है। लेकिन इन तर्कों का वास्तविक परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि इनमें विशेष सार नहीं है। एकात्मक शासन में केन्द्र व स्थानीय सरकारों में कार्यों का विभाजन दूसरी तरह का होता है, योकि अन्तिम उत्तरदायित्व एकीकृत होता है। संघीय राज्य में जहाँ संसदीय कार्यपालिकाएँ हैं, और राज्य सरकारों में कार्यपालिका का उदाहरण अधिक उपयुक्त साहश होगा योकि संघीय है। संघात्मक शक्ति के वितरण का उदाहरण अधिक उपयुक्त साहश होता है। लेकिन यह भी पूर्ण साहश नहीं है। संघीय राज्य में जहाँ संसदीय कार्यपालिकाएँ हैं, जबकि भारत में दूध शासन से सरकार दो भागों में बैट गई—एक भाग प्रभावशाली विदेशी संसद नि-सन्देह कार्यपालिका तात्कालिक रूप से दो भिन्न विधानमण्डलों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जबकि यह परन्तु अन्ततः वह दोनों एक ही संगठित जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इस तरह सन्देह के प्रति उत्तरदायी या और दूसरा एक सहायक स्थानीय विधान मण्डल के प्रति। इस तरह सन्देह के बीज तो प्रारम्भ है, ही विद्यमान ये। विचारों व संस्थाओं का संपूर्ण, स्वच्छ, पृथक् विधान मण्डल पृथक् व विवादों के समाधान के लिए पृथक् स्वतन्त्र व्यायपालिका होती है। ऐसा विषयों के मध्य संघर्ष की स्थिति में गवर्नर एक व्यायिक कार्य करता है तो इसका समुचित उत्तर दिया जा सकता। वास्तव में उसकी राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति ऐसी है कि वह उनके मूल्य पर व्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता।

निस्सन्देह संघर्षों को रोकने की व्यवस्था की जा सकती है और प्रान्तों में ऐसी व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थाओं का सार यह है कि संयुक्त विचार-विमर्श के लिए विषय को घोड़ दिया जाए और संघर्ष को रोकने के लिए आपसी सद्भाव व विश्वास और अन्ततः गवर्नर के निरांय वा आश्रय लिया जाए। लेकिन अनुभव यह स्पष्ट करता है कि इस पदति से न तो कार्रवाई आगे बढ़ी और न ही प्रशासन में कुशलता आई। इसके साथ ही, उत्तरदायित्व की स्पष्ट परिभाषा भी नहीं हुई। जैसाकि विदित है, संयुक्त विचार-विमर्श व पृथक् निरांय के बीच की रेता अस्पष्ट है। संस्था की शक्ति घपना विशिष्ट भर्य रखती है। इसके आदान-प्रदान को भावना बढ़ती है। लेकिन यह मायवशक नहीं है कि यह भावना

द्वैध शासन

उस विषय के गुणों पर आधारित हो। अन्तिम निर्णय लेने के लिए पारस्परिक समर्थन की सामान्य आवश्यकता जैसी प्रग्रामिक मान्यताएँ महत्वपूर्ण बनती जा रही है जिससे अवश्यार्थ समझौते अस्तित्व में आते हैं। यह बात विषेषतः उस प्रसंग में सही है जहाँ वित्तीय प्रश्न निहित होते हैं। यह मन्त्रियों का अनुभव या कि इससे पूर्व कि वे हस्तांतरित विषयों से सम्बन्धित मांगों के प्रति मन्त्रिमण्डल में सहमति प्राप्त कर सके, उनके लिए उनमें निहित नीतियों की प्रभावशाली व्याख्या प्रस्तुत करना आवश्यक था।

इसका परिणाम यह हुआ कि मुरक्कित व हस्तांतरित विषयों के अन्तः सम्बन्धों के कारण कई बार मन्त्रियों का अपने विभागों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व अत्यधिक कठिन हो गया।

(क) कमज़ोरी, अक्षमता :

द्वैध शासन एक विभाजित सरकार है इसलिए वह कमज़ोर सरकार भी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार सामान्य उद्देश्य से प्रेरित नहीं हो सकती जैसाकि वाद्यनीय है। विधान मण्डल में से नियुक्त मन्त्री स्वभावतः उस संस्था के प्रति वास्तविक दायित्व महसूस करते हैं। यही द्वैध शासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन हर कड़ी, जो उन्हें व्यवस्थापिका के कार्यों से जोड़ती है, उन्हें अपने सरकारी सहयोगियों से पृथक् भी कर देती है, जो कि एक भिन्न सत्ता के प्रति उत्तरदायी है। परिणामतः द्वैध शासन में निहित-द्विवाद उभर कर सतह पर आने लगता है। वह दोहरापन सरकार के दो भागों में विभाजित हो गया है और ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके अन्तर्गत कई बार मन्त्रियों व कायंकारी जाता है कि इस प्रकार सरकार को चलाना सभव नहीं है।^५ यह दोहरापन मिलजुलकर किया भी गया लेकिन यह मिला-जुला स्वरूप भी कृतिम रहा क्योंकि दलों को अपनी शक्ति दोनों पाराजित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त कई अन्य नियन्त्रण व सुलुन भी हैं जो उत्साह व तीव्र गति को को साथ रखना चाहता है, उसका प्रतिरोध करने से कम करना चाहेगा। इस सद्भावना के लिए वह ऐसे कदम उठाने में भी हिचकिचाएगा जो चाहे स्वयं उसकी मान्यता के अनुसार लाभदायक हों। विधान मण्डल के प्रतिरोध की स्थिति में वह मपनी विभेद शक्ति का प्रयोग न कर आपत्तिमूलक उस प्रस्ताव को त्याग देना ही थेष्टकर मानेगा। लेकिन इसके समर्थन की आवश्यकता ने कई नई कठिनाइयाँ पैदा की हैं। एक ऐसे समझौते की दिशा में प्रयाप्त किए गए हैं जो सरकार के दोनों पक्षों के विचारों को प्रतिनिवित्व दें, ^६ पर व्यवहार में

^५ शांतीय समितियों की तिपोटे, ६४
६ द्वैध पक्ष, मद्रासा, १९६८

इस स्थिति ने किसी भी पक्ष का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं किया है। इसका परिणाम एक कमज़ोर सरकार के रूप में प्रकट हुआ है। मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपना ध्यान विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व पर केन्द्रित करें तथा अपनी नीतियों द्वारा सुरक्षित पक्ष के लिए उत्पन्न विचित्र स्थितियों की ओर ध्यान न दें जिनके सफल संचालन के लिए उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसी प्रकार कार्यकारी पार्पद, जो कि एक भिन्न सत्ता के प्रति उत्तरदायी हैं, अपकी नीतियों द्वारा दूसरे पक्ष के लिए उत्पन्न विचित्र स्थितियों पर ध्यान न दे क्योंकि उनके सफल संचालन का उन पर कोई दायित्व नहीं है।

हस्तांतरित प्रशासन विधान सभा से अपने प्रस्तावों के लिए अच्छी सहानुभूति पाने की आशा रख सकता है लेकिन कार्यों की अन्तर्निर्भरता, संगठित दलों और अलग वित्त की मांग के कारण वह संरक्षित सरकार का समर्थन लेने के लिए बाध्य है। यह स्थिति समझौते को जन्म देती है। अत्यधिक समझौते स्थिर व कुशल सरकार के विरुद्ध हैं।

एक गौण कारण वा यहाँ विशिष्ट उल्लेख किया जा सकता है जो हैं शासन के सदर्म में किसी वैशिष्ट्यवश नहीं वल्कि संयोगवश है। मन्त्री अपने कार्य के प्रति अनुभवहीन हैं और इसमें प्रशासकीय अनुभव व संसदीय सरकार की परस्पराओं का अभाव है। इसलिए लाई इरविन ने कहा “कुछ स्थानों व कुछ दिशाओं में कुशलता में एक निश्चित कमी हो रही है।” दुनियाँ के किसी भी भाग में कुशल व नौकरशाही संस्था को लोकप्रिय संरक्षण में हस्तांतरित करने का ऐसा ही परिणाम होगा। कुछ प्रान्तों में इस तरह के हस्तातरण में वस्तुतः यह कठिनाई रही है कि योग्य मन्त्री उपलब्ध नहीं थे। एक भारतीय गवाह ने स्टेटूरी आयोग के सामने कहा^{११} कि कुछ समय ऐसे मन्त्री थे जो अंग्रेजी के दो सही वाक्य एक साथ नहीं बोल सकते थे तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ नहीं पाते थे। इस असमर्थता से बचाव के लिए उन्होंने पूर्व सूचना के बहाने का आधार लेना शुरू कर दिया। जब कभी मन्त्री योग्य होते थे तब उनको कुछ अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। त्रिट्यूर्पूर्ण दलील संगठन के कारण वे अपना समर्थन जुटा नहीं पाते थे। इसका परिणाम यह होता कि वे सुसंगठित उपयोगी नीतियों को नियोजित व लागू नहीं कर सकते थे। इन स्थितियों में अधिकतम् कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही अक्षमता का आधारभूत कारण है, यद्यपि सामान्यतः लोक सेवाओं ने अपने राजनीतिक विभागीय अध्यक्षों (Political heads) से सहयोग किया पर जहाँ मन्त्रियों का अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता था, वहाँ परस्पर संघर्ष व तनाव उत्पन्न होता था। यह स्पष्ट है, जहाँ दुर्भव जन्म लेता है वहाँ क्षमता अनिवार्यतः प्रभावित होती ही है।

सांकेतिक प्रकृति :

जब सुधार अधिनियम पर धहस हो रही थी तब यह सोचना स्वाभाविक था कि सरकार के कुछ विषयों का लोकप्रिय नियन्त्रण में हस्तान्तरण करने से स्वतः ही आगामी मांगों की प्रेरणा मिलेगी और इससे असन्तोष को दूर करने के लिए प्रशासन की अन्य शाखाओं में भी अप-

द्वैध शासन

रिपब्लिक हस्तातरण की माँग उठेगी। यह पूर्वभाग सही निकला। अनुभव से यह बात सही सिद्ध होती है कि किसी भी देश में लम्बे समय तक व्यक्तियों को सरकार के संभावित स्वरूप के सम्बन्ध में दुविधा में रखने से अधिक कोई और उत्तेजक स्थिति नहीं हो सकती। संविधान द्वारा (भावी संवैधानिक विकास के लिए) १० वर्षों का समय निर्धारित करना कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इस शर्त में यह भावना अन्ततः निर्धारित है कि निर्धारित समय से पूर्व अधिक उत्तरदायित्व की माँग नहीं उठाई जायेगी और सभी संविधान के सम्मुख एक समावित स्वरूप हो संलग्न हो जायेंगे जिसके फलस्वरूप दस वर्षों के पश्चात् कमीशन के सम्मुख एक समावित अधिनियम लागू होने के एक साल के अन्दर^{१२} संवैधानिक संशोधन के लिए माँगें उठेंगी। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जब इस संदर्भ में किसी न किसी विधान मण्डल में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया हो अथवा इससे मिलता-जुलता कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया हो। ये प्रस्ताव व विचार-विभागों राजनीतिशो पर हुई प्रतिक्रिया के परिचायक हैं। इस प्रकार आज की माँग की जाती है, क्योंकि वे लोकप्रिय हैं। संशेष में यह कहा जा सकता है कि द्वैध शासन की समता को समर्थन करने की अपेक्षा उसके उद्देश्य को यथाशीघ्र समाप्त करने पर व्यापार केन्द्रित हो गया है और विषटनकारी युक्तियाँ विकसित की जा रही हैं। इस प्रकार आज इस प्रतिक्रिया का आधार यह ज्ञान पा कि तत्कालीन संविधान अस्थायी है। नई व्यवस्थाओं के प्रति उत्तरदायी वनाया जा रही है। इसका अभी तक भारत में कोई प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन द्वैध शासन में एक संवैधानिक सुरक्षित शक्ति है जिसके प्रयोग से मंत्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी वनाया जा सकता है। इसका अभी तक भारत में कोई प्रयोग नहीं हुआ देना अस्वीकार कर दिया गया। मत्रिमंडल के वेतन में कभी, जिसका अभिमान विशिष्ट विषयों पर वादविवाद को उठाना होता है, का प्रयोग भारत में उसका अंत करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रक्रिया के स्वरूपों को उनके मूल उद्देश्यों से हटाया जा रहा है और उसे द्वैध शासन की समाप्ति की ओर मोड़ा जा रहा है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति अनुपयोगी होगी जिसके अन्तर्गत कालान्तर में परीक्षण किया जाएगा, तत्संबंधी प्रगति का मूल्यांकन होगा तथा भविष्य में प्रगति के अधीचित्य के सम्बन्ध में कोई निरांय लिया जा सकेगा। सफल संविधान विकसित होते हैं, उनका पृष्ठक अवस्थाओं में निरांय

अधिकातम् संघर्षः
किमी वि

किसी भी प्रकार की सरकार में व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। कोई भी सर्वधानिक व्यवस्था कितनी भी कुशल बयो न हो, वह सब संघर्षों को मिटाने की सामर्थ्य नहीं रखती। निर्माता का काम यह उपाय खोजना है कि जो उप्पा पंदा की गई वह इतनी तेज न हो कि वह गतिशील उर्जों को पिपला दे और मशीन को रोक दे।^{१३} यह सही कहा गया है कि किसी

मी ऐसे इंजन का आविष्कार नहीं होगा जो उसके चालक को चिता से संबंध मुक्त कर दे। प्रशासन की कई शाखाएँ कई विषयों पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उनमें कई विन्दुओं पर परस्पर-व्यापन प्रकट होता है। इन समस्त स्थलों पर संघर्ष की संभावना भी समान रूप से विद्यमान रहती है परन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि एक ऐसी सरकार, जो एक ही देशीय इकाई में काम करती हो और जिसमें रक्षा-उदायों की अत्यधिक सामर्थ्य हो वह अधिकतम् संघर्ष का अवसर प्रदान करती है। द्वंध शासन इसको एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ संविधान की प्रकृति के अनुसार कई उपाय आवश्यक हैं क्योंकि यहाँ दो असंगतियों को मिलाने का प्रयास किया गया है—दो भिन्न सत्ताओं का नियन्त्रण, जिसमें एक और लोकप्रिय व निर्वाचित सत्ता है और दूसरी और सरकारी व अलोकप्रिय सत्ता। मन्त्रियों को अनिवार्यतः शक्ति दी जानी चाहिए लेकिन सेवाओं व निहित हितों के अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए। इस स्थिति से मन्त्रियों व सेवाओं—दोनों में ही रोप था। सरकार के दोनों मार्गों में संघर्ष को टालने और यह देखने के लिए कि एक भाग का प्रशासन दूसरे पर बुरा प्रभाव न डाले, एक संयुक्त परिषद् (Council) का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इससे मन्त्रियों व विधान परिषद् में संघर्ष पनपता है क्योंकि ऐसी परिषद् व जनता मन्त्रियों की अधीनता के प्रति संघर्ष के अभाव की प्रतीक है तथा मन्त्रियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे पद पर नियुक्त होते ही अपने सिद्धान्तों को ताक पर रख देते हैं। विधान परिषद् को सुरक्षित प्रशासन को प्रभावित करने की शक्ति दी गई है पर नियन्त्रण करने की नहीं। दोनों पक्षों में परिणामतः असन्तोष उत्पन्न होता है। विधान परिषद् व मन्त्रियों को हस्तातरित विषयों में शक्ति दी गई है लेकिन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए गवर्नर-जनरल व भारत सचिव को उच्चतर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे मंत्री व विधान मंडल दोनों ही क्षुब्ध हैं। शक्ति और उत्तरदायित्व समान होने चाहिए।

कार्य-सम्पादन में दुर्घटता :

अधूरा स्वशासन सरकार का सबसे कठिन स्वरूप है। इसके प्रयास सदैव अपने अभावों की पूर्ति की दिशा में संचालित होते हैं। मद्रास के एक मन्त्री ने कहा^{१४} कि कंसिले भी द्वंध शासन को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। परिषद् के एक सदस्य ने इस कथन की पूर्ति करते हुए यह कहा कि देत्य भी इसको नहीं चला सकेंगे।^{१५} यह उक्तियाँ शायद उस समय कही गई होगी जब द्वंध शासन के प्रति मोह मंग हो रहा था। लेकिन निससन्देह इन उक्तियों में सच्चाई का तत्त्व है। द्वंध शासन संदानिक रूप से एक व्यावहारिक व्यवस्था है लेकिन यह तब सम्भव है जब संदानिक दृष्टि से विधान परिषद् भी पूर्ण हो और हँर संदर्भ की इसको कार्यान्वित करने की इच्छा हो। (भारत में इसके व्यावहारिक स्वरूप में) काफी कमियाँ हैं जिनसे अनुंतरदायित्व व विधि पनप सकते हैं और ऐसा कई संदर्भों

^{१४} धी. एम. एल. सी. XIX, ८८४

^{१५} वही

में हुमा भी है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत तत्त्व की अनिवित्तता पर अधिक निर्भर करती है तथा गवर्नर, मार्गी, कार्यपालिका पार्दंदों व विधान सभा सदस्यों में बहुत धैर्य और विवेक की अपेक्षा करती है जो हर समय विद्यमान नहीं रह सकता। सरकार की ऐसी योजना, जो अपने अस्तित्व व सफलता के लिए इन गुणों के निरन्तर प्रयोग की अपेक्षा रखती हो, अधिक स्वायत्त्व नहीं पा सकती। देर या सबेर गम्भीर संघर्ष विवरित होते हैं जो इसे अव्याहारिक बना देते हैं। अगर द्वैध शासन सफल होता है तो वह अपने मूल मंत्र को त्याग कर ही सफल होगा। इस प्रकार अनिवार्यत, विभाजित नियन्त्रण व विभाजित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को छोड़ना होगा।

III

उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण

लेकिन सबसे बड़ी श्रृंखला, जिसकी चर्चा हम अब करेंगे वह यह है कि द्वैध-शासन अपने उद्देश्य का स्वयं अन्त कर देता है। इस पक्ष को लॉड गुशन (मद्रास के भू० पू० गवर्नर) ^{१६} द्वारा कुशलता से प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने कहा कि उस व्यवस्था ने जिसका उद्देश्य उत्तरदायित्व सिवाना था, काम-हर में अनुत्तरदायित्व भिखाया है।—एक कुशल अधिकारी द्वारा यह अस्यारोपण, स्वयं में एक गम्भीर मामला है। इस बात का परीक्षण करता उपयुक्त होगा कि क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो, वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने इस शासन को उत्तरके मौलिक उद्देश्यों से विचलित कर उसे एक विकृतिपूर्ण स्वरूप प्रदान कर दिया है?

उत्तरदायी सरकार का मूल अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका विधान मण्डल से बनती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अन्तर्निहित भामला यह है कि जब तक उसे विधान मण्डल द्वारा समर्थन प्राप्त होता है केवल तभी वह सत्तारूढ़ रह सकती है। उस स्थिति में सरकारी निर्णयों अथवा दलीय विवादों से उत्पन्न संकट को संसद् सम्बन्धी अधिकार के माध्यम से मतदाताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसका वाँचायंत यह अभिप्राय नहीं है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में भौति-मण्डल संसद-भंग वे विशेषाधिकार से अपनी अपीलें भतदाताओं तक पहुंचाता है। इस स्थिति में ही संवैधानिक संप्रभु की सहायता से राजनीतिक सप्रभु का आळ्हान किया जाता है। सामान्यतः कार्यपालिका, कार्यपालिका के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इस कारण कार्यपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों के आंचित्य वो इस सदन के सम्मुख सिद्ध करे लेकिन व्यवहार में वह मतदाताओं की निरणीयक इच्छा के प्रति सजग रही है। दूसरी ओर फास्स जैसे देशों में, जहाँ एक अभिसमय से ही संसद भंग करने के अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, संसदीय उत्तरदायित्व पूर स्पष्टतः बत दिया गया है। इस स्थिति ने

विधान मंडल के प्रति कार्यपालिका की अधीनता को जन्म दिया है।

द्वैध-शासन का यह उद्देश्य था कि निर्वाचकों व विधानमंडलों के प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के प्रति सही निर्णय करना सीखना चाहिए। मंत्रियों से यह अपेक्षा थी कि वे विधान मंडल में अपने कार्यों को न्यायोचित छारना सीखेंगे और इस प्रकार उन्हें उत्तरदायित्व का निर्वाह करना आएगा। कुछ अपवादों के अतिरिक्त द्वैध शासन अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व :

इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण यह है कि मन्त्री सामान्यतः अपने पद पर बने रहने के लिए विधान सभा के चुने हुए मदस्यों के विश्वास पर निर्भर नहीं करते। प्रान्तीय परिपदों में मतदान भाँकड़ों पर हृष्टि ढालने से इस बात की पुष्टि हो जाती है। यहीं एक उदाहरण प्रस्तुत है।^{१३}

वर्ष	डिवीजनों की कुल संख्या	कुल डिवीजनों की संख्या	सरकारी पराजय	सरकारी सफल- ताओं की संख्या	सरकारी अलग करने पर	सरकारी अतिरिक्त सरकारी पराजय
१९२१	३		२	१		२
१९२२	१७		४	१३	४	५
१९२३	४	१	१	२	१	२
१९२४	१६		१०	६	४	१४
१९२५	३०	१		२९	११	११
१९२६	३			३	१	१
१९२७	२६	३	३	२३	७	१०
१९२८	२		१	१		१

उपर्युक्त भाँकड़ों से यह स्पष्ट है कि समातार पराजय होने पर भी मन्त्री अपने पद पर बने रहे। संयुक्त ग्राहत^{१४} में १९२० से १९२७ तक के सात साल के कार्यकाल में हीन साल तक यिन सरकारी गुट के समर्थन के मन्त्री अपने पद पर बने नहीं रह सकते थे। यह सम्प्र मद्रास, विहार, उड़ीसा व बंगाल के लिए भी प्राचीनिक है।^{१५} यहीं यह तर्क दिया जा सकता है कि भनियार्थतः यह भावधयक नहीं कि विधान सभा में मंत्रिमण्डल की हार सर्वे मंत्रिमण्डल के प्रति विधान सभा के अविद्यास की ओर ही इंगित करे। यदि विधान सभा अविद्यास की दिग्न में समर्ग होनी तो वह ब्रेट घनुशानों द्वारा घसीहत कर मंत्रिमण्डल को स्थान-भव देने के लिए बाध्य कर गकती थी। यह तर्क

१३ राजनीति एवं विद्या, भाग I, परिचय, १०४.

१४ रिपोर्ट, पृ. ८१, २०५.

१५ राजनीति एवं विद्या २११-२, भाग द्वितीय १९२२-३, लिपेंट, बंगाल ११४-१५

ऐसा मान कर चलता है जब तक विधान सभा आपूर्ति के लिए मना करने का कदम नहीं उठाती, तब तक मंत्रिमण्डल को यह मान लेना चाहिए कि मंत्रिमण्डल को विधान मंडल का विश्वास प्राप्त है। प्रस्तुत तर्क इस देश की परिस्थियों में सही नहीं माना जा सकता। आपूर्ति के लिए मना करना एक अन्तिम कदम है और जब तक गम्भीर कारण उपस्थित न हों विधान मंडल इसका उपयोग नहीं करता। यह अधिकार उन परिपदों में तो लागू किया जा सकता है जहाँ एक स्थिर दलीय संगठन हो परन्तु भारतीय परिपदों में, जहाँ अत्यधिक अव्यवस्थित दलीय संगठन हैं, ऐसा करना अनुपयुक्त होगा। जहाँ कहीं भी ये सुव्यवस्थित संगठन थे वहाँ ऐसा अन्तिम कदम भी उठाया गया। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ कहीं भी निर्वाचित वहुमत ने मंत्रिमण्डलीय विश्वास के लिए^{२०} इस कठोर कदम को उठाया वहाँ मंत्रियों को सरकारी गुट का समर्थन प्राप्त हुआ और इस समर्थन के कारण चुने हुए वहुमत के विरोध के वावजूद मंत्रिमण्डल अपने पद पर बना रहा। निर्वाचित वहुमत के पास मंत्रिमण्डल को मत्ता से पृथक् करने की शक्ति नहीं है। इस तथ्य ने आपूर्ति के लिए मना करने के कठोर कदम को उठाने की दिशा में अवश्य सशक्त निपेध उत्पन्न किया होगा।

परिणामस्वरूप यह मान्यता बन गई कि विधान मंडल में निर्वाचित वहुमत का समर्थन न होने पर भी मंत्री अपने पद पर बने रह सकेंगे। यह राजनीतिक अनुत्तरदायित्व के विकास का स्पष्ट संकेत था। इस तरह के कारणों की चर्चा इस निवन्ध में अंयत्र की गई है। इस संदर्भ में उन्हें यहाँ प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक होगा। स्थिर दलों का अमाव, सरकारी व नामांकित सदस्यों का अस्तित्व, एकात्मक ढंग से द्वैध शासन को चलाने का प्रयास, सुखी परिवार का विचार, संयुक्त वित्त, गवर्नर की विशिष्ट शक्तियाँ, सेवाओं के अधिकार, सचिवों की गवर्नर तक सीधी पहुँच और सरकार के कार्यों की अन्तर्निमंरता, इन सब कारणों ने संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व को पीछे धकेल दिया और इस स्थिति ने उसका विकास नहीं होने दिया। मंत्रियों ने यह अनुभव नहीं किया कि वे पूरणरूप से ऐसी नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं जो विधान सभा को स्वीकृत हैं और अपने पद पर बने रहने के लिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। मद्रास के एक मन्त्री^{२१} ने विधान परिपद में यह कहा कि उनका वास्तविक उत्तरदायित्व गवर्नर के प्रति है। यद्यपि यह द्वैध शासन के उद्देश्य से विकूल अलग बात है लेकिन यह बात स्थिति की वास्तविकता के अनुसार अवश्य थी। बंगाल की विधान परिपद^{२२} में एक समय किसी सदस्य ने कहा कि “हम इस वैभवशाली अनुत्तरदायित्व की स्थिति से यक चुके हैं। हम ऐसी मुनहरी जंजीरें नहीं चाहते जो हमें अनुत्तरदायी सरकार के पहियों से बांध दें।”

निस्सन्देह कुछ उदाहरण हैं जहाँ मंत्रियों ने निर्वाचित वहुमत के प्रति मतभेद होने पर त्याग पद दे दिया लेकिन इन त्याग-पत्रों के साथ-साथ संविधान को अततः निलम्बित

^{२०} स्मरण पद, मद्रास, १५०-१; जापन विहार व उडीता १४३-४, स्मरण पद बासाम, २०४, २०७

^{२१} पी. एम. एल. सी., XV, ५७; बार. ई. सी. बार., परिचाप्ट ५, १४

^{२२} पी. बी. एल. सी., XVII, नं० ४, २०३

भारतीय सरकार एवं राजनीति

मी कर दिया गया। ऐसी व्यवस्या, जहाँ मन्त्री बार-बार हारे हों और तब भी पदासीन हों या जहाँ मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का मतलब संविधान को निलम्बित करना हो, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदायी शासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया।

व्यवस्थापिका

द्वंध शासन व्यवस्या विधान मण्डल में भी उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में सफल नहीं हो सकी। यहाँ वास्तव में उत्तरदायित्ववा स्वरूप ही विछृत कर दिया गया। मुधार के प्रत्यावर्कों का यह स्पष्ट मन्त्रव्य था कि सरकार के किसी भी भाग के विषयों के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व विधान मण्डल व स्वर्ण निर्वाचिकों द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। द्वंध शासन के सफल संचालन के लिए यह मान्यता महत्वपूर्ण है। मुधार के प्रत्येक भाग के लिए अत्यन्त अलग हो, ताकि उत्तरदायित्व का स्वरूप न विगड़े। यह मुझाव तत्काल ही अस्वीकार कर दिया गया। निर्वाचन धेयों व निर्वाचिनों का दोहरापन हर स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए भाग्यक व बोझिल होता जिन्होंने व्यावहारिक राजनीति में तत्काल प्रवेश किया था इस तरह दोहरी क्षमता की जो व्यवस्थापिका बनाई गई उसका हस्तांतरित विषयों पर तो नियन्त्रण था लेकिन सुरक्षित धेयों में वह केवल प्रमाण ही रखती थी।

उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहना गलत होगा कि विधान मण्डल व कार्यकारी पार्टीों के बीच वह उनके सम्बन्धों के अन्तर के विषय में सजग नहीं थी। परिपद की यह अभिव्यक्ति कि 'हमारे मंच' और उनका 'हमारे प्रति उत्तरदायित्व'^{२३} हस्तांतरित विषयों के प्रति उनकी अधिक सहानुभूति का परिचायक है, और यह दर्शाता है कि वह इस अन्तर के प्रति सजग थी।

प्रान्तीय सरकारों के इन विभागों पर परिपद में प्रहार कम ही होता था। वह अनुदान सम्बन्धी मार्गों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार रहती थी। इसके अतिरिक्त वह इनसे सम्बन्धित नए करों को मानने के लिए भी तैयार रहती थी मन्त्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक जल्दी अस्वीकार नहीं होते थे।^{२४} परिपद ने यह जान लिया था^{२५} कि हस्तांतरित विषयों से सरबित वित्तीय शक्ति उनके ही हाथों में है। सुरक्षित विषयों पर प्रति उत्तरदायित्व से इंकार कर दिया गया।^{२६}

लेकिन मन्त्रियों, कार्यकारी पार्टी, राज्यपालों व विधान मण्डल के अध्ययों के बीच का अन्तर उन्हें इस भेद की याद दिला देता है^{२७} जिसे वे प्रवसर भूल जाते थे। तथ्य यह है कि मन्त्रियों पर सुरक्षित विषयों के संदर्भ में उनकी नीतियों के प्रश्न पर भविष्यवास

^{२३} पी. एम. एल. सी., LX-I, २२७, पी. एल. सी., I, १, ५४, १५१

^{२४} स्मरण पुत्र, मद्रास २५४.

^{२५} पी. कॉर्डेल, एल. सी., XXXIX, १३२-३

^{२६} पी. एल. सी., II २०.

प्रस्ताव द्वारा प्रहार किया जाता था। मुलगात्मक हिटि से व्यवस्थापिका का ध्यान सुरक्षित विषयों पर अधिक केन्द्रित रहता था और इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि अनुदान के लिए मना कर वे इन विभागों पर नियन्त्रण रखते थे। इनसे दूसरी ओर यह भी सिद्ध होता है कि परिपदे इस अधिनियम में हुए सुधारों को री तरह से समझे भे असमर्थ रही। यह एकाधिक बार स्पष्ट किया जा चुका है कि परिपद के निर्वाचित सदस्य, जो एक संगठन या समुदाय के अंग थे, उन्होंने मन्त्रियों को अलग रखने का नियंत्रण लिया था। यह उस सामान्य प्रकृति का द्वारा रखता है जिसमें मन्त्रियों को पुरानी नौकरशाही सरकारों के समरूप समझा गया। निस्सन्देह इसका परिणाम यह हुआ कि हस्तांतरित विषयों के सम्बन्ध में परिपदों को जो सर्वोत्तम अवसर मिला उसका वे उचित प्रयोग नहीं कर सकी। अपने पद पर बने रहने के लिए मन्त्रियों की सरकारों व मनोनीत सदस्यों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति, सुरक्षित सरकार के समान परिपद में निर्वाचित बहुमत के अभाव में भी मन्त्रियों की पद पर बने रहने की इच्छा के कारण प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग या कार्यकारी परिपदों की माँति ही उत्तरों को टालने की कोशिश, तथा परिपद के कठोर हिटिकोण की स्थिति में मन्त्रियों की भी सुरक्षित विषयों के संदर्भ में भायण अथवा मतदान द्वारा विरोध प्रकट की अनिच्छा-इन सब कारणों के परिणामस्वरूप परिपद को यह सोचना पड़ा कि उनका (विधान मंडल का) मन्त्रियों के साथ भी बैसा ही सम्बन्ध है जैसकि कार्यकारी पार्षदों से है। यहाँ तक कि कुछ विधान मंडलों के सदस्य तो इन दोनों को इतना मानते थे कि वे मन्त्री से यह पूछते थे २७ कि वे परिपद को बताएँ कि कार्यकारी पार्षदों एवं मन्त्रियों के उत्तरदायित्वों में क्या अंतर है क्योंकि उन्हें मन्त्रियों की आय को स्वीकृति देनी होती है। वह यह भी चाहते थे २८ कि सुरक्षित व हस्तांतरित विषयों को परिपद के प्रति उत्तरादयी माना जाए।

निर्वाचिक गण

किसी मतदाता को हस्तांतरित व सुरक्षित विषयों के बीच विभाजन को समझते में कितनी कठिनाई होती है, इसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। विचारणीय प्रस्तुत प्रश्न यह है कि हस्तांतरित व सुरक्षित विषयों में अन्तर क्या है? विधान सभा सदस्य जब ग्रामीणों की सभाओं में भायण देते थे तब यह उनसे प्रश्न पूछा जाता था। २९ द्वैध शासन के सही मूल्यांकन के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमें यह बिदित है कि उत्तरादयी सरकार की व्यवस्था में मन्त्री विधान सभा की परिधि से बाहर लोगों को और देखते हैं। लेकिन जब महत्वपूर्ण विषयों जैसे कानून व व्यवस्था, वित्त, भूमिकर और सिचाई सुरक्षित विषय हो,

२७ पी. बी. एल. सी., I नं. १, २, ३, १५८-६. नं. ६, ३५३., पी. एम. एल. सी. VI, २७५४.
XIX, ३३४.

२८ पी. एम. एल. सी., XIX, ३३४

२९ आर. ई. सी. आर, परिशिष्ट ६, I, १६२

जैसाकि द्वैध शासन में पाया जाता है, तब निर्वाचिकों के लिए उत्तरदायित्व का अर्थ समझने या अपनी शक्ति का उत्तरदायी ढंग से प्रयोग करने के लिए कोई अवसर शेष नहीं रह जाता। मतदाता यह जानता है कि वह चाहे कुछ भी कार्रवाई करे, सरकार की व्यवस्था भंग नहीं होगी। उसका यह अनुभव है कि वह पतली बफ़ पर स्केट कर सकता है जिसके दौरान यदि वह गिर भी जाता है तो उसे कोई खतरा नहीं अंततः उसे बचा ही लिया जायगा और वह पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। परिणामतः वह कभी सावधान होना नहीं सीखेगा क्योंकि उसके कार्यों के परिणामों के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं थोपा जायगा। अतः वह अनुत्तरदायी बना रह सकता है। यह अधिकांश भारतीय निर्वाचिकों का अनुभव रहा है। ग्रामीण लोग सरकार को सम्पूर्ण व अविभाज्य समझते थे। तब उन्हें यह बताया गया कि उनके प्रतिनिधि कुछ मामलों में ही उनकी मदद कर सकते हैं सब में नहीं तो लोगों की परियोजनाएँ व प्रतिनिधियों के प्रति रुचि समाप्त हो गई। उन्होंने परियोजनाएँ के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के सम्बन्ध में प्रश्न किया। इस प्रकार का अनुत्तरदायित्व वर्तमान शासन व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता के मस्तिष्क में उठेगा। इससे आंतरिक व बाह्य भ्रम उत्पन्न होंगे। यहाँ अपूर्ण ही सही पर राजनीतिक शक्ति के प्रयोग पर वास्तविक नियन्त्रण लग जाता है। मतदाता अल्प समय में ही यह समझ जाता है कि उसका कल्याण निर्वाचित प्रतिनिधि के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। द्वैध शासन के अन्तर्गत मतदाता सुरक्षा का अनुभव करता है, चाहे वह सार्वजनिक कार्यों में रुचि ले या नहीं उसके महत्व के विषयों में उसके प्रतिनिधि द्वारा कुछ न करने की शक्ति हीनता उसमें अनुत्तरदायित्व का बीज बो देती है। यह अनुत्तरदायित्व का स्वभाव अपने आप पनप जाता है और जब पूर्ण उत्तरदायित्व की शुल्कात की जाती है तब उसके प्रमाद से जगाना कठिन हो जाता है। यह विचार द्वैध शासन के अन्तर्गत उसके मस्तिष्क में मुश्किल से आता है कि उसके मत में स्वयं को सुरक्षा निहित है और वे, जो उसके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, यदि उसके हितों की अवहेलना करते हैं तो वह उन्हे हटा सकता है।

उपलब्धियाँ

द्वैध शासन वडी आशाओं से प्रारम्भ किया गया था। यह कहा जा सकता है कि अगर द्वैध शासन आदर्श स्थिति में चले तो वह अनुपयोगी नहीं है। शासन के विषयों को दो तरह की सरकारों में रखना उस परिस्थिति में पूर्णतः ताकिंक है जिसमें इसे लागू किया जाना था। वह परिस्थिति जिसमें सत्ताहृष्ट सरकार द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व के हस्तांतरण को यसमें भाना गया, एक प्रकार से उत्तरदायित्व व तानाशाही के मध्य एक सम्पर्क सूत्र का काम करती है। इसका लाभ इस मदर्न में है कि इसमें व्यक्तियों को यह बताने का अवसर मिलता है कि वे क्या कर सकते हैं क्योंकि यह प्रमाणित परिणामों पर आधारित होता है। इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह सबको उनकी सर्वथोष्ठ क्षमता प्रदान करेगा। यह कहा गया कि प्रस्तावित योजना से अधिक ऊँचे प्रतिमानों को प्रोत्साहित करने

के लिए प्रत्येक नए विभाग को अधिक अधिकार देने में इस बात को आधार बनाया जाय कि हस्तांतरित विभागों को कितनी सफलता मिली है। यह एक लचीली व्यवस्था थी क्योंकि यदि हस्तांतरित विषय और उनके नियमों को सुव्यवस्थित किया जाय तो इस व्यवस्था को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।

व्यवहार में, क्योंकि इस व्यवस्था की शर्तें प्राप्त करना बहुत कठिन था, इस कारण इसकी उपलब्धियाँ बहुत कम हैं। यह मूल्याकन अनुदारतापूर्ण कहा जायेगा कि जहाँ द्वैध शासन सफल हुआ वह इसीलिए क्योंकि वहाँ द्वैध शासन के सिद्धान्तों पर ध्यान नहीं किया गया था। यह कहा जा सकता है कि द्वैध शासन के अंतर्गत कई व्यक्ति प्रशासन की समस्याओं व उत्तरदायी शासन के सम्मुख आने वाली कठिनाई के सम्पर्क में आए। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रशासन में न केवल एक विशिष्ट व्यवस्था के गुणों का पक्ष लेना ही आवश्यक है वरन् इससे भी दुर्लभ कार्य दूसरों का विश्वास अर्जित करना भी है। यह कार्य अधिकाधिक सुपरिचित होता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल की नौतियों के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को विश्वास में लेने की कला अधिक महत्व रखती है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विशेषतः तब जबकि उन्हीं व्यक्तियों को बाद में पूर्ण उत्तरदायी शासन में भाग लेने का अवसर मिलता हो। एक दूसरा अच्छा परिणाम यह हुआ कि 'हस्तांतरित विषय' व 'लोकप्रिय नियन्त्रण' के विचार सार्वजनिक हित के केन्द्रबिन्दु बने। इससे जनता का ध्यान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाईयों, जैसे राष्ट्र निर्माण की कियाग्रो पर केन्द्रित हुआ। यह परिवर्तन कभी न कभी अपरिहार्य था परन्तु निस्सन्देह द्वैध शासन ने नौकरशाही व सार्वजनिक नियन्त्रण के मध्य अंतर पर प्रकाश ढालकर इस परिणाम को जल्दी ला दिया।

अनुभव :

मद्रास के एक मंत्री ने कहा³⁰ कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो यह विश्वास करते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियों में द्वैध शासन का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती हैं। यह संभवतः सर्वाधिक ठोस निर्णय है जो इस शासन पर एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में दिया गया। यह कथन कम-से-कम इस बात पर बल देता है कि सामान्यतः द्वैध शासन एक कठिन सरकार का स्वरूप है। उचित राजनीतिमत्ता यह होनी चाहिए कि द्वैध शासन को लागू करने की सलाह देने से पूर्व अन्य सब सम्भावित विकल्पों की खोज की जाए। लेकिन उन परिस्थितियों की कल्पना करना संभव है जहाँ द्वैध शासन को सांकेतिक अवस्था की आवश्यक व्यवस्था मान लिया गया था। एक और जहाँ सरकार पूर्ण शक्ति हस्तांतरण के लिए न तो इच्छुक थी और न ऐसा करने की स्थिति में ही थी तो वहाँ दूसरी ओर यह भी संभव है कि कुछ समय पश्चात् द्वैध शासन का प्रयोग देशी रियासतों के सदर्भ में उपयुक्त दिखाई दे। जनता में इसकी निरन्तर

बहुती माँग थी। इस कारण द्वैध शासन को अपनाया गया। कालांतर में यद्यपि प्रान्तों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया पर भारत के नए संविधान में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत और वर्मा में एक सुधरे हुए स्वरूप में यह पुनः लागू किया गया। अधिकांश रियासतें अब व्यक्तिगत शासन व्यवस्था के अन्तर्गत हैं। अगर इतिहास किसी प्रकार पथ-प्रदर्शक हो सकता है तो स्वशासन के लिए आन्दोलन आज नहीं तो निकट भविष्य में राज्यों की जनता में अवश्य उदित होगा। ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के उदाहरण राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था की दिशा में एक प्रेरणा सिद्ध होगे। लेकिन यदि ये शासक शक्ति समर्पण के लिए ब्रिटिश भारत के शासकों की ही भाँति अनिच्छुक हो, उस दशा में द्वैध शासन अपनाया जा सकता है।

क्या यह अतीत का अनुभव भविष्य के निर्देशन के लिए कोई महत्व रखता है? तुलनात्मक रूप से सच्चरित्र व्यक्ति, प्रान्त अथवा राज्य का घोटा आकार और व्यक्तियों में धैर्य व सूझ-चुभ होना, यह राज्य व्यवस्था के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। ये संविधान में लिखी नहीं जा सकती। संवैधानिक दस्तावेजों में यदि व्यवहार के लिए सिद्धान्त हों तो हमें यह सन्देह है कि क्या प्रान्तों में द्वैध शासन के व्यावहारिक अनुभव से नई योजना के निर्माण में कोई लाभ होगा। सरकार का कोई भी नया प्रयोग उस समय प्रारम्भ होता है जब यह सम्भव नहीं रहता कि किसी अन्य व्यवस्था के अनुभव से प्राप्त सिद्धान्तों को पूर्ण विश्वास के साथ लागू किया जा सके। सन् १९३३ ई० के मारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस योजना में सुरक्षित विपय जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा व धार्मिक विभाग थे। ये ऐसे विभाग थे जिनका सामान्यतः हस्तान्तरित विषयों के कार्यों से कोई सम्पर्क नहीं था, जबकि इसके मुकाबले १९१६ के अधिनियम में जो सुरक्षित विपय थे और जिनमें सुरक्षित विभागों का बजट मतदान का भाग नहीं था, हस्तान्तरित विषयों से बहुत आवश्यक रूप से जुड़े हुए थे। इसी तरह १९३५ में हस्तान्तरित विषयों के धेत्र में गवर्नर जनरल को जो विशिष्ट उत्तरदायित्व व विवेक की शक्तियाँ दी गई वैसी १९१६ के अधिनियम में इसे हस्तान्तरित विषयों के लिए नहीं दी गई थी।

अतीत का अनुभव सकारात्मक निर्देशन के लिए उपयोगी न होते हुए भी उससे सम्बन्धित एक दो चेतावनियाँ अवश्य देता है। नियोनल कर्टिस द्वारा १९१६ में अपनाया गया हिट्कोण आनुभविक हिट्क से प्रभावित होता है कि “द्विवाद पर आवरण ढालना चाहो”। द्वैध शासन को एकात्मक शासन के रूप में दिखाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संयुक्त लेखकों द्वारा दिया गया यह सुझाव उपयुक्त नहीं था^{३१} कि कार्यपालिका में और बाहर एक एकीकृत मोर्चा प्रदर्शित करना चाहिए। द्वैध शासन का यह स्पष्ट उद्देश्य था कि सरकार के कुछ कार्यों के लिए मन्त्री व्यवस्थापिका व निर्वाचिक मण्डल के प्रति उत्तरदायी हों और वे स्वयं के कार्यों को व्यवस्थापिका व निर्वाचिक गण के सामने

प्रमाणित करना सीखें। इस क्षेत्र में कार्यकारी पार्यंदों को अधिक स्वतन्त्रता है। इस दृष्टिकोण से अनुमान लगाना कि इसके अन्तर्गत एक संयुक्त बजट व सभी विषयों (मुरक्षित व हस्तान्तरित) के लिए सरकारी बोटों के प्रयोग का प्रयोग का प्रावधान है, गलत होगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किन्हीं दृष्टियों से उन्हें कुछ लाभ है लेकिन द्वैध शासन की दृष्टि से निरांयक विचार यह होना चाहिए कि किस व्यवस्था से उत्तरदायित्व को स्पष्ट व अच्छी परिमापा की दिशा में बढ़ा जा सकता है। प्रशासन के व्यवहार में आवश्यक प्रश्न यह पूछा जाता है कि सरकार के किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व यथार्थतः किस पर है। यह बात विशेषतः द्वैध शासन के लिए सही है क्योंकि यहाँ उत्तरदायित्व विभाजित है। विधान मण्डल व निर्वाचिकां के लिए सारी व्यवस्थाएँ इस बात को निर्धारित करती हैं कि मुरक्षित विषयों का उत्तरदायित्व पार्यंदों के पास और हस्तान्तरित विषयों का मन्त्रियों के पास है। वित्त प्रशासन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है अतः उसके लिए एक अलग बजट आवश्यक है। मन्त्रियों को अपने पद पर बने रहने के लिए निर्वाचित वहुमत पर आधारित होना चाहिए न कि बनावटी आधार पर। संयुक्त विवेचन को अपने निश्चित क्षेत्र में प्रतिवर्द्धित किया जाना चाहिए और संयुक्त निरंय पर पहुंचने की तरफ बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनुभव के आधार पर स्पष्टीकरण के लिए एक और विषय यह है कि क्या विषयों का विभाजन इस तरह सम्भव नहीं था कि सरकार धनार्जन की क्षमता व व्यय की आवश्यकता को शासन के दो भागों में इस तरह वांट देती जिससे एक भाग में सामान्य विकास होता रहता और दूसरे में विभागों का विस्तार किया जा सकता और केवल रोबरोव ये दोनों समान ही रहते। उत्तरदायित्व के गतिरोध को दूर करने के लिए यह भी सुझाव रखा जा सकता था कि मुरक्षित विभागों से सम्बन्धित अनुदान मार्गे व विधेयक विधान मण्डल में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं की जाते केवल उन पर विचार-विमर्श ही होता। १६१६ में दिए गए पुराने सुझाव में एक व्यवस्था यह भी थी कि विदानमण्डल दो पृथक् शासनाओं पर विचार करते समय दो अलग-ग्रन्थ नामों और यदि सम्भव हो तो पृथक् भवन में, अपनी बैठकें करें। भावना की ही भाँति स्वरूप भी महत्वशाली होता है।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि जब शक्ति का हस्तान्तरण किया जाय तो वह वास्तविक व सारणभित होना चाहिए। अगर हस्तान्तरण के लिए बहुत कम विषय उपलब्ध हो तब भी जो कुछ हस्तान्तरित किए जाएँ उनमें बाहरी हस्तक्षेप व नियन्त्रण विल्कुल कम होना चाहिए। यह चाहे सीमित होगा, पर प्रयोग वास्तविक होगा। दूसरे शब्दों में उत्तरदायित्व के अनुरूप शक्ति होनी चाहिए। तभी उत्तरदायित्व विकसित हो सकता है और एक ऐसा आधार हो सकता है जिस पर आगे के हस्तान्तरण की सम्भावनाओं का निरंय निर्भर रह सकता है। १६१६ के अधिनियम में राज्यपाल को मन्त्रियों के ऊपर मिलों प्रतिश्चित व सामान्य शक्तियों स्पष्टरूप से इस सिद्धान्त के बिल्द थीं। उनको निश्चित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए था। बाहरी सत्ता द्वारा सेवाओं की संस्था व उन्हें अनावश्यक नियन्त्रण के विषय न देना इस प्रयोग की सफलता के लिए अधिक उपयुक्त रहता। बल्कि सीधी विधान १६२३ के बजाए १६१६ में नियुक्त किया जाना चाहिए था। हस्तान्तरित

विभागों में नियुक्ति व नियन्त्रण का अधिकार मन्त्रियों के पास रहना आवश्यक है किन्तु इसके पूर्व कि यह प्रयोग प्रारम्भ होता अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। अनुभवहीन मन्त्रियों से प्रशासन में भार्ड भर्तीजावाद, भ्रष्टाचार व शक्ति दुरुपयोग से बचने का एक उपाय यह ही सकता था कि संविधान के प्रभावकारी होने के साथ ही निष्पक्ष लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर दी जाती।

लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि मन्त्रियों को जो शक्ति हस्तान्तरित की गई, उसका उपयोग सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर किया जाना है न कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से स्वतः ही शक्ति का दुरुपयोग रुक्ख जाता है। हम यह देख चुके हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के सम्बन्ध में इस संविधान की भाषा में बहुत अस्पष्टता थी। उनको दूर किया जा सकता था। इस व्यवस्था से हमें यह विश्वास नहीं होता कि संयुक्त उत्तरदायित्व विकसित होगा। संविधान निर्माता सम्मानित बाधाओं को दूर कर सकते हैं।

Further Readings

1. *Kerala Putra* : *The Working of Dyarchy in India.*
(1919—1928)
Bombay, D. B. Taraporewala Sons & co. 1928
chapters. IV, VI
2. *Report of the Indian Statutory Commission, London, His Majesty's stationary office, 1930 pp. 37—65.*

प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन

(भारत में संसदीय शासन पद्धति पर आधारित एक उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरी युगांतरकारी घटना १९३५ के भारतीय अधिनियम के रूप में प्रकट हुई। इस अधिनियम की अपनी पृथक् कोई प्रस्तावना नहीं थी। इस प्रकार इसका उद्देश्य उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था जो १९१६ के अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी। प्रान्तीय स्तर पर स्थापित की गई आंशिक उत्तरदायी सरकारों को अब पूर्ण स्वायत्तशासी सरकारों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा केन्द्रीय स्तर पर एक अंशतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। १९३५ के अधिनियम की महत्ता मात्र पहले की प्रक्रिया को निरन्तर रखते में भी है। यह नई प्रक्रिया भारत को संघीय शासन प्रणाली का आश्वासन प्रदान करती थी। यद्यपि यह अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतें प्रस्तुत संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत नहीं थीं, फिर भी १९३५ के अधिनियम का स्वतन्त्र भारत के संविधान पर जो प्रभाव प्रतिफलित हुआ उसके लिए वह महत्वपूर्ण है।

यहां पर हम १९३५ के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रान्तीय सरकार के बारे में सामान्य रूपरेखा को उस रूप में पुनर्प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे के० टी० शाह द्वारा उनकी पुस्तक प्रोविनश्यल आंटोनोमी (वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड, बम्बई, १९३७, पृ० ४१-४६) में दिया गया है। संयोगवश यह उद्भूत अंश १९३५ के अधिनियम के विषय में राष्ट्रवादी भारतीयों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया को भी प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक नेशनल पब्लिकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसके संपादक जवाहरलाल नेहरू, भाजपा नरेन्द्रदेव तथा के० टी० शाह थे।

सम्पादक

इस शताब्दी के प्रारंभ में भारत के राजनीतिक नेताओं को ऐसा अनुभव हो गया था कि विटिश सरकार से यह अपेक्षा करना असंभव है कि वह केन्द्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रभावशाली शक्ति भारतीय सरकार को हस्तान्तरित करने के लिये तैयार हो सकेगी।

अतः यदि भारतीय जनता शासन कार्य में भाग लेना चाहती थी तो उनके लिये एकमात्र आशा का स्थान, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में तथा अधिक से अधिक निश्चित अवस्थाओं तथा नियंत्रणों के साथ, प्रान्तीय प्रशासन में था। परिणामतः उन्होंने शक्ति के 'विकेन्द्री-करण' की आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने अधिकाधिक संघ में निर्वाचित भारतीयों को स्थानीय संस्थाओं तथा प्रान्तीय सरकारों में सम्मिलित करने की भी मांग की।

लाड़ मौले के समय तक ब्रिटिश राजनीतिश इस देश में संसदीय प्रजातंत्र की संभावना की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। मौल-मिटो सुधारों द्वारा जो परिवर्तन किये गए थे, उनकी समालोचना करने के पश्चात् लाड़ मौले ने लाउंड सभा में यह घोषणा की थी—

"यदि यह कहा जाता है कि सुधारों के इस अध्याय ने प्रत्यक्ष अवश्यकता रूप से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की दिशा में प्रगति की तो मेरे लिए यह मत कभी मान्य नहीं हो सकता।¹

यद्यपि इस घोषणा के पश्चात् छँ वर्ष से भी कम समय में विश्व-युद्ध के प्रारम्भ ने, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को अपने हाप्टिकोण पर पुनर्विचार करने लिए वाध्य किया, किन्तु मौखिक रूप से कुछ परिवर्तन हाप्टिकोचर होने पर भी साररूप में हाप्टिकोण पूर्वकृत ही रहा है।

भारतीय नेताओं के विचारानुसार स्वशासन :

इस दौरान भारतीय नेताओं का हाप्टिकोण अपने अधिकारों के प्रति अनायास ही सचेष्ट हो गया था। अब उन्होंने अपने देश के संपूर्ण प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण की धार करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु वे इनी भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तथा पूँजीवाद द्वारा शोपण के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाये थे। यदि उनमें से कुछ लोगों को वास्तविक स्थिति का आभास था भी तो वे स्वयं ब्रिटिश शासकों से निकट सम्बन्ध बनाये हुए थे। ये सम्बन्ध कुछ इस प्रकार के थे जिनमें वैमतिक निहित स्वार्थ तथा आर्थिक आधार पर वर्ग सहानुभूति के स्तर पर उनमें तादात्म्य था। परिणामस्वरूप उनमें इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग करने की कोई इच्छा नहीं थी। तार्किक संगति के अतिरिक्त यह आरोप लगाया जा सकता था कि वे श्वेत नौकरशाही के स्थान पर देशी नौकरशंही चाहते थे तथा ब्रिटिश शोपक का स्थान भारतीय शोपक वर्ग को देने के इच्छुक थे। अतः उनका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के अन्तर्गत डोमीनियन पद (dominion status) प्राप्त करने से अधिक नहीं था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासकों द्वारा आलकारिक शैली में 'राष्ट्रमण्डल' नाम से सम्बोधित किया जाता है। पूर्ण स्वतन्त्रता का आदर्श तथा इसे वास्तविक रूप से प्राप्त किये जाने पर जिस उत्तरदायित्व का भार पड़ता, उसे स्पष्ट रूप से मात्र प्रदर्शनकर्ता की वस्तु समझ कर अस्वीकार कर दिया। जहाँ तक राजनीतिक सत्ता के माध्यम से समाज के मुनिनिर्माण का

प्रश्न था, वे स्वयं सामाजिक न्याय से पूर्णतः अनभिज्ञ थे तथा राज्य के माध्यम से उसकी प्राप्ति में विश्वास नहीं करते थे। अत. वे अब भी संवैधानिक सुधारों की शब्दावली में ही सोचते थे तथा उसी मापदंड के अनुसार उनका यह विचार था कि १६३५ का अधिनियम अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर सका है।

संविधान का क्षेत्र व उद्देश्य :

संविधान द्वारा प्रान्तीय स्वायत्त शासन किस स्वरूप में तथा किस सीमा तक प्रदान किया जा सका इसका हम आगामी पृष्ठों में निश्चित चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक तथा ठोस विधि से कुछ प्राप्त कर सकने की इस नवीन व्यवस्था के संदर्भ में सम्भावनाओं पर भी विचार करना होगा। परन्तु यहाँ इस नवीन संविधान की प्रमुख विशेषता के सम्बन्ध में यह सामान्य विचार प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा कि इसके कुछ लक्षण जैसे, सुरक्षित स्थानों और सुरक्षाओं की स्पष्ट व्यवस्था, शर्तों और सीमाओं की ओर विशेष रूप से सकेत और केवल उन दिशाओं का निर्देशन जिनमें सरकार कियाशील हो सकती हो—इन सबने संयुक्त रूप से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे साम्राज्यवादी भार एवं शोपण की नीतियों से बचाव की कोई सम्भावना नहीं रही।

१६१६ के अधिनियम की आधारभूत योजना

१६१६ का अधिनियम प्रस्तुत चार सिद्धान्तों पर आधारित माना जाता था :

- (१) नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं की वाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता तथा उन पर पूर्ण लोकप्रिय नियन्त्रण।
- (२) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने की दिशा में अधिकाधिक प्रयास जोकि भारत सरकार के संसद के प्रति अन्तिम उत्तरदायित्व के अनुकूल हो।
- (३) भारत में भारत सरकार की सर्वोच्च सत्ता, जो संसद के प्रति उसके उत्तरदायित्व को निहित करती हो।
- (४) संसद के नियन्त्रण में स्थानीय उत्तरदायित्व तथा प्रान्तीय स्वायत्तता के विकास में क्रियक उदारता।

१६३५ के अधिनियम में परिवर्तन

इन सब संदर्भिक प्रश्नों पर १६३५ का अधिनियम आमूल परिवर्तन की घोषणा करता है।

(१) द्वितीय संसद की संप्रभुता का सिद्धान्त:

द्वितीय संसद की सर्वोच्चता तथा भारत के संरक्षण के मिदान्त का पूर्णतः परित्याग नहीं किया गया है। वस्तुतः सपूर्ण भारत के संघ में, रियासतों को सम्मिलित करने की समा-

वहा ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता को उन क्षेत्रों तक विस्तृत कर देती है जो इस संघ के प्रारंभ होने से पहले स्पष्टतः प्रकट रूप में इम संप्रभुता य नवोच्चता के प्राधीन नहीं थे। इस शृंखला के एक अन्य प्रबन्ध के अन्तर्गत भारतीय स्वायत्ता के घादर्ण की दिशा में भारतीय राज्य अथवा राष्ट्रमण्डल में देशी रियासतों के विलय सम्बन्धी साधन का निश्चित मूल्यांकन किया गया है। सरकारी धोन चाहे कितना भी सीमित हो अथवा उसका व्यवहृत रूप चाहे कितना ही संकीर्ण हो, इस संदान्तिक स्थिति को स्वीकृति देने के पश्चात् उनका आग्रह था कि इस सुधार को मोन्ट-फोड़ रिपोर्ट व १६१६ के अधिनियम की प्रस्तावना में प्रस्तुत सुधारों की पूर्ति के सदर्म में ही देता जाना चाहिए।^२

(२) केन्द्रीय नियन्त्रण में हील :

भारत सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों पर नियन्त्रण अथवा आधिपत्य में दी गई हील तथा प्रान्तीय विधान सभाओं में वहुमत प्राप्त दल में से उत्तरदायी मंत्रिमण्डल के सिद्धान्त को मान्यता नीति में मूलद. उसी प्रवृत्ति की परिचायक है जिसको भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थक सद्भावना तथा रचनात्मक राजीतिमत्ता का प्रमाण मानते हैं।

प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों का उत्तरदायित्व जहाँ तक कि वे एक मुण्ठित निकाय के रूप में रह सकती थी, इतना परिसियतिवद है, गवर्नर द्वारा अपने मंत्रिमण्डल के चयन के नियम इतने कठोर हैं तथा प्रान्तीय सरकारों का कार्य धोन इतना भूमिका संकुचित है कि प्रान्तों में सरकार को न तो वास्तविक स्वायत्ता प्राप्त हो सकती है और न ही भारत सरकार से किसी प्रकार की स्वतन्त्रता।

भारत सरकार का नगण्य विषयों के सदर्म में नियन्त्रण कम हो सकता है योकि मूल रूप में गवर्नर जनरल की सधीय-कार्यपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से अर्जित शक्तियाँ, १६१६ के अधिनियम की तुलना में अधिकाधिक प्रभावशाली और विस्तृत ही होगी। यदि राजसत्ता के प्रतिनिधि, बाइसरॉय तथा गवर्नर जनरल की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में समाहित हों तो यह बात अधिक सही प्रतीत होती है।^३ संसदीय नियन्त्रण में हील

२ “इपेक्षि यह संसद भी धोयित नीति है कि वह भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा से भारतीयों को अधिकाधिक सम्बद्ध करेंगी और ब्रिटिश भारत के एक अवृण्ड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में स्थानीय सम्भालों के नामिक विकास को व्यवस्था करेंगी।”

३ सी० पी० बड़ ३ भारत सरकार अधिनियम १६३५

गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत में सम्मान द्वारा शाही धोयणा के द्वारा इन शक्तियों के साथ की जाती है—

अबे सभी शक्तियाँ तथा कर्तव्य जो इम अधिनियम द्वारा प्रदान किये गए हैं, तथा

ब. सम्मान की वे अन्य शक्तियाँ जो भारतीय रियासतों के सदर्म में राजमुकुट के कार्यों को निहित भारती हैं, तथा जिन्हें सम्मान गवर्नर जनरल को देना चाहता है। भारतीय रियासतों के सदर्म में राजमुकुट के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सम्मान द्वारा अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तथा उसके बार्तव्य व शक्तियाँ होती हैं जो सम्मान उसे प्रदान करे। ये वे शक्तियाँ या कार्य नहीं हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की दी गई हैं। सम्मान कानूनी रूप से उपरोक्त दोनों पदों के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है।

आ जाना भारत में स्वशासन के विकास का तर्कसंगत परिणाम था, किन्तु भारत के संदर्भ में १९३५ के अधिनियम का वह अर्थ नहीं है जो वेस्टमिन्स्टर के अधिनियमों का उपनिवेशों के विषय में होता है। संसद का नियन्त्रण व्यापक तथा प्रभावशाली दोनों है। वह भारतीय राजनीतिगत का अध्येता, जो इस नियन्त्रण से सम्बन्धित १९३५ के अधिनियम की उपेक्षा करता है तथा उनके उद्देश्य व प्रभाव से अनभिज्ञ रहता है, अतः साम्राज्यवादी राजनीति के निहित तथ्यों की ही उपेक्षा करेगा।

भारत में संघ की उल्लेखनीय विशेषताएँ

यही पर १९३५ के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों व कार्यों का जो वितरण हुआ उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह इंगित कर देना आवश्यक होगा कि भारत का संघ विश्व के अन्य सभी संघों से दो महत्त्व पूर्ण पक्षों में भिन्न होगा :

१. निर्माण करने वाली इकाइयाँ संप्रभुता तथा स्तर की हृष्टि से समान नहीं है। सम्मिलित होने वाली रियासतें कुछ मात्रा में स्थानीय हृष्टि से संप्रभु व स्वतन्त्र होंगी। किन्तु इसका दावा ब्रिटिश प्रान्त स्वयं सर्वोच्च सत्ता की रचना होने के कारण कभी नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर, प्रान्त आर्थिक हृष्टि से विकसित तथा सामान्य हृष्टि से उपत है जिसका भारतीय रियासतों में न केवल अभाव है अपितु वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वाधक भी हो सकती है। एक सामान्य सरकार अथवा प्रशासन की माँग करने की अथवा साथ कार्य करने की प्रवृत्ति भी संघीय शासन के इन दो भिन्न निर्माण करने वाले तत्त्वों में समान नहीं रह सकती है। यही स्थिति उनसे सम्बन्धित आदर्शों तथा अन्तिम उद्देश्यों के विषय में भी है।

२. विषमता का अन्य पक्ष संघ तथा उसके निर्माणकारी तत्त्वों के मध्य शक्तियों व कार्यों के वितरण से सम्बन्धित है। जहाँ प्रान्तों को अधिनियम द्वारा कुछ निश्चित कार्य स्पष्ट रूप से प्रदान किये गए हैं तथा कुछ कार्य केन्द्रीय सरकार के साथ समर्वर्ती रूप से दिये गए हैं (जिनके सम्बन्ध में संपर्य होने पर निश्चय ही केन्द्रीय सरकार को सर्वोच्चता प्राप्त होगी) वही रियासतें संघीय सत्ता को मात्र वे कार्य अथवा शक्तियाँ, उन शर्तों तथा प्रावधानों के साथ देंगी-जो संघ के साथ रियासतों के विलय पश्च में लिखित होंगी (अनुच्छेद ६)। प्रान्त संसद के अधिनियम द्वारा संघ का भाग बना दिए गए हैं, जबकि रियासतें एक ऐसे विलय पश्च द्वारा इस संघ का भाग बनेंगी जिस पर प्रत्येक राज्य के शासक द्वारा उन सब शर्तों, अर्थों तथा व्यवस्थाओं के साथ हस्ताक्षर किये गए हैं और वे गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। ४

संघीय विषयों की सूची (सातवी अनुसूची के १०० वें अनुच्छेद) में ५६ विषय निहित हैं जिनमें से मात्र ४७ का रियासतों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। यह सम्भव है कि

४ देखिये १९३५ के अधिनियम के विशेष रूप से अनुच्छेद २ तथा ६ तथा १२२-१२६

क्रियान्वयन की स्थिति में ये विलय पत्र १६३५ के अधिनियम की उन धाराओं से समानता प्रदर्शित करेगे, जिनके बिना सख्तारी तंत्र का संचालन असम्भव होगा। तथापि रियामतों में संघीय सरकार का संपूर्ण संदर्भ प्रान्तों से पूर्णतः भिन्न है। परिणामतः प्रस्तावित संघ में इन दोनों भागों का कार्य मूलतः भिन्न होगा।

भारत के बाहर संप्रभु शक्ति :

इन दो भिन्न, तथा कुछ सीमा तक परस्पर विरोधी आधारों पर निर्मित प्रस्तावित भारतीय संघ के सविधान में दो अन्य निहित दुर्बलताएँ भी जो भविष्य में संपूर्ण देश को सामूहिक रूप से एक बने रहने के विषय में अधिक आशावादी नहीं बनाती।

भ्र-सर्वोच्च सत्ता (संपूर्ण सप्रमुता) भारत में निहित नहीं है : यह एक बाहु शक्ति भे निहित है—जो ब्रिटेन में स्थित सम्माट तथा संसद में सामूहिक रूप से (king-in parliament) है। ऐसे क्षेत्र है जिनके अन्तर्गत भारतीय संघ कारबाई नहीं कर सकता। यह कारबाई उस स्थिति में भी नहीं हो सकती जब भारतीय सभ संघटक की (constituent) इकाइयों का इसको समर्थन प्राप्त हो यद्योंकि इनको संयुक्त रूप अथवा पृथक् रूप से ऐसा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अधिनियम में ऐसे विषय भी हैं जिनके सम्बन्ध में संघीय सरकार विधि-निर्माण नहीं कर सकती है यद्योंकि न तो उसको और न ही उसकी सघटक इकाइयों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार के विषयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय स्वयं सवैधानिक संशोधन में रामबन्धित है। ब्रिटिश सम्माट तथा संसद की सहस्रति के बिना भारतीय सवैधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चाहे देश के सम्पूर्ण भाग की जनता और उसके विभिन्न बँगों द्वारा ही यह माँग क्यों न उठाई जाए।

ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च सत्ता :

यद्यपि भारतीय जनता संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती किन्तु इस क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई है। इस नई शासन व्यवस्था का प्रारम्भ विभाजन से किया गया है—बर्मा को भारत से पृथक् कर दिया गया है। इस विभाजन का समर्थन बर्मा की जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार के आधार पर किया जा सकता है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि सवैधान की वास्तविक धाराएँ इस बात के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती हैं कि बर्मा का विभाजन पूर्णतः बर्मावासियों को आत्म-निर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए किया ही गया था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि यह उचित दिशा में प्रयास था, फिर भी यह उदाहरण मूलनीति में पृथक्तावादी प्रवृत्ति के प्रभाव को दर्शाता है। वह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अंततः सभ की सत्ता को दुर्बल करेगी। यहाँ तक कि संघ तथा उडीसा का पृथक् प्रान्तों के रूप में निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई उसी अल्पपूर्ण प्रवृत्ति का ही उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई को इतना शक्तिशाली बनने का अवसर दिया गया कि वह केन्द्रीय सत्ता के लिए खतरा बन सके।

संयोगवश इस प्रवृत्ति के साथ मुसलमानों में पृथक्तावादी प्रवृत्ति जो सिध तथा अन्य स्थानों पर अभिव्यक्त होती है, ब्रिटिश सरकार की पृथक्तावादी नीति के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। इस दिशा में वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कम से कम आधी शताब्दी के लिए ब्रिटिश नीति के असफल होने की कोई संमावना नहीं प्रकट होती ब्योकि इन प्रदेशों के लोग ब्रिटिश सरकार के राजनय को समझने योग्य नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमान गुट की रचना, जो परम्परागत पश्चिमी एशियाई देशों के निकट है, सर्वइस्लामी स्वन का आभास नहीं है। यह राष्ट्रवादी भारत के सरकार के सिर पर लटकती हुई 'डिमोक्रेसी की तलवार' है। यदि वह एक संयुक्त अथवा अखण्ड भारत का इच्छुक है तो उसे साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रति स्वामिभक्त रह कर अनिवार्यतः आधीनतापूर्वक सहयोग करना होगा अन्यथा अधिनियम में निहित विभाजक शक्तियों का दबाव भारतीय एकता को समाप्त कर देगा। पंजाब, सिध तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त जैसे प्रांत इतने सजातीय हैं तथा उनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वे सहज रूप से पृथक होने की घमकी दे सकते हैं। यह स्थिति उग्र राष्ट्रवादी भारतीयों के मात्र कल्पनाजन्य दुसर्वा को वास्तविकता में परिणत कर सकती है। जब तक भारत की एकता और ब्रिटिश अखण्डता साम्राज्यवादी सत्ता को सुविधाजनक होगी तब तक भारतीय संघ की सहायता की जाएगी, उसे सशक्त किया जाएगा। स्थानीय स्वायत्तता के प्रति ब्रिटिश सम्मान को विस्मृत करते हुए भी यह किया जाएगा। लेकिन जिस क्षण भारतीय संघ अथवा उसका कोई भाग ब्रिटिश साम्राज्यवादी आधिपत्य के विरुद्ध प्रभावशाली उद्धण्डता प्रदर्शित करेगा उसी क्षण विभाजक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के अनुकूल साम्राज्यिक भावनाओं को उकसाया और नियन्त्रित किया जाता है।

इस प्रकार १६३५ के अधिनियम में गूढ़-युद्ध के बीज विद्यमान हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है जो संघर्ष उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हैं। साथ ही युद्ध-प्रारम्भ करने की प्रभावपूर्ण शक्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि-गणनर जनरल में पूर्णतः निहित कर दी गई है। वे रियासतें भी, जो स्वेच्छा में संघ की सदस्यता प्रहरण करने वाली हैं तदुपरांत अपनी सुविधानुभार संघ से पृथक् नहीं हो सकती हैं। चाहे उससे उनके स्थानीय हित अथवा व्यक्तिगत विचार विवेने ही दुष्प्रभावित बयों न होते हों। अनुच्छेद ६ (५) तथा अनुच्छेद ४५ (४) ^५ यह व्यवस्था करते हैं कि १६३५ के अधिनियम में किसी

५ अनुच्छेद ६ (५) के अनुसार “ग्रन्थेन विनय पत्र में यह गते होगे कि इस अधिनियम की व्यवस्था”, जो यही द्वितीय अनुमती में दी गई है, रियासतों के विनय को प्रभावित हिए दिना समद् अपवा संग्रह द्वारा प्राप्त शक्ति से संशोधित की जा सकती है। रिन्टु शोई ऐसा शाश्वत उत्तरियागत के संदर्भ में विनय पत्र द्वारा सम्पाद अवश्य संघीय रूप से प्रदान दी गई रिनी भी शक्ति से विस्तृत नहीं रहेगा जबकि कि वह शक्ति एक पूरक वित्तन-पत्र के माध्यम से रियासत के शासक द्वारा स्वीकार न कर सके गई हो।

परिवर्तन की स्थिति में अथवा किसी अधिनियम द्वारा संविधान के तीन वर्षों तक निलंबन की दशा में रियासतों को संघ से निकालना उचित होगा । किन्तु संघ का परिस्थिति करने की यह शर्त है कि पृथक्करण की यह इच्छा केवल एक और से अर्थात् रियासतों की इच्छा से ही प्रारम्भ नहीं हो । वस्तुतः राज्यों को दो विशिष्ट परिस्थितियों में संघ से पृथक् होने का अस्पष्ट अवसर देना यथार्थ में उन उग्र भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक धमकी है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चगुल से भारत को पूरएं मुक्ति दिलाना चाहते हैं । इस धमकी में निहितार्थ यह है कि यदि भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित उचित सीमा से आगे अपनी "विद्वंसकारी" गतिविधियों को बढ़ाते हैं तो ब्रिटिश सरकार संपूर्ण देश को विघटित कर देगी ।

शक्तियों व कार्यों का वितरण :

व-संघ व उसकी इकाईयों के मध्य शक्ति के कार्यों तथा दायित्वों का वितरण भी अंततः ब्रिटेन की संप्रभुता तथा आधिपत्य को ध्यान में रखकर किया गया है । जब हम प्रान्तों के आर्थिक साधनों की चर्चा करते हैं तब हमें यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि किस प्रकार ब्रिटेन की सर्वोच्चता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखने के लिए वे नष्ट कर दिए गए हैं । रियासतों द्वारा वे साधन व शक्तियाँ सधीय सत्ता को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जो संघीय संरचना के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए संघ में शामिल होने वाली प्रत्येक रियासत सिद्धान्तः आवश्यक मानती हैं । परिस्थितिवश रियासतों को अपनी शक्तियाँ प्रदान करनी पड़ेंगी अथवा कुछ स्रोत प्रदान करने पड़ेंगे जो निश्चय ही स्थानीय विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को सीमित कर देंगे । इस अधिनियम के विस्तृत व्यौरो तथा आधारभूत सिद्धान्तों में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो इस संदेह को स्पष्ट कर देती हैं कि प्रान्तीय स्वायत्तता के विचार का विकास उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जब तक वह ब्रिटिश संप्रभुता को चुनौती नहीं देता अथवा जहाँ तक वह साहसपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि के विरुद्ध प्रभावशाली शक्ति प्रभासित होता है ।

इस प्रकार, प्रस्तावित संघीय व्यवस्था की इकाईयाँ अपने क्षेत्र की जगता के कल्याण के लिए किसी महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक कार्य कर सकने की क्षमता से अत्यधिक नियंत्रित हैं । वे नियंत्रित कर सकती हैं, जैसे उनमें राजनीतिक भावना का अभाव है, वास्तविकता

अनुच्छेद ४५ (४) के अनुतार—

"यदि इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा से किसी भी समय भारत सरकार निरन्तर तीन वर्ष तक कार्य करती है तो उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उस घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा । तब संघ की सरकार का सचालन इस अधिनियम की क्षम्य व्यवस्थाओं के अनुसार होना विस्तेर संसद आवश्यक परिवर्तन कर सकती है । किन्तु इस अनुच्छेद से संसद की शक्ति में ऐसा व्यापक प्रतार नहीं होगा कि वह रियासत के विलय को प्रभावित किए बिना इस अधिनियम में संशोधन कर सके ।

इसका अर्थ यह है कि संविधान में व्यापक अथवा आमूल परिवर्तन या उसके तीन वर्ष तक निलंबित होने की स्थिति में संघटक राज्य संघ छोड़ सकते हैं ।

की भ्रमभूति का अभाव है अथवा सहयोगपूरण ढंग से कार्य कर सकने की क्षमता का अभाव है किन्तु उन्हें राष्ट्रीय अथवा स्वानीय स्तर पर उस विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई साधन प्राप्त नहीं हैं जो विदिश साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल नहीं हों। प्रान्तीय स्वायत्तता में केन्द्र न्यूनतम् हस्तक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार को बहाने मात्र की आवश्यकता होगी तथा निश्चित रूप से किंचित् प्रशासनिक दक्षता अथवा प्रगति पर बल देने के लिए उसे हस्तक्षण का अवसर मिल सकेगा। प्रत्येक प्रान्त को अपने क्षेत्र की जनता के विकास से सम्बन्धित साधनों को उद्घात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक रियासतों का प्रश्न है, यह निरपवाद मानना होगा कि वे पर्याप्त पिछड़ी हुई हैं। अतः वे भौतिक विकास की दृष्टि से पिछड़ी ही रहेगी। किन्तु उत्पादन रहित विशाल ऋण का अस्तित्व, अध्यधिक निराशापूरण व्यव-साध्य सुरक्षा संगठन, तथा सरकार के सभी विभागों की अधिकतम वेतनमोगी प्रशासनिक सेवाएँ—इन सबके विद्यमान रहते हुए प्रान्तों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि को प्राप्त करना पूर्णतः असम्भव लगता है। अतः जो भी स्रोत्र प्राप्त हैं, उन्हें आने वाले कई वर्षों तक विदिश साम्राज्यवाद के स्थायित्व के लिए लगाना पड़ेगा। परिणामस्वरूप प्रान्त तथा रियासतें आने वाली एक या अधिक पीढ़ियों तक अपने लोगों के जीवन स्तर को उठाने में सफल नहीं हो सकेंगी।

केन्द्र इकाइयाँ

क्या केन्द्रीय अथवा संघीय सरकार प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं या इकाइयाँ शक्तिशाली हैं ? १६३५ के अधिनियम के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। जैसाकि कहा जा चुका है— संघीय सरकार के लिए पर्याप्त सत्ता सुरक्षित रखी गई है, विशेष रूप से किसी भी संभव संकट में केन्द्रीय सरकार की सत्ता को बनाये रखने के लिए गवर्नर जनरल को विशेष रूप से पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं। यदि यह भी पर्याप्त न हों तो एक उद्घोषणा द्वारा वह संपूर्ण संविधान को निलंबित कर, संघीय व्यवस्था को स्थगित कर तथा व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के पश्चात् संपूर्ण शक्तियाँ स्वयं में निहित कर सकता है।^६ अधिनियम के अनुच्छेद १२ में उसके विशिष्ट उत्तरदायित्वों का अध्ययन यदि अधिनियम की वित्तीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाए तो यह प्रमाणित हो जाता है कि उस प्रत्येक दिशा में,

६ अनुच्छेद ४६ (१) के अनुसार : यदि किसी भी समय गवर्नर जनरल इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जबकि संघीय सरकार इस अधिनियम के अनुसार काम नहीं कर सकती है तो वह एक उद्घोषणा द्वारा—

(अ) यह घोषणा कर सकता है कि उसके कार्ये उद्घोषणा में घोषित सीमा तक उसके वैयक्तिक नियंत्रण पर बाधारित होगे (अ) वह इव्यं उन शक्तियों में से कतिपय हस्तातित कर सकता है जो किसी संघीय संघवा अथवा सत्ता द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। ऐसी उद्घोषणाएँ कुछ अन्य व्यवस्थाएँ निहित कर सकती हैं जो उसके विचार से उद्घोषणा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा बाढ़-नीय प्रतीत होती ही है।

जिसमें भारत पर विटिश नियन्त्रण को बनाए रखना है, गवर्नर जनरल को इस प्रकार की सत्ता एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो विटिश माम्राज्य को शक्तिहीन अथवा विषट्ठित करने के किसी भी प्रयास का दमन करने हेतु पर्याप्त होंगी।

यद्यपि गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यपालिका के रूप में भारत के शासन-संचालन के प्रत्येक पक्ष में सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि सधीय सरकार भी उतनी ही शक्तिशाली है। गवर्नर जनरल सधीय सरकार से, जिसका अर्थ मन्त्रिमण्डल से है, पर्याप्त भिन्न है। (सधीय मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ पर्याप्त रूप से सीमित हैं।) प्रान्तों का कार्य निश्चित है, जो सधीय सरकार की सत्ता तथा प्रभाव-शेष से पृथक् है। यद्यपि यह इतना पर्याप्त नहीं है कि स्थानीय विकास की दिशा का स्वयं निर्धारण कर सके। इन परिस्थितियों में निश्चित तथा सतोपजनक रूप से उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ उस स्तर तक रखी गई हैं जिसके पश्चात् वास्तविक प्रान्तीय स्वतंत्रता की अपेक्षा करना असंगत है। यदि कोई प्रान्त समावर्ती विषयों के क्षेत्र में भी केन्द्र का मुकाबला करना चाहेगा तो उसे मात्र द्वितीय स्थान ही प्राप्त होगा।

सध तथा संध का निर्माण करने वाली इकाइयों में शक्तियों के वितरण के अतिरिक्त भी ऐसे मामले हैं जिनमें उनके कार्य पारस्परिक तथा परस्परव्यापी हैं। अतः इस प्रकार के मामलों के लिए अधिनियम के भाग IV के अनुच्छेद १२२-१३५ में व्यवस्थाएँ दी गई हैं। अधिनियम का यह अंश इस सामान्य सिद्धान्त से प्रारम्भ होता है कि—

“प्रत्येक प्रान्त तथा सध में सम्मिलित रियासत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उस प्रान्त अथवा रियासत में क्रियान्वित सधीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधि के लिए सम्मान प्राप्त हो सके। (१२२) ”

सधीय व्यवस्थापिका के कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग करते समय पारस्परिकता के आधार पर निश्चय ही स्थानीय इकाइयों के हितों पर भी ध्यान दिया जाए। किन्तु जहाँ तक प्रान्तों का प्रश्न है, गवर्नर जनरल किसी भी गवर्नर को उसके क्षेत्र के जन-जातीय प्रदेशों तथा सुरक्षा, वैदेशिक संवर्ध तथा धार्मिक मामलों के विषय में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के निर्देश दे सकता है। (अनुच्छेद १२३)

संध की कार्यपालिका शक्ति भी गवर्नर-जनरल द्वारा ऐसे किसी मामले में, जिसमें प्रान्त की सरकार स्वीकृति देती है, सशर्त अथवा विना किसी शर्त के प्रदान की जा सकती है। १२४ (१)

इसी प्रकार सधीय व्यवस्थापिका भी, प्रान्तीय सरकार को, उसके अधिकारियों व संस्थाओं के लिए उन विषयों से सम्बन्धित दायित्व अथवा शक्तियाँ सीप सकती हैं जो अन्यथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका के विधि-निर्माण के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

ऐसे ही मामलों में व्यावहारिक रूप से अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी क्योंकि जिस विधि को क्रियान्वित किया जाएगा वह सधीय होगी। अतः यह संभव नहीं अपितु

आवश्यक होगा कि सम्बन्धित संघीय अधिकारी उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्टीकरण व निर्देश भेजें। इसके बावजूद प्रत्येक कानून की क्रियान्विति का होना उस प्रान्तीय सरकार के अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता है। प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों को इन कानूनों की क्रियान्विति हेतु उचित शक्तियाँ प्रदान करनी पड़ेगी तथा केन्द्रीय सरकार स्वामानिकतः ऐसे अधिकारियों को बेतन देगी जो इन संघीय कानूनों को क्रियान्वित करने में व्यस्त होंगे १२४ (४)। किन्तु यह स्वयं संपूर्ण सम्भावित कठिनाइयों तथा व्यवधानों को समाप्त नहीं कर देता है। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसमें प्रान्तीय सरकार संघीय सरकार के विपरीत मामलों में रुचि रखती है, तभी प्रान्तीय अधिकारी एक और प्रान्तीय भावना के प्रति निष्ठा एवं दूसरी ओर संघीय सत्ता के प्रति कर्तव्य के बीच दुविधा-पूर्ण कठिनाई का अनुभव करेंगे और केन्द्रीय सत्ता स्वार्थमत्ति में कभी अनुभव करेंगे जो उनकी सेवाओं के बदले उहैं बेतन प्रदान करेंगी।

साधारणतः ऐसी परिस्थिति में गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से निरीक्षण करवा कर स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। ये निरीक्षक भी संघीय निरीक्षण आयोग का कार्य करेंगे जबकि अधिनियमों का वास्तविक क्रियान्वयन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से अनुच्छेद १२६ में उल्लिखित है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करने का निर्देश दिया गया है जिससे वे सध की कार्यपालिका शक्ति को क्रियान्वित करने में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न करें। संघीय कार्यपालिका को इस उद्देश्य से प्रान्तीय सरकार को ऐसे निर्देश देने का प्रधिकार दिया गया है जो उसकी हापि में अनिवार्य हों। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार को निर्देश देने की यह शक्ति मात्र मुख्य संघीय विषयों तक ही सीमित नहीं है अपितु यह समवर्ती सूची में निहित किसी विषय पर संघीय सरकार द्वारा बनाये गये कानून को उस प्रान्त में लागू करने के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम संचार के साधनों की व्यवस्था को लें तो संघीय कार्यपालिका किसी भी प्रान्तीय सरकार को निर्देश दे सकती है कि संचार के साधनों का किस आधार पर निर्माण व उनकी देखभाल की जाए—इसके अतिरिक्त संचार के उन साधनों पर तो नियन्त्रण पूर्णतः पृथक् रूप से होगा ही जो देश की सुरक्षा की हापि से प्रत्यक्ष रूप से संघीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

यदि कोई प्रान्त इस प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो गवर्नर जनरल को अपने वैयक्तिक निर्णय की शक्तियों के आधार पर कार्य करते हुए इस प्रकार के निर्देश उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में गवर्नर को देने वाला अधिकार प्राप्त है, १२६ (४)। ये आदेश उस कार्यविधि के विषय में भी दिए जा सकते हैं जिस रूप में प्रान्तीय कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग भारत तथा उसके किसी भाग की सांति तथा व्यवस्था के भंग होने की आशका के गम्भीर संकट को रोकने के उद्देश्य से करे। ऐसी व्यवस्था बड़ी भासानी से उस प्रान्तीय सरकार को कठिनाई में डाल सकती है जो राष्ट्रीय (अथवा समाजवादी) मांदोलन से सहानुभूति रखती हो और जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार

को यह आभास हो कि यह स्थानीय सरकार किसी एक समुदाय की पक्षपाती या दूसरे की विरोधी है। किसी भी प्रान्त में इस प्रकार की परिस्थिति तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक गवर्नर कानून द्वारा प्रदान किये गए अपने अधिकारों का शब्दाशः उपभोग करता है। यदि गवर्नर संयोगवश राष्ट्रवादी (अथवा समाजवादी) पत्र की ओर कुछ सहानुभूति रखता भी है तो भारत सरकार ने अपने पास ऐसे लोगों से अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ सुरक्षित रख द्योड़ी हैं।

प्रसारण

भारत की अर्थ-व्यवस्था में दो भृत्यव्युत्पूर्ण विषय हैं, जिनमें से एक अपेक्षाकृत आधुनिक है जबकि दूसरा अनादि काल से महत्व का रहा है। ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर संघीय तथा स्थानीय अधिकारियों में संघर्ष हो सकता है। जहाँ तक प्रसारण का प्रश्न है, प्रान्तीय सरकारें इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम हैं जो उन्हें प्रात में ट्रांसमीटर बनाने अथवा उनका उपयोग करने योग्य बनाए तथा साथ ही ट्रांसमीटर के निर्माण तथा प्रयोग पर, व ग्रहण करने वाले यंत्र के प्रयोग पर उन्हें शुल्क लगाने का भी अधिकार प्रदान करे। ७ संघीय सरकारें अपने स्वर्य के लिए इस प्रकार के पृथक् यंत्र रख सकती हैं जिन पर किसी भी प्रान्त अथवा रियासत का अधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यन्त्रों तथा संयन्त्रों के विषय में, जो पूर्णतः प्रान्तीय अधिकार क्षेत्र में हैं, संघीय सरकार उन कार्यों को करने के लिए प्रान्तीय सरकारों पर विभिन्न शर्तें भी लगा सकती हैं जिनमें ऐसी सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था भी निहित है। किन्तु संघीय सरकार ऐसी शर्तें ही लगा सकती जो प्रान्तीय यन्त्रों द्वारा प्रसारित होने वाले विषयों को भी नियन्त्रित कर सकें [१२६ (२८)] तथापि सपूर्ण भारत अथवा उसके किसी अंग की शाति व सुरक्षा का प्रश्न जिसका निर्धारण गवर्नर जनरल करेगा, इसका अपवाद है।

जल-व्यवस्था

जहाँ तक जल व्यवस्था का प्रश्न है, इन दोन विशेष रूप से उन विशाल नदियों पर, जो एक से अधिक प्रान्तों तथा रियासतों में से होकर प्रवाहित होती हैं, व्यापक रूप से सिचाई योजनाओं का निर्माण हो रहा है। सम्बन्धित प्रान्तों की इकाइयों के मध्य संघर्ष की सम्भावनाएँ निस्सन्देह अत्यधिक हैं। एक रियासत अथवा प्रान्त जिसके मध्य में होकर कोई एक नदी बहती है, उसके लिए इस सीमा तक निर्धारित प्रवाह को रोकना, अथवा नदी के मार्ग को बदलना या उसके जल का निकास करना सम्भव है कि बाद के क्षेत्रों में, जहाँ वह नहीं पहुंचती हो, इतना भी जल नहीं बचा पाए कि वह उस क्षेत्र की भूमि में सिचाई करने के लिए पर्याप्त हो। उस राज्य में, जिसे पूर्ण मात्रा में जल नहीं मिल सका है, संपूर्ण

भर्ये व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः इस अधिनियम के अनुच्छेद १३०-१३४ के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी प्रान्त अथवा रियासत द्वारा गवर्नर जनरल में इस प्रकार की शिकायत की जाए तो गवर्नर जनरल इसकी निपक्ष जांच के लिए एक उपयुक्त आयोग की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार से आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जब गवर्नर जनरल द्वारा दिये गए निर्णयों अथवा आदेशों का रूप ग्रहण करेंगी तो उसको नियन्त्रित करने हेतु उसे पूर्णहेम कानूनी रूप प्राप्त होगा।^६ स्पष्ट रूप से उस राज्य अधवा रियासत को, जो इस फैसले को अन्यायपूर्ण मानता है, परियद द्वारा सम्मान से प्रत्यक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया है किन्तु सम्मान तथा संसद का सामूहिक निरांय उस मामले में अन्तिम माना जाएगा। इस प्रकार का निर्णय गवर्नर जनरल द्वारा दिये गए विपरीत निरांय को ही अवैध नहीं करेगा—अपितु उस निरांय के विपरीत परित स्थानीय विधेयक तथा कार्यपालिका के आदेश भी उस सीमा तक अवैध हो जाएंगे।

इस अधिनियम का १३५ वाँ अनुच्छेद गवर्नर जनरल की सिफारिश पर एक प्रान्तों की परियद की स्थापना की व्यवस्था करता है। यह परियद प्रान्तों के मध्य किसी विवाद की जांच कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह एक से अधिक संघीय इकाइयों के सामान्य हित के विषयों पर भी विचार-विमर्श कर सकती है। यह तत्सम्बन्धी नीति में समायोजन प्राप्त करने के लिए भी सिफारिश कर सकती है। कुल मिताकर यह संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य आतंरिक सहयोग प्राप्त करने हेतु एक अपरिष्कृत, व्यवसाध्य किन्तु आवश्यक साधन है।

Further Readings

1. *Coupland, R.* : *The constitutional problems in India*, Oxford, 1944, pt. I, pp. 149-159 pt. II, pp. 1-154.
2. *Kelth, A. B.* : *A constitutional History of India*, (1600-1935) Allahabad, Central Book Depot, 1973 pp. 319-520.
3. *Masaldan, P. N.* : *Evolution of Provincial Autonomy in India*, Bombay Hind Kitabs, 1953, pp. 51-135.

भाग २

भारतीय संविधान की संरचना तथा स्रोत

सफल संविधान पर एक टिप्पणी

भारतीय संविधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आकस्मिक चितन का प्रतिफल नहीं था। यह चितन हमारे स्वाधीनता आनंदोलन के साथ-साथ विकसित हुआ था। वस्तुतः 'नेहरू रिपोर्ट' (१९२८) हमारी संवेदनात्मक प्रतिभा का प्रथम निदर्शन थी। यद्यपि हमारी संविधान रचना कई आन्तरिक एवं बाह्य घटकों से प्रभावित हुई परन्तु हमारे संविधान की मूल आत्मा विशुद्ध रूप से भारतीय है। हमने अन्य संविधानों की संरचनाओं व व्यवहारों को उन्मुक्त रूप से भारतीय वातावरण व आवश्यकताओं से अन्तःक्रिया करने का अवसर दिया। स्वदेशी, विदेशी प्रभाव व स्वातंत्र्योत्तर भारतीय आवश्यकताओं की इस अंतःक्रिया के पश्चात् जो सार-तत्त्व प्राप्त हुआ वह भारतीय संविधान का मूलाधार बना। भारतीय संविधान विभिन्न प्रभावों के अंधानुकरण का परिचायक नहीं है, वह सहज रूपान्तरण की भारतीय क्षमता वा उदाहरण है। यही कारण है कि इसमें विभिन्न आवश्यकताओं उद्देश्यों व सामाजिक-आर्थिक यथार्थ के बीच समायोजन निहित है। इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, व समाजवाद के बीच समन्वय पर बल दिया गया है, उन्हें परस्पर विरोधी नहीं समझा गया। संविधान में निहित मूल अधिकार जहाँ व्यक्ति को आधारभूत स्वतंत्रताएँ उपलब्ध कराते हैं, वही राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक-आर्थिक क्षमता व व्याय का निर्देश देते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में अत्यन्त यथार्थपूर्ण रूप से भारतीय जीवन व आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है और यह अभिव्यक्ति किसी विशेष काल अवधि अवस्था से वंधी नहीं रही वल्कि उसके साथ-साथ निरन्तर प्रगति करती रही है। इसी कारण आज स्वतंत्रता के २६ वर्ष उपरांत भी भारतीय संविधान उसी प्रामाणिकता से राष्ट्रीय आकांक्षाओं को मुखरित कर रहा है। वह जनता के राष्ट्र के प्रति विश्वास व उत्साह का प्रतीक है।

प्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी सुविख्यात कृति दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन: कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन* (लन्दन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६६, पृ० ३०८-३३०) में भारतीय संविधान के निमित्त काल व उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की है। पुस्तक का प्रस्तुत अन्तिम अध्याय 'कर्मेंट्स आॅन ए सवसेसफुल कॉन्स्टीट्यूशन' सार रूप में संविधान सभा की विभिन्न अवस्थाओं की समीक्षात्मक चर्चा करता हुआ परिवर्तित परिस्थितियों में भारतीय संविधान का एक वस्तुनिष्ठ भूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय को यहाँ पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है।

—संपादक]

सफल संविधान पर एक टिप्पणी

स्वतंत्रता प्राप्ति से हमने हर गलती के लिए ब्रिटेन पर आरोप लगाने का बहाना दूँड़ने का अवसर खो दिया है। यदि अब कोई गलती होती है तो हमें सिवाय अपने, कोई और आरोप लगाने के लिए नहीं मिलेगा। बी०आर०आम्बेडकर

२६ नवम्बर १९४७ को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को अंगीकृत करने के साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। शक्ति और इच्छा के इस कार्य से संविधान सभा के सदस्यों ने १७८७ में फिलाडेलिका के बाद संभवतः सबसे बड़े राजनीतिक साहस की शुरूमात की। इस प्रकार एक विशाल धोत्रफल वाला देश जो जनसंस्था की हापि से विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिसका आर्थिक व सामाजिक विकास अवरुद्ध रहा है और जहाँ सांस्कृतिक विविधताएँ हैं, १५० वर्षों में पहली बार अपने भाग्य निर्माण के लिए स्वयं उत्तरदायी बना। उसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक संविधान के माध्यम से प्रशासनिक व राजनीतिक एकता अर्जित करना तथा आर्थिक व सामाजिक कान्ति को कार्य रूप में परिणत करना था। राष्ट्र को यह कार्य एक ऐसे संविधान के अन्तर्गत करना था जिसके प्रावधान व सिद्धान्त यद्यपि भारतीय विचार व तात्कालिक इतिहास के अनुरूप थे, किर भी उनका उद्गम अधिकांशतः अ-भारतीय था क्योंकि ये सिद्धांत और प्रावधान भारत को एक पुरानी औपनिवेशिक शक्ति से उत्तराधिकार में मिले थे।

संविधान-सभा ने चीन व रूस के उदाहरणों को अस्वीकार कर दिया जहाँ संवेदानिक प्रियोक्ति (euphemism) के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता और सामाजिक पुनरुद्धार को निरंकुश साधनों से प्राप्त किया गया था। अपनी स्वतंत्रता के (२६ वर्षों) के उपरान्त भी भारतीय लोकतंत्र की अपनी रुचि के प्रति निष्ठाबद्ध रहे हैं। इसके विपरीत अन्य छोटे राष्ट्र, जहाँ निश्चिततः भारत की तुलना में समस्याओं का आधिकाय नहीं है, लोकतंत्र की अनिश्चितताओं को खेलने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने निर्देशित लोकतंत्र (guided-democracy) अथवा किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं का आंशय लिया है और इस प्रकार शासन में जनता के प्रत्यक्ष सहयोग की संभावनाओं को अस्वीकृत किया है।

अपने भारम्भिक वर्षों से ही भारतीय संविधान ने सही दिशा में कार्य किया है। इस प्रकार संविधान समा का इसके निर्माण तथा राष्ट्र के प्रति विश्वास प्रमाणित हुआ है। यद्यपि लोकतन्त्र की सुरक्षा पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, तत्सम्बन्धी अनिश्चिता पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है और सामाजिक फ्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर गति धीमी बनी हुई है, फिर भी भारत के संदर्भ में पर्सोनल स्पीयर का यह निर्णय सही है कि सम्पूर्ण संविधान की सांकेतिक सफलता के रूप में घोषणा की जानी चाहिए।^१

जब किसी संविधान की प्रभावशीलता पर विचार किया जाए तो उससे पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसकी प्रयोग-विधि पर निर्भर करता है। संविधान की सफलता उसकी उन स्थितियों से संगति रखने पर भी निर्भर करती है जिनके संदर्भ में वह निर्मित हुआ है। इसके अतिरिक्त उसकी सफलता का एक भापदण्ड यह भी है कि वह ग्रनांगत भविष्य में उत्तम होने वाली समस्याओं का समाधान करने में कितना प्रभाव-कारी सिद्ध होता है और उसमें उन लोगों की कितनी निष्ठा बनी रहती है जो इसके द्वारा स्वशास्त्र होते हैं। यह अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि संविधान की भावना कां मुकुर्वं जिरना अधिक जनता की ओर होगा उसमें उतनी ही अधिक उसकी निष्ठा रहेगी। इन भापदण्डों को भारत के संविधान पर सामूह करने पर इनकी प्रभावशीलता का प्रमुख उदाहरण प्रधानमन्त्री भैरव के पश्चात् उनके सहज उत्तरदाधिकार के रूप में भिलता है। एक चांमल्कान्दिक वं संवर्शक्तिमान नेता के पश्चात् एक साधारण व्यक्ति द्वारा उत्तरदाधिकारी बनना किसी भी अन्य ध्येयस्थों में कठिन है—किसी नए लोकतन्त्र में तो और भी कठिन। लेकिन मैं १९६४ में नेहरू की मृत्यु के कुछ घंटों बाद ही एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया और दो संपत्ताहों के भीतर ही कांग्रेस संसदों दल ने अपने संगठन पक्ष की सहायता से नए नेताओं को चयन करे लिया जिसे राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमन्वित किया।

भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने जिन दुर्दमनीय समस्याओं का सामना किया है वे भारतीय संविधान की विश्वसनीयता को भी प्रकट करती हैं। इन अवसरों पर, जब राज्यों में सरकारें असंफल हो गईं, वहाँ संकटकर्त्तीन धाराओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लार्पू कर दिया गया। केंद्र ने राज्य में अपनी शासन तब तक बनाए रखा जब तक कि वहाँ नए चुनावों अथवा किसी अन्य मांधर्यम से सामान्य सरकार की स्थापना नहीं हो गई। तदुपरांत केन्द्रीय शक्ति संहजता से हटो भी ली गई। भारतीय संविधान ने इस प्रकार पूर्वाभासी स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। सन् १९६४ में उच्चर प्रदेश में राज्य विधान मंडल व उच्चन्यायालय के धीरे संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि उच्चन्यायालय ने अन्य प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) याचिका द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा कर दिया जिसको विधान मंडल के अधिकार में गिरफ्तार किया गया था। राज्य विधान मंडल व उच्चन्यायालय के धीरे इस शक्तिप्रेरीकारण ने काफी उत्तेजना पैदा की और इसके प्रति लोगों की व्यापक दिलचस्पी प्रकट हुई। राष्ट्रपति ने संविधान की धाराओं के अनुकूल

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी मत के लिए सुपुर्दे किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की कार्रवाई को वैध घोषित किया। यह प्रश्न यद्यपि अभी भी अनिर्णीत है, फिर भी संविधान द्वारा उसकी दिशा निर्धारित कर दी गई है।

संविधान को भारतीय एकता के घोषणापत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी सीमाओं के अन्तर्गत संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन से संबंधित संधि-वार्ताएँ हुई हैं। मायावी आधार पर राज्य सीमाओं का पुनर्गठन संविधान में प्रदत्त भारतीय राष्ट्रवाद की परिमापा के अन्तर्गत किया गया था। संसद में सरकारी भाषा से सम्बन्धित सभी विचार-विमर्श भी उस संदर्भ में हुआ जिससे उत्तम समझौते द्वारा राष्ट्रीय एकता सुरक्षित की जा सकती थी। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय व्यवहार द्वारा स्वीकृत मानदण्डों की स्थापना की है।

परन्तु संविधान की महानतम् सफलता सरकारी स्तर के नीचे निहित है। इसने सामाजिक व राजनीतिक विकास ढाँचा तथा राजनीतिक व्यवहार का विवेकसम्मत, संस्थात्मक आधार प्रदान किया है। यह केवल राष्ट्रीय आदर्शों की ही स्थापना नहीं करता। इसका इससे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह उस विवेक सम्मत, संस्थात्मक आचरण को जन्म देता है जिसके माध्यम से इन आदर्शों की प्राप्ति करना अभिप्रैत है। यह उन लोगों के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति है जो पहले अधिकाशतः पारलीकिक लक्ष्यों के लिए अतार्किक माध्यमों से प्रतिवद्ध थे। संविधान में मात्र मूल अधिकार, निदेशक सिद्धान्त और राष्ट्रीय आयोजन का ढाँचा ही नहीं है, इसमें एक प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली भी है। इसे सरकार पर दबाव ढालने के एक साधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। इस बात की पुष्टि (पाँच) बड़े आम चुनावों से भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों द्वारा होती है। इस प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली ने भारत के परम्परागत, पदसोपानिक समाज को एक नई शक्ति दी है। इस प्रकार संविधान ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवहार सम्बन्धी एक मानदण्ड विकसित किया है जो इस विवास पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य निर्माण कर सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि भारत में अब और उदासीनता नहीं है, भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन पूर्णतः लोकतांत्रिक है या भारत में संविधानिक लोकतन्त्र के लिए कोई संकट नहीं है। इसका सहज अभिप्राय यह है कि राजनीतिक और सामाजिक सत्तावाद के विरुद्ध एक शक्ति-शाली, सकारात्मक प्रतिशक्ति की स्थापना की गई है। संविधान अब तक सफल रहा है क्योंकि जिन उद्देश्यों की इसने घोषणा की है और उनकी प्राप्ति के लिए इसने जिन माध्यमों को निर्धारित किया है उन्हें व्यापक समर्थन मिला है और उन्होंने भारतीय समाज में ताम्रप्रद परिवर्तन किए हैं।

अंततः: यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी संविधान की सफलता न तो इतनी सहज होती है कि उसे प्रमाणित किया जा सके और न ही उसकी असफलता को स्पष्टतः प्रदर्शित किया जा सकता है। **मतः**: एक अर्थ से भारत में संविधानिक स्थिति पर किसी टिप्पणी का अभाव वस्तुतः संविधान के प्रभावशाली क्रियान्वयन का संकेत है। इसको भारत में लोकतंत्र के आधार के रूप में उसी प्रकार स्वीकृत किया गया है जिस प्रकार एक परिवार मपने उस

मकान की नीव को टोस आधार मानता है जिसमें कि वह रहता है ।

संविधान की सफलता के भूल मे अनेक कारण विद्यमान हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार इस सफलता का कारण यह है कि भारतीय संविधान का उद्दभव यूरो-अमेरिकन-विशेषतः ब्रिटिश संविधानिक पूर्वोदाहरणों से निकट रूप से सम्बन्धित है । (यद्यपि इसमे सन्देह है कि कोई संविधान जो विदेशी पूर्वोदाहरणों का इतना छरणी हो, किसी ऐसे देश के संदर्भ में उपयुक्त होगा जिसकी अपनी महान और प्राचीन परम्पराएँ हैं) । स्वतन्त्रतापूर्व के अनुभव को भी इसका थ्रेय दिया गया है जिसका सम्बन्ध संसदीय सरकार से था । इसके अतिरिक्त संविधान निर्माण काल व उसके आरम्भिक वर्षों के दौरान उपस्थित विविध बाह्य घटक भी इसके प्रति उत्तरदायी हैं, जैसे योग्य नेताओं की उपस्थिति और एक प्रबल दल-घटवस्था ।

यथोपि इन घटकों के महत्व को अनिवार्यतः स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके बावजूद भारतीय संविधान की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि इसका निर्माण भारतीयों ने किया है और वह भी एक सर्वोक्तुप्त निर्माण-प्रक्रिया द्वारा । संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसे संविधान की रचना की जो राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता था । उन्होंने कुशलतापूर्वक उधार ली हुई विदेशी धाराओं (संविधानिक) का न्यूनतम क्षय किया उनमें परिवर्तन किया, और इस कार्य मे उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के मन्त्रालयों का परामर्श मिला । संविधान सभा के सदस्यों ने प्रभावपूर्ण तरीके से दो पूर्णतः भारतीय विचारों-सहमति व समायोजन को लागू किया । समायोजन को संविधान में समाहित किए जाने वाले सिद्धान्तों के संदर्भ में लागू किया गया, जबकि सहमति निर्णय प्रक्रिया का वह उद्देश्य था जो संविधान सभा की प्रभावशीलता का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था ।

भारत का मौलिक योगदान

सहमति से निर्णय

सहमति वह तरीका है जिसके अन्तर्गत सर्वसम्मति से या लगभग सर्वसम्मति से निर्णय निए जाते हैं । यह वह तरीका भी है जिसके द्वारा एक निर्णय को वह महत्व प्रदान किया जाता है जो स्वयं उस निर्णय से कही अधिक होता है । यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि वहुमत का शासन सफलतापूर्वक उन राजनीतिक संघर्षों का निवारण नहीं कर सकता जिनसे मानवीय भावनाएँ गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं । इसकी यह भी मान्यता है कि वावन व्यक्तियों द्वारा शेष अइतालीस व्यक्तियों पर अपनी इच्छा घोषने की प्रवृत्ति चाहें नीतिक हृष्टि से अन्यायपूर्ण न हो, लेकिन राजनीतिक हृष्टि से यह अवृद्धिमत्तापूर्ण अवश्य है । सहमति एक ऐसी अनुभूति को स्थान देती है जो इस तरंग पर आधारित है कि कोई भी निर्णय उस स्थिति में राजनीतिक व मौलिक हृष्टि से अधिक सशक्त होगा जब उसके

सम्बन्ध में सौ व्यक्तियों में से नव्ये में परस्पर सहमति होगी।^२ संविधान सभा के सदस्यों ने इसकी सार्थकता को समुचित रूप से समझा और तदुपरांत अपनी शक्ति इस दिशा में इस विश्वास के साथ लगा दो कि सहमति द्वारा निर्मित संविधान प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करेगा और स्थिरता देगा। उनके प्रयास सफल हुए। तीसरे बाबून के दौरान संविधान सभा के सदस्यों में से अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र विचार वाले सदस्य, ठाकुरदास भागेंव ने कहा, 'मुझे बास्तव में काफी प्रसन्नता है कि हम संवंसम्मति से एक भव्य संविधान का निर्माण कर सके हैं।'^३ यद्यपि यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है लेकिन इससे उस व्यापक सहमति का आभास होता है जिसके द्वारा संविधान सभा ने अपना कार्य सम्पादित किया।

भारत में सहमति की जड़ें गहरी हैं। परम्परागत रूप से ग्राम-पञ्चायतें सहमति द्वारा निर्णयों तक पहुँचती थीं। यद्यपि व्यवहार में अक्सर यह प्रक्रिया अधिक समर्थन सदस्यों द्वारा अपने हित में नियंत्रित की जाती थी, फिर भी यह आदर्श विद्यमान था। यह आज भी है। जाति पञ्चायतों ने सहमति द्वारा निर्णय लेने की नीति को प्रभावशाली तरीके से बनाए रखा है। नियंत्रित रूप से भारतीय एकपक्षीय निर्णय लेने की बजाय समस्याओं पर देर तक विचार-विमर्श करना पसन्द करते हैं। इस प्रकार सहमति को संविधान सभा में सामान्य समर्थन प्राप्त था। नेतृत्व की हाप्टि भे यह स्वाधीन समझौते के लिए एक नैतिक व प्रभावपूर्ण तरीका था और सामान्य जनों के लिए यह एक ऐनी सुपरिचित देशी संस्था थी जो भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक थी।

संविधान निर्माण की आरभिक अवस्था में ही नेहरू ने गविधान सभा से आग्रह किया कि संविधान का निर्माण उपयुक्त समय में सहमति के प्रति जिनमी निष्ठा सम्भव हो वह उसे देते हुए किया जाना चाहिए।^४ सदस्यों ने इस आग्रह को अपना सदृश बनाते हुए, इसे विविध तरीकों से कियान्वित किया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कांग्रेस विधान सभा दल की बैठकों का था, जहाँ संविधान की प्रत्येक भारा पर स्पष्ट तथा मुलकर बहस होती थी और यहाँ की स्वीकृति वस्तुतः उतनी ही महत्वपूर्ण होनी थी जिनमी कि स्वयं संविधान सभा की। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि कांग्रेस के टिकट से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुआ था, इन बैठकों में उपस्थित हो सकता था। इस प्रकार इस विचार-विमर्श में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से तेकर गैर-कांग्रेसी व्यक्तियों गमेत रानी भाग लेते

२ के. जो. शशीकाला ने अपने 'सम पर्टीहुसर गजेजम फॉर दि कास्टीट्यूशन' में सहमति को नियंत्रित इवाह्य प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने इहा कि उनकाग मोरों पर पकाग का बहुमत एक ऐसे देश के लिए अनुपयुक्त था जो एकीकृत नहीं था। उनका आग्रह या कि उन्होंने मरन में उन्हियन मरन्यों वाली सहमति पर आधारित होने पाहिएँ और अग्रहमति अनुगाम तुग मरन्य में ३५% से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि यहमत को निरुत्तरा दो गमान वर गमानी है।

३ गो० ए० दी० XI, १, ६८५

४ गो० ए० दी० II, ३, २६६

ये। गैर-कांग्रेसी व्यक्ति जैसे अम्यर, अम्बेडकर तथा एन० जी० अम्यंगर आदि इस आधार पर आमंत्रित किए जाते थे क्योंकि नेतृत्व का यह विश्वास था कि इन लोगों की प्रतिमाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। सभा की कमेटी व्यवस्था, सभा में प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकार के नेताओं के बीच संवाद, विभिन्न सरकारों के मध्य पत्र-व्यवहार और सभा के नेताओं तथा विरोधी सदस्यों के बीच रिकॉर्ड के अतिरिक्त हुआ विचार-विमर्श, ये सभी गतिविधियाँ इसी प्रक्रिया का अंश थी। इन सब का उद्देश्य एकता की दिशा में एक विवेकी व न्यायोचित हार्टिका विकास करना था।

सहमति द्वारा निर्णय लेने के प्रारम्भिक उदाहरण सभवतः संविधान के संघीय व भाषायी प्रावधान थे। संविधान सभा ने भारतीय संघीय सरचना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया जो १९४७ की वसन्त ऋतु में यूनियन पॉवर्स कमेटी की बैठक से सेकर नवम्बर १९४६ तक चला। इन संविधानिक प्रावधानों के प्रति केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि आवश्यक थी क्योंकि न तो प्रान्तों को भारत से पृथक होने का अधिकार था और न ही संघवाद अवधीड़न (coercion) से चल सकता था। इसलिए प्रान्तीय राजनीतिक विभूतियों को महत्वपूर्ण समितियों में स्थान दिया गया था और सभी प्रमुख निर्णयों में भी उनका हाथ था। उदाहरण के लिए यूनियन पॉवर्स कमेटी में उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री (premier) पंत व राज्यों के तीन प्रमुख प्रतिनिधि मित्र, बी० टी० कृष्णामचारी व रामास्वामी मुदालियर सम्मिलित थे। प्राविश्यल कॉन्सटीट्यूशन कमेटी में दो प्रान्तीय मुख्य मंत्री, उड़ीसा के महताव व बम्बई के सेवर तथा प्रमुख प्रान्तीय कांग्रेसी जैसे विधानी, उजलसिंह, देव, दिवाकर तथा नागपा थे। परन्तु संघीय प्रावधानों के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण स्थान उन बैठकों की शृंखला का था जो समय-समय पर ड्राफिटिंग कमेटी, यूनियन पॉवर्स कमेटी, व केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों (और उनके विभागीय सचिवों) तथा प्रान्तीय मुख्य मंत्रियों, वित्त मंत्रियों व शिक्षा मंत्रियों के बीच हुई थी। जुलाई १९४६ के अंत में हुई बैठकें इसी प्रयास का अतिम परिणाम थीं।

संविधान की संघ सम्बन्धी धाराओं पर समझौते के उद्देश्य से उससे सम्बद्धित कई प्रश्न मंत्रिमंडल को भेजे गए। शिक्षा के क्षेत्र में एक समान राष्ट्रीय मानक (standard) द्वारा केन्द्रीय शक्तियों में अभिवृद्धि के आजाद के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में पहले विचार विमर्श हुआ था तत्पश्चात् जुलाई में प्रान्तीय मुख्य मंत्रियों व केन्द्रीय नेताओं की एक बैठक में उग पर अंतिम सहमति हुई। रेलवे भी मुरदा भी केन्द्रीय अधिकार का प्रश्न बना। यद्यपि 'रेलवे' प्रस्तावित केन्द्रीय विषय-मूर्ची का विषय था, किर भी रेलवे पुलिम एक राज्य विषय था। परन्तु केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय रेलवे की मुरदा के लिए पुलिम तंत्रालय करने के विषय में संविधानिक सत्ता चाहता था। गृहमंत्रालय ने इस पर प्राप्ति भी बोहिं उसका विश्वास था कि असंतीय के समय यह घेहतर होगा कि पुलिम मामान्य मेशामों के लिए उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न प्रान्तीय सरकारों की शक्ति में भी प्रश्नशान: जुड़ा हुआ था। इस विवाद में अवगत होने पर मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि इस प्रश्न को जुलाई में होने वाली प्रान्तीय मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत करने के पश्चात् बोहि-

अंतिम निर्णय लिया गया।^५ इस प्रश्न पर नवम्बर के मध्य में शातिपूर्ण तरीके से निर्णय ले लिया गया। इस निर्णय के अनुसार राज्यों का रेलवे पुलिस पर नियंत्रण था लेकिन केन्द्र को भी इस सदबंध में निवेश देने का अधिकार था। मंत्रिमंडल ने संकटकालीन धाराओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जैसे सविधान के प्राप्ति के अन्तर्गत समाहित धारा १८८ के सम्बन्ध में इसने पुनर्विचार को स्वीकृति दी। प्रस्तवित पुनर्विचार के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति एवं प्रान्तीय सरकार के पतन की स्थिति में, विना उस राज्य के राज्य मंडल द्वारा संकटकालीन घोषणा किए जाने पर भी सविधान को निलंबित कर सकता था। मंत्रिमंडल स्वयं इस सम्बन्ध में कोई निएंगिक भूमिका नहीं निभा सकता था लेकिन उसकी इच्छा थी कि प्राप्ति (Drafting Committee) इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए इसे भली-भांति संशोधित करे।^६ इस प्रश्न को जुलाई १९४६ में हुई प्रान्तीय मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाया गया और इस पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने १९४६ के आरम्भ कीमत काल में प्रब्रह्म सभा (Select Assembly) के मध्य अन्य सदस्यों के साथ विक्री वार से सम्बन्धित धारा के लिए वित्त मन्त्रालय की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श से उत्पन्न प्रस्ताव को संविधान की प्राप्ति समिति और प्रान्तीय प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाना था।^७ सहमति द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों, विशेषकर संघ से सम्बन्धित वित्तीय धाराओं पर टिप्पणी करते हुए वी.जी.० खेर ने कहा, ‘‘मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि विवेक की विजय हुई है और हमने ऐसे सिद्धान्त विकसित किए हैं जिन्हें केन्द्र व राज्यों दोनों का व्यापक समर्वन प्राप्त है’’।^८

भाषा के प्रश्न ने सविधान सभा की निर्णयकारी व्यवस्था पर सर्वाधिक भार डाला। लगभग तीन वर्ष सविधान सभा के सदस्य एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धान्त की प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहे। मुन्ही-अर्यांगर सिद्धान्त तो लगभग निराशा की स्थिति में तैयार किया गया। भाषा के प्रश्न पर हुई अंतिम बहस का समारम्भ करते हुए प्रसाद ने यह घोषणा की कि वे इस प्रश्न पर मतदान की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई समझौता पूरे देश को माल्य नहीं हुआ तो उसका कियान्वयन कठिन होगा। अतः उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में वहाँ द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचना लाभप्रद नहीं होगा।^९ हिन्दी के प्रब्रह्म समयको द्वारा किसी अंतिम समझौते के प्रति उत्साह का भ्रमाव, एक प्रकार से सभा में

^५ इस सम्बन्ध में रेस बंद्रावत्य के एम. रामगुप्त व एमोवली सविधानप के एस. एन. मुकर्जी के बीच हुए गुण पद व्यवहार को देखें जिसमें बैरिनेट की कार्यविधि का उल्लेख है (जन-स्वरांगर की विधि बताता है परन्तु बैरिनेट कार्य विधि की विधि १३ अगस्त १९४६ है) तो मिनिस्ट्री बार्काइफ काइन सद्या सी. ए. /१५/कामस्टीट्यूशन/४६।

^६ गृह मंत्रालय द्वारा एम. एन. मुकर्जी को निवाया गया वत् देखें ५ जून १९४६, वही, काइन सी. ए. १६/कामस्टीट्यूशन/४६।

^७ यह मंत्रालय द्वारा सभा गविधानप को निवाया गया वह, ८ जून १९४६, तो मिनिस्ट्री बार्काइफ गी. ए. XI, ५५७।

^८ सी. ए. डी. XI, १२, १३१२।

निरांयकारी प्रतिया की एक प्रभुरुप पराजय का परिचायक था। इसके बावजूद यह एक विजय थी किंतु कि यह प्रयास इस बात का भी परिचय देता था कि संविधान सभा सहमति के लिए कितनी उत्सुक थी श्रीर उत्तरे कितना महत्व देती थी।

सहमति, और सामान्यता: निरांय प्रक्रिया, मुख्यतः एकता के आदर्शवाद व कुछ निश्चित राष्ट्रीय उद्देश्यों के बातावरण का परिणाम थी। इस बातावरण के अनुकूल प्रभाव संविधान सभा पर व्याप्त थे। यह संविधान सभा नेहरू के शब्दों में एक अधिकारी धारों से निकलकर स्वतन्त्रता की मूर्यविरणों तक पहुँची थी। कई सदस्य तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छठे थे। यसापक उन्हें स्वतन्त्रता आंदोलन के स्वर्णों व आदशों को साकार करने वाले एक संविधान के निर्माण का अवसर दिया गया। कांग्रेस, जिसने इस राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन को नेतृत्व दिया था—वही भाजा ग्रपने स्वस्प के अन्तर्गत देश की प्रतिमा व विविधता को अभिव्यक्त करते हुए, भारत के इतिहास में पहली बार उसे सम्पूर्णता प्रदान कर रही थी। इसी कारण संविधान सभा में दल की बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस दल का अध्यक्ष करता था। संविधान सभा में कुछ निश्चित प्रश्नों के सम्बन्ध में नेतृत्व के दबाव के परिणामस्वरूप निर्णय हो सकता था लेकिन यह एक राष्ट्रीय भावना थी जिसने सदस्यों को उनके तीन-वर्षीय कार्यकाल के दौरान उन्हें नए भारत की नींव डालने के लिए प्रेरित किया। तात्कालिक भावनाओं व उद्देश्यों की प्रतीक एक फ़िल्म भी थी जिसका नाम 'शहीद' था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की कहानी पर आधारित इस फ़िल्म ने काफ़ी भीड़ आकर्षित की।

इसके बावजूद यह अनुमान करना असंगत होगा कि संविधान सभा के सदस्य प्रत्येक अवसर पर सद्भावनापूर्वक अवश्यमभावी निष्कर्षों तक पहुँच जाते थे। सहमति, यहाँ तक कि एक सीमित आधार का समझौता भी अत्यधिक प्रयत्नसाध्य परिणाम होता था और उसके लिए राजनीतिक तरीकों के वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता था। संविधान सभा के सामान्य जन धर्यापि असामान्य धमता के ध्यक्ति थे फिर भी उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता थी।^{१०} नेतृत्व के दर्शन को सम्भवतः असामान्य पितृ-सुलभ विधि से एन०जी० अव्यंगर ने अभिव्यक्त किया था। बी०एन० राव को एक पत्र में उन्होंने लिखा 'मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों (संविधान के मूल सिद्धान्तों से संबंधित प्रश्नों) पर आरम्भिक निर्णयों के पश्चात् उन पर जनता के कुछ चुने हुए लोगों द्वारा, जिनमें दल के सदस्य भी हैं, विचार-विमर्श होगा और आप ऐसे व्यक्तियों की सहायता से इस प्रश्न से सम्बद्ध सभी पदों की जांच होगी। बस्तुतः इस सम्बन्ध में लोकमत को एक दड़ नेतृत्व व कुशल निर्देशन दोनों की आवश्यकता होती है।'^{११} स्वत्पतन्त्र (Oligarchy) तथा 'विशेषज्ञों' ने यह नेतृत्व

^{१०} वह मूलपूर्व संविधान सभा सदस्यां (जो थब संसद् सदस्य हैं) व अन्य प्रेसकरों (जिन्होंने दोनों परिषदों का कार्य संबालन देखा है) के बनुसार वर्तमान संसद् की तुलना में संविधान सभा का धमता स्तर अधिक ऊँचा था।

^{११} थो. एन. राव को एन. थो. अव्यंगर का पत्र २१ फरवरी १९४७, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्डियन, काइल सभा सी. ए. /१८/कॉन्स. /४७

का समावेश इन दोनों व्यक्तियों के समुक्त प्रभाव का संमिश्रत् सर्वश्रेष्ठ प्रभाएँ हैं।

परन्तु नेहरू व पटेल ही संविधान सभा में एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। इस भल्लतन्त्र में उनके कुछ अन्य सहयोगी भी थे, जैसे आज़ाद और विशेषकर प्रसाद, जिनका अत्यधिक प्रभाव था। प्रसाद इस प्रभाव का प्रयोग तुल कर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता इसमें व्यवधान ढालती थी। परन्तु पार्श्व से उनके द्वारा दिए गए सुझावों में काफी दम होता था। मूलतः एक अनुदार (Conservative) व्यक्ति होने के कारण उनकी महानुभूति अधिकाशतः पटेल से हीती थी और प्रान्तों के: प्रमुख व्यक्ति उदाहरणार्थं पुरुषोत्तमदास टड़न प्रसाद के माध्यम से अपने विचार संविधान सभा के नेताओं के अतःकेन्द्र तक पहुँचते थे। विभिन्न विषयों पर प्रसाद के पक्ष को निर्धारित कर पाना कठिन है लेकिन कुछ प्रश्नों, जैसे मुंशी-अव्यग्र भाषा सिद्धान्त के विषय में उनके नियमन सम्बन्धी निर्देश अनुदारवाद से प्रेरित होते थे। १० पत, जोकि संविधान सभा में प्रान्तीय मुख्यमन्त्रियों के अनौपचारिक प्रबक्ता थे, इस अल्पतंत्र के अत्यधिक निकट थे। पंत ने संघीय प्रावधानों, और कुछ कम अझों में, भाषायी तथा उचित प्रक्रिया के विवाद से संबंधित प्रावधानों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संविधान सभा का नेतृत्व अनौपचारिक रूप से अपनी सत्ता का प्रयोग राजनीतिक शक्ति व व्यक्तिगत सोकप्रियता तथा अनौपचारिक रूप से संविधान सभा के दलीय सचेतक (Whip) द्वारा करता था। सचेतक का प्रयोग दिसम्बर १९४६ में संविधान सभा के प्रयम सत्र से किया गया और तत्पश्चात् उसका निरन्तर प्रयोग किया जाता रहा। इन सचेतकों का प्रयोग एक, दो अथवा तीन पक्षित के सचेतकों के स्वरूप में नहीं था। ये उन प्रावधानों व संबोधनों की मात्र अनुलिपित्र (mimeographed) सूची थे जिन्हे संविधान सभा में प्रस्तुत करने के उपरान्त स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना होता था। उन पर मुख्य सचेतक सत्यनारायण सिन्हा द्वारा हस्ताक्षर होते थे। इस सचेतक के पीछे दलीय अनुशासान की शक्ति थी। यद्यपि यह सचेतक अधिकाशतः किसी प्रश्न पर संविधान सभा में होने वाली वहस को नहीं रोकता था, लेकिन इस प्रश्न पर होने वाले मतदान को यह सामान्यतः अवश्य नियन्त्रित करता था। वे सभी सदस्य, जो संविधान सभा के लिए कांग्रेसी टिकट के आधार पर निर्वाचित होते थे, चाहे वे कांग्रेस दल के सदस्य हों या नहीं, इस अनुशासन के अधीन थे। अनेक अवसरों पर तो इसने पं० पत जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी चुप रहने के लिए बाध्य कर दिया और टंडन को अपने विश्वासी की रक्षा के लिए संविधान सभा के दल से त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुंशी-अव्यग्र भाषा सिद्धान्त पर मतदान के समय सचेतक को मानने से इंकार कर दिया था। यह सचेतक वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा नेतृत्व संविधान सभा के व्यवहार, विशेषकर बैंक बेंचर सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता था। लेकिन इसकी ग्रिटिंग ससद् अथवा वर्तमान लोकसभा के तीनर्घ्यक्ति के सचेतक से तुलना करना असगत होगा। इनमें और वर्तमान संसदीय सचेतकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस सचेतक का विना किसी दण्ड के उल्लंघन किया जा सकता था। कांग्रेस दल के पं० कुंजरू, एच० वी० कामय, एस०एल० सक्सेना, ठाकुरदास भागव व अन्य कई सदस्यों ने बार-बार इस सचेतक का उल्लंघन किया। एक अवसर पर कामय

भारतीय सरकार एवं राजनीति-

व सरकारेना के विरुद्ध अनुग्रासन कार्रवाई की योजना तयार की गई लेकिन इसे कभी मंत्रियान्वित नहीं किया जा सका। १४ अग्रुमानतः यह कहा जा सकता है कि पंत ने इस सचेतक का पालन किसी मय अथवा दण्ड की आशका से नहीं अपितु अपने आत्मानुशासन के कारण किया। यह सचेतक दलीय बैठकों में लिए गए निरांयों के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों के विचारणा की थी। यह सचेतक दलीय बैठकों में लिए गए निरांयों के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षित नहीं था कि वे इन सब को स्पष्टतः याद रख सकें। सचेतक पिछले निरांयों के संबंध में नैत्य-सदर्म (routine-reference) का भी हवाला देता था।

संविधान सभा की सहमति द्वारा निरांय लेने की इच्छा के संदर्भ में सचेतक ने अपना काफी महत्त्व खो दिया क्योंकि अपने सर्वाधिक छढ़ स्वरूप के वावजूद सचेतक संविधान सभा के दल की बैठकों में निरांयों से पूर्व हुई लम्बी बहस के बाद रिकॉर्ड करते थे। इस विचार-विमर्श में प्रत्येक को अपनी बात कहने वा अवसर मिलता था। अम्बेडकर जैसे विशेषज्ञ, मर्याई जैसे केन्द्रीय मन्त्री, नेतृत्व क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, वैकं वैचर सदस्य तथा नेता सभी अपनी बात सभा के सम्मुख रख पाते थे। इस विचार-विमर्श के दौरान संविधान जटिलताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की यद्यपि वे संविधान निरांय की उंहोंने स्वेच्छापूर्वक नेतृत्व का अनुसरण स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी रुचि के प्रश्नों पर पर उंहोंने विचार-विमर्श में सक्रिय भाग लिया और कई अवसरों पर नेतृत्व पर अपनी इच्छा आरोपित की। इस सदर्म में भाषा व भाषाई प्रान्तों का प्रश्न, मूल अधिकार व निरेशक सिद्धान्त, संविधान की व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से सम्बन्धित प्रश्न तथा कई अन्य प्रश्न उल्लेखनीय हैं।

संविधान सभा में लगभग दो सौ पचास सदस्यों ने भाषण दिए जिनमें से दो सौ से अधिक सदस्य सक्रिय रूप से वोटे। एकसमान विचार वाले सदस्य संघीय, मापायी अथवा मूल अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों पर अपनी इच्छाओं का प्रभावशाली दबाव डालने के लिए कई अवसरों पर नेहरू व पटेल के इन्द-गिंद एकत्रित हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन लोगों के दास भार्गव एक गुट ने संविधान की विभिन्न घारामों पर हुई बहस में लगभग स्थायी योगदान दिया। उन्होंने तीन बर्द के दौरान न केवल सक्रिय रूप से बहस में हिस्सा ही लिया बल्कि संविधान के प्रारूप के लिए कई समोचन लितित रूप में भी प्रस्तुत किए। इस गुट के सदस्य अपने को 'कैनिंग लेन गुट' कहते थे, क्योंकि वे संविधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए कैनिंग लेन से भारते थे, जहाँ वे ठहरे हुए थे। यह कैनिंग लेन के जैन रोड से मिलती थी जहाँ से कॉन्सटीट्यूशन हाउस अधिक दूर नहीं था। इसी स्थान पर संविधान सभा

की बैठकें होती थीं। पट्टामि सीतारमया, श्रीमती दुर्गावाई, एम० अव्यंगर तथा ठाकुरदास मार्गेव इस गुट के सदस्य थे। संविधान सभा में हुई सर्वधानिक वहसों में सदस्यों द्वारा सामान्यतः भाग लेने के बावजूद यह एक तथ्य है कि संविधान से सवधित अधिकांश कार्य लगभग पचास व्यक्तियों ने किया। इसमें भी बारह से कम व्यक्तियों ने सशर्त नेतृत्व प्रदान किया और महत्वपूर्ण निरांय लिए। अधिकाशतः संविधान सभा के समक्ष निर्दिष्ट दिशा में ही कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता था। फिर भी सभा के सामान्य जन नेतृत्व के निरांयों पर केवल मोहर लगाने का ही काम नहीं करते थे। क्योंकि सहमति के लाभप्रद प्रभाव सम्बद्ध प्रश्नों पर सक्रिय समझौतों द्वारा ही अर्जित किए जा सकते थे। इस सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक सहमति ही पर्याप्त नहीं थी। यदि संविधान को अद्युण रखना था तो अनिवार्यतः आधारभूत प्रश्नों के बारे में सहमति पर ही उसका निर्माण होना था। ऐसा कार्य रूप में इसलिए संभव ही सका क्योंकि संविधान सभा इस आदर्श की प्राप्ति के लिए बड़े परिथम से कार्यशील रही।

सहमति से संबंधित एक और पक्ष की भी चर्चा की जानी चाहिए। यदि सहमति ने ने संविधान सभा की कार्रवाई में इतना विशिष्ट योगदान दिया तो उसे संविधान में स्थान क्यों नहीं दिया गया? इसका संभावित कारण प० कुंजरू ने स्पष्ट किया है। उनका आग्रह है कि 'आधुनिक सरकार सहमति से संचालित नहीं हो सकती।'^{१५} इसके अतिरिक्त इम प्रकार की धारा का निर्माण भी अत्यधिक जटिल होता। सहमति को परिनामित करना होता (क्या मह मतदाताओं का ८५,६५ अथवा १०० प्रतिशत अनुपात होगा?)। इससे भी जटिल प्रश्न यह था कि इसे किन विधयों पर लागू किया जाए क्योंकि संसद् के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक प्रस्ताव तो सहमति से पारित किया नहीं जा सकता। इन मुहर थे ऐसीयों को तो सहजतापूर्वक चुना जा सकता है जिनमें सहमति को लागू करना हो लेकिन कम महत्वपूर्ण विधयों का चयन संभव नहीं था।^{१६} इन सारी परिस्थितियों के प्रकाश में सर्वोधिक उपयुक्त यही था कि जिस प्रकार संविधान सभा में सद्भावना व विवेक के आधार पर इसका प्रयोग किया गया था उसी प्रकार इसे भविष्य में भी पृथक् भवसरों के लिए छोड़ दिया जाए और उपयुक्तता के आधार पर इसका प्रयोग किया जाए।

(२) समायोजन का सिद्धान्त :—

संविधान निर्माण में भारत का दूसरा मौलिक योगदान गमायोजन का है। समायोजन अनुकूलता और सामंजस्य की क्षमता है। इसका उद्देश्य सद्भावना का प्रगार करना और किसी कार्य को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए विना सम्पादित करना है। ये विचार

^{१५} सेप्टेम्बर द्वारा लो गई एक भेटवार्नी के द्वीरण

^{१६} के. जी. मत्तृशाला ने अपनी पुस्तक "सेप्टेम्बर और दि बॉन्डीट्युन" में उन विधयों को क्रम-पूर्वक उल्लिखित किया था, जिनके सम्बन्ध में उग्री सहमति दी ज्ञानी लागू होती थी। जैगांधी कहा जा सकता है, इस प्रकारी दो सापू करने से सम्बन्धित बातचीर्ति गमायोजन विधिक छिन्न थी।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

आमासित रूप में परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं—कम से कम गैर-भारतीयों, विशेषतः एक यूरोपीय अथवा अमेरिकी व्यक्ति को तो इनमें विरोधाभाव प्रतीत होता ही है। भारतीय ऐसे आमासित विरोधाभासी विचारों को समायोजित कर सकते हैं। ऐसा इन विचारों को मुख्यों के पृथक् स्तरों पर रख कर, या जल-हड़ बगों में रख कर किया जा सकता है। लेकिन ये विचार पर्याप्त रूप से पृथक् होने चाहिए ताकि एक विचार दूसरे विचार से संघर्ष में आए विना, स्वतन्त्र रूप से अपने धेव में काम कर सके। समायोजन समझौता दो पक्षों में आए विना, स्वतन्त्र रूप से अपने धेव में काम कर सके। समझौता एक तकनीक है। समझौता दो पक्षों यह एक विश्वास अथवा हटिकोण है जबकि समझौता एक तकनीक है। समझौता दो पक्षों अपने वाद्यनीय लक्ष्य के एक अश का इसलिए त्याग करता है जबकि वह दूसरे पक्ष के हितों के विरुद्ध होता है। यह दोनों पक्षों द्वारा मान्य एक मध्य-मार्ग की तलाश है। संविधान के भाषायी अध्याय की पाराएं एक समझौता हैं।

समायोजन के अन्तर्गत विचार और हटिकोण यद्यपि परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं लेकिन वस्तुतः वे अथवित रहते हैं। वे समझौते द्वारा नष्ट नहीं किए जाते बल्कि उनसे एकसाथ काम लिया जाता है। इस स्थिति का बर्णन इस प्रकार किया गया है :

“भारतीय गतिविधियों के प्रत्येक धेव की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता दो विरोधी मतों अथवा कार्यों में समजस्य की दिशा में सतत प्रयास करना, एक कार्यशील समझौते की सेवा करना तथा कालो और गोरों के सदर्भ में मानव स्थिति को देखने की प्रवृत्ति से बचना है जैसाकि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने कहा है : स्थितियों को इस अथवा उसके संदर्भ में ही क्यों देखा जाए ? इन दोनों की उपलब्धि के ही प्रयास क्यों न किए जाए ?”^{१३}

लेखक विषयानुभवी है लेकिन उसने समायोजन व समझौते में अतर नहीं किया है। एक अन्य लेखक इस बात से सहमत है कि समायोजन संभवतः भारतीय प्रकार के चितन को प्रतिविम्बित करता है और उसे राजनीतिक व्यवहार की भारतीय परम्परा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।^{१५}

संविधान सभा का सहमति के प्रति हटिकोण यह था कि उसने प्रक्रियात्मक तकनीको सम्बन्ध में उसे समायोजित किया। बहुमत का शासन अर्थात् भत द्वारा निर्णय और सहमति द्वारा निर्णय—ये दो परस्पर विरोधी विचार हैं। संविधान सभा की सहमति द्वारा निर्णय लेने की इच्छा थी लेकिन स्पष्टतः संवादानिक धाराओं का प्रत्येक भाग इस प्रकार रोयार नहीं हो सकता था। इसके प्रतिरक्त, संविधान सभा एक सतसीय संस्था थी जिसका उद्देश्य एक ऐसी संसदीय लोकतात्त्विक व्यवस्था के लिए संविधान का निर्माण करना था जहाँ संस्थात्मक अनुपात शासन का आधार होता है। इस स्थिति में सहमति किस प्रकार

^{१३} वीरा एम. शीन. न्यू पैटनर्स ऑफ डेमोक्रेसी पृ. २

^{१५} कांगड़ा वारनेल, पोलिटिकल आइडियोलॉजीज् इन साउथ एण्ड साउथ-ईंड एजिया, एस. रोड़ (सापादित) पोलिटिक्स इन सदर्न एजिया का अध्याय XIV, ५० २८२

अर्जित की जा सकती थी ? संविधान सभा ने इस समस्या का समाधान इससे दो स्तरों पर सामना करके किया : कम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सहमति अर्जित की जा सकती थी लेकिन यदि आवश्यक हो तो मतदान का भी प्रावधान या परन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति द्वारा ही निर्णय लिए जाने थे ।

भारतीय संविधानिक ढाँचा महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में समायोजन के सिद्धान्त का एक अच्छा उदाहरण है । शासन की संघीय और एकात्मक व्यवस्थाएँ आनासित रूप से परस्पर विरोधी हैं । अमेरिकी या ब्रिटिश विधि-विशेषज्ञ के मत में किसी संविधान को या तो संघीय होना चाहिए या एकात्मक । परन्तु भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल संघीय अथवा एकात्मक है । राष्ट्रमण्डल में भारतीय सदस्यता का प्रश्न इसी प्रकार का एक और उदाहरण है । १९४६ में संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत एक गणतंत्र होगा । इसके बाबजूद १९४६ में सभा ने यह निर्णय भी लिया कि भारत एक ऐसे संगठन का सदस्य होगा जिसके सर्वोच्च पद पर ब्रिटिश सचिव था । इस प्रकार भारत वह पहला राष्ट्र था जिसने गणतन्त्रवाद व राजतत्र के मध्य सामन्जस्य स्थापित किया । ऐसा उस समय किया गया जब आयरलैंड राजतत्र के अवाञ्छनीय प्रतीक के प्रति विद्रोह कर राष्ट्र-मण्डल से पृथक् हो रहा था और प्रतिक्रियास्वरूप स्वर्यं को एक गणतंत्र घोषित कर रहा था । ^{१६} भारत ने इन दोनों स्थितियों से इस हृष्टिकोण से सामन्जस्य किया कि उसकी सम्प्रभुता और 'सहयोग' के प्रतीक के रूप में व उसी स्थिति में राष्ट्रमण्डल के अध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश सचिव को उसके द्वारा दी गई मान्यता—ये दो विलुप्त पृथक् चीजें हैं । ^{१७}

पंचायत की समस्या का समाधान भी समायोजन पर आधारित था । संविधान सभा के नेताओं ने पंचायतों सम्बन्धी मांग के समर्थन को गांधीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमोदित पूर्णतः अप्रत्यक्ष सरकार के प्रति समर्थन से सफलतापूर्वक अलग किया और इस प्रकार पंचायत के समर्थकों व एक प्रत्यक्ष संसदीय संविधान के प्रतिपादकों के बीच किसी प्रमुख सर्वपंथ की संभावना को समाप्त किया । लेकिन फिर भी प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण चनाम केन्द्रीकरण के संदर्भ में पंचायती विकास की मांग विद्यमान थी । नेहरू, और वस्तुतः संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस आवश्यकता का समर्थन किया कि एक सशवत केन्द्रीय सरकार होनी चाहिए लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यथासंभव विकेन्द्रीकरण का भी समर्थन किया । वया इन दो परस्पर विरोधी विचारों को समायोजित किया जा सकता था ? स्वतन्त्रता में काफी समय पूर्व यह प्रश्न कांग्रेस के सम्मुख था और नेहरू व गांधी दोनों के लिए भी महत्व का विषय था । अब संविधान सभा को इसका उत्तर देना था ।

संविधान सभा ने दोनों सिद्धान्तों को भारतीय संविधान में स्थान देकर और उन्हें शासन के भिन्न स्तरों पर क्रियान्वित कर इस उल्लंघन का समाधान किया । केन्द्रीकरण को एक

^{१६} इस प्रश्न के निश्चयात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए देखें को ३० सौ ३० छेपर, दि बॉन्स्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर

ऑफ द कॉमनवेल्थ पृ० १५३-१५५

^{१७} वही पृ० १५४

भारतीय सरकार एवं राजनीति

संवेदनिक सिद्धान्त बनाया गया और उसका प्राप्तिक कार्य केंद्र व प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्धों को प्रमाणित करना था। विकेन्टीकरण को प्रान्तीय सरकार के स्तर के नीचे कार्य करना था और सम्बन्धित धर्मिक व्यवस्थापन प्रान्तीय विधान मंडलों को करना था। सविधान की धारा ४० इन दोनों विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों को समायोजित करने की एक सजग व्यवस्था थी। १९५० के बाद से हुमा पंचायती विधास यह प्रमाणित करता है कि वह व्यवस्था सफल हो सकती है।

सविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान का अंगीकरण समायोजन का सम्भवतः सर्वाधिक उल्लेखनीय उदाहरण है। जिसी भी नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देश के निवासियों का, विश्व की हट्टि में और स्वयं अपनी हट्टि में पहला कार्य अपने राष्ट्र से तादात्म्य तथा अपना अस्तित्वकारण (Raisond'âtre) स्थापित करना होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने अन्य साधियों से स्वयं को स्वतन्त्र व्यक्तित्व के आधार पर पृथक् करने की इच्छा रखता है उसी प्रकार की इच्छा एक नवजात राष्ट्र की भी होती है। मारत इसका अपवाद नहीं था। संविधान सभा के प्रथम सत्र में सदस्यों को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा : “यह संवेद्या वांछनीय है कि हम स्वयं अपने को, उन लोगों को, जो इस सभा को देते रहे हैं, इस देश के उन लोगों लोगों को जो हमसे कुछ आस लगाए थे हैं, तथा सम्मूर्छाएँ विश्व को इस बात का संकेत दे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या उपलब्ध करना चाहते हैं और हम कियर जा रहे हैं।”^{२१} मारत में राष्ट्रीयता को पुनःस्थापना की काता थी क्योंकि अंशतः इस देश में अत्यधिक अंग्रेजियत थी। कुछ सविधान सभा के सदस्यों का यह विश्वास बन गया था कि भारतीय संस्थाओं में भारतीयता का इतना अधिक अमाव है कि इसकी पुनःस्थापना के लिए एक विशेष प्रयास करना होगा।

भारतीय होने की महत्ता को महसूस करने के पश्चात् संविधान सभा के सदस्य एक ऐसे सविधान से किस प्रकार संतुष्ट हो सकते थे जिसके राजनीतिक सिद्धान्त और यहाँ तक कि धाराएँ भी लगभग पूर्णांतः युरोपीय अथवा अमेरिकी उद्गम की थीं? सदस्यों का बहुमत ऐसा इस सहज कारण से कर सका कि इन दोनों स्थितियों में कोई विशेष नहीं है। के० सी० शर्मा ने कहा कि ‘कोई भी संविधान असमृक्त रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। यह सही है कि हम द्वारों के अनुमतियों तथा विद्युत के अमेरिकी संविधानों से लाभान्वित हों।’^{२२} कई सदस्यों का यह भी संविधान असमृक्त रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। यह आमासित असरगति के बीच सामन्जस्य संविधान की भारतीय प्रकार से कियान्वित द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इस तथ्य ने कि आयरलैंड के संविधान की धारा को भारतीय स्थितियों का सामना करने के लिए संविधान में स्थान दिया गया, उक्त धारा को और

^{२१} सी. ए. डी. I, ५, ५६ प्रोफेसर बलिन ने आधुनिक युग की राष्ट्रीय भावनाओं के घोलों का उल्लेख करते हुए ‘अपने राष्ट्र, वर्ष, या गुट’ के ‘व्यक्तित्व’ को आरोपित करने की ‘इच्छा’ को एक स्वीत माना है। बलिन, दू कॉन्सोट्स, पृ. ४५.

^{२२} सी. ए. डी. X, ५, ६७७

अधिक प्रभावशाली है ये भारतीय बना दिया। आधुनिक संविधान को तकनीके सच्चे भारत को गुरुर्धित रखेगी। सेठ गोविन्ददास, जो हृष्टिकोण से निश्चिततः कट्टर हिन्दू थे, इस बात पर विश्वास रखते थे :

मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई भाज के भारत को अग्रदिकालीन भारत में परिणत कर सकता है।^{२३} हिन्दी में धोलते हुए सेठ गोविन्ददास ने कहा, “लेकिन इस भत का समर्थन करते हुए साध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को उस सम्भवता और संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए जो हमारे प्राचीन इतिहास की देन है। यद्यपि हमें वह सब प्रहरण करना चाहिए जो हमारी भावशक्ताओं की पूर्ति के लिए आधुनिक विषय हैं देखिन आधुनिक भारत का निर्माण इस प्रकार भी होना चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति व सम्भवता को कायम रख सकें।”^{२४}

भारत का लम्बा गौरवशाली इतिहास एक तथ्य था जो एक गैर-भारतीय संविधान को प्रहरण करने के बावजूद भी नष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार इन दोनों ने समय भी दो पृथक् घटस्थाएँ अधिकृत की थी उसी प्रकार उन्होंने याथं के भी दो पृथक् स्तर अपनाए।

समायोजन की जड़ें भारतीय विचार-भूमि में निहित हैं। इस विचार की विशेषता यह है कि इसमें मतान्धता (Dogmatism) का अभाव है। स्पीयर ने जिसे ‘हिन्दूवाद की आत्मसाती तथा समन्वयवादी विशेषताएँ’^{२५} कह कर सम्बोधित किया है और जो केवल एक उदार वातावरण का ही परिणाम हो सकती थी, आज भारतीय (भारतीय मुसलमान व हिन्दू) जीवन की हृष्टि यह गई है। राधाकृष्णन ने लिखा है : “भारत में घर्म मतान्धत नहीं है। यह एक ताकिंक संस्कैपण है जो जैसे-जैसे दर्शन प्रगति करता है, वैसे-वैसे घपने लिए निरन्तर नए विचारों का समाकलन करता रहता है। इसकी प्रकृति प्रयोगात्मक है, अन्तिमहंपेण निर्धारित नहीं।^{२६} सभी विचारों की खुली परीक्षा की ऐसी भनोवृत्ति ही समायोजन को सम्भव बनाती है क्योंकि नए विचार इतने निकट नहीं होते कि उन्हें सहजता से प्राप्त किया जा सके।

विना मतान्धता के भिन्न स्तरों पर विचार करने की क्षमता तथा संकीर्ण व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चित्तन को सीमित न करना—ये दोनों गुण भारतीय समाज में व्याप्त थे। नेहरू ने लिखा है : पिछले हजारों वर्षों का भारतीय इतिहास भारत की एकता और उसकी संस्कृति की जीवन-शक्ति और अनुकूलनीयता को प्रदर्शित करता है।^{२७} सामान्यतः भारतीयों का,

^{२३} सो. ए दो. XI, ४, ६११

^{२४} स्पीयर, पूर्वोक्त, पृ. ३६

^{२५} राधाकृष्णन, हृष्टियन फिल्मोफोफी पृ. १५-२६

^{२६} नेहरू, प्रूनिटी ऑफ इंडिया, पृ. १७ यह आपत्ति की जा सकती है कि मुसलमानों को पूर्णतः समाहित करने वी भारतीय शरामर्थता और अवधतः विभाजन से समायोजन के सम्पूर्ण विचार को अवैध घोषणा है। इस आपत्ति के दो समावित उदारों में से एक अपेक्षाकृत सरल है : भारत में मुस्लिम समूदाय की पृथक्तावादी प्रवृत्ति और कलस्करण एक पृथक् साम्झूनिक व राजनीतिक इकाई के हृष में पाकिस्तान वा उदय, कुर्तित शक्तियों को समाहित न कर सकने सम्भवनी हिन्दू भारत

और उसी प्रकार संविधान सभा के गद्दों का भी, यह विश्वास था कि ये गुण एक ऐना-हासिक तथ्य तथा राष्ट्रीय शक्ति का प्रवाही थोत, दोनों थे। स्वमाविकारः उन्होंने संविधान-निर्माण में उनकी प्रमुखत किया।

चयन और परिवर्तन की कला

संविधान सभा के तिए १६४७ में नए संवैधानिक गिरिंद्रों वी सोब वर्ला कठिन अथवा असम्भव था। ३० इग इटि से भारतीय संविधान, आरी तौर पर एक व्युत्पन्न (derivative) संविधान है। नेतिन इस कारण यह सोनता हि भारतीय संविधान सभा भाष्य एक अनुदृष्टि थी, यलत होगा पर्याकि जिन धारामों को अनावा गया उनमें संविधान सभा चयन के दायित्व से मुक्त नहीं थी। इन धारामों को इम उद्देश से प्रहल करना था कि वे भारतीय स्थितियों के अनुकूल हाँ। संविधान सभा के कार्य सम्बन्धी किसी भी भूत्याकून को उस कुशलता जिनके द्वारा इन धारामों को बुना गया था और यह गुण जिसके द्वारा इनमें परिवर्तन किये गए थे —से देगता होगा पर्याकि इन दोनों में ही सूजनशोलता और मौलिकता तथा सफलता व सफलता निहित है। कालातर में यह प्रकट हुआ है कि संविधान सभा ने सफलतापूर्वक कीमियागर की भूमिका भदा भी है और उन्होंने विदेशी धारु को भारतीय सिवको में कुशलतापूर्वक डाला है।

चयन और परिवर्तन का एक उदाहरण सर्वधारिक संशोधन है। संविधान सभा द्वारा संशोधन से सम्बन्धित जिन तीन व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई थी उन्होंने उनके सम्बन्ध में की गई भवाद्यित भविष्यवाही के बावदू़, संविधान को नमनीय बनाया है तेजिन साथ ही उन्होंने राज्यों के भविकारों की भी सुरक्षा की है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश की संशोधन प्रक्रिया की तुलना में सफलतापूर्वक कार्य किया है जहाँ पर संविधान में संघवाद और विटिश संसदीय व्यवस्था संयुक्त रूप से संविधान के आधार थे। संविधान सभा की वह दूरदृश्यता विशेष रूप से उत्तेजनीय है जिसके अन्तर्गत उसने संसद को भाष्य के प्रश्न तथा सध में नए राज्यों के लिमोण व प्रवेश से सम्बन्धित समस्त भ्रष्टाचार सीमे थे। इस दूरदृश्यि ने कई प्रान्तों के पुनर्गठन का पूर्वाभास कर लिया था। संविधान सभा के समस्त पूर्वोदाहरण के रूप में १६३५ का अधिनियम तथा श्रिटेन द्वारा सिंध व उड़ीसा प्रान्तों का निर्माण

की एक प्रमुख पराजय का परिणाम था। यह उत्तर पूर्णतः सही नहीं है और इसीलिए एक हूमरा सम्भावित उत्तर प्रकट हीता है। एक नई राजनीतिक व धार्मिक शक्ति के विरुद्ध हिन्दुवाद की प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया ने गुलाल साम्राज्य के वैभव काल (अवधि के अन्तर्गत) के दोस्रा कीमी आ रही थी। समाजोज्ञ हो सकता था यदि इन्हें यह ओरतेव द्वारा और तपश्चात् १८३०-१८४७ के दोस्रा अवधि द्वारा न रोका होता।

२७ दा. अन्नेटकर का यह विश्वास था कि इन्हें विनाश से संयार किए जाने वाले संविधान में यदि जोई नई चीज़ हो सकती है तो वह यह हि इसके (पूर्ववर्ती) दोरों को दूर करने के लिए परिवर्तनों का अवधार ही और उसे (संविधान का) देश की विषयति के अनुहय सम्बन्धित किया गया हो। सौं ए. दो. VII, I, ३७

था। लेकिन उसके द्वारा ऐसे दबावों के लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था (सिफ्टी बॉल्ट) द्योड़ने की दूरदर्शिता में इस तथ्य के कारण और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई कि उसने सात्कालिक स्थितियों के विपरीत नए राज्यों के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया के रूप में मात्र संसदीय बहुमत प्रस्तावित करने की बुद्धिमानी की थी। इसके लिए किसी संवेदानिक संशोधन को उसने असंगत ठहराया था। यह स्थिति आँस्ट्रेलिया व नाईजीरिया की नकारात्मक स्थिति से भिन्न है जहाँ संवेदानिक कठिनाईयों ने नए राज्यों के निर्माण में बाधाएँ उत्पन्न की हैं।

संविधान-सभा की सृजनशीलता के विरोधी जब यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि संविधान की संघीय धाराएँ^{२५} १९३५ के अधिनियम पर आधारित हैं तब वे अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं देते।^{२६} यद्यपि दोनों संघीय व्यवस्थाओं में काफी सामानताएँ हैं, इसके बावजूद संविधान सभा ने व्यवस्थापन सूची प्रणाली तथा राजस्व संग्रह व वितरण से सम्बन्धित कई धाराओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसमें भूतपूर्व देशी रियासतों को संघीय व्यवस्था में वही स्थान दिया गया जो प्रान्तों का था, इसने संघीय ढाँचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोजन का प्रावधान रखा, और इसके अतिरिक्त इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इसने राज्यों के हितों की सुरक्षा तथा राजस्व प्रावधानों की नमनीयता के लिए वित्त आयोग का निर्माण किया। यहाँ प्रासांगिक महत्वपूर्ण विषय अनुकूल अथवा परिवर्तनों का नहीं है। इसका सम्बन्ध इस तथ्य से है कि एक नव-स्वतंत्रप्राप्त देशों के प्रान्तीय नेताओं ने स्वेच्छापूर्वक एक ऐसी कठोर संघवाद की व्यवस्था को अपनाया जो मूलतः एक सशक्त, केन्द्रीकृत औपनिवेशिक प्रशासन की हितसाधक के रूप में बनाई गई थी। अंग्रेजों ने भारत पर ऐसी व्यवस्था आरोपित की, लेकिन भारतीयों ने अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप अपने लिए एक सहकारी संघवाद (Co-operative federalism) को स्वीकृत किया। ऐसी व्यवस्था इस तथ्य के बावजूद अपनाई गई कि कई नवोदित राष्ट्र कठोर संघवाद को भी फूट डालने वाली व्यवस्था मानते थे।

संविधान सभा अपने पूर्वोदाहरण को अस्वीकृत करने या उनको गृहीत करने के माध्यम से सृजनशील हो सकती थी। उसने १९३५ के अधिनियम का अधिकाश भाग अस्वीकृत कर दिया जिससे कि वह भारतीयों के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण कर सके जो उन्हें पहली बार राजनीतिक इष्टि से संगठित करे। जहाँ तक संविधान सभा समर्थ थी उसने भारत में साम्राज्यिक इकाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को एकता प्रदान की। ऐसा करने के लिए उसने उन अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विस्तृत धाराओं को अस्वीकृत किया जो यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् बने संविधानों की विशेषताएँ थीं और जिनसे सदस्य थीं। एन. राव की 'कास्टीट्यूशनल प्रीसिडेंट्स' नामक पुस्तक तथा १९३५ अधिनियम के विकलांग पूर्वोदाहरणों के माध्यम से परिचित थे।

^{२५} इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि १९३५ के अधिनियम की संघीय व्यवस्थाएँ विभिन्न दोमिनियनों के संविधानों से व्युत्पन्न थीं और यह भी कि काप्रेस ने १९२० के दशक के दौरान भारत के लिए एक संघीय संविधान को आवश्यकता पर बल दिया था।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

१९३५ के अधिनियम ने राजनीतिक सुरक्षा-वृक्ष व अल्पमस्तकों के कल्पाण की वास्तविक चिता के मिश्रण से प्रेरित होकर गुटों को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया थी और उन्हें प्रोत्साहित किया। २६ जैसाकि विदित है, इसी अधिनियम ने व्यवसायगत प्रतिनिधित्व, पृष्ठक निर्वाचक वर्ग, सुरक्षित स्थानों तथा अधिक प्रतिनिधित्व (weightage) जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रयुक्त किया। संघीय विधान मंडल निचले तथा संदानिक रूप से लोकप्रिय सदन में साम्प्रदायिक व व्यवसायगत प्रतिनिधित्व के लिए घारह प्रकार की सुरक्षित सीटें निर्धारित की गई थीं। प्रान्तीय विधान समांगों में सदस्य इन सीटों के लिए आमान्तः अप्रत्यया रूप से तथा निश्चित निर्वाचित-वर्ग द्वारा पृष्ठक रूप से निर्वाचित होते थे। इस प्रकार की गुटबन्दी वो समर्थन देकर अप्रेजों ने शोपिनिवेशिक शासनों के अन्तर्वेदन की विरोध को अभिनीत किया। देशी बहुमत के चंगुल से देशी अल्पमत के अधिकारों की सुरक्षा के आवरण में उन्होंने दोनों की ही स्वतंत्रताएँ दीन ली।

राष्ट्रीय एकता के प्रसार के उद्देश्य से संविधान सभा के सदस्यों ने इन व्यवस्थाओं को धस्ती-कृत किया। उन्होंने निचले सदनों में अप्रत्यय चुनावों के स्थान पर प्रत्यय चुनावों को स्वीकार कर पृष्ठक निर्वाचिक वर्गों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचिक वर्गों को चुना थी और अनुगृहित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त भन्य किसी भी वर्ग व्यवसाय को अधिक प्रतिनिधित्व देना समाप्त कर दिया। जैनिस के शब्दों में संविधान सभा का यह विश्वास था कि साम्प्रदायिक दावों को मान्यता देने का अर्थ साम्प्रदायिकता को शिवित देना होगा।^{३०} इस विश्वास के कारण भारतीय मुसलमानों की संख्या में हुई भारी कमी ने सभा का कार्य सहज कर दिया और उसके भीपरण परिणामों ने साम्प्रदायिक सदमावना की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन संविधान सभा की साम्प्रदायिक एकता के प्रति रचनात्मक हृष्टि का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अपने-अपने कार्यों व गतिविधियों के लिए स्वतंत्र हो गए।

संविधान सभा ने अन्य संविधानों से ली गई धाराओं को अत्यधिक कुशलता से चुना। यह कार्य वी. एन. राव की देख-रेख में संविधान सभा संचिवालय द्वारा तैयार किये गए संवैधानिक पूर्वोदाहरणों की तंगारी द्वारा सभा की बैठकों के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण-कार्य में राव के परामर्श का कुछ समय तक स्वतंत्रता-पूर्वक प्रयोग किया, उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क चले गए। संविधान सभा उन गैर-कानूनी सियांगों—जैसे एन. गोपालस्वामी अध्यांगर,

२६ भारतीय एकता के प्रति बिटेन का नकारात्मक रूप अपेक्षित था क्योंकि भारत की एकता बिटेन शक्ति को एक चुनौती थी। बत़ यह एक दुष्टिमार्ग नीति थी कि गुटों को प्रोत्साहन दें और किर उनमें सहुलन स्थापित करें। बिटेन ने भारत में स्वयं गुटों अध्ययन साम्प्रदायिकता का निर्माण नहीं किया लेकिन उनकी नीतियों ने अवश्य ऐसा किया। यह दुष्टिमार्ग है कि आमान्तः रूपये भारतीय इस विषय में अपनी विरागति के प्रति उत्तरदायी है।

२७ जैनिस, सभ कोनटेनरिस्टिस्ट, पृ० ६५

अत्त्वादी हृष्णस्वामी श्यार, तथा अम्बेडकर-पर भी अत्यधिक निमंर थी जिन्हे कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। डॉ० अम्बेडकर के भन्तर्गत विधि मंत्रालय तथा जोन मेषाई के भन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता विशेष महत्व की थी। इन दोनों ने संविधान सभा के दल की दैटकों में गाग लिया ही था। कई अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों ने भी संविधान सभा को शाफन प्रस्तुत किए। संविधान सभा को प्रान्तीय सरकारों से भी संकड़ी पत्र प्राप्त हुए थे जिनका विषय-धोत्र राजस्व करों से लेकर मूल अधिकारों तथा उन सुभार्यों तक विस्तृत था जिनमें कुछ वर्गों को अनुग्रहित जाति और जनजाति में रखने की सिपाहियाँ की गई थी। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के समक्ष संविधान से सम्बंधित वित्तीय शक्तियों, भाषायी प्रान्तों के प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों, नागरिकता सम्बन्धी धाराओं तथा ऐसे ही अन्य प्रश्नों के विषय में गठित की गई विशेषज्ञ समितियों के भी प्रतिवेदन थे। इन इटिकोरों के निर्माण व उनकी व्याख्या को एक परिवेद्ध प्रदान करते हुए संविधान सभा के सदस्यों को शासन का वास्तविक अनुभव भी प्राप्त करना था। इस उत्तरदायित्व को न्यूनाधिक अंशों में सभी सदस्यों द्वारा निर्वाह होना था। इस दोहरी भूमिका से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान ने संविधान की सामग्री को विशेष रूप से प्रभावित किया। अनेक लोक संगठनों ने भी संविधान सभा के समक्ष अपने विचार रखे। इन संगठनों में चेम्बर्स आँफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा तिजी कम्पनियों, बार एसोसिएशनों, भाषायी परिषदों तथा अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने संविधान सभा को लिखा वे मुख्यतः कानूनी जटिलताओं, भाषायी प्रश्न, मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों में रुचि रखते थे। अंतिम दो विषयों पर हजारों की संख्या में पत्र प्राप्त हुए। कई पत्र 'कल्पि भगवान' के नाम से प्राप्त हुए जिन पर 'एस. आर. चारी—ईश्वर का भवतार' नाम से हस्ताक्षर किये गये थे।^{३१} संविधान सभा सचिवालय ने लगभग सभी पत्रों की प्राप्ति-मूलना दी और अक्षर प्रारूप समिति तथा संविधान सभा के नेताओं के लिए उनका सारांश प्रस्तुत किया। संविधान पर इनके प्रभाव की जाँच कठिन है। कुछ सुझावों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया गया। एक ऐसा सुझाव चेम्बर्स आँफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज से प्राप्त हुआ था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि संविधान मंडल में व्यवसायगत प्रतिनिधित्व मिले। वकीरों, न्यायाधीशों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिकार संबंधी प्रावधानों में ढील देने के लिए डाला गया दबाव फलदायक था यद्यपि यह संशयपूर्ण है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मर्तों का संविधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता हो। ऐसा स्पष्टतः प्रतीत होता है कि संविधान सभा के सदस्य विभिन्न विषयों से संबोधित सोकमत की शक्ति के प्रति सजग थे। इस आधार पर यह कहना उपयुक्त होगा कि संविधान सभा को प्राप्त अनेकों पत्रों का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों को इस बात के प्रति आगाह करना था कि उनके प्रयासों पर लोगों की

^{३१} यद्यपि अनता से प्राप्त पत्र, मूलनाएँ आदि विभिन्न सकलनों में उपलब्ध हैं लेकिन उनमें से अधिकांश लां मंत्रालय के आर्काइव्स में हैं।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

मेजर है और उन्हे विभिन्न प्रावधानों के निमणि में विशेष सतकंता बरतने की आवश्यकता है। संविधान सभा के सदस्यों को संघवाद व संसदीय लोकतंत्र की उनकी पसन्द की आलोचना करने वाले बहुत कम पथ प्राप्त हुए थे। यह इस बात का परिचायक था कि गृहीत संविधानिक व्यवस्थाओं का विरोध कम था और लोगों की रुचि इस बात में थी कि कार्य भली-भाँति हो।

यदि किसी संविधान के उद्देश्यों की उठकृष्टता उसकी परिपद के अभिप्राय की मापक मापक होनी चाहिए। संविधान सभा का यह अभिप्राय या कि भारतीय संविधान देश-वासियों को स्वतन्त्रता, समानता, भावृत्त्व व न्याय उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर उसका यह उद्देश्य या कि संविधान के माध्यम से मारत का पुनर्जन्म होना चाहिए। यिथने चौदह वर्षों(अब छब्बीस वर्षों) को घटनाओं ने यह सकेत दिया है कि संविधान ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान की है। अतः महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उपलब्धि-साधन विदेशी उद्गम के हैं, महत्वपूर्ण यह है कि उनको मुचाल रूप से स्वीकृत कर उनके द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति की गई है।

संविधान की आलोचनाएँ

संविधान सभा के सभी सदस्यों का यह विश्वास नहीं था कि विदेशी पूर्वोदाहरणों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है। कुछ का यह मत था कि एक संविधान जो 'अ-भारतीय' है और अपने सिद्धान्तों में न सही तो कम से कम स्वरूप में विदेशी है, सफल नहीं हो सकता। इसके बावजूद कुछ विदानों, विशेषकर विटिश पूर्वोदाहरणों पर निर्भरता को वेता सर आइवर जेनिस ने, मारतीय संविधान भी विटिश पूर्वोदाहरणों पर निर्भरता को नहीं गया। उनके अनुसार सामान्यतः भारतीय संविधान प्रत्यधिक सम्भव और जटिल है। हमें इन विचारों की परीक्षा करनी चाहिए।

सर्वाधिक मार्यांक जिसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है, यह प्रकट को गई कि संविधान के भधिकांशतः विदेशी उद्गम होने के कारण उसे भारत में मुचाल रूप से सकिय नहीं बनाया जा सकेगा। बहस के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य ने यह आरोप लगाया कि "उन भादरों का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जिनसे उपर्युक्त सिद्ध नहीं होगा और जैसे ही इसे कियान्वित किया जाएगा, यह विषट्टि ही संविधान का यह प्रारूप तैयार हुआ है। मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि यह संविधान उपर्युक्त सिद्ध नहीं होगा और जैसे ही इसे कियान्वित किया जाएगा, यह विषट्टि ही जाएगा।"^{३२} एक अन्य सदस्य ने इस बात पर दुस व्यक्त किया कि 'हम बोएगा अध्यवा सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें भ्रंगेजी बैड की धुने मिली है।'^{३३} एक और सदस्य

^{३२} ली. ए. बी. XI, ४, ११३, एल-माहू।
^{३३} ली. ए. बी. XI, ४, १११, के रुक्मिणी।

ने संविधान की तुलना पश्चिम के दासतापूर्ण अनुकरण या उससे भी अधिक उपयुक्त रूप से पश्चिम के प्रति दासतापूर्ण आत्मसमर्पण से की।^{३४}

इन आलोचकों का यह विश्वास था कि यह संविधान अ-भारतीय या भारत-विरोधी है क्योंकि इसने न तो भारत के प्राचीन ज्ञान व राजव्यवस्था को समाविष्ट किया है और न इनका प्रतिनिधित्व ही। उनके मत में इसके द्वारा यदि भारत का मूल व्यक्तित्व नहीं, तो कम से कम विरासत तो लुटी ही थी। उनका आग्रह था कि भारत को अनिवार्यतः भारतीय संस्थाओं द्वारा शासित किया जाना चाहिए और उनके मतानुसार संविधान सभा ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं तथा देशी संस्थाओं को भुला कर एक गलत कार्य किया था।

इसके बावजूद उन सदस्यों ने, जिनकी यह शिकायत थी कि संविधान भारतीय प्रतिभा को प्रतिविम्बित नहीं करता, गांधीवादी संविधान का भी समर्थन नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कभी नहीं स्पष्ट किया कि उनका इस प्रतिभा से क्या अभिप्राय है। इसका कारण यह था कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं निश्चित नहीं थे। किसी ने भी संविधान सभा के कार्यकाल के दौरान या कभी उसके बाद 'भारतीय' शब्द को परिभाषित नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (ग्रार०एस०एस०) व हिन्दू सभा जैसे कटूर हिन्दू संगठनों ने भी संसदीय सरकार को इस आधार पर चुनौती नहीं दी कि वह रहस्यात्मक हिन्दू राज व्यवस्था के बिरुद्ध हैं। स्वयं हिन्दू महासभा द्वारा प्रस्तावित संविधान अपने स्वरूप की दृष्टि से संसदीय था। यह घोषित करना कि संविधान अ-भारतीय अथवा भारत विरोधी है असंगत है, क्योंकि इस स्थिति में ऐसे मापदण्ड का प्रयोग करना होगा जो अबतक अपरिभाषित है, भले ही वह अपरिभाष्य न हो।

वस्तुतः अधिकांश संविधान भारतीयेतर (Non-Indian) है, लेकिन इस स्थिति में और उसके अ-भारतीय होने में या उसकी भारतीय विचारों और कार्यों से असंगति में स्पष्टतः अंतर है। यदि संविधान और हिन्दू परम्पराओं अथवा भारतीय परम्पराओं के मूलों में किसी प्रकार की वास्तविक असंगति होती या यों कहा जाए कि संविधान अभारतीय होता और इसलिए शासन के आधार के रूप में अनुपयुक्त होता तो इसकी अपर्याप्तता अबतक निश्चित रूप से प्रकट हो गई होती और अनुदार अथवा प्रतिक्रियावादी जनसमुदाय ने इसके बिरुद्ध प्रतिक्रिया की होती। लेकिन इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसके विपरीत भारतीय जनसमुदाय ने—चाहे वह मिल मजदूर हो या किसान—संविधान के उद्देश्यों को अपने देहतर जीवन की गारंटी के रूप में तत्परता से स्वीकार किया है।

^{३४} सी. ए. डी. VII, २, २४२, लोकनाथ मिश्र। संविधान सभा व्यवस्थापिका के बधयन और बाद में लोकसभा के अध्ययन, जो वीं मावलकर ने भी इसमें सदैह व्यक्त किया कि संविधान देश की प्रतिभा के बनकूल है। मावलकर का यह विश्वास था कि भारत में राजनैतिक चेतना का स्तर इनना निम्न है कि यहाँ कोई लोकतात्त्विक संविधान कार्यशील नहीं हो सकता। देखें, दि हिन्दुस्तान टाइम्स १५ मित्रव्यं वर १९४६। स्पष्टतः मावलकर नेहरू व पटेल की भाँति ऐसी बाजी खेलने के पक्ष में नहीं थे कि एक बार लोकतात्त्विक सरकार की स्थापना के बाद कालातंत्र में ऐसी व्यवस्था के निए आवश्यक राजनैतिक चेतना भी आ ही जाएगी।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

ऐसे करते समय उन्होंने संभवतः इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि इन पारांग्रों का उद्गम कहाँ से हुआ है। उन्होंने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समान उत्सुकतापूर्वक विभिन्न संविधानिक व्यवस्थाओं जैसे व्यस्क मताधिकार, न्यायपालिका, मूल अधिकारों तथा निदेशक विद्वानों का प्रयोग किया है।

समस्या का केन्द्रबिन्दु यह है कि अधिकांश मारतीयों ने, चाहे वे परम्परागत जीवन को कितना भी महत्व बयो न दें, उस परम्परागत राजनीति के प्रति कम रुचि प्रकट की है जिसको कुछ विशेष लोगों द्वारा बहुमत का सासन समझा जाता है। वे इन दोनों स्थितियों में कोई आवश्यक रूप से सम्बन्ध नहीं देखते। प्राप्त प्रगाण यह अधिकाधिक स्पष्ट करते हैं कि भारतीय सामाज्यतः राजनैतिक व सामाजिक स्वतन्त्रता के हित में परम्पराओं के सर्वाधिक व्यक्तिगत पक्षों को समाप्त करने के अतिरिक्त अन्य सभी पक्षों के संदर्भ में लोकतात्त्विक वह भारत आधार पर आलोचना करना कि राजनीति का प्रयोग करना चाहते हैं। संविधान की इस आधार पर आधार व्यवस्थापन के स्तर पर उपरांत ही राजनीति के भूदान आदेलन ऐसे राजनीति के भारतीय स्वरूप प्रचलित है। इन्हीं मारतीय स्वरूपों व प्रतीकों ने समन्वयवाद व समायोजन की उन मावनाओं का

संविधान की सर आइवर जेनिस ने विशेष आलोचना इस आधार पर की है कि वह अत्यधिक लम्बा, विस्तृत तथा दुष्परिवर्तनशील है।^{३५} संविधान रूप से सम्भा और विस्तृत तो है लेकिन उसकी दुष्परिवर्तनशीलता सिद्ध नहीं हुई है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की हाफिट में संविधान के विस्तार के अनेकों ठोस आधार थे। कई धारांग्रों का समावेश तथा इसलिए किया गया था क्योंकि उनके विषय में यह सोचा गया कि वे आधारभूत महत्व की है और इस कारण उन्हें साधारण न्यायपालिका से संविधित ही नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोकसेवाओं तथा न्यायपालिका से संविधित धाराएँ इसलिए समाविष्ट की गई कि उन्हें संसद की पूँछ से दूर रख कर उनकी स्वतन्त्रता नुरक्षित की जा सके। इस प्रकार उनके प्रति विशेष सम्मान का माव प्रकट किया गया। संविधान में न्यायिक धाराएँ इसलिए भी रखी गईं क्योंकि संविधान सभा में यह आवश्यक निर्णय लिया गया कि उन्हें किसी न्यायालय-अधिनियम को नहीं सोचा जाएगा। जैसाकि डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान में इस प्रकार की धाराएँ अनिवार्यतः समाविष्ट होनी चाहिए क्योंकि ऐसा विलुल संभव है कि संविधान के स्वरूप में विना किसी परिवर्तन के मात्र प्रशासन में परिवर्तन द्वारा ही उन्हें विकृत कर दिया जाए।^{३६} इस धारांका से कि कहीं उनके भ्रमिप्राप्य को नष्ट न कर दिया जाए, संविधान सभा के सदस्यों ने उन्हें संविधान में स्पष्टतः लिखित रूप प्रदान करने का ध्यान रखा। हमें संभवतः इसका आभास न हो कि

^{३५} इस प्रयत्न पर निरुत्त चर्चा के लिए देश मार्टिस जोन्स, पानियामेन्ट इन इंडिया, १० ३७-३८

^{३६} जेनिस, सम केनेटरिस्टिक्स, ४० ६-१६

^{३७} श्री. ए. श्री. VII, १, १८ इस विषय पर डॉ. अम्बेडकर के विस्तृत विचारों को जानने के लिए

प्रथम अध्याय (इसी उस्तुक रा) देखें।

दौ० अन्येहकर का संदेह न्यायोचित था या नहीं, लेकिन क्योंकि संविधान के विस्तार ने उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं किया है, इस कारण उनकी सावधानी ने कोई हानि नहीं पहुँचाई है।

संविधान सभा के सदस्यों के अनुसार संविधान में विविध विस्तार का एक अन्य कारण यह था कि उसे प्रशासनिक धमता को सुरक्षित रखते हुए भारत की विदिश सरकार द्वारा भारतीय सरकार को मत्ता हस्तातिरि करने के कार्य को प्रभावपूर्ण बनाना था और स्वतंत्रता के अवसर पर उराने संविधानिक विधि की एक सुहड़ व्यवस्था को विरासत में प्राप्त किया था। मुख्य सिद्धान्तों वाले एक संविधान का प्रारूप तंयार करने के उपरान्त उनको विधानों के रूप में पारित किया जाना सदस्यों के मत में यदि उत्तरनाक नहीं तो कठिन अवश्य था। ये अनिश्चितता की व्यापकता के लिए पूर्वोदाहरणों का ठोस आधार क्यों समाप्त करते? संविधान सभा के सदस्यों का यह भी विश्वास था कि संविधान का विस्तार संभवतः उसके अर्थ व उनके अभिप्राय का परीक्षण करने वाले मुकद्दमों की संख्या में वृद्धि के स्थान पर कमी करेगा। ऐसा विशेष रूप से तब सही होता जब प्रशासनिक विस्तार सम्बन्धी संविधानिक धाराएँ^{१८३५} के अधिनियम से ती जाती क्योंकि कानूनी व्यवसाय के सदस्य तथा मंत्री दोनों ही उनसे भलीभांति परिचित थे। साथ ही, संविधान मे० १९३५ के अधिनियम तथा अन्य संविधानों से प्राप्त धाराओं के समावेश का यह अर्थ होता है कि तात्कालिक न्यायिक मुकद्दमे० जिनसे इन प्रारान्तों की व्याख्या होती थी, भविष्य मे० भी संविधान की व्याख्या हेतु उपलब्ध होते। समय ने इन सभी अनुमानों का समर्थन किया है। संविधानिक व्याख्या सम्बन्धी मुकद्दमों की संख्या में अनुचित वृद्धि हुई है लेकिन जब-जब ऐसा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पूर्वोदाहरणों के साथ-साथ अमेरिकी व अन्य देशों के मुकद्दमों का खुलकर प्रयोग किया है। भारतीय प्रशासन उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली इसतिए रहा है क्योंकि स्वतंत्रता के उपरान्त उसका नए सिरे से निर्माण नहीं किया गया।^{३६}

इस प्रकार समय ने संविधान से सम्बन्धित अधिकांश आलोचनाओं को गलत सिद्ध किया है। हमें इसमें संदेह नहीं होता चाहिए कि भारतीय संविधान एक कल्पनाशील, लेकिन साथ ही कुशल दस्तावेज़ था जिसकी राष्ट्रीय संविधानिक आवश्यकताओं के सदर्म मे० यदि संविधानीय भौतिक नहीं तो कम से कम सृजनात्मक दृष्टि अवश्य थी। ऐसा भारत में संसारीय, लोकतांत्रिक सरकार की सफलता से सिद्ध होता है क्योंकि किसी अच्छे संविधान से बुरा शासन तो हो सकता है, लेकिन किसी बुरे संविधान द्वारा अच्छा शासन लगभग असम्भव है।

^{३५} इस सम्बन्ध मे० यह सर्वविवित है कि १९४५ मे० कई भारतीय पाकिस्तान के उस अवसर के प्रति ईर्घ्यालू ये जिनसे उसने एक राष्ट्र का निर्माण किया था और अस्तित्वप्राप्त परम्पराओं व व्यवस्था द्वारा अपेक्षित भारयुक्त प्रशासन पाया था। लेकिन इसके बाबूगूद पाकिस्तान व अब वही देशों ने इस कार्य को अत्यधिक जटिल पाया है। भारत का जाम सरल मही था। अतीत की धरोहर गृह रही है और अवसर उराने सहजता भी की है। हो सकता है उसे भविष्य मे० छोड़ना भी पड़े। लेकिन स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों मे० एक कार्यशील प्रशासनिक व्यवस्था निर्संदेह एक अत्यधिक प्रश्नसंनीय उपलब्धि है।

भारतीय सरकार एवं राजनीति

सफलता का थ्रेय

कुछ विद्वानों ने संविधान के सफल क्रियान्वयन के लिए १९५० से बर्तमान काल तक की हितकारी स्थितियों को उत्तरदायी माना है, तो कुछ ने श्रीपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज में लोकतांत्रिक अनुभवों के बीज अंकुरण को इसका कारण माना है। इसके अतिरिक्त संविधान में सहदीय लोकतन्त्र की प्रयोगसिद्ध व सच्ची संस्थाओं के प्रवेश के प्रारूप तथा संविधान सभा के कार्यसंचालन के समय त्रिटिश व अमेरिकी संविधान योगदान इस रूप से १९३५ के अधिनियम का है कि उक्त अधिनियम इतना अधिक दोपशुरण् था कि मात्र उसके कुछ अंशों को ही है कि उक्त अधिनियम इतना अधिक दोपशुरण् था कि मात्र उसके कुछ अंशों को ही कुशलतापूर्वक लिया गया था और संविधान सभा के सदस्यों ने उसकी अपेक्षा मुख्य व्यवस्थाओं को नहीं लिया। त्रिटिश काल के दौरान भारतीयों के लोकतांत्रिक सहदीय संस्थाओं के अनुभव व शासन में उनके अप्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण ने निश्चित रूप से संविधान की अनुभव के आलोचकों को इस पक्ष से तैयार किया, उसी ने परिणामतः भारतीयों को इतनी अच्छी तरह कार्य करने के समर्पण बनाया है।

जो लोग यह तर्क देते हैं कि परिस्थितियों ने भारतीय संविधान को सुचारू रूप से है जो किसी भी नए राष्ट्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ये घटक हैं: एक चमत्कारिक नेतृत्व, जनसाधारण का दल तथा कुशल रूप से प्रशिक्षित प्रशासनतन्त्र।^{३४} नेहरू व अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी राजनीतिमत्ता तथा लोकप्रियता के आधार पर मारत को एक नवीन दिशा दी है और वे स्वयं प्रेरणा के लिए राष्ट्र के बेन्ड-विन्ड रहे हैं। संविधान ने अंशतः सुचारू रूप से कार्य इसलिए किया है क्योंकि नेताओं को यह आभास था। एक जनसाधारण के दल ने अपने सामान्यतः स्वीकृत लक्ष्यों, सहकारी भावना पर आधारित इसके प्रयासों, तथा इसके अनुयायतः स्वीकृत लक्ष्यों, सहकारी भावना पर आधारित होता था।) के कहाँ जा रहे हैं और जनसाधारण को उनके नेतृत्व के प्रति संतोष था। एक जनसाधारण के दल ने अपने सामान्यतः स्वीकृत लक्ष्यों, सहकारी भावना पर आधारित होता था।) के व्यवस्था के प्रमाणशाली क्रियान्वयन में विश्वास उत्पन्न किया है। प्रशासन तन्त्र ने संविधान के निर्माण काल के दौरान व उसके अन्तर्गत सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा है और उसके द्वारा आधारभूत आवश्यक कार्य सम्पन्न होते रहे हैं।

^{३४} इन घटकों ने मुख्यमंत्र व्याधन के लिए लेवर इवोरिय फॉनिक फॉर्मेत का बताया है।

भारत में कभी भी लोकप्रिय विश्वास का सकट नहीं उपस्थित हुआ, अराजकता का यहाँ कभी प्रसार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सामान्य प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहा है, राष्ट्र का उसके नेतृत्व के प्रति विश्वास रहा है और राष्ट्रीय विकास हेतु दल के समग्र प्रयास होते रहे हैं। इन्हीं घटकों ने भारत को विभाजन से उत्पन्न अराजकता को भेत्ताने की क्षमता दी है। एक बार जीवन सुध्यवस्थित रूप से चलता रहे तो सदीय लोकतन्त्र की सूखमताओं तथा संविधान-निर्माण की ऐसी विचारपूर्ण समस्याओं व प्रश्नों पर ध्यान दिया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि संविधान इस कारण सफल रहा क्योंकि उसकी संस्थाओं या स्वयं उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रहार नहीं हुआ है और ग्रीष्मनिवेशिक अनुभव, नेतृत्व, एक जन साधारण के दल और प्रशासनतंत्र ने हितकारी संविधानिक वातावरण का निर्माण किया है।

यह अनुमान करना कठिन है कि ग्रीष्मनिवेशिक अनुभव की सफलता के अभाव में यदि कोई संविधान लागू किया जाता तो उसका क्या अविष्य होता ? यदि भारत में एक महान् नेता, एक जनसाधारण का दल और कुशल लोकसेवक न होते तो उस स्थिति में क्या होता ? यदि नेहरू भारतीय राजनीति में लम्बे समय तक न रहते और परिणामस्वरूप अराजकता प्रकट होती हो गई होती तो क्या भारतीय संविधान इस स्थिति को भेल सकता था ?

यदि दोसरी सदी के मध्य में उदित हुए नव स्वतन्त्रताप्राप्त देशों द्वारा लोकतात्रिक संविधानों को स्वीकार करना है तो हमें यह प्रश्न पूछना ही होगा। इस प्रश्न में निहित अर्थ यह है कि यदि कांग्रेसी आविष्यत्य न होता तो उसके स्थान पर कई दल एक साथ प्रभावहीन तरीके से शक्ति की खोज में लगे होते और परिणामस्वरूप अराजकता प्रकट होती। कोई भी लोकतात्रीय संविधान ऐसी स्थिति में अपना लोकतात्रिक स्वरूप खोकर, तथा अपने मूलरूप पर आधारित सरकारों की अवोग्यता व विनाश से स्वयं को बचाकर ही अपनी रक्षा कर सकता है। अपने अनवरत अस्तित्व के लिए एक लोकतात्रिक संविधान की यह आवश्यकता होती है कि विशेषतः शासित लोगों व शासकों का लोकतन्त्र में विश्वास हो। सरकार के सदस्यों से यह अपेक्षा होती है कि वे मात्र लोकतात्रिक ही नहीं हों बल्कि प्रभावशाली शासक भी हो। एक लोकतात्रिक संघ एकता के प्रति इच्छा का भी पूर्वानुमान लगाता है।

इन स्थितियों का अभाव एक लोकतात्रिक संविधान को प्राणान्तक चुनौती देता रहता है, जैसाकि १९६१ के संयुक्त राज्य या वाइमर जर्मनी में हुआ। जिन घटकों के माध्यम से भारत ने अपने संविधान की रक्षा की है उन्हीं के रहते एक देश अपने संविधान का गला भी घोट सकता है जैसाकि धाना में हुआ। वहाँ एक चमत्कारिक नेता भी था तथा एक जनसाधारण का दल भी लेकिन वहाँ प्रत्येक अवक्ति ने लोकतन्त्र की मात्र दुहाई ही दी। अतः हम यह पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय संविधान का निर्माण ऐसे नेता व सशक्त दल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों से निवटने के लिए किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि संविधान इतना ही उपलब्ध करा सकता है जो किसी परिस्थिति में सम्भव हो

सके, क्योंकि नए राष्ट्रों में लोकतंत्र मात्र एक सुविचारित खतरा है। १९६४ की घटनाएँ इस बात का सकेत देती हैं कि भारत में यह खतरा टल चुका है तथा भारत का संसदीय लोकतंत्र महान नेताओं की शृंखला में अन्तिम नेता नेहरू की मृत्यु फैल सकता है।

भारत में अन्य नदोदित राष्ट्रों की तुलना में सफलता की समावनाएँ, असफलता की आशकाओं से कही अधिक थीं क्योंकि भारतीय परम्पराएँ व भारतीय समाज-दोनों लोकतांत्रिक सरकार के अनुकूल हैं। संविधान के सुचारू संचालन के लिए औपनिवेशिक अनुभव से उतना अधिक योगदान नहीं दिया जितना कि इस तथ्य ने कि ड्रिटिंग उदार लोकतंत्र की भावना व विचार के बीज विद्यशासन-काल में ही उपजाऊ भारतीय भूमि में पड़ गए थे और उन्होंने भारतीय आचरण को प्रभावित किया था। इसके अतिरिक्त यह सही है कि भारतीय चमत्कारी नेतृत्व और जनसाधारण के दल ने लोकतंत्र का मखील उड़ाने के स्थान पर उसको सुरक्षा प्रदान की है। समस्त कारणों के साथ-साथ ये दोनों कारण भी उसी एक आधारभूत तथ्य पर निर्भर हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के प्रति सजग रहे हैं।

सहमति का आदर्श सभी मानकों में सर्वाधिक लोकतांत्रिक है। भारत की महान्, प्राचीन तथा उदार सास्कृतिक परम्पराओं ने सर्वाधिक प्रगतिवान् बौद्धिक विचारों को समाहित किया है। भारतीय बौद्धिक वर्ग यूरोपीय संस्कृति के आदि-प्रतिनिधियों से समान स्तर पर मिल सका था। उन्होंने सहजतापूर्वक आधुनिक सरकार व दर्शनों को अपने विचारों में अनुस्थूत किया था। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति स्वाभाविक सजगता और उन्हे नियंत्रित करने की क्षमता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्पूर्ण इतिहास के उदाहरण से स्पष्ट होती है। अधिकांश राष्ट्रवादी आन्दोलन के उदाहरणों के विपरीत कांग्रेस अपने आन्तरिक संगठन की हृष्टि से लोकतांत्रिक थी। इसके आचरण की दिशा में आतंकवाद एक अपवाद था, न कि नियम जबकि समझीता वार्ताएँ एक नियम थी न कि अपवाद। स्वाधीनता के साठ वर्षों पूर्व से ही कांग्रेस ने 'लोकतांत्रिक सरकार की' मौग करने के साथ-साथ उसको व्यवहार में भी परिणित किया था।

भारतीयों द्वारा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं की अनुभूति, आधुनिक विश्व के कला व विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी व्यवसायगत उपलब्धि और स्वशासन की उनकी क्षमता के प्रति उनके विश्वास—इन सभी ने संयुक्त रूप से सरकार के निर्माण व उसके संचालन के सम्बन्ध में उन्हें एक विवेकसम्मत हृष्टि प्रदान की। एक लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण व उसकी मूलभूत योग्यताओं, मनोवृत्तियों तथा अनुभवों से सम्बद्ध होकर उन्होंने नियति से धैर्य व साहस के साथ साक्षात्कार किया।

Further Readings

1. *Bannerjee, A.C.* The Making of the Indian Constitution. Calcutta,
A. Mukherjee & Co., 1948, pp.
312-327, pp. 385-386, pp. 483-486
and pp. 522-540.
2. *Chauhan,*
3. *Rau. B.N.* ; India's Constitution in the Making
Bombay, Allied Publishers, 1960,
particularly pp. 360-366.

भाग ३

राजनैतिक व्यवस्था का स्वरूप

भारत में धर्म-निरपेक्षता

धर्म-निरपेक्षता एक संविधानेतर विचार है। इसके बावजूद इसने भारतीय कानून व व्यवहार पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि धर्म-निरपेक्षता वस्तुतः भारत जैसे बहुलवादी समाज को, जहाँ विविध भाषाएँ, रीति-रिवाज मान्यताएँ, धर्म सम्प्रदाय आदि अस्तित्व में हैं, एकता का सम्बल प्रदान करती है। यह विचार राष्ट्रीय विकास व उसके प्रति जन मानस की आस्था के प्रतीक के रूप में उभरा है।

धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप व उसके विविध आयाम, अत्यधिक विवाद का विषय रहे हैं। इस सम्बन्ध में अथवा बौद्धिक चर्चा हुई है और वह अनवरत रूप से जारी है। विवाद धर्मनिरपेक्षता की भारत के सदर्म में प्रासंगिकता अथवा अप्रासंगिकता के विषय में नहीं है, वह वस्तुतः स्वयं धर्मनिरपेक्षता के संदान्तिक पक्ष के सम्बन्ध में है और यह कहना सम्भवतः अतिशयोक्तिपूर्ण न हो कि इस विवाद ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को परिष्कृत किया है। विवाद को उसकी सम्पूर्णता में प्रस्तुत करने की दृष्टि से हमने मुख्य दो प्रतिनिधि-लेखों का चयन किया है। प्रथम लेख डोनल्ड स्मिथ का है—भारत में धर्मनिरपेक्षता (इंडिया एज ए सेक्यूलर स्टेट, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस १९६३, पृ० ४४४-५०१) इस लेख में धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी दृष्टि से देखा गया है और उसे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की आधुनिकीकरण की इच्छा के समूचे सदर्म में स्थान दिया गया है। लेखक ने धर्मनिरपेक्षता की विसंगतियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया है और अंततः वह धर्मनिरपेक्षता की सफलता के प्रति आशावान् रहा है। भारतीय पक्ष को प्रस्तुत करते हुए भारत के लब्धप्रतिष्ठ न्यायशास्त्री व उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ० गजेन्द्रगढ़कर का यह आग्रह है कि धर्म-निरपेक्षता के भारतीय स्वरूप को उसके पश्चिमी स्वरूप के समकक्ष रखना अनुप्युक्त है। एक मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता हमारे इतिहास से सम्बद्ध रही है और उसने हमारे भ्रतीत को प्रभावित किया है। स्वतंत्र भारत में इसकी राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में विशेष प्रासंगिकता है। यह लेख डॉ० गजेन्द्रगढ़कर के एक दीक्षांत भाषण पर आधारित है जो उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अठारहवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया था (राजस्थान विश्वविद्यालय के सौजन्य से)। इन दोनों लेखों को इस आशा से पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है कि वे धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में एक पूर्ण पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

—सम्पादक

भारत में धर्मनिरपेक्षता

भारत को धर्मनिरपेक्षता से जोड़ना लगभग विरोधाभास-सा प्रतीत होता है क्योंकि लोक-प्रिय धारणाओं व विद्वत्तापूर्ण अनुसंधानों द्वारा भारतीय ऐतिहासिक सम्यता के धार्मिक अनिमुखीकरण (Orientation) पर बल दिया गया है। आनंद टाँयनवी के अनुमार इस सम्यता की प्रत्यक्षतः एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्ति है जो प्रबल रूप से धार्मिक है। अतः भारत सरकार की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण से प्रतिबद्धता को अनिवार्यतः उसकी सम्पूर्ण आधुनिकीकरण से प्रतिबद्धता के महत्वपूर्ण संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भारतीय नेताओं द्वारा प्रायः इस बात पर बल दिया गया है कि उनके विचार में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय धर्म विरोधी राज्य से नहीं है। उसका सीधा-सा अर्थ धार्मिक कार्यों को राज्य के कार्य-क्षेत्र से अलग करना है। संक्षेप में भारतीय दृष्टि में सिद्धान्ततः धर्मनिरपेक्षता राज्य व चर्चे के पृथक्करण की पश्चिमी धारणा की समानुपाती है और वह भी फांसीसी परम्पराओं से अधिक अमेरिकी परम्पराओं के अनुकूल है। राज्य कानूनी या संविधानिक दृष्टि से किसी विशिष्ट धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नागरिकता के अधिकार व कर्तव्य भी किसी तरह से व्यक्तिगत धर्म पर आधारित नहीं हैं और व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अपने धर्म का पालन व प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। मूल सिद्धान्त काफ़ी स्पष्ट है और भारतीय संविधान 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' शब्द का दिना प्रयोग किए हुए ही उससे सम्बन्धित मूल-भूत सिद्धान्तों का स्पष्टतः भूतं रूप है।

इस पश्चिमी विचार को हिन्दू प्रधान एशियाई समाज में व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार के धार्मिक विचारों व मान्यताओं का भारत में इस समय प्रचलन है, उस स्थिति में उसे आधुनिकीकरण के अपने प्रयासों की दिशा में किस सीमा तक जाति की सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करना चाहिए? किस तरह सरकार समान सामाजिक कानून का निर्माण कर धर्मनिरपेक्षता की अपनी प्राकृता को पूरा कर सकती है जबकि हिन्दू और मुसलमानों के अपने-अपने धर्म-प्रन्थों पर आधारित

पृथक् विवाह नियम हैं और दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है ? एक प्रजातात्त्विक स्वतन्त्र व्यवस्था में राजनीतिक व्यवहार के अन्तर्गत धार्मिक व साम्प्रदायिक निष्ठा को सरकार किस तरह कम कर सकती है विशेषतः तब जबकि ये निष्ठाएँ परम्परागत समाज के यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती हो ? ये सभी समस्याएँ व अनेक अन्य समस्याएँ एक धर्म प्रधान समाज में प्रजातात्त्विक विधि से धर्मनिरपेक्षता के क्रियान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं ।

प्रयोग का महत्त्व

स्वतन्त्र भारत ने “धर्मनिरपेक्ष राज्य” के इस विशिष्ट आदर्श को अंगीकार किया है यही तथ्य अपने आप में महत्त्वपूर्ण है । सामान्य रूप से सम्पूर्ण दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया में धर्मनिरपेक्षता के प्रति कोई निहित रुचि नहीं है । इस क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों की सरकारों को वैधता प्राप्ति व राष्ट्रीय एकता के विकास जैसी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । वीस वर्ष पूर्व पश्चिमी व एशियाई-दोनों प्रक्षेत्रों ने यह स्वीकार किया था कि इस क्षेत्र के नए राज्यों की मुख्य आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास है । लेकिन आज इस क्षेत्र में राजनीतिक विकास की अधिक गम्भीर आवश्यकता के प्रति गुरुतर सजगता है । अनिवार्यतः एक ऐसी स्थिर सरकार होनी चाहिए जिसकी वैधता व श्रीचित्य लोकप्रिय भावना पर आधारित हो । राष्ट्रीय एकता आवश्यक है, इसका अर्थ यह है कि बहुलवादी समाज, जो संप्रभुता प्राप्त कर चुका है, उसका विकास राष्ट्र के रूप में हो । श्रीचित्य व राष्ट्रीय एकता के अभाव में सरकार की आर्थिक प्रगति की प्रभावशीलता निराशाजनक होगी ।

इसी स्थान पर धर्म हमें पर्याप्त सहायता प्रदान करता प्रतीत होता है । ऐतिहासिक दृष्टि से पूरे दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया में परम्परागत हिन्दू, बुद्ध व मुस्लिम राज्यों को धर्म के साथ धनिष्ठ रूप से जोड़कर उन्हें श्रीचित्य प्रदान किया गया । राजा धार्मिक विश्वसङ्गों का रक्षक; मन्दिरों, मठों व मस्जिदों का निर्माता तथा राजकीय वर्ग का संरक्षक था । हिन्दू परम्परा में राजा को मानवीय स्वरूप में दैविक माना गय (मनु) । विश्व के इस भाग के अधिकांश राजनीतिज्ञों के लिए इतिहास के ये अनुभव समाप्त नहीं हुए थे और वडे परिश्रम से उन्होंने अपने राज्य को धर्म के साथ सम्बद्ध रखा था । वर्मा में ऊनु ने बुद्धवाद को राज्य का धर्म बनाने के विकास की दिशा में व्यवस्था की, और १६६१ में इस धर्म को राज्य-धर्म बनाने के आशय से सम्बन्धित एक संवधानिक संघोपन किया । श्रीलंका में विशेषतः १६६६ के बाद सरकार ने बुद्ध धर्म को उसका ‘धर्मिकार पूरण’ पद दिलाने की दिशा में व्यवस्था की । उसके पनुसार बुद्ध धर्म को राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठा का वह स्थान मिलाना चाहिए जोकि उसे पश्चिमी साम्राज्यवादी शासन दे पूर्व प्राप्त था । पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतन्त्र घोषित किया गया थीर वहाँ १६६६ व १६६२ के संविधानों में ऐसे प्रावधान थे जो इस्लाम विरोधी मिलानों पर आधारित कानूनों के निर्माण को रोकते थे । पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व गान ने यह

घोषणा की थी कि पाकिस्तान की विचारधारा इस्लाम की विचारधारा के अतिरिक्त, कुछ नहीं हो सकती।

इन सब घटनाओं व स्थितियों में सरकार ने औचित्य ही नहीं बल्कि धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग से राष्ट्रीय एकता को भी प्राप्त किया। धर्म को राष्ट्रीय प्रतीक घोषया गया। संभवतः यही वह शक्तिशाली प्रतीक था जो विभिन्न धर्म व भाषागत समूहों, पश्चिमी शिक्षित युवकों, व अशिक्षित जनता को एक कड़ी में जोड़ सकता था। निश्चित रूप से विशिष्ट वर्ग व किसानों ने अपने सर्वमान्य धर्म को अत्यधिक पृथक् रूप से समझा लेकिन धार्मिक महत्ता का कुछ समय के लिए विराट विभ्रम उत्पन्न किया गया।

भारत के धर्म निरपेक्ष होने के दावे को कई आधारों पर चुनौती दी गई है। यह भी विलुप्त स्पष्ट है कि अनेक स्थलों पर यह दावा अत्यधिक अशक्त सिद्ध होता है। कुछ भी हो यह विवाद से परे है कि भारत सरकार अपने औचित्य व राष्ट्रीय एकता के स्थायित्व के लिए धर्म को माध्यम नहीं बनाना चाहती यद्यपि हिन्दूवाद के कुछ प्रतीक राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। इसके विपरीत नीति सम्बन्धी मूलभूत मान्यता यह है कि वैधता व राष्ट्रीय एकता धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों पर आधारित है वर्षोंकि वहुभाव के छल नियोजन द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जाए उसे अल्पमत के लगाव के आधार पर अनिवार्यतः समाप्त होना चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही नेहरू, शास्त्री व अब श्रीमती गांधी की सरकारों का ध्यान उन दलों व समूहों के प्रति कठोरतापूर्ण रहा है जिन्होंने हिन्दू राज्य की बात की थी।

हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तियों के विरोध में कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातात्रिक, समाजवादी विचारधारा को स्थान दिया गया। समस्या यह अवश्य है कि इस विचारधारा की जड़े परम्परागत जीवन व संस्कृति में नहीं हैं बल्कि वे पश्चिम से आयातित हैं। हिन्दू दलों का यह विश्वास है कि 'धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र का विचार जनता को प्रेरणा नहीं दे सकता।' इस विवेचन में काफी सत्यता है। यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतन्त्रता के २५ वर्ष उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा हिन्दूवाद का वैधता व एकता के साधन के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं हुआ है।

धर्मनिरपेक्षता के आधार

भारत द्वारा धर्म निरपेक्षता को स्थापित करने के प्रयासों की व्याख्या किस प्रकार की जाए? यहाँ यह स्पष्ट ध्येय व्यंग्यों रहा गया, जबकि अन्य पड़ीसी राज्यों में विभिन्न धार्मिक मूल्यों का व्यापक आधार पर प्रयोग हो रहा था? इसका उचित व सहज उत्तर यह है कि यह सब एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू का बाम था और यह उनके शृंतित्व के भ्रामय में कभी नहीं जीवित रह सकता। वस्तुतः नेहरू धर्म-निरपेक्षता के महान समर्थक (Champion) व हिन्दू साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे। तथापि उन्होंने भारत की धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीयता की उस परम्परा का निर्वाह किया जो १८८५ में भारतम् हुई थी।

एक अल्प समय के लिए हिन्दू उद्धवादियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऊंचा स्थान था लेकिन कुल मिलाकर यह सदा धर्मनिरपेक्ष व असाम्रदायिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाली संस्था थी। १९३७ में ही कांग्रेस ने मूल अधिकारों से सम्बन्धित एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसको भारत के भावी संविधान में स्थान दिया जाना था। इन अंगीकृत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह था कि “राज्य सभी धर्मों के सम्बन्ध में तटस्थिती का व्यवहार करेगा।” यह वास्तव में भारत में ग्रिटिंग सरकार की एक लम्बी स्थापित नीति थी जो इस इच्छा पर आधारित थी कि ईसाई शासन व हिन्दू-मुस्लिम प्रजा के बीच संघर्ष को रोका जाए। १९४० में, जबकि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य व भारत के विभाजन की माँग की थी, कांग्रेस के अध्यक्ष इस्लाम के एक प्रमुख विद्वान् मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। धर्मनिरपेक्षता का विचार उस समय स्वतन्त्रता के साथ ही यकायक नहीं उत्पन्न हो गया था।

भारत सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष आदर्शों को अंगीकृत करने के समर्थन में हिन्दू धर्म की प्रवृत्ति से भी सहायता मिली है। हिन्दूवाद के एक अव्यवस्थित बहुलवादी स्वरूप ने तथा एक एकल धर्म स्वरूप की अपेक्षा विभिन्न सम्प्रदायों के समूह ने धार्मिक विविधता के हृष्टिकोण के प्रति एक सहिष्णु हृष्टि को प्रोत्साहित किया है। हिन्दूवाद में उस धार्मिक संगठन व केन्द्रीय सत्ता का अभाव है जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को व्यवस्थित धर्मसापेक्ष सत्ता द्वारा चुनौती देने के लिए आवश्यक होता है। इसमें कोई एसा स्पष्ट समूह नहीं है जिसे हिन्दू वर्ग का पुरोहित वर्ग कहा जा सके। इसमें कई तरह के असंगठित धार्मिक पदाधिकारी हैं—जैसे पुजारी, संत, आध्यात्मिक धर्म गुरु आदि। किसी भी विशेष हिन्दू समूह का स्वतन्त्रता के बाद की राजनीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा है। इसके विपरीत बौद्ध भिक्षुत्व (Monkhood) थीलंका, बर्मा व दक्षिण वियतनाम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है और इस्लामी कानून के विद्वान् राजनीतिक हृष्टि से कुछ मुस्लिम देशों में विशेष प्रभावशाली रहे हैं।

एक बड़ा व प्रभावशाली धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग एक अन्य तत्त्व है जो धर्मनिरपेक्षता को आधार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्वाभाविक अभिरक्षक हैं। मुसलमानों व सिक्खों की अपनी परम्पराओं में ऐसा कोई विशिष्ट तत्त्व नहीं है जो राज्य के विचार को कोई सार्थक समर्थन दे सके। वे मुख्यतः अपने समुदायों के हितों की रक्षा के लिए ही धर्मनिरपेक्षता को शक्ति देते हैं। ईसाई अल्पसंख्यकों की एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में ही स्थिति नहीं है बल्कि वे एक ऐसे धार्मिक समूह के प्रवक्ता भी हैं, जिसकी चर्च-राज्य पृथक्करण की अपनी महत्वपूर्ण परम्पराएँ रही हैं।

भारत-पाक सम्बन्धों ने भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हृष्टियों से प्रभाव डाला है। इन दोनों देशों के बीच तनाव दुर्भायपूर्ण रूप से भारतीय मुसलमानों के लिए जटिलताएँ पैदा कर सकता है। परन्तु यहाँ स्थिति का दूसरा पक्ष भी है जो एक विचारशील भारतीय को प्रभावित करता रहता है। तथ्य यह है कि भारत व्यवहार में या संवेद्धानिक हृष्टि से, पाकिस्तान के निर्माण को उचित सिद्ध किए विना व उस

देश की नीतियों का अनुमरण किए विना, हिन्दू राज्य नहीं बन सकता। पाकिस्तान ने भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। हिन्दूवाद को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करना इस उप महाद्वीप के २० वर्षों के इतिहास की पाकिस्तानी व्याख्या को सिद्ध करेगा और भारत का कोई राष्ट्रवादी ऐसा नहीं चाहेगा।

भारत का संविधान एक ऐसा आधारभूत कानून है जिसमें इस शब्द का विना प्रयोग किए ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के दावे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। निस्सन्देह संविधान में इस सदर्म में अनियमिताएँ हैं और उनमें से कुछ अपरिहार्य भी हैं। जहां तक अपने वर्तमान स्वरूप को बनाए रखते हुए, धर्म से सम्बन्धित जितने भी प्रावधानों का प्रश्न है, उस स्थिति में धर्मनिरपेक्षवाद की मूलभूत अस्वीकृति कठिन होगी। विधानों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति द्वारा व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या ने भी राज्य द्वारा धार्मिक स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने की प्रवृत्ति पर एक अंकुश का कार्य किया है।

भारत में कार्यशील आधुनिकीकरण से सम्बन्धित समस्त शक्ति का अन्तिम गंतव्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ग्रीष्मोगीकरण, शहरीकरण, संयुक्त परिवार का विघटन, शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के अवसर आदि सभी शक्तियों ने, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में सामान्य धर्मनिरपेक्षीकरण को बढ़ाया है। धर्म के प्रति उदासीन रहने के समकालीन परिवर्मी हृष्टिकोण का भारतीय समाज के कुछ भागों पर बहुत प्रभाव पड़ चुका है और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। व्यक्ति की हृष्टि से यह अच्छी हो या बुरी पर यह प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष राज्य को शक्ति प्रदान करने वाली प्रवृत्ति अवश्य है। निश्चित रूप से उद्देश्यों की ठीक व्याख्या न होने, गलत नीतियों के निर्धारण व उन्हें साझा करने की असफलता—इन सब घटकों ने संयुक्त रूप से धर्मनिरपेक्षता को कुछ गम्भीर समस्याओं का सामना करने के लिए बाध्य किया है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख समस्याएँ

‘साम्प्रदायिकता’ शब्द को उसके व्यापकतम् ग्रन्थों में प्रयुक्त करते हुए निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि यह भाज की सर्वाधिक गम्भीर समस्या है। जाति व सामुदाय के प्रति दुराधर्म-पूर्ण निष्ठा धर्म निरपेक्ष राज्य को हर स्तर पर हानि पढ़ूँचती है। साम्प्रदायिक निष्ठाएँ भाषानों से साम्प्रदायिक विदेष को जन्म देती हैं और अद्वैत-विकलित धर्म व्यवस्थाओं के प्रलयांत इन प्रवृत्ति को और धर्मिक प्रोत्साहन मिलता है वयोःकि वहां जन-साधारण धर्मेन्द्र धार्मिक भाषाओं से पीड़ित होते हैं। साम्प्रदायिक विदेष भारत में स्थानिक (endemic) है और यह महजना गे हिंगामक संघर्ष का रूप ले लेता है।

वर्तमान भारत में अविवश्य यह धारणा है कि राज्य व स्थानीय स्तरों की सरकारें द्वारा ऐसी इच्छा व माध्यम का विकास किया जाए जिससे साम्प्रदायिक हिंगा को शीघ्र व श्वोरुगायूर्वं दबाया जा सके। यह एक वास्तविकता है कि साम्प्रदायिक धाराओंवाली व साम्प्रदायिकना से ग्रोन-ग्रोन अनुत्तरदायी भाषाओंवाली व ग्रामीण भाषाओंवाली नउत्तरव्यं

कानून, समाचार अधिनियम व राज्य शक्ति के परिचायक अन्य ऐसे अधिनियमों के दण्ड के भय से मुक्त होकर प्रत्यक्षतः समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। स्पष्ट भाषा में यह कहा जा सकता है कि यदि राज्य नागरिकों के (चाहे वे ग्रल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक) सम्पत्ति व जीवन की साम्प्रदायिक हिस्सा से रक्षा नहीं बार सकता तो धर्मनिरपेक्ष राज्य एक भजाक बन कर रह जायेगा।

साम्प्रदायिकता की समस्या से निवटने में साम्प्रदायिक हिस्सा को रोकना राज्य का एक नकारात्मक कार्य है। कानून व व्यवस्था की सुरक्षा से अधिक आधारभूत, कोई अन्य राज्य-उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन भारत में एक सही धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास में अन्य कई बातें भी निहित हैं जैसे राष्ट्र का ऐसा भावात्मक एकीकरण हो जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की जाति व समुदाय के प्रति सहजता उसकी भारत के नागरिक होने की भावना का अग बन जाए। इस क्षेत्र में भी दुर्भाग्य से सरकारी नीतियों द्वारा वांछनीय परिणामों के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है।

केन्द्र व राज्य सरकारों ने आधिक-सामाजिक-शक्तिगमक आवश्यकताओं को जातीय समूहों के माध्यम से परिमायित कर, इस आधार पर भी सहायता में वृद्धि के प्रयास किए जिसने परिणामतः पर्याप्त हानि पहुँचाई। छात्रवृत्तिया, आधिक सहायता, सरकार में सुरक्षित स्थान, कालेज में सुरक्षित स्थान, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी बढ़ाए गए। निस्सदैह इस इटिट ने कुछ निश्चित ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त किया लेकिन इससे जाति-भावना का भी विकास हुआ, उसे प्रथम दिलाया। यह इसी स्थिति का परिणाम है कि कई ऐसे भागलों में जहाँ जातीय पद-प्रतिपादा व आधिक आवश्यकता में कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था, वहाँ गंभीर अनौचित्य परिलक्षित हुआ।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तपेक्ष है। हिन्दू राज्य का मन्दिरों व मठों का निकट से निरीक्षण या बाहरी प्रशासना चलाना परम्परागत कार्य था। स्वतन्त्र भारत में राज्य की मन्दिर के प्रशासन में पुराने कार्यों को बदलने की स्पष्ट प्रवृत्ति रही। यह प्रवृत्ति यह कह कर सिद्ध की जाती है कि वित्तीय प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है जो केवल राज्य ही ला सकता है। इस प्रकार राज्य हिन्दू धर्म सुधार की एक प्रमुख एजेन्सी बन गया है। बर्तमान भारत में यह प्रवृत्ति शक्तिशाली है कि राज्य हिन्दूधर्म के लिए वह सब कुछ करे जो वह अपनी संगठनात्मक कमियों के कारण स्वयं नहीं कर सकता।

मन्दिर प्रशासन के मामले में भी यह निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती है कि राज्य विभिन्न हिन्दू धार्मिक वृत्तिदान (endowments) विभागों के माध्यम से हिन्दूबाद के साथ धनिष्ठ रूप से एक हो गया है। बुराइयों को रोकने के लिए मन्दिर प्रशासन को राज्य द्वारा चलाने के नकारात्मक कार्य का हिन्दू धर्म के विस्तार के सकारात्मक कार्य से जो अन्तर है वह कई भागलों में या तो समझा नहीं गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

यदि राज्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई करता है तब कई निश्चित राजनीतिक नियन्त्रण ऐसे हैं जो इस हस्तक्षेप की सीमा को नियत कर देते हैं। जब हिन्दू विधायक व प्रशासक अपने धर्म से सर्वधित कोई कार्रवाई करते हैं तो इस स्थिति में कोई नियन्त्रण नहीं होता क्योंकि मूलतः हिन्दू धर्म एक वहुमत का धर्म है।

संविधान की २६वीं धारा की न्यायिक व्याख्या के कारण हिन्दू मंदिरों में राज्य का हस्तक्षेप कुछ हद तक सीमित हो गया, किर मी यह काफ़ी विस्तृत है। इस प्रकार के वितन का पूर्ण अभाव है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार स्वयं सरकार के कार्यों पर कुछ निश्चित सीमाएँ लगा देता है। हर कार्रवाई जिसके करने की आवश्यकता अनुभव होती हो वह राज्य द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

वर्तमान भारत में तीसरी बड़ी समस्या कानूनी ढाँचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति है। हिन्दू, मुगलमान व सिक्ख जोकि एक ही देश के नागरिक हैं, उन पर शासन विभिन्न परम्परागत नियमों से हो यह कानून वस्तुतः आधुनिक भारत में पुरावशेष (anachronism) का परिचायक है। यह धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धान्त के भी विरुद्ध है। भारतीय संविधान यह घोषणा करता है कि राज्य का एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस दिशा में हिन्दू कानून को एकीकृत करने के संदर्भ में विधान द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। इस कानून को स्वीकृत करने के लिए भारतीय संसद ने हिन्दू कानूनी परम्पराओं में स्वतन्त्रतापूर्वक सशोधन किए और तलाक, पुत्रियों द्वारा सम्पत्ति ग्रहण व कई अन्य क्रान्तिकारी विचारों को प्रथम बार स्थान दिया।

स्पष्टत: दिवाई देने वाला नीति निर्देशक तत्व यह है कि राज्य नागरिकों के लिए सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र में एक समान सामाजिक कानून प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह परिणाम में असाध्य प्रतीत होता है। इसके विपरीत, धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनी संप्रमुता स्थापित करने के लिए सम्मानित व वहुत आधारभूत धार्मिक सुधारों को हाथ में लेने की आवश्यकता होती है। संविधान द्वारा यह कहा गया है कि हिन्दूवाद व इस्लाम की ऐसी सामाजिक वैधानिक स्थापनाएँ का उन्मूलन किया जाए जोकि उनकी पूर्ण जीवन-क्रिया को अलग-अलग कर देती हैं। इन दो बड़ी धार्मिक व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत विश्वास, पूजा व व्यवहार तक सीमित कर दिया जाना चाहिए।

हिन्दू कानून में परिवर्तन करना यद्यपि कठूर सोगों के लिए दुःखदायी है, तब भी यह स्वीकार कर लिया गया है। आतिरिकार वहुमत तो हिन्दू विधायकों का ही है। लेकिन मुस्लिम शरियाह के लिए कदम उठाना अपरिहार्य होना चाहिए और संप्रमुता संसद द्वा यह तथ्य करना चाहिए कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पवित्र कानून के लिए वया करना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार दो यातों को मानता है—एक समान सामाजिक कानून तथा अल्पसंख्यकों के धार्मिक विश्वास के प्रति भादर की आवश्यकता। सम्मवतः ६० प्रतिशत भारतीय मुसलमान यह अनुभव करते हैं कि उनका कानून इस्लाम का गमस्त सारस्पत है। यह एक विचित्र धर्म संकट है लेकिन किर मी इसका अनिवार्यतः सामना किया जाना चाहिए।

चौथी व अन्तिम बड़ी समस्या धर्मनिरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभासित करने की है। भारतीय संदर्भ में 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' का क्या अर्थ है? यह प्रश्न पहले शैक्षणिक महत्व की हिटि से प्रकट हुआ लेकिन इसका व्यावहारिक महत्व भी समसामयिक व गहन है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ (१) एक ऐसे राज्य से है जहाँ धार्मिक पक्षपात रहित होकर सबको मदद की जाय, या (२) वह राज्य जो धर्म से पृथक् हो। यदि बाद वाला अर्थ प्रासादिक है तब राज्य का आदर्श यह होगा कि वह किसी धर्म की सहायता न करे, और न ही कोई धार्मिक कार्य ही उसके द्वारा किए जाएं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्राचीन व परिचित समस्या है और सर्वोच्च न्यायालय आज भी 'नो प्रिफरेंस' विचारधारा एवं 'वॉल आफ़ सेपरेशन' विचारधारा के बीच अस्थिर है। समस्त धार्मिक संस्थाओं को करमुक्त किया जाना पहले सिद्धान्त को प्रदर्शित करता है। भारत का संविधान किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन देने के लिए केवल खास करों को निपिछ करता है। लेकिन वह सब धर्मों के विकास के लिए सामान्य अनुदान की अनुमति देता है। यह पक्षपात के अभाव की व्याख्या, पृथक्करण की दीवार के सिद्धान्त के विपरीत होगी। भारत में विद्यालयों में सब प्रकार के धार्मिक निर्देशों (उपदेशों) पर प्रतिवन्ध है।

यहाँ 'नो प्रिफरेंस' की विचारधारा की ओर अधिक भुकाव है। यह हिन्दू राज्य की कुछ परम्पराओं के अनुकूल है और उस अभिनव हिन्दू मान्यता से निकट रूप से सम्बन्धित है कि सभी धर्म सच्चे हैं। यहाँ यह संमावना है कि राज्य द्वारा सामजिकी विहित से व्यक्ति के एक सार्वभौमिक धर्म (जो कि हिन्दू मान्यताओं पर आधारित है) को न्यायसंगत ठहराने के लिए नो प्रिफरेंस की विचारधारा का प्रयोग हो। यह प्रवृत्ति विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधाकृष्णन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी।

इस बात से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय में अत्यधिक सत्त्वेह है कि क्या भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य एक सम्प्रदाय विहीन या धर्मविहीन राज्य होगा?

मैककॉल्म बनाम शिक्षा बोर्ड के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चे और राज्य के पृथक्करण की इन शब्दों में व्याख्या की: 'पृथक्करण सरकार के अस्पष्ट कार्यों व धार्मिक सम्प्रदायों से बचे रहने के लिए एक आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि उन सबको समान माना जाए, पृथक्करण का अर्थ पृथक्करण से ही है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।' यह व्याख्या अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाद का विषय है और अन्य न्यायालय के निरंयों में दूसरा विरोधी हिटिकोण भी लिया गया है। भेरी अपनी धारणा यह है कि भारत के सामने जो प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी यह व्याख्या स्पष्ट व महत्वपूर्ण उत्तर देती है।

क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?

हमने भारत में धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोरियों व सम्बत आधारों पर विचार किया है। अब हमें किसी तरह के सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य का अस्तित्व असम्भव है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा क्लासिक-

उदाहरण में राज्य व धर्म के पूर्ण पृथक्करण के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित करता है। वहाँ राष्ट्रपति व राज्यपाल नागरिकों के लिए यह घोषणाएँ जारी करते हैं कि वे अपने-प्रपने पूजास्थलों पर जाएँ। वहाँ सब व राज्य के विधान मण्डलों के सत्र प्राथमिकता के साथ शुरू होते हैं, और प्रत्येक सिक्खे पर यह आदर्शवाक्य लिखा होता है कि 'हम ईश्वर में विश्वास करते हैं।' अमेरिकी प्रतिमान से यदि हम सहमता लें तो भारत की धर्मनिरपेक्षता में कठिनप्य कमियाँ दिखाई देती हैं लेकिन ऊपर वर्णित आधारों पर यदि निर्धारित किया जाए तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार इसके सिद्धान्त के अत्यधिक निकट ही है।

क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मेरा उत्तर कुछ शर्तों के साथ 'हा' है। कई समस्याओं के होते हुए भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना ही न्याय सगत होगा। भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति य शासन में कई अप्रजातान्त्रिक विशेषताओं के होते हुए भी संसदीय प्रजातन्त्र वहाँ कायंशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कायं कर रहा है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श स्पष्ट रूप से सविधान में विद्यमान है और इसे महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से कियान्वित किया जा रहा है। प्रश्न का उत्तर एक गतिशील राज्य के संदर्भ में होना चाहिए, एक ऐसा राज्य जिसकी कुछ परम्परागत समस्याएँ हैं और जो उनके समाधान हेतु सधर्पं कर रहा है।

सर्वाधिक मूलभूत बात यह है कि भारत सरकार ने राजनीतिक वैधता व राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दूवाद का प्रतीक बनाने की लालसा से अपने आपको हमेशा रोके रखा है। संयोगवश इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धर्म सम्बन्धी गम्भीर सीमाओं पर ध्यान देना लाभप्रद होगा जैसाकि वर्मा और पाकिस्तान से स्पष्ट होता है। १९७० के चुनाव में पूर्व पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष बगला राष्ट्रवाद के उदय ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित किया कि मात्र इस्लाम के प्रतीक घपने आप में दो भागों को साथ रखने में असमर्थ हैं।

यद्यपि सावधानी के साथ आशावाद (Cautious optimism) के लिए ध्यान है फिर भी स्पष्टतः यह सोचना मूर्खता होगी कि भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद इतनी दृढ़ता से स्पष्टित हो गई है कि उसका भविष्य पूर्णतः निश्चित है। पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध, सब भोर हिन्दू मुस्लिम दर्गों की ज्वाला का प्रसार और भावी प्रधान मन्त्रियों का साम्प्रदायिकता के प्रति समझौतावादी रूप, इनमें से कोई भी संभावित विकास हिन्दू दलों को सशक्त करेगा और यह धर्मनिरपेक्षता के लिए एक गम्भीर चुनौती होगी। साथ ही स्वयं नई कांग्रेस के कुछ भागों में निहित साम्प्रदायिक भावना के उदय की संभवनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हिन्दू साम्प्रदायिकता की शक्तियाँ घपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं और यह भ्रम नहीं है कि भविष्य उनके विकास के लिए भविष्य उपयुक्त परिस्थितियाँ लाएगा। भारत के पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रयोग का धर्मनिरपेक्ष राज्य एक पथ है, जिसकी सफलता भ्रमवरत स्थायी नेतृत्व, स्थिर धार्यिक विकास, जनसंक्षया नियन्त्रण व भ्रम्य सत्त्वों पर निर्भर है। स्पष्टतः कई ऐसी संभवनाएँ भाज भी विद्यमान हैं जो 'धराद्धनीय' स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं।

धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान

दो. वी. गजेन्द्रगढ़कर

आधुनिक युग की विश्वविद्यालय-शिक्षा की परम्पराएँ प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की और गवे से ट्रिपात कर सकती हैं। नालन्दा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की सृति हमारे समक्ष विश्वविद्यालय-जीवन का प्रेरणास्पद तथा उत्साहवर्द्धक चित्र प्रस्तुत करती है। भारत के सभी भागों से आए विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में एकत्रित होते थे और उनका निश्चित उद्देश्य ज्ञान के समस्त पक्षों को प्राप्त करना होता था। प्रबल जिज्ञासा की मावना, ज्ञान-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय तथा ज्ञान की खोज में कठोर परिश्रम—ये प्राचीन भारतीय विद्यार्थियों की कुछ परिचायक विशेषताएँ थी। इस ट्रिप को उन प्राचीन भारतीय शिक्षकों से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता था जो शिक्षा के प्रसार संबंधी उद्देश्य के प्रति समर्पित होते थे। उन्हे जीवन में किसी अन्य पुरस्कार, सम्मान अथवा सुख की इच्छा नहीं थीं सिवाय इसके कि वे यथा सम्भव योग्यता से अपने विषयों की सम्पूर्ण जानकारी युवा पीढ़ी को दे दें। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का वातावरण काफी अंशों में रमणीय था और अव्येषण-मावना (spirit of enquiry) प्रेरक था। ये ही वे गुण हैं जो किसी विश्वविद्यालय को एक समुदाय-विशेष के सामाजिक जीवन में गौरव का स्थान दिलाते हैं।

प्राचीन भारत में विद्वत्ता सदा सम्मानित की जाती थी। वह प्रतिदृष्ट संस्कृत इलोक सर्वविदित है जिसमें राजनीतिक शक्ति की विद्वत्ता से तुलना की गई है और असंदिग्ध रूप से विद्वत्ता की श्रेष्ठता तथा उसके स्थायी स्वरूप के कारण उसकी रूपाति की घोषणा की गई है: “विद्वत्ता और राजपद को कभी भी समकक्ष नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक राजा को उसके देश में ही सम्मान मिलता है जबकि एक विद्वान् सर्वत्र सम्मानित होता है।” प्राचीन भारत के शैक्षणिक प्रयासों का इतिहास हमें अनेक दिशाएँ देता है और इसलिए आज जब मैं प्राप्तके समदा दीक्षात-मापण दे रहा हूँ तो मुझे प्राचीन काल में कुलपतियों द्वारा युवा स्नातकों को संबोधित नीति-वाक्यों का स्मरण हो रहा है। कुलपतियों का अपने विद्यार्थियों

धर्म निरपेक्षता तथा भारतीय संविधान

से यह आग्रह होता था : "सत्य बोलो । सदाचारी व्यवहार रखो । वेदों का अध्ययन उपेक्षित न करो । अच्छाई से विमुख न हो । मुख, समृद्धि, गुण व प्रबीणता की प्राप्ति के प्रति उदासीन न हो ।" युवा स्नातकों को प्राचीन भारतीय कुलपतियों की यह सलाह होती थी कि वे सत्य की खोज करें, कर्तव्य पथ पर चलें और अध्ययन की दिशा में बिए जाने वाले परिश्रम में कोई कोर कसर नहीं रखें । सामाजिक सत्य, कर्तव्य पथ तथा लोक-कल्याण से प्रतिवद्धता उनकी सलाह का सारतर्थ था । इन शब्दों का स्मरण कर मैं स्वर्य से यह प्रश्न करता हूँ कि आज के युवा स्नातकों का व्यय सामाजिक धर्म अथवा कर्तव्य है ? उत्तर स्वरूप मैं यह पाता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता की खोज आज की एक प्रमुख आवश्यकता है और यही आज का सामाजिक धर्म है । इसीलिए मैं आज के युवा स्नातकों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे इस कर्तव्य से विमुख न हों ।

II

आज धर्मनिरपेक्षता का विषय राजनीतिक महत्व के सबेगात्मक उत्तेजक व्यंजको (emotive martial overtones) से युक्त है और इसीलिए विषय का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कुछ कठिन है । भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार मूलतः एक राजनीतिक विचार के रूप में उद्भूत हुआ था । इस विचार ने प्रामाणिक रूप से भारत के प्रमुख समुदायों-हिन्दूओं व मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया । राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए हमारे सघर्ष काल के दौरान, और विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस मत का मुख्यतः राजनीतिक धरातल पर ही श्रमपूर्वक, समझदारी और लगन से प्रयोग किया गया । यह वही मत है जिसकी सहायता से हमारे राष्ट्र को भव्यकालीन "दो राष्ट्रों के सिद्धांत" का प्रतिरोध करने की प्रेरणा मिली, वह इस दिशा में समर्थ सिद्ध हुआ । हमारा यह विश्वास है कि भारत जैसा एक बहुजातीय, बहुभाषी तथा बहुधार्मिक समुदाय कभी भी दो राष्ट्रों के सिद्धांत को अपना नहीं सकता जो कि दो नागरिकों के धर्म पर आधारित है । यह विचारधारा हाल ही की सकटकालीन स्थिति का सामना करने में सफल रही है और हमने सभी समुदायों, धर्मों, जातियों और वर्गों के सदस्यों को एकजुट होकर आक्रामक की चुनौती का सामना करते हुए पाया है । ऐसा उस समय हुआ जब आक्रामक ने के शमोर पर आक्रमण किया और इस प्रकार भारत की एकता और सम्प्रभुता को चुनौती दी । स्वामाविकतः हम सब की यह अनुभूति है कि हम सभी की परीक्षा का काल वस्तुतः हमारा गौरव-काल भी या और इसी ने धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर सबेगात्मक तथा उत्तेजक व्यंजकों का आवरण डाल दिया है । आज धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए मेरा उद्देश्य उक्त समंस्या के विस्तृत, मूलभूत व मूल सामाजिक दर्शन की चर्चा करना है । उस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता विशुद्ध रूप से भाव एक राजनीतिक विचार नहीं है और केवल हिन्दू व मुसलमानों तक ही इसका प्रमाण क्षेत्र सीमित नहीं है । यह एक व्यापक सामाजिक-प्रार्थिक विचार है जो अपने अन्तर्गत विविध भारतीय समुदायों को समाहित करता है और जिसका अपना एक

सकारात्मक संदेश है।

मानव दर्शन के विकास का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि प्रेरणाशाद व मुगांतरणागे विचार भी कभी-कभी सोकप्रिय भ्रातियों व पंथविश्वासों के एक संगीर्ण परिवेश में केंद्र हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें लोकप्रिय भ्रातियों की इस केंद्र से मुक्त किया जाए और जनता के सामने उनके सही क्रान्तिकारी स्वल्प तथा महत्व की व्याख्या की जाए। धर्मनिरपेक्षता के सम्बन्ध में कुछ कहने का मेरा आशय यह है कि मैं भारतीय सविधान के अन्तर्गत उगकी मूल व आवश्यक धारणाओं पर प्रशिक्षण डालने का प्रयास करना चाहता हूँ।

III

होलियोक (Holyoake) को परिचयीय यूगों में धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। उसने धर्मनिरपेक्षता से सम्बन्धित अपना अभियान लगभग १८४६ में प्रारम्भ किया और अपनी पुस्तको—‘प्रिसिगल्स आँफ् सेक्यूलरिज्म’ तथा दि ओरिजिन एण्ड दि नेचर आँफ् सेक्यूलरिज्म—में इसके सिद्धान्त प्रतिपादित किए। यह अभियान धर्म को राज्य से पृथक् करने की आकांक्षा से उत्तरम हुआ। यह निश्चित रूप से एक भौतिकवादी व तकन्युद्धिप्रक (rationalistic) आन्दोलन था। सामाजिक विचारको ने यह समझा कि धर्म से सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रभुत्व स्वापित करने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए धर्म की पूर्ण मुक्ति की आकांक्षा के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता का जन्म हुआ। एम० एन० रॉय, जो अपने युग के एक प्रमुख तकन्युद्धिवादी व धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, राज्य से यह अपेक्षा रखते थे कि वह अपने नागरिकों को विविध धर्मों व धार्मिक विचारों में से चयन की स्वतन्त्रता नहीं बल्कि धर्म के प्रत्याचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्ति दिलाए। इस में साम्यवाद के प्रारम्भिक काल में धर्म को एक प्रकार की ‘मादक भौपवि’ (dope) माना जाता था और वहाँ साम्यवादी राज्य ने धर्म-निरपेक्षता का एक ऐसा प्रतिमान निर्मित करने का प्रयास किया जो धर्म से पूर्णतः पृथक् था। उस अवस्था में साम्यवाद की परम्परागत हृष्टि पर आधारित राज्य-प्रयासों का दर्शन मात्र धर्म को राज्य से पृथक् कर उस धर्म को एकाकी करने से ही संतुष्ट नहीं था। बस्तुतः उसका यह विचार था कि धर्मनिरपेक्षता की भौतिकवादी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए धर्म की अवज्ञा करना और धर्म विरोधी विश्वासों को संरक्षण देना आवश्यक है। भौतिकवादी धर्मनिरपेक्षता के प्रति भक्ति ने अवसर धर्म के सम्बन्ध में एक विद्वेष और कभी-कभी तो घृणा की सकेत दिया है। निस्सदेह धर्म के विषय में सहिष्युता धी सेक्विन यह पर्याप्त अनिच्छा से थी। धर्म-प्रालन व धार्मिक त्रियांगों के अम्यास का कठोरता से नियमन होता था और जनमानस में धर्म के प्रति निष्ठा को हृतोत्साहित करना उस समय का एक निर्धारित लक्ष्य था।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता उक्त संकीर्ण उत्तेजक श्रेणी में नहीं आती है। जैसाकि नॉ० राधाकृष्णन् ने कहा है, “मैं यह अधिकृत रूप से कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता

का अर्थ अर्थमें नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करते हैं और हमारा राज्य किमी धर्म विशेष से तात्पर्य नहीं स्थापित करता।” गांधी ने और अधिक स्पष्टता से यह कहा कि सभी धर्म सच्च हैं और “मेरी अन्य विश्वासों के प्रति श्रद्धा वैरी ही है जैसोकि सत्य मेरे निजी विश्वास के प्रति है।” भारतीय धर्मनिरपेक्षता का यह पथ हिन्दू दर्शन तथा नीतिशास्त्र के अनुरूप है। हम सभी उस मत से भली-भाली परिचित हैं जिसकी भगवत्‌गीता में भावपूर्ण शिक्षा दी गई है :

“हे कोटीय (धर्मजुन) ! वे सभी भक्त जो श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, स्वयं भेरी ही पूजा करते हैं यद्यपि वे विधिपूर्वक ऐसा नहीं करते।” यह सिद्धान्त इस तथ्य को मान्यता देता है कि सत्य की खोज करने के अनेक भार्ग हैं और सत्य किसी धर्म विशेष के एकाधिकार पर आश्रित नहीं है। भगवान् कृष्ण कहते हैं कि “जो कोई भी अपने धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों का विश्वासपूर्वक समझदारी से पालन करता है, वह अंततः मुझ तक पहुँचता है।” यदि समस्त भार्ग रोम पहुँचा सकते हैं तो हिन्दू जीवन पढ़ति के अनुसार विश्व के दार्शनिकों व संतों द्वारा प्रतिपादित समस्त पंथ सत्य की अनुभूति के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। हिन्दू दर्शन के इसी व्यापक, समग्र और प्रगतिशील धरातल पर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का जन्म हुआ है।

मिद्दान्ततः: धर्मनिरपेक्षता धर्मेतर, धर्म-विरोधी व सशयवादी हो सकती है तोकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐसी नकारात्मक दृष्टि को स्वीकार नहीं करती। वह धर्म की आवश्यकता और उसके अस्तित्व को मान्यता देती है यद्यपि धर्म को राज्य व उमकी सामाजिक आधिक गतिविधियों से पृथक् करने का उसका एक सुविचारित प्रयास भी होता है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक पक्ष है।

पारसन्स के अनुसार “अस्तित्व का ज्ञानात्मक अर्थ, और मुख-दुख तथा अच्छाई व बुराई का अर्थ—ये धर्म की केन्द्रीय समस्याएँ हैं। लेकिन धर्म एक व्यक्तिगत विषय है और उसे अनिवार्यतः ऐसा ही माना जाना चाहिए। धर्म का सम्बन्ध स्वयं अपने अभिज्ञान व अपनी प्रतिवद्वाताओं के लिए मानव व्यक्तित्व के अन्तररत्म सार से है।” मानव अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य को जानने की आकाशा, मानव जीवन के पश्चात् ‘परलोक’ की शाश्वत समस्या जानने की इच्छा और यह जानने की रुचि कि क्या कोई ऐसा निर्माता भी है जो मानव जाति के भाग्य का नियामक है—ये सभी आकाशाएँ मानव मस्तिष्क में अंकित हैं और शाश्वत् सत्य की इसी भावपूर्ण खोज ने सभी धर्मों व दर्शनों को जन्म दिया है। जबाहर लाल नेहरू ने, जो स्वतन्त्र भारत में धर्मनिरपेक्षता के महानतम् प्रतिपादक थे और जिनका दृष्टिकोण अत्यधिक तर्कवुद्धिपरक था, स्वयं बड़े भावपूर्ण शब्दों में शाश्वत् सत्य की इस खोज का उल्लेख किया है : “हर एक को जीवन का सामना दर्शनयुक्त वैज्ञानिक स्वभाव व दृष्टि से करना होता है और इसके (जीवन के) परे (beyond) अन्य विषयों का श्रद्धा से।” इस ‘परे’ के सम्बन्ध में नेहरू का कथन यह है : “अबमर जब मैं इस विश्व की ओर देखता हूँ तो मुझे अज्ञात गहनताओं की रहस्यात्मकता का आभास होता है।”

समस्त संवेदनशील मानव-मस्तिष्कों को उद्वेलित करने वाली धर्मा और दुर्दमनीय स्वस्य जिज्ञासा की इस मावना को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता धर्म की समस्या के प्रति नकारात्मक, यहाँ तक कि निप्पिक्य है। भी नहीं अपनाती। निस्सदेह यह धर्म को श्रद्धा की हृष्टि से देखती है लेकिन साथ ही वह आश्रह है उसकी उचित सीमा में कार्यशील रखने के लिए भी कृतसंकल्प है। इसका यह नेत्र समाज कि धर्म इन सामाजिक-आधिक समस्याओं की सीमा तक न पहुँचे जिनका आधुनिक व्यवहारों के निर्धारण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास न करे। जब तक धर्म अपने वैध वधनों में होता है तब तक धर्मनिरपेक्षता धार्मिक रूप से इसके प्रति तटस्थ रहती है।

धर्मनिरपेक्षता किसी नागरिक के धर्म और प्रार्थना में उसके विश्वास को दूर करने के धर्मनिरपेक्षता के अनुसार नागरिक ईश्वर के बीच का विषय मानती है। क्योंकि व्यक्ति के धर्म से राज्य सम्बन्धित नहीं है, इसलिए वह सभी पूजा-स्थलों के प्रति समान सहिष्णुता से व्यवहार करता है चाहें वे चर्च, मन्दिर, गुरुद्वारा व मस्जिद कुछ भी हो ले केन उनके प्रति उसकी कोई सक्रिय रुचि नहीं होती। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक अन्य पक्ष है।

IV

यह उल्लेखनीय है कि 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दों का भारतीय संविधान में कही प्रयोग नहीं हुआ किर भी धर्मनिरपेक्षता का विचार संविधान की लगभग महत्वपूर्ण व अर्थवान् धारा में परिलक्षित होता है। संविधान ने भारतीय नागरिकों से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा सामाजिक आर्थिक-राजनीतिक उपलब्धि का वायदा किया है। यह आदर्श स्वयं सम्पूर्ण संविधान पर धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणास्पद दीप्ति की द्याप ढोड़ता है।

भारतीय नागरिकता पूर्ण रूप से एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष पद है। नागरिकों को जिन मूल अधिकारों की गारन्टी दी गई है और इन अधिकारों में जो मूल कर्तव्य (Fundamental obligations) निहित है, वे नागरिकता से प्रवाहित होते हैं और उनके नानों के समुदाय, जाति, धर्म अथवा भाषा सम्बन्धी कोई भी प्रश्न अप्रांसाधिक है। कानूनों में मूल सम्मुख समानता तथा सभी नागरिकों के लिए कानूनों द्वारा समान संरक्षण—उपोचित अधिकारों में सम्बन्धित ऐसे बुनियादी विचार हैं जिन पर भारतीय संविधान को अपने अधिकारों में सम्बन्धित ऐसे बुनियादी विचार हैं जिन पर भारतीय संविधान को अपने अधिकारों में सम्बन्धित ऐसे बुनियादी विचार हैं जिन पर भारतीय संविधान को अपने अधिकारों के इसी धर्मनिरपेक्षता की धारा १४ में ये गारन्टी निहित है। एक विविधता यह समानता अथवा मरक्षण भारतीय संविधान का मूल आधार है। समानता अधिकार में ही अन्य मूल अधिकार प्रवाहित होते हैं और इन मूल अधिकारों का तंजस्वी प्रवाह स्पष्टतः भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रकट करता है। यह विदित है कि इस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का प्रवाह संविधानमान है और इसके द्वारा

हिन्दुओं व मुसलमानों, बल्कि सभी समुदायों व धर्मों को भी परोपकारी संरक्षण प्राप्त है। हमारा देश एक बहुधार्मिक, बहुभाषीय तथा बहु-साम्प्रदायिक क्षेत्र है। जिसमें संविधान ने अपने समस्त नागरिकों को समान मूल अधिकार प्रदान किए हैं। एक अवश्यकभावी परिणाम के रूप में संविधान अपने समस्त नागरिकों से भारत की एकता के प्रति समान निष्ठा तथा देश के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में उसके अभियान के प्रति समान मूलभूत कर्तव्यों की अपेक्षा करता है।

संविधान ने अपने इस दर्शन के अनुकूल कि नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले समस्त धर्मों को अनिवार्यता समान संरक्षण मिले, अपनी धाराओं में इससे सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान नियत किए हैं। धारा २५ अन्तरात्मा (Conscience) तथा व्यवस्था की स्वतन्त्रता की गारन्टी देती है जबकि धारा २६ धार्मिक मामलों की व्यवस्था से सम्बन्धित स्वतन्त्रता प्रदान करती है। ये दोनों धाराएँ समस्त धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करती हैं, लेकिन इस संरक्षण से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये संरक्षण कुछ निश्चित बुनियादी अभिभावी मान्यताओं (Overriding considerations) के अधीन हैं। धारा २५ (१) के अनुसार “लोक व्यवस्था, नैतिकता-व स्वास्थ्य तथा इस भाग से सम्बन्धित अन्य शर्तों के साथ सभी को समान रूप से अंतर्करण की स्वतन्त्रता है और साथ ही उन्हें स्वतन्त्र रूप से (इस निश्चित क्षेत्र के अतर्गत) धर्म के प्रचार, पालन व अभिव्यक्ति का अधिकार भी है।” इस धारा के प्रारम्भिक अंश पर व्याप्त देना आवश्यक है। इसके अनुसार धर्म, उसके पालन, प्रचार व अभिव्यक्ति तथा लोकव्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या भाग ३ द्वारा गारन्टी प्राप्त किसी ग्रन्थ मूल अधिकार के बीच संघर्ष की स्थिति में अनिवार्यतः पहले की अपेक्षा दूसरे को प्रभुत्व प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, संविधान ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि धर्म को हर स्थिति में उम्मीदी उचित सीमा में कार्य करना चाहिए और किसी भी स्थिति में राज्य की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ सत्तगम्बन्धी न्याय के आदर्श से प्रेरित हैं और इसकी प्राप्ति के लिए राज्य ने एक समतावादी लोक कल्याणकारी राज्य का साहसिक पद प्राप्त करने का प्रयास प्रारम्भ किया है। इस शोज की पूर्व आवश्यकता के रूप में लोकव्यवस्था महत्वपूर्ण है, नैतिकता महत्वपूर्ण है, जन-स्थास्थ्य अपरिहार्य है और मूल अधिकार आवश्यक हैं, इनकी महत्ता अभिभावी है और धर्म को उन पर भागीदारी का अवसर नहीं दिया जाएगा।

धारा २५ (१) के प्रारम्भिक अंशों में निहित इस मिथ्यता को धारा २५ (२) द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है। इन धनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि धनुच्छेद (१) द्वारा प्रस्तावित स्वतन्त्रताएँ राज्य वो ऐसी आर्थिक, वित्तीय, गतिविधिवाली किमी ग्रन्थ धर्मनिरपेक्ष गतिविधि वो नियमित या प्रतिवर्षित करने में नहीं रोकेंगी जिनका धार्मिक व्यवहार में गम्भीर हो या जिनमें नामांदिह जन वल्याग्र धरण मुपार होता हो अथवा जिनके द्वारा सभी भागों य धर्मों के लिन्दुओं के लिए जन-स्थास्थ्य की अप्रियता तात्पर्यता विद्यमान हो या जिनके द्वारा सभी भागों में दूर रिक्त जाता हो। इस प्रकार धारा २५ में गम्भीर धार्मिक स्वतन्त्रता का विषय दो दुर्लंगों में दूरा है।

सकारात्मक रचनात्मक विचार है। धर्म को तबतक पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है जबतक कि वह अपनी उचित सीमा का परिस्थापन नहीं करता। इसके अनिरिक्त धर्म के विषय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक-आर्थिक न्याय सम्बन्धी अभिभावी मान्यताएँ किसी भी धार्मिक हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगी। अतः धार्मिक स्वतन्त्रता का विचार धर्म-विरोधी या ईश्वर-विरोधी नहीं है, यह मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता और उसके अभिप्राय की मान्यता देता है लेकिन यह धर्म के लिए एक उचित सीमा निर्धारित करता है और माय ही यह सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वह व्यापकतर क्षेत्र भी निर्धारित करता है जिसके दंभंध में अनिवार्यतः राज्य और उसकी नीतियों का प्रभुत्व होता है।

धारा २५ में जितना सत्य है उतना ही सत्य धारा २६ में भी है। धार्मिक विषयों की व्यवस्था सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी गई नेविन धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति की व्यवस्था को इस धारा से नियन्ति किया गया है कि ऐसी व्यवस्था कानून के अनुमार होगी और यह कानून एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक-आर्थिक कानून है जिसे राज्य तत्संबंधी नीतियों के उद्देश्य से स्वीकार करता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता को पूर्णता प्रभावशीलता के उद्देश्य से संविधान की धारा ३० में कुछ निश्चित प्रावधान ऐसे हैं जिनके अतर्गत अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की शक्तिहित संस्थाओं की स्थापना व उनकी व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। व्यापक हृषि में यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा सभी धर्मों को दी गई स्वतंत्रता की गारन्टी की प्रतीक है।

सम्पूर्ण विश्व के संदर्भ में धर्मों का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि अग्रने संगठित साम्प्रदायिक स्वरूप में धर्म कभी-कभी समाज की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नियमित करता है। उदाहरणात्मक हृषिकोण के अनुमार अस्पृश्यता (untouchability) पर विचार किया जा सकता है। परम्परागत हृषिकोण के अनुमार अस्पृश्यता (छुआछूत) कुछ प्राचीन धर्मग्रन्थों पर आधारित है यद्यपि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। संविधान ने ऐसा अनुमति किया कि हिन्दू संस्कृति अथवा हिन्दू जीवन पद्धति के इस कलंक (अस्पृश्यता) को शामाजिक जीवन से पूर्णरूपेण हटाना आवश्यक है। अतः उसने धारा १७ में उग्रो उन्मूलन सम्बन्धी निश्चित व्यवस्था की है। यह धारा व्यक्त हृषि से यह निर्देश देती है कि अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी अदोग्यता भानना इस कानून के अनुमार दण्डनीय होगा। यदि अस्पृश्यता को किमी धर्मग्रन्थ के आधार पर निर्धारित करने का दावा किया जाता है तो उम स्विनि से नियटने के लिए संविधान ने यह धोषणा की है कि ऐसे धर्म धन्य अथवा व्यवहार को कोई वेधता नहीं है क्योंकि उम में मसुदाय की सामाजिक प्रार्थिक गतिविधियों में हम्मधोण होता है, इसलिए संविधान में उक्त प्रथा को प्रतिवर्धित किया है। यह संवेधानिक हृषि का एक ज्वर्नन उदाहरण है जिसके अंतर्गत संविधान ने सामाजिक-प्रार्थिक धर्मों में धर्म के हम्मधोण की चुनौती का मानना किया है।

कानूनात्मक भौतिक जिन मन्य प्रादर्भ की प्राप्ति की आकाशा रखना है वह पारा ४४ में निर्दित है। इस धारा के अनुमार राज्य धर्मों सीमा के अन्तर्गत सभी नागरिकों के

सिए एक समान नागरिक नियम संहिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा। इसी आदर्श की सोज के फलस्वरूप संविधि संग्रह (statute book) में हिन्दू कोड को स्थान दिया गया। यह स्मरण होगा कि संसद में जब हिन्दू कोड विल प्रस्तुत किया गया तो उस समय कट्टर व अनुदार हिन्दुओं की ओर से इसका तीव्र विरोध हुआ। इस सम्बन्ध में पारम्परिक हिन्दू दृष्टिकोण यह था कि हिन्दू कानून प्राचीन 'श्रुति' तथा 'स्मृति' पर आधारित है और उनके सम्बन्ध में संसद को कार्यवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। यह विरोध निस्संदेह प्रामाणिक था और इस विश्वास पर आधारित था कि व्यक्तिगत कानून सम्बन्धी व्यवस्थाएँ धार्मिक मामलों के अंतर्गत आती हैं। कट्टर हिन्दू भूमि से उत्पन्न यह तीव्र विरोध वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता के प्रारम्भिक काल में ही धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती थी। इस चुनौती का साहस से सामना किया गया और अतः इस पर विजय प्राप्त की गई। हिन्दू कोड आज एक पूर्ण तथ्य बन गया है। हिन्दू कोड विल की स्वीकृति से यह भी स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता का विचार किस प्रकार क्रमशः सफलता प्राप्त कर रहा है। हिन्दू कोड के प्रति विरोध वस्तुतः हिन्दू कानून के विकास के सम्बन्ध में पूर्ण अज्ञानता और भ्राति पर आधारित था। हिन्दू धर्म, जोकि व्याप्तिवित रूप से स्वयं को विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वश का मान सकता है, वर्तमान काल तक तरुण व जीवित इसलिए रह सका है क्योंकि पूर्व-द्रिटिश काल के दौरान उसने समय-समय पर उपयुक्त सामजिक क्रिया जिसमें कि वह अपनी व्यवस्थाओं को समाज की परिवर्तित एवं विकसित प्रथाओं व विश्वासों के अनुकूल कर सका। 'सदाचार' (अथवा 'सत्'-अच्छे पुरुषों का आचरण) हिन्दू धर्म का सदैव स्रोत माना गया है। इस दृष्टिकोण से हिन्दू कानून का अध्ययन अत्यधिक चित्ताकर्यक विषय है। इससे यह पता चलता है कि हिन्दू धर्म के व्याख्याता, जोकि कानून के शास्त्रिक अर्थ और अस्तित्व प्राप्त प्रथाओं व व्यवहारों के मध्य अंतर के प्रति सदैव सजग थे, किस प्रकार व्याख्या के माध्यम से कानूनी व्यवस्थाओं को समन्वित करते थे। व्याख्या-शास्त्र (Sc. of Interpretation) ने हिन्दू कानून के परिवर्तनशील विकास में सहायता दी है। यद्यपि उसका कानूनी स्वरूप वही रहा लेकिन उसकी मावना व सार समय-समय पर परिवर्तित होते रहे।

यह उल्लेखनीय है कि द्रिटिशकाल के दौरान विकास की यह प्रक्रिया अवरुद्ध थी। इस कारण जनमानस का यह विश्वास कि हिन्दू धर्मस्थिर अधवा गतिहीन है, वस्तुतः श्रुतियों व स्मृतियों पर ही पूर्णतः आधारित होने के कारण परिवर्तित नहीं किया जा सका। इस प्रचलित विश्वास को हिन्दू कोड के माध्यम से सुधारा गया और अब हिन्दू समुदाय ने यह स्वीकार कर लिया है कि व्यक्तिगत कानूनों से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ धर्मनिरपेक्ष विषयों के आधीन हैं और उनका संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं से कोई सरोकार नहीं है। उनकी वैधता सम्बन्धी कोई भी निर्णय, जनता के सामान्य हित एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण ऐसे विवेकी तथा वैज्ञानिक आधारों पर ही लिया जाना चाहिए।

यह सही है कि देश के समस्त समुदायों के लिए एक समान नियम सहिता का सक्षम प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन भारतीय संविधान यह इंगित करता है कि धर्मनिरपेक्षता कों

सामाजिक-आर्थिक न्याय के अनुरूप अपना आचरण ढालें। एक अर्थ में धर्मनिरपेक्षता की हृष्टि यद्यपि भौतिकावादी है, लेकिन इसकी जड़ें नैतिकतावादी हैं। यह प्रत्येक नागरिक के दूसरे नागरिक के संदर्भ में कर्तव्यों के प्रति सजग है, और इसलिए यह सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति समर्पण के एक दर्शन को विकसित करती है जो इसके अनुसार आधुनिक युग की मर्वोन्च नैतिकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता की अपनी एक अलग नैतिक नियम-सहिता होती है, और यह उसके लिए जन-अन्तररात्मा से अपील भी करती है। यह भारतीय धर्म निरपेक्षता वा व्यापक, समप्र, प्रगतिशील व दूरदर्शी आधार है।

धर्मनिरपेक्षता स्पष्ट व तीव्र स्वर में सामाजिक असमानता के विषय में, विशेष रूप से हिन्दुओं की सम्बोधित करती है। धर्म निरपेक्षता यह घोपणा करती है कि जल-खद्द बगों (Watertight Compartments) में विभक्त परस्पर असमृक्त विभिन्न गुटों वाली जाति-व्यवस्था सामाजिक समानता का खण्डन करती है। जातियाँ और उपजातियाँ अपरिहार्य रूप से श्रेष्ठता व हीनता की मावनाएँ उत्पन्न करती हैं, और एक सामाजिक अलगाव (Social Exclusiveness) के बातावरण का निर्माण करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे धर्मनिरपेक्षता भहन नहीं करती। अत्यधिक उच्च उदात्त दर्जन तथा दुष्वद स्प से अधम और अद्वैतनीय व्यवहार हिन्दू सामाजिक संस्थाओं के लिए एक अभिशाप रहा है। इसलिए हिन्दूवाद जहाँ एक और 'महानतम् व प्रवृद्ध सिद्धान्तों की घोपणा करता है, वही दूसरी और व्यवहार में यह हिन्दू नागरिकों को अनेक गुटों में भी विभक्त करता है और एक निश्चित वर्ग के नागरिकों को अन्य वर्गों की तुलना में हीन दर्शनों की प्रवृत्ति रखता है। अस्पृश्यता का अभिशाप हिन्दू दर्जन की महानता और इसके अधम व्यवहार के अन्तर को स्पष्टतः प्रकट करने वाला एक सटीक उदाहरण है। धर्मनिरपेक्षता हिन्दू समुदाय से समस्त जातियों और उपजातियों को भास्त्र कर भास्त्रिक न्याय व समानता स्थापित करने की अपील करती है। इसका यह आग्रह है कि हिन्दुओं में भ्रातृत्व भाव का विकास हो और इसकी यह मान्यता है कि इसी के आधार पर अनेक ममूरं राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों में भ्रातृत्व भाव विकसित होगा। वर्तमान युग में हिन्दू समुदाय के लिए धर्मनिरपेक्षता का यही विशेष व भावपूर्ण मदेश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाधीनता के पश्चात् भारतीय लोकतत्र, जो सामाजिक न्याय पर आधारित है, जातियों व उपजातियों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। देश के समस्त लोकतत्रादियों को यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा कि जब तक जाति व उपजाति से सम्बन्धित प्रतिस्पर्द्धि सकीर्ण निष्ठाओं का पूर्ण रूपेण उमूलन नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में लोकतत्र की जड़े स्थिर नहीं हो सकेंगी।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत धर्मनिरपेक्षता एक तर्कुद्धिपरक वैज्ञानिक हृष्टि पर आधारित है। यह विवेक की पूजा में विश्वास करती है, उस पर आधारित निष्कर्षों को अनुभव की कसौटी पर कसती है और आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन करती है। इसको अपने निष्कर्षों को सशोधित करने में कोई भय प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनुभव पर आधारित सशोधनवाद जीवन का परिचायक है और इससे जीवन की प्रगतिशील हृष्टि का पता चलता

है। धर्मनिरपेक्षता पूरण निरपेक्ष सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करती, इसकी हृष्टि भतान्ध नहीं है, और यह कथित धर्म सिद्धान्तों अथवा अध्य-विश्वासों को मान्यता नहीं देती। वास्तव में इसकी हृष्टि आनुभविक व परिणामवादी है, और इसका लक्ष्य मारत में एक ऐसे एकरूप-समुदाय का निर्माण करना है जो इस देश के प्रति निष्ठावान् हो, जिसके नागरिक भारत की एकता व अखण्डता के आदर्श के प्रति समर्पित हों और जो सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अपना योगदान दें। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक समग्र व्यापक एवं गतिशील विचार है। इसका मात्र राजनैतिक स्वरूप ही नहीं है। अपने सार रूप में यह नैतिक है और इसके नैतिक तत्वों से अनिवार्यतः समस्त नागरिकों को प्रेरित होना चाहिए। यदि धर्मनिरपेक्षता को उसके इस नैतिक अर्थ में समरूप लिया गया तो अंतत सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी। जब धर्मनिरपेक्षता “भूख, गरीबी, अज्ञानता, धीमारी अथवा गदगी की समस्या का सामना करती है और उनको सक्रिय जन-अन्तरात्मा की सहायता से वैधानिक साधनों से जीतना चाहती है तब उस स्थिति में इसका धर्म अथवा भाषा सम्बन्धी प्रश्नों से कोई सरोकार नहीं होता और यह उनकी चुनौती को अपने सार्वभौतिक धरातल पर भेलती है। धर्मनिरपेक्षता को अनिवार्यतः देश के समस्त भागों के सामान्य नागरिकों तक पहुँचना चाहिए ताकि उसके सम्पूर्ण महत्व सम्बन्धी ज्ञान पर आधारित भ्रातृत्व भावना का जन्म हो सके। देश के विश्वविद्यालय भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी भ्रातृत्व भावना विकसित करने में योगदान दें और धर्म-निरपेक्षता के प्रेरणास्पद निर्देशन में लोकतांत्रिक विधि से सामाजिक न्याय के पावन उद्देश्य को उपलब्ध कराने में सहायता दे।

Further Readings

1. *Gajendragadkar, P.B.* : *The Constitution of India (Its Philosophy and Basic Postulates).* Oxford, 1972 pp. 63-68,
2. *Menon, V.K.N.* : *India Since Independence—From The Preamble to the Present* Delhi, S. Chand & Co. 1970, p.p. 1-16.
3. *Smith, Donald Eugene* : *India as Secular State.* Princeton, New Jersey, Princeton University, Press, 1963, p.p. 3-8 and pp. 493-497

राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत

किसी संघीय राजव्यवस्था की वैधानिक-शौपचारिक संरचना का अध्ययन प्राप्त: उसकी परिचालन गत्यात्मकता (Operational dynamics) को समझने में कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं देता । संविधान से इतर राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक घटक संयुक्त रूप से संघीय संरचना को जीवन्तता प्रदान करते हैं । भारत इसका कोई अपवाद नहीं है । मार्कुंस फ़ाण्डा ने अपनी लब्ध प्रतिष्ठित कृति 'वेस्ट बैंगल एण्ड दि फेडरलाइजिंग प्रोसेज इन इंडिया' (प्रिन्सटन, न्यू जेरसी १९६८, पृ. २००-२२४) में भारत की संघीय राज व्यवस्था की वैज्ञानिक शौपचारिक सीमाओं के बाहर दृष्टिपात करने की चेष्टा की है और आनुभाविक रूप से उन सामाजिक आर्थिक एवं विशेष रूप से राजनीतिक घटकों को निर्धारित किया है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की वास्तविक अवस्था को निश्चित करते हैं । पद्यपि फ़ाण्डा का विश्लेषण पश्चिम बंगाल के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है, लेकिन उनके निष्कर्ष केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में अन्य राज्यों से संबंधित विवरणात्मक परिकल्पनाएँ भी प्रदान करते हैं । वस्तुतः इनकी अन्य राज्यों के संबंध में सामान्य वैधता है । इसी कारण उनकी उक्त पुस्तक के अंतिम अध्याय को यहाँ इस आशा से पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है कि वह भारत में संघवाद के संदर्भ में एक सार्थक आनुभाविक दृष्टि प्रदान करेगा ।

—सम्पादक

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष एक केन्द्रीकृत व सहकारी संघीय व्यवस्था की दिशा में विचार करने के कई कारण थे । यह स्पष्ट था कि भारत की विभिन्नता व उसका विस्तृत आकार थे एवं एकीकृत निर्णयों के कुशल क्रियान्वयन में बाधा ढालेगा । इसके बावजूद भारत के नए नेतृत्व के सामने आने वाली संभावित समस्याओं की व्यापकता, व निर्धारित लक्ष्यों के कारण केन्द्रीय सत्ता के पर्याप्त शक्तिशाली होने की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि विघटन को रोका जा सके और गतिशील विश्व में परिवर्तनों को दिशा दी जा सके । साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, आर्थिक असंतुलन, व सामाजिक, कानूनिकारी लक्ष्यों इन सबने विभिन्नता में एकता के उस सूक्ष्म की माँग की जिसे

संविधान में लिखित रूप देते हुए "सशक्त" केन्द्र के साथ संघ^१ की मंजा दी गई। भारतीय संघवाद का प्रारम्भ एक जनकितशाली एकीकृत (ट्रिटिश) प्रशासकीय ढाँचे की गतिन के हस्तातरण से हुआ। यह हस्तातरण संविधयम १९१६ के भारत सरकार अधिनियम में, तत्पश्चात् १९३५ के भारत सरकार अधिनियम में, और अन्त में स्वतन्त्र भारत की संविधान सभा मे हुआ। यह अनुमत जो कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं से अत्यधिक मिल है, (जो पृथक् राज्यों के प्रतिनिधियों के स्वर में गठित हुए) स्पष्ट रूप से भारत के निकट अतीत मे केन्द्रीय शक्ति के प्रति निर्भरता की ओर इंगित करता है और साथ ही इस तथ्य की ओर भी कि भारतीयों को न तो उस अधिक परम्परागत मंधीय व्यवस्था का अनुमत था जोकि आस्ट्रेलिया या अमेरिका मे है और न ही उसकी कायंप्रणाली में उन्होने कभी भाग ही लिया था।

इन तत्वों के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई ऐसे प्रावधानों को स्वीकार किया जिन्होंने सधीय सतुलन के भार को केन्द्रीय प्रभुत्व के पक्ष में कर दिया और भारतीय राजनीति को सदिग्द बना दिया। ^२ धारा ३ मे केन्द्रीय संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह साधारण व्युत्तम से नए प्रान्त का निर्माण या किसी भी राज्य की सीमा मे परिवर्तन कर सकती है। इस संदर्भ में संविधित राज्यों या अन्य राज्यों की मंहमति की प्रायशकता नहीं है। धारा २५४ मे यह व्यवस्था है कि किसी भी घटना में, जहाँ विधान सभा द्वारा पारित कानून संघीय संसद के कानून के विरुद्ध हो तो संसद को कानून मान्य होगा। धारा २४८ के अनुमान यदि राज्य सभा के २/३ सदस्य स्वीकृति दे तो 'राज्य मुखी मे निर्दित किसी भी विधय पर संसद कानून बना सकती है। धारा ३५२ व ३६० मे संकट-कालीन प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं कि वह कुछ निश्चित पंरिस्थितियों में और निश्चित विधि से संविधान को स्थगित कर दे और राज्य (या राज्यों) को प्रशासन नई दिल्ली से चलाया जा सके। यह तब होगा जब उसे यह विश्वास हो जाए कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है या वहाँ वित्तीय संकट है या सरकार की संविधानिक व्यवस्था वहाँ भग हो चुकी है।*

यद्यपि ये संविधानिक प्रावधान कुछ राज्यों में अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल मे इनका प्रयोग मितव्ययता से हुया है। वस्तुतः यह अध्ययन (जिनमे कठिन व कभी-कभी तीव्र राजनीतिक निर्णय सार्वजनिक नीति के दायरे मे बाहर

१ यह उनित नेहरू बार-बार उस समय प्रयोग मे लाते थे जब वे संविधान की व्याख्या करते थे। बॉम्बे मे उद्भूत, भारतीय संविधान पृष्ठ १६६

२ भारतीय तथ के "संघीय तिदान्तो" के प्रश्न पर पहला कार्य के० सी० बैडर का या, केडरल गवर्नरेंट (द्वितीय संस्करण, लन्दन, ऑफिसफोर्ड प्रिन्टिंगस्टार प्रेस, १९६१) १९५१ के बाद से कई लेखकों ने बैडर की भारतीय 'संघवाद की व्याख्या को अपनाया, उदाहरण के लिए देखें के०एन० मिल्हा की कृति 'भारत का संविधान : संघवाद के बजाए एकात्मक अधिक' (मार्टिन रिप्प, १९५५-५८-५२) ।

* यह वर्ष १९६७ से पूर्व की विधियों की चरितार्थ चरता है

लेने पड़े) बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि केन्द्र सरकार पश्चिमी बंगाल के साथ सम्बंधों में उतनी शक्तिशाली नेहीं रही जैसाकि संविधान में प्रावधान है और जैसी राज्य की केन्द्र पर निर्भरता की संभावनाएँ दिखाई देती थीं। पश्चिमी बंगाल में दलीय ढाँचे व व्यवस्था का विश्लेषण और राज्य के दलीय नेतृत्व की जनता को निर्वाचन व आन्दोलनात्मक लक्ष्यों की ओर मोड़ने की योग्यता का अधिक उपयुक्त विवेचन, इन घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक है।

दलीय ढाँचा और व्यवस्था

विषय-आध्ययन के समय, पश्चिमी बंगाल की केन्द्र-राज्य संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता के लिए जो मुख्य राजनीतिक तत्व कार्य कर रहा था वह राज्य स्तरीय एक सुगठित संगठन था जो केन्द्रीय दल के अनुशासन व नियन्त्रण को रोकने में समर्थ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत का कांग्रेस दल केन्द्र व पश्चिमी बंगाल (व अन्य कई स्थानीय शासनों) में सत्ता में रहा। परिणामतः लोक सभा व राज्य विधान सभा में एक प्रभावशाली दलीय अनुशासन बना रहा। राज्य कांग्रेस दल की १९६७ के विधान सभा के चुनावों में विरोधी दलों के एक संयुक्त मोर्चे से हार हुई। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा (जैसाकि हाल ही में रिचार्ड एल० पार्क ने निकाला)³ कि कांग्रेस दल, उम समय भी 'अनुशासित' अथवा केन्द्र द्वारा नियन्त्रित था जब उसका राज्य सरकार पर प्रभुत्व था। वस्तुतः विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि केवल पश्चिमी बंगाल में ही दलीय ढाँचे ने इस ढंग से कार्य नहीं किया जिससे केन्द्रीय निर्णयों का प्रतिरोध किया जा सके, बल्कि यह उन तत्त्वों का भी परिणाम था जो राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए आधारभूत थे। सक्षम में, दलीय ढाँचे व व्यवस्था के जो पक्ष पश्चिमी बंगाल में केन्द्र-राज्य संबंधों की हाप्टि से अत्यधिक उपयुक्त हैं वे निम्न हैं:—

१. दलीय प्रभाव के स्रोत स्थानीय है न कि राष्ट्रीय। (अर्थात् वे राज्य के सामाजिक-आर्थिक और सास्कृतिक पर्यावरण से व्युत्पन्न हैं)।
२. राज्य का दल केन्द्रीय दल से इस तरह अलग संगठित किया जाए ताकि वह राज्य के दलीय मामलों में केन्द्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से रोक सके।

³ पार्क के शब्दों में 'भारत ने सत्ता व शक्ति को एक केन्द्रीय सरकार के अधीन इस उद्देश्य से दिया है ताकि देश की राष्ट्रीय एवता को उत्थाहित निया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि तानाशाही ढंग से नियन्यों वीं राज्य व स्थानीय सरकारों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति बनी। कैरीब म दल, जो देश में करीबनकरीब सभी सरकारों द्वारा एसे अन्तरदलीय समझौतों से बहराता है, वाने अनुशासित व केन्द्र नियन्त्रित दलीय शक्ति द्वारा ऐसे अन्तरदलीय समझौतों से बहराता है त्रिसमें राज्य स्तरीय नेताओं वीं स्थिति, मुद्दे हो सके। रिचार्ड एल० पार्क 'भारत', रॅफ सी० मेनिटिस और शबर्ट बाड़ की 'आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था': एंजिया में (एंजलुड निवाग, ब्लू प्रेनिट्स हॉल पृ० २६३

३. निर्वाचन में कांग्रेस की सफलता का आधारभूत कारण यह है कि राज्य में विभिन्न स्तरों पर कांग्रेसी संगठनों का जाल विद्या हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता आंदोलन में राज्य कांग्रेस की भूमिका भी उसकी सफलता का एक कारण रहा है।
४. इन तत्वों के कारण राज्य का दल केन्द्रीय दल के नेताओं से पृथक् और स्वतंत्र (और अक्सर उसके विरुद्ध) दिशा अपना सका। ये निष्कर्ष, यद्यपि पूर्णतः परिचमी बगाल के अनुभव पर आधारित हैं लेकिन किर मी ये भारत के अन्य भागों से एकत्रित आँकड़ों द्वारा असमर्थित नहीं हैं। उदाहरण के लिए पाक के विवेचन के विपरीत बीनर ने मैसूर चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस दल के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस 'सिद्धान्तेतर (Non-Ideological) और सामूहिक (Aggregative) थी, जिसका आधार मुख्यतः ऐसे लोगों पर निर्भर रहना था जिनके पास स्थानीय शक्ति थी या जिन्होंने अतीत में उसे अपने पास रखा था। स्पष्टतः यही विवेचन परिचमी बंगाल के दल पर भी लागू होता है। परिचमी बगाल के कांग्रेस दल ने विशेष रूप से केन्द्रीय नेताओं की संदान्तिक स्थिति को स्वीकार करने से इनकार किया है और इसने निश्चिततः उन केन्द्रीय कार्यग्रमों के आधार पर कार्य करने से भना किया है जो समाज के वर्तमान ढाँचे में परिवर्तन की दिशा में निर्देश का काम करते हैं। इसके बजाय यह दल पूरे राज्य के समर्थकों को आकर्षित करने का प्रयास उनमें से करता है जो अपने क्षेत्रों में पहले से ही प्रभावशाली हैं और वह स्थानीय प्रश्नों को भी एक आंधार बनाता है।^४

राज्य में कांग्रेस दल द्वारा इस तरह का संगठन बनाने के प्रयास करना, वह भी विशेषतः, अस्तित्व प्राप्त सामाजिक व्यवस्था के सदर्म में, कोई आशयंजनक बात नहीं है। भारत के अन्य भागों के समान परिचमी बंगाल का सामाजिक ढाँचा भी बहुत अधिक विभाजित है। संघर्ष सामान्यतः एक भौगोलिक सीमित क्षेत्र में किया जाता है जबकि संबंधों का एक पदसोपानिक ढाँचा सर्वत्र व्याप्त है। परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कुछ लोगों के पास तो इतनी अधिक प्रभाव-शक्ति होती है जो पदसोपान्तर रूप से संगठित समाज व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती परन्तु साथ ही यह

४ माइनर बीनर, 'ट्रॉडिशनल रोल परकोरमेन्ट औफ मार्डन पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय घटना', जर्नल ऑफ पालिटिक्स न० ४ (नवम्बर, १९६४), ८४५

५ परिचमी बंगाल में कांग्रेस दल के विवेचन की सामग्री परिचमी बगाल में १९६३-६४ में एकविं की गई। यही दिए गए निष्कर्षों की विस्तृत व्याख्या के लिए फान्डा की 'परिचमी बंगाल की राजनीति' स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया में देखिये। ये निष्कर्ष बीनर के परिचमी बगाल के अध्ययन से भी मिलते-जुलते हैं। जेनिंग पेटनर्स ऑफ पालिटिकल सीडरशिप इन बैट्ट बंगाल तथा नोट्स ऑफ पालिटिकल डब्ल्यूपमेन्ट इन मेस्ट बंगाल पालिटिकल चेंज इन याउप एशिया में देखिये।

प्रभाव अनिवार्यतः छोटे स्थानिक (spatial) व सामाजिक क्षेत्रों में सीमित होता है। पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक गाँव, नगर और पड़ोस में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक प्रभावशाली (देशी भाषा में 'बड़े आदमी') हैं : भूस्वामी, जिन पर कानूनकार व हिस्सेदार अपनी खेती के लिए निर्भर रहते हैं, छोटे व्यापारी जो उधार व संभरण (सप्लाई) को नियंत्रित करते हैं और जिनमें इसे रोकने की क्षमता होती है, छोटे अधिकारी और भू-वितरण अधिकारी जो यह तय करते हैं कि सरकारी प्रयत्न कैसे पूरे होंगे, कलकत्ता में बस्ती या घोबीखाना के व्यवस्थापक, जो किराया-दर तय करते हैं और बेदखल करने की शक्ति रखते हैं और अन्य कई व्यक्ति, जो व्यक्तिगत व सार्वजनिक सुविधा व सेवाओं पर नियन्त्रण का प्रयोग करते हैं तथा जिन पर अधिकांश जनता अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहती है।

इन व्यक्तियों की आर्थिक शक्ति अवसर सामाजिक व्यवस्था में निहित तत्त्व से और मुद्दे हो जाती है। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति अधिकांश लोगों पर प्रभाव रखते हैं विशेषकि वे अपने क्षेत्र में प्रमुख जाति के सदस्य हैं या इसलिए कि वे अपनी जाति के अन्तर्गत परम्परागत रूप से सत्ता पर अधिकार रखते आए हैं। उदाहरण के लिए निकोनस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अन्तर्गत गाँव (चांदीपुर) में यह पाया गया कि ग्रामीण जीवन के अधिकांश मामलों में सुमदाय की प्रभुत्वशाली जाति पहल करती है और उन्हे नियन्त्रित करती है।

अधिकांश भागों में जो जातियाँ सामाजिक स्थिति से निम्नतर हैं उन्हे प्रभुत्व वाले वर्ग की पहल को स्वीकार करना चाहिए।^६ यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में कलकत्ता में कारखाना समूह का एक सरदार, उन लोगों के जीवन में सम्बन्धित सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार रखता है जो इसके अन्तर्गत हैं और यह अधिकार ग्रामीण सामाजिक सरचना में उसकी स्थिति से उत्पन्न होता है।^७ संभवतः वे व्यक्ति भी अधिक प्रभाव डालते हैं जिनकी उनके समुदाय में काङ्गी प्रतिष्ठा होती है। उदाहरणार्थ आदिवासी और अचूत समुदायों के नेता, बंगाली मध्यम वर्ग के सदस्य जो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि या अपने परिवार की सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त है, पास-पड़ोस सगठन के नेता जो पड़ोस में पूजा (धार्मिक उत्सवों) के लिए कोष संगठित और प्रदान करते हैं, और कला व साहित्य के सरक्षक जो नाटक व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पंसा व सुविधाएँ जुटाते हैं।

व्योकि ये लोग ऐसी सामाजिक स्थिति में हैं जहाँ वे अधिकांश स्थानीय जनता के आर्थिक भविष्य पर नियन्त्रण रखते हैं, या व्योकि इनके पद व सत्ता के कारण अधिकांश जनता इनका आदर करती है। अतः ऐसे 'महत्वपूर्ण व्यक्ति'^८ अपने सभी या लगभग सभी समर्थकों, निर्भर व्यक्तियों व आश्रितों को एक दल अथवा दूसरे दल के समर्थन में मत देते

^६ राल्फ, डब्ल्यू, निकोलस, "विलेज फवशन्स एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन हरन बैंगाल", जरनल ऑफ कामनबैल्ट पॉलिटिकल स्टेडीज़" संख्या १ (नवम्बर १९६३), १६

^७ अशोक मित्र, 'बैस्ट बंगाल, सिलिकम एण्ड चन्द्रनगर' सेमिनार बॉर्ड इण्डिया में के १९५१ एण्ड भाग ए रिपोर्ट (दिल्ली, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, १९६३) पृ. ३१२-१६

के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि ये इतनी पृथक् सामाजिक आर्थिक पृष्ठ-भूमि से जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव अपेक्षाकृत इतने छोटे क्षेत्र तक सीमित रहता है जिससे यह आमास होता है कि उनमें सामान्य हितों व उद्देश्यों का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि अगर इन व्यक्तियों का उपयोग राजनीतिक संगठन के उद्देश्य से किया जाय तो कई विषयों पर निश्चित और सुदृढ़ दलीय मापदण्डों के प्रयोग के लिए इनको आकर्षित करना कठिन होगा।

लेकिन जब से राज्य के काँप्रेस दल ने सुदृढ़ सैद्धान्तिक वातों पर आग्रह करना छोड़ दिया है या वह केन्द्र सरकार के योजना व कार्य-क्रम के दावों से मुक्त है, वह इन 'महत्वपूर्ण व्यक्तियों' के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुहूल गठबन्धन कर सकता है (समझौता और लेन-देन से व सजा अथवा पुरस्कार प्रदान कर)। उदाहरण के लिए, दामोदर घाटी निगम के मामले में पश्चिम बंगाल का काँप्रेस दल जल-वितरण से सम्बन्धित सहायता देने में समर्थ था। जिन्होंने अपने हित को ध्यान में रख कर मिचाई उपकर (cess) दिया, उन्हे इससे साम प्राप्त हुआ। काँप्रेस दल उन धोओं से भी मिचाई उपकर एकत्रित करने के लिए कार्य करता रहा यहाँ लोग इस योजना के अन्तर्गत नियमित जलमार्ग से पानी लेने के अनिच्छुक थे और उसे छल कपट से प्राप्त करते थे। इस घटना में दल उन विसानों व भू-स्वामियों का पक्ष ले सका जिन्होंने यह तर्क दिया कि दामोदर घाटी योजना के द्वितीय चरण को पूरा करने के बजाय स्थानीय विकास अधिक महत्वपूर्ण है। तदनन्तर दल उन वस्तियों में एक राहत संगठन के रूप में भी कार्य कर सका जहाँ द्वितीय चरण के कार्य को न करने के कारण भयंकर बाढ़ आ गई थी। दल को यह अपवाह मिला है कि वह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दबाव के वशीभूत होकर सैद्धान्तिक अभिभुलीकरण का प्रतिशोधक बन गया है। वस्तुतः केवल इसी आधार पर उसने राज्य को प्रभावशाली रूप से संगठित भी किया है।

इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रभाव डालने की दिशा में विशिष्ट महत्व-पूर्ण स्थान का काँप्रेस का है जो स्वतन्त्रता के उपरान्त विकसित हुई थी। यह संगठन भूस्थितः अतुल्य धोप द्वारा बनाया गया था। स्वतन्त्रता के बाद जब धोप प्रदेश काँप्रेस समिति के महासचिव चुने गए, उन्होंने तत्काल कई ऐसे केन्द्रों की स्थापना की शुरूआत की। बंकुप जिते में दौलागारा, हुगली में ग्रामस्वामी, कलकत्ता में अतुल्य के निवासस्थान, कबंली लेन में और अन्य कई जगह। यहाँ पर राजनीतिक कार्य-कर्ता रह कर काम कर सकते थे या विचार-विमर्श के लिए मिल सकते थे। ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर कई नवयुवक दलीय कार्यकर्ता रहते हैं जो रचनात्मक गतिविधियों में माग लेते हैं, अपने आपको स्थानीय व जिला स्तरीय राजनी-

प मह शब्द रजनी कोटारी द्वारा प्रयोग में लाया गया, यह प्रांगन्म और बार्टेक्युलेशन्स इन इण्डियन पालिटिक्स, यह लेख अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान परिषद् के निए तैयार रिया मण, वर्ष १९६४ पृ. २ (मिमियोगाड, यह निकोलस द्वारा भी प्रयोग किया गया, जरनल बॉक वर्मवैल्य पालिटिकल टट्टीज (गवम्बर, १९६३))

तिक गतिविधियों से पूरी तरह परिचित रहते हैं, काँग्रेस फाइलों को रखते हैं तथा इसी तरह के अन्य कार्य करते हैं। राज्य के दलीय व सरकारी नेताओं द्वारा अपने जिले की यात्रा के दौरान वारी-चारी से प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण होता है। जिले के उन राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं ने भी इस दिशा में योगदान दिया है जो किसी जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से या शिकायतें लेकर दलीय फायलिंग आते हैं। इन केन्द्रों के अस्तित्व ने निश्चित रूप से राजनीतिक नेताओं और साधारण जन के मध्य घनिष्ठ सम्बंध बना साधन प्रदान किया है। ये राज्य काँग्रेस दल के ऊपरी दर्गे को भेजी जाने वाली स्थानीय व ग्रामीण मार्गों तथा शिकायतों का संचार माध्यम हैं। इस शुरूखता में जुड़े हुए लोगों का केन्द्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध इनके मध्य बातचीत में प्रयोग में लाये गए स्नेह-युवत सम्बोधनों से प्रकट होता है। घोष स्वयं 'बड़ा बाबू' नाम से जाने जाते हैं जोकि एक अधिपुरुष (वॉस) के लिए एक स्नेहपूर्ण सम्बोधन है। या उन्हें अनुल्य दा (बड़ा भाई) कहा जाता है। इस संगठन की प्रभावशीलता इस तथ्य से प्रकट होती है कि स्वतन्त्रता से पहले बगाली राजनीति पर हावी होने वाले बहुमुखक गुड़ स्वतन्त्रता के बाद या तो समाप्त हो गए या समाहित कर लिये गए।

केन्द्रीय दलीय नेताओं के प्रभाव से राज्य काँग्रेस दल की स्वतन्त्रता राज्य आधारित सुगठित संगठन के निर्माण पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इस स्वतन्त्रता को दल के आकारनिष्ठ ढाँचे द्वारा प्रोत्साहित किया गया है (जबकि स्वतन्त्रता पूर्व काल में इस दल का नेतृत्व बेवल विचारवारा युक्त था)। प्रदेश काँग्रेस कमेटी १९२० से ही दल का निर्णयिक संगठन रही है जिसने दल को राज्य व प्रान्तीय सीमा के अन्तर्गत संगठित किया है। यह प्रदेश काँग्रेस कमेटी ही स्थानीय जिला व मंडल काँग्रेस कमेटियों की संख्या निर्धारित करती है जिन्हें राज्य में संगठित किया जाना होता है। यही इन स्थानीय स्तर पर संगठित इकाईयों को एक साथ रखने के लिए भी पूर्णरूप से उत्तरदायी है। स्पष्टतः स्थानीय इकाईयों पर नियन्त्रण ही प्रान्तीय नेतृत्व को दलीय सदस्यता के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रभाव प्रदान करता है। परिणामस्वरूप राज्य मंत्रिमंडल व केन्द्रीय संसद में निवाचिक स्थिति को बनाए रखने में प्रातीय नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य काँग्रेस के नेतृत्व का महत्व कई अन्य घटकों से भी बढ़ा है। जब से काँग्रेस दल का संविधान एक ही व्यक्ति को मुख्य-मंत्री व साथ ही प्रदेश काँग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाने से रोकता है तभी से मन्त्रिमण्डल दलीय संगठन को न तो हथियास करता है और न नियन्त्रित ही कर सकता है। और इस प्रकार, अक्सर मुख्य-मंत्री निश्चित रूप से इस राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है जो उसे पद पर बनाए रखती है। इसके अंतिरिक्त दल का प्रमुख राज्य में दलीय वित्त पर नियन्त्रण रखता है और काँग्रेस कोप के लिए आधिकारिक रूप से उसे एकनित करता है।^६ नियन्त्रण के इस

^६ मार्क्स-फान्डा, दि ऑग्साइज़ेशनल डेवलेपमेंट ऑफ़ इडियाज़' काँग्रेस पार्टी, पेसेफ़िक अफ़ेयर्स संघा ३ (काल १९६२) २५३

स्वरूप के कारण राज्य प्रदेश काँग्रेस समिति अपने राज्य में अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त करने में समर्थ है।

क्योंकि पश्चिमी बंगाल का काँग्रेस दल बहुत संयुक्त रूप से बना हुआ संगठन है, जो अपनी शक्ति को राष्ट्रीय दल से स्वतंत्र होकर स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर रहा है, इसलिए यह राज्य, दलीय मामलों में केन्द्रीय व्यक्तियों के हस्तक्षेप के प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से हटाने में समर्थ रहा है। वर्तुतः अनेक बार केन्द्रीय दलीय नेता पश्चिमी बंगाल काँग्रेस दल की जिला व स्थानीय इकाईयों को नई दिल्ली से नियन्त्रित करना चाहते थे। उन्होंने राज्य संगठन में केन्द्रीय दलीय नेताओं के पक्षाधर प्रत्याशियों को भारोरित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विरोधियों को भी अलग किया जो दल के बर्तमान नेतृत्व को उखाड़ना चाहते थे। लेकिन अनेक अवसरों पर केन्द्रीय नेतृत्व वर्ग के निर्देशों का प्रतिरोध करने में राज्य के दल की प्रभावशीलता सिद्ध हुई है।

स्वतंत्रता के पश्चात् पश्चिमी बंगाल काँग्रेस संगठन पर केन्द्रीय दलीय नेताओं के नियन्त्रण का प्रथम प्रयास १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद सामने आया। यह वह समय था जबकि पश्चिमी बंगाल राज्य गम्भीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इस समय तक शहरी संगठन, जो पूरे राष्ट्रीय आनंदोत्तन के दीरान पश्चिमी बंगाल के काँग्रेस दल पर प्रभुत्व रखता था, अस्तण रूप से नहीं बन सका था। ऐसा मुख्यतः इसके नेता मुमाय बोस के अलग हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ था। कई काँग्रेसी समर्थक, जो बोस के अनुयायी थे, मुढ़ के समय काँग्रेस से बाहर हो गए और बामपंथी दलों में शामिल हो गए। काँग्रेस के अनेक गढ़ विभाजन के कारण राज्य से अलग हो गए और दल को चुनाव लड़ने में ऐसे क्षेत्रों में संकट का सामना करना पड़ा जहाँ स्वतंत्रता से पहले मुसलमान मंत्रिमण्डल सत्ता में था। विधान सभा और प्रदेश काँग्रेस समिति में किसी समूह विशेष का नियन्त्रण होने की स्थिति में काँग्रेस उच्च कमान ने प्रकृत्त धोप को समर्थन देने का निश्चय किया जो काँग्रेस कार्य समिति के सदस्य व गांधी के पक्के समर्थक थे। लेकिन पश्चिमी बंगाल में धोप का राजनीतिक समर्थन नगण्य था। वह कोमिल्ला (पूर्वी बंगाल) में अमप भारथ में गांधीवादी समूह के नेता थे और पश्चिमी बंगाल में इनका कोई विशिष्ट राजनीतिक प्रभाव नहीं था। फलतः इनका नेतृत्व कमज़ोर पड़ गया, विधान सभाई दल ने इनका समर्थन नहीं किया और अन्ततः राज्य के राजनीतिज्ञों के हृठ के कारण उन्हें त्यागपत्र देने की बाध्य होना पड़ा।

इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में बर्तमान काँग्रेस संगठन को प्रेरणा स्वयं राज्य से ही मिली न कि केन्द्र से।^{१०} जनवरी १९४८ को राज्य विधान सभा के काँग्रेसी सदस्यों ने अपना समर्थन विधानसभा रॉय को दिया जो कलकत्ता के एक सम्मानित डॉक्टर थे और उन्होंने तत्काल पश्चिमी बंगाल के गुटों व संगठित समूहों के समर्थन को प्राप्त करने का प्रयास किया। आरामबाग समूह के नेता प्रकृत्त सेन, राज्य सरकार में मन्त्री नियुक्त किए गए

(वाद में ये मुख्य मन्त्री बने) और इसी तरह हुगली समूह के कई सदस्यों को भी अनेक मन्त्रिमण्डलीय पदों पर रखा गया। हुगली जिला राजनीति के प्रमुख नेता, श्री अनुल्य घोष दल के सचिव बने। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मन्त्रिमण्डलीय विभाग या तो स्वयं राँय के हाथ में ही रहे या उनके समर्थकों व कलकत्ता के सहयोगियों के पास।

१९४८ में जिस राज्य आधारित समग्र संगठन ने पश्चिमी बंगाल में सत्ता ग्रहण की, वह काफी स्थिर रहा। वह राज्य के संगठनात्मक कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा डाले गए प्रभाव के प्रयासों का प्रतिरोध करने में सक्षम रहा। १९५२ के बीच में दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति में पन्थे गुटीय झगड़ों की समाधान-विधि से यह देखा जा सकता है। झगड़े का संबंध उस समय बनाए गए संगठन के स्वरूप से था। १९५२ के मध्य में दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के कई सदस्य घोष द्वारा बनाए गए दल के स्थान पर एक अधिक सिद्धान्त अभिमुखी दल के पक्ष में थे। क्योंकि उनकी यह भारणा थी कि विरोधी विचारों का दल आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में तीव्र व कांतिकारी परिवर्तन लाने में अधिक सक्षम होगा।^{११} यद्यपि यह गुट उस समय अपनी जिला कांग्रेस समिति में ही नहीं थे। फिर भी यह महसूस किया गया कि जिला कांग्रेस समिति के अधिकांश सदस्य वहाँ की समिति के पुनर्गठन के पक्ष में थे और यह आशा की जाती थी कि ये विरोधी सदस्य नए दलीय चुनावों में जीत जाएंगे। इन सदस्यों ने कांग्रेस कार्य समिति से यह प्रार्थना की कि वह जिला कांग्रेस समिति के नए चुनावों का प्रबंध करे। कार्य समिति ने तत्काल दक्षिणी कलकत्ता में नए चुनावों के लिए आदेश दे दिया। प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव विजयसिंह नाहर ने कहा कि दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के नए चुनाव (मई २४, १९५२) को होगे लेकिन चुनाव होने के पांच दिन पहले दल की इस इकाई को पूर्णतः बदल दिया गया। कार्य समिति के आदेशों का पालन करने के बजाय प्रदेश कांग्रेस दल के अध्यक्ष (अनुल्य घोष) ने निवाचिन इकाई को मंग कर दिया और नाहर को यह निर्देश दिया कि 'दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के सभी मामलों को वह अपने हाथ में लेकर उन पर कार्रवाई करें।^{१२} तत्पश्चात् राज्य के दल ने, दक्षिणी कलकत्ता इकाई में विरोधियों को बाहर करने के लिए कई नए सदस्यों को लेने के उपाय किए। और अन्ततः वह राज्य के दलीय संगठन से विरोधियों को बाहर करने में वह समर्यं रहा। विशेष बात यह है कि यह भव केन्द्रीय दलीय संगठन के आदेशों के विरोध

^{११} प्रमुख कार्य नियों में से वे जो पश्चिमी बंगाल में विन्कुल हान ही में इन गुट के मात्र जुड़े हैं वे हैं प्रपुल्ल बनजी, बरेन सेन, जहांगीर बबीर, श्रीमती भैंसेथी बोग, अरकिन्द बोग, बहैयालाम भोस्लामी और बकोर मेन। इन गुट के मदस्यों का यह विवराम है कि कांग्रेसों एक ऐसा राजनीतिक आधार प्राप्त बरने के लिए तत्पर है जिससे राज्य में दोनों मामलों में केन्द्रीय प्रभाव में बुद्धि हो सके। राज्यों के पुनर्गठन के प्रयत्नमें निवाचिन रूप से यही मामला था। अंगोर सेन को दल द्वारा बंगाल विट्टर विलय के अलोकप्रिय प्रभाव के लिए नामांतित किया गया। वह पश्चिमी बंगाल में विरोधियों के मदों बड़े नेता है और स्व० नेट्वर्क के निवाचिन मित्र है।

^{१२} स्टेट्समेन (कलकत्ता) जून १८, १९५२ पृष्ठ ५

में किया गया।^{१३}

कांग्रेस उच्च कमान द्वारा राज्य दलीय संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप का दूसरा बड़ा प्रयास १९५८ में हुआ, पश्चिमी विधान प्रदेश कांग्रेस समिति के १९५८ के चुनावों के तुरंत पहले। इस समय पश्चिमी विधान के कई कांग्रेसी सदस्यों ने शैलगुप्तार मुकर्जी के चुनाव कार्य के लिए एक अस्थाई समिति वा संगठन किया। श्री शैलगुप्तार मुकर्जी प्रतिष्ठित कलकत्ता निवासा व विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और एक जो केन्द्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के प्रति राज्य की निष्ठा व उसके दृढ़ समर्थन के पश्चात थे। प्रारम्भिक अवस्था में इस 'उप वर्ग' (Ginger group) ने नेहरू में यह प्रारंभिक की कि वह घोष को दल के अध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र के लिए निर्देश दें। नेहरू ने घोष को त्यागपत्र देने का निर्देश देने से मना फर दिया और यह कहा "मैं पश्चिमी बंगाल कांग्रेस संगठन के लिए घोष द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अच्छी राय रखता हूँ। वह एक अच्छी संगठनकर्ता है और उन्होंने कांग्रेस की अच्छी सेवा की है। पश्चिमी बंगाल पर नेतृत्व या किसी अन्य चीज़ को आरोपित करना मेरा कार्य नहीं है। मेरी एची कांग्रेसियों के प्रभावशाली कार्य में है"।^{१४} मात्र ही नेहरू ने विरोधियों को यह कह कर भी प्रोत्साहित किया कि 'सिद्धान्त रूप में कांग्रेस समितियों में पदाधिकारियों की क्रमिक व्यवस्था को रखना अधिक उपयुक्त है'।^{१५}

नेहरू के इस वकालत वाद कांग्रेस दल की कार्य समिति ने एक आदेश जारी किया जिसमें सब संसद सदस्यों को, जो प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिता के भी सदस्य थे, यह निर्देश दिया गया कि वे इसी एक वयवा दूसरे पद में त्यागपत्र दें। उस समय अनुल्य घोष संसद सदस्य और साथ ही पश्चिमी बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। दल के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने उनको यह निर्देश दिया कि वह प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षता से इसलिए त्यागपत्र दें क्योंकि वह दल के लिए एक संसद सदस्य के रूप में अधिक भहत्वपूर्ण हैं। (वास्तविकता यह थी कि इस समय से पहले वह लोक सभा की बैठकों में केवल तीन अवसरों पर ही उपस्थित हुए थे जबकि ६ साल से वह संसद सदस्य थे।) यद्यपि घोष और उनके अनुयायियों ने इस घटना को राज्य के मामलों में केन्द्र द्वारा अवाधीनीय हस्तक्षेप के रूप में देखा^{१६} किर भी वे केन्द्रीय दल की सत्या के निर्देशों के अनुसार कार्य करने व साथ ही अपने संगठन पर नियन्त्रण बनाए रखने में सक्षम

^{१३} दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के सदस्यों ने कार्य समिति से वाद वाली तारीख को जिता कांग्रेस समिति को पुनर्गठित न करने की प्रारंभना की। इसका आधार यह था कि राज्य वी. सी.सी. ने कार्य समिति के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया, एक कार्य समिति की उपसमिति ने जिसमें देताई, गाडगित और पन्त थे, इन आदेशों को बहुत अधिक संदिग्ध कह कर समाप्त कर दिया। देखिये पूर्वोक्त, जनवरी १३, १९५३।

^{१४} पूर्वोक्त, जुलाई २५, १९५८ पृ० १।

^{१५} इसे 'उप समूह' द्वारा उत्पाद के रूप में लिया गया। पूर्वोक्त, देखिये पृ० ५। कई विरोधियों ने साधात्कार में यह बहा कि अक्तिगत गभारों में अन्यों योजना को आगे लाने के लिए उन्हें नेहरू ने उन्मातित किया।

^{१६} एक साधात्कार में घोष द्वारा कहा गया अप्रैल १६, १९६४।

रहे। ३१ अक्टूबर १९५८ को अतुल्य धोप ने प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया और उसी दिन प्रदेश कांग्रेस समिति के अन्य सभी पदाधिकारियों ने भी अपने त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिए। दो दिन बाद वे कार्यपालिका परिषद के रूप में अन्तिम बार मिले और अपनी कार्रवाई के पक्ष में भत दिया। साथ ही उन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश कांग्रेस समिति की साधारण सभा का आयोजन किया (करीब ६०० सदस्य) जहाँ नई कार्यपालिका परिषद का चयन होना था।

पश्चिमी बंगाल के विरोधी गुटों ने नेहरू और यू० एन० ढेवर (कांग्रेस अध्यक्ष) से इस पूर्वमान्यता के आधार पर एक तदर्थ समिति बनाने की प्रार्थना की कि यदि इसी प्रदेश कांग्रेस समिति के आह्वान पर साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई तो उसमें धोप समर्थित वर्ग ही निर्वाचित होगा। उन्होंने इस प्रस्तावित तदर्थ समिति के अध्यक्ष पद के लिए शैल मुकर्जी का नाम सुझाया।^{१७} लेकिन मुकर्जी ने मुख्यमन्त्री बी० सी० राय के समर्थन के बिना अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया।^{१८} अन्ततः राय ने इन विरोधियों को धोप व उनके वर्ग की तुलना में समर्थन देने से इन्कार कर दिया क्योंकि धोप वर्ग उनकी सरकार को अस्तित्व में लाने में सहायक हुआ था। परिणामस्वरूप ७२ साल के बुजुर्ग कांग्रेसी श्री जादवेन्द्र नाथ पंजा का नाम कांग्रेसी अध्यक्ष पद के लिए धोप समर्थित समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया (पी० सी० सेन ने स्वयं इस नाम का प्रस्ताव रखा) और प्रदेश समिति की सभा में मान्य बहुमत से उन्हें चुन लिया गया। पंजा ने अपने सहयोगियों के रूप के उन्हीं व्यक्तियों को नामांकित किया जिन्होंने चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी का निर्माण किया। अपवादस्वरूप वे व्यक्ति नहीं लिए गए जो विरोधियों के पक्ष में हो गए थे। धोप स्वयं भी कार्यपालिका परिषद में रहे और प्रदेश कांग्रेस समिति की कई महत्वपूर्ण समितियों में, भी धोप को स्थान मिला और पंजा के अनुरोध पर समर्वित समिति के सदस्य विशेष ने धोप के समर्थन में स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया। इसका निश्चित परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को या तो धोप के नेतृत्व और संगठन को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया या उन्हें दल से निकाल दिया गया। प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव के बाद एक बत्तव्य में (विरोधियों ने) यह कहा कि जो कुछ हुआ है वह मात्र “पत्तों का हेर-फेर है!” और पहले की अपेक्षा अब वे कहीं अधिक शक्तिहीन हैं।^{१९}

यह संभव है कि पाकें द्वारा इंगित तथ्य के अनुकूल भारत के अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस दल ‘अनुशासित’ व केन्द्र द्वारा नियंत्रित हों। लेकिन पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति को अनुशासित करने की केन्द्रीय दलीय नेतृत्व की अयोग्यता उसकी इस संगठन पर निर्भरता को प्रतिविम्बित करती है। क्योंकि राज्य-संगठन प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों में केन्द्रीय दल

^{१७} मेट्रोपोल (कलकत्ता), नव १४, १९५८ पृ. १

^{१८} पूर्वोत्तर नव २४, १९५८ पृ. १

^{१९} पूर्वोत्तर, नवम्बर २६, १९५८, पृ. ७

के अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रभावशाली ढंग से रोकने में समर्थ रहा है, इसीलिए राज्य की प्रदेश काग्रे स कमेटी (पी० सी० सी०) बिना किसी आशंका के अपना स्वतंत्र मार्ग निर्धारित कर सकी। प्रदेश काग्रे स कमेटी को अनुशासित न रख पाने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के नेता मतों, दल की वित्तीय व्यवस्था व चुनाव संगठन के लिए के नेताओं पर निर्भर रहते हैं।

इस प्रकार का दलीय ढाँचा एक केन्द्रित निरांय प्रक्रिया के मार्ग में वाधक होता है, यह स्पष्ट रूप से विभिन्न अध्ययनों में अभिव्यक्त हुआ है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम के मामले में राज्य काग्रे स दल ने उन कृपकों का पक्ष लिया जिन्होंने इसकी नहरों से छलकपट से पानी लिया था। यह केन्द्रीय दल के निर्देशों के विपरीत था और उसने इसी कारण ऐसे व्यवहार की भर्तसना की थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य के नेताओं की सभी मार्गों को स्वीकार किया (जोकि केन्द्र से पृथक्, स्वतन्त्र निरांय के तरीके को अपना रहे थे) क्योंकि राज्य के दल ने यह तक दिया था कि यह उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक था। इसी तरह राज्यों के पुनर्गठन के मामले में राज्य के दलों को अधिक छूट देने के लिए सरकार को उस समय वाध्य होना पड़ा जब राज्य पुनर्गठन आयोग के प्राथमिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अहिसात्मक प्रदर्शनों की धमकी दी। केन्द्र बिहार और बंगाल को मिलाने के मरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध राज्य कांग्रेस की गतिविधियों को रोकने में भी असमर्थ रहा। अन्त में, भूमि भुधार के मामले में राज्य के नेताओं ने यह तक दिया कि ग्रामीण जनता के हित को समन्वित करने वाला विधेयक दलीय संगठन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। केन्द्रीय दलीय नेताओं ने भिन्न भूत रखने के बावजूद अपने विरोध को इसलिए नहीं प्रकट होने दिया कि कही ऐसा न हो कि राज्य में उनकी चुनाव स्थिति पर संकट आ जाए।

राजनीतिक संचालन (Mobilization)

यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि भारत के अन्य कई राज्यों में प्रायः इसी तरह का दलीय ढाँचा है और इन राज्यों में दलीय व्यवस्था करीब-करीब उसी तरह काम करती है जैसी पश्चिमी बंगाल में लेकिन फिर भी इसके परिणाम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में भलग-भलग हृष्टिगोचर होते हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस का प्रत्यक्ष उदाहरण लिया जाए। उमकी केन्द्रीय दल से संचनात्मक व्यवस्था बंसी ही है जैसी पश्चिमी बंगाल की प्रदेश कांग्रेस समिति की। लेकिन मध्यप्रदेश में राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के निम्न स्तर और राज्य के राजनीतिज्ञों की केन्द्र राज्य के सम्बन्ध में जनता को गतिशील रखने की अपोयता के कारण यह राज्य काफी सीमा तक नई दिल्ली के नियंत्रण में रहा है। इसी सन्दर्भ में पश्चिमी बंगाल में राजनीतिकरण की अधिक सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों की जीति पश्चिमी बंगाल टूजनीतिक हृष्टि से भ्रष्टिग्रन्थ संचालित है और जनमन्द्या या एक बड़ा भाग विनेपत। केन्द्र-राज्य सदबोधों में भ्रष्टिग्रन्थ पर बड़ी जीघता से भावुकनापूर्वक उत्तेजित हो जाता है।

बंगाल में राजनीतिकरण की अधिक दर इस क्षेत्र के औपनिवेशिक इतिहास व स्वतंत्रतावाद के अनुभव-दोनों का परिणाम है। बंगाल वह पहला क्षेत्र था जो भारत में अप्रेजों द्वारा उपनिवेश बनाया गया और इस पूरे महाद्वीप के सामाजिक परिवर्तन और शासन के तरीकों के लिए यह क्षेत्र अप्रेजों के कई प्रयासों का केंद्र बना। विशेष रूप से पूरी १६ वीं सदी के दौरान ब्रिटिश भूमि सुधार तरीकों, शिक्षा नीति, औद्योगिक और व्यापारिक नीति और अन्य कई प्रयोग पहले बगाल में किये गए और वाद में उनका अन्य प्रान्तों में प्रसार हुआ।^{२०} आश्चर्य नहीं कि चेतना व राजनीतिक जागृति पहले बंगाल में उठी (विशेषतः कलकत्ता के निकटवर्ती क्षेत्रों में) और बगाली कई राजनीतिक जागृति लाने वाले राष्ट्रीय आनंदोलनों में अप्रणी हो गए। प्रथम काप्रेस अध्यक्ष बंगाली था और इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रमुख उदारवादी नेता भी बंगाली थे जिन्होंने प्रारम्भिक चरणों से कांग्रेस को नेतृत्व दिया। आतंकवादी आनंदोलन व क्रान्तिकारी हिंसा, जो इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में हप्टिगढ़ हुई, उसके विकास का माध्यम भी बगाली ही थे। प्रारम्भिक आतंकवादी संगठन (जुगान्तर और अनुशीलन समिति) की स्थापना बगाल में हुई थी और रूसी क्रान्ति के बाद भारत में कई मार्क्सवादी वामपन्थी दलों का जन्म भी बंगाल में ही हुआ। वस्तुतः राष्ट्रीय आनंदोलन में बगाल का महत्वपूर्ण स्थान इस शताब्दी के तीसरे दशक तक अर्थात् गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के जन्म तक कम नहीं हुआ था।

इस शताब्दी में कई ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने इस क्षेत्र में बगालियों के राजनीतिक जागरण का प्रसार किया। जहाँ एक और बगाली अपने प्रान्त की सास्कृतिक और राजनीतिक गरिमा के ह्लास का अनुभव कर रहे थे, वही दूसरी और उन्हे एक भयकर आकाल का भी सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वे कलकत्ता और उसके बाहरी क्षेत्रों में भिन्नराष्ट्रों की गतिविधियों से भी मस्तूद रहे। १९४७ में इस उपमहाद्वीप के विभाजन और उसके परिणामस्वरूप हुए व्यापक दंगों का प्रभाव भी यहां पड़ा और भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति ने भी उन्हे अत्यधिक प्रभावित किया जबकि परिवर्तन की गति अत्यधिक तीव्र थी। उन वर्षों के दौरान बगाली मध्यम वर्ग को मानसिक कुंठाओं व कठिनाइयों का उस समय सामना करना पड़ा जब बंगाल शेष भारत पर अपनी सांस्कृतिक “सर्वोच्चता” को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा था। सारे भारत की तरह पश्चिमी बंगाल में भी विभाजन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अनेक अद्यवस्थाओं तथा भूमि सुधार और शैक्षणिक नीतियों के कारण मध्यम वर्ग में तीव्र गति ने शिद्धित वेरोजगारों में वृद्धि हो गई थी। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की भारी सम्म्या तथा १० लाख ३० हजार मध्यस्थी के लिए जमीदारी कानून के उन्मूलन से मध्यम वर्ग का आकार काफी बढ़ गया था। उसके लिए नौकरियों के लिए संघर्ष, शिक्षा के अवसर और आवास की समस्याओं ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के

^{२०} १६वीं शताब्दी में बंगाल में राजनीतिक चेतना वा विवरण साधन बोन नी पुस्तक “द इन्डियन अवेक्षित एण्ड बंगाल” में है (कलकत्ता किरमा के एत० मुम्बोश्याय, १९६०)

पश्चात् जीवन स्तर के महेंगे होने और चुनाव की वास्तविकताओं के परिणामस्वरूप कलकत्ता शहर की समस्याओं की अवहेलना करने से शहरी मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति अधिकाधिक नीचे गिरी है। साथ ही बगाल के विस्थापन और शिक्षा की ऊँची मार्ग ने एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था को उत्पन्न किया है जो पूर्ववर्ती स्तर की सांस्कृतिक गतिविधियों को बनाए रखने की उपयुक्तता के प्रति आस्थावान नहीं है।

यह प्रचलित धारणा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भलग विशिष्ट भाषा, सामाजिक ढांचा, जाति व्यवस्था, सास्कृतिक परम्पराएँ और आर्थिक वितरण का एक पृथक् प्रतिमान है। कई बार यह भी कहा जाता है कि इतिहास में शायद ही कभी बंगाल दिल्ली के अधीनस्थ रहा हो और जब कभी भी ऐसा हुआ हो अस्तित्व प्राप्त केन्द्रीय साम्राज्य के साथ इसके गठबन्धन अस्थाई व सामान्यतः शिविल ही रहे। भारत की विभिन्नता की चर्चा करना चाहे जितनी ही सामान्य धारणा क्यों न हो, इसी के साथ उन तरीकों पर भी विचार करना आवश्यक है जिनसे विभिन्नता ने अन्य घटकों के साथ मिलकर भारतीयों के विचारों व भावनाओं को प्रभावित किया है और जिसका केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ा है।

बंगाल के संदर्भ में, उच्चकोटि के राजनीतिकरण ने प्रादेशिक परम्पराओं के सहयोग से एक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें जनसंख्या का अधिकांश भाग, बंगालियों की पृथक् सास्कृतिक परम्पराओं को बनाए रखने के लिए अत्यधिक सजग और बहुत कृतसकल्प है। कई बंगाली अपनी भाषा को भारत की अन्य सभी भाषाओं से बहुत अधिक विकसित मानते हैं। बगाली साहित्य, कला, नाट्य और चलचिल अन्य क्षेत्रों की तुलना में अतिक उच्चकोटि के माने जाते हैं और बंगाली सोग इसे बंगाली “प्रतिभा” का प्रमाण मानते हैं कि टैगोर ही एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार (Nobel prize) जीता, कि प्रे सीडेन्सी कॉलेज को किसी समय ‘भारत का हावड़े’ कहा जाता था और कि गोखले ने एक बार कहा था “आज बगाल जो सोचता है, वह भारत कल सोचेगा।”^{२१} बंगाली आज भी उन सास्कृतिक उपलब्धियों तथा बोलिक और शैक्षणिक प्राप्तियों को काफी महत्व देते हैं जो बंगाली परम्परा को बनाए रखने में सहायक हैं। अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार आज भी बंगाली ‘मद्दलोक’ वर्ग (अच्छे आदमी) द्वारा शतान्द्रियों तक अपनाई गई परम्पराओं और गतिविधियों पर बल देते हैं।

वर्तमान शताब्दी की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप शहरी मध्यम वर्ग का एक बड़ा भाग, प्रायः सभी राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या केन्द्र की विटिश सरकार व अन्य

२१ कई बंगाली महान् करते हैं कि बगाल की सास्कृतिक “प्रतिभा” बंगाली जनता में निहित है। इस वर्षणा की सिद्धि के लिए “तीन गिरावन्त” विषेष शर से उल्लेखनीय है। एक जनीन का उपनाम जिससे बंगाली जीवन की विलासिताओं पर अधिक ध्यान दे मतते हैं, हूमरा, जलवायु, जो विधायम को प्रोत्तमाहित करती है, और तीमरा बगाली जनता वा जातीय संघटन (composition) माईरन बीनर की “भारत में विद्यार्थी समस्या” भी देखिये स्टेटमेंट (कलन्ता) २६, १९५४ पृ० ६

, सरकारों तथा गैर-बंगाली व विदेशी व्यापारियों की पड़यंत्रकारी गतिविधियों के रूप में करने लग गया है। इस भावना का कि एक घडयंत्र बंगाल की भूमि के लिए खतरा बन रहा है, सहज परिणाम यह होता है कि उन कार्यों के विरुद्ध एक भावनात्मक आंदोलन उभरता है। जिनकी केन्द्रीय हस्तक्षेप, हिन्दू साम्राज्यवादी या किसी अन्य प्रकार के संघीय नियंत्रण के संदर्भ में व्याख्या की जाती है। वस्तुतः बंगाली मध्यम वर्ग का काफी बड़ा भाग विभाजन थीर उसके दुष्परिणामों के लिए गाधी और कांग्रेस दल के केन्द्रीय नेताओं को दोषी मानता है, ^{२२} नेहरू को बंगाली हितों के प्रति क्रूर और अपमानजनक उदासीनता के लिए दोषी ठहराता है क्योंकि उन्होंने नेहरू-नून समझौते के अन्तर्गत बेह-बाढ़ी के पाकिस्तान व भारत के बीच भभान विभाजन को स्वीकार कर लिया था और केन्द्र पर कई मामलों में पश्चिमी बंगाल के प्रति “असहानुभूति या असम्बद्ध” होने का आरोप लगाता है। इन भूलों के सुधार के लिए आयोजित आंदोलनों में बंगाली मध्यमवर्ग ऐसे जन आंदोलन व हड्डताले करने में नहीं हिचकिचाया जिससे सारी बंगाली जनता सम्बद्ध हो सके। अपनी मामों के पक्ष में उन्होंने राज्य सरकार और राज्य दल पर अत्यधिक दबाव डालने का प्रयास किया और कई अवसरों पर प्रदर्शन भी किए। ^{२३}

इस तरह की भावनाएँ और इस स्तर के विद्यमान राजनीतिक संचालन की सभावनाएँ केन्द्र सरकार की दिल्ली से निरांय लेने की क्षमता में बाधक बनती है, यह बात इस अध्ययन में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए राज्यों के पुतर्गठन के विषय में केन्द्रीय कार्यसमिति ने एक सुभाव स्वीकार करने के लिए मन दिया जिसे इसने पश्चिमी बंगाल व बिहार के मध्य एक समझौते के रूप में देखा लेकिन उसने इन प्रदेशों के राज्य कांग्रेस दलों या राज्य सरकारों की बिना सलाह के ऐसा किया। वैसे यह ऐसा क्षेत्र भी था जिसमें केन्द्र सरकार को स्पष्ट रूप से निरांय लेने का सर्वधानिक अधिकार था। लेकिन केवल इस अकावाह ने कि केन्द्र ने राज्य के नेताओं से बिना सलाह लिये ही सर्वधित निरांय ले लिया है राज्य के अन्दर जन-आंदोलन को उत्तेजित कर दिया। एक रात में ही बड़े पैमाने में विरोधी सगठन तैयार हो गए और पूरे राज्य में उत्प्रतापूर्ण प्रदर्शन तत्काल शुरू हो गए, हिंसा का खतरा हो गया, और कांग्रेस दल ने भी इन विरोध प्रदर्शनों के समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार किया। जब इस तरह का विरोप केन्द्र सरकार के निरांय लेने के विरुद्ध किया गया, तो केन्द्र सरकार और केन्द्र के दलीय नेता तत्काल पीछे हट गए।

लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय परम्पराएँ, जो बंगाल में पनपी, वे अस्पष्ट रूप में एक दूसरे तौर पर केन्द्रीय सरकार की निरांय-प्रक्रिया के विरुद्ध सगठित होने के लिए अवसर प्रदान करने में महायक हैं। जैमाकि काहेन ने इंगित किया है कि विवेचनात्मक हट्टि मे-

^{२२} “क्षेत्रीयता राजनीति और विचारों का एक अद्ययन” बंगला अध्ययन पर दिनीय बायिङ ममीलत के लिए तैयार किया हुआ अप्रकाशित सेवा, भमूरी बौद्धिक्य, भमूरी विश्वविद्यालय भई १३-१५, १९६६ पृ.

^{२३} बलकत्ता में मध्यम वर्ग द्वारा अपनाए गए तरीके को माइर्सन विवर की कलमना में हिंसा और ‘राजनीति’ में देखा जा सकता है। जनरल बॉक एवियन स्टडीज़ न० ३, (१९६१) २७५-८२

राजनीतिक व्यवस्था के करीब चार स्तरों को पृथक् करना संभव है जो भारत के इतिहास के दौरान स्वतंत्र रूप अस्तित्व में रहे, मान्माज्यवादी, अप्रधान (Secondary) धेनीय और स्थानीय । २४ संपूर्ण भारतीय इतिहास में इनमें से प्रत्येक स्तर की स्थिरता के बारे में कुछ कहना संभव है । साम्राज्यवादी और अप्रधान स्तर समय के दौरान तेजी से बदलते रहे हैं, कभी-कभी पूरा उपमहाद्वीप या उसका अधिकांश भाग इसके अन्तर्गत आया और कभी-कभी यह हटिय से ओभल ही हो गया । लेकिन धेनीय और विशेष रूप से स्थानीय व्यवस्थाएँ, कभी कुछ सीमा तक तो बदली लेकिन अन्य स्तरों की तुलना में उनमें निरन्तरता बनी रहीं (कार्य और कर्मचारियों दोनों हटियों से) । काहेन के शब्दों में १८ वीं शताब्दी तक एक परम्परा विकसित हो गई थी जिसमें, "वंश, परिवार या (स्थानीय) नेताओं ने प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय विसानों, व्यापारियों और कारोगरों को नियन्त्रित किया और उनसे पैसा या फसल का भाग एकत्रित किया । इसके बदले में उन्होंने बाहरी हस्तक्षेप से उन्हें सुरक्षा प्रदान की । २५

यहाँ पर हमारा मन्तव्य यह तकं प्रस्तुत करना नहीं है कि बंगाल के गाँव या स्थानीय सरकारे "अपरिवर्तनीय" है, लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में मुहड़ स्थानीय शासनों की परम्पराओं की महत्ता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है । आज की दलीय व्यवस्था की सफलता, और राज्य की दलीय सरकार की केन्द्रीय दबाव वो रोकने की क्षमता (कम से कम बंगाल में) राज्य के वर्तमान दलीय नेताओं द्वारा इस स्तर के स्थानीय शासनों को गतिशील बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है । निकोलस ने यह अनुमत किया कि पश्चिमी बंगाल के कई "जमीदार" और उसके अध्ययन क्षेत्र के प्रायः सभी "मुखियाओं" ने अपने जों को समर्थन दिया और अपनी ग्रामीण निर्भरता को काफी कुछ सफलता तक विशिष्ट समर्थन समूह में व्यवस्थित कर दिया लेकिन जब स्वतन्त्रता मिलना निश्चित हो गया तो इनमें से अनेकों ने अपने समर्थन को काँप्रे स की तरफ मोड़ दिया । २६ इस घटना में पश्चिमी बंगाल के स्थानीय राजनीतिक स्तर के नेताओं का व्यवहार पूरे बगाली इतिहास के स्थानीय नेताओं के व्यवहार से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है । निरन्तर बदलते हुए केन्द्रीय नियन्त्रण का सामना करने में बगाल के स्थानीय नेताओं ने एक विशिष्ट हड़ता का प्रदर्शन किया है । जो कोई भी स्थानीय और अप्रधान स्तरों पर स्थान प्राप्त करने में समझ प्रतीत हुआ है उन्होंने उसी को अपना समर्थन दिया है । २७

इन स्थानीय स्तरों पर अपने निर्वाचिक संगठनों को आधारित करने में राज्य का काँप्रे स दल, कई परम्परागत कार्यों को पूरा करता है । जैसाकि बीनर ने स्पष्ट किया है कि

२४ बनांड हस, कोहेन, "१८ वीं शताब्दी के भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएँ, बनारस धेन

"जनरल ऑफ द अपरिवर्तन ऑरियन्टल सोमायटी न० ३ (जुलाई-गिंवर १९६२) ३१२-२०

२५ पूर्वोंत, पृ० ३१४

२६ रालक, डबल्यू. निकोलस और तारा शेष मुख्याध्याय, पश्चिमी बंगाल के दो गाँवों में राजनीति और कानून दुसेटिन ऑफ एन्ड पोलीटोक्सिकल मवें ऑफ हिटिया, (१९६५) ६३७

२७ यह निर्मलकुमार बोस का भी निष्ठये या आनुनिक बंगाल (कलकत्ता विद्योदय पुस्तकालय, १९५६, पृ० २०)

कांग्रेस सामान्य रूप से कार्यों के शीघ्र सम्पादन द्वारा प्रशासन को जनता से जोड़ती है, मध्यस्थ के रूप में विभिन्न स्थानीय जनसमूहों के भगड़ों का निपटारा करती है और संचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक सेवाओं व अनुदान प्रदान करने की दिशा में काम करती है।^{२५} इन गतिविधियों से राज्य कांग्रेस दल ने उन कार्यों को अपनाया है जो शताब्दियों से क्षेत्रीय व स्थानीय सेवाओं द्वारा पूरे किए जाते रहे हैं।

स्थानीय परम्पराओं की उपस्थिति, और राज्य स्तर पर कांग्रेस दल वी इस परम्परा के अन्तर्गत समर्थकों को समर्थित करने की योग्यता के परिणामस्वरूप ही विकेन्द्रित दल व्यवस्था कार्य करने में सफल रही और (उपरोक्त वर्णित मामलों में) वह केन्द्रीय निर्णयों का भ्रतीरोध कर सकी। यद्यपि राज्य दल और स्थानीय राजनीतिक स्तर के गठनवन्धन की व्यवस्था ने राज्य में व्यवहार्य (viable) दलीय सरकार को बनाया है लेकिन इसने केन्द्र सरकार या प्रशासनिक सुधार के किसी भी प्रयास के प्रभाव को रोका भी है। इस व्यवस्था में दलीय प्रतिनिधियों ने जिन्हे उन लोगों को सतुष्ट करना था जो विद्यमान राज्य कार्य को सुरक्षित रखना चाहते थे, नीतियों के कार्यान्वयन को उतना ही प्रभावित किया जितना कि उन केन्द्रीय प्रशासनों ने जिन पर वर्तमान राज्य व्यवस्था के सुधार के उत्तरदायित्व को ढाला गया था। इस प्रकार केन्द्र और यहाँ तक कि राज्य सरकार उन नीतियों व विधानों को लागू कर सकी जिसमें इच्छित परिवर्तनों वी आकाशा निहित थी। लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया ने सरकार विरोधी उन नीतियों को भी प्रोत्साहित किया जिनके माध्यम से नीति के उस पक्ष को रद किया जा सके जो सामाजिक व राजनीतिक संरचना में स्थापित लोगों के लिए अवाञ्छनीय था।^{२६} दामोदर घाटी निगम व भूमि सुधार दोनों मामलों के अध्ययन में परम्परागत स्थानीय राजनीतिक स्तर के नियन्त्रण में प्रमुख व्यक्ति

^{२५} विनर, जनरल ऑफ पालिटिक्स, द३२

^{२६} जिस तरीके से परिचयी बगाल में यह व्यवस्था चलती है उसके कई उदाहरण उचित हैं। अनान्त का लदान वितरण व प्रक्रिया सभी सरकारी कानून के अधीन हैं। लेकिन जो वयस्क गैरकानूनी रूप से सचित करते हैं उनको सजा देने में कानून लागू करने वाली और प्रशासनीय समस्याएँ असर अनिच्छुक रहती हैं। ऐसा उनके प्रति भी होता है जो मूल्य नियन्त्रित खाद्य दुकानों को बनाने वी सरकारी आज्ञा का दुरुपयोग करते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने विस्तृत साइरेंस प्रतियोगी वी स्थापना की लेकिन याद ही इनको प्रभावशाली ढंग से लागू न करने की असफलता से कई प्रतियाओं का प्रभाव समाप्त हो गया।

शहरी अध्यादेश यह आवश्यकता स्थीकार करता है कि कलकत्ता की सारी गांवें सरकारी साइरेंस प्राप्त छप्परों में रहनी चाहिए, राज्य का कानून बिना साइरेंस के पुस्तक विक्रेताओं द्वारा भरकारी पाठ्य पुस्तकों के विक्रय को अवैध घोषित करता है और राज्य भवन कानून यह मार्ग करता है कि मवान की कुछ जरूरत मवान भालिकों द्वारा पूरी की जानी चाहिए लेकिन इसी के साथ वह निष्ठ दलीय प्रशासनीय संविधानिक गठबंधन की व्यवस्था भी कुछ व्यविधियों में लिए समझौते करता है जिससे सभी नियमों को इच्छा से भग किया जा सके। फाक ए. टेमिन की “डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मेट्रोपोलिटन कलकत्ता” इस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन १९६४) व प्राण्डा के न्यूर प्रालिक्षण इन हिन्दूना” भी देखिए।

उन नीतियों को स्वरूप देने में सक्षम थे जिनका प्रभाव उनके क्षेत्रों पर पड़ता था। केन्द्रीय सरकार और दल की केन्द्रीय शाखा राज्य काँप्रे स या स्थानीय सत्ताधारियों पर नियन्त्रण रखने में अद्योग्य रही और परिणामस्वरूप काफी सीमा तक प्रभावहीन भी।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन यह संकेत देता है कि कई तत्त्व-राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों के हाँचे राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था के स्वरूप, सामाजिक वर्ग संगठन, आधिक वितरण, और राजनीतिक संस्कृति पश्चिमी बंगाल में भारत के संघात्मक संविधान की क्रियाशीलता के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ ये तत्त्व एक राज्य से दूसरे में अत्यधिक भिन्न हैं अतः यह अध्ययन कई प्रश्न उठाता है और इन प्रश्नों के समाधान के लिए अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक विवेचनात्मक अध्ययन कों मुखरित करता है। ये प्रश्न हैं, भारत के एकदलीयप्रभुत्व की व्यवस्था का सहकारी संघीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है? तीव्र राजनीतिक गतिशीलता की प्रक्रिया संघीय सन्तुलन को बनाए रखने के साथ कैसे जुड़ी हुई है? संघवाद व अभाव की राजनीति में नए समूहों के उद्भव या माँगों की बढ़ती हुई तीव्रता के मध्य यदि कोई सम्बन्ध है तो उसका क्या स्वरूप है? सहकारी संघीय संविधान के ऐसे अतिव्युलवादी समाज में क्या परिणाम हो सकते हैं जहाँ जनता का आधारभूत लगाव प्राचीन गठबन्धनों से है।

ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर तभी दिया जा सकता जब विभिन्न राज्यों में केन्द्र व राज्य के सम्बन्धों के पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हों। यह अध्ययन इस बात की ओर, भी संकेत करता है—राज्य दलीय इकाइयों की शक्ति व संयोग (कम से कम वहाँ जहाँ राज्य में प्रभुत्व वाला दल सत्ता में हो) और राजनीतिक कार्यों के लिए जनता को गतिशील किए जा सकने की मात्रा—ये दो तत्त्व मारत मै केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के स्वरूप को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक “ऐसी” सौदे की स्थिति” की कल्पना को जा सकती है जिसमें राज्य स्तर पर दल की शक्ति संयोग की मात्रा के साथ राजनीतिक कार्यों के लिए राज्य की जनता की इच्छा और सामर्थ्य केन्द्र की अनुदान देने वाली संस्थाओं के सदर्भ में राज्य की स्वतन्त्रता की उद्दगम बनेगी। इन अर्थों में दलीय संयोग, राजनीतिक चेतना भी सम्पन्न जनता की उपस्थिति और राज्य के राजनीतिक दलों की राज्य के उद्देश्यों के लिए जनता को गतिशील करने की योग्यता, हैं इनमें से प्रत्येक एक उपलब्धि का परिचायक होगा और इनका प्रयोग राज्य के राजनीतिज्ञों की केन्द्र सरकार व दलीय नेताओं से स्वतन्त्र हूप से कार्य करने की योग्यता को बनाने में किया जा सकेगा। दलीय सम्बन्धता और शक्ति के अभाव, राज्य स्तर पर राज्य क्रियाशील दलों अनुपस्थिति या राज्य की जनता में उस चेतना का अभाव जिसे राजनीतिक कार्यों के लिए गतिशील बनाया जा सके, इन सभी घटकों को ऐसी “वमजोरियो” के रूप में देखा जाना चाहिए जो केन्द्र राज्य कार्यों में राज्य के नेताओं की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्रभावशीलता को कमज़ोर करते हैं।

इस अध्ययन ने उत्तम गामान्वाहरणों के परीक्षण के लिए ५० बगाल की

उपलब्धियों की भारत के मध्य क्षेत्रों के आँकड़ों से तुलना की जानी चाहिए। पश्चिमी बंगाल की आनंद्रा से तुलना करना विशेष रूप से मूल्यवान होगा जहाँ निर्णय क्षेत्रीय (खास तौर से जाति) तत्त्वों से प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। केरल या १९६७ के बाद पश्चिमी बंगाल के उन क्षेत्रों से भी समान मूल्यवान तुलना की जा सकती है जहाँ कांग्रेस विरोधी शक्तियाँ सत्ता प्राप्ति में सफल रही हैं। मध्य प्रदेश से जहाँ राज्य स्तर पर राजनीतिक कार्यों के लिए जनता तीव्र रूप से गतिशील नहीं है या महाराष्ट्र के साथ जहाँ जनता उच्च रूप से गतिशील है लेकिन कोई भजवूत वामपक्ष नहीं है। ये सब तुलनात्मक अध्ययन लाभदायक होंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के तुलनात्मक अध्ययन न केवल केन्द्र राज्य निर्णयों को प्रभावित करने वाले कई तत्त्वों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे वल्कि हमें वह अवसर भी मिलेगा जिससे हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विभिन्न प्रतिमानों के मध्य सम्बन्धों का अनुमान लगा सकेंगे और राजनीतिक एकीकरण की वृहत्तर समस्या पर गम्भीरता से विचार भी कर सकेंगे।

Further Readings

1. *Morris-Jones, W.H.* The Government and Politics of India
London, Hutchinson univ. library 1971
pp. 19-27, pp. 80-82, pp. 150-156 and
pp. 161-164,
2. *Narain, I. and Mathur, P.C.* : Union State Relations-in India: A Case-Study in Rajasthan, Journal, of Commonwealth Political Studies Vol. 2 No. 2 May, 1964 Pages 120-140.

योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य

भारत की संघीय राज व्यवस्था से मम्बनिधि अनेक विचारों में से दो भूत्यन्त महत्वपूर्ण विचार हैं। प्रथम के अनुसार भारत की संघीय राजव्यवस्था का केन्द्रवाद की ओर रहना स्पष्ट है। इस विचार की सर्वथे छठ अभिव्यक्ति १८० सी० व्हेयर के कृतित्व में हुई है। व्हेयर के अनुसार भारत एक एकात्मक राज्य है जिसके सहायक संघीय लक्षण हैं। दूसरे विचार का प्रतिनिधित्व पाँच एच० एप्सवी द्वारा किया गया है जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार अपनी नीतियों के प्रियान्वयन के लिए दर्यानीय रूप से राज्य सरकारों पर आधित है। वे लोग, जो प्रथम विचार को मानते हैं मात्र व्यवस्थापन, प्रशासन एवं वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र की प्रभुत्वशाली जक्ति की ओर ही इंगित नहीं करते वल्कि सामान्य रूप से योजना कीशन व विशेष-रूप से योजना आयोग की ओर भी इशारा करते हैं। इस योजना आयोग को वे संविधानेतर संस्था मानते हैं। अशोक चंदा इस हॉटिकोण के सर्वाधिक प्रभुत्व समर्थक है। उनका यह विचार है कि योजना ने भारत में लोकतंत्र व सधाराद दोनों को मात दे दी है। उनका अनुसंधान, जिसे यद्यपि सर्वमान्यता प्राप्त नहीं है, विचार के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। यह उनकी पुस्तक केडरेलिज्म इन इंडिया (लंदन, ऐलन एण्ड अनविन १९५५, पृ० २८०-२६०) के प्रस्तुत अश से स्पष्ट हो जाएगा।

—सम्पादक

आयोग तथा केन्द्र :

राज्यों की अपेक्षा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ योजना आयोग के सम्बन्धों की चर्चा करने अधिक आसान है क्योंकि राज्य स्पष्टतः एक जटिल विषय हैं। उनका सम्बन्ध एक ऐसे संवेधानिक या अन्य किसी औचित्य के ताने-बाने से है जिसका विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है।

सरकारी निश्चय द्वारा आयोग के गठन ने यह आमाम दिया था कि वह अनुसंधान तथा अध्ययन के एक निर्धारित क्षेत्र में कार्यकारिणी की ऐजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसे एक विस्तृत निर्देशनन्व (Terms of reference) प्रदान किया गया था। जिसके

अन्तर्गत आयोग को विभागीय कार्यक्रमों में समन्वय व पुनर्स्थुतीकरण का कार्य सौंपा गया था। यह कार्य पहले वित्त-मंत्रालय के पास था और मुख्यतः इसी के माध्यम से प्रशासन में मंत्रालय की सत्ता आधारित थी। जो कुछ भी सशय थे वे आयोग की घोषणा द्वारा दूर हो गए। आयोग के गठित स्वरूप में प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों व राजनीतिज्ञों का स्थान होने के कारण उससे यह अपेक्षा करना कठिन था कि वह मात्र एक निष्पक्ष सलाहकारी भूमिका से ही सतुष्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के इस निरन्तर आग्रह द्वारा तो यह और भी कठिन हो गया था कि योजना को गतिशील होना चाहिए।

एक सदस्यीय लोकतंत्र में नीतियों और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किसी भी ऐसे मंत्रिमंडल का एक प्राथमिक कार्य है जो अपने कार्यों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायों होता है। इसी प्रकार, स्वीकृत योजनाओं व कार्यक्रमों का अवाधित निष्पादन मंत्रालयों का उत्तरदायित्व है। ये कार्य बड़ी मुश्किल से ही किसी अन्य सत्ता के सहयोग द्वारा किए जा सकते हैं। मंत्रालय के साथ आयोग के आंशिक तादात्म्य ने इस संबंधानिक स्थिति को क्षीण बना दिया है और आयोग के लिए यह सम्भव हो सका है कि वह नीति-सम्बन्धी विषयों, यहाँ तक कि दैनिक प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सके।

प्रारम्भ में मंत्रालयों ने नीति-निर्माण व नीति-क्रियान्वयन की अपनी दोहरी भूमिका में आयोग के हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया। पहले आयोग स्वयं मंत्रालयों द्वारा किये गए कार्यों को समाहित कर संतुष्ट हो जाता था। लेकिन यह मात्र एक अस्याई उपाय था। युद्धोत्तर (द्वितीय विश्व युद्ध) विकास-योजनाएँ, जो कि अंशतः निष्पादित और आस्थगित (abeyance) थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में एकीकृत की गईं। काफी अंशों में यह एक 'जिग-सौ समस्या' - बिगड़ने-बनाने के क्रम (जिग-सौ अस्यास के अन्तर्गत किसी खाठ या काढ़-बोड़ पर तांगी तस्वीर को अनियमित और परस्पर गुंथे हुए टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर इसे पुराना आकार देने का प्रयास किया जाता है) का अस्यास था। वित्तमंत्री डॉ. जॉन मेथाई का यह विचार था कि आयोग द्वारा वित्तीय साधनों में वृद्धि के लिए उपाय मुझाना, प्राथमिकताएँ निर्धारित करना तथा आर्थिक विकास में बाधक घटकों का भूल्याकान करना उनके (डॉ. मेथाई के) उत्तरदायित्वों की मात्रा में एक गम्भीर कटौती है। इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार करने के स्थान पर उन्होंने अपने पद से त्याग-पद दे दिया। संभवतः उन्होंने हल्देन समिति की ही भाँति यह अनुभव किया कि 'यदि किसी हौज को भरना_ और_ उसमें पानी के एक_ निश्चित स्तर_ को रखना उसका (चांसलर का) उत्तरदायित्व है तो उसे अनिवार्यतः पानी के वहींगम का नियमन कर_ मकाने की स्थिति में भी होना_ चाहिए।'

इसने उद्देश्यों व व्यक्तियों के संघर्ष में वृद्धि की, लेकिन फिर भी विभिन्न मंत्रालयों के साथ आयोग के सम्बन्धों के स्वरूप की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। स्थितियों को अनिर्णीत घोड़ना ही श्रेष्ठतम समझा गया। यह अनुमान लगाया गया कि वे स्वयं अपने लिए अनुकूल स्थान खोज लेंगी।

क्रमशः प्रधानमंत्री के प्रोत्तमाहन व समर्थन द्वारा, आयोग एक उच्च-आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में उभरा, यहाँ तक कि उसने संवैधानिक वित्त-आयोग की सत्ता को भी अस्वीकार कर दिया। आयोग द्वारा वित्त-मंत्रालय की शक्तियों को किस सीमा तक प्रहरण किया गया है, इसका प्रमाण तो इस तथ्य से मिलता है कि न केवल सरकारी विदेशी मुद्रानीति के सम्बन्ध में बल्कि निम्न प्रशासकीय व वित्त मंत्रालयों के विस्तृत परीक्षण के बाद पारित की गई पृथक् योजनाओं के सम्बन्ध में भी आयोग की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे विषयों में आयोग का हस्तक्षेप उस अभिधारणा के विपरीत है जिसके अन्तर्गत उसका गठन किया गया था। मतव्य यह था कि 'इसे दैनिक प्रशासन के भार से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन' सर्वोच्च नीतिस्तर पर इसे सरकार के निरन्तर सम्पर्क में रहना चाहिए।'

यहाँ तक कि वे मंत्री भी, जो योजना-आयोग के सदस्य हैं, यह सोचते हैं कि उनकी मंत्री की भूमिका आयोग की सदस्यता से पृथक् व भिन्न है और कभी-कभी वे आयोग की बैठकों द्वारा उपलब्ध निष्कर्षों को चुनौती देते हैं। अभी हाल ही में खाद्य नीति के सम्बन्ध में आयोग व खाद्य मंत्री श्री एस० के० पाटिल के मतभेद सावर्जनिक रूप से प्रकट हुए और उन्होंने एक अशोभनीय विवाद का रूप ले लिया। कामराज योजना के अन्तर्गत श्री पाटिल की मंत्रिमंडल से निकासी के लिए अन्य घटकों में इस घटक का बया स्थान रहा, यह एक अनुभान का विपर्य है लेकिन यह स्पष्ट है कि सामंजस्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्रियों को योजना आयोग का सदस्य बनाने का प्रयोग प्रधानतः विफल रहा है।

आयोग तथा राज्य :

एक योजना की विषय-वस्तु को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औद्योगिक विकास तथा आर्थिक व सामाजिक सेवाएँ। पहले औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः मात्र केन्द्र के लिए ही सुरक्षित था क्योंकि यह सोचा गया था कि औद्योगिक विकास एक एकीकृत आधार पर सम्पूर्ण देश के संदर्भ में होना चाहिए। बाद में इस नीति में कुछ ढील दी गई और राज्यों को पूरक विकास (Complementary development) से सम्बन्धित कार्यों को करने की अनुमति दे दी गई। कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल, यहाँ दुर्गापुर में एक औद्योगिक-समूह का निर्माण किया गया है, वहाँ नियंत्रण के अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात पर सामान्य सहमति है कि इससे शक्ति के अवधारणा की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। साथ ही यह भी कि औद्योगिक विकास के साधन केन्द्र द्वारा निर्देशित व समन्वित नहीं किए जाते थे और उन्हे प्रान्तीय भावनाओं के आधार पर विकसित होने दिया गया।

'सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के विषय में योजना आयोग व राज्यों में संघर्ष उत्पन्न हुआ है। इसके अन्तर्गत अनेक विषय आते हैं जिनमें शिक्षा, दिवाइयाँ, जन-स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, समाज कल्याण व औद्योगिक आवास-व्यवस्था प्रमुख हैं। ये सभी विषय राज्य मूली से सम्बन्धित हैं और व्यवहार में परस्पर मिल कर राज्यों की अस्तित्व की सार्थकता (raison d'être) सिद्ध करते हैं। अतः राज्यों का यह अनुभव करना अस्वाभाविक नहीं है कि इन राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा उनकी (राज्यों की) स्वायत्तता पर कुठाराधार पहुँचाया जा रहा है जिनको स्वरूप देने में उनका योगदान नगण्य अथवा विलुप्त नहीं है। शिकायत

का एक अन्य कारण यह है कि योजना आयोग प्रमुखतः क्षेत्रीय असमानताओं व आवश्यकताओं की अवहेलना करता है और ऐसे एकरूप कार्यक्रम आरोपित करता है जिनकी कुछ राज्यों के सुदूरमें बहुत कम उपयोगिता होती है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीसरे वित्त आयोग को भेजे गए एक शापन में राज्यों की इन भावनाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ है। केन्द्रीय बजट की विषय-वस्तु का विश्लेषण करते हुए पश्चिम बंगाल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि केन्द्रीय व्यय के अन्तर्गत केन्द्रीय सूची की तुलना में राज्य-सूची पर अधिक व्यय किया गया है। इस भावणा की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की गई थी :

विषय	व्यय (कई दस लाख रुपयों में)	बृद्धि की प्रतिशत
राज्य	१६५७-५८	१६६०-६१
शिक्षा	२१०	४५४
मेडिकल	४५	८८
जन-स्वास्थ्य	८७	१२०
कृषि	११३	१५५
पशु-पालन	६५	—
सहकारिता	१०	३५
केन्द्र :		२५६
विदेशी मामले	७०	१०४
रक्त सेवाएँ	२७४०	२६३०
		७

शापन में उल्लिखित राज्य विषयों पर औसत बृद्धि ८५% थी जबकि केन्द्रीय सूची से उदाहरणार्थ लिये गए दोनों विषयों पर औसत बृद्धि की प्रतिशतता केवल ८ थी।

इसके अतिरिक्त इसमें एक अन्य तालिका भी दी गई थी जिसमें तीसरी योजना के अन्तर्गत उन विषयों पर केन्द्रीय व्यय के प्रावधानों का संकेत था जो राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते थे। यह तालिका इस प्रकार थी :

कृषि व सामुदायिक विकास	१२५०
विद्युत	१२५०
ग्रामीण व लघु उद्योग	१२००
सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि)	३०००

६७००

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह व्यक्त किया कि इस स्थिति ने एक अनावश्यक द्विरावृत्ति (duplication) व परस्पर-व्यापन को जन्म दिया है और यह इस कारण हृषा है कि केन्द्र जन-कल्याण के नाम पर उन सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय करना चाहता है जो सविधान द्वारा राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व की परिधि में आती है। राज्य केन्द्र की तुलना में अपने पृथक् अधिकार-क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की निश्चित आवश्यकताओं से कहीं

भ्रष्टिक परिचित हैं। यदि केन्द्र और राज्य दोनों एक ही सामाजिक सेवाओं के लिए समानांतर, समान अथवा पद सोपानिक संगठन बनाते हैं तो यह केवल अपव्यय ही होगा। संघीय सिद्धान्त यह भ्रातुरशक मानता है कि केन्द्र व राज्य सरकारें प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में सीमित ही और इस सीमित क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतन्त्र हों।

पश्चिम बंगाल सरकार का यह भी मत था कि केन्द्रीय सरकार व योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता का राज्य-क्षेत्र में प्राथमिकताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग अनुचित है। साथ ही प्राथमिकताओं की ऐसी व्यवस्था का अध्यारोपण (Super imposition) भी अनुचित है जिसकी राज्य की तत्कालीन स्थितियों के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं है। राज्य सरकारें अपने-अपने विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं और यह स्थिति उत्तरदायित्व से प्रलायन की गुच्छक होगी यदि योजना आयोग व केन्द्रीय मंत्रीलय प्रत्येक राज्य में लागू की जाने वाली निश्चित योजनाओं को अपने निरंय से वित्तीय प्रोत्साहन तथा तुल्य-अनुदान (Matching Grants) दें। एक निश्चित उदाहरण यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया गया कि वह पश्चिम बंगाल में फिलिपिया के नियंत्रण के लिए कार्य करे। पश्चिम बंगाल में इस रोग का कोई महत्व नहीं था। लेकिन केन्द्र की दृष्टि से राज्य सरकार मात्र कुप्त रोग से सबंधित योजना को क्रियान्वित करके केन्द्रीय सहायता पाने की अधिकारी नहीं मानी जा सकती थी जबकि (राज्य सरकार ने) इसे ही अधिक महत्व प्रदान किया था।^१ पश्चिम बंगाल सरकार का यह विचार था कि केन्द्रीय सहायता का कोई ऐसा प्रतिमान निर्धारित करना अनावश्यक व अवाक्षीय है जो किसी राज्य भे वहाँ की सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता-क्रम स्थान न पाने वाली योजनाओं में रुचि रखता हो और उसे वहाँ स्थान दिलाने के लिए इस सहायता को एक माध्यम बनाता हो।

तीसरे वित्त आयोग (१९६१) ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि 'उनके (केन्द्र) द्वारा प्रदान किए गए प्रतिवंधी-अनुदानों (Conditional grants) व वित्तीय सहायता द्वारा राज्यों को उन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए न बाध्य किया जाए जिन्हें वे अपनी अर्थ व्यवस्थाओं के संदर्भ में महत्वहीन व अपने वातावरण के प्रतिकूल समझते हैं'।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह मत भी प्रस्तुत किया कि राज्य-योजनाओं पर जो नियंत्रण या देख-भाल की जाए वह उसके प्रवेश काल के दौरान ही की जाए। तदुपरांत राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और केन्द्रीय सहायता वजट संबंधी अनुमानों के आधार पर माहवार किस्तों के रूप में नियमिततः मिलनी चाहिए।

आर्थिक व सामाजिक विकास की एक राष्ट्रीय योजना में राज्य-विधयों का अतिक्रमण अन्तर्निहित है, लेकिन किर भी इस संदर्भ में तो विचार किया ही जा सकता है कि क्या ऐसी योजना नहीं स्थिर की जा सकती जिसमें राज्य अधिक निकट से योजना-निर्माण में

^१ तीसरे वित्त आयोग को जापन।

योगदान दे सकें। इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिपद् अनुपयुक्त है। तीसरे बेतन आयोग ने यह सुझाव रखा कि राज्यों का भरपता एक अलग योजनासंगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से वे अपनी विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार कर सकें। इसी की सहायता द्वारा उपयुक्त कालांतर से इन योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए, उनके क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन होना चाहिए और गैर-योजना (Non-plan) कार्यक्रमों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

तीसरे वित्त आयोग का एक ग्रन्थ सुझाव भी उल्लेखनीय है। उसकी एक यह भी सिफारिश थी कि योजना व्यय हेतु राज्यों को दी गई सहायता में राष्ट्रीय व स्थानीय उद्देश्यों के वीच अंतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय उद्देश्यों, जैसे विद्युत, कृषि, विशाल सिचाई कार्यक्रमों, बाढ़-नियन्त्रण, परिवार नियोजन आदि की पूर्ति के लिए दी जाने वाली सहायता उसके उपयोग संबंधी कठोर निर्देशों पर आधारित होनी चाहिए। वे अनुदान जो राज्य-क्षेत्र को सुगठित करने के उद्देश्य से उन विषयों के लिए दिये जाते हैं जिनके संबंध में निर्णय घनिवार्यतः स्थानीय आवश्यकताओं की इष्टि से ही किया जाना चाहिए (जैसे गिरजा, स्थास्थ्य, घोटी-सिचाई योजनाओं) उनके संबंध में राज्यों को इस अनुदान में से पुनर्विनियोग (Reappropriation) की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस संदर्भ में योजना के व्यापक उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है।

इससे पूर्व १९५५ में, लेखक ने, जब वह भारत का कॉम्पट्रालर तथा ऑफिटर जनरल था, 'अनुमान व वित्तीय नियंत्रण' विषय पर जन लेखा समिति (Public Accounts Committee) को एक शापन में राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। इस प्रश्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि राज्य द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रशासकीय जाँच होनी चाहिए और संबंधित मंत्रालय को इस बात वे: प्रति निश्चित हो जाना चाहिए कि ये कार्यक्रम योजना के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों को आयोग को समीक्षार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के वित्त-मंत्रालय को इनकी विस्तृत वित्तीय जाँच का अधिकार होना चाहिए।

कॉम्पट्रोलर तथा ऑफिटर जनरल के इन सुझावों को जन लेखा समिति ने स्वीकार किया और अंततः इसे स्वीकृति देते हुए योजना आयोग ने यह घोषणा की: "यह इरादा किया जा रहा है कि विस्तृत वित्तीय एवं प्रशासकीय जाँच तथा अनुमोदन को समाप्त किया जाए और उसे प्रशासकीय-विभागों व वित्त-विभाग के लिए छोड़ दिया जाए।" इससे राज्य सरकारों के क्षोभ का एक स्रोत समाप्त हुआ, लेकिन कई अन्य भी विद्यमान थे।

राज्यों तथा आयोग के पारस्परिक संबंधों की सही जानकारी के लिए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 'सामाजिक व आर्थिक सेवाओं' के संदर्भ में योजना के दो भाग हैं। पहला भाग स्वयं राज्यों द्वारा तैयार किये गए कार्यक्रमों से सम्बन्धित है और दूसरे का सम्बन्ध इन सेवाओं के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों से है। पहले भाग के

सम्बन्ध में दो जाने वाली केन्द्रीय सहायता गुल्म-प्रनुदान के चिन्हांत पर प्राप्तिरित होनी है। केन्द्र इन्हें वित्तीय सहायता देता है लेकिन इनके प्रियान्वयन के लिए राज्य-ऐजेंसी का ही उपयोग करता है। १९५५ के बाद से राज्य कार्यक्रमों की विस्तृत जीव धोड़ दी गई है लेकिन पृथक् कार्यक्रमों पर एक सामान्य परीक्षण फिर भी किया जाता रहा। राज्यों को पह स्वतन्त्रता दी गई कि वे सहायक-कार्यक्रमों के संदर्भ में विना आयोग द्वारा दुवारा बताए, अपने हिसाय से व्यय बार सजाते हैं।

१९५५ में एक और ढील दी गई जब राज्य-कार्यक्रमों को उपयुक्त शीर्षकों के प्रन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और केन्द्रीय सहायता इन वर्गों के आपार पर दी जाने लगी। राज्यों को यह प्रधिकार मिला कि वे उसी वर्ग के प्रन्तर्गत धार्ने वाले स्वीकृत कार्यक्रमों में घनराशि का पुनर्विनियोग कर सकते हैं। यह उत्सुप्तनीय है कि मह वर्गीकरण पूर्णतः विवेसम्बत नहीं था, उदाहरण के लिए 'स्वास्थ्य' शीर्षक के प्रन्तर्गत एक से अधिक वर्ग थे। इस प्रकार पुनर्विनियोग की शक्ति को संकीर्ण सीमाओं में रखा गया। सहायता का विषय के अनुसार वर्गीकरण करना अधिक लाभिक होता, इसने राज्यों को संतुष्ट किया होता और परिवर्तनशील स्थितियों से नियटने के लिए परनराशि के दिक्षरित्यतं (Diversion) हेतु एक सुनमनीयता प्राप्त हो जाती।

वर्तमान वितरण के प्रन्तर्गत किसी एक वर्ग के प्रावधान में विना केन्द्रीय मंत्रालय की कार्यवाही के बुद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए योजना आयोग को भी सूचित करना आवश्यक है। यह स्थिति यथावत् ही रहती है चाहे उसी सेवा शीर्ष के घन्य वर्ग की बदल इस बृद्धि को रखाने के लिए भले ही उपलब्ध क्षेत्रों न हो। जब पुनर्रूपेन्टन (reallocation) के लिए एक से अधिक मंत्रालयों की आवश्यकता होती है अर्थात् जब एक से अधिक सेवा शीर्ष उससे प्रभावित होते हैं तो उस स्थिति में अनुदान प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाता है। मंत्रालय स्वयं अपने आप अनुदान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते और उन्हें आयोग की स्वीकृति लेनी ही पड़ती है।

इस समस्या के समाप्तान स्वरूप तीसरे वित आयोग ने यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय महत्व के विषयों के सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यक्रमों के सम्पूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए संचित अनुदान दिया जाना चाहिए और राज्यों को प्रायोगिकता देने तथा सावनों को तब तक नियोजित करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए जब तक कि देश अनुदान का अतिक्रमण न हो और उनको स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दिशा में लगाया जा रहा हो। यह कथन सहज रूप से स्पष्ट है कि स्थितिर्पां जड़ नहीं होतीं श्रीराजसिंह किसी एक कार्यक्रम पर अधिक बल देना और दूसरे के प्रति अपेक्षाकृत काम ध्यान देना स्वाभाविक है और इसका निर्धारण अनिवार्यतः संबंधित राज्यों द्वारा ही हो सकता है।

केन्द्रीय स्तर पर वित मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय मंत्रालयों की सत्ता का प्रतिशील हस्तांतरण हुआ है और भीटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय संसद् द्वारा स्वीकृत अनुदानों में सामंजस्य की शक्ति रखते हैं। यह समझना कठिन है कि राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार के हस्तांतरण के प्रति संकोच क्यों हो?

मुख्य सोगों का यह मत है कि इस प्रकार का हस्तांतरण केन्द्रीय समव्यव से कमज़ोर बनाएगा और राज्यों को अतिरिक्त सापन जुटाने के उनमें प्रयासों में ढील को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार के विचार में कोई सारांगभित तथ्य प्रकट नहीं होता क्योंकि समस्त प्राचरण को विवेकारम्मत बनाने में सबसे बड़ी वाधा राज्यों के प्रति व्याप्त अविश्वास है। निर्धारित दोनों में राज्यों को संविधान के अन्तर्गत स्थायतात्मक भा गई है और राज्य गतरकारे अनेक विधान भंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केन्द्र के पार नियमन य नियन्त्रण की शुद्ध निश्चित प्रभावशाली शक्तियाँ हैं। राज्यों द्वारा किसी प्रकार जे दुराधरण की स्थिति में केन्द्र अपनी हस्तातरित शक्तियाँ वापिस लेकर गुप्तार गम्भ्यों कार्यवाही कर सकता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य इस प्रकार की स्थिति नहीं चाहेगा। इस तथ्य को मान्यता देनी ही होगी कि केवल केन्द्र व राज्यों के पारस्परिक विश्वास के भाषार से ही लोक बल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य के सहायक कार्यक्रमों वो व्यवस्था केन्द्र-प्रबलित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होती। इन प्रबलित कार्यक्रमों पर केन्द्रीय मन्त्रालयों व योजना आयोग का सम्पूर्ण नियन्त्रण होता है। या तो कोई राज्य किसी योजना और इसके साथ की वित्तीय सहायता स्वीकृति करता है या दोनों से ही वंचित रह जाता है। यह स्थिति राज्यों को उत्तमता में डालती है। यदि वह सहायता सेने से इन्कार करता है तो उसे जनता से निदा मिलती है यदि वह सहायता स्वीकार कर लेता है तो उसे एक ऐसे कार्यक्रम के प्रति निष्ठा दिखानी पड़ती है जो उसकी सामाजिक आवश्यकताओं तथा अधं व्यवस्था की हप्टि से भ्रेक्षाकृत कम महत्व का होता है। उदाहरण के निए कई राज्यों ने बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया थायि इसके प्रति उनका विश्वास बिल्कुल नहीं था। यह कार्यक्रम दो कारणों से विफल रहा। प्रथम तो इसलिए क्योंकि यह वैचारिक हप्टि से पूर्णतः सबल नहीं था और दूसरे इसलिए भी कि उसके नियन्त्रण के प्रति उचित उत्साह का अभाव था। बुल मिलाकर साधनों का अपव्यय हुआ, इन्हीं को स्वयं राज्य अपने प्रयासों से अधिक लाभप्रद तरीके से उपयोग में ला सकते थे जैसे, उनके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार व उसके स्तर में उन्नति की जा सकती थी। इससे पूर्वपश्चिम बंगाल द्वारा दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित उदाहरण भी इस संदर्भ में प्रासंगिक है।

स्वीकृत योजनाओं को वार्षिक कार्यक्रमों में बौद्ध जाता है और आयोग व राज्य-प्रतिनिधियों के बीच अनेक विचार-विमर्श के बाद उन्हें निर्धारित किया जाता है। मंत्री को यह विशेष रुचिकर नहीं प्रतीत होता है कि उनके मंत्री व सरकारी अधिकारी समर्थ-समय पर दिल्ली की तीर्थयात्रा करें। उनका यह विचार है कि एक बार किसी कार्यक्रम को स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छा से उसे जला सकें और अपने निर्णय से निर्धारित स्वरूप के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर सकें।

इसके बाबूद वार्षिक विचार-विमर्श उपयोगी होता है। इसके द्वारा राज्य की गत-वर्ष के अनुपालन अथवा कार्यों की समीक्षा होती है, उनके द्वारा अतिरिक्त कर लगाने का वायदा

करने से उत्पन्न जटिलताओं के प्रकाश में उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन होता है और आवश्यक सामग्र्य भी किया जाता है। यह तो स्वीकार करना ही होगा कि योजनाओं के लिए अधिकाधिक धन जुटाने की स्वाभाविकता की चिता में राज्य अक्सर अपने राजस्व को अधिक बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं, व्यय कम दिखाते हैं और पुराने करों में समन्वय व नए करों को प्रारम्भ कर वे अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने का एक धूबसूरत चित्र प्रस्तुत करते हैं। आयोग द्वारा विचार-विमर्श के दौरान होने वाली सौदेबाजी ने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है।

योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य मंत्रालयों के बीच वार्षिक कार्यक्रमों में सामग्र्य संबंधी जो लम्बा विचार-विमर्श होता है उससे बचाव का एक सुझाव यह दिया गया है कि वार्षिक योजना को पूरणतः वित्तीय नियोजन के अनुकूल निर्मित किया जाना चाहिए। जब तक कोई राज्य उसके लिए निर्धारित धनराशि से अधिक न खर्च करे तब तक उससे इस संबंध में कोई विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्धारित स्तर तक योजनाओं के सञ्चालन के लिए सहायता देना केन्द्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए, इसके बाद राज्यों को युश्य कार्य-सम्पादन के आधार पर सहायता दी जानी चाहिए। इस सुझाव में अनेक गुण हैं। इसका सर्वाधिक थे एष पक्ष तो यह है कि वह उस विचार-विमर्शों को दूर करेगा जिसे राज्य अनावश्यक व अरुचिर मानते हैं। इसके साथ ही यह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिससे राज्य अपने कार्यक्रमों पर अमल कर सकेंगे और उनकी वित्तीय गमस्थाएँ इस दिशा में बाधक नहीं होंगी।

राज्यों के लिए एक भव्य महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उनके लिए निर्धारित सहायता उनके पास यथासमय पहुँच जाय। पिछले दिनों प्रायः ऐसा हुआ है कि केन्द्रीय सहायता की दुर्घटनीय प्रक्रिया के कारण कार्यक्रम पूर्ण होने से रुक गया और प्रायः इसके पूर्व किया गया व्यय निष्प्रभावी हो गया। इस सम्बन्ध में एक नई प्रक्रिया भारम्भ की गई है जिसके प्रन्तर्गत राज्यों को एकमुश्त (Lump-some) सहायता दी जाती है जिसके तिए स्वीकृत कार्यक्रमों पर नी माह का अनुमानित व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष की समंदित से पूर्व इस गम्बन्ध में व्यय का अंतिम विवरण फरवरी माह तक देना होता है। सेकिन यह कार्यक्रम भी वास्तीय रूप में गफल नहीं हुआ है और राज्य को कुछ वित्तीय सहायता राखि में से एक बड़ा भाग अद्वितीय ही रह जाता है।

भी हाल ही में कई राज्यों ने यह निष्पायत की है कि आयोग द्वारा अपनी गहायता का एक यहूत बदा भाग बराबर रह जाता है और परिणामस्वरूप उन्हें अनेक कार्यक्रमों को धीरे ही चानाना पड़ता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में गम्भीर गंभीर व्यापार बिंग है और उनका विचार है कि वित्त अविवेकी व्यवस्था द्वारा सहायता राखि वो नियमित रिया जाना है, उगमे रहने उनकी योजनाओं का निर्धारित सदय पूर्ण नहीं हो गया।

Further Readings

1. *Bhalerao, C. N.* : Administration, politics and Development in India, Bombay, Lalvani Publishing House, 1972.
2. *Ray, Amal.* (Politics and Federalism in India : A development hypothesis-The case of Rajasthan; Narain, I. & Mathur, P. C. pp. 232-260
3. *Santhanam, K.* : Tension Areas in India's Federal system, Calcutta, World Press, 1970, pp. 36-50 & pp. 50-62.
3. *Santhanam, K.* : Union-state Relations in India, Bombay, Asia publishing House, 1960, pp. 43-60

अनमनीयता

तकनीको हष्टि से मारतीय संविधान 'जटिल संविधानो' की थेणी में आता है लेकिन जब तक हम परिचालन-सूचियों के संदर्भ में अनमनीयताके सारतत्व का विश्लेषण नहीं करते तब तक इसे हम मात्र जटिल संविधान कह कर अधिक सार्थक अभिव्यक्ति नहीं दे पाएँगे। इसके अतिरिक्त एक सरल व जटिल संविधान के भव्य अन्तर एक निश्चित समय में राजनीतिक स्थिति के संदर्भ से बंधा हुआ है और उसका मात्र उस प्रक्रिया विशेष से ही सम्बन्ध नहीं है जिसके अतर्गत किसी संविधान में संशोधन हो सकता है। उदाहरण के लिए १६६७-७१ के दौरान थीए बहुमत की स्थिति में केन्द्रीय कांग्रेस सरकार अपनी इच्छा के बावजूद मूल अधिकारों में संशोधन से सम्बन्धित संसदीय शक्ति के प्रश्न पर संसद एवं उच्चतम् व्यायालय के बीच सम्प्रभुता का निर्धारण करने वाली कोई संविधानिक संशोधन नहीं कर सकी। मूल अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में संसदीय शक्ति को गोलकनाय के मामले (१६६७) में अमान्य घोषित कर दिया गया था। कालांतर में पौच्चे लोकसभा चुनावों (१६७१) के उपरान्त भीमकाप बहुमत की स्थिति में संसद सुरक्षा से संविधान में २४ वां मंशोधन कर सकी।

सर आइवर जैनिस ने अनमनीयता की संरचना में उन सार्थक तत्वों का योगदान किया है जिनके इदं-गिर्द परिचालन-सूचियों का निर्माण किया जा सकता है। परन्तु हम उस राजनीतिक संदर्भ के घटक का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जिस पर विश्लेषण की अंतिम स्थिति में संविधान की जटिलता (अनमनीयता) निमंत्र करती है। उद्भूत अश जैनिस के मद्दास विश्वविद्यालय व्याख्यानों से लिया गया है जो पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो चुके हैं—‘सम कोरेटेरिस्टिक्स प्रॉफ डि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन’ (लंदन, थ्रोक्सफोर्ड, १६५३) सम्पादक

संविधान के नमनीय (flexible) व अनमनीय वर्गीकरण से हमें आइस तथा डाइस ने परिचित कराया है। सामान्यतः सभभा जाने वाला यह वर्गीकरण वस्तुतः भूति सरल

है। नमनीयता व अनमनीयता का प्रश्न अनिवार्यतः मात्रा से संबंधित है। ब्रिटेन का संविधान मात्र इसलिए ही घटयोग्यक नमनीय नहीं है क्योंकि उसका कोई भी भाग संसद् द्वारा पारित कानून से बदला जा सकता है, वह इसलिए भी नमनीय है क्योंकि उसका काफी कम भाग कानूनी रूप में अभिव्यक्त हुआ है। संविधानिक राजतन्त्र तथा भविष्यमण्डलीय सरकार के सिद्धान्त, भविष्यमण्डल व संसद् के सम्बन्ध तथा भविष्यों व लोक सेवकों के सम्बन्ध-में सब कुछ अभिव्यक्त से नियमित होते हैं और वे स्वयं को परिवर्तित स्थितियों के अनुस्पृष्ट रूपांतरित करते रहते हैं। एक संविधान जो मात्र किसी विशेष भौतिक प्रक्रिया द्वारा ही बदला जा सके, अनिवार्यतः अधिक अनमनीय है बनिस्पत उसके जो साधारण विधान द्वारा परिवर्तित किया जा सके। लेकिन अनमनीयता की मात्रा दो पटकों पर निर्भर है। प्रथम, संशोधन-प्रक्रिया के दौरान उपस्थित कठिनाइयों की मात्रा पर निर्भरता : अर्थात् एक साधारण विधान की तुलना में संविधानिक संशोधन करने के लिए क्या और आवश्यक होता है। द्वितीय, संविधान पी विषय सामग्री पर निर्भरता। भारतीय संविधान जो जो घटक इतना अधिक अनमनीय बना देता है वह संशोधन की जटिल प्रक्रिया तो है ही, इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उत्तरदायी है कि संविधान इतना अधिक जटिल है और वह कानून के इतने व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित है कि संविधानिक वैधता की समस्या अनिवार्यतः अवसर उठ रही होती है।^१

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहुत कम व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन मात्र साधारण बहुमत के सम्मव है। वे संविधान जिनमें संशोधन संबंधी विशेष धाराएँ होती हैं, सामान्यतः ऐसी अवस्थाएँ लिए होते हैं जिनमें यह अभिव्यक्त होता है कि “संसद् द्वारा कोई नई व्यवस्था किए जाने तक” वे प्रभावी रहेंगी। निम्ननिखित धाराएँ इस आशय की प्रतीक हैं :

- (१) धाराएँ २, ३ व ४ जो संसद् को कानून द्वारा यह अधिकारदिलाती है कि वह नए राज्यों को प्रविष्ट कर सके, सीमा-परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके, और तदनुसूल प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन कर सके।
- (२) धाराएँ ७३ (२) जो संसद् की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्यों में कुछ सुनिश्चित शक्तियाँ निहित करती हैं।
- (३) धाराएँ ७५, ६७, १२५, १४८, १६५ (५) तथा २२१ (२) जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देती है।
- (४) धारा १०० (३) जिनमें संसद् की किसी नई व्यवस्था के होने तक संसदीय कोरम का प्रावधान है।

^१ यह तर्क कि ब्रिटिश संविधान इसलिए अनमनीय है क्योंकि उसमें संविधान से कोई संशोधन नहीं हुआ, सही नहीं है। ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्थाएँ भी सहज संशोधनीय हैं। यह तथ्य भी अप्रासंगिक है कि ब्रिटिश जनता राजतंत्र सेवे अनेक भाषितों द्वारा विशेष ज्ञानुशार है। सुशाव यह नहीं है कि भारतीय संविधान उसी प्रकार परिवर्तनशील हो जैसे बातावरण व जलवायु के अनुरूप बदल होने हैं। आत्मप्राप्त यह है कि यह संविधान परिवर्तन की उपर्युक्त सम्भावनाओं को ही नकारता है।

- (५) धारा १०५ (३) संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करती है।
- (६) धारा १०६ जो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद् सदस्यों के वेतन एवं मत्तों की व्यवस्था करती है।
- (७) धारा ११८ (२) जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि की व्यवस्था करती है।
- (८) धारा १२० (३) जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर १५ वर्षों के उपरान्त अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करती है।
- (९) धारा १२४ (१) जिसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न होने तक सर्वोच्च न्यायालय में मात्र ७ गौण (Psuine) न्यायाधीश होंगे।
- (१०) धारा १३३ (३) जो संसद द्वारा नई व्यवस्था न किए जाने तक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकती है।
- (११) धारा १३५ जो संसद द्वारा किसी भ्रष्ट व्यवस्था के किए जाने तक सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक सुनिश्चित अधिकार-धेत्र नियत करती है।
- (१२) धारा १६६ (१) जो कुछ शर्तों के साथ विधान-परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करती है।
- (१३) धारा २४२ (१) संविधान तथा कुर्ग विधान परिषद के कार्यों को कायम रखती है।
- (१४) धाराएँ ३४३ (३) तथा ३४६ (१) जो सरकारी मापांशों में कुछ नमनीयता की व्यवस्था करती है।

कुछ मामलों में राज्य विधान मण्डलों के लिए भी ऐसी समान व्यवस्थाएँ हैं जिनके अन्तर्गत वे संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। यह स्पष्ट होगा कि ये व्यवस्थाएँ कम हैं और जो हैं वे महत्वहीन हैं। इसका अपवाद नए राज्यों के निमाण सम्बन्धी शक्ति है जो यह आगामा देती है कि राज्य इस सम्बन्ध में केन्द्र की अपेक्षा कही अधिक कमज़ोर है।

धारा ३६८ संशोधी धारा (Amending clause) है। एक संवैधानिक संशोधन के लिए (अ) प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा (ब) प्रत्येक सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

इसका अभिप्राय यह है कि सदन का एक-तिहाई भाग किसी संवैधानिक संशोधन के विरुद्ध मत देकर उसे पराजित कर सकता है। यदि एक-चौथाई भाग उसके विरोध में मत दे और दूसरा (एक चौथाई) मतदान में भाग न ले तो सम्बन्धित संशोधन फिर रुक सकता है। इसके अतिरिक्त संघीय धाराओं से सम्बन्धित किसी संशोधन के लिए न केवल यह आवश्यक है कि उसे प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत (Absolute majority) व मतदान करने के लिए उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई मत ही मिले बल्कि उसको भाग अ व भाग ब * राज्यों में से आधे राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति भी मिले।

* ये बर्नीकरण अब संविधान के संशोधन द्वारा समाप्त कर दिये गए हैं। अब भारतीय संघ को केवल दो इकाईयां हैं—राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश, परन्तु इस परिवर्तन का सेवक भी मुद्द्य धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भारतीय संविधान को अनमनीयता केवल जटिल संशोधन-प्रक्रिया से ही नहीं मिलती बल्कि संविधान की लम्बाई व विस्तार से भी मिलती है। भारतीय संविधान में ३६५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। पूरा संविधान २५१ अठपेजी पृष्ठों (Octavo pages) का स्थान धेरता है। अनिवार्यतः यह विश्व का सर्वाधिक लम्बा और विस्तृत संविधान है। इसके अनेक कारण खोजे जा सकते हैं।

१. यह एक संघीय संविधान है जिसमें मात्र केन्द्र के संविधान का ही वर्णन नहीं है बल्कि राज्यों के संविधान का भी वर्णन किया गया है। भाग ४, जिसमें ८६ धाराएँ हैं, यथार्थ में भाग 'अ' के राज्यों के लिए एक मानक संविधान है जिसको न संबधित विधान मढल और न ससद ही संशोधित कर सकते हैं। भाग VII जिसमें मात्र एक धारा है, भाग VI को भाग 'ब' के राज्यों में भी लागू करता है। भाग VIII, IX तथा X जिनमें ६ धाराएँ हैं, भाग 'स' के राज्यों पर लागू होते हैं और पांचवीं व छठी अनुसूचियों का निर्माण करते हैं।
२. केन्द्र तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध असामान्य रूप से जटिल हैं। भाग XI में १६ उप-भाग हैं और सातवीं अनुसूची उसी में समाहित है लेकिन वित्तीय सम्बन्धों की भाग XII के अन्तर्गत व्याख्या की गई है जिसमें ३७ धाराएँ हैं।
३. संविधान सभा ने न केवल २४ धाराओं^२ से युक्त एक अधिकार-बिल (Bill of Rights) को संविधान में स्थान देना ही उचित समझा बल्कि उसने राज्यनीति के निदेशक-सिद्धान्तों को भी स्थान दिया, जिसमें १६ धाराएँ हैं।
४. कुछ विषयों जैसे न्यायिक अधिकारियों के संगठन को, जिन्हें साधारण विधान के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता था, भी संविधान में स्थान दिया गया है। केन्द्रीय न्यायपालिका से संबधित २४ धाराएँ हैं और राज्यों की न्यायपालिकाओं से सम्बन्धित अन्य २४ धाराएँ भी हैं।
५. भारत की अपनी कुछ ऐसी विचित्र समस्याएँ हैं, जिनके विषय में संविधान सभा की यह राय थी कि उनके संबंध में निश्चित संवैधानिक अधिनियमन (Enactment) की आवश्यकता थी। इस थेरेंसी में सोक सेवाएँ (जिनके सम्बन्ध में भाग XIV-16 धाराओं में उल्लेख किया गया है), विशिष्ट वर्ग जैसे एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जातियाँ व जनजातियाँ (इनके सम्बन्ध में देखें भाग XVI-१३ धाराएँ) और सरकारी भाषाएँ (संविधान का भाग XVIII-६ धाराएँ तथा एक अनुसूची ।)

^२ १ मित्रव्यर १६५१ के गंशोधन तक। इसमें ३६७ धाराएँ तथा ६ अनुसूचियाँ हैं, जो कुल २५४ पृष्ठों को पैरते हैं।

^३ अब २६ धाराएँ व १ अनुसूची

६. अंशतः सघीय व्यवस्था व भंशतः अधिकारों से संबंधित विष को स्थान देने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि ६ घारामों से संबंधित संकटानीन व्यवस्थामों को भी स्थान दिया जाए।

द्विरायूति (Duplication) को यदि व्यान में रखा जाए तो उसने मूली में २६० घाराएं व ४ अनुसूचियाँ^४ तथा मोटे तौर पर मध्यांगी गविधान का दो-तिहाई भाग धारा है।

नमीपता को एक गुण व अनमनीयता को एक दोष माना जाता है। क्योंकि सविधान-निर्माताओं को ऐसी दूर-दृष्टि प्राप्त नहीं होती जिससे वे उन स्थितियों व असम्भावों को देख सकें जिनकी संविधान के अन्य बाधा घनने की संभावना होती है। उनके पास भविष्यवाणी की शक्ति नहीं होती। जब अमेरिका के संविधान या निर्माण किया गया उस समय निर्माताओं के लिए यह आभास असम्भव था कि राज्यों के मध्य व्यापार रेलवे, मोटर यानायात तथा हवाई जहाज ने होगा। हालीवृड व दूरदर्शन (Television) का विचार किए विना अधिकारों के विन का प्रारूप तैयार किया गया था। इसी प्रकार विचारों में परिवर्तन भी कम अंतिकरी नहीं है। अमेरिकी जीवन-पद्धति इस पीढ़ी की स्थितियों व इतिहास की उपज है। अमेरिकी संसद् ने एशिया व पूरों से संबंधित नीतियों की दिशा में वह महत्वा उपलब्ध की है जिसकी तेरह कॉलोनी में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।

एक सविधान मात्र अपने निर्माणकाल के बातावरण में ही काम नहीं करना बरन् उसके शाताव्दीय बाद तक व्यवहृत होता है। उसमें अनिवार्यतः नई स्थितियों के अनुच्छेद स्पान्तर की क्षमता हीनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अब सरकार व संसद् का वह नियमिक्य कार्य ही नहीं रहा जिसके अन्तर्गत उसे विविध प्रतिस्पद्धों हितों में सामंजस्य एवं आर्थिक विकास में योगदान करना है। किसी संगठन की प्रत्येक संवैधानिक व्यवस्था अपने कार्यों के प्रति स्वयं एक बाधा है चाहे यह अपनी सदस्यता निर्धारित करे या प्रक्रिया। यह तथ्य, कि इस प्रकार की बाधा आज की एक आवश्यकता है, यह नहीं दर्शाता कि अब से एक शताव्दी बाद भी स्थिति यथावृत् रहेगी। वे विचार जिन पर किसी पीढ़ी के अन्तर्गत कोई सविधान आधारित होता है भविष्य में अप्रासंगिक हो सकते हैं। कोई भी आज शक्ति के पृथक्करण की अपर्याप्त अनुसूची अनुमता को नहीं स्वीकारेगा जिस प्रकार कि चिकित्सा (मेडिसिन) की अतीत की समझ व आज की समझ में अत्यधिक अन्तर दिखाई देगा।

अतः संविधान निर्माताओं के लिए एक स्वरिंग नियम यह है कि इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था ग्रहण नहीं की जाए जिसे भहजतापूर्वक छोड़ा जा सकता हो। कोई व्यवस्था बाढ़-नीय हो, इसका यह अभिप्राय कदाचित नहीं है कि उसे संविधान में स्थान दिया जाए। इसे पर्याप्त मुविधापूर्वक साधारण विधान के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या यह बाढ़नीय है कि संबंधित व्यवस्था को भावी पीढ़ियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? इस प्रश्न का समुचित उत्तर कोई नहीं दे सकता।

^४ सुगोष्ठन के उपरात अब २६२ घाराएं व ५ अनुसूचियाँ

यह स्पष्ट होगा कि समस्या के दो पथ हैं। यदि कोई संविधान सहजता में संशोधित किया जा सके तो इस सम्बन्ध में कोई भारपति नहीं है कि इसमें संशोधन की जाने वाली व्यवस्थाएँ समाहित करली जाएँ। इसके विपरीत, यदि वह सहजता से न बदला जा सके तो उसे यासंभव छोटा व सरल होना चाहिए। संविधान सभा ने एक ऐसा लम्बा व जटिल दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्राप्ति में कई व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें संविधानिक सरदारण की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए घारा २२४, जिसमें एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में बैठने का अधिकार दिया गया है। क्या यह व्यवस्था इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे संविधानिक संरक्षण दिया जाता और उसमें तब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता जब तक कि उसे केंद्रीय संसद के मतदान देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई भाग की स्वीकृति नहीं मिल जाती?

इस प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है कि संविधान सभा ने इस उद्देश्य से प्रयास क्यों नहीं किया कि संविधान को जितना संभव हो उतना छोटा और संरक्षणात्मक बनाया जाए। इसका उत्तर सम्भवतः ब्रिटिश अधिपत्य काल के अन्तर्गत भारतीय संविधानिक इतिहास से प्राप्त होगा। संविधान मुख्यतः १६३५ के भारतीय अधिनियम से बुत्पन्न हुआ है। इसकी अनेक व्यवस्थाएँ पूर्णतः ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित उक्त अधिनियम से ले ली गई थीं। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित वह सर्वाधिक लम्बा नियम था और उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकारी पदाधिकारियों से भारतीय राजनीतिज्ञों को विविध वर्चावों के अधीन शक्ति हस्तांतरित करना था। अतः इसे एक नए संघीय विधान मंडल का निर्माण करना था और राज्यों से नए सम्बन्ध स्थापित करने थे। भारत सरकार की प्रवृत्ति तानाशाही रही है जिसकी शक्तियाँ पहले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के हित में थीं। १६३५ में समस्या सरकार की शक्ति के पुनर्वितरण की थीं और यह योलमेज कांप्रे स तथा ब्रिटेन की संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार होना था। एक संविधानिक व्यवस्था के विषयों तथा केवल प्रशासनिक अंगों व्याधिक प्रकार के विषयों में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं किया गया था। १६३५ का अधिनियम संसद का एक साधारण विधान था जिसका उद्देश्य भारत में लागू होने वाले ब्रिटिश कानून के अंशों में संशोधन करना था। इसमें डॉमेस एक्ट के अनुसार उसी संसद के अनुवर्ती (Subsequent) कानून का एक भाग भी था जोकि यह ब्रिटेन की मारत पर निर्भरता की व्यवस्था को नियमित भी करता था। नए संविधान का विलुप्त नवीन स्वरूप है। यह मौलिक कानून है जिसमें साधारण कानून की भाँति परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः संविधान सभा के लिए ब्रिटिश संसद के विपरीत, यह निर्णय लेना आवश्यक था कि किन कानूनों को मौलिक कानून के रूप में निर्मित किया जाए और किन्हें साधारण कानून के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान सभा ने गम्भीरतां-पूर्वक यह कार्य नहीं किया। उसने स्वयं से विलुप्त अन्य प्रश्न किया: स्वतंत्र भारत में कौन से कानून बांधनीय हैं?

भारतीय संविधान के व्यावर्तन धर्मी(exclusive) न होकर समावेश धर्मी(inclusive)

होने का दूसरा कारण यह विशेषता है जो भ्रम्य देशों के साथ-नाथ भारत से भी सम्बन्धित है लेकिन जिसका भारत के संदर्भ में विशेष महत्व था। अपरिहार्य रूप में प्रत्येक संविधान का अपना एक निश्चित समय होता है। निकट भूतीत के विदाओं का विवारों पर प्रमुख होता है जबकि संविधाय संबंधी विदाओं का प्रमाण घटात रहता है। यदि हम स्वर्य से यह प्रश्न पूछें कि वे वया विवाद ऐ जिन्होंने संविधान समाज का मानन तैयार किया, तब हम यह जान सकेंगे कि वे क्यों कुछ निश्चित भविधानिक समस्याओं का विस्तार से बर्तन किया गया जबकि कुछ भाव इनिट ही की गईं।

१. भारत ने एक अच्छे विवाद के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त की। यह विवाद भारतीय पक्ष के नेताओं तथा सरकारी धर्मिकारियों के बीच कर था। भारतीय नेता पीड़ियों से सरकार के विश्व थे। उनमें से भनेकों ने भारतायास का दण्ड भेजा। वे जो कानून इम ध्यवस्था का माध्यम था इसलिए सम्भव है कि इस धनुषय ने उन्हें समस्त कानूनों के प्रति मानानु बना दिया हो, भराजकतावादी सिद्धान्तों का समर्थक यना दिया हो या उस से कम उनमें यह विश्वास उत्पन्न कर दिया हो कि कानून और स्वतन्त्रता में प्रसंगति है। बल्कुः इसका एक विपरीत परिणाम प्रतीत हुआ और वह यह कि सरकार की जक्कियाँ कानून द्वारा कठोरता से सीमित होनी चाहिए। यद्यपि सत्ताप्राप्त सरकारें उत्तरदायी थीं लेकिन भारतीय नेताओं की स्मृति में धनुत्तरदायी सरकारों का धनुषय धमी जेप बना हुआ था। प्रिंटेन का यह धनुषय रहा है कि जनमत उत्तरदायी सरकार को नियंत्रित करता है लेकिन भारत को इसका धनुषय नहीं मिला। फन्तः संविधान समा ने दिना धरने सिद्धान्तों को मुस्पटता दिए, यह कल्पना की कि सरकार को कठोरता से कानूनों द्वारा नियमित होना चाहिए।

२. भारत की स्वाधीनता न दिए जाने का विषय मुख्यतः इस धारणा पर आधारित था कि भारतीय धर्म जाति, वर्ण तथा भाषाएँ भाषाओं पर इतने विभक्त हैं कि यहीं लोक-तन्त्र सुवाहु रूप से नहीं चल सकता। भारतीय जनमत इस धारणा को पुष्ट नहीं कर सकता था और उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उसने इस बात पर चल दिया कि ब्रिटिश शासकों द्वारा विविधता के इन तर्फों को यदि प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो कम से कम खंडितान कर प्रस्तुत किया गया है और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासक को सत्तारूढ़ रखना है। यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो साम्प्रदायिक समस्या के घस्तित्व को भान्यता देती है लेकिन वे न बहुसंघर्ष हैं और न महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, भारतीय संविधान मुख्यतः साम्प्रदायिकता को कम करता है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि श्रीलंका में ऐतिहासिक कानूनों के फलस्वरूप साम्प्रदायिकता का बातावरण भारत की अपेक्षा कम था लेकिन किर भी वहीं के संविधान के अन्तर्गत साम्प्रदायिक समस्याओं को अधिक भान्यता दी गई है। साम्प्रदायिकता सम्बन्धी तर्क के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकृत उत्तर यह था कि यह समस्या भाव मूल स्वतन्त्रताओं से सम्बन्धित है। साम्प्रदायिकता राजनीति के संदर्भ में अप्राप्तिक है और ऐसा होना भी चाहिए। यह एक सांस्कृतिक विभेद है और व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता देने के पश्चात् इसका समाधान स्वयम्भव हो जाएगा। अतः

समस्या का निदान सरकार को शक्तियों को सीमित करने में है न कि साम्राज्यिकता को कानूनी अस्तित्व देने में।

१६४६ तक ब्रिटेन ने भारत का यह तक स्वीकार कर लिया था। समस्या के एक समाधान को पाने की उल्लङ्घना में, जो हिन्दू व मुसलमानों दोनों को सतुष्ट करे, ब्रिटिश सरकार ने मूल स्वतन्त्रताओं के विचार का आश्रय लिया। हिन्दू-बहुसंख्यक क्षेत्रों में मुस्लिम वर्ग को अधिकार-पत्र द्वारा संरक्षण दिया गया। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में हिन्दुओं के लिए भी समान संरक्षण की व्यवस्था थी। अत १६४६ की संविधान सभा ने एक समिति की स्थापना की और इससे उत्पन्न व्यवस्था को १६४७ की संविधान सभा में भी स्थान दिया गया।

(३) ब्रिटिश शासन का एक मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि मुख्यतः जाति पर आधारित एक पूर्वी समाज-व्यवस्था पर पश्चिमी वर्ग-व्यवस्था का आरोपण हुआ। यदि भारत स्वयं को पश्चिमी द्विनियां के अनुरूप ढाल लेता तो संभवतः जाति-व्यवस्था क्रमशः परिवर्तित हो गई होती। लेकिन पश्चिमी विचारों के आरोपण ने एक नई सामाजिक समस्या उत्पन्न की जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग-विभाजन परिलक्षित हुआ जो कि एक भाषा विभाजन भी था। इस विषय पर अभिव्यक्ति कुछ सकोच से दी जा रही है क्योंकि यह प्रवृत्ति भारत की अपेक्षा श्रीलंका में संभवत अधिक विद्यमान है और इसलिए लेखक इसको विस्तार से देखने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रवृत्ति को सामाजिक समस्या से अधिक एक भाषा-समस्या के सदर्भ में देखा परता जाता है। महात्मा गांधी ने निश्चित रूप से इसे एक सामाजिक समस्या माना है लेकिन श्रीयोगीकरण के परित्याग का उनका उपाय भारतीय जनमत ने अस्वीकार कर दिया है। अतः संविधान में यह एक भाषा-समस्या के रूप में प्रकट होती है और भारतीय ग्रंथेजी भाषियों को संपन्न वर्ग से जोड़ा जाता है। इस स्थिति के कारण यह एक अधिकाधिक जटिल समस्या है। एक ओर अंग्रेजी भाषा ने राष्ट्रीय आदोलन को एक आयाम दिया है और राजनीति में प्रवेशार्थी नौसिखिये छात्र वर्क और जॉन्सन स्टूयर्ट मिल की भाषा में तुलसाते हैं और दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा न केवल एक वर्ग विशेष की प्रतीक ही है बल्कि वह ब्रिटिश शासन का अवशेष भी मानी जाती है। इसलिए साधारण कानून के स्थान पर सर्वधारिक कानून की जटिल भाषायी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी।

(४) वर्ग-व्यवस्था भूलतः एक आर्थिक समस्या है न कि भाषायी समस्या। यह भारत में उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पूर्वी यूरोप में क्योंकि भारत में अधिकाश ग्रामीण जनसंख्या है जो अत्यधिक दरिद्र स्थिति में है और एक अल्पसंख्यक शहरी मध्यम वर्ग है। यह सही नहीं है कि भारतीय किसान को मात्र वंधनों से ही मुक्त होना है। वह अपनी भूमि से भी वंचित हो सकता है और भूमि से वंचित होने का अर्थ है वह स्वयं से भीर अपने परिवार से भी वंचित हो जाए। इसके बावजूद पश्चिम का वर्ग-संघर्ष यहीं विद्यमान है और गाँवों में प्रत्यक्षतः विद्यमान न होकर भी यह शहर में गम्भीर रूप में प्रकट होता है। अपरिहार्य रूप से कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों ने पश्चिम के ममपिट्टाडी (Collectivist) विचारों में इस समस्या का निदान ढूँढ़ा है। आवश्यक रूप में भारतीय संविधान

एक व्यक्तिप्रक दस्तावेज है। इसके मसीहा चर्क, मिल व डाइसी हैं लेकिन फिर भी संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने समटिवादी विचारों के संदर्भ में समस्या पर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप एक विचित्र द्विभाजन (dichotomy) प्रकट होता है। एक और स्वतन्त्रता के हित में उच्चीसवी शताब्दी के समटिवाद ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया है और दूसरी ओर बीसवीं शताब्दी के समटिवाद ने सरकार की शक्तियों को सुहृद करने का प्रयास किया है जिससे कि राज्य अधिक जीवन को नियमित कर सके और खतन्त्रता को सीमित करे। इन स्थितियों में ममझौता और जटिलता अपरिहार्य थे।

(५) त्रिटिश भारत का एक प्रभुत्व विवाद यह था कि एक ही अधिकारी प्रशासकीय व न्यायिक कार्य करते थे। कार्यों में विभाजन के पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं और यह एक तथ्य है कि ट्रिटेन में ऐसा विभाजन संभव नहीं हो सका है। यद्यपि मॉन्टेस्वयू को शक्तियों के पृथक्करण का थेग दिया जाता है लेकिन उसने भी कार्यों का ऐसा विभाजन नहीं किया। यह पर्याप्त रूप से सही है कि शक्तियों का केन्द्रीकरण स्वतन्त्रता के लिए एक सतरा है और मॉन्टेस्वयू ने इस अभिव्यक्ति से अधिक इस दिशा में कुछ नहीं किया। मॉन्टेस्वयू के दिमाग में काँसीसी साम्राज्य का अत्यधिक केन्द्रीकृत प्रशासन था न कि इङ्लैण्ड की न्यायिक व्यवस्था। जासन का काँसीसी प्रतिभान किसी भी धर्म में तानाशाही युक्त नहीं था और वह प्रशासनिक व न्यायिक विधियों का मिश्रण भलीमांति दर्शाता था। भारत में स्थानीय स्तर से लेकर कलकत्ता और दिल्ली तक तानाशाही का यतरा व्याप्त था। भारत की व्यापकता और इसकी सम्बन्धित व्यवस्था (Communication-system) की दीराता के कारण जिलाधीश वस्तुतः एक तानाशाह था जिसका धाराक हितकारी हो भी सकता था और नहीं भी। किसी भी स्थिति में उसे स्थानीय काँसीसी राजनीतिज की सहानुभूति काफी कम मात्रा में प्राप्त होती थी।

अतः शक्ति के पृथक्करण के विचार की भारत में एक नवीन व्याख्या हुई। इसके लिए मात्र उच्चतर न्यायालयों की स्वतन्त्रता ही आवश्यक नहीं है बल्कि स्थानीय कार्यों में विशिष्टीकरण भी आवश्यक है। निम्न स्तरों पर भी न्योपिक प्रशासन संवैधानिक महत्व का एक विषय बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान की न्यायिक धाराओं की जटिलता इस सिद्धांत के कारण है कि न्यायिक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण है कि उससे अनिवार्यतः संवैधानिक कानून द्वारा निवटा जाना चाहिए न कि साधारण कानून द्वारा।

इस संदर्भ में संविधान सभा की एक विशेषता पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो काफी विचित्र है। मुकदमेवाजी भारत का एक प्रभुत्व व्यवसाय है। इसके प्रतिरिक्त इस व्यवसाय में प्रवेश भी अत्यधिक सहज रहा है। एक डाक्टर को बॉडे की देखभाल करनी होती है, अपना कार्य सीखना होता है, एक एकाउन्टेंट को एप्रेनिट्सशिप में काम करना होता है, एक व्यापारी को दफ्तर व पैक्टरी में अपना काम सीखना होता है जबकि एक बकील की मात्र कॉमिज में प्रवेश ही लेना होता है। जिन स्थानों पर चेष्टर में अध्ययन अनिवार्य है, वहाँ क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि कानूनी शिक्षा की

राजनीति से पर्याप्त महानुभूतिपूर्वक जोड़ा जा सकता है। इसलिए एक वकील-राजनीतिज्ञ ने जितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाई है, उतनी विश्व के किसी भाग में नहीं निभाई। यह स्थिति सतरे से पूर्ण है क्योंकि अक्सर एक वकील-राजनीतिज्ञ न अच्छा वकील होता है और न अच्छा राजनीतिज्ञ ही। यह एक इतिहास का विषय है कि क्या संविधान समा के वकील राजनीतिज्ञ सदस्यों ने अमूल्य योगदान दिया है या नहीं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस स्थिति ने संविधान की जटिलताओं में वृद्धि की है। यह भी हृष्टव्य है कि संविधान पर संवैधानिक कानून की हृष्टि का प्रावल्य रहा है जिसे अब अधिकांश न्यायविद् पुराना भानने लगे हैं। यह हृष्टि डाइसी के कृतित्व पर आधारित है। डाइसी निस्संदेह इन्हलैंड द्वारा प्रस्तुत किये गए योग्यतम् न्यायशास्त्रियों में से एक है क्योंकि उन्हें सिद्धांतों को सरलीकृत कर प्रतिपादित करने की दक्षता प्राप्त थी। लेकिन यह संदेह-स्पद है कि यह हृष्टि बीसवीं सदी में भी संविधान निर्माताओं के लिए एक उपयुक्त निर्देशक हो सकती है।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान पर संवैधानिक न्यायशास्त्रियों की नई पीढ़ी का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। शिक्षाकोड बनाम राइस (१६११) तथा स्थानीय सरकारी बोर्ड बनाम ग्रालिज (१६१५) के परिणामस्वरूप डायमी स्वयं इस सम्बन्ध में शंकालु हो गए थे कि उनका विश्लेषण आधुनिक संवैधानिक कानून के अनुकूल है या नहीं। द्वितीय युद्धोत्तर पीढ़ी को यह शिक्षा दी गई कि डाइसी के सिद्धान्तों में कुछ हेर-फेर आवश्यक है। जब यह पीढ़ी पर्याप्त रूप में इतनी प्रीड हुई कि वह अपने मत को अभिव्यक्त कर सके तब उसने इन सिद्धान्तों में अपवादो व शर्तों को जोड़ने के अतिरिक्त भी काफी कुछ किया। इसने संवैधानिक कानून के उन क्षेत्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया जिनकी डाइसी ने उपेक्षा की थी और साथ ही प्रशासकीय कानून के महाद्वीपीय विचार (Continental concept) पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। जीजे (Jeze) के अनुसार डाइसी ने इसे गलत समझा था। इस विचार पर ध्यान देने के पश्चात् उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि डाइसी की धारणा के प्रतिकूल प्रशासनिक कानून एक निरन्तर विकासमान विचार है। डाइसी के समान वे भी महाद्वीपीय प्रशासकीय विचार में रुचि रखते थे। लेकिन उमके प्रतिकूल उनकी इन्सिलेशन कानून के तुलनीय नियमों में भी रुचि थी। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि भारतीय न्यायविदों ने प्रशासकीय कानून के नए हृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके मंदर्भ में यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से उन विशेषाधिकारी याचिकामों (Prerogative Writs) के प्रति एक नवीन आग्रह था जो डाइसी के समय अविद्यमान थी। यद्यपि कोई अपेज न्यायशास्त्री विशेषाधिकारी याचिकाओं को संविधान में स्थान नहीं देता लेकिन भारतीय संविधान-समा ने ऐसा ही किया।

लेकिन विविध घटकों ने मिलकर भारत को एक अत्यधिक जटिल संविधान प्रदान किया है। प्रत्येक संवैधानिक न्यायविद् को इस तथ्य पर धैर्यपूर्वक हृष्टियात् करना चाहिए कि उनके व्यवसाय को प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन संविधान मरकार के मुचाह

क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए होते हैं न कि संबंधानिक न्यायविदों का पारिथमिक जुटाने के लिए।

संविधान से एक उल्लेखनीय लोप (omission) पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि उससे उपरोक्त विशेषण का उदाहरण प्राप्त होता है। अपने पूर्ववर्ती अधिनियमों की ही मांति १६३५ के भारत सरकार अधिनियम ने साम्प्रदायिकता की शक्ति की कल्पना की और इसलिए उसने सीटों के वितरण से सम्बन्धित विस्तृत नियमों की व्यवस्था की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का खण्डन किया। इसीलिए नया संविधान भाग XVI के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं एग्लो-इंडियन समुदाय के लिए की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, अपने प्रारूप में साम्प्रदायिक समस्या की चर्चा नहीं करता। धारा ३२६ द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है और धारा ८१ के अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्र के आकार संबंधी चर्चा की गई है। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण धारा ३२७ के अनुसार किया गया है। यह अत्यधिक विलक्षण बात है, कि किसी ने भी इसे विशेष संबंधानिक महत्व का विषय नहीं माना है। ब्रिटेन में यह कार्य साधारण कानून द्वारा होता है, लेकिन ब्रिटेन अपने राजनीतिज्ञों पर विश्वास करने में लगभग अनूठा है।

ब्रिटेन में मूलभूत राजनीतिक विभाजन थमिक वर्गों व वेतनमोगी वर्गों के बीच है। अत्यधिक औद्योगिक विकास के कारण वहुसंख्यक मध्यम-वर्ग शक्ति सतुलक का कार्य करता है। चालू हवा दक्षिण-पश्चिम में होने के कारण आबादी वाले क्षेत्र पश्चिम में हैं और औद्योगिक क्षेत्र पूर्व में हैं। परिणामस्वरूप यदि किसी छोटे शहर में दो निर्वाचन क्षेत्र हों तो पूर्व व पश्चिम का यह विभाजन सामान्यतः एक मजदूर दल के सदस्य व एक अनुदार (Conservative) दल के सदस्य को विजयी करेगा। लेकिन यदि यह विभाजन उत्तर व दक्षिण के रूप में होगा तो दोनों स्थान अनिविच्चत रहेंगे? जिस प्रकार एक पेंडुलम इधर-उधर धूम्रता है उसी प्रकार दोनों निर्वाचन क्षेत्र भी बारी-बारी से मजदूर व अनुदार दल को विजयी करेंगे।

यह सहज उदाहरण सीमा-निर्धारण के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। भारत में भाव वर्ग के आधार पर ही विभाजन नहीं होता (वर्ग मी अप्रेजी शिक्षा व अन्य पश्चिमी परम्पराओं का परिणाम है) भारत में धर्म, नस्ल, जाति, व भाषा के आधार पर भी विभाजन परिलक्षित होता है। अत यह सीमा-निर्धारण एक अत्यधिक गम्भीर कार्य है जिसमें निदा की अत्यधिक सम्भावनाएं निहित हैं। इसके बावजूद संविधान सभा ने इस कार्य को तो साधारण कानून के सुपुर्दं किया जिसे साधारण वहुमत द्वारा पारित किया जाता है जबकि उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वंच में फिर से बैठने के लिए एक भव्यधानिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

इमें अतिरिक्त एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का प्रभाव अधिकतर अस्तित्व-प्राप्त वहुमत को प्राथमिकता देता है। ब्रिटेन में सफल वहुमत के प्रतिनिधित्व में बृद्धि हो रही है। एशिया में इस बात की आशंका है कि मतदान साम्प्रदायिक आधारों पर होगा।

और परिणामस्वरूप अल्पसंहयक अपराधित रूप से प्रतिनिधित्व पाएंगे। श्रीलंका ने अपने संविधान द्वारा इस समस्या से बचाय किया, जबकि भारत ने प्रकट रूप में इस समस्या का महत्वहीन समझा।

Further Readings

1. Constitution Amendment in India, A brief study, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1965, pp. 1-102.
2. *Gajendragadkar, P.B.* : The Indian Parliament and the Fundamental Rights, Calcutta, Eastern Law House 1972 chs. III, IV & VII pp. 68-106, pp. 106-127 and pp. 157-183.

संसदीय सरकार

यह सामान्यतः विदित तथ्य है कि भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय सरकार का विकास ब्रिटिश प्रतिमान के आधार पर किया गया था। अतः भारत में संसदीय सरकार का सरचनात्मक स्वरूप कई अर्थों में ग्रेट ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप के समान है। इसके व्यावहारिक स्वरूप किसी भी एक देश की सरकार का कार्यशील व व्यावहारिक स्वरूप किसी दूसरे देश में आरोपित नहीं किया जा सकता। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि भारत में संसदीय सरकार का व्यावहारिक रूप कई महत्वपूर्ण अर्थों में ब्रिटिश रूप से भिन्न है।

संसदीय सरकार से सम्बन्धित अपने अध्याय में ४० एच० हेनसन एवं जेनेट डगलस ने संसदीय सरकार के सरचनात्मक, कार्यशील एवं व्यवहारजन्य आयामों से सम्बन्धित सारणीभित अन्तर्दृष्टि प्रदान की है, जिन्हें हम उनकी कृति 'इंडियाज एमोक्रेसी' (देली, विकास, १९७२, पृ० ६४-१११) से उद्धृत कर रहे हैं।

सम्पादक

भारत का यह वृद्ध विश्वास है कि सहमति के उद्देश्य से किया गया विचारविमर्श भर्त-भेदों की समाप्ति का एकमात्र व्यावहारिक एवं आदर्श समाधान है। संघर्ष के प्रति अखंच वस्तुतः शक्ति में सदेह से, सम्बन्धित है। पारस्परिक रूप से शक्ति के अधिकार व उसके प्रयोग के समस्त अवसर उन लोगों के लिए सुरक्षित ये जो जाति-स्तर से ऊंचे माने जाते थे और जिनको उनकी इस स्थिति से शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती थी। अतः चितन के परिचित प्रतिमानों ने संसदीय लोकतंत्र को उसके विरोधी व प्रतियोगी मानदण्डों के साथ विघ्ना दिलाने में बहुत कम योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त संसदीय व्यवसायियों को भी सामाजिक हृष्टि से उच्च पद अथवा प्रतिष्ठा दिलाने के भी अपर्याप्त प्रयास हुए हैं और उन्हें अन्तर्निष्ठ रूप से आत्म-तोषी और अपनी जनता की कीमत पर परोपजीवी (parasitic) मानने की प्रवृत्ति हृष्टिगत होती है।

ब्रिटिश राज ने भारतीय समाज के कम से कम उच्चतर वर्गों के इन पारस्परिक विश्वासों को तोड़ा और उनमें उल्लेखनीय ढंग से परिवर्तन किए। समाज के एक विशिष्ट वर्ग

ने उन आयातित पाश्चात्य संस्थाओं के साथ भारत में उपस्थित हुई थी। इन संस्थाओं में से एक व्यवस्थापिका भी थी जो भारतीयों की हॉटि में अत्यधिक थे औ थे। इसने १८३३ में तब प्रथम प्रवेश पाया जब गवर्नर-जनरल की परिपद के व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यों को कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों से पृथक् देखा गया। १८६१ के भारतीय काउन्सिल्स एक्ट के पारित होने के पश्चात् तथाकथित विधान-परिषदों ने केन्द्रीय व प्रान्तीय-दोनों स्तरों पर क्रमशः अपने कार्यों वा प्रसार किया और बड़ी सावधानी से देशी तोगों को शासन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। यद्यपि वाइसराय व गवर्नर जनरलों को निपेधाधिकार प्राप्त था किन्तु फिर भी इन परिषदों को वृद्धि की अनुमति दी गई और १८०९ के मोर्लै-मिन्टो सुधारों द्वारा प्रान्तीय विधान परिषदों को गैर-सरकारी, यद्यपि अधिकांशतः नामांकित सदस्यों का बहुमत मिला और केन्द्रीय विधान परिषद् जिसके लिए व्यवस्थापन के अतिरिक्त अन्य सभी कुछ निपिद्ध था, का विस्तार किया गया।

इसके बावजूद एक लम्बे समय तक ब्रिटिश सरकार की यह मान्यता थी कि भारत में पूर्ण संसदीय व्यवस्था अनुपयुक्त है। १८०९ की मोर्लै-मिन्टो योजना के सम्बन्ध में लॉड समा में घोलते हुए लॉड मोर्लै ने कहा—“यदि यह कहा जा सके कि सुधारों के इस अध्याय ने भारत में प्रत्यक्षतः आवश्यक रूप से संसदीय व्यवस्था की स्थापना की है तो मेरा इससे कोई सरोकार नहीं होगा।”

फिर भी, प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोड़े सुधारों को प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि “भारत में प्रगतिशील उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं का ‘क्रमिक विकास’ आज की एक प्रासंगिक मांग है। इन सुधारों द्वारा सभी परिषदों को व्यापक किया गया, उन्हें और अधिक प्रतिनिव्यात्मक बनाया गया, प्रान्तीय विधानमंडलों को राष्ट्र-निर्माण की शक्तियाँ सौंपी गईं और उनके लिए राजस्व के पृथक् स्रोत निर्धारित किये गए। यह सही है कि शक्तियों के इस हस्तांतरण पर विविध रक्षात्मक उपायों की बाड़ लगा दी गई थी और इसी कारण कांग्रेस ने विवशतः इन सुधारों की निवारते हुए उन्हें छल-कपट पूर्ण बताया। इसके बावजूद इसके सकारात्मक प्रभावों में से एक प्रमुख यह था कि १८१६ व १८३५ के बीच हजारों भारतीयों ने केन्द्र व प्रान्तों में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सम्बन्धी अनुभव अर्जित किया।

इसके बाद १८३५ के भारत सरकार अधिनियम की बारी आई जिसने प्रान्तों में दैवध-शासन ममाप्त कर दिया और कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रान्तीय विषय मंत्रिमंडलों को हस्तातरित कर दिये गए। ये मंत्रिमंडल उन विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे जो व्यापक आधार पर मताधिकार द्वारा निर्वाचित हुए थे। यद्यपि केन्द्र में कोई उत्तरदायी सरकार नहीं थी और कांग्रेस को प्रान्तीय सुधार भी ‘वर्धन का एक अध्याय’ प्रतीत होते थे, फिर भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ निश्चयात्मक रूप से यह तर्क दे सकते थे कि ‘राजनीतिक गुरुत्व के केन्द्र’ का भारत की ओर भुकाव हो रहा था। प्रो॰ मॉरिस जोन्स ने सही कहा है कि ‘दासता के संविधान’(slave Constitution)ने प्रान्तों के अनेकों राजनीतिज्ञों को व्यव-

स्थापिका सम्बन्धी अनुभव प्रदान किया, शक्ति के हस्तांतरण के लिए सभी सम्बन्धी व्यक्तियों को तैयार किया, लोकप्रिय उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की और उन समस्त स्थलों पर इसने अनुभव प्रदान किया, जहाँ इसकी आवश्यकता थी। अतः ब्रिटेन को भारत में प्रतिनिध्यात्मक संसदीय सरकार सम्बन्धी अनुभव प्रदान करने का श्रेय देना असंगत नहीं होगा।

इस प्रकार संविधान सभा में बैठे अधिकाश प्रतिनिधियों ने 'ब्रिटिश संविधान की भावना' को अग्रीकृत किया। लेकिन क्या भारतीय परिवेश में संसदीय सरकार उपयुक्त थी? क्या वह शिक्षा के अभाव, विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण के मध्य व्याप्त स्तर-भेद और देश के विविध धार्मिक, भाषायी तथा साम्राज्यिक गुटों में विभाजन की पृष्ठभूमि में सफलीभूत हो सकती थी? संविधान सभा में कांग्रेस बहुमत का इस विषय में निश्चित मत था कि समस्त विसर्गतियों के बावजूद संसदीय सरकार ही शासन का एक भाग ऐसा विकल्प था जिस पर विचार विशेष किया जा सकता था। अन्य विकल्प क्या थे? गांधी ने संसद को एक ऐसा वेश्या की संज्ञा दी थी और गांधीवादी एक ऐसी शासन व्यवस्था पर बल दे रहे थे जो देशी परम्पराओं के अधिक निकट हो। 'ग्राम गणतन्त्र' पर आधारित उनकी विकेन्द्रित व्यवस्था इतनी अस्पष्ट थी कि उस पर विचार-विमर्श नहीं हो सकता था। इसके विपरीत, संविधान सभा के अन्य सदस्यों का यह विश्वास था कि केवल एक सशक्त राष्ट्रीय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की स्वतन्त्रता ही स्थायित्व व विकास के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर सकती थी। अधिकाश प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश पूर्वप्रह के अनुसार अमेरिकी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का विरोध किया। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पक्ष में सर्वाधिक प्रवल तक यह दिया जाता था कि भारत कुछ अंशों में इससे परिचित हो गया था, जैसाकि स्वयं के० एम० मुंशी ने कहा, "इस समूचे अनुभव के पश्चात् हम इन परम्पराओं का परित्याग क्यों करें..... और क्यों एक अभिनव प्रयोग करें?" (स्वतन्त्र अनुवाद)

अतः बैस्टमिस्टर के प्रतिमानों को सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अन्तर्गत केन्द्र में एक मत्रिपरिषद् की व्यवस्था थी जो एक द्विसदीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। इस व्यवस्थापिका में एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित राज्य सभा थी और एक प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदन—लोकसभा। इन दोनों सदनों को अपनी 'शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा स्वतन्त्रता' परिभाषित करने का अधिकार था। ऐसी परिभाषा की प्राप्ति तक उन्हें 'ब्रिटिश संसद' की कांगड़ सभा के अनुरूप कार्य करना था। 'साधारण' विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था। और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व सदन द्वारा पारित करना होता था। परन्तु ब्रिटेन की ही माति वित्तीय विधेयक मात्र निवाले सदन में ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। उच्च सदन उन पर विचार कर सकता था लेकिन उन्हें अस्वीकृत करना उसके अधिकार-सेवा में नहीं था। राज्यों के विधान भड़ो के लिए भी समान व्यवस्थाएँ थीं सिवाय इसके कि उनके संदर्भ में द्विसदन का सिद्धान्त ऐच्छिक बना दिया गया था।

लोकसभा को संवैधानिक रूप से वर्ष में दो बार बुलाना आवश्यक है। इसके सत्र का प्रारम्भ राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा उसी प्रकार होता है जिस प्रकार ब्रिटिश संसद का

सदाचार के अभिभावण से होता है। कॉमनवेल्थ की ही भाँति दूसरे के विविध नियम भी निर्धारित किए गए हैं। दैनिक बैठक का प्रारम्भ प्रश्न काल से होता है जिसके अन्तर्गत विविध विषयों पर मंत्रियों ने प्रश्न किए जाते हैं। द्वितीयामी दूसरे प्रक्रिया के द्वारा अन्यस्त है कि वह एंटनी ईडन को यह कहना पड़ा कि वह सोकमभा में जितना अपनापन अनुभव करते थे उतना सास्ट्वे तिया की सगद में नहीं। ईडन की ही भाँति यहाँ भी प्रश्न-काल के दौरान साधारण सदस्यों को सरकारी वार्ता या निर्णयों के भूल्याकान का अवसर मिलता है और मंत्रियों को अपनी प्रतिष्ठा घड़ाने या घटाने का। सभी प्रश्नों को अनिवार्यतः अग्रिम हृष से दूसरे दिन पूर्व गणदीय गचिवालय को प्रस्तुत करना होता है और सोकमभा का अध्यक्ष प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसूची प्राथमिकता-क्रम निर्धारित करते हुए उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। प्रश्नकाल में प्राप्त अवसरों का उनकी राम्रपूण्यता में उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन बीम से पच्चीस तक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम निर्वाचित संसद में बुल ८७६७२ प्रश्न गचिवालय में किये गए।

संसद का अधिकार समय मंत्रिमंडल व उसकी संसदीय मामलों की समिति द्वारा

- लिये गए निर्णयों पर आधारित सरकारी काम-काज में ही व्यतीत होता है (संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष मुख्य सचेतक होता है) लेकिन कुछ भ्राता में लोकमभा का समय निर्धारण कार्यवाही से संबंधित एक सत्ताहकार समिति द्वारा नियंत्रित होता है जिसका सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है।

व्यवस्थापन की तीन घटकाएँ हैं (१) प्रस्तुतीकरण (२) विचार-विमर्श व (३) स्वीकृति, जो मोटे तौर पर निम्न से संबंधित होती हैं (अ) कॉमन सभा अथवा निचले सदन में प्रथम वाचन, (ब) द्वितीय वाचन, समिति तथा प्रतिवेदन अवस्थाएँ तथा (स) तृतीय वाचन। द्वितीय अवस्था में इस बात की व्यवस्था होती है कि प्रस्ताव को किसी प्रबल समिति के सुपुर्दं कर दिया जाए। लोकसभा व कॉमन सभा के मध्य एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि लोक सभा में स्थायी समितियों व सम्पूर्ण सदन की समितियों (Committees of the whole house) का अभाव है। इसके स्थान पर भारत में तदर्यं प्रबल समितियों की व्यवस्था है, यद्यपि बहुत कम प्रस्ताव उनके विचारार्थ पेश किए जाते हैं। इन प्रबल समितियों का आकार बीस से पच्चीस सदस्यों तक स्थिर है। इन समितियों की सदस्य-संख्या का निर्धारण मुख्य सचेतक व लोक सभा अध्यक्ष द्वारा सदन के राजनीतिक दल के सत्रुलत को ध्यान में रख कर किया जाता है। किसी भी प्रस्ताव से संबंधित मंत्री इन बैठकों में भाग नहीं लेता। इन प्रस्तावों के साथ वे याचिकाएँ भी दिखाई जाती हैं जिनका उनमें उल्लेख होता है। व्यय के अधिकार प्रदान करने वाले किसी भी प्रस्ताव के साथ एक वित्तीय ज्ञापन भी भेजा जाना चाहिए। व्यवहार में, विधित विषय के कारण प्रत्येक प्रस्ताव में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें से अधिकांश अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। तृतीय अवस्था के उपरांत एक प्रस्ताव पारित होकर दूसरे सदन में पहुँचता है, जहाँ इसी प्रकार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। दोनों सदनों में

गतिरोध की स्थिति में गरदृपति को अध्यक्ष के प्रसारण से घनियायंतः एक संयुक्त वंडह बुलानी होती है।

विधेयवाँ और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श सामान्यतः भारतारी पहलू पर आधारित होता है लेकिन भविश्यास प्रस्ताव भी विचारादें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में कम से कम वचार मदद्यों का समर्थन आवश्यक है। विटेन की ही भाँति ताल्कालिक गार्वजनिक महत्व के विसी भी विषय पर विचार विमर्श के लिए स्थगन प्रस्ताव साया जा सकता है लेकिन अध्यक्ष ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने में स्पष्टतः अनिच्छा प्रदर्शित करता है और उनसे संबंधित नियमों का बड़ी कडाई से पालन करता है। विटिश संसद के उदाहरणों से भिन्न भारतीय संग्रही की एक महत्वपूर्ण कार्य-विधि और भी है जिसके अन्तर्गत अल्प आवधि के लिए गार्वजनिक महत्व ये: विषयों पर चर्चा की अवध्या होती है। इसके लिए किसी पूर्व मूचना की आवश्यकता नहीं होती, मगर अध्यक्ष की अनुमति ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक शुक्रवार को गैरसरकारी काम-काज के लिए ढाई घण्टे सुरक्षित होते हैं जिसके माध्यम से मदद्यों के नियमी प्रस्तावों अथवा विधेयकों पर विचार विमर्श होता है। लोकसभा अध्यक्ष व सदन के नेता के द्वीच मंत्रणा के पश्चात् गैर-सरकारी काम-काज के लिए विसी अतिरिक्त दिन को भी अवध्या हो सकती है। अल्प मूचना पर आधारित प्रश्नों, (जिनके लिए भंत्रियों की स्वीकृति आवश्यक होती है) तथा शुक्रवार व शुक्रवार को विचार विमर्श के लिए नियत आधा घंटा नियमी सदस्यों को पहल का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।

केन्द्रीय संसद के मूल वित्तीय कार्य इन्हें महत्वपूर्ण समझे गए कि उन्हें संविधान में स्थान दिया गया। अतः विना संसद की अनुमति के न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न संचित निधि से कोई राशि व्यय ही की जा सकती है। कर व व्यय संबंधी प्रस्ताव कार्यपालिका का परमाधिकार है और संसद को किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र में पहल का अधिकार नहीं है। वित्तीय प्रस्ताव राज्य सभा के पास मात्र इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि वह उनके संबंध में अपने सुझाव दे सके। यदि चौदह दिन की निर्धारित आवधि में वह इन प्रस्तावों को वापिस नहीं लौटती तो भी उन्हें पारित मान लिया जाता है। फरवरी के मध्य में प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय वजट में व्यय संबंधी अनुमान व कर-प्रस्ताव समाहित होते हैं। इसके प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सामान्य विचार-विमर्श से पहले इसके संबंध में भर्यादित नियंत्रण के लिए कुछ दिन नियत किए जाते हैं। इसके पश्चात् अनुदान संबंधी मांगें प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक अनुदान पर पृथक् रूप से चर्चा की जाती है और वह 'कटौती' प्रस्ताव के अधीन होता है (जिसमें सामान्यतः १०० हॉ की एक आपचारिक कटौती की अवध्या होती है)। इसरो विटिश कांगड़न सभा की ही भाँति लोकसभा की अनुमानों से इतर बहस का अवसर प्राप्त होता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को कटौती के लिए हातोल्साहित किया जाता है लेकिन विषयकी सदस्य इन अवसरों का पूरा तारं उठाते हैं, विशेष रूप से तव-जव उन्हें यह जिकायत होती है कि उनके राज्यों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है। विटिश संसद सदस्यों की ही परिचित

एक अन्य प्रक्रिया-वित्तीय राशि पर मतदान-द्वारा नए वित्तीय-वर्ष के प्रारम्भ के बाद बजट पर विचार होता है। अक्सर यह विचार-विमर्श जून अथवा जुलाई माह तक भी खिच जाता है। अनुदान संबंधी सभी मार्गों पर बहस के उपरात एक विनियोजन (Appropriation) विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए समान विधान-प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक अनुवर्ती वित्तीय विधेयक जिससे करों में वृद्धि स्वीकृत की जाती है, को उसके प्रस्तुतीकरण से ही पारित मान लिया जाता है। यह प्रक्रिया भी नियम संसद सदस्यों द्वारा अपनायी जाने वाली रीति के अनुरूप ग्रहण की जाती है। यदि इसके बाद उसमें संशोधन स्वीकृत होते हैं तो मौलिक व्यवस्था के अन्तर्गत संचित धनराशि को उसके देने वालों को लौटाना पड़ता है।

लोकसभा की समितियों के दो उद्देश्य हैं: सदन की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना तथा सरकारी गतिविधियों पर अंकुश रखना। पहले प्रकार के अन्तर्गत निम्न समितियाँ आती हैं, नियम समिति (Rules Committee) याचिकाओं सम्बन्धी समिति (Committee on petitions) कार्य-सलाहकारी समिति (Business Advisory Committee) निजी सदस्यों के प्रस्तावों व विधेयकों से सम्बन्धित समिति, विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) सामान्य उद्देश्यों से सम्बन्धित समिति, सदन समिति (a House Committee) व एक पुस्तकालय समिति। ये समितियाँ सदन के सुचारू सचालन की व्यवस्था करती हैं लेकिन विविध संवोक्षण (Scrutiny) समितियों की तुलना में इनके प्रति आकर्षण कम होता है।

इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है जन लेखा समिति (P.A.C.) जिसका दायित्व उन सभी लेखा प्रस्तावों की जांच करना होता है, जो सदन सरकारी व्यय के लिए अनुमोदित करता है। इसके अतिरिक्त वह वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा अधबा अन्य किसी ऐसे विषय पर भी विचार कर सकता है। इसको यह भी अधिकार प्राप्त है कि यह राज्य निगमों के आय-व्यय की भी परीक्षा करे। सारांश में, इसको उन समस्त पूर्ण व्याप्ति-स्वायत्ता प्राप्त परियदों की परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है जिनके सम्बन्ध में ऑफिटर जनरल और कॉम्पट्रालर को अधिकार प्राप्त है। लोकसभा के पन्द्रह सदस्य, जो इम जन लेखा समिति के लिए निर्वाचित होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर समिति में स्थान पाते हैं। शेष सात सदस्य राज्य सभा द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इमके अध्यक्ष का चयन लोकसभा-अध्यक्ष करता है। सार्वजनिक धनराशि के संरक्षक की अपनी भूमिका के प्रति अत्यधिक सजग होते हुए भी यह अपनी जांच-पदताल में आशकित रही है, यद्यपि राजनीतिक एवं तकनीकी विषयों में अंतर करने में अक्सर कठिनाई महसूस होती है। इसको मिली अधिकांश प्रतिष्ठा इसके द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों पर अधारित है। कानूनी नहीं तो कम से कम एक अभिमय द्वारा वित्त-मन्त्री को यथासंभव इसकी सिफारिशें क्रियान्वित करनी होती है और समिति को अपने द्वारा उठाए गए कदमों से यूचित करना होता है। संसद जनन्लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर कभी-कभी ही विनार करती है, यह भी तब जब कार्यपालिका द्वारा उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता। समिति के

फार्यों की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर भौतिक जोन्स का कहना है कि “इसकी उपस्थिति मात्र ही सरकारी अधिकारियों को इस बात की याद दिलाती है कि उनके कार्य संसद् की संवीक्षा के अधीन हैं।”

जन सेवा समिति का परिवर्तित अहं (alter ego) आकलन समिति (the Estimates Committee) पहले अपनी समकक्ष विटिंश समिति की ही भाँति थी। यह माना जाता था कि यह समिति समवेत विश्वाम के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु है और इसलिए कार्य-पालिका इसे संशय की दृष्टि से देखती थी। यह ऐसे वापिक आकलनों का परीक्षण करती है जो इसके अनुसार उपयुक्त हैं और उनमें समाहित नीतियों के अनुरूप अर्थं नीतियाँ प्रस्तावित करना भी इसी समिति का दायित्व है। यद्यपि इसे नीति संबंधी विषयों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं प्राप्त है परन्तु लोकसभा-ग्रन्थालय की अनुमति से इसने अपनी सदर्म शर्तों की अत्यन्त उदार व्याख्या की है और इस प्रकार विटिंश आकलन समिति के समान कार्य किया है। वित्तमंत्री के लिए धावशक है कि वह वापिक बजट का निर्माण करते हुए इस समिति के सुझावों पर ध्यान दे। संसद् में अनुदान सम्बन्धी मांगों पर मतदान करते समय समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध रहता है। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके कार्य की सामान्य पढ़ति यह होती है कि वे परीक्षण के लिए कुछ निश्चित विभागों व विषयों को चुन लेते हैं। जन सेवा समिति एवं आकलन समिति ने संयुक्त रूप से, विशेषतः कॉर्गे स प्रभुत्व काल में विषय की भूमिका का निर्वाह किया है।

यद्यपि दोनों समितियों को सार्वजनिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी अन्य एजेन्सियों की जांच-पड़ताल का अधिकार था, लेकिन इस क्षेत्र में उनका कार्य अनियमित और अप्रभावी रहा है। इसके निराकरण स्वरूप सार्वजनिक उद्योगों से सम्बन्धित एक समिति का मठन किया गया है। लोकसभा से दस व राज्य सभा से पांच सदस्यों वाली यह समिति कॉम्प-ट्रोलर व आँडिटर जनरल की रिपोर्ट समेत कुछ संकलित लोक उद्योगों की रिपोर्ट का परीक्षण करती है और यह जांच करती है कि क्या उनका प्रबन्ध कुशल व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुरूप हो रहा है। यद्यपि इस समिति की जांच-पड़ताल सतही होती है, और राष्ट्रीयकृत विटिंश उद्योगों की गुलना में इसके प्रतिवेदन असम्बद्ध होते हैं, किर मी इसने एक अमेरिकी आलोचक को इस मांग की संतुष्टि के लिए अत्यधिक कार्य किया है कि ‘सरकार की शीर्षक हीन चौथी शाखा’ को संसदीय संवीक्षा से नहीं बचना चाहिए।

लोकसभा की अन्य महत्वपूर्ण समितियों में अधीनस्थ (subordinate) व्यवस्थापन से सम्बन्धित समिति उल्लेखनीय है। यह इस बात की जांच करती है कि संसद् द्वारा सरकार को हस्तातिरित शक्तियों का सरकार द्वारा सही उपयोग हुआ है या नहीं। यह कार्य हस्तातिरित व्यवस्थापन से सम्बन्धित विटिंश प्रबर समिति के कार्यों से मिलता जुलता है। विटेन से नितान्त अतुलनीय एक समिति है—सरकारी आशवासनों से सम्बन्धित समिति जो सरकारी आशवासनों की जांच करती है और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सदन को मूलित करती है।

यदि लोक सभा के कार्यों का यह विवरण विटिंश शासन के विद्यार्थियों को परिचित

सगता है तो इसके कुछ स्वतः स्पष्ट कारण हैं। ऊपरी आवरण समान प्रतीत होने पर भी अन्तर्निहित तत्त्व काफ़ी असमान हैं क्योंकि भारतीय संसद् जिस राजनीतिक वातावरण में कार्य करती है वह ब्रिटेन से काफ़ी पृथक् है। उसके सदस्यों की अपनी अलग भारतीय पूर्वधारणाएँ तथा पृष्ठ भूमि हैं और भारतीय दल-व्यवस्था की विशेषताएँ ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था की उन विशेषताओं से मिलती हैं जो काँमन सभा को उसका वैशिष्ट्य व उत्तेजक आकर्षण प्रदान करती हैं। इसके बावजूद भारतीय संसद् सदस्यों का ब्रिटेन के प्रकार की संसदीय प्रक्रिया से लगाव अत्यधिक प्रबल है। वास्तव में, कभी-कभी तो उनकी इस अनुकरण-शीलता का अनावश्यक विस्तार हो जाता है।

ऊपरी सदन को निचले सदन की प्रतिष्ठा-कभी नहीं मिली। दूसरे सदन के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर संविधान सभा में बहुत कम चर्चा हुई और ऐसा आभास हुआ कि एक सदस्य के इस दृष्टिकोण पर मंतव्य था कि “आखिरकार—किसी व्यापक शौचित्य की आवश्यकता नहीं है।” इसका उद्देश्य क्या है? यद्यपि कल्पना यह की जाती है कि यह राज्यों के अधिकारों का रक्षक नहीं हो पाता क्योंकि अपनी राजनीतिक सामाजिक संरचना में यह लोकसभा से बहुत कम पृथक् है। व्यवहार में इसके राजनीतिज्ञों की ऐसी सभा बनाने की प्रवृत्ति है जिन्हे दल ‘ऊपर ठेलने’ की इच्छा रखते हैं। एक ‘द्वितीय विचार’ वाले सदन के रूप में इसकी कुछ उपयोगिता ही सकती है लेकिन इसका द्वितीय संगठन निचले सदन के इतना समान है कि इसके विचार बहुत कम गहन मौलिकता दर्शते हैं। इन और इनके अतिरिक्त अन्य कारणों से ऊपरी सदन की पर्याप्त आलोचना हुई है। कें० बी० राव ऊपरी सदन के व्यवस्थापन में बाधा ढालने व कार्यालिका को उलझाने से सम्बन्धित इसकी शक्ति के आलोचक हैं। वह संकटकालीन घोपणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में इसके समान अधिकार के भी आलोचक है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के विषय को समवर्ती विषय बनाने की राज्य सभा की एकमात्र सत्ता का भी वह विरोध करते हैं। उनके अनुसार “यह एक फॉकेस्टीन* (मस्तासुर) है और इसको समूचे देश में खुल-खेलने की द्यूट नहीं देनी चाहिए। इसका सर्वाधिक बुरा पक्ष यह है कि जब तक स्वयं इसकी स्वीकृति न हो, इसकी शक्तियों में कटौती नहीं की जा सकती चाहे इसके लिए दो-तिहाई बहुमत ही हल बयों न हो।” (श्रीमती गांधी जिन्होंने यह पंचितयां लिखते समय तक राज्य सभा में राजाओं के प्रिवीपर्स व विशेषाधिकारों को हटाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक पर हार का सामना कर लिया था, निस्सदेह इस धारणा से तहमत होगी)। लेकिन आगे चलकर राव इसे एक कारणिक व प्रभावशून्य रचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि “यह एक आज्ञाधीन, उपेक्षित सदन रहा है—जनता द्वारा उपेक्षित, अपने मंत्रियों द्वारा उपेक्षित, और स्वयं अपने सदस्यों द्वारा उपेक्षित।” यह सही है कि कई अवसरों पर तो किसी भी मंत्री द्वारा इस सदन की बैठक में भाग नहीं लिया गया है और इसके सब व बैठकों कोरम के

* फॉकेस्टीन मेरी थीली का एक चरित्र है जिसने एक दैत्य का व्य प्रारण कर अपने स्वामी को भार ढाला। सामान्यतः वह प्रत्येक वस्तु जो अपने निर्माण का अहिन करे, फॉकेस्टीन कहलाती है।

अभाव में अधूरी छोड़नी पड़ी है। भ्रष्टिक से भ्रष्टिक इगरे एक ऐसे देश में कुछ भ्रतिरिता रोजगार उपलब्ध करता है जहाँ रोजगार की गाँव उमड़ी कुल धमता को पार कर जाती है। इसकी तुलनात्मक अनुपमोगिता को ध्यान में रखते हुए इस बात पर ध्याचयं नहीं होता जाता है कि मात्र आवे राज्यों ने ही द्विगदीय ध्याचयं को घोषित किया और बम्बई के पुराने राज्य ने अपने यहीं के दूरारे सदन को गमाल कर दिया। ऐसा करते गमव मुश्किल से नाम मात्र का ही विरोध हुआ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से मंसद्-सदस्यों की विशेषताएँ कुछ भर्ती में परिवर्तित हुई हैं और कुछ में उन्हें स्थायित्व प्राप्त हुआ है। जातिगत भर्ती में आद्यालों का धर्मी भी लोकताभा पर प्रभुत्व है जबकि शूद्र, जो कि कुल जनमंस्या के ५० प्रतिशत में भर्तिक हैं, मात्र १०% स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक वृद्धभूमि में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, विदेशी शिक्षा प्राप्ति सदस्यों के अनुपात में कमी हुई है। धनरिम संसद के १२ प्रतिशत अनुपात में पटकर तृनीय गणद में इसका अनुपात ६ प्रतिशत रह गया है, मैट्रिक्युलेट ने अधिक शिक्षा प्राप्ति भर्तीयों का अनुपात ४ प्रतिशत में बढ़कर ६ प्रतिशत हो गया है लेकिन निरक्षरों की मात्रा बहुत कम है। अंग्रेज शिक्षा प्राप्ति सदस्य कुल सदस्य-मंस्या का ६० प्रतिशत है। एक व्यावसायिक वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि कृपकों के अनुपात में नाटकीय वृद्धि हुई है (६ से २२ प्रतिशत)। इसके भ्रतिरित व्यापारी वर्ग में ८ से १२ प्रतिशत बढ़ा है। कृपकों की वृद्धि की प्रस्तुत सह्या भास्कर है क्योंकि व्यापि २२ प्रतिशत सदस्यों ने कृपि बो अपना व्यवमाय बताया है, फिर भी कुल संसद् सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य अपनी धाय का धाधा भाग कृपि से पाते हैं। लगभग ७० प्रतिशत सदस्यों की कृपि में किसी न किसी रूप में रुचि है। व्यवसायों के प्रतिनिधित्व में यन्त्रकूल कमी हुई है। वकीलों का अनुपात साडे तैतीस से २०% रह गया है, साथ ही अध्यापकों व पत्रकारों की संस्था भी कम हुई है। यह अपेक्षित ही है कि सदन परिषद्व हो रहा है और पहले की अपेक्षा अब सदस्य उतने अनुभवीन नहीं हैं क्योंकि राज्य विधान भण्डलों का अनुभव प्राप्त कर संसद में आने वाले सदस्यों का अनुपात २६ से बढ़कर ३४ प्रतिशत हो गया है। कुल मिलाकर संसद् व्यापि जनसेव्या का पूर्ण 'प्रतिनिधित्व' नहीं करती लेकिन इस दिशा में उत्तेजनीय प्रगति की प्रवृत्ति अवश्य हृष्टिगत होती है।

संसद् सदस्यों का उनके संतानीय दायित्वों के प्रति क्या हृष्टिकोण है ? पर्यवेक्षकों द्वारा प्रायः इस तथ्य की भी और ध्यान धार्कित किया जाता है कि संसद में सही भर्ती में मात्र एकाक्ष अथवा उसमें कुछ अधिक सक्रिय सदस्य ही है, बाकी सभी उदासीन अथवा निष्क्रिय हैं। इस संदर्भ में एक मात्र औपचारिकता अध्ययन हेनरी सी० कार्ट द्वारा किया गया है। मैट्र-वार्तामों के उद्देर्श से १८७ संसद् सदस्यों के एक याद्विद्यक (random) सम्पत्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ७७ सदस्य प्रभावशाली थे तथा ८८ सदस्यों के अपने निर्वाचिकों से निकट सम्पर्क थे। इस सम्पत्ति में प्रत्येक चार सदस्यों में से १, जिनका काग्रे स व विपक्षी दलों में समान अनुपात था, प्रभावशाली व निर्वाचिकोंमुख दोनों थे।

जब तक कांग्रेस (अथवा इसके संबंध में श्रीमती गांधी का पक्ष) सत्ता में है, तब तक उसके सदस्य प्रभावशाली रहेंगे और यह प्रभाव न तो सदन में और न ही समिति में उनकी गतिविधियों पर निमंर रहेगा । वे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अपनी आवाज उठा सकते हैं और नेतृत्व के सम्मुख प्रत्यक्षतः अपने सुभाव अथवा शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं । ये बैठके प्रतिमाह कम से कम एक बार अवश्य होती है और पचास सदस्यों के आग्रह पर यह बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है । लेकिन इस संसदीय दल के आकार ने इन बैठकों को पूरी जाँच पड़ताल के लिए अनुपयुक्त बना दिया है और लम्बे विचार विमर्श नहीं हो पाते । इसके निदान स्वरूप एक लघुत्तर सामान्य परिपद का निर्माण किया गया है जिसमें दल वे कांग्रेसियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है । इसके अतिरिक्त संसदीय दल की एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसके ११ पंदाधिकारी तथा २१ निर्वाचित सदस्य हैं । इनमें से पन्द्रह सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं और छः परिपद द्वारा । केन्द्रीय संसदीय दल के संविधान में यह व्यवस्था है कि सभी महत्वपूर्ण विधेयक पहले दल की कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किए जाएंगे तदुपरांत उन पर संसद में विचार होगा । दल की अनेक विषय-समितियाँ भी हैं जो विविध नीतियों से सम्बन्धित हैं । प्रत्येक संसद सदस्य इनमें से एक अथवा दो में काम करता है । उनका उद्देश्य सरकार और दल के मध्य अन्तर को पाठना है और सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे अपनी विशेषीकृत शक्तियों में अभिवृद्धि कर सकें ।

संसद के विपक्षी दल इस प्रकार की जटिल संसदीय सरचनाओं का विकास नहीं कर सके हैं । वास्तव में उनमें से कुछ दल उनके संगठन पक्ष द्वारा शासित होते हैं । अभी हाल ही तक, किसी भी विपक्षी दल को सदन का वह महत्वपूर्ण १०% स्थान प्राप्त नहीं था जिससे कि उन्हें अधिकृत विपक्षी दल की संज्ञा दी जा सकती । यह स्थिति हानिप्रद रही है क्योंकि अधिकृत विपक्ष कुछ विशेष सुविधाओं का अधिकारी होता है जैसे संसद भवन में कमरे का प्रयोग और सरकारी समारोहों में प्रतिनिधित्व का अधिकार । इसके बावजूद विपक्षी शक्तियाँ उतनी शक्तिहीन नहीं हैं जितनी कि वे प्रतीत होती है क्योंकि संसदीय अवधि की मांग व समान नीतियों व वक्ताओं के प्रश्न को लेकर उनमें एकजुट होकर काम करने की प्रवृत्ति रहती है । मुकर्जी (श्यामा प्रसाद) का लोकताविक राष्ट्रीय दल इन गुटों में सर्वाधिक सफल था । इसे जनमंथ, गणतन्त्र परिपद, हिन्दू महासभा, अकाली-दल, तमिलनाडु टॉपलर्स पार्टी तथा कॉमनवेल्थ पार्टी व इसके अतिरिक्त सात निर्दलीय सदस्यों तथा आश्चर्यजनक रूप से फारवर्ड ब्लॉक के एक सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था (फारवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल पर आधारित एक अति-कांतिकारी दल है) । यह गुट परम्परा विचार विमर्श करता था, समान रणनीति आयोजित करता था, अधिकृत प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता था तथा अपने सदस्यों को दल के 'विप' (सचेतक) द्वारा अनुशासित करने का प्रयास भी करता था । लेकिन मुकर्जी की मृत्यु के पश्चात् यह उतना अनुशासित नहीं रहा और बालांतर से समाप्त ही गया । पुरानी कांग्रेस (संगठन कांग्रेस), जनसंघ, तथा स्वतंत्र दल द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्तारूढ़ कांग्रेस के

विषद्द हाल ही में किया गया महागठबन्धन सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका थ्योकि इसमें सम्मिलित मानवों के पारम्परिक मत्तू विद्यमान थे।

विकासशील देशों में लोकतात्त्विक विषयानों के साथ विपक्षी दलों की भूमिका स्पष्ट-वादी नहीं होती। प्रजा समाजवादी दल के भूतपूर्व नेता शशोक मेहता का यह विचार या कि समीक्षा लोकतन्त्र की सामान्य पूर्वकल्पना के विपरीत “यह अभिधारणा कि विधान का दायित्व विरोध करना ही है, आधिक विकास को कठिन बना देगा।” उन्होंने यह मुझाव दिया कि एक दीर्घकाल थी समीक्षा लोकतन्त्र की सामान्य पूर्वकल्पना के विपरीत व्यापक आधार याली सरकार को प्राप्तः यदलती रहने वाली सरकार का स्थान लेना चाहिए। उनके अनुसार “जन-स्वतन्त्राधी की रक्षा करना बाहरीय है लेकिन मुनिश्वित आत्मीयता करने वाला विषयक भाग उन परस्पर विरोधी गुटों तक ही सीमित रह जाएगा जो राज्य के भूतभूत सिद्धान्तों के विषद्द होंगे।” शशोक मेहता के इस विचार का उनके दल के कुछ ही सदस्यों ने कभी समर्थन किया होगा लेकिन याज ऐमा प्रतीत होता है कि उसे व्यवहारिक मान्यता मिलने नहीं है। कुछ दल जैसे भारतीय राष्ट्रवादी दल, भारतसंवादी साम्यवादी दल, प्रजामानाजवादी दल तथा ३० मु० क० अपनी संसदीय नीतियों को पुनर्निर्धारित कर रहे हैं और उनका प्रयास थीमती गाड़ी की सरकार को पराजय से बचाना है।

कांग्रेस दल के स्वरिणम प्रभुत्व-काल में भी लोकसभा में विपक्षी दल निष्प्रभावी नहीं थे। कृष्ण मेनन् ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि नेहरू विषय के प्रति जितने संवेदनशील थे उतना विश्व का कोई मन्त्र प्रधान मंत्री नहीं है। यह भी भहत्वपूर्ण है कि अपने कुछ मंत्रियों के विपरीत, नेहरू ने मुश्किल से ही संसद की कोई ऐसी बैठक छोड़ी होगी जिसके लिए वे सहज उपलब्ध हो सकते थे। इसके विपरीत प्रत्येक विपक्षी दल के कांग्रेस के भीतर ही कुछ समर्थन के पक्ष (point'd appui) होते हैं और उनके सत्तापारी गुट के प्रति-द्विनियों से लम्बे, घनिष्ठ संवधं रहे हैं। रजनी कोठारी ने लिखा है, “कांग्रेस के अन्तः संचालन को नियमित करने की विपक्षी दलों की यह भूमिका भारतीय व्यवस्था की एक विवित विशेषता है। इससे उसी दल को सत्ताहृष्ट रहने का अवसर मिलता है क्योंकि परवर्ती दल संसद व सरकारी कार्यकर्ताओं की हट्टि से सतत् परिवर्तित होता रहता है।” इस बात पर मी अनिवार्यतः ध्यान दिया जाना चाहिए कि विपक्षी सदस्यों की कम संख्या से उत्पन्न अभाव की पूर्ति काफी अंशों में-इसके नेताओं के गुणों से हो जाती है। कुशल संसदविद् के रूप में उन्होंने अनवरत रूप से सभी संभावित प्रश्नों पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। फलस्वरूप कांग्रेस विषय की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकी है। लेकिन कांग्रेस विभाजन (१९६६) से पूर्व विपक्षी सदस्य संसद में अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अपनी कम संख्या के अभाव की बढ़त ही अपरिहित रूप से पूर्ति कर पाते थे। सन् १९६७-७१ के काल में, जबकि सरकार की लोकसभा और देश दोनों स्थानों पर उतनी प्रभुतापूर्ण स्थिति नहीं थी, उस समय विषय को विधान के समक्ष देखने की प्रवृत्ति किमी भी अर्थ में अविद्यमान नहीं रही।



जैगाकि विदित है कि भारत की गमदोष नौसंतानिक सरकार व्रिटिश प्रतिमान के काफी समान है लेकिन इस व्यवस्था में एक ऐसा तत्व है जो विटेन में कहीं नहीं है। व्यवस्था में निहित यह तत्व है—भारत का राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति न तो एक संवेदनिक संग्राट के समान है और न ही कम में कम वर्तमान में विभी गणित राजनीतिग के। तब वह क्या है और क्या बनने की धमता रखता है? नेहरू ने गविधान सभा को बताया:

“हम सरकार को मत्रि पक्ष पर बन देना चाहते हैं धर्यान् घास्तविक शक्ति मंत्रिमण्डल व व्यवस्थापिका में निहित है, राष्ट्रपति में नहीं। माय ही हम यह भी नहीं चाहते कि कांगड़ीसी राष्ट्रपति की ही भाँति हमारा राष्ट्रपति भी केवल नाम भाँत का अध्यय ही रह जाए।* हम यह नहीं चाहते कि उमके पाम विभी प्रकार की वास्तविक शक्तियां हीं लेकिन फिर भी हमने उमकी स्थिति को सत्ता व प्रतिष्ठा प्रदान की है।”

यह वर्थन व्यस्टप्टना ने भरा है और स्वयं गविधान भी इस सम्बन्ध में कम अस्पष्ट नहीं है। सिद्धान्त राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति प्राप्त है। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, लोकसभा की बैठकें बुलाता है और उसे भंग करता है, सभी केंद्रीय व्यवस्थापनों को अपनी स्वीकृति देता है, उसे राज्य व्यवस्थापन के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा गविधान में निहित समस्त व्यवस्थाओं के अनुसृण सकट काल की घोषणा कर सकता है। इसके बावजूद उसके संदर्भ में अनिश्चितता व्याप्त है। क्या प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का उमका अधिकार उसे प्रधानमंत्री को पदमुक्त करने का अधिकार भी देता है? क्या वह स्वयं अपनी पहल से किसी भी व्यवस्थापन को अस्वीकृत कर सकता है? क्या वह ग्रन्तिवार्यते ऐसे मंत्रिमण्डल को वर्तास्त करे जिसकी व्यवस्थापिका में हार हो गई हो? अधिक महत्वपूर्ण हृष से, क्या यह आवश्यक है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करे? प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, जिन्होंने यद्यपि अपनी शक्तियों के प्रति उम्रत हृष्टिकोण घपनाया, लेकिन व्यवहार में उन्होंने भी व्रिटिश राजतन्त्र में निहित ‘प्रोत्साहन, सलाह व चेतावनी’ के अधिकार के परे कोई कार्य नहीं किया। नेहरू से उमके विवाद (जैसे हिन्दू कोड विल सम्बन्धी विवाद) सदा नेहरू के पक्ष में ही समाप्त होते थे। १९६० में जब प्रसाद ने अपनी शक्तियों के संदर्भ में एक कानूनी भौमिका का आप्रह किया तो उस सम्बन्ध में तुलप्रांत प्रस्तुत भत विभाजित थे। यद्यपि मर्वोच्च न्यायालय ने अपना भत दे दिया था कि भारतीय राष्ट्रपतित्व व्रिटिश संग्राट पर आधारित था लेकिन फिर भी कुछ न्यायशास्त्री ऐसे थे जिनकी हृष्टि में राष्ट्रपति को अपनी निजी (सम्यागत) शक्तिया प्राप्त थीं। महत्वपूर्ण एवं प्रासादिक प्रश्न यह है कि क्या कोई भी राष्ट्रपति व्यवहार में इन कथित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? सिडीकेट ने जब श्रीमती गांधी के राजनीतिक विरोधी संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया ताकि वह डा० जाकिरहुसेन का स्थान ले सकें।

* यही सकेत प्राम के पांचवे गणनन्दीय सविधान के प्रति नहीं है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली है। यह क्यन इसके पूर्व की स्थितियों की ओर इंगित करता है।

तो श्रीमती गौधी का आतंक यह दर्शाता है कि यह प्रेषन तात्कालिक महत्व का हो सकता है। इमके अतिरिक्त संविधान द्वारा निर्धारित की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के फलस्वरूप अनेक उल्लंघनपूर्ण समस्याएँ उपस्थित हो सकती थीं। संसद् सदस्यों व राज्य विधान मंडल के सदस्यों के मतों में अन्तर व साथ ही एकल सकलित मत नियम (Single transferable vote rule) से यह संभव है कि राष्ट्रपति उस दल के उम्मीदवार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति बन जाए जिसे संसद् में बहुमत प्राप्त हो। विशेषतः तब जब राष्ट्रपति का कार्यकाल संसद् के कार्यकाल के साथ न चलता हो (यानि उम्मीदवार के अतिरिक्त हो)। वर्तमान बहु-दलीय व्यवस्था में निर्वाचन की यह पद्धति पर्याप्त राजनीतिक महत्व रखती है।

राज्यों में संसदीय सरकार का क्या स्वरूप है? सार रूप में यह नई दिल्ली की व्यवस्था से बहुत कम भिन्न है लेकिन राज्यों के विधान मंडलों की सामाजिक रचना लोक-सभा से काफी भिन्न है। “एक नेता को खरोंचो और तुम उसे एक जमीदार पाओगे” यह उड़ीसा की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जो आम तौर से सभी जगह लागू होती है। राज्य के विधानमंडलों का अपेक्षाकृत अधिक ग्रामीण धोत्रीय तथा प्रान्तीय बातावरण है। वहाँ शैक्षणिक स्तर निम्नतर है और असंसदीय व्यवहार अधिक देखते में आता है। पहले इस सब का कारण राज्य विधानमंडलों की अनुभवहीनता बताया जाता था और इसलिए जो विधायक सरकार बनाते अथवा उत्थापते थे उनमें अपेक्षाकृत अधिक अस्थिरता थी और वे अप्टाचारी भी थे। ऐसा कहा जाता था कि भमय से प्राप्त अनुभव राज्य विधान मंडल के सदस्यों को भी संसद् सदस्यों की ही भाँति सम्भान्त बना देगा। १९६७ के पश्चात् अब इस प्रकार के आत्मसत्तुष्ट आशावाद के लिए बहुत कम आधार जेप रहा है। प्रत्यक्षतः संयुक्त मोर्चों ने राजनीतिक उत्तरदायित्व के विकास के लिए आदर्श व तावरण का निर्माण नहीं किया है, किन्तु कुछ प्रेक्षकों का यह अनुमान है कि यदि एक औसत विधायक अधिक ग्रामीण व जनवादी रक्षान प्रदर्शित करता तो ये सम्युक्त मोर्चे अधिक स्थाई व सफल हो सकते थे। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक विधायक प्रो० पॉन द्रास के शब्दों में “एक ‘क्षमतावान् ब्लैकमेनर बन गया है। इसका सहज परिणाम यह हुआ है कि राज्य केविनेट का आकार क्या हो इसका कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है और वह बहुमत प्राप्त दल के बहुमत का प्रतिलोमानुपाती (Inverse ratio) बन गया है।” चौथे आम चुनावों के बाद से राज्य विधानमंडलों के ३५०० विधायक (कुल संख्या के १४ प्रतिशत) दल-परिवर्तन कार चुके हैं। हरियाणा १९६७ के चुनावों के बाद की स्थितियों का ज्वलन उदाहरण प्रस्तुत करता है। चुनाव के बाद ८१ सदस्यों में से काँप्रेस को ४८ सदस्यों का भमर्यन प्राप्त था लेकिन फिर भी एक सप्ताह रुक्क्ति रहने के बाद भगवत दयाल मंत्रिमंडल की पराजय ही गई। इसका कारण यह था कि दल के सदस्यों ने इस आधार पर दल त्याग कर दिया वयोंकि दल की ही एक दूसरे गुट के नेता को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया था। विपक्षी तत्वों के भमर्यन में दल छोड़ने वाले सदस्यों ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया। यह नया दल था हरियाणा काँप्रेस जिसके नेता राव वीरेन्द्र गिर ने वैश्वलिक गणराज बनाई। जीघ ही उन्हें भी सरकार व दल-दोनों से उम स्थिति में ग्रामपत्र देना पड़ा जब देवीनाल यून ने

उद्देश्यमध्ये न देते की पाया ही। एक नए दल विभाग हरियाणा पार्टी का नेतृत्व संभालने के उपरान्त राष्ट्रीय बीडेंड गिरह पुनः मुख्यमंत्री बने और उत्तराखण्ड ही पीट शरीरदले वो रंगोली में सभ राष्ट्रीय में भविष्यत की नीतियाँ होने सकी। भूततः नी भहीनों की चाराजनना के उपरान्त राष्ट्रीय में राष्ट्रव्यवस्था कानून लागू करना पड़ा। कुल ८१ सदस्यों में मे ६४ में गहरी इतन्हरित्यतंन लिया था २० गढ़स्यों ने दो बार, ३ ने तीन बार, २ ने भार भार और १ ने कम से कम चार बार। मध्यावधि चुनावों ने भविष्यकाल के लिए कांग्रेस को बहुमत प्रदान किया, जो कि एक कांग्रेसी नेता द्वारा १५ मदस्यों के साथ दल त्यागने से रामाप्त हो गया। इसके बाद बहुमत गिर्दि के लिए भागीरथ प्रयास किए जाते रहे, जिसके मन्त्रार्थी एक भगती ने मुख्य ही घटों के दोरान दो बार दल बदला। सभी को मन्त्री-पद देकर और भन्न अनेक विधियों से मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रख रखे। मंत्रिमण्डल य उसके दीरण बहुमत की रक्षा के लिए उन्होंने चानू अधिवेशन के दोरान ही ज्युदेस्ती बजट पारित करवाने का निर्णय लिया। इसने विषय को सदन की कार्यवाही का बहिर्पार करने के लिए बाध्य किया और परियामस्वलूप १०० मिनट की प्रवाधि में २१ विधेयक पारित हो गये। इस पहली से विस्तित होकर लोकसभा के सदस्यों ने एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को पारित कर एक जीव समिति बैठाने का निर्णय लिया। इसने प्रयासी राजनीति (migratory politics) पर रोक लगाने से सम्बन्धित विधिय सुझावों जैसे दल-चदल नियेध वा कानून बनाने पर विचार किया, उनमें से कुछ सुझावों को अस्वीकृत किया और अंततः यह मिकारिश की कि केविनेट के आकार को सीमित किया जाए और दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को एक निश्चित अवधि तक के लिए कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा अपवाहा लाभ का पद नहीं दिया जाए। इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

कांग्रेस विमाजन से पूर्व ही कुछ टिप्पणीकार यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि हरियाणा द्वारा प्रदर्शित अराजकता अपरिहार्य रूप से केन्द्र में भी व्याप्त होगी और नई दिल्ली की घटनाएँ उनके मत की पुष्टि करती प्रतीत होती थी। अगस्त १९६६ में श्रीमती गांधी ने यह आवश्यक समझा कि लोक सभा को उसके अव्यवस्थित व्यवहार के लिए प्रताड़ित किया जाना चाहिए। 'दि टाइम्स' में लिखने हुए पीटर हेजलहर्ट ने यह विचार रखा कि "अव्यवस्था का वह हृष्य जिसने श्रीमती गांधी को हृष्णक्षेप करने के लिए बाध्य किया, लोकसभा में आए दिन की बात ही गया था। सदन में देर तक केवल आक्रोशपूर्ण वातावरण में ही विचार-विमर्श करना पड़ता था। प्रायः १० सदस्य एकसाथ बोलते रहते थे, निर्वारित प्रश्नों में से एक या दो प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाते थे और लोक सभा के अध्यक्ष की लगभग पूर्ण उपेक्षा की जाती थी।" ऐसा व्यवहार उस सम्य भवित्वमण्डल के लिए ऐसे अपशकुन का सूचक था जिसकी कुछ लोगों ने अगले चुनावों के बाद केन्द्र में कल्पना की थी। १९७१ के चुनावों में श्रीमती गांधी की कांग्रेस की भारी विजय के बावजूद इसमें संदेह है कि संसदीय मर्यादा पूर्णतः स्थापित हो सकेगी। अधिकाशतः यह इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीमती गांधी का बहुमत कितना अनुशासित है और विपक्षी

दल अपनी कुंठाओं की अभिव्यक्ति के लिए किस सीमा तक उत्तर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र की नई संसदीय स्थिति राज्यों में भी परिलक्षित होगी यह आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसदीय सरकार के कुशल संचालन में जो अवरोध विद्वामान थे वे उल्लेखनीय रूप से घट जाएंगे। यह भी कल्पना अन्यथा न होगी कि संसदवाद की इक्कीस वर्षीय परम्पराओं ने देश को एक नया जीवन प्रदान किया है।

Further Readings

1. *Appadorai, A.* : op. cit. ch. V pp. 46-81.
2. *Gadgil, N. V.* : Government From Inside,
Meerut, Meenakshi Prakashan, 1968.
ch. VI and Epilogue pp. 138-172, and
pp. I98 (respectively)
3. *Myrdal, Gunnar* : Asian Drama : An Inquiry into the poverty
of Nations/Vol. I Penguin, 1968,n
pp. 257-305.

भाग ४

राजनैतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार : मूल
अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

मूल अधिकार एवं राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत

भारत अपने स्वाधीनता आन्दोलन-काल से ही 'पूर्ण स्वराज्य' के आदर्श से प्रतिबद्ध था। अतः स्वाभाविकतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह मात्र राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हुआ और उसमें सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की भी आंकाशा प्रकट हुई। जब संविधान निर्माताओं ने इसके लिए प्रयास किए तो उन्होंने यह यथार्थ स्वीकार किया कि यद्यपि वे राजनीतिक लोकतंत्र तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं परन्तु सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का प्रतिमान उन्हें विकसित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, देश का कटु सामाजिक-आर्थिक यथार्थ उग्रे काम देने के अधिकार को एक मूल अधिकार नहीं बनाने देगा या काँग्रेस की समर्थन-सरचना का ऐसा स्वरूप होगा जो समाजवाद से सीधी प्रतिबद्धता नहीं स्थापित करने देगा। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में 'पूर्ण स्वराज्य' के आदर्श से प्रतिबद्धता दिखाई, एवम् उन्होंने भावी शासकों से न्याय के सभी पक्षों—सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पर बल देने का आग्रह किया। लेकिन एक यथार्थवादी रणनीति के हारा उन्होंने प्रारम्भ में मूल अधिकारों के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान किया। ये मूल अधिकार किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय थे। जहाँ तक सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का प्रश्न है, उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह भी मूल महत्व का विषय है और इसलिए सभी स्तरों पर शासकों को राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का उत्तराह से पालन करना चाहिए। इन निदेशक सिद्धांतों में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र के ग्रादर्श को मूर्तरूप प्रदान किया गया था। परन्तु ये निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं थे यद्यपि उनके मूल अधिकारों के समान महत्वशाली होने के सभ्य में बिल्कुल भी संदेह नहीं था, यहाँ तक कि संविधान सभा में विषय से सम्बन्धित उपसमिति ने इन दोनों को ही अधिकार माना था। इस व्यवस्था ने कानूनी विवाद का रूप ले लिया है और उच्चतम् न्यायालय के अस्थिर

मतो ने इस संबंध में और भी अधिक भाँतियों को जन्म दिया है कि मूल अधिकारों व निदेशक सिद्धान्तों के मध्य बहा सम्बन्ध हो। वास्तव में गोलकलाय के मुकद्दमे के बाद से ही संसद् व न्यायपालिका पारस्परिक संघर्ष की अवस्था में रहे हैं। इस मुकद्दमे में उच्चतम् न्यायालय ने यह निरांय दिया कि संसद् मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। निहितार्थं यह था कि वह उन निदेशक सिद्धान्तों को भी क्रियान्वित नहीं कर सकती जिनमें एक न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था निहित है और जिसे प्राप्त करने के लिए कम से कम सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में संशोधन करना आवश्यक है। यह संकट कम से कम कुछ समय के लिए ढल सा गया है क्योंकि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में संशोधन के द्वारा धारा ३१ (सी) को जोड़ लिया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था है कि उन कानूनों व कार्यकारी आदेशों को, जिनसे निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्विति होती ही, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि उनमें व मूल अधिकारों में संघर्ष है। यह निरांय उच्चतम् न्यायालय ने अपने हाल के निरांय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकद्दमे पर दिया है।

निम्नलिखित दोनों लेख : (१) पी० बी० मुकर्जी, मूल अधिकार और संवैधानिक संशोधन (लोकतंत्र समीक्षा, वर्ष ४ अंक ४, अक्टूबर-दिसम्बर १९७२, पृ १०-२३ तथा (२) एच० एम० सीरवई : डाइरेक्टर प्रिसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी (भ्री जजमेंट्स भ्री अमेंडमेंट्स भ्री सुपरसेशन्स-मुप्रीम कोर्ट डिसिशन्स इन ए करेट पर्सनेप्रिट्य, सोसायटी फॉर डेमोक्रेसी, १९७३, पृ० १०१-१२) मूल अधिकारों व निदेशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अर्थपूर्ण विवेचन प्रदान करते हैं और उनके अन्तःसम्बन्धों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।)

सम्पादक

मूल अधिकार और संवैधानिक संशोधन

पी० बी० मुकर्जी

हाल ही के वर्षों में भारतीय संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों की समस्या ने महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त रूप धारणा कर लिया है। हम विश्व के विभिन्न भागों के संवैधानिक विधि के इतिहास से अनेक उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार नागरिक की रक्षा के लिए साधारण विधान पर आधित न रहकर मूल अधिकारों का निर्माण किया गया और इस बारे में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कनाडा के संविधान में केथोलिक धर्मावलम्बियों के अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार उपबन्ध है और आँस्ट्रेलिया के संविधान में धर्मिक स्वतन्त्रता तथा उसके स्वतन्त्र प्रयोग की जो व्यवस्था है उन्हें इस विषय में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि धर्म विषयों में कनाडा और आँस्ट्रेलिया दोनों ने इस विटिश सिद्धान्त का अनुसरण किया है कि संविधान में दिए जाने वाले मूल अधिकारों

को अलिखित ही रहने दिया जाए। परन्तु इस समय कनाडा में वातावरण परिवर्तन के अधिक अनुकूल है।

१९६० से कुछ समय पहले कनाडा में यह तीव्र भावना व्याप्त थी कि संवैधानिक और मूल स्वतन्त्रताओं के विषय में दी गई गारंटियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त नहीं कही जा सकतीं। इन घटनाओं में उल्लेखनीय हैं: (१) क्वेबैक का “पैडलॉक लॉ” (१९३७) जिसका उद्देश्य साम्यवाद पर नियंत्रण स्थापित करता था और जो नागरिकों के वाक्-स्वातंश्य तथा अन्य अधिकारों पर भी नियंत्रण स्थापित करता था, (२) क्वेबैक में (१९४६-५३ में) जहोवा के अनुयायियों^१ का उत्पीड़न, जिसमें उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से बंचित कर दिया गया, (३) १९३७ में पुनर्स्थापित अल्बर्टी का समाचार पत्रों से सम्बन्धित विधेयक (प्रेस बिल), जिसके माध्यम से समाचार पत्रों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था तथापि इस विधेयक को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया था, (४) जापानी बंश के कनाडा नागरिकों को (१९४५-४६) निर्वासित करने की धमकी, (५) १९४६ में गुप्तचरों की तलाश की आड़ में नागरिकों को मनमाने तौर पर गिरफ्तार करना, उन्हें बन्दी बनाए रखना और उनसे पूछताछ करना। इन घटनाओं से पता चलता है कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रताओं को कितना गम्भीर खतरा था और इन घटनाओं के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से कोई भी घटना गत विश्व युद्ध के दौरान नहीं घटी।^२

व्यापालयों द्वारा विभिन्न विधियों को ‘शक्ति बाह्य’ घोषित करने की शक्ति को कनाडा में इतनी अधिक महत्ता कभी भी प्रदान नहीं की गई है जितनी कि अमेरिका में। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम (ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट) में सरकार की शक्तियों पर ऐसी बहुत ही कम सीमाएँ आरोपित की गई हैं जिनसे संविधान के संदर्भ में संविधियों (statutes) की वैधता की परीक्षा की जा सकती है। कनाडा के जिस अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) का १९६० में अधिनियमन किया गया था, वह स्वयं में संसद द्वारा पारित एक सामान्य अधिनियम था। और इसमें संसद की शक्तियों पर कोई मूल सीमाएँ आरोपित नहीं की गई थीं। भारत में संविधान में गांरटी किये गए मूल अधिकारों में और संसदीय संविधि द्वारा इन अधिकारों को संवैधानिक मान्यता में यही सबसे बड़ा उल्लेखनीय अन्तर है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम में जो संवैधानिक गारंटियाँ दी गई हैं, उनका उद्देश्य तो कनाडा में रोमन केंट्रोलिक धर्म के अनुयायियों के

^१ १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्दे में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक धार्मिक संशदाय, जिसके अनुयायी सत्रिय रूप से मसीही धर्म का प्रचार करते हैं, उनका यह विश्वास है कि पृथ्वी पर शीघ्र ही ईस्वरीय राज्य की स्थापना होने वाली है। ये लोग युद्ध के कठूर विरोधी हैं और अतरात्मा के मामलों में लगातार शासन की चात्ता के भी विरुद्ध हैं।

^२ इस सम्बन्ध में देखिए डॉसन हृत “द गवर्नरेंट ऑफ कनाडा” पाचवा संस्करण, १९७०
पृ० ७०-५.

और वेदें में अग्रेज प्रोटेस्टेन्टों के भताधिकार की रक्षा करना है। अंग्रेजी प्रथा का अनुसरण करते हुए कनाडा की संविधियों में नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रहने दिया गया है, यद्यपि उन्हें विभिन्न विशेष संविधियों और देश की सामान्य विधि के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस आशय का प्रस्ताव किया गया है कि कनाडा की सधीय सरकार संविधान में दी गई लिखित गारंटीयों का काफ़ी अधिक विस्तार करना चाहती है।^३

मूल अधिकारों की संरचना के विषय में अनेक विचार प्रचलित हैं। एक तो यह है कि इस विश्वास पर उन्हें अलिंगित रहने दिया जाए कि सभ्य-समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार उन्हें देश की सामान्य विधि अथवा साधारण विधियों से नियमित अथवा सीमित किया जा सकता है। यह तो एक विशुद्ध विटिश है। जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और विधि की विहृत प्रक्रिया के विषय में आयरिश स्वशासन विधेयक में १८६३ में ग्लैस्टन ने जिस धारा को सम्मिलित किया था, उसके थी एस्ट्रिय द्वारा किये गए सुविध्यात विरोध में इस विशेष विचारधारा का सार आ जाता है। इस विचारधारा के अनुसार यदि हम मूल अधिकारों का निरूपण “विधि का समान संरक्षण” और “उचित प्रतिकार” जैसे सामान्य पदों के माध्यम से करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप व्यर्थ मुकद्दमे वाजी को प्रथम मिलता है और निरंयों में अव्यवस्था आ जाती है।

इस सम्बन्ध में व्याप्त दूसरा हैटिकोण इसके सर्वथा विपरीत है। इसके अनुसार मूल अधिकारों का निरूपण सर्वथा सामान्य शब्दों में किया जाना चाहिए और इन मूल अधिकारों के क्षेत्र अथवा प्रयोग को कम करने या बढ़ाने का कार्य न्यायालयों की व्याख्या पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अमेरिकी संविधान मूलतः इसी योजना पर तैयार किया गया है। इसकी आलोचना में अवसर पहुँच कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान में इस प्रकार के अस्पष्ट अधिकार पक्ष होने के कारण उच्चतम् न्यायालयों ने विधानमंडल के तीसरे सदन का रूप धारण कर लिया है।

इस क्षेत्र में व्याप्त तीसरे हैटिकोण के अनुसार मूल अधिकारों का निर्माण कर उन्हें विधि के अधीन तो अवश्य रखना चाहिए परन्तु इसका तो वस्तुतः यह अर्थ है कि इन अधिकारों से सम्बन्धित विधियाँ और संविधियाँ न्यायालयों की चाद योग्यता के अधीन नहीं हैं। कुछ यूरोपीय देशों में इसी विचार को स्वीकार कर इसे व्यवहार में रूपांतरित किया जा रहा है।

चौथे हैटिकोण के अनुसार मूल अधिकारों की सामान्य शब्दों में अभिव्यक्ति तो अवश्य होनी चाहिए परन्तु इसके साथ ही संविधान में इस सम्बन्ध में उन अपवादों और तत्सम्बन्धी भागेंद्रशंक विन्दुओं का समावेश कर दिया जाना चाहिए जिनके अधीन इन अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इसी योजना का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय में जो सीमाएँ और नियन्त्रण

^३ डेविए विरों, ‘द कास्टीट्यून और द पीपल्स लोह कनाडा’ पृ० १४-२३

दिये गए हैं, उन्हें संवेदनानिक विधि के क्षेत्र में लोकहित के प्राधार पर तर्कसंगत स्वीकार किया गया है।

मूल अधिकार और निदेशक सिद्धान्त :

मूल अधिकारों और संविधान में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि कुछ भारतीयक विचार अभिव्यक्त किए जाएँ। इनका सम्बन्ध भारत के संविधान के माम चार में दिये गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों से है, और ये संविधान के अनुच्छेद ३६ से ५१ तक व्याप्त हैं। इनमें कई प्रकार के अधिकार दिये गए हैं जैसे अनुच्छेद ४१ में काम पाने का अधिकार और कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद ४२ में काम करने की उचित और मानवीय परिस्थितियों और प्रसुति-फाल में राहत की व्यवस्था, अनुच्छेद ५० में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में राज्य के कर्तव्य आदि। इनमें उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद ३६ में, कुछ नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों का समावेश भी किया गया है, जैसे भाजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित साधन के लिए समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण, आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालन जिससे कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीकरण न हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन और शैशव और किशोरावस्था के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक पतन के विरुद्ध संरक्षण करने की व्यवस्थाएँ आदि।

संविधान के इस भाग में 'कर्तव्य' और 'अधिकार' दोनों शब्द उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद ४१ में किन्हीं परिस्थितियों में काम पाने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद ४७ में राज्य के इस कर्तव्य का उल्लेख किया गया है कि वह अपने नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाएगा। अधिकार और कर्तव्य के बीच के इस भेद के कई महत्वपूर्ण संवेदनानिक परिणाम हो सकते हैं।

राज्य नीति के निदेशिक सिद्धान्तों का एक महत्वपूर्ण लक्षण संविधान के अनुच्छेद ३७ में दिया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय इन निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा। परन्तु इतने से ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इन निदेशक सिद्धान्तों का कोई मूल्य नहीं है अथवा वे सुन्दर कल्पना और आकांक्षाएँ मात्र हैं। संविधान के उसी अनुच्छेद ३७ में स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त किया गया है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि-तिर्माण करते समय इन तत्वों का प्रयोग करे।

यद्यपि कई संविधानों में ऐसे अधिकार-पत्र अथवा मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो वाद-योग्य हैं जिन्हें और न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, परन्तु कई संविधानों में ऐसे निदेशक सिद्धान्तों की भी व्यवस्था की गई है जिन्हें किसी देश के शासन में

मूलभूत सिद्धान्त समझा जाता है। साथ ही संविधान में यह व्यवस्था भी है कि विधि निर्माण के समय इन आधारभूत सिद्धान्तों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य नहीं है। इस विषय में भारतीय संविधान में आपरिश्व संविधान का अनुकरण किया गया है। इनकी उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि यद्यपि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा अनिवार्यता प्रदान नहीं की जा सकती परन्तु क्योंकि वे देश के शासन में मूलभूत सिद्धान्त हैं अतः देश के शासन और प्रशासन में राज्य को इनका उपयोग करना चाहिए और साथ ही देश के तिए विधि का निर्माण करते समय इन सिद्धान्तों का प्रयोग करना चाहिए।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का यदि देश के शासन में मूलभूत महत्व है और यदि यह राज्य का कर्तव्य माना जाएगा कि वह विधि निर्माण कार्य से इन सिद्धान्तों का प्रयोग करे, तो प्रश्न यह उठता है कि इनकी कार्यान्वित कौन करेगा और यदि इन बुनियादी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप नहीं प्रदान किया जाता तो इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे शब्दों में, यदि ये निदेशक सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत नहीं समझे जाते हैं और राज्य यदि विधि-निर्माण कार्य में इन सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं करता तो संविधान के अनुच्छेद ३७ में ऐसे उपबन्धों के होने का क्या संवेदानिक और कानूनी प्रभाव होगा? इन निदेशों को कार्य रूप में परिणात करने का उत्तरदायित्व किसका है और उल्लंघन किए जाने का क्या परिणाम होगा?

यहां यह बात ध्यान में रखना सचिकर होगा कि संविधान के निर्माण से पूर्व मूल अधिकारों के सम्बन्ध में जो उपसमिति स्थापित की गई थी, उसने संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की थी। वस्तुतः उपसमिति के प्रारूप में जो कुछ कहा गया था, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है :

“हमने मूल अधिकारों को दो बर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है, (१) वाद सापेक्ष अधिकार, अर्थात् ऐसे अधिकार जिन्हें कानूनी कार्यवाही द्वारा औपचारिक रूप से वलपूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है, और (२) वाद-निरपेक्ष अधिकार अर्थात् ऐसे अधिकार जिन्हें कानूनी कार्यवाही द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।”

इस ट्रिप्ट से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि निर्माताओं का उद्देश्य निदेशक सिद्धान्तों को भी मूल अधिकारों का ही एक बर्ग समझना था। परन्तु इसी मान्यता के अनुसार वे द्वितीय श्रेणी के मूल अधिकार हैं जो वादयोग्य (Justiciable) नहीं हैं और उन्हें विधि न्यायालयों द्वारा अनिवार्यता प्रदान नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में एक विचार तो यह है कि यदि इन निदेशक सिद्धान्तों का ग्रातंत्रमण करने हुए बोई विधेयक संमूल अथवा राज्य विधान राभा में प्रमुत जिया जाता है तो, स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इसी आधार पर ऐसे विधेयक के विषय में स्वीकृति प्रदान करने से दूर नहीं हैं। हो सकता है कि ऐसे विधेयक के पारित किए जाने पर विधि न्यायालय उसे मर्यादा घोषित न कर सके। यनके ऐसे मामलों में

उच्चतम्^४ न्यायालय का हृष्टिकोण यह रहा है कि "निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के अनुपर्गी बन कर रहना है।" परन्तु समस्या तो यथावत् रहती है कि इसका निर्णयिक कौन होगा कि वे इनके अनुरूप और अनुपर्गी हैं अथवा नहीं?

दूसरे हृष्टिकोण के अनुसार राज्य नीति के सिद्धान्तों के अनुच्छेद ३७ को आदेशात्मक न मम्भकर निदेशात्मक समझा जाना चाहिए। भारत में सर्वधानिक विधि और इसके विकास की वर्तमान अवस्था से यह स्पष्ट है कि मूल अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के सम्मिश्रण का प्रयास किया जा रहा है। यह सम्मिश्रण निम्ननिखित दिशा में हो रहा है। सर्वप्रथम, संविधान के किसी अंश की रचना अथवा व्याख्या के विषय में यदि कभी अस्पष्टता अथवा कोई सन्देह हो, तो निदेशक सिद्धान्तों की इस हृष्टि से विवेचना की जाती है कि जो व्याख्या उनके अनुरूप हैं उसी का समर्थन किया जाए। अर्थात् निदेशक सिद्धान्त संविधान और इसके उपबन्धों की व्याख्या के लिए मूल नियमों की व्यवस्था करते हैं। दूसरे, संविधान के कुछ उपबन्धों और संविधान की योजना को समझाने के लिए निदेशक सिद्धान्त अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। निदेशक सिद्धान्त व्यवस्थापन के लिए सामान्य मार्गदर्शक धाराओं का सकेन करने वाले व्यापक निदेशक तन्त्र का कार्य करते हैं। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार विधि के अधीन समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता के जटिल विषय के सम्बन्ध में निदेशक सिद्धान्त वर्गीकरण का एक युक्तिमग्न आधार प्रस्तुत करते हैं। तीसरे, मूल अधिकारों पर निवन्धों की युक्तिसंगतता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में किया जा सकता है।^५ इसमें अनुच्छेद १६ के अधीन मध्यनियेव सम्बन्धी विधि के उपबन्धों पर अनुच्छेद ४७ के प्रकाश में विचार किया गया था। चौथे, अनुच्छेद १६ के अधीन सार्वजनिक लाभ और सार्वजनिक हित के प्रस्ताव निदेशक तत्वों के निर्देश से प्रभावित हुए हैं। यह विहार राज्य वनाम कामेश्वर सिह^६ के मामले से स्पष्ट है। इसमें जमीदारी उन्मूलन कानून को अनुच्छेद ३१ के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत रखने के लिए सार्वजनिक हित के विषय में चर्चा अनुच्छेद ३६ के प्रकाश में की गई थी। इसके द्वारा यह भापदण्ड निर्धारित किया गया था कि जिस विधि का उद्देश्य निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना है, उसे सार्वजनिक हित में समझा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं कि भारतीय संविधान के आधीन निदेशक सिद्धान्तों और मूल अधिकारों का अपना-अपना क्षेत्र विशेष क्या है? इस सम्बन्ध में भोटे तौर पर इन मिद्दान्तों का पालन किया जाना चाहिए: (१) मूल अधिकारों और निदेशक

^४ चम्पाकम दोराय राजन (ए. आई. आर. १६५८, एस. सी. २२६), एच. एम. कुरेशी वनाम विहार राज्य (ए. आई. आर. १६५८, एस. सी. ७३१) और केरल शिक्षा विवेयक (ए. आई. आर. १६५८ एस. सी. ६४६)।

^५ बम्बई राज्य वनाम पी. एन. बलमारा (ए. आई. आर. १६५१, एस. सी. ३१८)।

^६ ए. आई. आर. १६५२, एस. सी. २५२.

सिद्धान्तों में विरोध की स्थिति में प्राथमिकता मूल अधिकार को ही प्रदान की जाएगी। इस विषय में मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराय राजन, ^३ का भास्तव्य उल्लिखित है, जिसमें अनुच्छेद २६ और अनुच्छेद ४६ के विरोध की चर्चा की गई है (२) जहाँ निदेशक सिद्धान्तों का मूल अधिकारों से कोई विरोध नहीं है, वहाँ इनका प्रयोग मूल अधिकारों के पूरके रूप में और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए व्याख्या के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विषय में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य संविधान के अनुच्छेद ३२ में उल्लिखित है जिसमें यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम् न्यायालय को समुचित कारबाइयों द्वारा प्रचलित कराने का अधिकार दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद ३२, जो स्वयं में एक मूल अधिकार है, के अतिरिक्त एक अन्य सहायक संवैधानिक उपबन्ध अनुच्छेद २२६ में दिया गया है। यह मूल अधिकार नहीं है—जिसमें उच्च न्यायालयों को इसी प्रकार के रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ताकि मूल अधिकारों को ही प्रवर्तित कराया जा सके। उच्च न्यायालय अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस प्रकार के रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकते हैं।

मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए न्यायालयों का प्रयोग :

सर अलादि कृष्णस्वामी अव्यर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से प्रमुख थे। “संविधान और मूल अधिकार” विषय पर अपने श्रीनिवास शास्त्री स्मारक व्याख्यान में उन्होंने निम्नलिखित मविष्यवारणी की :

“त्वरित और प्रभावी उपायों की व्याख्या करने वाले ये अनुच्छेद राज्य के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगे अथवा नागरिकों के लिए, यह बहुत सीमा तक इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि इनका उपयोग वास्तविक कष्टों को दूर करने के लिए किया जाएगा या नागरिकों द्वारा इनका दुष्प्रयोग किया जाएगा, और क्या न्यायालय साधारण मामलों में भी न्यायालयों की शक्ति का आह्वान करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन देंगे। आशा की जाती है कि जब न्यायालयों के निर्णय द्वारा इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कुछ सिद्धान्तों का निर्धारण कर लिया जाएगा तो इस प्रक्रिया और इस अध्याय में उल्लिखित व्यवस्थाओं के दुष्प्रयोग करने की प्रवृत्ति पर स्वयं ही अंकुश लग जाएगा।”

^३ इस विषय में विजय कॉटन मिल्स बनाम बजमेर राज्य, (ए. आई. आर. (१९५५) एस. सी. ३३) देखिए, जिसमें अनुच्छेद ११ (१) (६) पर प्रभाव की चर्चा की गई है। साथ ही एम. एच. कुरेली बनाम विहार राज्य एम. आई. आर. (१९५८) एस. सी. ७३१ का भास्तव्य भी देखिए, जिसमें अनुच्छेद ४८ और अनुच्छेद ११ (१) (६) के अंत सम्बन्धीय की चर्चा की गई है। इन दो भास्तव्यों के अलावा अन्यैसी राज्य बनाम बलसारा, (ए. आई. आर. १९५१ (एस. सी. ३१८) वा मुक्कड़ा भी देखिए, जिसमें निदेशक सिद्धान्तों का इस्तेमाल दूसरी बूची की ३१ वीं मद् की व्याख्या करने के लिए किया गया है।

कहना मुश्किल है कि अनुवर्ती वर्षों में सर अलादि कृष्ण अव्यर की आशाएँ सही सिद्ध हुई हैं अथवा नहीं। इस बीच न्यायालयों ने ऐसे महान् निर्णय उद्घोषित किए हैं जिनसे मूल अधिकारों के प्रयोजन और अन्त वस्तु को सार्थकता प्रदान की गई है। इसके साथ ही विधि प्रतिवेदनों (लॉ रिपोर्ट्स) में ऐसे असंख्य उदाहरण उल्लिखित हैं जहाँ साधारण वातों के लिए न्यायालयों का परिचालन किया गया है। कुछ अंशों में इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है परन्तु मूल अधिकारों के विषय में संवैधानिक विधि का यह भी दायित्व है कि कही इनसे मुकद्दमेवाजी को अत्यधिक प्रोत्साहन न मिलने लगे।

भारतीय संविधान और अमेरिकी विहित प्रक्रिया :

भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करते समय भारतीय अधिकार पत्र पर अमेरिकी विहित प्रक्रिया की धारा के प्रभाव के विषय में चर्चा करना समीचीन होगा। कहा गया है कि अमेरिकी प्रकार की विहित प्रक्रिया की धारा का भारतीय संविधान में जान-बूझकर प्रयोग नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह विचार अपनाया कि अमेरिकी उदाहरण भारत के व्यापक हितों, उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने की आवश्यकता के अधिक अनुकूल नहीं है। इस सदर्म में उन्होंने यह सोचा कि संसद् अथवा राज्यों द्वारा निर्मित विधियों के विषय में भारतीय उच्चतम् न्यायालय को एक अनुभवी सलाहकार का स्थान प्रदान करना कोई दुष्कृतिपूर्ण कार्य नहीं होगा। अत एक प्रकार के समझौते का मार्ग अपनाया गया और न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वे सार्वजनिक हित के युक्तिसंगत निर्वन्धों की कसीटी पर प्रत्येक विधायी कार्य की परीक्षा करें। इससे कोई भी तात्त्विक अन्तर पड़ा है अथवा नहीं, यह निर्धारित करना अभी शेष है।^५ भारत के न्यायालयों के निर्णयों के विषय में लेखक का यह हृष्टिकोण है कि मूल अधिकारों की व्याख्या करते समय अमेरिकी “विधि की विहित प्रक्रिया” और ‘तक्संगत निर्वन्धो’ और ‘सार्वजनिक हित’ की भारतीय सकल्पना में भेद करने का जो प्रयास किया गया है वह किसी मूल सिद्धांत के रूप में स्पष्ट होकर सामने नहीं आया है। विधि की “विहित प्रक्रिया” से भेद करते समय उत्पन्न यह अस्पष्ट और क्षोण दृढ़ कृत्रिम है और सीचतान कर लाया गया प्रतीत होता है। शायद यही मूल अधिकारों के अपवाद के विशिष्ट प्रतिमान के लिए उत्तरदायी है। इसकी एक आलोचना यह भी की जाती है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो रूपरेखा तंयार की गई है, उसे तो उन अपवादों ने ही नष्टप्राप्य कर दिया है जिन्हें उनके साथ सम्बलित किया गया है। यह स्वयं में एक विकट समस्या है कि

^५ इस सम्बन्ध में ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए आई आर १९५०, एल सी २३ के मुकद्दमे का निर्णय और न्यायाधिपति फृत्रल अनी के विमम्पति दूर्ज विचार हृष्टिय है। न्यायधीशों के बहुमतों का विचार या कि “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” और “विधि भी विहित प्रक्रिया” दो अमेरिकी सकल्पना दो गमान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। इस गम्बन्ध में सूरजमल बनाम आई. टी. सी. ए. आई. आर. (१९६१) वलक्ता ४७८ का मुद्रादमा भी देखिए।

इन मूल अधिकारों को असंख्य अपवादों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए अथवा इन अपवादों को मूल अधिकारों के प्रकाश में। मूल अधिकारों को स्वीकार कर इनकी संविधान में व्यवस्था करने के बाद इन्हें कई अपवादों में लाद देने का परिणाम दुरा होगा। इसके परिणामस्वरूप हमारी संवैधानिक व्यवस्था में असंगति और अस्थिरता आ सकती है तथा वह कभी भी भरमरा कर गिर सकती है। वस्तुतः ऐसी योजनाओं का वास्तव में पतन हुआ है, यह संविधियों की उस प्रभावी सूची से पता चला है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद ३१ ख के अधीन दी गई है वी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। वहाँ असंवैधानिक संविधियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जा रही है और इस प्रकार की संविधियों की संस्था में निरंतर वृद्धि होनी जा रही है। आज इनकी संस्था बड़कर ६४ हो गई है।

मूल अधिकारों का संवैधानिक संशोधन :

भारतीय संविधान के अधीन संसद द्वारा संविधान करने के अधिकार के कारण कई महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुए हैं—विशेषकर मूल अधिकारों के संबंध में। संविधान देश की मर्वाच्च विधि है और उस अर्थ में इसमें संशोधन करने की शक्ति विधायी शक्ति के अन्तर्गत आती है। संविधान में संशोधन करना भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या का रूप पाराग कर चुका है। ग्रिटिंश संसद तो एक विधायी संस्था होने के साथ-साथ एक संवैधानिक संस्था भी है और इस कारण वह संवैधानिक विधियों को उतनी ही सरलता से पारित कर सकती है जितनी सरलता से सामान्य संविधियों अथवा विधियों की, परन्तु इस हिटि से भारतीय संसद और राज्य विधान सभाएँ विभिन्न आधारों पर स्थित हैं और उनकी संविधि अथवा विधि-निर्माण शक्ति और संविधान में संशोधन करने की शक्ति एकसमान नहीं समझी जा सकती है। इसमें सन्देह नहीं है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है, परन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर इस प्रकार के संशोधन उसी विधि से पारित नहीं किए जा सकते हैं जिस प्रकार से कि सामान्य विधियाँ, और इनके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जिसे संविधान के अनुच्छेद ३६८ में दिया गया है। अतः भारतीय संविधान में जिस संसद की व्यवस्था को गई है, उसे उस अर्थ में संविधान संस्था नहीं समझा जा सकता जिस अर्थ में ग्रिटिंश संसद को समझा जाता है। परन्तु साथ ही, भारतीय संसद एक विधि और संविधान निर्माण संस्था है, यद्यपि इन दोनों क्षेत्रों में इसकी अलग अलग प्रक्रिया है।

संविधान में संशोधन का कार्य भारतीय संसद की विधायी शक्तियों के अन्तर्गत आता है और कुछ विशिष्ट समाजों में विधायी शक्तियों के अन्तर्गत संशोधन प्रक्रिया विशेषक पारित करने वी सामान्य विधायन प्रक्रिया से निम्न है। किर भी कुछ मोटे और मुख्य विषयों में इनमें बहुत हद तक समानता भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों मदनों में से किनी भी एक में उम उद्देश्य से विधेयक पुनः प्रस्तुत हिता जाता है। संविधान में गणोधन की प्रक्रिया के लिए प्रस्तावना की गृही प्रारम्भिक प्रवस्था यही होती है। दूसरी अवस्था तब प्राप्ती है जबकि विधेयक प्रत्येक गदन में से ग्रापे तो शक्ति गदस्यों और उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले मदम्यों के दो निहाई गदस्यों के समर्वत में

पारित हो जाता है। तीसरी अवस्था उस समय आती है जबकि इस प्रकार से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की महमति मिल जाती है। तब संविधान विधेयक वो शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है।

परन्तु इम सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण शर्त को अवस्था ध्यान में रखा जाना चाहिए। संशोधन के पांच विशिष्ट वर्गों में ऐसे संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। राज्यों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव भरने विधान मंडलों में राष्ट्रपति की महमति के लिए संशोधन विधेयक वो भेजने में पूर्व पारित किए जाने चाहिए। संविधानिक संशोधन के महत्व को देखते हुए दो तिहाई राज्यों वा भर्मर्यन अधिक उभयुक्त होगा और संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रारम्भक पंचांग में दिये गए संग्रह में मतदान पे अधिक अनुरूप होगा।

संविधान में संशोधन के पांच विशेष वर्ग जिनके लिए राज्यों के अनुममर्यन की विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार हैं—

१. (क) संविधान का अनुच्छेद ५४, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है :
- (ख) संविधान का अनुच्छेद ५५, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की व्यवस्था की गई है,
- (ग) संविधान का अनुच्छेद ७३ जिसमें संघ की कार्यकारी शक्तियों की सीमा वी व्यवस्था की गई है,
- (द) अनुच्छेद २४१ जिसका मम्बन्ध उच्च न्यायालयों और संघ न्यायिक राज्य दोनों से है।
२. (क) संघ न्यायपालिका के अनुच्छेद-मविधान पा भाग ५ के अध्याय ५ अनुच्छेद १२४-१४३,
- (ख) राज्य न्यायपालिका के अनुच्छेद-मविधान के भाग ६ के अध्याय ५ अनुच्छेद २१४-२५१,
- (ग) विधायी शक्तियों के विभाजन में गम्भीर विधायी गम्भयों में अनुच्छेद-भारतीय सरिपालन के भाग XI के पांच अध्याय वे अनुच्छेद २४५-२५५.
३. भारतीय नंदिधान वी गानधी अनुग्रही वी विधायी शक्तियों में में विधी में,
४. संग्रह में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, गया
५. मविधान के महोपर में मविधान इम अनुच्छेद के उल्लंघन में महोपर।

भारतीय मविधान वे महोपर में मविधान अनुच्छेद १५८ का मालूम दोष कर दर्दी है। इस प्रकार यह में मूल विधिवाली वा महोपर राज्यों के संघरस्वत्व के विषयी विधा वा गवाहा है और इम प्रत्याद वे महोपर दूसरा वा विवेच है, दूसरी वे मविधान द्वारा दिये गये दोनों विधिवाली है जिनके प्रति विवेच वार्तालाली द्वारा गम्भीर विवेच है।

प्रतिवद है। अब इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले^६ में इस स्थिति का सामना किया है?

दूसरे, संसद और राज्य विधान मण्डलों को संविधान सभाएँ बनाए रखने में सदैव एक खतरा भी है—वह खतरा है (१) संशोधन में सुविधा अधिक होने से संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए जाएंगे जिससे सदैव अनिश्चित और असुरक्षा का बातावरण व्याप्त रहेगा, और (२) संसद और राज्य विधान सभाओं के सामान्यतः चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान में संशोधन करने का कोई विशेष सामान्य अधिकार अभीष्ट आदेश प्राप्त नहीं होता है। वे जब संविधान में एक के बाद एक संशोधन करते जाते हैं तो संविधान दल-गत राजनीति की विसात पर एक मुहरा मात्र बनकर रह जाता है। संविधान को दलीय राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। जब संसद अधिकार राज्य विधानसभाओं को बिना किसी विवाद के संविधान सभाओं का रूप दिया जा सकता है, तो वही आमानी से उनका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। परन्तु इससे उत्पन्न प्रत्यक्ष अधिकार अवशेष बातावरण संविधान की पवित्रता के प्रतिकूल होता है।

इसके व्यावहारिक परिणाम भारतीय संविधान में अब तक किये गए संशोधनों के रूप में देखे जा सकते हैं। पिछले २० वर्षों में संविधान में १६ से भी अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। व्यावहारिक रूप से यह संशोधन प्रतिवर्ष निकलता है। अपने सीतलवाह व्याख्यानों में लेखक ने भारत के संविधान की महत्वपूर्ण समस्याओं का विस्तार से विश्लेषण किया है।

इस अवस्था में यह उपयुक्त होगा कि संवैधानिक संशोधन के फ्रम मे उम नई समस्या का ध्यान रखा जाए, जिसे आई० सी० गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकद्दमे में दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने प्रस्तुत किया है। इस निर्णय का आधारभूत बास्य यह है कि संशोधन करने की शक्ति संसद की सामान्य विधायी शक्ति से निहित है। इस चुनियादी आधार बावजूद के प्रकाश में संवैधानिक संशोधन को भी संविधान के अनुच्छेद १३ (२) में दिये गए पद 'विधि' के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संविधान के अनुच्छेद ३६८ का संबंध केवल प्रक्रिया से है। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बहुमत द्वारा दिये गए निर्णय में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता बल्कि संशोधन के माध्यम से केवल ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो संविधान के चुनियादी ढांचे के अन्तर्गत आते हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय इस सिद्धान्त और दर्शन पर प्रतिपादित हुआ प्रतीत होता है कि मूल अधिकारों के विषय में संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ^{१०} के मुकद्दमे

^६ ए. आई. बार. (२६६७) एम. सी. २६४८

^{१०} ए. आई. बार. (१९५१) एम. सी. ४५८

में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए गिर्दने निर्णय की कटु आलोचना करते हुए प्रधान न्यायाधिपति गुब्बाराव ने इस आधार पर उत्तर निर्णय की तर्कविहीनता पर आश्चर्य प्रकाट किया कि ममस्त समद किसी एक मूल अधिकार में एकमत से न तो मंक्षेपण कर सकती है और न ही उसे कापित से सकती है। परन्तु सभी मूल अधिकारों को समाप्त करने के लिए संसद के बेवल दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इस प्रकार के वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण ममस्या उत्पन्न होती है। यदि संविधान में यह कहा गया है, तो वया उच्चतम न्यायालय ने लिए उपमुक्त है कि यह इस प्रश्न की युक्ति विदीनता का विषेचन करने के लिए बेंठे ?

इस सम्बन्ध में कहना होगा कि यह तर्कसंगता भयवा तर्कविहीनता का प्रश्न पूर्ण रूप से सार्वक नहीं है। बहुमत के निर्णय में और विशेषकर न्यायाधिपति वांचू के विसम्मति निर्णय में यह कहा गया है कि शकरीप्रमाद के निर्णय में संविधान के अधीन संसद की संजोषण संबंधी शक्तियों के धोन-विस्तार का सही मूल्यांकन किया गया है। यदि संसद को यह शक्ति प्राप्त नहीं है तो वह सातवीं भ्रनुमूच्ची की तीसरी मूच्ची में दिये गए विषयों के बारे में प्रस्ताव ला सके, तो यह उस प्रकार से संविधान में संशोधन कर पाने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी जिससे कि संकटकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य समय में राज्य मूच्ची और समवर्ती मूच्ची में परिणामित विषयों को ऐन्ड्रीय मूच्ची में अन्तरित कर सके। न्यायाधिपति वांचू ने उच्चतम न्यायालय के बहुमत के इस निर्णय के आधार वाक्य की ओर संकेत करके कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद ३४८ के अधीन संसद की अवशिष्ट विधायिनी शक्तियों में दी गई है, इसलिए आलोचना की क्योंकि मूलतः संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य विधान समाइओं में निहित होनी चाहिए, और यदि संविधान में इन उद्देश्यों को कार्यरूप दिया गया होता, तो यह तर्क कर पाना असम्भव हो जाता कि राज्य को इन अवशिष्ट शक्तियों में संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल हैं।

गोलकनाथ के मुकद्दमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय से कई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। सबसे पहले, इस सांविधिक विवाद ने कि संविधान के अनुच्छेद १३ (२) के अन्तर्गत आए पद 'विधि' में संवेधानिक संशोधन संबंधी विधायन भी शामिल है, संविधान के अनुच्छेद ३६८ की प्रशंसनीय, तर्कसंगत व उपमुक्त व्याख्या के भाग में बाधा पड़ चाहौ यद्यपि इसका इस समस्या के लिए अत्यधिक महत्व था। इस तथ्य में संदेह नहीं है कि धारा ३६८ के हाशिए में दी गई टिप्पणी में इसे संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया का निर्धारक कहा गया है। परन्तु संविधि के समान संविधान का निर्णयक रूप से प्रवर्तन हाशिए में दी गई टिप्पणियों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह भी निवेदन करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि स्वयं धारा ३६८ में दिखाने के लिए अन्तर्निहित प्रमाद है कि यह संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन की उद्घोषणा भी है। उसमे स्पष्ट भाषा और अभिव्यक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं, [यथा, (१) "संविधान विधेयक के निवन्धों के अनुसार संशोधित हो जाएगा," (२) 'वशते' कि

भारतीय सरकार एवं राजनीति
यदि ऐसा कोई संशोधन—कोई परिवर्तन करना चाहता है' और (३) 'संशोधन का अनुमति
यं भी अपेक्षित होगा।']

इन तीनों अभिव्यक्तियों का यह अर्थ है कि संविधान की धारा ३६८ संशोधन के
लिए प्रक्रिया और शक्ति दोनों का स्रोत है। संविधान की अभिव्यक्ति और निहित रचना
के विषय में यदि बहुमत का निर्णय सिद्धान्त रूप में सही है, तो यह स्वीकार करना उचित और
होगा कि कोई भी संविधान उस समय संविधान में संशोधन करने के लिए विस्तृत और
व्यावेचार प्रक्रिया का विधान नहीं करेगा जबकि संविधान में संशोधन की शक्ति का कही
अस्तित्व होगा। उस प्रस्तुत में यह अभिव्यक्ति प्रासंगिक है कि ऐसा समझना भी आवश्यक
नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति मुश्यवत् रूप से उन तीनों अभिव्य-
क्तियों में दी गई है, जिनको ऊपर उद्धृत किया गया है।

दूसरे, बहुमत के निर्णय में प्रस्तुत किये गए इस प्रस्ताव से कि संसद् द्वारा संविधान
समा का आह्वान किया जा सकता है, जैसाकि न्यायाधिपति हिदायतुल्ला ने सुझाव दिया
है, एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संसद के पास ऐसा कौनसा कानूनी अववा
संविधानिक अधिकार है जिसके आधार पर वह संविधान सभा का आह्वान कर सकती
है। भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वह किन्तु परिस्थितियों में
संसद् को यह अधिकार अववा शक्ति प्रदान की गई हो कि उपचान्द्र नहीं है, तो भारत के लोग
अववा निवन्धनों के अधीन संविधान सभा का आह्वान कर सके। संसद् स्वयं संविधान
ही अपने आपको कोई संविधान अधिकार नहीं की गई है। यदि बहुमत के निर्णय को सही
स्वीकार कर लिया जाय तो यह बात और भी अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है कि
संविधान में इसके संशोधन की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा प्रस्ताव तो बहुमत के
निर्णय के आधार पर ही परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। संविधानिक प्रयोगों के विश्व
इतिहास के पर्मे पलटने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे संदर्भ में लोग संविधान के
निर्माण के लिए लोकप्रिय और प्रतिनिधि-सम्मेलन को आयोजित करते हैं जिसका सम्मेलन
द्वारा किये हुए प्रतिनिधित्व के आधार पर संघठन किया जाता है। अति के मार्ग से
भिन्न संविधान के निर्माण अववा संशोधन की वह संविधानेतर विधि है, जो संविधानिक
विधि के दोनों की अपेक्षा राजनीति के क्षेत्र में अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

इस निर्णय से जो तीसरी समस्या उत्पन्न होती है, वह भारतीय संविधान के "वुनियादी
दंडे" और उस "दंडे के भीतर रहते हुए संविधान में किए जाने वाले परिवर्तन परिवर्द्धन" में
मेद करने के प्रयास की है—बहुमत के निर्णय में इन दोनों में मेद करने का प्रयास किया गया
है। यहाँ भी संविधान का मनुष्योदय ३६८ हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है।
मनुष्योदय ३६८ का पहला पंरा "इस संविधान के संशोधन" की सुप्पष्ट अभिव्यक्ति से
भारतम् होता है। दूसरे पंरा में उपर्यंत्रा (क), (ख), (ग), और (द), में उल्लिखित
पूर्व विभिन्न वारों के संशोधन के लिए भपवाद निश्चित किये गए हैं जिनके लिए राज्यों

की विधान सभाओं के अनुसमर्थन की अपेक्षा होगी। अतः संविधान के बुनियादी और गैर-बुनियादी उपवन्धों के आधार पर अन्य किसी प्रकार का भेद न्यायीचित् प्रतीत नहीं होता। चौथी और अन्तिम समस्या यह है कि संविधान में जिन अधिकारों को 'मूल' कहा गया है, उन्हें इसी विष्णेपण के आधार पर संविधान की पहुँच के बाहर नहीं समझा जा सकता। मूल अधिकार तो संविधान की ही देन है। संविधान ने जो कुछ दिया है, तथ्यत यह अर्थ नहीं है कि इनमें संवैधानिक हृष्टि से कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस संविधान में संवैधानिक विधि से संशोधन नहीं किया जा सकता, वह तो क्रान्ति के लिए खुला निमन्त्रण है। संविधान की ऐसी व्याख्या का, जिससे कि संविधान में संशोधन असम्भव हो जाए, तभी आश्रय लिया जाना चाहिए, जबकि उसकी अन्य सभी व्याख्याएँ निष्फल हो चुकी हों जैसाकि इस मामले में नहीं था। यदि संविधान में बड़ी आसानी से संशोधन किया जा सकता है, तो उससे अनिश्चितता-असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। परिवर्तनीय संविधान और सुगमता से परिवर्तनीय संविधान की इन दोनों चरम स्थितियों के बीच भारतीय संविधान की धारा ३६८ में ऐसे मध्यम मार्ग को अपनाने का प्रयास किया गया है जिसमें संशोधन में संशोधन न तो आसानी से किया जा सकता है और न कठिनाई से। इस प्रक्रिया के अपने कुछ दोष हैं जिनकी ओर लेखक ने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सीतलवाड़ व्याख्यान में संकेत किया है। किसी भी प्रकार से इन दोषों का निवारण किया जाना चाहिए। परन्तु विचारणीय यह है कि संविधान में कहीं यह दोष तो नहीं है कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का ही अधिकार न हो। उस हृष्टिकोण से पवित्र मूल अधिकारों की व्यवस्था का विचार ही संविधान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

प्रस्तुत लेख में निर्णय के इस सिद्धान्त के विषय में चर्चा करना आवश्यक होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने विगत पूर्वोदाहरणों (निर्णयों) के भविष्य प्रभावी प्रति-आदेशन के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। फिर भी एक बात स्पष्ट है। यदि भारत के संविधान की व्याख्या के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्वोदाहरणों को विशेषकर मूल अधिकारों और संवैधानिक संशोधनों को परवर्ती निर्णयों से प्रत्यादिष्ट किया जाता है, तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि विगत पूर्वोदाहरण को प्रत्यादिष्ट करना मतैक्य के आधार पर नहीं हो पाता तो इसके समर्थन में पूर्ण और स्पष्ट बहुमत तो होना ही चाहिए। गोलकनाय के मामले में दिया गया निर्णय हमारे सामने एक असमंजसपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करता है। इस मामले के निर्णय के लिए ग्यारह न्यायाधीशों का न्यायपीड़ बनाया गया। निर्णय के पक्ष में वहमत में छः न्यायाधीश थे—प्रधान न्यायाधिपति सुन्दराच, हिदायतुल्ला, न्यायाधिपति शाह, सीकरी, शैलट और वैद्यलिंगम। इसके विरोध में अल्पमत में पाँच न्यायाधीश थे—न्यायाधिपति चांदू, रामास्वामी, वचावत, मित्र और मार्गव। इसका परिणाम यह हुआ कि पाँच के मुकाबले में छः मतों से उच्चतम न्यायालय ने ऐसी महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या का समाधान कर लिया कि इस विषय पर संविधान व्यावहारिक रूप से असंशोधनीय होकर रह गया है और उस प्रयोजन के लिए पिछले पूर्वोदाहरणों को प्रत्यादिष्ट किया

जा सकता है। किसी देश के संविधान को इस प्रकार के सांयोगिक मत पर तो निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि संविधान की धारा ३६८ में सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत में उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत और भारत के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की व्यवस्था की गई है, तो स्पष्टः इस बात का कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को संविधान में इस प्रकार से अव्यवस्था उत्पन्न करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाए। यह मुकाबला दिया गया है कि यदि सर्वधानिक विधि के मत को गत पूर्वोदाहरणों के परवर्ती निर्णयों से प्रत्यादिष्ट किया जाना है, तो इस प्रकार का प्रत्यादेश या तो एकमत से किया जाना चाहिए अथवा उसके पक्ष में उस प्रश्न का निर्णय करने वाले तीन-चौथाई न्यायाधीश होने चाहिए। यदि आवश्यकता हो, तो संविधान में संशोधन कर इस आशय की व्यवस्था की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से लेखक का यह विचार है कि यदि कभी ऐसा प्रश्न विचारणीय हो, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायपीठ में हों और वे या तो सर्वसम्मति से उस प्रश्न का निर्णय करें अथवा तीन-चौथाई बहुमत से।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त

एच० एम० सीखाई

प्रस्तुत लेख में चौबीसवें, पचासवें और उन्तीसवें संवंधानिक संशोधनों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विवादों अथवा उक्त निर्णयों में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के संदर्भ में अपनाये गए हिट्टिकोए पर चर्चा नहीं की जा रही है। अपवादस्वरूप यह अवश्य स्पष्ट किया जा रहा है कि धारा ३१ सी का वह क्रियात्मक भाग, जो धारा ३६ व उपधारा वी तथा सी में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को धारा १४, १६ व ३१ की तुलना में प्रायसिकता देता है, ७-६ के बहुमत से वैद्य घोषित किया गया है, यद्यपि वह उपवन्ध (proviso) जिसके अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधानमंडल की घोषणा को निर्णयिक माना जाता था, ७-६ के बहुमत से अवैद्य घोषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के १३ न्यायाधीशों में से ६ का हस्ताक्षरयुक्त यह निर्णय स्पष्टः गलत है। ऐसा इसके कारण नहीं है वल्कि इसने जो कुछ नहीं कहा है उस कारण है। यह कहना सही है कि धारा ३६८ में प्रयुक्त शब्द संशोधन की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति खजा ने यह कहा कि इसके अन्तर्गत संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं किया जा सकता अर्थात् लोकतात्त्विक सरकार समाप्त नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप ७-६ के बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने यह स्थिति स्वीकार करली जो कि न्यायालय के आदेश का दूसरा भाग है। न्यायमूर्ति खजा सही थे या गलत यह वर्तमान चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने निकाय संख्या ७ में यह मत भी व्यक्त किया कि मूल अधिकारों का कोई भी भाग इस आधार पर संशोधन-प्रक्रिया से बचाव का दावा नहीं कर सकता— वयोकि वह उस अधिकार का सारतत्त्व अथवा मूल आधार है। संशोधन की शक्ति अपने में कुछ जोड़ने, परिवर्तित करने अथवा विविध धाराओं को रद् करने की शक्ति भी रहेगी। निष्कर्ष संख्या ८ में उनका मत था कि सम्पत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढाँचे

का भाग नहीं है। इस प्रकार ७-६ के वहुमत से यह निर्णय भी दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है अथवा रद्द किया जा सकता है। यदि न्यायालय के आदेश में वह निष्कर्ष सम्मिलित किया जा सकता है जिससे न्यायमूर्ति खद्दा की सहमति थी, तो यह भी उतना ही आवश्यक था कि उनका वह दूसरा निष्कर्ष भी उसमें सम्मिलित किया जाता, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। लेखक का मत है कि वे चारों न्यायाधीश, जिन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए, स्पष्टतः सही थे। यह आदेश इस आधार पर गलत है क्योंकि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर सात न्यायाधीशों की सहमति थी और वह निष्कर्ष यह था कि मूल अधिकारों में कुछ जोड़ कर, परिवर्तित कर अथवा रद्द कर संशोधन किया जा सकता है।

इस अभिव्यक्ति के पश्चात्, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर चर्चा की जा सकती है। सही चित्तन की पूर्वावश्यकता के रूप में संतुलन की भावना बनाए रखनी चाहिए। इधर कुछ समय से हम यह बड़ी रुचि से कहते हैं कि हमने 'पुलिस राज्य' (एक अशतः अनुपयुक्त प्रयोग) के स्थान पर जनकल्याणकारी राज्य (welfare state) की स्थापना कर ली है। लेकिन यह सिद्धान्त कि जन-कल्याण सर्वोच्च नियम है, निश्चित रूप से उतना ही प्राचीन है जितना कि रोम निवासी, बल्कि उसमें भी प्राचीन क्योंकि प्रस्तुत लेटिन उक्ति 'सिलुस पोपुलाई एस्ट सुप्रीमा लेक्स' (जनता का कल्याण सर्वोच्च नियम है) इसी भावना पर आधारित था। रोम के महानतम् अंग्रेज इतिहासज्ञ ने अपनी कृति 'डिक्लाइन एण्ड फॉल' में यह लिखा है कि रोम के इतिहास में मात्र ५७ वर्षों की अवधि ही ऐसी थी जिसमें वहाँ के शासकों ने जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखा। वे शासक थे मार्कुस औरेलियस व उसका पिता वाकी का समय, उसके अनुसार, मानवता के दुर्भाग्य, चुटियों और अपराधों के वृत्तान्त का इतिहास था। इसका स्मरण करना आवश्यक है क्योंकि ऐडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, तथा हर्बर्ट जैसे महापुरुषों ने अपने जीवनकाल के दौरान यह सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जो उनकी हृष्टि में जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थे। हमारे द्वारा अस्वीकृत अहस्तक्षेप के सिद्धान्त (laissez faire theory) ने उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की। लेकिन उन सफलताओं ने शीघ्र ही उस व्यवस्था में निहित बुराइयों पर भी ध्यान आकर्पित कर दिया, उन्हें उमार कर प्रस्तुत कर दिया। यदि ये सिद्धान्त विफल रहे तो इसका कारण यह नहीं था कि जन-सेवक उनके प्रति समर्पणभाव नहीं रखते थे, इसका वास्तविक कारण यह है कि ये सिद्धान्त सामाजिक व राजनीतिक जीवन के यथार्थ से मेल नहीं खाते थे। इस संदर्भ में लेखक को अपने मित्र थी गर्ग के राजनीतिक दर्शन का स्मरण हो आता है लेकिन तथ्य यह है कि किमी भी साम्यवादी कान्तिकारी ने इस सिद्धान्त के महत्व को कम नहीं किया बल्कि ऐसा एक शांत व गम्भीर केम्ब्रिज विद्यार्थी द्वारा किया गया जिसका नाम था जे० एम० कीन्स। कीन्स ने पूँजी, धन व रोजगार से सम्बन्धित अपने महान् कार्य में संदान्तिक रूप से यह स्थापित किया कि अनैच्छिक वेरोजगारी (involuntary unemployment) की मात्रा काफ़ी है और

उनके इस पुस्तकीय सिद्धान्त की कालांतर में उस समय पुष्ट हुई जब अमेरिका में वह महान् आर्थिक सकट उत्पन्न हुआ जो १९२९ से लेकर १९३३-३४ तक रहा।

भाल्फुस द्वारा कही गई एक बात, जिसे मुविहायात अर्थशास्त्रियों ने मूर्खतापूर्ण अथवा घेहूदी कह कर अस्वीकार यार दिया अतः सही सिद्ध हुई। उसने यह प्रश्न किया कि सामान्यतः आधिक्य की स्थिति में यदि अर्थ-व्यवस्था निपिक्ष्य रही तब क्या होगा? एडम स्पियर की स्वतः सार्वजनिक युक्त व्यवस्था विफल हो गई, विविध अनुमानों के अनुसार बेरोड़-गारी ६० लाख से बढ़कर १ करोड़ ३० लाख अथवा १ करोड़ ८० लाख तक पहुँच गई। इस आर्थिक सकट ने जो एक सबक दिया वह यह कि एक बेरोड़गार व्यक्ति को उसकी इस प्रकार की स्थिति के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है या यह क्यन भी अवाक्षीप है कि जो मेहनत करे वह इनाम पाए और जो काम न कर सके वह भूखा मरे। ऐसा इसलिए व्योकि कई लोग ऐसे थे जिनके पास अनेक कौशल विद्यमान थे, जो काम करने योग्य थे, काम करना चाहते थे लेकिन उनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था। इस स्थिति ने लोगों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि अन्तः यह समाज का दायित्व है कि वह उनके (जनता) लिए काम उपलब्ध करे। यदि यह अमेरिका जैसे महान देश के लिए सही है तो यह उन विकासशील देशों के लिए भी सच है जो साधन व तकनीकी अमता की हाईट से पिछड़े हुए हैं। संक्षेप में, यह लोककल्याणकारी राज्य (welfare state) का उद्देश्य यह देखि कि वह ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध हो सके और यदि ऐसा न हो तो राज्य तदनुस्तम्भ कार्यवाही करे। कीनस के इस सिद्धान्त ने राज्य को प्रेरित किया कि वह निपिक्ष्य अर्थ-व्यवस्था को गति प्रदान करे और जब वह गतिशील हो जाए तो वह पुनः पार्श्व में चला जाए ताकि आवश्यकतानुसार वह पुनः हस्तक्षेप कर सके।

अब हमें अनिवार्यतः इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए। व्योकि देश ने राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत जिन सामाजिक लक्षणों को निर्धारित किया है, हमारी उनके प्रति आस्था है। भारत के अत्यधिक बुद्धिमान एवं लोकमानायुक्त समूह सर वी. एन. राव, जो एक महान् सरकारी कर्मचारी, विशिष्ट संवैधानिक न्यायविद्, कलकत्ता उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में काफी श्रम व समय लगाया। इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने यह कहा कि संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धान्तों को प्रमुखता दी जानी चाहिए अन्यथा अत्यधिक उपयोगी व्यवस्थापन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान के अन्य निर्माताओं ने उनकी इस कुशल सलाह को नहीं माना और उन्होंने काफी सीमित दायरे में इसे स्वीकार करते हुए पारा ३१(४) व (६) में उल्लेख भाव ही किया जो भूमि सुधारों से सम्बन्धित थी। इन कथित भूमि सुधारों को साने के लिए कांग्रेस भाज प्रतिशत प्रतिवद थी। बाद में घटित होने वाली घटनाओं के प्रकाश में इतिहास-लेखन का प्रयास अप्रारंभिक है लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की तब पुष्ट हुई जब संविधान का प्रयास संशोधन पारित हुआ और

अनुसूची IX में धारा ए ३१ ए एवं ३१ बी जोड़ी गईं। यह प्रथम प्रयास था। इसके उपरात प्रतिफलतः संविधान के चौथे संशोधन ने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए न केवल कृपि सुधारों को ही उसमें समाहित किया बल्कि व्यवस्थापन के माध्यम से औद्योगिक सुधारों की भी व्यवस्था की। इसमें देशी कम्पनियों की तानाशाही को नियन्त्रित किया गया और खानों व स्थानिज साधनों को नियमित किया गया। अब यह स्पष्ट है कि चाहे मूल अधिकारों को न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है और निदेशक सिद्धांतों को नहीं, फिर भी देश के शासकों का यह आशय था कि इन सामाजिक लक्ष्यों के प्रति उदासीनता न दर्शाई जाय।

जैसाकि प्रथम संशोधन के अवसर पर उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और वह उसके किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, जब तक ऐसा होता है तब तक यह प्रश्न काफी अंशों में महत्वहीन हो जाता है कि निदेशक सिद्धांत प्रमुख है या वरीयता के ऋम में द्वितीय क्योंकि संसद ने उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से (जैसाकि प्रथम, चौथे व सत्तरहवें संशोधनों में हुआ) सदा निदेशक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है। अतः संविधान निर्माताओं ने उसे प्राथमिकता दी अर्थात् नहीं, इससे सम्बन्धित समस्त विवाद अनुपयोगी होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि स्वयं काँग्रेस दल इस संबंध में विभाजित था। हम वड़े कठिन दौर से गुजर रहे थे। हमने सफलतापूर्वक विभाजन के परिणाम भेजे तथा लोग अपनी क्षमता से अधिक और विवाद साधने के लिए उत्सुक नहीं थे।

गोलकनाथ के मामले ने एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी। लेखक के विद्वान् मित्र श्री गर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक इस सम्बन्ध में उसकी आलोचना का उल्लेख किया है। यह आलोचना इस मामले पर दिये गए निर्णय के ढाई माह बाद की गई थी। यद्यपि मेरे लिए यह कहना अनुपयुक्त है, फिर भी उच्चतम न्यायालय के नी न्यायाधीशों का निर्णय न केवल मेरी आलोचना की सत्यता ही प्रभासित करता है बल्कि उसके समूचे आधार की भी पुष्टि करता है। वह आधार यह था कि यह विचार कल्पनातीत है कि संशोधन शक्ति एक अवशिष्ट धारा (residuary article) में निहित हो और इस प्रकार वह एक व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति हो सकती है। लेकिन यह निर्णय देने के बाद एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ जिसे किसी भी संसद द्वारा नहीं टाला जा सकता था। स्वर्गीय श्री नाथपाई ने अपने गिरते स्वास्थ्य और हृदय रोग के बावजूद इस दिशा में समर्पित प्रयास किए और संसद की सर्वोच्चता को पुनःस्थापित करने संबंधी विधेयक सदन में रखा। एक बैठक स्मरणीय है जहाँ स्वर्गीय श्री नाथपाई ने यह कहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने संबंधी प्रयास १६६५ में और उसके बाद १६६५ में यह कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है तब उस समय तो किसी ने यह नहीं कहा कि देश बर्दाही हो रहा है या हो जाएगा, अब जब संसद यह तय करने के लिए संशोधन का विकल्प चुन रही है तो कौमा शोर मनाया जा रहा है? किसी के पास इसका वास्तविक उत्तर नहीं था। लेकिन मत्तामृद्द दल में व्याप्त मतभद्रों और शांतिलाल भंगलदास के मामले में न्यायालय के

निर्णय (जिसमें अधिकार की तारीख में द वर्ष पूर्व निर्धारित मूल्यदर को उचित बताया गया था) के कारणावश इस विवेयक को स्वीकृत करना पड़ा। यह थोड़ा मनोरंजक प्रतीत होता है कि कोपला निगम, चीनी निगम आदि यकायक घासियाँ स्वतन्त्रता व वैचालिक स्वतन्त्रता के प्रति उत्साही ही गए। यस्तुतः इसके मूल में सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित प्रश्न निहित थे और यह बहाना व्यवहार किया कि उनकी योजनाओं में सम्पत्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। एक न्यायाधीश द्वारा यह गुहाघन कहा गया कि मेरी समस्त पुस्तकों सम्पत्ति के केन्द्रीकरण या प्रतिनिधित्व करती है। वह यह विश्वास कर गए कि पुस्तकों मेरे कार्य का बैसा ही आजार है जैसे कि किसान के आजार होते हैं जो न्यायालय के आदेश के बावजूद आसक्ति से मुक्त होते हैं। लेकिन वैसा राष्ट्रीयकरण के मामले ने और उसके बाद प्रिवीरसं के मामले ने इस समस्या को बड़े विकट रूप से प्रस्तुत किया।

अब हमें उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के प्रकाश में, जिसमें उसने पारा ३१ सी के कार्यकारी (operative) भाग की पुष्टि की थी, यह देखना होगा कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों की व्या भूमिका है? भारत जैसी स्वतन्त्र व लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक को यह अधिकार है कि वह निर्भीकता से किसी भी निश्चित सरकारी नीति की आलोचना कर सकता है या उसे गलत ठहरा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लब्धप्रतिठित न्यायविद् भी अवसर प्रस्तुत दो प्रश्नों में अंतर नहीं कर सके हैं। वे प्रश्न ये हैं—क्या सप्तद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति है? और, क्या यह संमद, के लिए उचित है कि वह इस शक्ति का प्रयोग करे? प्रयम प्रश्न का उत्तर अनिवार्यतः उसकी सामर्थ्य के सदर्भ में देना होगा। द्वितीय प्रश्न के उत्तरस्वरूप यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र जनता को अपना भत व्यक्त करने का अधिकार है। यद्यपि यह कहता एक फैशन-सा ही गया है कि कोई कभी मुनता ही नहीं, किन्तु यदि सत्तरहवें संशोधन के द्वारा एक परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाए, अथवा मूल अधिकार कानून द्वारा लाये गए परिवर्तनों को देखा जाए (जिसमें निजी काप्तनियों के लिए किये गए अधिकारों को छोड़ना पड़ा) तो यह जात होता है कि संसदीय प्रक्रिया अभी भी सही रूप में गतिशील है, विवेक को अभी भी मुना जा सकता है और मुना जाता है यद्यपि उसकी उपेक्षा भी को जा सकती थी।

मुक्तिव्यापात लेखकों, जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी ने उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए दोहरी ढहराया है कि २५ वें संसदीय से पूर्व-उसकी यह मान्यता थी कि मूल अधिकारों व निदेशक सिद्धान्तों के बीच किसी संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार अनिवार्यतः सुरक्षित रहने चाहिए। प्रो० त्रिपाठी जैसे विवात व्यक्ति के भत का सम्मान तो होना चाहिए लेकिन इन पक्षियों के लेखक की यह धारणा है कि यह आलोचना असंगत है। इसका एक सहज उदाहरण इस प्रकार है। केरल शिक्षा विवेयक के मामले में एक पारा के प्रत्युत्तर यह व्यवस्था थी कि यद्यपि अल्पसंख्यक समुदायों को विद्यालय खोलने का अधिकार था, किंतु भी उन्हें इस बात का निर्देश दिया जा सकता था कि वे नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यह निर्देश राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर आधारित था जिसके अनुसार

निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है। इन दोनों स्थितियों में सदृशाव कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः दोनों में प्रत्यक्ष संघर्ष था और वह संघर्ष यह था कि यदि विना फिरी धनांजन के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी पड़ी तो अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया बहुमूल्य अधिकार व्यर्थ हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दाता का यह कथन था कि प्राथमिक शिक्षा को नि शुल्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य ऐसा करना चाहे तो तत्परतावाली अनुप्राप्तिक राशि उन अल्पसंख्यक संस्थाओं को देकर भी शिक्षा को नि शुल्क बना सकता है। अतः निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों का उपबन्ध (proviso) मानना सही नहीं है क्योंकि यद्यपि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त अन्य देशों में शासन की दृष्टि से आधारभूत थे, उन्हें यही अवाद्योग्य (non-justiciable) बनाया गया। किंतु भी उन्हें वह मूल अधिकार का उपबन्ध मानना, जो कि वाद्योग्य है, उन्हें वह भावना प्रदान करना होगा जो निदेशक सिद्धान्तों का भंतव्य नहीं था।

एक सणोधनकारी धारा का सम्पूर्ण उद्देश्य यह होता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा यह प्राथमिकता निर्धारित की गई थी। ठीक है, हमें हमारे समाज के संचालन का अनुभव है। पुराने मूल्य बदल रहे हैं, हमारे विचार परिवर्तित हो रहे हैं, हम एक नए दर्जन को प्रभावी बनाना चाहते हैं। आप यदि चाहे तो अल्पसंख्यकों के अधिकार भी ले सकते हैं। अतः ससद द्वारा अनुत्तरदायी रूप से व्यवहार करने के स्थान पर एक उपबन्ध जुड़ा हुआ मिलेगा जिसके अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं को विना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देते हुए, उनके सम्पत्ति-अधिग्रहण द्वारा उन्हें शंक्षणिक अथवा किसी अन्य प्रकार की गतिविधि से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की शक्ति अवश्य निहित है, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। शक्ति का होना एक अलग बात है और उसका प्रयोग विल्कुल दूसरी।

यदि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाए तो यह जात होता है कि केवल दो धाराएँ ही हैं जिनमें कानून को इंगित किया गया है। इनमें से एक धारा ४३ है जो रहने योग्य भजदूरी दर व औद्योगिक श्रम की स्थितियों से सम्बन्धित है। दूसरी धारा का एक समान नागरिक कानून संहिता से सम्बन्ध है। शेष अन्य के लिए न तो "विधि" शब्द का प्रयोग हुआ है और न उसके निहितार्थ का ही आभास होता है। इसका कारण सहज स्पष्ट है। ये निदेशक सिद्धान्त विविध राज्यों की सरकारों को सम्बन्धित किये गए थे और उनसे इन्हें लागू करने का अनुरोध किया गया था। इनमें से अनेक तो कार्यपालिका के निर्णय द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते थे और उनके सम्बन्ध में व्यवस्थापन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब यह बारम्बार कहा जाता है कि एक समान नागरिक कानून संहिता राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य है। मेरे विचार से समस्या को अतिसरलीकृत कर प्रस्तुत किया जाता है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। मुस्लिम कानून के बसीयती उत्तराधिकार के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति के एक-तिहाई भाग से अधिक

किसी अजनबी को तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसके उत्तराधिकारी उसको तरम्भन्धी अनुमति न दे दे। हिन्दू, पारमी प्रोट ईमाइ वर्मीषनी उत्तराधिकार कानून के प्रत्यर्गत असीमित वसीयत का अधिकार है। एक व्यापित अपनी सम्मूर्ख सम्पत्ति अपनी प्रेमिका को सौप सकता है और फलस्वरूप उसकी पत्नी व तीन-चार बच्चे वंचित रह सकते हैं। ऐसा अन्य देशों में भी हो चुका है और वही इसमें बनाव के बुद्ध उपाय किये गए हैं। मुसलमानों ने इस सम्बन्ध में एक-तिहाई में अधिक की छूट नहीं दी है। अब एक समाज नागरिक कानून सहित में कौन सी व्यवस्था स्वीकार की जाए—मुसलमानों की, हिन्दुओं की, पारमियों की अथवा ईमाइयों की?

इंग्लैण्ड में न्यायाधीशों की यह शक्ति दी गई है कि वे प्रत्येक भागों के श्रीवित्य पर विचार करते हुए यह स्थिर करें कि वया कोई वसीयत और उसमें पत्नी व बच्चों के लिए निर्धारित सम्पत्ति पूर्णतः अस्वीकार कर दी जाए और यदि नहीं तो उसका कौन सा भाग अस्वीकृत किया जाए, किन्तु अंशों में? न्यायालयों से परिचित कोई भी व्यक्ति और स्वयं अध्यक्ष महोदय इससे सहमत होंगे कि 'विवेकाधिकार' एक व्यापक गद्द है और यह प्रत्येक न्यायाधीश व न्यायालय पर पृथक् रूप से निर्भर करता है। यद्यही में एक रिट याचिना प्रस्तुत करने में द्य: सप्ताह का विलम्ब घातक है जबकि इलाहाबाद में इस सम्बन्ध में अनेक माह का विलम्ब भी घातक नहीं है। अतः आप वया चाहेंगे—विना किसी विवेकाधिकार के मुसलमानों की मांति पूर्वनिर्धारित एक-तिहाई भाग या पूर्ण विवेकाधिकार? इस प्रकार विविध समुदायों के लिजी कानूनों की सर्वथे छताओं को घटाकर, उनके स्थान पर यात्रिक एकरूपता कायम करके एकता नहीं अर्जित की जा सकती। व्यवस्थापिका सम्बन्धी निर्णय में जब एक कानून अवैध अथवा अनंतिक होता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है। हिन्दूवाद में ऐसे कानूनों की उपेक्षा की गई है और ऐसे मुस्लिम कानून भी उपेक्षा योग्य हैं। लेकिन उत्तराधिकार अथवा विरासत सम्बन्धी अधिकार मूलतः जनता से सम्बन्धित होता है। किसी एक व्यवस्था में कोई निश्चित वात अच्छी होनी है तो दूसरी में कोई दूसरी वात। यदा उन दोनों को छोड़ा जा सकता है? क्योंकि यदि जनता को विविध धर्मों के प्रति सहिष्णु बनाना है तो वया अल्पसंघक वर्य के तीर्त्तरीकों को छोड़ा जा सकता है? यह एक वास्तविक और जटिल समस्या है।

लेकिन यह परिवर्तनशील है। एक पारसी होने के नाते मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। १८६५ में हमने व्यवस्थापिका से यह अपील की कि बहुविवाह प्रथा समाप्त की जाए। एक सौ वर्य के उपरान्त यह हिन्दुओं के लिए भी समाप्त हो गई। जब हमने कहा कि "कृपया इस पर रोक लगाइये," तो व्यवस्थापिका ने कहा, "ठीक है, यदि आप नहीं चाहते तो हम इसे समाप्त कर देंगे।" इस प्रकार बहुविवाह प्रथा पर रोक लगादी गई। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है।

एक स्वतन्त्र समाज द्वारा सामयिक राजनीतिक विवादों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वे हमारी विचारशक्ति को कुंठित करने लगें। न ही हमें उस प्रत्येक रामबाण उपाय को स्वीकार ही कर लेना चाहिए जो कि सतही तौर पर आकर्षक प्रतीत होता है।

स्वतन्त्र समाज और उन्मुक्त चित्तन, जिस पर उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने वालों ने सर्वाधिक बल डाला है, का सीधा अर्थ यह है कि चित्तन प्रचलित फैशन से से दूर हो और वह 'दक्षिण' अथवा 'वाम' के इदं-गिरं न घूमे।

निदेशक सिद्धान्तों पर पुनः चर्चा केन्द्रित करते हुए यह जानना आवश्यक है कि वे क्या कार्य हैं जो पच्चीसवें संशोधन से पूर्व व उसके बाद उन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए आवश्यक है? संशोधन से पूर्व सभी श्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन को राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का हवाला देकर उचित ठहराया जाता था। न्यूनतम भजदूरी दर, शॉप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेंट कानून, काम के घन्टों का नियमन, बोनस का भुगतान व अनिवार्य बोनस सभी निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत इस आधार पर न्यायोचित ठहराये जाते थे कि किसी भी उस विधेयक को अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसे ये निदेशक सिद्धान्त सरकारी दायित्व घोषित कर दें और जिनके प्रति सरकार से यह अपेक्षा हो कि वह उन्हें प्रभावी बनाएं।

द्वितीय, औपचारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त नशाबन्दी लागू करने के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का दो तरह से प्रयोग हुआ। प्रथम तो 'शराव' शब्द को व्यापकतम अर्थ देने के लिए इसका प्रयोग हुआ। कोई भी वस्तु जिसमें आधा प्रतिशत भी मद्य हो और जो साधारणतः निदेशक सिद्धान्तों की हृष्टि में शराव की श्रेणी में नहीं आता, उसे शराव माना गया। समान रूप से, जब राज्य सरकार ने मद्यावान् औपचारियों के निर्माण पर रोक लगादी तो इस कार्य को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया क्योंकि स्वयं निदेशक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि औपचारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त मद्यनियेध लागू करना है।

उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत सर्वाधिक विवादास्पद मामलों में से एक गौ-सुरक्षा से सम्बन्धित था। यह मामला विवादास्पद इसलिए था क्योंकि गाय के प्रति अद्वा व आस्था ने इस विषय में प्रबल धार्मिक भावनाओं को स्थान दे दिया था, अन्यथा समस्त मामला मात्र कानूनी व राजनीतिक था। निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित एक धारा में पशु-पालन की व्यवस्था है और उसी संदर्भ में गौ-वैध नियेध व अन्य दूध देने वाले जानवरों के पालन-पोषण की व्यवस्था की गई है। मेरी हृष्टि में मुख्य न्यायाधीश दास ने इस प्रकरण की उपेक्षा कर बुद्धिमानी का परिचय दिया यद्यपि उन पर निदेशक सिद्धान्तों के प्रति नासमझी का आरोप लगाया जाता है। उन्होंने ऐसा इस विधि से किया जो यद्यपि कानूनी हृष्टि से तो पूर्णतः संतोषप्रद नहीं था लेकिन उसके अपने परिणाम अवश्य निकले। गाय के इदं-गिरं एक जाहुई घेरा सीधे दिया गया। अपनी निवंलता के कारण गाय जो कम मात्रा में दूध देती थी और जिस सहज इच्छा से लोग उसको मार डालने के लिए तत्पर थे, उस स्थिति में उसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसलिए चाहे गाय की उम्र कुछ भी क्यों न हो, वह कौसी भी यातनाएँ क्यों न भेले, यह तप किया गया कि उसके वैध का नियेध किया जाय। लेकिन यह सीमा गाय तक ही खीची गई। अन्य जानवर तक तक तो नहीं मारे जा सकते थे जब तक वे दूध दे सकते थे तदुपरांत उनका वैध किया जा सकता था। यह चौंकाने वाली बात है। हम प्रारम्भिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति ५ रु० व्यय करते

है जबकि अनुपयोगी मदेशियों के जीवन पर हम प्रति मदेशी १६ न० ग्रन्च करते हैं और इसके बावजूद ये मदेशी उपयोगी तो नहीं ही होते यहिं विकलांग ग्रन्थ रोग ग्रन्त और हो जाते हैं। अतः उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि व्यक्तियों की इस प्रकार उपेक्षा की जाए। उनका यह आश्रह था कि अल्प धन को जिन प्रकार किनहाल ग्रन्च किया जा रहा है, उसका बैसा व्यय रोका जाय। द्वितीय, उन्होंने यह कहा कि भारत में साथ और पौष्टिक आहार की ममस्या काफी गम्भीर है। गरीब लोगों के लिए प्रोटीन की मर्वायिक मात्रा सबसे सस्ती दर पर सुधर के मांग में उपचार होनी है और इसलिए एक ऐसे देश में जहाँ पौष्टिक आहार का इतना अभाव हो, सुधर के मांग के प्रयोग को सहजतापूर्वक छोड़ नहीं जा सकता। तृतीय, उनका यह भी कहना था कि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बेरोजगार हैं और एक निदेशक मिदान्त यह भी है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाएं जिसमें लोग कमा-दा मंके। अतः न्यायाधीश दाग पर आरोप लगाने के बदने आवश्यकता इस बात की है कि निदेशक सिद्धान्तों में सद्भाव स्थापित किया जाय, जैसाकि स्वर्य उनका भी प्रयाम था। उन्होंने निदेशक सिद्धान्तों को उलझाया नहीं। उनका यह आश्रह नहीं था कि गाय का वध किया जाए लेकिन यह साध्य निदेशक सिद्धान्तों की विना किसी गमन व्याख्या के उपचार किया गया।

एक निदेशक सिद्धान्त का दूसरे में स्वर्य उत्तम हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यह प्रश्न संदर्भान्तर की नहीं है। यह एक न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हुआ था। एक ग्राम-पंचायत की स्थापना की गई थी। और न्यायिक शक्ति एक कार्यकारी परिपद को सौप दी गई थी। धारा ४० के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत की स्थापना वैध है। इसको चुनीती दी गई क्योंकि इसका धारा ५० से टकराव था। धारा ५० में यह व्यवस्था है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक् होनी चाहिए। इस समस्या का कैसे समाधान किया जाता? न्यायालय ने सही रूप से इस समस्या का समाधान इस आधार पर किया कि निदेशक सिद्धान्त प्रवृत्तीय (enforceable) नहीं है। यदि उद्देश्य के अनुसार ग्राम-पंचायत की स्थापना कर दी गई और यदि व्यवस्थापिका ने उसे कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों की शक्तियाँ प्रदान कर दीं तो न्यायालय इसमें से किसी को भी वैध नहीं ठहरा सकता क्योंकि ऐसा करने का ग्रन्थ निदेशक-सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना होगा जबकि सविधान की धारा के अनुसार वे अप्रवर्तनीय हैं। अतः एक निदेशक मिदान्त का दूसरे से स्वर्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य यह निर्णय ले सकता है कि वह पहले को क्रियान्वित करेगा, दूसरे को या किसी को भी नहीं। लेकिन यदि वह राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को विलकूल क्रियान्वित नहीं करता तो जैसाकि डा० अम्बेडकर ने कहा था कि आगले चुनावों में जनता चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से यह प्रश्न करेगी कि “आपने सविधान में तो यह सब अच्छी बातें कही हैं लेकिन आपने उनके विर्य में क्या किया?” अतः यह अंकुश राजनीतिक व नीतिक था न कि कानूनी।

चारों अंतरों के भाईयम में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों व मूल अधिकारों के सम्बन्धों के स्वरूप के प्रश्न की उपेक्षा कर दी।

वच्चेलु के मुकद्दमे में एक संवेधानिक वैच के अध्यक्ष पद से निर्णय देते हुए न्याय-मूर्ति श्री मुद्वाराव ने यह भत व्यक्त किया कि धतिपूर्ति की पर्याप्तता के विषय से सम्बन्धित विवाद में नहीं पड़ा जाएगा । उन्होंने कहा कि चौथे संशोधन से पूर्व व उसके पश्चात् धतिपूर्ति का वही भाग्राय है जेकिन उसकी तारीफ़ परिणामिति को प्रभावी बनाने का अर्थ संशोधन को रद्द करना होगा । अतः धतिपूर्ति की अपर्याप्तता में सम्बन्धित कानून को नहीं बल्कि धारा १४ पर आधारित कानून को अवैध घोषित कर दिया गया ।

यद्यपि कानून रद्द कर दिया गया लेकिन लोग जो अपनी इच्छा के प्रति पूरणतः प्राप्तवस्तु होते हैं, अन्ततः उसी पर अटल रहते हैं । अतः न्यायमूर्ति मुद्वाराव व शेल्टर ने वच्चेलु के मुकद्दमे से सम्बन्धित निर्णय की अवहेलना करते हुए भेटल कॉर्पोरेशन के मामले में यह भत व्यक्त किया कि किसी भी व्यय का पूर्ण मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए । शातिलाल मगलदास के मामले में पूर्व निर्णयों का विंगड़ विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए न्यायमूर्ति श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के मार्ग में जटिल व्यवधान उपस्थित करते हैं । पूर्ण धतिपूर्ति के प्रति उनके अटल आग्रह का अर्थ यह है कि ये धतिपूर्ति की अदायगी के लिए मात्र कानून अथवा सिद्धान्तों का निर्धारण ही करना चाहते हैं । कानून के अन्तर्गत यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति के लाल बाल हैं इसलिए उसे उसके मूल्य का तीन गुना ही मिलेगा । वस्तुतः उचितकानून तैयार करना होता है जबकि इस संदर्भ में धतिपूर्ति निर्धारित करने का कोई निश्चित कानून ही नहीं है । इस प्रकार इम विवाद पर विराम लगा दिया गया ।

वैक राष्ट्रीयकरण के मामले ने इस विवाद को पुनः प्रस्तुत कर दिया । अपने अतिरिक्त न्यायिक निर्णय में न्यायमूर्ति श्री हेंगडे ने यह कहा कि उच्चतम न्यायालय के वे निर्णय गलत हैं जिसमें यह आग्रह है कि मूल अधिकार निदेशक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हैं । विना तथ्यों का उल्लेख किए, अपने निर्णय में श्री हेंगडे ने यह कहा कि मूल अधिकार व निदेशक सिद्धान्त साथ-साथ चलते हैं । यदि उक्त निर्णय पर ध्यान दिया जाए तो इम तथ्य के अतिरिक्त कि निदेशक सिद्धान्तों पर क्या बीती, यह ज्ञात होता है कि इस मामले में एकमात्र तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि धारा १४ के अन्तर्गत कानून द्वारा था क्योंकि उसमें दो प्रक्रियाएँ निहित थीं जिसमें एक कठोरतर थी, कानून ने निरकुश शक्ति प्रदान की थी और यदि धारा १४ के अन्तर्गत कोई निरकुश शक्ति है तो धारा १६ (जी) के अन्तर्गत स्वतः होगी । अतः निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित प्रश्न ही कभी नहीं उठा । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि निदेशक सिद्धान्त व मूल अधिकार साथ-साथ चलते हैं और अपनी व्याख्या में भी उनका यह आग्रह है कि मैं आशा करता हूँ कि यह एक निर्णीत कानून है । कुल मिलाकर यह स्थिति है । यह एक निर्णीत कानून नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय में यह नहीं कहा गया और न कहा जा सकता है कि यदि धारा ३१ (२) के अन्तर्गत धतिपूर्ति का अर्थ पूर्ण बाजार दर से है तो धारा ३१ (२) की इम व्याख्या और राज्य नीति के इस निदेशक सिद्धान्त में कोई सीधा संघर्ष नहीं है कि आधिक शक्ति के केन्द्रीकरण व धन

के संचय को रोका जाए। 'सामान्य धति के लिए' शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये गद्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोई एक अथवा अन्य पथ उन्हें विस्तृत करने की इच्छा रखता है।

यदि इंग्लैंड के रिस्ट्रिक्टिव एण्ड मोनोपोली एकट्स पर हट्टियात किया जाए तो ज्ञात होता है कि बिना पूर्व अनुमति के वहाँ एक समाचारपत्र का दूसरे से विलय नहीं हो सकता। ऐसा राष्ट्रीय हित की हट्टि से आवश्यक है। महानतम् अंग्रेजों समाचार पत्र 'दि लंडन टाइम्स' काफी कठिनाई में था और एक थार्म्ड लियाई धनिक जो इंग्लैंड में अन्य समाचार पत्र चला रहा था, उसे अपने केन्द्र में लेने को तैयार था। इसे राष्ट्रीय हित की हट्टि से अनुमति देनी चाहिए थी अथवा नहीं? एक भजदूर दल की सरकार ने राष्ट्रीय हित की हट्टि से उसे अनुमति दे दी। अतः योई सुनिश्चित समाधान उपलब्ध नहीं है। प्रतिबन्धक शब्द सामान्य धति के लिए है। एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान काफी अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी कमोटी यह है कि क्या वह जनकल्याण को प्रोत्साहित करता है या जनहित का विरोधी होने के कारण सामान्य धति का परिचायक है? यह एक राजनीतिक निर्णय का विषय है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो न्यायिक कार्यवाही को परिधि से पूर्णतः बाहर है, अपवाद स्वरूप उस सीमित क्षेत्र को छोड़कर जहाँ न्यायपालिका से उचित प्रतिबन्धों पर विचार करने का आश्रह किया जाता है। लेकिन हम यहाँ संशोधन शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं जो निदेशक सिद्धान्तों को भूल अधिकारों की तुलना में प्रायमिकता प्रदान कर सकती है।

व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति के प्रति व्याप्त इस अविश्वास का एक कारण वह लोकोक्ति है कि "शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है।" वस्तुतः तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। यदि यह लोकोक्ति सार्वभौमिक रूप से सही है तो इसे न्यायिक शक्ति के साथ-साथ कार्यपालिका शक्ति पर भी लागू होना होगा। लेकिन यह सही नहीं है कि समस्त शक्ति भ्रष्ट करती है और समस्त पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। शक्ति केवल उन्हें ही भ्रष्ट करती है जो भ्रष्टवान् होते हैं, उन्हें नहीं जो ऐसा नहीं होते। यदि अंग्रेजों में सर्वाधिक विशिष्ट मुनरो बन्दुओं का इतिहास पढ़ा जाए तो यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपना समस्त अवकाश यह कह कर रद्द कर दिया कि "हम इंग्लैंड नहीं जा सकते अपांकि कार्य की स्थितियाँ यहाँ इतनी भावश्यक हैं कि इंग्लैंड जाने के लिए अवकाश देना मूर्खतापूर्ण होगा।" उनकी भारत में ही मृत्यु हुई और उनकी अग्नितम यात्रा में अनेक मारतावासियों ने भाग लिया। लगभग एक शताब्दी तक कुछ लोगों के लिए मुनरो का कथन उतना ही पर्याप्त था जितना कि कुछ लोगों के लिए महात्मा-गांधी का। अतः यह कहना कि हमारे पास की सम्पूर्ण शक्ति हमें भ्रष्ट ही करती है, सही नहीं है।

हमने लोकतात्त्विक समाज का लद्य निर्धारित किया है। हमारा देश एक लोकतात्त्विक देश है। लोकतंत्र की अनेक दुर्बलताएँ हैं। ऐसा संभव है कि वे लोग जो शाश्वत-चक्र में विश्वास करते हों, अरस्तु के इस कथन से सहमन हों कि कुलीनतंत्र से प्रारम्भ किया जा

सकता है, तदुपरांत थे ऐतिहासी, फिर लोकतंत्र, भीड़तंत्र व तानाशाही तक की यात्रा करते हुए पुनः इसी चक्र में घूमा जा सकता है। या यह कहा जा सकता है कि समाज की आधुनिक स्थितियों सम्प्रे पण-माध्यमों, अपार जन-सहयोग एवं जनता को शिक्षित करने व उन्हें लोक महत्व के विषयों पर सोचने की प्रेरणा देने आदि घटकों ने मिलकर एक ऐसा घटक तैयार किया है जो प्राचीन यूनान में अनुपस्थित था। यदि लोकतंत्र का स्विट्जरलैण्ड जैसे छोटे देश में २००-३०० वर्षों तक निर्वाह संभव है, यदि समुक्त राज्य अमेरिका में वह १९७६ में २०० वर्ष पूरे कर सकता है और यदि वह २५०-३०० वर्षों तक इंग्लैण्ड में टिक सकता है तो वह यहाँ भी अपनी दुर्बलताओं पर नियंत्रण पा सकता है। किसी भी व्यवस्था का खाका खीचना आसान है लेकिन व्यापक वयस्क मताधिकार के साथ प्रत्येक निर्वाचक को घूस देना, एक आसान प्रक्रिया नहीं है।

स्वयं आनंद प्रदेश में न्यायमूर्ति श्री सुब्बाराव के विश्वद डा० जाकिरहुमैन का वहुमत से चुनाव यह सिद्ध करता है कि इस देश में जनता के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत करने पर वह अपने निर्णय के समय इस बात से प्रभावित नहीं होती कि अपुक व्यक्ति हिन्दू है अथवा मुसलमान।

इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु फिर भी इस बात के प्रमाण है कि १९५७ की असफल क्रान्ति व विभाजन के समय दोनों समुदायों के लोगों ने अपनी जान पर खेल कर दूसरे समुदाय के लोगों की जीवन रक्षा के प्रयास किए। विदेश सचिव को भेजे गए एक सदेश में लाडू कैनिंग ने कहा कि वह सिद्धान्त कि प्रत्येक भारतीय की हत्या की जानी चाहिए, वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता। आराम कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए यह कहना मुश्किल नहीं है कि एक भारतीय के विश्वद कोई भी कठोरता अनुचित नहीं है। लेकिन यह तथ्य है कि वे मानव जीवन रक्षा में रत हैं। अतः लोकतंत्र में मूल आवश्यकता के रूप में, मानव प्रकृति व मानव विवेक के प्रति आस्था रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मानव प्रकृति में इसलिए क्योंकि अनेक दुर्बलताओं, घमण्ड, ईर्प्या, आदि के बावजूद व्यक्तियों में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और मानव विवेक में इसलिए क्योंकि अंततः वही उन्हें पशुओं से पृथक् करता है। जब विवेक में अपील की जाती है तो यद्यपि अनेक बार ऐसा नहीं हो पाता, फिर भी अधिकांशतः ऐसा अवश्य होता है कि पर जाने के पश्चात् जब हम किसी के कथनों का समरण करते हैं तो यह ज्ञात होने पर कि इस व्यक्ति की बात कभी-कभी सत्य सिद्ध हुई है, अगली बार जब हम उससे मिलते हैं तो यह अवश्य सोचते हैं कि वह सदा गलत नहीं होता, हमें उसकी बात मुननी ही चाहिए। किसी भी स्थिति में हर घटना के अपने परिणाम होते हैं और उसका अपना फल मिलता है। इसी आधार पर लोकतंत्र कार्य करता है।

अतः जब हम अपने संविधान की महान् प्रस्तावना की चर्चा करते हैं तो हम सामाजिक न्याय, वाक्-स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि की भी चर्चा करते हैं। वे सभी महत्व के हैं, लेकिन उन सभी का एक लोकतंत्रिक गणतंत्र में वास्तविक उपभोग अभिप्रेत है।

सही या गलत, हमने अपना यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और निदेशक सिद्ध नहीं का अभिप्राय इस देश के जन-साधारण के लिए जीवन की ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध कराना है जिससे कि गणराज्य व सोकलाभिक समाज में उनकी यास्या यनी रहे तथा वे निराश न हों और इस व्यवस्था को समाप्त करने की इच्छा से मुक्त रह मँके। राष्ट्रीयकरण सही है या गलत अथवा निजी उद्योग उचित है या अनुचित ये सभी राजनीतिक निर्णय हैं। यह तथ्य कि हमने किसी निश्चित प्रनिष्ठान का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, इस ओर संकेत नहीं करता कि भविष्य में उसके कुप्रभावों से अवगत होने के बावजूद हम उसको राष्ट्रीयकरण से मुक्त नहीं कर सकते। यह राजनीतिक निर्णय का विषय है। मंशोदत शक्ति उसे अंजित करने का साधन है, और वे नीतियाँ जिन्हें अपनाने के लिए सही या गलत हृष्प से जन-साधारण द्वारा मान की जाती है और जिन्हे फैशनपरस्ती स्वरूप नहीं अपितु उचित हृष्प से जनता द्वारा चढ़ा जाता है, उन्हें अनिवार्यः स्त्रीहृति मिलती ही चाहिए। यह संभव है कि हमें यह स्थिति रुचिर न प्रतीत हो, लेकिन यह अपरिहार्य है।

अत में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। १६०६ में अपने इतिहास में सर्व-प्रथम, लॉड समा ने लॉयड जॉर्ज का बजट अस्वीकार कर दिया। यह एक ऐसा कार्य था जो इससे पूर्व कभी नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री एस्क्विय ने आम चुनाव करवाए जिसमें उदारवादियों को व्यापक वहुमत प्राप्त हुआ। इन लोगों ने १६११ में एक संसदीय कानून पारित किया जिसमें लॉड समा की शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था थी और इसके नियेधाधिकार को घटाकर दो वर्ष के लिए नियन्त्रक (suspensory) नियेधाधिकार में परिणत कर दिया गया था। अनुदारवादी नेताओं ने इसका विरोध किया। उनका यह कहना था कि एस्क्विय को संसदीय कानून के निश्चित प्रश्न पर चुनाव लड़ना चाहिए। एस्क्विय ने सम्भाट में कहा, “ठीक है, मैं पुनः चुनाव लड़ने को तैयार हूँ लेकिन मेरे द्वारा विजयी होने की स्थिति में मुझे यह आश्वासन अवश्य मिलना चाहिए कि पर्याप्त हृष्प से पियर्स का निर्माण किया जा सकेगा ताकि लॉड समा के नियेधाधिकार को निप्रभावी बनाया जा सके।” इसे भले ही लाडं समा को नियन्त्र करना कहा जाए लेकिन उसके नियेधाधिकार से बचाव का यही एकमात्र उपाय था। इसकी धमकी ने १६३२ के महान् सुधार-कानूनों के प्रति लॉड समा द्वारा अपनाये गए नियेधाधिकार को समाप्त कर दिया। एस्क्विय ने चुनाव लड़ा। लॉड समा में लाई हैलसवरी सरोंवेन्यायविद् भी थे जिन्हें हठधर्मी बताया गया और जो अन्तिम नियति तक संघर्ष के पश्चात्र थे। लाई मोले ने यह बत्तव्य पढ़ा कि सम्भाट लॉड समा के नियेधिकार को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त पियर्स की नियुक्ति के लिए तैयार होने और लाडं समा ने संसदीय कानून के प्रति आत्म-समर्पण कर दिया। अतः लोकतंत्र में यह सम्भव है कि जनता की धारिक सरकार को नियन्त्रित कर लिया जाए लेकिन उनके निर्धारित विश्वासों को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि उम स्थिति में हम जनता को निर्वाचित संसद वाली सरकार के स्थान पर न्यायाधीशों की सरकार की स्थापना के पक्षावर ही होंगे।

एक न्यू यात्रा भी उत्सन्दर्भीय है। हमारे संविधान के अन्तर्गत भी जनता की धारिक

सनक के लिए थोई स्थान नहीं है। राज्य समा का अस्तित्व उस पर नियंत्रण रखता है वर्तमान उसमें हर दूसरे वर्ष नए प्रतिनिधि आते हैं। अतः लोकसभा के भीमाकार बहुमत का राज्य समा पर पूर्ण प्रभाव भगले दो या चार वर्षों तक नहीं पड़ेगा। जैसाकि विदित है चार वर्ष राष्ट्रीय जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह गमिष्यनि यथेष्ट है।

Further Readings

1. *Appadurai, A.* : Essays in Indian Politics and Foreign Policy, Delhi, Vikas, 1971 ch. VI, pp. 81-86.
2. *Hegde, K. S.* : The Directive Principles of State Policy in the Constitution of India, Delhi, National, 1972, pp 1-89.
3. *Santhanam, K* : Fundamental Rights And The Indian Constitution, Ahmedabad, Harold Laski Institute of Political Science, 1969, pp 1-62
4. *Seervai, H.M.* : The Fundamental Rights case At The Cross Roads Bombay, Bombay Law Reporter, Vol. LXXV, Journal pp. 47-88.

भाग ५

सरकारी संस्थाएँ

भारत का राष्ट्रपति

विधिशास्त्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वेशक्तिवान है जबकि राजनीति-शास्त्रियों का यह तर्क है कि वह मात्र एक सर्वधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का नहीं बल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। यद्यपि भारत में संसदीय शासन से संबंधित सिद्धान्त व व्यवहार ने अब तक राजनीति शास्त्री के भत की पुष्टि की है, फिर भी नामभाव के अध्यक्ष के वास्तविक कार्यपालिका बन जाने की सम्भावनाओं के पक्ष में अभी भी तर्क दिया जाता है, कभी एक स्वतन्त्र राष्ट्रपति का विकल्प प्रस्तुत कर, जैसाकि के० एच० मुंशी ने किया और कभी साभा भंत्रिमडल की स्थिति में उसकी सम्बन्धित भूमिका की सम्भावनाओं के नाम पर, जिसने १९६६ के राष्ट्रपति चुनाव को इतना अधिक विवादास्पद बना दिया था। अतः भारतीय राष्ट्रपतित्व के अंतिम स्वरूप के विषय में हम अभी भी अनिश्चित अवस्था में हैं। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रपति का पद संसदीय शासन के लक्ष्य से केवल तभी तक संगत होगा जब तक वह एक सर्वधानिक अध्यक्ष बना रहता है।

के० आर० बैम्बवाल व एच० एम० जैन, जो कि व्यवसाय से राजनीति शास्त्री हैं- दोनों ने राष्ट्रपति के पद से सम्बन्धित विविध विवादों पर चर्चा की है, अब तक के घटनाक्रम के अनुरूप राष्ट्रपति की स्थिति को प्रकट किया है और भविष्य सम्बन्धी सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला है। यह इन दोनों के प्रमशः निम्नलिखित लेखों से मली भर्ति स्पष्ट हो जाएगा :

- (१) दि प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया : लिमिटेड ऑफ डिस्ट्रिशन (इंडियन जरनल ऑफ पोलिटिकल साइंस, खण्ड XXVII, नं० ३ व ४, जुलाई, दिसम्बर अंक, १९६६, पृ० २३-३६।
- (२) एकचुग्ल पोजीशन ऑफ दि प्रेसिडेन्ट (दि यूनियन एकेजेव्यूटिव, इलाहाबाद, चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, १९६६) सम्पादक

भारतीय राष्ट्रपति : विवेक की सीमाएँ

के० आर० बांबवाल

भारत के संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अपेक्षित भूमिका के सम्बन्ध में पर्याप्त शंक्षणिक चर्चा हुई है। कुछ निश्चित सर्वधानिक व्यवस्थाओं के प्रति एक पराशालिक (ultra-literal) हृष्टि ग्रपनाते हुए कुछ विद्वानों व न्यायशास्त्रियों का यह मत है कि राष्ट्रपति, यदि वह चाहे तो, स्वयं में औपचारिक रूप से निहित शक्तियों का विना मंत्रिमंडल से सलाह के अथवा उसकी अवहेलना कर प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार धारा ७४(१) का उल्लेख करते हुए, जिसमें यह व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होगा,” डी० एन० बनर्जी का यह मत है: “आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति हर स्थिति में अपनी परिषद् को सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से वाध्य है। मेरा यह अनुरोध है कि वह इसके लिए वाध्य नहीं है।”^१ लेडहिल के अनुसार, “यह तर्क दिया जा सकता है कि संविधान में राष्ट्रपति के तानाशाह बनने से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं हैं।”^२ उनकी हृष्टि में “विना संविधान का उल्लंघन किये हुए राष्ट्रपति अधिनायकवादी सरकार को स्थापना कर सकता है।”^३

राष्ट्रपति की स्थिति से संबंधित विवाद को स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने फिर से उठाया था। भारतीय विधि संस्थान में एक भाषण के दौरान उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि “संविधान में कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए वाध्य हो।”^४ प्रेट ब्रिटेन और भारत के संविधानों में व्याप्त अंतरों को हृष्टि में रखते हुए उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या भारतीय राष्ट्रपति की ब्रिटेन के समान से समानता की कल्पना करना उचित है? उन्होंने इस आवश्यकता पर चल दिया कि “वैज्ञानिक पद्धति से इस सदर्म में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए ताकि राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों की सीमाओं का आभास हो सके।”^५ कुछ दिनों बाद, प्रधानमंत्री, थी नेहरू ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा कि डॉ० प्रसाद के ये विचार ‘आकस्मिक’ हैं। चाहें कुछ भी हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की हैसियत से दिये गए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के उक्त विचारों ने तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए० के० सेन के शब्दों, में ‘संविधान के क्रियान्वयन के बाद से सर्वाधिक प्रमुख राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया।”^६

१ डी० एन० बनर्जी, “पोविशन ऑफ दि ब्रेटिनेंट ऑफ इंडिया”, दि मॉडर्न रिझू (कलकत्ता), दिसम्बर, १९४०, पृ० ४५८

२ एतेन लेडहिल, दि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सन्दर्भ, १९५१

३ वही।

४ दि हिन्दुग्रनात टाइम्स, ३० नवम्बर १९६०, पृ० १

५ वही।

६ दि हिन्दुग्रनात टाइम्स, २६ मार्च १९५१, पृ० १

श्री नेहरू ने इस आग्रह के बावजूद, कि “संवैधानिक एवं राजनीतिक हृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति विटेन के सम्मान के समरूप है, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उठाए गए इस प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप परस्पर विरोधी मत उत्पन्न हुए हैं। इय तथ्य की पुष्टि दिल्ली के एक साप्ताहिक में प्रकाशित परिचर्चा से होती है। इस परिचर्चा में अनेक विश्वात विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा न्यायशास्त्रियों ने भाग लिया था। इसमें अभिव्यक्त विचारों का परिवेश अत्यधिक व्यापक था और जहाँ एक ओर भारतीय राष्ट्रपति को विटेन के सम्मान से पूर्णतः समान माना गया था वहीं दूसरी ओर उसकी तुलना क्षमतावान् दि गौल (De Gaulle) से की गयी थी।

तीन वर्ष पूर्व एक समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख में प्रमुख राजनीतिज्ञ तथा संविधान सभा के सदस्य श्री के० एम० मुन्शो ने भारतीय राष्ट्रपति की उससे अधिक निश्चित और स्कारात्मक भूमिका के सम्बन्ध में विचार किया जितनी कि कोई किसी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष से अपेक्षा करता। उनका यह मत था कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ अधिमंत्री-मण्डलीय (super-ministerial) हैं और उनके सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् कोई परामर्श नहीं दे सकती।^७ राष्ट्रपति की अपेक्षित भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री व राजस्थान के (भूतपूर्व) राज्यपाल डॉ० सम्पूर्णानन्द ने कहा कि “लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र विकल्प यह है कि राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियाँ दी जाएं जिनके अधीन वह अपने मत से उस सभय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके जब वह यह पाए कि परिस्थितियाँ ऐसा करने के अनुकूल हैं।”^८

इस अन्तिम विवाद को हृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त होगा कि संविधान निमिताओं द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई भूमिका का अवलोकन किया जाए। संविधान सभा में हुए विचार-विमर्शों ने तीन मुद्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। प्रथम तो यह कि संविधान निमिताओं का मुस्पष्ट अभिप्राय संसदीय सरकार को स्वीकार करना था। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था (presidential system) का इस आधार पर समर्थन किया कि यह व्यवस्था अपनी शक्ति व स्थिरता के कारण भारत के सदर्म में अधिक उपयुक्त है।^९ इस मत का प्रारूप समिति के प्रवक्ताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया और यह अभिमत प्रकट किया गया कि ‘विषय पर उत्मुक्तापूर्वक विचार करने के उपरांत संविधान सभा ने यह शक्ति’ मंत्रिमण्डल में निहित की थी न कि राष्ट्रपति में।^{१०} अल्लादि कृष्ण-

^७ के० एम० मुन्शो, “पॉवर्स एंड फॉरेन्स्ट थाई दि प्रेसिडेंट,” दि हिन्दुस्तान टाइम्स (गणतंत्र दिवस परिचय) २६ जनवरी, १९५६ पृ. IV

^८ सम्पूर्णानन्द: “मैमोरीज़ एंड रिप्लेन्शन,” बम्बई, १९६२, पृ. १५७-५८

^९ स्वर्गीय प्रोफेसर के. टी. शाह राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था के अत्यधिक मुश्वर समर्थन थे। देखें सी. ए. डी. VII, पृ. ६७५-८०

^{१०} सी. ए. डी. IV p. १३४ (जवाहर लाल नेहरू)

स्वामी ग्रन्थर के शब्दों में : "ग्रेट ब्रिटेन, डोमिनियन तथा कुछ महाद्वीपीय देशों की संसदीय सरकार और अमेरिका की अध्यक्षीय सरकार के सभी पक्षों व प्रसंगों पर विचार करने के उपरांत, भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की संस्थाओं को अंगीकृत किया है।"^{११}

द्वितीय, संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकृत करने के स्वामाधिक परिणाम के रूप में संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की ही मांति एक संवैधानिक अध्यक्ष होगा और वह इस शासन की मान्यता प्राप्त अभिसमयों (conventions) के प्रति वाध्य होगा जैसे मंत्रियों के परामर्श के अनुमार उसे कार्य करना होगा। डॉ. अम्बेडकर ने यह घोषणा की कि "राष्ट्रपति का वही स्थान है जो ब्रिटेन के संविधान के अन्तर्गत ब्रिटिश सम्राट का है.... वह उनके (प्रधानमंत्री के) परामर्श के विपरीत कुछ नहीं कर सकता।"^{१२} राष्ट्रपति की 'प्रतीकात्मक' स्थिति की ओर भारतवार ध्यान आकृष्ट किया गया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार "वह राज्य का अध्यक्ष है, सरकार का नहीं।"^{१३} एक अवस्था में तो यह दृष्टापूर्वक कहा गया कि "राष्ट्रपति का अर्थ संसद के प्रति उत्तरदायी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से है।"^{१४} राष्ट्रपति के संवैधानिक अध्यक्ष होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही उसके कुछ निश्चित परिस्थितियों में विवेकानुमार काम करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को संविधान के प्रारूप से निकाल दिया गया था। संविधान निर्माताओं के अभिप्राप से सम्बन्धित इन निश्चित प्रमाणों को ध्यान में रखने पर यह आश्चर्य होता है कि इस स्थिति को संविधान में सुन्पट्ट शब्दों में क्यों नहीं व्यक्त किया गया ताकि इससे सम्बन्धित विवाद को उठने से रोका जा सकता।^{१५} स्वयं संविधान गमा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने संदेह व्यक्त किया कि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में क्या राष्ट्रपति सभी स्थितियों में मंत्रिमण्डलीय परामर्श के अनुसार काम करने के लिए वाध्य होगा? ^{१६} उन्होंने तो यह भी प्रश्न किया कि संविधान में सुन्पट्टः यह व्यक्त करने में क्या कोई आपत्ति थी कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के प्रति वाध्य होगा। प्रारूप समिति के सदस्यों का यह मत था कि निर्धारित संवैधानिक व्यवस्थाओं

^{११} सौ० ए० दी० VII प० ८६६, टी. टी. छण्डालारी ने समान रूप से असदिग्य शब्दों में कहा

"जहा तक राष्ट्रपति व कैरिलेट के दीव संबंधों का प्रत है, हमने पूछेंत् उत्तरदायी सरकार वी उस व्यवस्था को अपनाया है जो कि ब्रिटेन में कार्यशील है, वही X प० ६५६

^{१२} वही, पृ. ३२

^{१३} वही ६२ १२४

^{१४} उदाहरणस्वरूप लेगा कि आपरिश संविधान को घारा १३ (८) में व्यवस्था है। जापान का नया संविधान भी समान हार से यह व्यवस्था करता है कि "राज्य से बंदिगित सभी प्रबन्धों के लिए सम्राट वी अनिवार्य मन्त्रिमण्डल का परामर्श लेना होगा।" इसके विपरीत भारतीय संविधान गमा वी जानवृत्तप्रकार वित्त अधिगित छोड़ दी। इसने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिन निर्देशी की एक सूची को भी नियन नहीं दिया जिनके पैरा ३ में यह व्यवस्था थी कि केंद्र के शासन से बंदिगित सभी विषयों के लिए राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श से निर्देशित होगा।"

से यह स्थिति पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय सरकार के क्रियान्वयन से निर्मित अभिसमयों द्वारा यह स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। यह अनुरोध किया गया कि संविधान में निश्चित शब्दों में व्यवस्था न होने पर भी यह स्पष्ट है कि संविधान की सम्पूर्ण योजना इस तथ्य पर आधारित है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है।^{१६} डॉ. अम्बेडकर ने तो एक सदस्य को यहाँ तक आश्वस्त किया कि मन्त्रिपरिषद् के परामर्श की अवहेलना करने पर राष्ट्रपति महाभियोग का पात्र होगा।^{१७}

तृतीय, यद्यपि संविधान निर्माताओं का यह आशय था कि राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया जाए लेकिन इस बात के प्रमाण है कि वे उसे नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। यह सच है कि डॉ. अम्बेडकर ने एक अवसर पर कहा था कि राष्ट्रपति “नाम मात्र का ही अध्यक्ष होगा जिसके पास न प्रशासन सम्बन्धी और न ही विवेक शब्दी शक्तियाँ होगी।^{१८} परन्तु उन्होंने एक स्थल पर यह भी कहा था कि “राष्ट्रपति ‘सामान्यतः’ मंत्रियों के परामर्श के प्रति बाध्य होगा।”^{१९} सामान्यत शब्द का प्रयोग कुछ अपवादात्मक (exceptional) परिस्थितियों में राष्ट्रपति के लिए विवेक का विकल्प प्रस्तुत करता है। वस्तुतः डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की ‘परमाधिकारी शक्तियों^{२०} (prerogative powers) के सम्बन्ध में अत्यधिक अस्पष्टता से अपने विचार रखे। यह तथ्य कि संविधान निर्माता राष्ट्रपति को नाम-मात्र के अध्यक्ष से कुछ अधिक देखना चाहते थे, प्रकारांतर से पं० नेहरू के इस कथन से भी स्पष्ट होता है: “भारत का राष्ट्रपति फ्रासीसी राष्ट्रपति के समान यंत्रवत बलने वाला नहीं होगा। हमने उसे कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं प्रदान की, लेकिन हमने उसके पद को सत्ता और प्रतिष्ठा का पद बना दिया है।”^{२१}

यद्यपि संविधान-निर्माताओं का सामान्य आशय राष्ट्रपति के संवैधानिक-अध्यक्ष होने के तथ्य को उभारता था लेकिन यह स्वीकार करना उपयुक्त होगा कि संविधान के मूलपाठ में यह स्थिति सुस्पष्टत व्याख्यापित नहीं की गई थी।^{२२} परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में यह धारणा है कि जहाँ तक संविधान का सम्बन्ध है राष्ट्रपति वही अच्छी तरह में एक संवैधानिक तानाशाह (constitutional autocrat) बन सकता है। संविधान सभा में ही कुछ

^{१६} वही, IX, १५०.

^{१७} वही, X, पृ० २६६

^{१८} वही, IX, १०३६.

^{१९} वही, पृ० ३२

^{२०} वही, पृ० १७४

^{२१} वही, पृ० ७३४ के एम मुंशी का यह मत है कि पं० नेहरू द्वारा प्रयुक्त शब्द ‘सत्ता’ की शक्तिहीनता से तुलना नहीं की जा सकती। इसका भीषण अर्थ कानूनी शक्ति से है। “दि प्रेसीडेन्ट अपर दि इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन,” बम्बई, १९६३.८७।

^{२२} के एम, मुंशी का यह विचार है कि “प्रातिशिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करते समय सभा यह नहीं समझे कि वह एक शक्तिहीन राष्ट्रपति का निर्माण कर रही है। डॉ. अम्बेडकर व डॉ. अल्लारी हुण्डस्वामी अम्बर द्वारा दिये गए आश्वायन उनको मात्र व्यक्तिगत मान्यताएँ ही थीं। यह गदन की संवैधानिक राय नहीं थी।” वही पृ० ६।

सदस्यों का यह मत था कि "राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं!"^{२३} यदि यह मान लिया जाए कि राष्ट्रपति संविधान निर्माताओं के 'इरादों' से निर्देशित होने के लिए वाच्य नहीं है तो उस स्थिति में संविधान की वास्तविक व्यवस्थाओं से उत्पन्न व्यवस्था क्या होगी? राष्ट्रपति की शक्तियों से सम्बन्धित समस्त विवाद ५३(१), ७४(१), ७५(२) तथा ७५(३) धाराओं की व्याख्या पर आधारित है। पारा ५३(१) में यह व्यवस्था है कि "केन्द्र की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और उसके द्वारा इनका प्रयोग संविधान के अनुरूप होगा।" इसका अभिप्राय यह है कि उनका प्रयोग धारा ७४(१) के अनुबन्ध के अनुसार होगा जिसमें यह व्यवस्था है कि "राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रि-परिषद् होगी।" इस धारा की दृढ़ व सुनिश्चित भाषा यह स्पष्ट करती है कि अनिवार्यतः एक मंत्रिपरिषद् होनी चाहिए और राष्ट्रपति विना उसकी सलाह के कार्य नहीं कर सकता। क्या उसे उसकी सलाह के अनुकूल कार्य करना होता है?

शब्दन: 'सहायता व सलाह' का अर्थ यह होता है कि मन्त्रियों को राष्ट्रपति के सलाहकारों के रूप में काम करना होता है और राष्ट्रपति को विविध निःंपत्ति लेने होते हैं लेकिन 'सहायता व सलाह' एक कलात्मक शब्द है जिसने ग्रेट ब्रिटेन व डोमिनियन राज्यों के संविधानिक व्यवहारों से एक सामान्यतः स्वीकृत व्यावहारिक स्वरूप प्रहण किया है।^{२४} जैमाकि भल्लादी कृप्यास्वामी अव्वर ने संविधान सभा में यह कहा कि यह शब्द एक 'संविधानिक प्रियोक्ति (Constitutional euphemism)'^{२५} है और यह उस मुविस्थात त्रिटिश अभिसमय पर आधारित है जिसके अन्तर्गत सभाट हर स्थिति में मन्त्रियों की सलाह पर कार्य करता है चाहे उसके पास कानूनी शक्तियाँ कितनी ही अधिक व्यों न हो। 'सहायता व सलाह' शब्द को इसी अर्थ में भारत में प्रहण किया गया है। निर्देशों से सम्बन्धित वे दस्तावेज़ जिन्हें १९३५ के भारतीय अधिनियम से संलग्न किया गया, यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें प्रयुक्त 'सहायता व परामर्श' का अर्थ यह था कि गवर्नर जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरों को विभागों से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रियों की सलाह के अनुरूप ही काम करना होता था। अपवादस्वरूप कुछ मामले अवश्य ऐसे थे जिनमें उन्हें अपने विवेक के अनुरूप अथवा स्वतन्त्र रूप से काम करने की अनुमति थी लेकिन इस सम्बन्ध में उनके लिए निश्चित संविधानिक व्यवस्थाएँ थीं। भारतीय संविधान स्वयं धारा १६३ (१) के अन्तर्गत ऐसे अपवाद की व्यवस्था करता है जिसके अनुसार किसी प्रान्तीय गवर्नर को अपने विवेक के अनुमार काम करने की स्वतन्त्रता है और वह इस सम्बन्ध में अपने मन्त्रियों की

२३ गो० ए० ई०, पृ० ६८८

२४ 'सहायता व सलाह' शब्द का त्रिटिश नाम अमेरिका एक्ट, (१८६) नवा कॉमनवेल्ट और ऑस्ट्रेलिया एक्ट १८०० (१८२) में प्रयोग हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के मर के संविधान में 'सलाह' वा ही प्रयोग हुआ है। लेकिन इन सभी स्थानों पर सलाह वा अर्थ 'राज्य के नाम पर विणें' लेने में है। वरातन से नए संविधान ने 'गवाह' से नीति अस्वादिता वा दूर करने के उद्देश्य से 'गवाह और स्वीकृत' (पारा ३) का प्रयोग किया है।

२५ गो० ए० ई०, पृ० ६८८.

सलाह से बाध्य नहीं है। क्योंकि सविधान भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करता, इसलिए ताकिंक रूप यह निष्पर्ण निकाला जा सकता है कि उसे (राष्ट्रपति को) हर स्थिति में अपने मन्त्रियों की सलाह के अनुरूप ही काम करना होगा। इस प्रकार के निष्पर्ण का धारा ७५ (३) द्वारा समर्थन होता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बैन्ड्रीय मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। धारा ७५ (२) यह व्यवस्था करती है कि मन्त्री राष्ट्रपति के प्रमाद पर्यन्त अपने पद पर रहेंगे। लेकिन 'सहायता व सलाह' की ही भाँति 'प्रसाद पर्यन्त' भी एक सासदीय सरकार की कल्पना मात्र ही है। एक 'उत्तरदायी' मन्त्रिमण्डल के माथ-माथ एक ऐसे राष्ट्रपति की भी व्यवस्था, जो अपनी इच्छानुसार मन्त्रियों को वार्षिक कर सके, अन्तविरोधी है। अत मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मुस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रपति के समानार्थक संवैधानिक स्थिति के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इस हृष्टिकोण का समर्थन किया।^{२६}

अनिवार्यतः: यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सविधान कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं करता जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष के रूप ही कार्य करेगा। संविधान में न केवल ऐसी ही व्यवस्था नहीं है जो राष्ट्रपति को मन्त्रियों की सलाह के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य कर सके बल्कि धारा ७४ (२) तो यह व्यवस्था भी करती है कि मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह या उसके स्वरूप के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय जाँच-मद्दताल नहीं कर सकता।^{२७} धारा ३६१ के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों व कार्यों के सम्बन्ध में या उस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। परंजलि शास्त्री समेत अनेक न्यायाशास्त्रियों का यह तर्क है कि राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह को अस्वीकृत करने के लिए स्वतन्त्र है क्योंकि संविधान की किसी निश्चित व्यवस्था के अतिरिक्त उस पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती।^{२८}

स्पष्टतः: राष्ट्रपति द्वारा निरंकुश शक्तियों के प्रयोग को किसी कानूनी व्यवस्था की अपेक्षा राजनीतिक अथवा अभिमानविक (Conventional) व्यवस्था द्वारा ही रोका जा सकता है। सासदीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अभिभावयों की अवहेलना कर यदि राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह को अस्वीकृत करता है तो मन्त्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि धारा ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को केन्द्र में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति से निवटा होता ही है अतः उसे अनिवार्यतः एक ऐसी बैकल्पिक सरकार की

२६ राम नवाया बनाम पंजाब सरकार (१९५५, २ एस. सी. आर. आई. २५५) में सर्वोच्च न्यायालय का यह मत था।

२७ वी एन राव का कथन है: "यदि किसी निश्चित मामले में राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह के विषद् कार्य करता है तो इस आधार पर उसकी कार्यवाही की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।" शिष्टयाज कॉन्स्टीट्यूशन इन दि मैर्किंग, मद्रास, १९६०, पृष्ठ ३७५

२८ के. एस. पञ्चवी, राजेन्द्र प्रसाद, मद्रास, १९६०, पृष्ठ १६१ पूर्वोक्त, एन. ३०, पृष्ठ १६३

स्थापना करनी होंगी जो उसकी कार्यवाही का उत्तरदायित्व बहन करने की स्थिति में हो और जिसे लोकसभा का भी समर्थन प्राप्त हो। यह प्रकट रूप में एक असंभव कार्य है जब्तक निवृत्तमान मन्त्रिमण्डल को अपने व्यागपत्र के बावजूद सदन में बहुमत प्राप्त होगा। राष्ट्रपति एक अल्पमत सरकार की स्थापना कर सकता है लेकिन विद्वेषी लोकसभा से समना होते ही उस सरकार का पतन हो जाएगा। राष्ट्रपति इस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा को मग कर नए चुनाव कर सकता है। यदि इस बाजी में उसकी विजय होती है तो नई लोक सभा उसके निरुल्यों के प्रति निष्ठावान हो सकती है लेकिन समान रूप से सम्भावनाएँ इस बात की भी हैं कि मतदाता निवृत्तमान सरकार को ही शासन की बांडी और प्रदान करें। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की ऐसी दुरंशा ही सकती है जिसके अन्तर्गत उसे व्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार मन्त्रियों की सलाह के विरुद्ध अपनी मत्ता स्थापित करने के प्रयास नहीं करेगा। अन्तिम उपाय के रूप में महाभियोग द्वारा एक ऐसे राष्ट्रपति को भी नियंत्रित किया जा सकता है जिसमें विवेक की अपेक्षा साहम अधिक हो। यह स्मरण करना आवश्यक है कि अपने अद्दृन्यायिक स्वरूप के बावजूद महाभियोग अनिवार्यतः एक राजनीतिक हथियार है जिसका संसद द्वारा प्रयोग होता है। संसद न्यायालय नहीं है और उसके तत्त्वावधान में राजनीतिक (कानूनी नहीं) आधार पर यह निरुल्य लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है अर्थात् नहीं। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति इस बात से निर्देशित होगा कि क्या संविधानिक दृष्टि से उचित व राजनीतिक दृष्टि से सामयिक है वरिस्पत इसके कि कानूनी दृष्टि से क्या अनुमेय (Permissible) है।

गत पन्द्रह (पचासीस) वर्षों के दौरान राष्ट्रपति के वास्तविक कार्यों व व्यवहारों से प्राप्त प्रभारणों के आधार पर इस धारणा की पुष्टि होती है। सहमतिस्वरूप अजित राय यह है कि राष्ट्रपति ने अब तक संविधान निर्माताओं की इच्छानुसार काम किया है अर्थात् वह एक संवैधानिक अध्यक्ष ही रहा है। अप्रैल १९५७ में लोकसभा में विधिमन्त्री श्री ए० के० सेन ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि राष्ट्रपति ने "मन्त्रिमण्डल की सलाह के अनुस्वर" कार्य किया। "अधिक स्पष्ट रूप से उसने प्रधानमन्त्री की इच्छा के अनुसार काम किया था।"^{३५} जुलाई १९५६ में प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कुछ संवादाताओं को यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक है....हम स्वर्य परामर्श के लिए उसके पास जाते हैं लेकिन निरुल्यों का सीधा उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का होता है।"^{३६} दो० राजेन्द्र प्रसाद के उपरोक्त प्रस्तुत विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री नेहरू ने लगभग अठारह

३५ दि स्टेटमेंट, १८ अप्रैल १९५७, पृ. ४

३६ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, ८ जुलाई १९५६, वेहरू उस पत्र में उत्तरदायित्व के संदर्भ में बोल रहे थे और दो० राजेन्द्र प्रसाद ने उन्हें लिया था। और विवाक शार लोगों तक पहुँच गया था। इस पत्र में पैरा कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने विविध केबिनेट-निर्णयों के विपरीत मत अप्ल किया था कि वे सहकारी लेती और वाचाप्र का राष्ट्र आपात।

माह पश्चात् यह घोषणा की थी कि "राष्ट्रपति सर्वे संवैधानिक अध्यक्ष रहा है और है भी।"^{३१}

एक अर्थ में भारत का यह सीधार्थ था कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में अपने बारह वर्षों के प्रवास-काल के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत व संवैधानिक मर्यादा का परिचय दिया और इस कारण संसदीय शासन की एक अच्छी शुरुआत हो सकी। देश के सर्वोच्च नेताओं में से एक डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने दुर्लभ शालीनता एवं कर्तव्यपरायणता द्वारा अपनी महानता को सिद्ध किया। उनका भाव ऐसा था कि वह किसी निर्णय को आरोपित करने की अपेक्षा उसके सम्बन्ध में कोई समझौता करने के अभ्यस्त थे।^{३२} अपने को काँप्रेस दल से विधिवत् पृथक् न करते हुए भी उन्होंने दलगत राजनीति से अपने को ऊपर रखा और इस प्रकार स्वयं को सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बना लिया। यदि एक या दो अवसरों पर किसी विवाद में उनका नाम घमीटा गया तो ऐसा या तो कुछ राजनीतिज्ञों के फूहड़ हित-साधन या उनके अतिउत्साही ममर्थकों द्वारा हुआ। स्वयं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने तो काँप्रेस संसदीय दल में उनसे सम्बन्धित किसी गुट अथवा राष्ट्रपति की लांबी का हतोत्साहित किया। उन्होंने स्वयं को शक्ति का एक स्वतंत्र केन्द्र विन्दु बनाने के उद्देश्य से अपनी अत्यधिक सोकप्रियता को आधार बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त उनको और नेहरू से प्रगाढ़ मंत्री व एक दूसरे के प्रति उनके आदरनाव ने भी दोनों पदों को सद्भावना प्रदान की। डॉ० एस० राधाकृष्णन ने भी, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा स्थापित स्वस्थ परम्पराओं का निर्वाह किया है और इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने लेटो के दार्शनिक-राजा की मान्ति कार्य करने की कभी नहीं सोची। बस्तुतः उनके सर्वोच्च पद पर निर्वाचन के समय कुछ प्रशंसकों ने उनकी लेटों के दार्शनिक-राजा से तुलना की थी।

यदि सविधान व उसके वास्तविक क्रियान्वयन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति पद का संवैधानिक स्वरूप प्रकट हुआ है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का अध्यक्ष है और उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। वह मात्र एक यन्त्र ही नहीं है, उसके पास पर्याप्त प्रभाव व शालीनता का एक पद है। यह वही भूमिका है जिसकी सविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी।

राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की सलाह के अनुमार काम करना होता है लेकिन जैसाकि वी० एन० राव ने कहा कि मंत्रियों की सलाह पर काम करने का यह अर्थ नहीं होता कि मंत्रियों के प्रथम विचारों को ही तत्काल मान लिया जाए। राष्ट्रपति किसी भी प्रस्तावित मसौदे पर अपनी आपत्तियाँ स्पष्ट कर सकता है और भावशक होने पर मंत्रिपरिषद् के सदस्यों में उन पर पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है। उसे विलकुल अन्तिम स्थिति में

^{३१} दि हिन्दुस्तान टाइम्स; १६ दिसम्बर १९६०; पृ० १

^{३२} क० एल० पत्रावी, पूर्वोक्ति, एन० ३०, पृ० १६३०

मन्त्रियों के परामर्श को मानना होता है। ^{३३} राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा से सम्बन्धित घारा ७८ में यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री केन्द्र से गम्बन्धित मामलों पर मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्देश दे कि किसी विभाग के मंत्री द्वारा तिथे गए निर्णय को संपूर्ण मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट् की ही भाँति तीन परम्परागत अधिकार प्राप्त हैं—सलाह लिए जाने का अधिकार, प्रोत्साहन का अधिकार तथा चेतावनी का अधिकार। दूसरे शब्दों में उसे “नीति सम्बन्धी प्रश्नों के परिपक्व विचार-विमर्श” की दिशा में पहल करने की अवशेष प्रतीक्षा है। इस बात के प्रमाण हैं कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इस अवशेष प्रतीक्षा का भलीभांति प्रयोग किया और अक्षय अच्छे उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग हुआ। जब तक इस काल के अपिलेक्ष सार्वजनिक अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं होते तब तक इस बात का सुस्पष्टतः पता नहीं लग सकेगा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार की नीतियों को किस मात्रा तक प्रभावित किया। लेकिन कुछ ऐसे सकेत अवश्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके मत का केन्द्रीय सरकार पर अत्यधिक प्रभाव था। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिन्दू कोड विल का स्पान करने की डॉ० प्रसाद ने प्रधानमंत्री को सलाह दी और उनके जीवनी-लेखक के अनुसार उनका (डॉ० प्रसाद का) यह प्रस्ताव था कि वे इस विषय के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका से एक सदेश द्वारा अपील करें। ^{३४} प्राप्त जानकारी के अनुसार वह अक्षय अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव लिखित रूप में प्रधानमंत्री को भेजते थे और उनका सरकारी निर्णयों पर सार्थक प्रभाव पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने मतों को सुझाव के स्तर से अधिक सरकार पर आरोपित नहीं किया। बी० एन० राव ने यह लिखा है कि विवेक की वार्षी विचार-विमर्श के स्तर तक ही प्रभावकारी होती है, दबाव के साधनों द्वारा नहीं।^{३५} इस प्रकार आइवर जेनिस ने जो कुछ ब्रिटिश सम्राट् के लिए कहा है वह भारतीय राष्ट्रपति पर भी समान रूप से लागू होता है। साधारण नीतियों के सम्बन्ध में उसका प्रभाव “महत्वपूर्ण हो” सकता है लेकिन वही निर्णयिक घटक नहीं होता। यह सलाहकारी है न कि निर्णयिक।” ^{३६} वह उन सभी विषयों के सम्बन्ध में मन्त्रियों के उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रपति के विवेक का सीमावर्ती होता है। हो सकता है कि कई ऐसे विषय हों जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हों और उन पर राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री की सलाह न उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री का चयन इस श्रेणी में आ सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति को इस विषय में अपनी इच्छा के अधिक प्रयोग का अवसर नहीं मिलता। यदि खोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत हो और उसका अपना एक मान्यता प्राप्त

^{३३} बी० एन० राव, पूर्वोक्त, एन २६, पृ० ३८८

^{३४} के० एल० पंजाबी, पूर्वोक्त, सन् ३०, पृ० १६३

^{३५} बी० एन० राव, पूर्वोक्त; एन २१, पृ० ३८२

^{३६} आइवर जेनिस, कैविनेट एवन्सेट, लन्डन, तुलीय बंकरण, १६५६ पृ० ३१६

नेता हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित विकल्प स्वयं ही स्पष्ट हो जाते हैं। भारत में अभी तक ऐसी ही स्थिति रही है। लोक सभा में किसी भी दल की स्पष्ट स्थिति न होने पर राष्ट्रपति को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर मिल सकता है और दो या उससे अधिक दावेदारों में से किसी एक को वह मनोनीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रधानमंत्री यकायक मर जाता है अथवा व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र दे देता है और दल, जिसको बहुमत प्राप्त है, किसी उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाता तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सरकार बनाने का निमन्त्रण देकर किसी एक नेता के पक्ष में स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विटिश सम्मान ने निर्णायिक भूमिका अदा की है। अतः जब १९४० में नेविल चेम्बरलेन ने त्यागपत्र दिया तब सम्मान विन्सटन चर्चिल को प्रधान मंथी बनाने के पक्ष में थे, यद्यपि वह उस समय मविमंडल के सदस्य नहीं थे। वर्तमान समाजी ने १९५७ में एन्टनी इडेन्स के उत्तराधिकारी के रूप में आर० ए० वट्टलर के स्थान पर हैरलैंड मेविमलन के चयन में अपनी व्यक्तिगत रुचि का परिचय दिया। इस दिशा में सम्मान के विवेकाधिकार को दो-दल प्रणाली गम्भीर रूप से सीमित कर देती है जब कि दूसरी ओर दलों के प्रसार के कारण भारतीय राष्ट्रपति को इस दिशा में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

यह अनिश्चित है कि क्या राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद् को वर्खास्त कर सकता है। संविधान की धारा ७५ में मंत्रियों के उसके प्रसादपर्यन्त रहने की व्यवस्था इस वात का संकेत देती है कि उसका कानूनी हृष्टि से ऐसा अधिकार प्राप्त है। तेकिन संविधान में ही उल्लिखित सामूहिक उत्तराधित का सिद्धान्त राष्ट्रपति के अधिकार को विशुद्ध रूप से संदानिक अस्त्र बनादेता है। विटेन में मंत्रियों को वर्खास्त करने के अधिकार का ३७ १९७३ के बाद कभी प्रयोग नहीं हुआ। १९१३ में आइरिश होम रूल विवाद के समय सम्मान ने इस विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहा लेकिन एस्ट्रिवथ ने सफलतापूर्वक उसे यह समझाया कि इस प्रकार की उसकी कार्यवाही का राजतंत्र पर कितना घातक प्रभाव पड़ेगा। एक सामान्य स्थिति स्वरूप यह प्रकट होता है कि संसदीय सरकार में एक राज्याध्यक्ष किसी मंत्रिपरिषद् को तब तक वर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है, और जब तक वह परिणामों की ऐसी शुरुआत देयार नहीं करता जो उसकी स्थिति को असंगत बनाती हो। भारत के मदर्म में 'प्रसाद पर्यन्त' व्यवस्था का

३७ १९७३ में डिनराइली ने समाजी विकटोरिया को यह सलाह दी कि "सम्मान/समाजी को यह स्पष्ट संवेद्धानिक अधिकार प्राप्त है कि वह वर्तमान संवेद्धानिक बहुमत के बावजूद मन्त्रियों को पदमूक्त कर दे।" अभी हाल में आइरिश होमरूल विवाद के दौरान ए. बी. डाइनी ने भी समान मत व्यक्त किया। उसने १९३१ : मे लिया था पूर्ण संस्मरण है कि सम्मान मंत्रियों की सलाह के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता लेकिन इस मिद्दान्त से उद्भूत घारणा का मैं पूर्ण विरोधी भी हूँ कि वह (सम्मान) लोकमत जानने के उद्देश से मन्त्रियों को कभी पदमुक्त भी नहीं कर सकता।" आइवर जैनिम, पूर्वोन्नति सन् २८, पृ० ४०७ में उद्धृत।

प्रावधान ऐसी व्यावहारिक महत्ता रख सकता है जिसके द्वारा एक प्रधानमंत्री अपने किसी असुविधापूर्ण मंत्री को हटाने का उपक्रम कर सकता है।^{३५} धारा ३५६ के अधीन राष्ट्रपति एक राज्य मंत्रिपरिषद् को उस स्थिति में भी वर्ताते कर सकता है जबकि उसे राज्य विधान मंडल का विश्वास प्राप्त हो। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में तदृष्टी शक्ति की अनुपस्थिति इस बात की घोतक है कि इस स्तर पर मंत्रियों को वर्ताते करने की उसकी शक्ति तकनीकी है न कि वास्तविक।

राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति भी मुख्यतः इसी विशेषता पर आधारित है। ग्रेट ब्रिटेन में समाइट द्वारा कॉमन्स समा को भंग करने की शक्ति प्रयोग में न लाने के कारण लगभग स्वतः ही समाप्त हो गई। जारी पंचम ने तो १६१० में कॉमन्स समा के प्रस्ताव को अस्वीकार ही कर दिया था लेकिन मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र की धमकी ने उसका विचार बदल दिया।^{३६} ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए संसद भंग करने से सम्बन्धित प्रधानमंत्री की सलाह को अस्वीकार करना कठिन होगा। यह सम्भव है कि एक संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमंत्री संसद भंग करने की सुविधा का त केवल इसलिए ही प्रयोग कर सकता है क्योंकि उसे लोकसभा से असुविधा की आशा होती है बल्कि इसका प्रयोग वह इसलिए भी कर सकता है क्योंकि कोई निश्चित समय उसके दल की अधिक स्पष्ट विजय के लिए उपयुक्त होता है। यदि दलगत हितों के लिए भी संसद भंग की मांग की जाए तो भी राष्ट्रपति को उसे भानना ही होगा यद्यपि वह ऐसा बिल्कुल अनितम स्थिति में प्रधानमंत्री को यथावत् कार्य करने की सलाह देकर करेगा। संविधान में राष्ट्रपति की विकल्प सम्बन्धी वह स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं है जब प्रधान मंत्री द्वारा संसद भंग की मांग की जाय, आम चुनाव होकर ही चुने हों, जनभत में कोई प्रमुख परिवर्तन न हुआ हो, अस्तित्व प्राप्त सरकार की तुलना में वैकल्पिक सरकार का गठन उस समय सम्भव हो और जब वह सरकार के अपनी मांग के समर्थन में सरकारी कामकाज चलाने से इकार कर दे। इस बात पर अनिवार्यतः ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने के अधिकार का स्वतन्त्र प्रयोग या प्रधानमंत्री की तत्सम्बन्धी सलाह को उसके द्वारा अस्वीकार कर देना मूलतः मन्त्रिमण्डल को वर्ताते कर देने के बराबर है और इस कार्यवाही का अनुरूपी प्रमाव पड़ता है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में राष्ट्रपति के विवेक का कोई गम्भीर व्यावहारिक महत्व नहीं है।^{३७}

^{३५} “अभी हाल ही में पंजाब के राज्यपाल ने अपनी तत्सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग नहीं हुए मुहरमन्त्री की सलाह पर राज्यसभा को बद्धान्तर कर दिया” दि हिन्दुस्तान टाइम्स,

^{३६} असाम १६६१, प०

^{३७} राष्ट्रपति से कुछ ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ गवर्नर ने मन्त्रिमण्डली भी नियते सदन को भंग करने सम्बन्धी सलाह द्वारा कर, उहैं राज्यपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया।

^{३८} राज्यों में पृथक् व्यवहार का पातन हुआ है। १६५५ में द्वेषकारी कोरीन के राज्यपुत्र ने नियुक्त मान मुख्यमन्त्री भी विधान समा भंग करने की सलाह की दृक्करा दिया। १६५८ में उडीका के मुख्य मन्त्री ने राजापत्र दिया। कवित रघु से उन्होंने विधान समा भी भंग करने भी सलाह दी थी। राज्यपाल ने इस सलाह के अनुस्य कार्य नहीं किया और मुख्य मन्त्री को अनुरूप राजापत्र वापिस ले गा पड़ा।

संविधान की धारा १११ में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति वित्तीय विवेयकों को अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है अथवा अपनी इच्छानुकूल संशोधन के लिए वह ऐसे विवेयक पर पुनःविचार का निर्देश देते हुए उन्हे लौटा सकता है। बी०एन० राव के अनुसार इस धारा की व्यवस्थाएँ इस मान्यता पर आधारित हैं कि इनके अन्तर्गत राष्ट्रपति के कार्य कम से कम कुछ मामलों में तो मन्त्रियों की सलाह के अतिरिक्त हो सकते हैं।^{४१} इस सन्दर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि इस धारा का आवश्यक रूप से यह आशय ही नहीं है क्योंकि महज रूप में राष्ट्रपति यह आशा नहीं रख सकता कि वह उन संशोधनों को भी मनवा सकेगा जो मंत्रिमण्डल को इच्छा के विरुद्ध है। इसका सीधा अर्थ यह है कि संसद को इस प्रस्ताव पर पुनःविचार का अवसर मिल जाता है जिसके द्वारा वह प्रथम विचार के समय छूटी हुई व्रुटियों से निवट सकती है और विकल्प स्वरूप मूल प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर सकती है। बी०एन० राव ने यह स्वीकार किया कि ऐसा संभव न होते हुए भी यह पता चलता है कि मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को इस उद्देश्य के लिए किसी प्रस्ताव पर स्वीकृति देने में विलम्ब करने सम्बन्धी सलाह दे सकती है। यह तो और भी अधिक असंभव प्रतीत होता है कि धारा १११ के अन्तर्गत राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह के दिना अथवा उसकी इच्छा के विपरीत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा क्योंकि इस प्रकट की कार्यवाही उसे विकट वाधा में डाल सकती है जिसके परिणामस्वरूप उसमें व मंत्रिपरिषद् में गम्भीर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

कुछ लोगों का यह विचार है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों को अपने विवेक में निहित औपचारिक शक्ति द्वारा पदमुक्त कर सकता है तथा लोकसभा भंग कर सकता है। वह प्रधानमन्त्री को लोकसभा के सम्बन्ध में दी गई सलाह को ठुकरा सकता है अथवा समृद्ध द्वारा पारित प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रपति को संविधान के 'संरक्षक' के रूप में काम करना होता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ जो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा करती है कि वह संविधान को बनाए रखे और उसे सुरक्षित रखे, मात्र 'खाली शब्दाङ्कन' ही नहीं है। यह वस्तुतः उस पर एक ऐसा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जो मन्त्रियों को नहीं सौंपा जा सकता। एक लेखक के अनुसार यदि राष्ट्रपति ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी मंत्री द्वारा उसको दी गई सलाह संविधान की मावना के विपरीत है और उसको मानना उसके द्वारा ली गई शपथ के प्रतिकूल होगा तो वह न्यायसंगत रूप से उसे अस्वीकृत कर सकता है।^{४२}

'संविधान के संरक्षक' की हैसियत से राष्ट्रपति के कई उत्तरदायित्व हैं जैसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, तथा अल्पसंख्यकों, जनजातियों और आदिम जनजातियों के हितों की सुरक्षा। इसके अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षित है कि वह केन्द्र के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के हितों की भी रक्षा करेगा। यह भी स्वीकार किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार

४१ बी. एन. राव, पूर्वोक्त, एन. २७, पृ. ३७७७

४२ फिरोज जै. शोए़, "प्रैसिडेंट्स पॉवर्स," दि इण्डियन एक्सप्रेस ११ जुलाई १९५६ पृ. ६

व राज्यों के मध्य समन्वय का कार्य भी राष्ट्रपति का है। पंजाबी के अनुसार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह को छुकरा सकता है, यदि उसकी हट्टि में इसके परिणामस्वरूप राज्यों के उन अधिकारों का हनन होता है जो संविधान-प्रदत्त है। एक ऐसा अवसर उस स्थिति में उपस्थित हो सकता है जब केन्द्रीय मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को सम्बन्धित राज्य के किसी ऐसे विधेयक को अस्दीकृत करने की सलाह दे जो पूर्णतः राज्य अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित हो।^{४३} ए अप्पादोराई ने यह मत व्यक्त किया है कि केन्द्र में संविधानिक व्यवस्था के अभाव से निवटने वाली धारा ३५६ के सम्बन्ध में कोई अन्य व्यवस्था न होने के कारण “राज्याध्यक्ष में एक सुरक्षित शक्ति निहित होनी चाहिए जिससे कि वह सरकारी कामकाज के सचालन, कानून व व्यवस्था तथा राज्य की अखण्डता बनाए रखने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सके।”^{४४}

राष्ट्रपति के पद की शपथ से अथवा अन्यथा उद्भत उत्तरदायित्वों या सुरक्षित शक्तियों का सीधा अर्थ यह है कि कुछ निश्चित स्थितियों में वह अपने स्वतंत्र विदेक के अनुसार काम कर सके। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे मन्त्रियों की सलाह अनुपलब्ध है बल्कि इसलिए वयोंकि उसकी हट्टि में उसको मन्त्रियों द्वारा दी गई सलाह व संविधान की व्यवस्थाओं भे अन्तविरोध है। यह स्थिति स्पष्टतः राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान करती है। यह कहा जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में इस सिद्धान्त को अवसर चुनौती दी जाती है कि सग्राट को संविधान के सरकाक की हैसियत से कुछ अव्यक्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत में तो ऐसा सिद्धान्त और भी कम व्यावहारिक है। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है जिसके अन्तर्गत न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे व्यवस्थापिका के उन प्रस्तावों व कार्यपालिका-निर्णयों को अवैध घोरार दें जिनके द्वारा मूल अधिकारों अथवा अनुमूलित जातियों, जनजातियों व धर्मसंघर्षकों के विशेष हितों, तथा शक्तियों के संघीय वितरण संबंधी संवेधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो। सधैप में न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और राष्ट्रपति से संविधान की भूमिका अपेक्षित करना अधिक न्यायसंगत नहीं है। यदि राष्ट्रपति के पद व तत्सम्बन्धी शपथ को ध्यान में रखते हुए यह तकं दिया जाए कि राष्ट्रपति उस स्थिति में अपने मन्त्रियों की सलाह छुकरा सकता है यदि उसकी हट्टि में उससे ‘जनकल्याण’ में बाधा पहुँचती हो तो उत्तर स्वरूप यह पूछा जा सकता है कि क्या इस विश्वास का कोई आधार है कि सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् अथवा समद् की तुलना में राष्ट्रपति का तत्सम्बन्धी निर्णय अधिक प्रामाणिक है? इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का निर्णय अधिक

^{४३} के. एन. पंजाबी, पूर्वोत्त. एन. ३०, पृ. ११३ ग्रेटब्राय की ओरपांग राष्ट्रपति के तत्सम्बन्धी संशोध पर आधारित है। उन्होंने निया है कि: “इस प्रधार वी जाकि दिसी शासनिक अथवा बास्तविक अधिमन्त्र गर आधारित नहीं हो सकती यद्योर प्रधेश वाट का मूल्यांकन घट्टांगी को तत्सम्बन्धी परिस्थितियों के प्रवाह में करना होता है।” पूर्वोत्त. एन. ८ १ पृ. ‘सनोर’ में निहित आक्षय यह दे कि राष्ट्रपति शक्तियों की सलाद से रक्तव्य रहकर कार्य कर सकता है।

^{४४} निर (नई दिल्ली), खाद ३, न. २५, २१ जनवरी १९९१, पृ. ५२

निष्पक्ष व व्यक्तिगत रुचि अरूपि के परे होगा और वह उन तत्वों का साधन अथवा नेता नहीं बनेगा जो केन्द्रीय सरकार की नीतियों के विरोधी है ? सक्षेप में, यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक बनाने में निहित यत्तरों को समझा जाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति के पद की शपथ अथवा इसके महाभियोग की अवस्था का कोई अर्थ नहीं है। हमने ऐसे सीमावर्ती विषयों की चर्चा की है, जाहे वे कितने भी कम क्यों न हों, जिनमें राष्ट्रपति को अपने विवेक के अधीन काम करना होता है। उसके पद की शपथ में निहित कर्तव्य तथा महाभियोग की सीमावनाएँ मिलकर राष्ट्रपति की सीमान्त मत्ता (marginal authority) के प्रयोग के समय उसके निरंकुश होने पर रोक लगाती हैं।

निश्चिततः: यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विवेक सम्बन्धी सीमा-क्षेत्र का निश्चित निर्धारण इस अवस्था में अत्यधिक जल्दवाजी का काम होगा। एक अर्थ में भारतीय राष्ट्रपतित्व अभी निर्माण-प्रक्रिया में ही है। जैसाकि एक समाचार पत्र के सम्पादकीय में यह प्रामाणिक रूप से व्यक्त किया गया कि “विद्युते कुछ वयों में राष्ट्रपति की क्षमता की अपर्याप्त रूप से ही परीक्षा हुई है।”^{४५} राष्ट्रपति व केन्द्रीय मन्त्रियों के मध्य सम्बन्धों को अभी तक कुछ घटकों ने अत्यधिक प्रभावित किया है। एक राजनीतिक दल का प्रमुख, प्रथम राष्ट्रपति का स्वभाव, प्रथम प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व व विषय का विषट्ठित स्वरूप आदि। ये घटक अनिश्चित काल तक प्रभावकारी रहने वाले नहीं हैं। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा स्थापित संविधानबाद की परम्पराएँ भारतीय भूमि में गहरी पैठ चुकी हैं या नहीं इस प्रश्न का उत्तर मविष्य के गर्भ में निहित है। भारतीय राष्ट्रपति, जैसा कि कुछ व्यक्तियों की राय भी है, तीन-चौथाई ब्रिटिश संग्राम व एक चौथाई अमेरिकी राष्ट्रपति रहेगा या वह भारतीय सुकराण बनकर प्रकट होगा, यह भारत के भावी राजनीतिक बातावरण पर निर्भर है। कुछ समय पूर्व बी० एन० राव ने यह लिखा था कि “कोई भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति के मविष्य की इससे सुखद कल्पना नहीं कर सकता कि वह अधिकाधिक ब्रिटिश संग्राम की माति हो—कानूनी शक्ति से परे, दल गत संघर्षों से दूर तथा नैतिक सत्ता प्राप्त।” जब तक भारत के राजनीतिक परिवेशों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता और जब तक संविधान की भाषा इसकी अन्तरात्मा पर हाथी नहीं होती तब तक तर्कों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपतित्व इसी निर्धारित बाह्यनीय नीतिषय पर चलेगा।

^{४५} दि स्टेटमेन, ('समाजकीय) १४ मई १९६२, पृ. ६

^{४६} बी. एन. राव, पूर्वोक्त, एन २६ पृ. ३८२

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति

भारत के राष्ट्रपति का पद, उसकी शक्तियाँ तथा स्थिति लम्बे समय से एक चर्चा का विषय रहे हैं। राष्ट्रपति की स्थिति के विषय में एक पक्ष कानूनी विश्लेषकों का है जो संविधान को कानूनी संहिता मानता है तथा किसी भी संदेह तथा विवाद के सदर्भ में उसके शब्दों: अर्थ तथा न्यायिक निर्णय को ही स्वीकार करता है। दूसरी ओर उन राजनीति शास्त्रियों का हृष्टिकोण है जो यह मानते हैं कि कानून राजनीति से गोण होता है तथा किसी भी संवैधानिक व्यवस्था का वास्तविक अर्थ तथा क्षेत्र-निधरिण, स्वयं राजनीतिक वास्तविकताएँ ही कर सकती हैं। बस्तुतः सेलमोंड ने इस तथ्य को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है :

“यदि संविधान को सर्वथा कानूनी हृष्टि से देखा जाए तो कई स्थानों पर वह वास्तविकता से मेल नहीं खाएगा। कई संवैधानिक सिद्धान्त कानूनी रूप से सत्य होते हुए भी वास्तव में सत्य नहीं होते या तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए भी कानूनी हृष्टि से वैध नहीं होते। यह सम्भव है कि कानूनी सत्ता वास्तविक नहीं हो, तथ्य वास्तविक सत्ता कानूनी नहीं हो”.....“इस प्रकार किसी संविधान की पूर्ण व्याख्या लिखित संविधान के अतिरिक्त संवैधानिक परम्पराओं पर आधारित तथ्यों को भी निहित करती है।”¹

यदि राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में कानूनी हृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए तो उसके अनुमार भारतीय राष्ट्रपति अधिनायक अधिकार तानाशाह बना दिया गया है, जो प्राचीन काल के राजाओं तथा ग्राम्यनिक तानाशाहों से भी अधिक शक्तिशाली है। उसे सर्वोच्च विधायकी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथा उसके प्रयोग पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण अधिकार सीमा नहीं लगाई गई है। यद्यपि यह सत्य है कि संविधान ‘राष्ट्रपति को अपने कार्य में सहायता एवम् परामर्श के लिए मंत्रिमंडल भी व्यवस्था करता है, जिसका मध्यध प्रधानमंत्री कहलाता है किन्तु संविधान में यह कही भी उल्लिखित नहीं है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को मानने लिए वाप्त

¹ एन्ड्रियन्स, दसवा सत्राला, पृष्ठ १४१

होगा। वस्तुतः न्यायालय इस विषय में पूछ-ताछ करने से बंचित किये गए हैं कि क्या राष्ट्रपति को कोई परामर्श दिया गया था तथा यदि दिया गया तो वह क्या था? मंत्री का कार्य राष्ट्रपति की सहायता व उसे परामर्श देना है तथा उस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। यदि किसी स्थिति में वह मंत्री की सलाह को अस्वीकार करता है तो उसका यह कार्य पूर्णतः संवैधानिक माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति ने आज तक ऐसा नहीं किया है तो उसके व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कारण रहे होंगे। वर्तमान, भविष्य का दिशा निर्धारण नहीं कर सकता। भारत के पहले दो राष्ट्रपति संविधान सभा के सदस्य थे तथा सम्पूर्ण संविधान सभा के साथ वे भी ससदीय प्रजातंत्र के आदर्श को स्वीकार करते थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति (डा० जाकिर हुसैन) भी एक शिक्षाशास्त्री तथा विद्वान थे जो राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका में विश्वास करते थे। किन्तु भविष्य में कोई राष्ट्रपति आदर्शवादी की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है जो संविधान में प्रदान की गई शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करे। उसका ऐसा करना असंवैधानिक नहीं होगा। राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में इस कानूनी हिट्कोण का संक्षिप्त उत्तर यही होगा कि कोई भी संविधान सभा जान-बूझकर एक तानाशाह अथवा अधिनायक की स्थापना नहीं करेगी। निश्चय ही एक ऐसी संविधान सभा जिसका उद्देश्य भारत को संप्रभु प्रजातंत्र बनाना था, ऐसा नहीं कर सकती। राजनीतिशास्त्रियों द्वारा यह कहा जाता है कि 'सहायता व परामर्श' वस्तुतः 'संवैधानिक अलंकार' है। यथार्थ में राष्ट्रपति के सम्मुख मंत्रियों की परामर्श पर काम करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। संविधान सभा के कार्य-विवरण में भी निरंतर यही भावना देखने में आती है। इसी भावना का समर्थन संविधान सभा के गणमान्य सदस्यों-जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, के० टी० शाह, एच० बी० कामथ, टी० टी० कृष्णामाचारी, बी० आर० अंबेडकर तथा अलादी कृष्णस्वामी अव्यार द्वारा किया गया। वस्तुतः इस हिट्कोण का मूल विटेन तथा वह डोमिनियन राज्य हैं, जहाँ ब्रिटिश संविधान व व्यवहार को एक अभिसमय के रूप में स्वीकार किया गया है।

भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के विषय में इसी प्रकार के हिट्कोण का विकास होने लगा था, किन्तु २८ नवम्बर १९६० को भारतीय विधि संस्थान (इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट) को संबोधित करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण ने इस स्थिति को बदल दिया। डा० प्रसाद ने यह मत व्यक्त किया कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को ब्रिटिश सम्राट के समान बताना भारत के संविधान की गलत व्याख्या करना है। हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो।

डा० राजेन्द्र प्रसाद की सदृश्यता के पश्च में यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते डा० राजेन्द्र प्रसाद ने निरंतर डा० अंबेडकर का ध्यान 'सहायता तथा परामर्श' शब्दों की अनुपुत्तता की ओर भाक्षित किया था। उनका यह भाग्रह था कि ये शब्द राष्ट्रपति को मंत्रियों की राय मानने के निए पर्याप्त रूप से बाध्य नहीं

करते ।^३ डा० राजेन्द्र प्रसाद के प्रयास निष्कर्ष रहे थे और संविधान सभा के सम्मुख भ्रपने भ्रतिम भाषण में अध्ययन ने इस स्थिति को निष्पातित शब्दों में प्रस्तुत किया था—

२ संविधान सभा के अध्ययन डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा संविधान प्राप्ति गविति के अध्ययन डा० अम्बेडकर के मध्य २३ मई १९४६ को हुए सत्रालाल को यही उद्देश करता उग्रोती है।

“डा० अम्बेडकर राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श के असाधा वार्ष नहीं कर सकता है और न उसे करना चाहिए।”

अध्ययन डा० राजेन्द्र प्रसाद “रिन्तु संविधान के प्राप्ति में वह व्यवस्था रही है जो राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह पर वार्ष नहीं को वाप्त करती हो ?

अम्बेडकर—मुझे पूर्ण विवाद है कि ऐसी व्यवस्था है। वह व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा।

अध्ययन—चूंकि हम सिंगित संविधान भाग रहे हैं अब इसे शप्ट शब्दों में नहीं बिल्कुल चाहिए।

डा० अम्बेडकर—यद्यपि अभी मैं नहीं कहता भवता रिन्तु मुझे पूरा विवाद है कि संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह भागते के लिए वाप्त होगा। कूछ महस्यः अनुच्छेद ६१(१)

अध्ययन—यह मात्र मंत्रियों के कर्तव्यों का बोध करता है किन्तु राष्ट्रपति के लिए इन कर्तव्य का निर्धारण नहीं करता है कि वह मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे। यह इसे भी स्पष्ट नहीं करता कि राष्ट्रपति उस सलाह को भागते के लिए वाप्त भी होगा व्यवस्था नहीं। वया इसके अतिरिक्त संविधान में बोई और प्रावधान भी है। हम उस पर भर्तुष्ठियों भी नहीं लगा सकेंगे क्योंकि वह संविधान के विषयीन वार्ष नहीं कर रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में तत्त्वावधी की व्यवस्था ही नहीं की गई है।

अम्बेडकर—यहाँ मैं आपका ही व्यान अनुच्छेद ६१ की ओर आकर्षित रहूँ। यह राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में है। वह किसी भी कार्य को तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे परामर्श नहीं मिले हैं। उसके कार्यों को करने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भ्रतिमंडल है।

अध्ययन—मुझे इस विषय में सदैह है कि ये शब्द राष्ट्रपति को वाप्त कर सकें। ये मात्र इस बात की व्यवस्था करते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्ययन प्रधानमंत्री कहलाएगा। यह वाक्य यह स्पष्ट नहीं करता है कि राष्ट्रपति उसके परामर्श को भागते के लिए वाप्त होगा।

डा० अम्बेडकर—यदि वह एक मंत्रिमंडल की राय को नहीं भागता तो उसे दूसरा मंत्रिमंडल भागता होगा जिसके परामर्श को वह स्वीकार करेगा। वह मंत्रियों से स्वतन्त्र रह कर वार्ष नहीं कर सकता।

अध्ययन—मेरा शप्ट क्षय से यह व्यवस्था करता कठिन है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह को भागते के लिए वाप्त होगा।

अम्बेडकर—हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। निदेश पद में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।

अध्ययन—मैंने उस पर भी विचार किया है। बाद में निदेश पद के विचार को पूर्णतः खाल दिया गया था। सौ. ए. दी., २१५-१६

"जहाँ तक मुझे पता है यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को मंत्रियों का परामर्श मानने के लिए विवश नहीं करता, तथापि यह आशा की गई है कि जिस प्रकार परम्परानुसार ब्रिटेन का सम्राट् सर्वदा मंत्रियों की राय करता है वैसी ही परम्परा यहाँ भी विकसित हो सकेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति संविधान में सिद्धित परिभाषा के आधार पर नहीं अपितु स्वस्थ परम्परा के आधार पर सभी श्रमियों में संबंधानिक अध्यक्ष बनेगा।"^३

के० एम० मुंशी के विचार

यथा परम्परा जिसका निर्वाह इतनी सफलतापूर्वक स्वयं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा उनके उत्तराधिकारियों जे० एस० राधाकृष्णन तथा डॉ० जाकिर हुसेन ने किया, हठता पूर्वक स्थापित हो चुकी है ? क्या भविष्य में उसका उल्लंघन नहीं किया जायगा ? इन प्रश्नों का उत्तर तो भविष्य ही देगा। इस विषय में राजनीतिक दलों में किसी प्रकार की भर्तृव्यता नहीं पाई जाती है। उनमें से कई समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। के० एम० मुंशी ने, जो हमारे संविधान निर्माणार्थों में गणान्य थे, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का विशद् अध्ययन किया है। मुंशी द्वारा यह अध्ययन भारतीय विधि संस्थान ('इन्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट') में डॉ० प्रसाद के प्रसिद्ध भाषण के पश्चात् किया गया। इस भाषण में उन्होंने सम्बन्धित विषय में वस्तु निष्ठ होने का आग्रह किया था। अतः इस पर ध्यान केन्द्रित करना उपयोगी होगा।

मुंशी अपना अध्ययन इस विचार से प्रारम्भ करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, शक्तियाँ तथा कार्य किसी निश्चित प्रतिमान पर आधारित नहीं है। अपितु यह इन प्रावधानों का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा परस्पर समझौते के आधार पर लिये गए निर्णयों का परिणाम हैं। परिणामस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह निम्नलिखित है :—

१. राष्ट्रपति को नाम भाव का अध्यक्ष नहीं होना था। इस संदर्भ में नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है 'हम राष्ट्रपति को फान्स के राष्ट्रपति के समान केवल नामभाव का अध्यक्ष ही नहीं बनाना चाहते हैं।' मुंशी निरपेक्ष रूप से कहते हैं कि 'राष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधानों को स्वीकार करते समय संविधान सभा ने यह नहीं भाना था कि वह एक शक्तिविहीन राष्ट्रपति का निर्माण कर रही थी।'^४

वह इस विचार के समर्थन में दो तके प्रस्तुत करते हैं (अ) संविधान सभा में कई सदस्य यह मानते थे कि राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की जा रही थीं।^५ तथा (ब) किसी भी उत्तरदायी सदस्य ने यहे अनुभव नहीं

^३ मी० ए० डी० XI, ६८८.

^४ मुंशी पूर्वोक्त प० ६

^५ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि की जब उन्होंने कड़ा कुछ लोग यह मानते हैं कि राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मी० ए० डी० XI, प० ६८६।

- किया था कि राष्ट्रपति संविधान के अन्तर्गत शक्ति विहीन होने वाला था।
२. संविधान सभा ने ब्रिटिश समाट तथा फासीसी राष्ट्रपति के प्रतिभारी पर विचार किया था। ब्रिटिश समाट के विचार को भारतीय संदर्भ में अव्यावहारिक माना गया। जबकि फासी के राष्ट्रपति के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। मुंशी के अनुसार 'संविधान सभा' की दो समितियों के मध्य भत्तेद के सामन्जस्य के पश्चात् जो नमूना प्रस्तुत हुआ वह जमीनी के राष्ट्रपति से मिलता जुलता था।^५
 ३. इस ब्रिटिश परम्परा को, जिसके अनुसार राजा को मन्त्रियों की सलाह के आधार पर ही कार्य करना चाहिए, भारतीय संविधान में निहित नहीं किया गया। यद्यपि संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार इस बात पर बल दिया था कि 'इस प्रावधान को संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।'
 ४. संविधान के प्रारूप में कहीं भी इस विषय को स्पष्ट नहीं किया गया।^६ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान निर्माता इसे निहित नहीं करना चाहते थे तथा इसे जानबूझ कर छोड़ दिया गया था। यदोंकि अन्य मामलों में जब भी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान की किसी विशेषता को अपनाया तो उसे संविधान में स्पष्टतः लिखित रूप में निहित किया ताकि उसके बारे में किसी प्रकार कोई अस्पष्टता नहीं रहे।
 ५. राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है।^७ यदि किसी भी विशिष्ट मामले में राष्ट्रपति को मन्त्री ऐसा परामर्श देते हैं जो राष्ट्रपति के अनुसार संविधान के विपरीत है तो वह इस प्रकार के परामर्श को संविधान के अनुसार अस्वीकार कर सकता है।
 ६. राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के प्रारम्भ में अपने कार्यों को निष्पापुण्य ढंग से करने तथा संविधान की संरक्षित, व सुरक्षित रखने की शपथ लेता है। वह जनता के कल्याण के लिए अपनी सेवाओं को समर्पित करने की भी शपथ लेता है। इस प्रकार संविधान उसे स्वयं संविधान तथा जनता का संरक्षक बना देता है। उसे संविधान की रक्षा किसी भी दिशा से आने वाले संकटों से करनी होती है।^८
 ७. राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि राष्ट्रपति न तो मात्र संसद द्वारा नियमित है और न ही वह मात्र बैन्ड में सत्ता प्राप्त दल द्वारा चुना गया व्यक्ति है। वह एक स्वतन्त्र निकाय है जो संपूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करता है तथा स्वतन्त्र शक्तियों का उपयोग करता है। मुंशी का

^५ वही पृ० १८

^६ संविधान सभा विवेट, X, २१८-३१.

^७ वही पृ० २८

^८ वही पृ० १९

यह तर्क है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व को परावर्तित करता है।^{१०} वह इस सदर्म में नेहरू तथा अंडेकर दोनों के कथनों का उल्लेख करते हैं जिनकी यह मान्यता थी कि इस प्रकार के निर्वाचिक मण्डल द्वारा निर्वाचन, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के समान होगा।^{११} इससे मुंशी दो निष्कर्ष निकालते हैं— प्रथम यह कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक अध्यक्ष नहीं है तथा द्वितीय, वह केन्द्रीय मन्त्रियों के विपरीत, जो मात्र संसद के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के सम्पूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।^{१२}

७. उत्तरदायित्व की हिट से राष्ट्रपति को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया जबकि मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

८. राष्ट्रपति की सत्ता ही देश तथा उसकी जनता को संवैधानिक एकता में बांधती है। सम्पूर्ण देश को एकता में बांधने के लिए संविधान में उसकी स्थिति स्वर्ण-न्यून के समान है। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, न्यायालय अपनी स्वतंत्रता के लिए, राज्य अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए, संसद किसी विषेयक को प्रारम्भ करने व उस पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तथा सम्पूर्ण देश संकटकाल में अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रपति पर निर्भर करते हैं।

९. यदि राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दी गईं, तो राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष रह जाएगा। इस प्रकार भारत का अर्द्ध-संघात्मक (quasi-federal) स्वरूप पूर्णतः नष्ट हो जाएगा।

इन विचारों के आधार पर के० एम० मुंशी निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

१. संविधान का अनुच्छेद ७४ भारत के राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल द्वारा दिये गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। अतः कानूनी रूप से राष्ट्रपति मन्त्रियों की सहायता व परामर्श को मानने के लिए विवश नहीं है।

२. कुछ विशिष्ट स्थितियों में संविधान स्वयं राष्ट्रपति से मन्त्रिमण्डल से स्वतन्त्र रह कर कार्य करने की अपेक्षा करता है तथा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इसके विपरीत उपस्थित हो सकती हैं जब राष्ट्रपति इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए—

^{१०} वही पृ. ३२

^{११} सो०ए०ढी०, VII, ६६५, IV, ८४६

^{१२} मुंशी, पूर्वोक्त; पृ. ३३

- (अ) सूचना प्राप्त करना तथा उसे मन्त्रिपरिषद् को बताना
 (ब) अपनी विधायनी शक्तियों का प्रयोग
 (स) विधेयकों को सम्मति प्रदान न करना
 (द) किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना
 (ए) मन्त्रिमण्डल में परामर्श प्राप्त करने की शक्ति आदि।
३. राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ मन्त्रिपरिषद् से परे अथवा ऐसी हैं जिनके बारे में मन्त्रियों के परामर्श पर निमंर नहीं रहा जा सकता है। ये शक्तियाँ निम्नांकित हैं :—
- (अ) ऐसे प्रधान मंत्री को भ्रष्टस्थ करना जो दल के बहुमत को सो चुका है।
 (ब) ऐसे मन्त्रिमण्डल को भंग करना जो संगठ का विश्वास सो चुका है।
 (स) ऐसी लोकसभा को भग करना जो राष्ट्रपति की दृष्टि में लोक विश्वास व समर्थन सो चुकी हो।
 (द) संकटकाल में उस समय मर्वोच्च रोनापति के रूप में कार्य करना जबकि मन्त्रिमण्डल देश की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा हो।
४. राष्ट्रपति को प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया एवम् प्रकारों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वोच्च सरकार के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। वह राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक शक्ति है तथा उसे ऐसी सत्ता, गतिमा तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनका यदि विभिन्न दलों द्वारा अवाक्षीय स्वरूप अपनाया जाय तो उस दशा में वह संविधान की रक्षा के लिए दलवन्दी से परे निष्पक्ष रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। उसकी मुख्य भूमिका संसदीय प्रजातन्त्र को संसदीय अराजकतावाद में परिवर्तित होने से रोकना है अथवा एक बहुमत वाली सरकार की संविधानिक स्वच्छ-दताएं नियत्रित करना है। यदि संविधान के उल्लंघन का संकट उत्पन्न होता है अथवा राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों को अंगीकार कर सकता है जो संविधान में उसे दी गई हैं। कानून उसे ऐसा करने की अनुमति देता है।

केंद्र मुंशी के विचारों का उत्तर :

मुंशी ने वास्तव में राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण प्रभुतासम्पन्न, स्थिति प्रदान की है किन्तु यह गलत मान्यताओं पर आधारित है। अतः उनके इस आकर्षक मिछात पर कई दृष्टियों से प्रहार किया जा सकता है।

(१) मुंशी ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अपनाने में संविधान निर्माताओं के आशय को प्रदर्शित करने के लिए संविधान सभा के कार्य-विवरण को अपने विचार का मूल आधार बनाया है। किन्तु यदि इन दस्तावेजों को संदर्भ सहित देखा जाए तो वे मुंशी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते। संविधान सभा में द्वितीय प्रजातन्त्रीय कार्यपालिका

के विषय में सहमति थी। यह प्रस्तुत कथनों से असदिग्द रूप से प्रमाणित हो जाता है।

एच. बी. कामथ. "हम हमारे राष्ट्रपति को एक सर्वधानिक अध्यक्ष का रूप दे देना चाहते हैं हमारी यह अपेक्षा है कि वह मंसद् की सलाह तक्षा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।"^{१३} डॉ. पी. एस. देशमुख: "मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई राष्ट्रपति मण्डल की सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा और कोई भी केविनेट सदन के बहुमत के बिना कार्य नहीं करेगा।"^{१४}

के हनुमंथेया : "इस संविधान में राष्ट्रपति को राज्य करने का अधिकार दिया गया है, शासन करने का नहीं। भारत का राष्ट्रपति कुछ ब्रिटेन के सम्माट के समान है।"^{१५}

सरदार पटेल : "इन दीनों समितियों (केन्द्रीय तथा कमेटी और मॉडल प्रोविंशियल कॉन्स्टीट्यूशन) की बैठक हुई तथा वे इस निर्णय पर पहुँची कि भारतीय परिस्थितियों के लिए, संसदीय प्रणाली, जैसी कि ब्रिटेन में है तथा जिसमें हम परिचित भी हैं, मवर्या उपयुक्त रहेगी।"

अम्बेडकर : "भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्माट की है। वह राज्य का अध्यक्ष है किन्तु कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं है।"^{१६}

राजेन्द्र प्रसाद : 'हमने बहुत कुछ सीमा तक भारत के राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्माट की स्थिति स्वीकार की है.....उसकी स्थिति सर्वधानिक अध्यक्ष की है।'^{१७}

टी. टी. कृष्णमाचारी : "जहाँ तक राष्ट्रपति के मण्डल से सम्बन्धों का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमने पूर्णरूपेण उसी प्रकार के उत्तरदायी शासन के स्वरूप को अपनाया है जो आजकल ब्रिटेन में पाया जाता है।"^{१८}

अल्लादी कृष्णस्वामी अथवा : "पूर्विन कॉन्स्टीट्यूशन कमेटी ने तथा इस संविधान सभा ने मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली को अपनाया है।"^{१९}

के. हनुमंथेया . "संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है।"^{२०}

संविधान सभा के सभी गणमान्य सदस्यों को उद्भूत करके यह प्रमाणित किया जा सकता है कि वे भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटेन के सम्माट जार्ज पचम का रूपांतरण मानते थे। स्वयं के.एम. मुन्शी ने यह स्वीकार किया है कि "प्रारम्भ से ही संविधान सभा का निरपेक्ष बहुमत सधीय सरकार के लिए मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली का समर्थन करता

^{१३} सी. ए. डी. VII, २०५

^{१४} वही, २११

^{१५} सी. ए. डी. VII, ६६६

^{१६} सी. ए. डी. IV, ५८०

^{१७} सी. ए. डी. VII, ३२

^{१८} सी. ए. डी. XI, ६८८

^{१९} सी. ए. डी. XI, ६४६

^{२०} सी.ए.डी. VII, ६८६

था।^{२१} तथा यह भी कि "यूनियन कॉस्टीट्यूशन कमेटी की प्रारम्भिक अवस्था में यह निर्णय कर लिया गया था"....."कि हमारी संघीय गरकार श्रिटिंग सरकार के समान होगी तथा अमेरिकी सरकार प्रणाली अथवा विशेष इस से समुक्त राज्य अमेरिका के सरकार के नमूने को अस्वीकार कर दिया गया था।"^{२२} यह आपचर्यजनक प्रतीत होता है कि यह मुंशी यह कहे कि न तो वह अवसर, जब यह वायप कह गए थे और न इससे सम्बन्ध मुद्रा ही केविनेट और राष्ट्रपति की स्पष्ट प्राक्तियों व उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है।^{२३} संविधान सभा के सदस्य श्रिटिंग प्रतिमान 'अथवा संसदीय व्यवस्था' जैसे पदों का प्रयोग, राष्ट्रपति संसद तथा मंत्रिमण्डल के परस्पर सम्बन्धों के अतिरिक्त किसी अन्य संदर्भ में नहीं कर सकते थे। सर अर्नेस्ट बाकंर ने लिया है कि वास्तविक तथा नाममात्र की दोहरी वार्यपालिका ही श्रिटिंग संसदीय सरकार की मूल विशेषता है। यद्यपि यह सत्य है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति वी स्थिति, एक श्रिटिंग राजा जैसे पूर्णतः बंशानुगत अध्यक्ष के समान नहीं हो सकती है तथापि इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि कई राज्यों में श्रिटिंग सभाओं से मिलते जुलते नाममात्र के संवैधानिक अध्यक्ष की सफलतापूर्वक स्थापना की गई है। श्रिटेन के भूतपूर्व उपनिवेशों ने संसदीय प्रणाली अपना कर इसी प्रकार के राज्याध्यक्ष का निर्माण किया है। इन उपनिवेशों ने अपने स्वतन्त्रता-संघर्ष के दौरान श्रिटेन के प्रजातन्त्र को आर्द्ध माना था। वे उपनिवेशी सरकारों में राजा के प्रतिनिधि शासकों के तीव्र शालोचक थे क्योंकि उन्हें साम्राज्य के हित में असीमित विशिष्ट एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त थीं। भत्त: यह स्वाभाविक ही लगता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ये राज्य पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के भारी में आने वाली वाधाओं को पूर्णतः समाप्त करते।

इस ऐतिहासिक सदर्भ में यह विश्वास करना कठिन है कि भारतीय संविधान सभा, उपनिवेशक के गवर्नर जनरल के समान ही शक्तिशाली व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के पद पर स्थापित करती है। वस्तुतः उस राज्याध्यक्ष की शक्तियों को उसी प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है जिस प्रकार श्रिटेन का सभाओं है जो पराधीनता की स्थिति में हमारा आदर्श हुआ करता था।

इसके अतिरिक्त इस बात पर ध्यान आकर्षित करना भी उचित होगा कि संविधान सभा के किसी भी सदस्य ने कभी यह सुझाव नहीं दिया था कि राष्ट्रपति को एक स्वतन्त्र शक्ति का केन्द्र होना चाहिए अथवा उसे मन्त्रियों की राय भानने के लिये वाद्य नहीं होना चाहिए। वस्तुतः मदस्य इसलिए चित्तित ये क्योंकि संविधान द्वारा प्रदान किये गए वास्तविक प्रावधान उनकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते थे तथा राष्ट्रपति को पूर्णतः संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बनाते थे। अल्लादी, अम्बेडकर तथा टी०टी०के० ने पर्याप्त आप्रहपूर्वक सदस्यों को यह विश्वास दिया कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकते हैं। इस प्रकार की उनकी आशकाएं निर्मूल हैं। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक बार किर दोहराई गई जब मार्च १९६२ में राज्य सभा में

२१ सी. ए. डी. ६६५

२२ मुंशी पूर्वोक्त पृ० २

२३ सी. ए. डी. ६६६

कम्युनिस्ट मदस्य भूपेश गुप्त ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में संविधान में इन प्रकार का संशोधन करने की मीठ की गई थी जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना बायं करने का स्पष्ट नियेप हो। अब यह आशयंजनक लगता है कि को० एम० मुंशी यह विचार व्यक्त करें हि संविधान सभा के किसी भी उत्तरदायी सदस्य ने यह नहीं कहा था कि राष्ट्रपति एक शक्तिविहीन अध्यक्ष होगा। सत्य यह है कि संविधान सभा के किसी भी मदस्य को इस विषय में विलुप्त भी सन्देह नहीं था कि ये भारत के लिए ग्रिटिंग राजा के मामान ही एक सर्वेधानिक राष्ट्रपति की व्यवस्था कर रहे थे। जहाँ तक संविधान सभा के सदस्यों की इच्छा का प्रश्न है, यही वास्तविक स्थिति है।

यह स्वीकार करने के पश्चात् कि भारत में समसीय प्रणाली को अपनाया गया है। मुंशी यह स्पष्ट करने में भ्रमर्थ रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रणाली में स्वतन्त्र शक्तिशाली राष्ट्रपति का सामनस्य हो सकता है। मन्त्रिमण्डल सोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की यह व्यवस्था राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल का परामर्श मानने के लिये वाध्य करती है। क्योंकि मन्त्री किसी भी ऐसी नीति प्रयोग निर्णय का समर्थन नहीं कर सकता है जो स्वयं उसके द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो। दूसरे शब्दों में, संसदीय सरकार के सिद्धान्त का सामनस्य एक स्वतन्त्र शक्तिशाली राष्ट्रपति के सिद्धान्त से नहीं हो सकता है क्योंकि मन्त्रिमण्डल दो स्वामियों की सेवा नहीं भर सकता। मन्त्रिमण्डल अपने बहुमत के कारण सोकसभा पर नियन्त्रण रख सकता है तथा अपनी इसी स्थिति के कारण यह राष्ट्रपति को किसी भी परामर्श को मानने के लिए वाध्य भी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस परामर्श की उपेक्षा करना संकटपूर्ण होगा। यदि वह ऐसा करेगा तो निम्नदेह मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देगा, वैकल्पिक सरकार का निर्माण संभव नहीं होगा। अतः लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। इसके पश्चात् जो चुनाव होंगे उसमें सम्पूर्ण देश राष्ट्रपति की इस कार्यवाही के समर्थनों व विरोधियों में बैट जाएगा। यदि चुनाव का परिणाम उसके विपरीत जाता है तो उसके लिए अपने पद पर बना रहना भी कठिन हो जाएगा। किसी भी स्थिति में जटिल राजनीति में उसकी संलग्नता उसके उच्च पद तथा मर्यादा के गोरख का विनाश करने वाली होगी। बस्तुतः यदि मन्त्रिमण्डल को पर्याप्त बहुमत मिल गया तो वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव कर सकता है। यह कहना गलत होगा कि यदि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह को अस्वीकार करता है तो उस पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' संविधान का अतिक्रमण करने पर धारा ६१ के अन्तर्गत लगाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण क्या है यह एक कानूनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रश्न है। संविधान का अतिक्रमण उसे माना जाएगा जिसे संसद के दो सदनों का दो तिहाई बहुमत स्वीकृति दे। चाहे संसद के दो तिहाई बहुमत का निर्णय गलत, गैरकानूनी तथा दूषित हो किन्तु यह अन्तिम होता है तथा संविधान की व्यवस्था के अनुसार महाभियोग के निर्णय के लिए किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया निम्नांकित है। (अ) किसी सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिये चौदह दिन पहले नोटिस दिया जाता है। (ब) महाभियोग लगाये जाने वाले प्रस्ताव को उस सदन की मुख्य सदस्यता

के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तब दूसरा सदन लगाये गये अभियोग की जांच करता है अथवा करवाता है तथा ऐसी जांच में राष्ट्रपति को उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होता है। (३) यदि जांच के बाद यह सदन अपनी कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से यह घोषणा करता है कि राष्ट्रपति के विशद लगाया गया आरोप ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्ताव के पश्चात् राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।

राष्ट्रपति की अनिम स्थिति इस तथ्य पर निर्भर है कि वह संसद के काम-से-कम एक सदन में एक तिहाई सदस्यों का समर्थन लगाए रखे। यदि वह ऐसा करने से असफल रहता है तो उसका पद पर बना रहना असम्भव होगा, चाहे उसका हिंटिकोए कितना ही उचित क्यों न हो अथवा जांच का परिणाम कुछ भी क्यों न निकले। इससे निहित मामले व प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। संसद में भत्तान दल के सचेतकों द्वारा नियोजित होता है। सदरय अपने अन्तरात्मा के अनुसार भत्तान नहीं करते। इस प्रकार राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की राय को अस्वीकार करने का निर्णय लेने पर महाभियोग की संभावना से मुक्त नहीं रह सकता है बल्कि यह उपाय उस पर पर्याप्त नियन्त्रण का कार्य करता है, विशेषतः जब तक मन्त्रिमण्डल को दोनों सदनों में दो तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त हो। राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों पर विचार करते समय अक्सर यह भुला दिया जाता है कि यह एक कानूनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रश्न है तथा इसका उत्तर कानूनी अथवा संविधान के शब्दों पर उत्तर निर्भर नहीं करता है जितना (अ) विभिन्न दलों की स्थिति तथा संसद में उनके नेतृत्व (ब) राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री के परस्पर सम्बन्धों की स्थिति (स) राष्ट्रपति की सामान्य स्थिति तथा जनमत पर यदि राज्य बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक-व्यापान्ति के कारण संकटकानीन स्थिति में है तथा प्रधानमन्त्री लोकमान में नाममात्र के बहुमत के माये कोई दुर्बल व्यक्ति है तो निःसन्देह जनता अपने संरक्षण व निर्देशन के लिए राष्ट्रपति की ओर उम्मुख होगी, विशेषतः यदि राष्ट्रपति सुहृद चरित्र वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति हो। उन घटकों का निर्धारण करना अथवा अनुमान लगाना असम्भव है जो वस्तुतः राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री की शक्तियों व कार्यों का निर्धारण किमी विशिष्ट स्थिति में करते हैं। निःसन्देह राष्ट्रपति की सरकार में वास्तविक स्थिति का ज्ञान उमकी संवैधानिक शक्तियों का अर्थ कानूनी शब्दों या संविधान में खोजने पर नहीं होगा। यह कई घटकों पर निर्भर करेगा जिनका अनुमान किया जा सकता है, किन्तु जिनकी गणना नहीं की जा सकती।

सत्य तो यह है कि संविधान निर्भायामों ने सामान्यतः यह मान लिया था कि राष्ट्रपति नाममात्र के अध्यक्ष से अधिक नहीं होगा। डॉ. अन्वेषकर ने बार-बार इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था तथा किसी भी सदस्य ने उनकी इस भान्यता को चुनौती नहीं दी थी। पण्डित नेहरू ने तो यहीं तक कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष व्यवस्था वस्तुतः इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए थी कि वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल तथा संसद में निहित थी न कि राष्ट्रपति में। इसमें निहित तर्क यह था कि यदि राष्ट्रपति को व्यस्तक भत्तान के आधार पर चुना जाता है तो वह भी आधिकारिक हूप से यह दावा कर

सकता था कि वह जनता का प्रतिनिधि है। किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति इस सत्ता से विहीन था। यह सत्ता लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित मन्त्रियों में निहित थी, जो अपने निर्णयों को प्रयुक्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की आलोचना की। उनका यह तर्क था कि वह 'पूर्णतः जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।' २४ अम्बेडकर, हनुमन्थेया विश्वनाथ दाम तथा कई अन्य सदस्यों का कहना था कि राष्ट्रपति औपचारिक अध्यक्ष मात्र था, अतः उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करना अनावश्यक था। के. हनुमन्थेया ने कहा 'संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ उत्तरदायी शासन प्रणाली है। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का सचालन नहीं करती है वल्कि इसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन का सचालन करते हैं।' इस मिठान्त के अनुसार संविधान ने जानवृक्ष कर राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की है। इसमें राष्ट्रपति की स्थिति राज्य करने की है शासन करने की नहीं। भारत का राष्ट्रपति विटेन के राजा की तरह है.....' २५ यह संशोधन (के०टी०शाह का संशोधन) संविधान के संपूर्ण प्राप्ति से असंगत है अत इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन को इसलिए प्रत्यक्ष नहीं बनाया गया ताकि राष्ट्रपति की शक्ति तथा स्थिति के विषय में कोई गलत धारणा न बने। अत अब यह तर्क किस प्रकार दिया जा सकता है कि निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के समान है। इस प्रकार यह व्यवस्था संविधान की योजना में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करती है। २५

यदि मुंशी के तर्क के अनुसार राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है तो उससे राजनीतिक दल-बन्दी से परे होने तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। वस्तुतः राष्ट्रपति को ऐसी कोई भूमिका उसे प्रजातन्त्र तथा प्रगति की विपरीत दिशा में ढकेल देगी। हमें यह नहीं बताया गया है कि किन अवस्थाओं में, किस प्रकार, राष्ट्रपति प्रजातन्त्रीय प्रकार तथा प्रक्रियाओं की सुरक्षा करेगा। मुंशी का विचार है कि जब राजनीतिक दल उच्छृंखल स्वस्थ अपना लें तो राष्ट्रपति राजनीतिक दलबन्दी से ऊपर होने के कारण उन्हें नियन्त्रित कर सकता है तथा इस प्रकार वह संविधान की रक्षा कर सकता है। "राष्ट्रपति किस प्रकार यह निर्णय कर सकता है कि सरकार का कोई कार्य संवैधानिक उच्छृंखलता है या नहीं?" यदि वह सदन में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को अपदस्थ करता है और संसद द्वारा पारित विधेयकों को, संवैधानिक उच्छृंखलताओं को रोकने के लिए अस्वीकृत कर देता है तो क्या वह संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त लोकप्रिय राय की अवहेलना नहीं करेगा? शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि संसद द्वारा किसी कातिकारी विधेयक को पारित करने से पहले सरकार को जनता से स्पष्ट समर्थन प्राप्त करना चाहिए। अर्थात् यदि कोई सरकार अपने विधि-निर्माण कार्यक्रम को अपने निर्वाचन घोषणापत्र से आगे बढ़ाना चाहती है तो यह राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि संसद के बहुमत का सरकार दुर्घटयोग न करे। स्पष्टतः यह तर्क तभी दिया जाता है जब वामपक्षी

२४ के.टी.शाह—मी.ए.डी.; VII, ६६१

२५ मी.ए.डी., VII, ६६६

सरकार मत्तास्थल हो। एक वामपंथी यदिकाग्रंथी की सरकार की अपेक्षा मध्यमार्गी सरकार पर यह तर्क लागू नहीं होता है। संवैधानिक उच्छ्वास गतता का नियम उन हिनों व स्वायों वाले लोगों द्वारा उठाया जाता है जो संसदीय बहुमत प्राप्त सरकार के प्रगतिशूली विचिन्निर्माण कार्य के मार्ग में वाधा उत्पन्न करना चाहते हैं।^{२६} घरनी प्रतिक्रियावादी विचारधारा के विषय में समर्थन प्राप्त करने में अमरपर्यं द्वारा विचारणा द्वारा चाहते हैं। यह घरनी प्रतिक्रियावादी विचारधारा के विषय में पक्ष में करने के लिए राष्ट्रपति ने यह अपेक्षा करते हैं। कि वह राज्याध्यक्ष की हैसियत से प्रजातन्त्र व संविधान की रक्षा करे और स्वयं हस्तधोष करे। संवैधानिक हृषि से सरकार लोक समा के प्रति उत्तरदायी है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करेगी तो संपूर्ण विरोधी पक्ष उम्मत विरोध कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा करना अनुचित है कि संसद का बहुमत दल ऐसे मदस्यों का समर्थन करेगा जो संविधान का उल्लंघन करना चाहेंगे। इस मिदास्त के अनुमार भविधानिक शौचित्र्य का निर्णय करने के लिए संसद के ५०० से भी अधिक सदस्यों की जुलाना में एक राष्ट्रपति उचित निर्णायक होगा। स्पष्टन: यदि एक व्यक्ति को जनता द्वारा अपेक्षित सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के मार्ग में व्यवस्था उत्पन्न करने की शक्तियों दी जायेगी, तो प्रजातन्त्रीय व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं टिक सकेगी। यह स्थिति राष्ट्रपति को प्रतिक्रियावादी, प्रजातन्त्र का विरोध करने वाला, निहित स्वायों का सरकार, सम्पन्न अथवा समृद्ध वर्ग का संरक्षक, शक्तिवान् तथा प्रगति का शत्रु बना देती है।

पिछले १६ वर्षों के संविधान के व्याख्यातिक अनुमति ने मुख्यों के विवार को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। भूपेण गुप्त के संवैधानिक संगोष्ठीन विधेयक पर विचार करते समय प्रधानमन्त्री नेहरू ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय संविधान मूलतः विटिश संसदीय रूप पर आधारित है तथा भारत का राष्ट्रपति राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टि से विटिश सम्बाट के भमान है। नेहरू ने इस बात पर भी वल दिया था कि भारत के राष्ट्रपति ने पिछले वर्षों में राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के हृषि में ही कार्य किया था। अभी तक ऐसे उदाहरण नहीं उपलब्ध है कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों की उपेक्षा करके संसद को संदेश भेजा हो अथवा किसी विधेयक पर निवैधाधिकार का प्रयोग किया हो अथवा उस विधेयक को संसद को पुर्णविचार के लिये भेजा हो। संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग भी उसके द्वारा पूर्णतः मन्त्रिभण्डल के परामर्श के अनुमार ही किया गया है। विभिन्न राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न कारणों के आधार पर किया गया है जैसे पेप्पू तथा हरियाला में भट्टाचार, द्रावनकोर-कोचीन, आनंद, पंजाब, उडीसा तथा केरल में अस्थाई राजनीति। इनमें से किसी भी मामले में ऐसे प्रयास नहीं हैं जहाँ इस सम्बन्ध में कार्यवाही की राष्ट्रपति की ओर से पहल हुई हो। अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने के अधिकार का प्रयोग

^{२६} ये वे निहित स्वायों वाले व्यक्ति हैं जो भविष्य में व्यस्त भागधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद द्वारा संपत्ति के प्रजातन्त्रीकरण, समाजवादी तथा समानतात्पूर्ण अवसरों को प्रदान करने के प्रयत्नों से विलान हैं। ये वे लोग हैं जो भविष्य से ढर्ते हैं। टो.टी. कुलामाचारी, सी.ए.डी.

भी राष्ट्रपति ने वैयक्तिक निर्णय के आधार पर नहीं किया है। न ही आम चुनावों के पश्चात् प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में उसने लोकसदन के बहुमत के नेता की उपेक्षा ही की है।

संक्षेप में, पिछले १६ वर्षों में हमारे संविधान के क्रियात्मक रूप में भारत का राष्ट्रपति गम्भीर अर्थों में संवैधानिक अध्यक्ष मात्र रहा है जो सभी स्थितियों व मामलों में अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह से काम करता आया है। केंद्रम् मुंशी का विचार है कि ऐसा राजनीतिक तथा वैयक्तिक कारणों से हुआ है। उनकी यह मान्यता है कि स्थिति बदलने के साथ इन परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्यम् भावी है। सम्प्रति कार्य-निवारण के कारण थे:—
 (अ) प्रधेक आमचुनाव के पश्चात् लोकसभा में कांग्रेस को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हुआ।
 (ब) कांग्रेस, देश तथा संसद में नेहरू की प्रभावशाली स्थिति, डा० राधाकृष्णन के साथ निकट व सहयोगपूर्ण सम्पर्क तथा उन दोनों में परस्पर सम्मान और स्नेह की मावना का होना। (स) वर्तमान राष्ट्रपतियों के संविधान सभा तथा उसके आदानों से भूतपूर्व सम्बन्ध (द) भारत के प्रथम दो राष्ट्रपतियों (डा० राजेन्द्र प्रसाद व डा० राधाकृष्णन) का गौरवपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी सादगी, उच्च आदर्शवाद, प्रजातन्त्र में उनकी आस्था, संविधान-वाद के प्रति उनकी निष्ठा तथा विठ्ठण संसदीय प्रणाली में आस्था, ये वे तथ्य हैं जिन्होंने प्रारम्भिक वर्षों में भारत के राष्ट्रपति के पद की विटेन के राजा के समान संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ढाल दिया।

चौथे आम चुनाव के पश्चात् संसद में कांग्रेस का बहुमत बुरी तरह से गिरा था। नेहरू अब जीवित नहीं है। प्रधानमन्त्री का दल पर नियन्त्रण कमज़ोर तथा ढीला था। स्वयं शासक दल आन्तरिक मतभेदों से ग्रस्त है। अर्थात् पर्याप्त सीमा तक राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाने वाले, वैयक्तिक तथा राजनीतिक कारण प्रायः समाप्त हो गये हैं। किन्तु राष्ट्रपति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन भी पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के समान पर्याप्त रूप से सरल स्वभाव के थे। किन्तु यदि कोई शक्ति-शाती व महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति चुन भी लिया जाता है तो वह भी ऐसे प्रधानमन्त्री की अवहेलना नहीं कर सकेगा, जिसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे प्रधानमन्त्री के साथ सधर्प में राष्ट्रपति को भुक्ना ही पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो गम्भीर संवैधानिक संकट उपस्थित हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति पर महामियोग लगाया जाएगा तथा राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

संविधान सभा ने राष्ट्रपति को आंपचारिक रूप से क्यों नहीं बाध्य किया ?:

संविधान सभा ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था निश्चित रूप में क्यों नहीं की कि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की राय को मानने के लिये बाध्य होगा तथा ऐसी राय के बिना पूर्णतः शक्ति-हीन होगा ? इस प्रश्न को कई बार संविधान सभा में उठाया गया था। उसके बाद भी इस समय-नमय पर उठाया जाता रहा। यदि राष्ट्रपति को पूर्णतः एक ऐसा संवैधानिक अध्यक्ष बनाना था, जो अपने मंत्रियों को सलाह के बिना कोई कार्य न कर सकता हो, तो संविधान

में गेमा स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता था। इसका कारण किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अमावधानी नहीं है। स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष ने बार-बार इस विषय की और ध्यान आकर्षित किया था। हर बार जो उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार था (अ) प्रस्तुत व्यवस्था का यह अर्थ था कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की राष्ट्र मानने के लिये वाध्य होगा (ब) इस प्रकार की व्यवस्था निर्देश-पत्र में कर दी गई है। किन्तु बाद में, स्वयं निर्देशपत्र की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। निर्देश-पत्र के समाप्त होने के पश्चात् भी संविधान निर्माताओं ने यह नहीं माना था कि राष्ट्रपति की मूल स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ था। जब यह आरोप लगाया गया कि संविधान में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है तब टी० टी० कृष्णमाचारी ने उत्तर-स्वरूप यह कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय के विषय में किसी प्रकार का सदैह नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के तृतीय पाठन के ममत किसी भी अन्य सदस्य ने इस प्रश्न को नहीं उठाया था। स्वयं डा० मन्नेडकर ने इस प्रश्न के प्रसंग को ही टाल दिया था। तथापि इसके विषय में कृष्णमाचारी के बकतबो तथा अन्नेडकर, अल्लादी तथा अन्य प्रवक्ताओं के पिछले भाषणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे यह मानते थे कि संविधान का अनुच्छेद ७४ राष्ट्रपति को अपने मन्त्रियों की मानह परिवेशण रूप में मानने के लिए वाध्य करता है।^{२७}

इसके विषय में पहली मान्यता यह थी कि संविधान संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करना था। टी० टी० कृष्णमाचारी ने संविधान सभा से कहा था कि उत्तरदायी सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी नहीं होती है।^{२८} संसदीय प्रजातन्त्र में (अ) संसद तथा मंत्रिमण्डल के मध्य शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है (ब) मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा साथ ही इसे नियंत्रित करने की स्थिति में भी होता है। (स) यदि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल का परामर्श मानने में इकार करदे तो राज्य में यांसीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। (द) कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार के संकट को सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वह जानता है कि यदि वह मतदाताओं में रोमर्थन प्राप्त करते में असमर्थ रहा तो उसके बिल्ड महाभियोग लगाया जा सकेगा। (य) इसमें सम्बन्धित किसी भी अन्य स्थिति में राज्य के निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी (र) राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव उन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मन्त्रियों में संधर्पेरत होने से रोकेगा।

द्वितीय, संविधान निर्माताओं की यह हादिक इच्छा भी कि जिस प्रकार ट्रिटेन के ग्राहाट के विषय में उस परम्परा का विकास हुआ है कि वह मात्र मन्त्रियों की मताह पर ही कार्य करेगा, वैसी ही परम्परा वा मारत में विकास भी हो।^{२९} वे दोस भवन्त्र में सहमत थे

^{२७} अनुच्छेद ७४ (१) के अनुसार राष्ट्रपति के दायी में “सहायता तथा परामर्श” के लिए एक मन्त्रिमण्डल हैला विभाग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री वहलागा।

^{२८} गोडे, XI, ६५६

^{२९} रावेन्द्र प्रसाद, पूर्वोत्तम, ६५६

कि कई विदिश उपनिवेशों में सफलतापूर्वक इस प्रकार की परम्परा का विकास किया गया था तथा वहाँ के संविधानों में लिखित रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यह आशा की गई थी कि उसी प्रकार बिना किसी लिखित रूप के भारत में भी इस परम्परा का विकास किया जा सकेगा।^{३०}

तीसरी मान्यता यह थी कि संविधान में संशोधन के लिए पर्याप्त सुविधाजनक विधि दी गई है, जब भी कोई गम्भीर कठिनाई उत्पन्न होगी उसके लिए यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।^{३१} चौथी मान्यता यह थी कि संविधान निर्माता चाहे राष्ट्रपति को शक्तिवान नहीं बनाना चाहते थे किन्तु उसे गौरवपूर्ण अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यदि उसे स्पष्टरूप से ग्रीष्मारिक अध्यक्ष मात्र बना दिया जाता तो उसके पद का गौरव तथा महिमा समाप्त हो जाती।

इसके अतिरिक्त यह सच्चा आदर्श भी विद्यमान था कि राष्ट्रपति एक विचारशील व्यक्ति, प्रजातन्त्र का महान प्रतीक तथा हमारी स्वतंत्रता का रक्षक होगा, अतः वह संविधान की रक्षा करेगा।

छठी मान्यता यह थी कि कुछ मामलों में संविधान निर्माता राष्ट्रपति को उसकी वैयक्तिक निर्णय शक्ति का उपयोग करने देना चाहते थे। टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि ऐसी तीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें राष्ट्रपति अपनी वैयक्तिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता था (अ) जब मन्त्रिमण्डल को भग करने का प्रश्न हो। (ब) किसी व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल के गठन हेतु आमंत्रित करने का प्रश्न हो या (स) मंत्रिमण्डल को अपदस्थ करने का प्रश्न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे मामले उत्पन्न हो सकते हैं, अतः हम निश्चित रूप से संविधान में यह नहीं लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति को कव क्या करना चाहिए अथवा प्रधानमंत्री उससे क्या करने को कह सकता है। विशेषतः उस स्थिति में जब दुविधापूर्ण स्थिति का समाधान करने में वह अपने वैयक्तिक निर्णय का प्रयोग कर सकता हो। उन्होंने यह स्वीकार किया कि तथ्यों का मूल्यांकन करने में अथवा उनके सदर्भ में किसी निश्चित निर्णय में चुटि हो सकती थी। उन्होंने संविधान समा से कहा कि हमारा यह विचार है कि इस विषय को हमें परम्पराओं के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसी परम्पराएँ जो उन देशों में विकसित हुई हैं जहाँ उत्तरदायी शासनप्रणाली की स्थापना की गई है। उन्होंने सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि इन सब मामलों में ब्रिटेन में सभ्राट तथा मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में पर्याप्त हृढ़ परम्पराओं का विकास हो चुका है। अस्तु हमें पर्याप्त आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति उनका दुरुपयोग नहीं करेगा।^{३२} इस विचार को भूपेश गुप्त द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन

^{३०} पण्डितकर इहते हैं, संविधान में ऐसा बहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति मात्र के विनेड की राय पर शायं करेगा। उसका उत्तर यही है कि वेजहट दायरी व एम्स वी रचनाएँ देखिए। भारतीय संविधान वो लिखित जर्यों में ही पढ़ना गमक्षना या उभकी ध्यान्या नहीं बरनी चाहिए अपितु ब्रिटेन में संवेदनानिक विधि में अलिखित परम्पराओं के विकास के संदर्भ में ऐसा बरना चाहिए। के. एम. पण्डितकर, द काउटेन ऑफ न्यू इण्डिया १६६३, पृ १५३

^{३१} पूर्वोत्तर १७६८, सी. ए. डी. viii, २१६

^{३२} सी. ए. डी. १६५७

विधेयक पर राज्य समा में १६ नवम्बर १९६२ को विचार के दौरान पर्याप्त समर्थन मिला था कि राष्ट्रपति को उन स्थितियों से निवारने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ दी जाएँ, जहाँ प्रधानमंत्री अधिकार संसद् पर निर्भर नहीं रहा जा सकता हो।^{३३} के संयोग में विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में कोई भी कटौती दुष्प्रवृत्तिवान् मंत्रियों को तानाशाही के लिए उन्मुक्त कर देयी। राष्ट्रपति को असाधारण स्थिति में इन शक्तियों की आवश्यकता संविधान की रक्षा के लिए तथा यह देखने के लिए कि मन्त्रिमण्डल को संसद् का विश्वास प्राप्त था। ए० छो० मणि ने कहा कि राष्ट्रपति को उन शक्तियों की आवश्यकता मन्त्रिमण्डल के उच्छ्रुत खल कायों को नियन्त्रित करने के लिए है।

इन विचारों के अधार पर संविधान समा ने राष्ट्रपति की शक्तियों को परम्पराओं के विकास द्वारा नियन्त्रित होने के लिए छोड़ दिया था। उसकी यह धारणा थी कि साधारणतः राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करेगा और उसकी सलाह को अस्तीकार करने का उसे पूर्णतः अधिकार नहीं होगा। जैसा कि ए० सप्त० तप्त० ने राज्य समा में कहा “हमें राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के मध्य संघर्ष की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि संसद् तथा जनमत सक्रिय रहे तो इस प्रकार के संघर्ष की अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं होगा।” किन्तु संविधान समा को उस स्थिति की आशंका थी जब जनमत सतर्क न रहे, संसद् विभिन्न गुटों में विभाजित हो जाए तथा केन्द्र में संवैधानिक ढाँचा टूट जाए तो ऐसी स्थिति का एकमात्र समाधान राष्ट्रपति का शासन हो सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लचीला बना कर छोड़ दिया गया है। के०बी० राव ने राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में संविधान निर्माताश्रों की विचारधारा को बड़े उपयुक्त शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है—भारत में प्रजातन्त्र पहली बार स्थापित किया जा रहा है। प्रजातन्त्र के लिए कई अवस्थाओं का होना आवश्यक है किन्तु जब तक इन अवस्थाओं की स्थापना हो तथा परम्पराओं का विकास हो तब तक देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। अतः देश लिए एक बेन्ड्रीकृत हड़ कार्यकारी नेतृत्व की आवश्यकता है अत्यधा प्रजातन्त्र का ढाँचा संकट-काल में नष्ट हो जाएगा.....अतः सपूर्ण व्यवस्था को नमनीय बनाया जाना चाहिए। यदि सुदृढ़ राजनीतिक दलों का विकास हो जाता है तथा लोगों में संविधानवाद के प्रति निष्ठा विकसिक हो जाती है तो देश में संसदीय व्यवस्था विकसित हो सकेगी, अन्यथा राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा ताकि देश को संकट न उठाना पड़े।^{३४}

इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों नमनीय रखी गई हैं। संविधान निर्माता यह जानते थे कि भारत में विटिंग व्यवस्था के समान द्विदलीय पद्धति का विकास हो गया तो राष्ट्रपति अपरिहार्य हूप से नाममात्र का अध्यक्ष बन जाएगा किन्तु यदि इसके विपरीत कई राजनीतिक दलों की रचना हो जाती है

^{३३} यह विधेयक संविधान के अनुछेद ७४ के संशोधन के लिए राव या वा ताकि राष्ट्रपति की मंत्रियों की सलाह भानते के लिए वाप्त किया जाए।

^{३४} के०बी० राव द्वृतोल, गुप्त ५३

जो देश को एक सुहृद, स्थायी तथा एकतावद्ध सरकार देने में असमर्थ रहें, तो निस्सन्देह राष्ट्रपति सुहृद व शक्तिशाली हो जाएगा। यह हमारे संविधान निर्माताओं की सुभव्यम् का प्रमाण है कि हमारा राष्ट्रपति पारस्थितियों के अनुसार एक अथवा अन्य रूप धारणा कर सकता है। इस विषय में भी मुहृष्ट विश्वास था कि आने वाले एक दशक तक देश को तत्कालीन नेताओं का नेतृत्व उपलब्ध होगा जो संविधान की क्रियान्विति कर सकेगा। तथा उनके नेतृत्व काल में ससदीय प्रणाली के उन मूल सिद्धान्तों का विकास हो सकेगा जिसे संविधान का मूल धारार बनाया गया था। इन अपेक्षाओं के अनुरूप १९६७ तक काँग्रेस को चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। यह इन्हीं स्थितियों का परिणाम था कि पण्डित नेहरू नवम्बर १९६० में संवाददाताओं से विश्वासपूर्ण ढंग से यह कह सके कि उनको इस विषय में कोई सदैह नहीं कि वे पिछले दम वर्षों में संविधान के अनुकूल कार्य कर सके थे। ३० नवम्बर १९६२ को राजस्थान में बोलते हुए गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री धौ०एन० दातार ने बड़े विश्वास से यह घोषणा की कि “संविधान में राष्ट्रपति एक नाममात्र का अध्यक्ष था जो प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिये वाद्य था। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकता था।” विधिमन्त्री अशोक सेन ने राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में तथाकथित विवाद को वास्तविक कम तथा बोलिक अथवा सारस्वत अधिक वता कर उसे गैर-महत्वपूर्ण घोषित कर दिया।

राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका

अब हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि यह मान लिया जाए कि राष्ट्रपति सब मामलों में प्रधानमंत्री के मंत्रिमण्डल द्वारा दिए गए परामर्श से वाद्य होता है तो क्या वह एक नाम मात्र का अध्यक्ष है? इस जटिल प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति कुछ इतने अस्पष्ट घटकों पर आश्रित है कि उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। ये घटक हैं: (अ) प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति के परस्पर सम्बन्ध, (ब) जनता तथा संसद् के संदर्भ में प्रधानमन्त्री की स्थिति तथा (स) स्वयं राष्ट्र की स्थिति।

प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति के परस्पर सम्बन्ध

- ससदीय प्रजातन्त्र में प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति में अनवरत रूप में परस्पर सधर्य की स्थिति रहती है—राष्ट्रपति को प्रकृत तोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, पर वह अपनी चतुरता तथा अनुभव से अपने पद के गोरव व महिमा को बनाए रख सकता है। प्रधानमन्त्री को शक्ति प्राप्त है तथा संसद् में अपने समर्थकों पर प्राप्त नियन्त्रण उसकी वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमन्त्री प्रगतिशील व आकर्षक अविक्षित्व बाला है तो राष्ट्रपति भी उसे तथा कम महत्व का हो जाएगा। यदि प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति दोनों ही विशिष्ट गुणों से भुक्त नहीं हैं तब भी प्रधानमन्त्री अपने दल के घुमन के कारण राष्ट्रपति की तुलना में प्रभावशील बना रहेगा। यदि प्रधानमन्त्री चरित्र, ज्ञान अनुभव तथा

सार्वजनिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में राष्ट्रपति की स्थिति से निम्न हो व साय ही यदि दल में उसकी स्थिति पर्याप्त स्थिर तथा सुहृद भी न हो तो स्पष्टतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की तुलना में प्रभावशाली बन जाएगा। अतः ऐसी परिस्थिति में जब दलीय बहुमत अस्थिर हो, नेतृत्व असुरक्षित हो, राजनीतिक अप्टाचार का बाहुल्य हो तब राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये प्रवृत्तियाँ भारतीय राजनीतिक मंच पर स्पष्ट रूप से समर्थित होती हैं। नेहरू के अतिम दिनों में उनकी निजी अस्वस्थता के कारण तथा उत्तरी सीमा पर मौतिक पराजय के कारण शक्ति का संतुलन राष्ट्रपति की ओर भुक्तने लगा है.....भारतीय नेता राष्ट्रपति से अधिकाधिक सनाह लेने लगे हैं। इस प्रकार डा० राधाकृष्णन स्वयं अपने को अधिक प्रभावशाली तथा अपने पद की गरिमा को अधिकाधिक महत्वपूर्ण महसूस करने लगे हैं।^{३५} कृष्ण मेनन को मंत्रिमण्डल से निवृत्तमान कराने में डा० राधाकृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जिन्हें १९६२ में चौंटी धारकमण्ड के समय भारतीय पराजय का कारण माना गया। यह कहा जाता है कि सरदार प्रताप-सिंह के विरुद्ध जाँच करवाने में डा० राधाकृष्णन का मुख्य हाथ था। प्रधानमन्त्री नेहरू पहले प्रतापराह के दौरान जाँच करवाने के टचकुक नहीं थे। किन्तु राष्ट्रपति के आग्रह पर उन्होंने जाँच करवाना स्वीकार कर दिया। नेहरू की मृत्यु के पश्चात् डा० राधाकृष्णन में अधिक विश्वसनीय तथा अधिकारपूर्ण मना हट्टियोंचर हुई। सोवियत रूस की उनकी यात्रा को विदेशी मामलों के मद्देन्द्र में सवाददाताओं द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रसारित किया गया। अपने समकालीन राजनीतिज्ञों पर यह सार्वजनिक आधिपत्य, जो किसी सीमा तक सरकार पर नियन्त्रण था, राजनीतिक जगत् में पर्याप्त हलचल पैदा करने वाला रहा।^{३६} अधिकाधिक मन्त्री राष्ट्रपति से मैट करने लगे। मुद्राहाण्यम तथा अलगेसन के त्यागपत्र पर राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रियों के बीच लगभग मध्यस्थता का कार्य किया।^{३७} नेहरू की पुत्री श्रीमती गांधी के प्रधानमन्त्री बनने के पश्चात् एक बार किर शक्ति संतुलन का भुक्ताव प्रधानमन्त्री की ओर होने लगा। राष्ट्रपति की अधिक आयु व दुर्बल स्वास्थ्य ने उसे राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा नहीं करने दी। सवाददाताओं के अनुसार नवम्बर १९६६ में किये गए मंत्रिमण्डलीय परिवर्तन से, राष्ट्रपति को पूर्णतः अनभिज्ञ रखा गया था।^{३८}

^{३५} गूगोर्क टाइम्स हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित ११ जून १९६३

^{३६} उदाहरण के तिं धनवन्तरी मेडिकल बॉडीज में उनका अध्याधीय भावण दृष्टव्य।

^{३७} देविये, तिक, १८ नवम्बर, १९६६

^{३८} अशोक चट्टा ने 'राज्य के अधिकार के रूप में ऐसे मनिद्वारी' शीर्षक के अन्तर्गत विषयों हुई यह गिरायन की है जिन नेहरू के उन अधिकारियों ने उससे (राष्ट्रपति से) परामर्श भेजे जो गुविप्रावनक अपवा आदेशक नहीं माना। उन्होंने उगे बैठक उगके पद व स्थिति के कारण तेजमान दिया, उसमें निलिं विश्वास के बारण नहीं। उन्होंने अन्य नेताओं से परामर्श नेता अधिक परमद दिया जो उन्होंने परिवर्त आदान-प्रदान तथा नियन्त्रण नहीं ये क्रितानि कि राष्ट्रपति हो गए था। हिन्दुस्तान टाइम्स, १४ ई, १९६३

राष्ट्रपति परामर्शदाता के रूप में

प्रधानमंत्री की तुलना में उचित सामंजस्य स्थापित होने पर वेब्रहट के अनुषार राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति सम्पद न होने पर भी राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है। विशिष्ट राजा को परामर्श देने, प्रोत्ताहित करने, तथा चेनावनी देने की नीत शक्तिशाली प्राप्त हैं। वेब्रहट का कथन है कि एक राजा को उसमें अधिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का राष्ट्रपति भी उस परामर्श से पर्याप्त लाग उठा सकता है। राजनीति व राजनीतिक दबो में पृथक रहकर वह राज्य की राजनीति को गमनने की ओर इस्तिनि में होता है। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को सभी ऐसे निर्णयों में सूचित करे जो संघ के प्रशासनिक मामलों में, तथा विधि निर्माण के मर्दमें में उसके मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गए हों। माथ ही राष्ट्रपति उनके मर्दमें में प्रधानमन्त्री से अनिस्तिनि सूचना भी मांग सकता है। उसकी गरिमामय मिथि तथा उसका निष्पाद स्वरूप इस तथ्य को निश्चित कर देते हैं कि उसके द्वारा दिया गया परामर्श अत्यधिक सम्माननीय होगा। यदि राष्ट्रपति परिश्रमी, बुद्धिमान तथा चनुर हो तो उसकी उपेक्षा करना प्रधानमन्त्री के लिए असम्भव होगा। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रभाद के लिए यह कहा जाता है कि वे अपने कार्यक्रम के कई घट्टे विभिन्न विधेयशो, क्षमादान की याचिकाओं, कानूनों तथा इसी प्रकार के अन्य कई आलेखों का अध्ययन करते में व्यनीत करते थे। किसी भी व्यक्ति को तब तक न तो जेल भेजा जा सकता था और न ही किसी को क्षमादान ही दिया जाता था जब तक डॉ० प्रसाद स्वयं उस मामले की पूर्ण व्योजबीन नहीं कर लिया करते थे। स्वभाव में नग्र होने के कारण राष्ट्रपति अपने मंत्रियों में पुनर्विचार की मावना को प्रेरित करते थे। टाइम्स ने मार्च १९६३ में उनके बारे में लिखा था “उनकी बौद्धिक शक्ति, विश्व के मामलों की उनकी गहन जानकारी तथा प्रशासनिक मामलों में उनकी पटुता ने उन्हें अपने देश की गृह तथा विदेश नीति के निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण वास्तविक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया था।” जगजीवनराम, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से केन्द्रीय मन्त्री रहे हैं, ने सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर डॉ० प्रसाद के कार्यकारी प्रभाव को स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण विधयों पर डॉ० प्रसाद स्वयं व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों से पत्र-व्यवहार किया करते थे। कहा जाता है कि ये पत्र पाइलिंग के नमूने तथा गहन अध्ययन तथा शिखेपग्न का प्रमाण थे। जो पत्र सरकार की कृपि तथा खाद्य नीति व मुत्तचरी के विषय में लिखे गये थे उनका पर्याप्त प्रचार किया गया। ७ दिसम्बर १९५६ की लांबी की रिपोर्ट से कहा गया है कि राष्ट्रपति ने उच्च पदों पर स्थित मंत्रियों सहित अन्य अधिकारियों के विहृद्ध भ्रष्टाचार के आगे वो की जाँच करवाने के लिए एक शक्तिशाली आयोग की नियुक्ति का सशक्त आग्रह किया। यह कहा जाता है कि करनाल हत्याकाण्ड की रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात् राष्ट्रपति ने पजाव के मुख्य मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में आलोचनात्मक टिप्पणी सहित पत्र भेजा था। राष्ट्रपति का यह पत्र उस आन्दोलन की अतिम परिणति थी जो भूतपूर्व वित्त मंत्री डॉ० सी० डी० देशमुख द्वारा इस प्रकार के जाँच आयोग की स्थापना की आवश्यकता को लेकर चलाया जा रहा था। राष्ट्रपति का

पत्र मिलने के पश्चात् कहा जाता है कि प्रधानमन्त्री नेहरू ने तत्काल सी० डी० देशमुख में पत्र-ब्यवहार किया। इन मध्य घटनाओं से एक निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि चूंकि डॉ० प्रसाद को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था अतः इस तथा इसके अतिरिक्त डॉ० प्रसाद के अन्य कई हस्तक्षेपों का सरकारी निरांयों पर उमसे कहीं अधिक प्रभाव पड़ा होगा जिसकी सामान्यतः कल्पना की जाती है। निष्कर्ष स्वस्थप यह कहा जा सकता है कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में मात्र सम्माननीय किन्तु धास्तविक प्रभाव से रहित व्यक्ति नहीं थे।^{३६}

अस्तु राष्ट्रपति के बल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की भाँति परोक्ष रूप से कार्य करते हुए अपने मन्त्रियों से तदनुसार कार्य करने का आग्रह कर सकता है। किन्तु, इस प्रकार का आग्रह एक सीमा तक ही किया जा सकता है। यह सीमा डॉ० राधाकृष्णन द्वारा चीथे आग चुनावों के पश्चात् राजस्थान के मामलों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। यद्यपि उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन बना रहना पर्याप्त शकास्पद बन गया था तथा राज्य विवाद सभा के ६३ विरोधी (कुल १८४ सदस्यों में से) सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति भवन में उपस्थित होने पर भी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने उस समय उपस्थित गृह मन्त्री से मात्र यही पूछा कि इस सदर्भ में उनका क्या कहना था।

संविधान का गौरवपूर्ण अंश

राष्ट्रपति संविधान का गौरवपूर्ण अंश है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार ब्रिटेन के राजा की है, अर्थात् वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, भक्ति का प्रेरक नया उत्सवों का आकर्षण है। वह सामान्य व्यक्ति की हृचि का केन्द्र है। उसका जीवन तथा गतिविधियाँ व्यापक सावंजनिक प्रचार प्राप्त करती हैं। वह जहाँ कहीं भी जाता है भीड़ को आकर्षित करता है। वह जनता ने सम्बन्धित है। वह अपने व्यक्तित्व में सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह जनता के लिए गौरव का मूर्त रूप है। उसके द्वारा उद्घाटन के उत्सव, शताब्दी समारोह तथा अन्य राष्ट्रीय आयोजनों की अध्यक्षता करना प्रतिष्ठा तथा गौरव का विषय माना जाता है। स्वतन्त्रता की पूर्व संघ्या, नगण्यता दिवस तथा नये वर्ष पर उसके मापण पर्याप्त हृचि से देश के सभी परों में मुने तथा पढ़े जाते हैं। वह गणतन्त्र दिवस पर परेड की सलामी लेता है जिसे सांस्को लोग हृचि से देखते हैं। राष्ट्रपति से कोई भी व्यक्ति आसानी से मिल गकता है। डॉ० राधाकृष्णन ने सप्ताह के कुछ दिन जनगामान्य से (चिना पूर्व मूच्छा) के मिलने के लिए निर्धारित किये थे। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार राष्ट्रपति की राजकीय शोभा यात्रा की दिल्ली की भीड़ में इसलिए रुकवा दिया था क्योंकि भीड़ में से किसी किसान ने उन्हें 'राजेन बाबू' कहकर पुकारा था।

समाज, लोकाचार तथा नैतिकता का नायक :

राष्ट्रपति समाज को लोकाचार, नैतिकता तथा व्यवहार के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इसका व्यावहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कुटीर उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रपति भवन में कारपेट गलीओं, चाँदी के नवकाशीदार बर्तनों तथा मणिपुरी कशीदे की हस्तकला को प्रोत्साहन मिला। उनके प्रोत्साहन के कारण हैदराबाद की विदरी कला का पुनर्विकास हुआ। वे एक बार अपने प्रवास के दौरान एक गाँव में गए जहाँ इस कला के मात्र दम कारीगर बचे थे—वहाँ उन्होंने कई हजार रुपये का सामान तैयार करने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप एक नष्ट प्राय कला पुनर्जीवित हुई तथा कई हजार कारीगरों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। आज देश इस कला से दो करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। उनके काल में राष्ट्रपति भवन संपूर्णतः भारतीय कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था जिससे उसका वातावरण पूर्णतः भारतीय बन गया था। वे सादगी व सरलता के साक्षात् रूप थे। उन्होंने अपने बेतन में तीन—चौथाई कटीती को सहर्ष स्वीकार किया। यह परम्परा उनके उत्तराधिकारी डॉ० राधाकृष्णन ने भी बनाए रखी। डॉ० राधाकृष्णन अपने शांत, स्वाभिमानी रूप में प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार को प्रमाणित करते हुए अपने पाढ़ित्य तथा विद्वता के लिए सभी लोगों से भम्मान प्राप्त करते थे। ६ जून १९६३ को उनके व्यक्तित्व पर एक लेख लिखते हुए ऑब्जर्वर ने लिखा था “अपने इतें साफे व सुनहरी फैम वाले चश्मे से विद्वता का प्रसार वे प्रकाशस्तंभ के समान करते हैं।” एक औपचारिक अध्यक्ष होते हुए भी वह भारत की विद्यमान प्रवृत्तियों विश्वास खोने व विघटित होने का प्रतिरोध करने में समर्थ रहे हैं।^{४०}

वैदेशिक मामलों पर प्रभाव :

राष्ट्रपति के औपचारिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य भारत की राजधानी में आने वाले विदेशी अतिविद्यों का आतिथ्य करना है। इसी प्रकार उनकी विदेशी यात्राएँ विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद बहुत अच्छे आनंदेय माने जाते थे क्योंकि वे अपने मेहमानों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तक का स्वयं स्थात करते थे। एक सहायक ने एक बार कहा कि ‘राष्ट्रपति छोटी से छोटी बात पर भी खुद ध्यान

^{४०} इनके विदेशी डॉ० राधाकृष्णन द्वारा पिछले एक गणतंत्र दिवस पर प्रमारित भाषण कई लोगों द्वारा सरकार के प्रति स्पष्ट अविवाद भी पोषणा माना गया जो राष्ट्रपति के लिए उत्तिन नहीं था। राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान बहा था—“गठ वर्ष स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राहृतिक विपदाओं तथा मानवीय असफलताओं के कारण निष्पट्टतम वर्ष रहा है। यह हूँ इसी विद्या औद्योगिक उत्पादन के बावजूद हम बड़ी ही जनसंघर्ष की सीमों को पूरा करते भे असमर्थ रहे हैं। अर्थात् वे विद्यावाही विकास हैं। इन सब प्राहृतिक तुष्टियाओं पर ध्यान देने के बावजूद हम ध्यान कार्य अभ्यन्ना या अपने रोगों के दुरायोग भी विस्तृत नहीं बर मरने।” यह बहा जाना है इस भाषण से श्रीमानी गांधी इनकी अधिक रूप हुई हैं जिन्होंने डॉ० राधाकृष्णन वो दुर्वासा मनोनीत न करने वा निर्णय कर लिया।

देते हैं।' यह कहा जाता है कि कभी किसी भेदभान को यदि समय हो तो उसे संपूर्ण भवन का निरोधण करवाने के लिये वह से जाते थे तथा ऐसा करते समय अपने निजी सेवक के निवास पर अवश्य रुकते थे। राष्ट्रपति के हृष में डॉ प्रसाद जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कबोडिया, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, लंबा तथा स्सगे थे। इन सभी जगहों पर उनका शाही स्वागत किया गया। वे यात्राएँ पर्याप्त लोकप्रिय हुईं तथा इनमें इन देशों के भारत में सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ। इन देशों के साथ हमारे देश के सम्बन्ध शताब्दियों पुराने थे जो इन यात्राओं के कारण पुनर्जीवित हुए। बौद्ध धर्म वाले देशों ने उनका स्वागत और भी अधिक स्नेह से किया क्योंकि सारनाथ के बौद्ध मन्दिर को अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन के नियन्त्रण में हस्तांतरित करने में उन्होंने पर्याप्त प्रयास किए थे। इसी प्रकार डॉ प्रसाद की राष्ट्राकृष्णन की रूप, अमेरिका व ब्रिटेन की यात्राएँ इन देशों के साथ सम्बन्ध को अच्छा बनाने में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुईं। राष्ट्रपति डॉ प्रसाद की राष्ट्राकृष्णन को सर्वथा उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति (न्यूयार्क टाइम्स) अपवादात्मक हृष से अच्छा व्यक्ति तथा एकमात्र दार्शनिक राजनीतिज्ञ (आंबजर्वर) वताया गया। वे पहले दो राष्ट्रपति भारत की संस्कृति, दर्शन तथा परम्परा के क्षेत्र में संपूर्ण महानता के प्रतीक थे तथा वे जहाँ भी गये वहाँ अमिट प्रभाव मी छोड़ कर आये। तृतीय राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन भी विद्वान तथा सास्कृतिक सुरचिवान् व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विदेशी यात्राओं में विशेषतः मुस्लिम देशों की यात्राओं में पर्याप्त सद्भावना तथा भिन्नता प्राप्त की। इस प्रकार राष्ट्रपति को व्यक्तिगत हृष से अपने देश के हटिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। यदि वह हटिकोण गम्भीरता, सदृश्यता तथा ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाए तो यह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को पर्याप्त हृष से प्रभावित कर सकता है।

अस्तु, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। उसे नीतियों, नियंत्रणों तथा कार्यों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्येक नया राष्ट्रपति स्वाभाविकतः इस प्रभाव को किस हृष से प्रयुक्त करेगा, यह उसकी व्यक्तिगत विशेषता तथा सार्वजनिक स्थिति पर निर्भर होगा। साधारणतः वह शासन नहीं करेगा किन्तु निश्चित हृष से वह अनेकों भारतीयों के दिलों व मस्तिष्क पर राज्य कर सकता है व करेगा।^{४१} प्रसादारण

^{४१} अग्रोक्त चन्दा ने डॉ प्रसादाकृष्णन के लिए लिखा है : उनके जीवन की सादगी, उनकी किसी भी उस व्यक्ति से मिलने की तत्त्वात् जो उसमें मिलता था, नवाचार (protocol) गी परिपूर्ण दिल्ली शहर में भी उनकी प्रश्नेक भेटवर्ता से असंदिग्ध बिन्दूता, इन सभी गुणों ने उन्हें 'जनता का राष्ट्रपति' बना दिया था। इसमें और अधिक बुद्धि तब हुई जब उन्होंने मुगल उदान में दुर्घटी नया पीड़ित नागरिकों से याचनाभव लेना प्रारम्भ करने का निर्णय किया। (दिल्ली उदान, १५ मई, १९४७)

^{४२} लक्ष्मी ने अप्रैल १९६३ में उत्तर प्रदेश—अक्तुरे प्रधान राष्ट्रपति के विषय में यह लिखा—
एक विकट भक्तमण काम में डॉ प्रसाद ने न तो शासन लिया न राज्य किया, उन्होंने वेवल राज्य के अध्यक्ष के हृष में ही नहीं अपितु भारत की इकतन्त्र आवाज के हृष में भी कार्य किया। वह हमारे जाने बांशगढ़न थे।

परिस्थितियों में जब सरकार दुर्बल, अस्थिर तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार व कायंकारी वाधाओं के कारण अमुरक्षित होती है, सामाजिक तथा आधिक अराजकता को नियन्त्रित करने में असमर्थ होती है और देश की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा बनाए रखने के योग्य नहीं होती तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक सर्वधानिक अध्यक्ष से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। वह ऐसी परिस्थिति में सक्रिय तथा प्रभावी राष्ट्रपति के रूप में उमर सकता है। किन्तु यह शुद्ध रूप से अस्थाई व्यवस्था होगी जिसका उद्देश्य एक गम्भीर समस्या के लिए घरम उपचार प्रदान करना हो सकता है। यदि यह व्यवस्थास्थाई हो जाती है तो निस्सदैह भारतीय शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा।

Further readings

1. *Lacy, Creighton* : Indian Insights, (Public issues in private perspective) Orient Longman, 1972 (ch, 1, pp. 15-46)
2. *Quraishi, Z. M.* : Struggle for Rashtrapati Bhawan(A study of presidential Elections), Delhi, Vikas Publishing House, 1973, pp. 139-147).
3. *Rao K. V.* Parliamentary Democracy of India (A critical study), Calcutta, World Press, 1965, pp. 27-63.

प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह

(गेट ग्रिटेन के विषय में यह कहा गया है कि वहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था मसदीय सरकार से केविनेट सरकार और अतः प्रधानमंत्रीय सरकार में परिणाम हुई है। मारत के सदर्भ में भी यह कहा जाता है कि यहाँ राजनीतिक व्यवस्था दसी प्रकार विकसित हो रही है जैसे कि गेट ग्रिटेन में वह परिवर्तित हुई थी, यद्यपि इस विषय में सर्वममता का प्रभाव है। इस विवाद के बावजूद इसमें दकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांशतः प्रधानमंत्री का पद इस प्रकार की धुरी बनने की प्रवृत्ति रखता है जिसके इन्ड-गिर्ड समूची राजनीतिक व्यवस्था घूमती है। प्रधानमंत्री का पद व्यक्तित्व-अभिमुखीकरण एवं संस्थाकरण का मिथित रूप रहा है। यद्यपि अभी तक संभवतः प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व ने संस्थागत रूप की अपेक्षा इस पद के स्वरूप को अधिक प्रभावित किया है, फिर भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कम से कम दो प्रभुताशाली व सशक्त प्रधानमंत्रियों—प० जवाहरलाल नेहरू व श्रीमती इदिरा गांधी के रूप में व्यक्तित्व मम्बन्धी घटकों ने प्रधानमंत्री पद के अनेक पक्षों को मन्याकृत करने के लक्ष्य में सहायता प्रदान की है।

हरीश खरे ने अपने लेख 'दि डियन प्राइम मिनिस्टर: ए प्ली फॉर इस्टीट्यूशनलाईजेशन ऑफ पावर (जरनल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल सैट ऑफ पार्लियामेन्टरी स्टडीज, जनवरी, मार्च, १९७१ पृ० २२-५०) में न केवल प्रधानमंत्री पद के राजनीतिक-प्रशासनिक यायामो सहित उसकी विकास प्रक्रिया से सम्बन्धित चर्चापूर्ण विवेचन किया है बल्कि एक प्रबन्ध तर्क इस पक्ष में भी दिया है कि उसके पद में सम्बन्धित संस्थाकरण की नात्रु प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

—सम्पादक)

मारत में राजनीति के धोव में ग्रिटेन में जो विभिन्न विरासतें मिली हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण विरासत नावंशीमिक प्रजातंत्रीय गणतंत्र के मव्यानिक झोंडे में प्रधानमंत्री की

प्रदत्त केन्द्रीय स्थिति है। यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहा गया है तथापि शक्ति संरचना का मूलतः श्रिटेन के समान प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष है। कार्यपालिका के व्यवस्थापियों के प्रति उत्तरदायी होने के मिदान का परित्याग कर बत्तमान में बस्तुतः श्रिटेन में संमद्द की संप्रभुता का स्थान मन्त्रिमण्डल की संप्रभुता ने ले लिया है। यह मन्त्रिमण्डल की मंप्रभुता अंततः प्रधानमंत्री की सरकार की संप्रभुता है। श्रिटेन के विपरीत भारत में अभी तक प्रधानमंत्री अस्त्रपति तथा अनिश्चित स्थिति में है। हाल ही के राजनीतिक सकट के समय यह यात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो चुकी थी और कार्यपालिका-विभाजन (१९६६) के अवसर पर ऐसे मूलभूत प्रश्नों पर न्यूनतम सहमति का अभाव पाया गया जैसे, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री व उम्मेदवाले के अध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो? तद्विषयक लेख में प्रधानमंत्री की शक्तियों की परिवर्तनशीलता तथा उन्हें संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की वांछनीयता पर प्रकाश ढाला गया है। प्रधानमंत्री के संस्थागत स्वरूप का निर्धारण करने के पश्चात् ही भारत की संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री को केन्द्रीय स्थिति देते हुए उसे स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है। संविधान निर्माण ऐसा ही चाहते थे।

भारतीय गविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मात्र तीन बार किया गया है। प्रथम, अनुच्छेद ७४(१) में—‘राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाएगा’; द्वितीय, अनुच्छेद ७५(१) में—प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा तृतीय, अनुच्छेद ७८ में—जहाँ प्रधानमंत्री के कर्तव्य तथा नियुक्ति के विषय में श्रिटिश परम्परा के पूर्ण निर्वहन की भारतीय राजनीति में व्यवस्था है। नये संविधान को क्रियान्वित करने के प्रारम्भिक १४ वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति के कारण प्रधानमंत्री के विषय में इन परम्पराओं का और अधिक हड्डीकरण हुआ।^१ पिछों बीस वर्षों में प्रधानमंत्री, मुख्य प्रशासक, मुख्य अर्थगण्डाली, मुख्य विधायक तथा मुख्य राजनीतिक के रूप में देश के सम्मुख उपस्थित हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति से सम्बन्धित एक पर्याप्त

^१ हाली वर्षोंने ने अपनी पुनर्नवीनीकरण की विधि प्राइम मिनिस्टर (लदन एलन एंड अनबीन १९६८ में पृष्ठ ११६ पर लिखा है वैर्टिशिस्टर में समीक्षीय प्रजातंत्र मध्याप्त ही चुका है—श्रिटिश व्यवस्था का मूल कुण्डलीय प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियों का होना है। आर०एच०एम० कार्यसंगठन ने, ए. थोरो किंग द्वारा संपादित पुस्तक ‘दि श्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लदन, में कमिलन में १९६६ पृ० १६३ पर लिखा है द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मन्त्रिमण्डलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है।

^२ नेहरू बैरिनेट शासन प्रणाली की सभी स्थापित परम्पराओं के गाय प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राष्ट्रीय नेता होने का महत्वपूर्ण गोरव उन्हें प्राप्त हुआ था उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियतित करने की किसी भी संशोधना को पूर्णतः नष्ट कर दिया। यह इन्होंने हृष्टता से हुआ कि नेहरू जी मृत्यु के बाद शास्त्री के प्रधानमंत्री तथा डॉ राधाकृष्णन के राष्ट्रपति होने पर भी यद्यपि राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व बाले थे किन्तु शक्ति संतुलन उनके पास में नहीं थुका। पाण चौधरा, ‘प्रधानमंत्री : शक्ति की सरचना’ दि इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, मिनस्वर १२, १९७१।

विचारसंगत मूल्यांकन प्रशासनिक सुधार-आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार किया गया है—

“संविधान सरकार की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री को विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। वह न बैठक मन्त्रिमंडल का अध्यक्ष-समकक्षों में प्रथम ही है—यथितु वह राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता भी है। उसकी उच्च स्थिति उसे इस बात का विशिष्ट उत्तरदायित्व संपत्ति है कि वह यह देखे कि कार्यपालिका प्रभावशाली रूप से कार्य करती है, संयुक्त उत्तरदायित्व का उचित रूप से क्रियान्वयन होता है, राजनीति सीढ़े शपात्मक रहते हुए वास्तविक तत्परता के माये क्रियान्वयन की जाती है, तथा प्रशासन जनता की आकृक्षाओं के अनुकूल ही कार्य करता है।”^३

तथापि प्रधानमंत्री के बारे में समकक्षों में प्रथम (primus inter pares) के विचार का ब्रिटेन में परिच्याग कर ही दिया गया है। अब भारत के संदर्भ में भी इस विचार का विशेष अधिक्षय नहीं रहा है।

संस्थागत ढाँचा

संविधान भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं करता है। अतः उसकी शक्तियों को जानने के लिए हमें संविधान से परे अन्य शक्तियों को देखता होगा जिनसे प्रधानमंत्री अपनी अतिव्यापक शक्तियों तथा स्थिति को प्राप्त करता है। यह एक विरोध-भास है कि प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदान करने वाले तत्त्वों का स्वरूप गत्यात्मक तथा परिवर्ती है। वे तत्त्व एक और जहाँ उसकी शक्ति का कारण ही सकते हैं वही हूसरी और वे उसकी दुर्बलता के कारण भी बन सकते हैं।

(अ) निर्वाचन का स्वरूप :

उत्तर-नेहरू काल में प्रधानमंत्री पद के तीन उत्तराधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन (मई-जून १९६४, जनवरी १९६५ तथा मार्च १९६७) इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री पद के निर्वाचित व्यक्ति की शक्ति इस बात से प्रभावित होती है कि वह निर्वाचन किस प्रकार हुआ तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार थे। यदि विजेता दल की एक शक्तिशाली सत्याकांक्षा का मनोनीत व्यक्ति है (जैसे मई-जून १९६४ में हुआ) तो दलीय पद सोपान-कम में उच्च स्थिति वाले ये दलीय नेता निस्संदेह एक दुर्बल प्रधानमंत्री का चयन करेंगे।^४ इसके पश्चात् प्रधानमंत्री अपने पद की स्थिति के

^३ प्रशासनिक सुधार आयोग : “रिपोर्ट ऑफ़ दि भारतीय आ॒कृ गवर्नरेंट ऑ॒फ़ इंडिया, पृष्ठ १८८ प्रोसेस्यर्स ऑ॒फ़ वर्क, नई दिल्ली, गवर्नरेंट ऑ॒फ़ इंडिया, १९६६, पृ. ६

^४ सई-जून १९६४ तथा १९६६ में मोरारजी देसाई के शक्तिशाली बनने का प्रस्ताव इन दलीय नेताओं द्वारा लिए दृष्टिकोण सुधार करा दिया गया थ्योंकि मोरारजी देसाई एक शक्तिशाली अत्यकिरण वाले दम्भीदवार थे। संजीवरेड्ही जिन्होंने प्रथम दो उत्तराधिकारियों के चयन में मुश्य मुनिका जया की थी, ने मोरारजी देसाई की दम्भीदवारी के लिए कहा था ‘ये अत्यधिक’ बठ्ठत वह है। तथा योचने हैं कि मात्र ये ही उपर्युक्त मार्ग की जानते हैं, मात्र इत्युक्त बारंग हमने “प्रधानमंत्री” पद के लिए उनकी दम्भीदवारी का विरोध किया। माइकल विंचर्ट तकनीकात इन इंडिया, बंदन ऑफ़कोर्ट १९६६ पृ. ५२.

कारण जिन शक्तियों को प्राप्त करेगा वे उगम से सफलतापूर्वक हस्तक्षेप भी करेंगे।^६ यदि प्रधानमंत्री पद के प्रत्यानिर्णयों के भाग्य का निर्धारण उपयुक्त प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है, जैसा कि जनवरी १९६६ में हुमा तो प्रधानमंत्री एक नैतिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। तब यह अपनी दम शक्ति पर पड़ने वाले सम्भावित दबावों का सामना कर सकता है। किन्तु कांग्रेस की शक्ति संरचना (तथा इस मामले में भारत के किसी भी राजनीतिक दल की संरचना) केन्द्रीय रूप में संगठित होते हुए भी शक्ति के पद सोपान श्रम से संभास्तक है। अतः जब तक कोई नेता जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का न हो तब तक वह अपने घल पर दलीय नेता का चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकता। उसे इच्छापूर्वक अधिकार अनिष्टापूर्वक ऐसे विभिन्न गुटों पर निर्भर करना ही होगा जो अपने बोट के बदले में समय पड़ने पर सोदेवाजी करने में नहीं चूकेंगे। शक्ति के रेसाचिन्म में आगे वाली वक्रता गम्भीर रूप से प्रधानमंत्री द्वारा राजनीतिक शक्ति के पदसोपान श्रम में संतुलन को बढ़ाने के प्रयास से प्रभावित होती है।

(व) कांग्रेस के अध्यक्ष से सम्बन्ध :

प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस दल का अध्यक्ष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संगठित होकर ये दोनों कांग्रेस से के शक्ति पदसोपान श्रम के सर्वाधिक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में उभरते हैं। संयुक्त रूप से वे अपनी सत्ता के विरुद्ध किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। संयुक्त रूप से इसी कारण नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की सहायक भूमिका की अनिवार्यता को स्वीकार किया था। १९६३ में कामराज योजना, प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष के विविध आदर्शों का पुनर्निर्माण करने के लिए ही स्वीकार की गई थी।^७ नेहरू के बाद की भारतीय राजनीति में कामराज ने प्रधानमंत्री के पद पर दो उत्तराधिकारियों का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर कांग्रेस अध्यक्ष के पद को गरिमा के नये आधार प्रस्तुत किए। किन्तु एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव पूरा होते ही तथाकथित 'राज विधाता' (king maker) का आकर्षण आधा तो समाप्त हो जाता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर

६ लाल बहादुर शास्त्री के नेहरू के पश्चात् सर्वभूमिति में संसदीय कांग्रेस दल का नेता चुने जाने पर कामराज, जो प्रधानमंत्री के चयन में दल के मुखिया रहे थे, ने घोषणा की 'प्रधानमंत्री के रूप में वह (शास्त्री) समझो मे प्रथम' से अतिरिक्त प्रभावशाली नहीं होगे और संयुक्त नेतृत्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाएगा। जी. एम. भार्गव, न्यूजीडर, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली जून, ३, ५४.

७ नेहरू की शक्ति की पूति के लिए नवा जहाँ आवश्यक हो उसे सतुरित करने के लिए एक शक्ति-शाली कांग्रेस अध्यक्ष की आवश्यकता थी। जी. एस. भार्गव आफ्टर नेहरू इण्डियाव न्यू इमेज, नई दिल्ली, एलाइड प्रकाशक, १९६६, पृष्ठ १०८/कामराज योजना के पश्चात् के युग की समाजोचना करने हुए एक अनुभवी अध्यक्ष ने कहा है। "स्वतन्त्रता के पश्चात् के दृष्टी बार प्रभावशाली शक्ति सरकार के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के लघ्यकाल से नियमित हुई है।" नई दिल्ली में शक्ति के केन्द्रीकरण का युग अब समाप्त हो रहा है। इन्द्र मल्होत्रा, न्यू इम्पोरेंस ऑफ कांग्रेस पर्सीटेन्ट, दि स्टेट्मेन्ट, नई दिल्ली, जनवरी ३१, १९६४।

द्वाव डालने की क्षमता गम्भीर रूप से नहट हो गई है।^५ यद्याय में कांग्रेस प्रध्यक्ष व प्रधानमन्त्री के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण करने वाले कई घटक होते हैं, जैसे उनका परस्पर सामंजस्य, कौन पूर्ववर्ती है, किसने चुनाव में क्या भूमिका अदा की है, क्या कांग्रेस प्रध्यक्ष मंत्रिमण्डल में भी है या किसी राज्य का मुख्यमन्त्री है, कांग्रेस कार्य मिति तथा कांग्रेस संसदीय बोर्ड में उनको कितना समर्थन प्राप्त है, आदि। ये तत्त्व मिलकर उनकी शक्ति के परस्पर सामंजस्य के अतिम स्वरूप का निर्धारण करते हैं।

(स) मंत्रिमण्डल के सदस्यों से सम्बन्ध

सर्वधानिक अर्थों में प्रधानमन्त्री मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है जबकि मंत्रिमण्डल संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमण्डल शक्ति का प्रयोग यद्यपि सामूहिक रूप से करता है किन्तु इसके अर्थों का निर्धारण संसदीय दल के पदसोपान क्रम में उनकी स्थिति के आधार पर होता है। मंत्रिमण्डल के मंत्रियों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है (I) वे मंत्री जो प्रधानमन्त्री द्वारा मंत्रिमण्डल में लिए जाने से पूर्व भी दल में अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते थे (१९५० में पटेल व आजाद, १९६४ में चड्हाण, व पाटिल, १९६६ में सजीव रेही) (II) वे मंत्री जो प्रधानमन्त्री द्वारा मंत्रिमण्डल में लिए जाने से पूर्व भी महत्वपूर्ण थे तथा मंत्रिमण्डल में स्थान मिल जाने के पश्चात् और भविक महत्वपूर्ण हो गए। (जैसे सी० सुवह्नाय्यम, १९६४ में अशोक मेहता व सरदार स्वर्णसिंह) तथा (III) वे लोग जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण बन गए वयोंकि उन्हें मंत्रिमण्डल में शामिल कर दिया गया है (जैसे १९६७ में दिनेशसिंह, के०के० शाह तथा फलरहीन अली अहमद) प्रथम वर्ग के मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उन्हें विश्वास में रखना प्रधानमन्त्री के लिए आवश्यक हो जाता है। द्वितीय वर्ग के मंत्रियों का परामर्श प्रधानमन्त्री लेता है किन्तु सुविधानुसार उसकी उपेक्षा भी कर सकता है, जबकि तृतीय श्रेणी के मंत्रियों की उपेक्षा वही आसानी से की जा सकती है। यह वर्णकरण स्थापी नहीं होता है तबाँ शक्ति के पदसोपान क्रम में स्थितियों की गतिशीलता के साथ उनका महत्व भी घटता-घड़ता रहता है। बी०के० कृष्ण मेनन इस विषय में निकटतम् भूल्याकान प्रदान करते हैं—

“मंत्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिशाली नहीं है। सामान्य धारणा के अनुसार यह समकक्षों में प्रथम है। इसके बावजूद वह प्रमुख तो है ही—चूंकि वह ऐसा समकक्षों में है इसलिये प्रश्न यह उठता है कि कितने समकक्षी उसके साथ हैं तथा कितने साथ नहीं हैं। द्वितीयतः समकक्षियों के साथ होने के कारण वह उसे उसी ढंग से बात भी कर सकता है।^६ प्रधानमन्त्री मंत्रिमण्डल का समाप्ति होता है तथा यह तथ्य उसे इसकी बैठकों का समय

^५ बोपकारिक प्रावधानों के विपरीत प्रधानमन्त्री दल तथा सरकार का वास्तविक नेता होता है अतः कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रमाद न केवल उसकी अपनी नेतृत्व करने की योग्यता पर निर्भर करता है अगले इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसे प्रधानमन्त्री का विश्वास पाया है। रायने एको बैठके दिकांग्रेस पार्टी और इण्डिया चिसिटन, चिसिटन मुनिवर्सिटी पैरेस, १९६८, पृष्ठ ४३।

^६ माइनेस बैचर, फ्लोरिन, पृष्ठ १०६।

निर्धारित करने, इगकी विषय मूची से गम्भिण्यत निर्णय करने तथा सचिवालय पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो एक मोगत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपने महेश्वरियों की सुनना में पर्याप्त महत्व प्रदान कर देता है।

(द) मुख्यमंत्रियों के साथ सम्बन्ध

शक्ति के पदमोपान क्रम में मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं। इस शताब्दी के पाँचवे दशक के अंतिम वर्षों में नेहरू का काग्रे संगठन पर में प्रभाव काम होने लगा था, परिणाम-स्थल्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को मुद्दे करना प्रारम्भ किया जिससे शक्ति का सतुलन प्रधानमंत्री के विपरीत मुख्यमंत्रियों की ओर हो गया। प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, काग्रे म वायं ममिति की उनकी सदस्यता तथा अपने राज्यों के संमद् भद्रस्यों से प्राप्त स्वामिभक्ति ने मुख्य मंत्रियों को महत्व-पूर्ण शक्ति प्रदान की है।^{१०} मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को उनकी महत्ता स्वीकार करने के लिए वाय्य कर सकते हैं, अतः वे एक दुर्बल प्रधानमंत्री को^{११} पसद करते हैं। किन्तु एक स्थायी पदमोपान क्रम में शक्ति-संनरण एक ही दिशा में नहीं होता है। राज्यपाल वी नियुक्ति करने में तथा प्रस्तावित लोकपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण शक्ति रखता है। काग्रे स के विभाजन से पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते के लिए किए गए आतुर प्रयास इस तथ्य के मूलक हैं कि केन्द्र में स्थायित्व तथा प्रधानमंत्री की शक्ति में मुख्यमंत्रियों का सर्वाधिक हित है।^{१२} काग्रे स दल के विभाजन के अतिम चरण में आठ मंत्रियों (महाराष्ट्र-

^{१०} एहले व तीसरे प्रधानमंत्री के दीच की अवधि में मुख्यमंत्रियों को सर्वाधिक शक्ति प्राप्त हुई। जबकि पदमोपान क्रम में उन्हें इतनी महत्ता प्राप्त हो गई कि उनके सक्रिय सहयोग के बिना किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। व्याय स्थिति के विषय में बिना मुख्यमंत्रियों के महयोग के कोई निर्णय लेने की प्रधानमंत्री की अनिच्छा के बारे में एक समाचार पत्र ने जपने सपादवीय में निया था 'अब समय आ गया है जब केन्द्रीय नेतृत्व अधिक भारतीय व्याय नीति के उत्तराधिकार को' समाले तथा स्वानीय नेतृत्व को इस दिशा में किसी प्रयास अथवा उत्तराधिकार से मुक्त कर दे। मुख्यमंत्रियों से इम विषय पर समय-समय पर होने वाले विचार-विमर्श इन ममस्या की उपेक्षा के दुख उदाहरण हैं।

^{११} कोई भी विचारकीत मुख्यमंत्री एक जक्किशाली प्रधानमंत्री के लिए बोट देकर अपनी शक्तियों में कटौती नहीं करवाएगा। अपनी विशिष्ट स्थानीय कठिनाइयों, अतिवर्ताओं तथा बस्तुत विरोधियों से एक मुख्यमन्त्री अपनी इच्छानुसार तभी निपट सकता है जब उस पर वाह्य तियन्त्रण कम से कम हो 'मैनस्ट्रीम, नई दिल्ली, फरवरी १६, १९६६ में जै डी नेडी का लेख' पावर स्ट्रक्चर एण्ड ग्रू प्राइम मिनिस्टर।

^{१२} श्री वीरेन्द्र पाटिल तथा अन्य कांग्रेस मुख्यमंत्री अपने उच्च पद की भागिति के भय से फीडित हैं अत उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया है वह सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरक तिक्ती स्वार्थ के वशीभूत होकर लिया है। इदर मल्हीता, द स्टेट्समेन नई दिल्ली, नवम्बर १०, १९६६ एन अॅनेस्ट रिप्टर इन बेटर देन शेम यूगिटी। एक दुर्बल केन्द्र का अर्थ आर्थिक विकास की निम्न दर है जो राज्यों के विकास को प्रभावित करती है और विरोधियों को आलोचना का अवसर प्रदान कर राज्यों को निम्न प्रकार के सघयों में व्यस्त करती है।

के बी० पी० नायक, आंध्र प्रदेश के ब्रह्मानन्द रेडी, मध्य प्रदेश के एस० सी० शुक्ला, राजस्थान के एम०एल० मुखाडिया, जम्मू काश्मीर के जी०एम० सादिक, आसाम के बी०पी० चालिहा, हरियाणा के बगीलाल तथा हिमाचल प्रदेश के बाई० एम० परमार) ने प्रधानमंत्री का साथ दिया तथा मात्र तीन मुख्यमंत्रियों (मंगूर के बी० पाटिल, गुजरात के एस० देसाई तथा पू०पी० के सी०बी० गुप्ता) ने पक्ष बदल कर संगठन का साथ दिया। इसके पश्चात् (आंध्रप्रदेश में तेलंगाना के प्रश्न पर रेडी को चुनीती) उत्तर प्रदेश (सी०बी० गुप्ता को अपदस्थ कर गवर्नर द्वारा चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, फिर उसे अपदस्थ करना तथा राष्ट्रपति शासन को लागू करना) विहार हरिहरसिंह को सरकार बनाने का अवसर न देना, दरोगाराय की सरकार की स्थापना तथा काप्रे स दल के नेतृत्व में असंतुष्ट सदस्यों द्वारा परिवर्तन की मांग को अस्वीकृति) तथा आसाम (बी०पी० चालिहा के स्थान पर एम०एम० चौधरी का संवंसमति से चुनाव) की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक मुख्य मंत्री के पदासीन होने व बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति अति आवश्यक होती है। एक विरोधी प्रधानमंत्री एक मुख्य मंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकता है।

(इ) गणराज्य के राष्ट्रपति से सम्बन्ध :

भारत में भविमडलीय शासन प्रणाली के घोर समर्थक भी कुछ ऊपरी महत्ता राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा डा० राधाकृष्णन् के स्थान पर डा० जाकिर हुसैन का चयन तथा संजीव रेडी के स्थान पर बी०पी० गिरि का समर्थन इस तथ्य को प्रभासित करता है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व का होना पसंद करता है।^{१३} एक मैत्रीविहीन राष्ट्रपति पर्याप्त सीमा तक प्रधानमंत्री के चुनाव को समाप्त कर सकता है।^{१४} प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का परस्पर सामंजस्य,

^{१३} प० पी० प्रेम बनव के सम्मुख बोलते हुए प्रधानमंत्री औपरी इंदिरा गांधी ने कहा कि 'राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों को संचयानिक सीमाओं में रह कर कार्य करना होता है। अतः उन दोनों में अधिकतम गहमति का होना आवश्यक है। दि हिन्दुस्नान दाइम्य, नई दिल्ली, जून १६, १९६६।

^{१४} १९६६ में प्रधानमंत्री की अविद्यल इच्छा के विरोध दूसरे राष्ट्रपति पद के लिए संजीव रेडी का चयन ध्यापक रूप से प्रधानमंत्री जी० नातियो को सीमित करने का प्रयास यानी गया था। यह कोई गुल बाल नहीं है कि गिरि को कई विवेक मटस्टों ने जयोतिन महानुभूति तथा समर्थन प्राप्त था। वे मदस्थ सिड्हिकेट की गोक्कन्ना को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपदस्थ बनने तथा वे नेतृत्व देखिया पर्याप्त सरकार की स्थापना का प्रदूषक भानते हैं। अब यह राजधानी में आम चर्चा का विषय है। भूरेश गुल, नेशनल बैंडिंग बी०बी० गिरि, देवेशुल, द्राजन हाउस, न्यू ए०ज, नई दिल्ली, अगस्त ३, १९६६। एक वरिष्ठ संवाददाता ने संजीव रेडी के लिए निखाया कि वे प्रधानमंत्री के प्रभुत्व को समाज करने की सिड्हिकेट नी नई योजना का एक अस्त्र है जो राष्ट्रपति जी० इवनव निषिद्ध की विष्टि में भाना जाते हैं (निस्मदेह जी अत्यधिक प्रतिविचारादी तर्दों के हित में होता) रोमेश धापर का इकॉनोमिक एंड पारिटिकल थीकन' में सेतु 'कल्यान एंड भोर बल्युक्त', अगस्त ६, १९६६.

राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अदा की गई भूमिका, प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा देश की सामान्य राजनीतिक स्थिरता दोनों के परस्पर सम्बन्धों के स्वरूप का निर्धारण करेगी। प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी स्थिति को सशक्त बनाने का असफल प्रयास किया था किन्तु प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे समाप्त कर दिया। तथापि डा० राधाकृष्णन् को चीन के आक्रमण के समय (१९६२) तथा तत्त्वात् (१९६५) भापा विवाद तथा भारत-पाक संघर्ष को लेकर प्रभावशाली बनाने का अवसर मिला। डा० जाकिर हुमें तथा दी०बी० गिरि दोनों इस उच्च पद पर प्रधानमंत्री के निजी प्रयासों के फलस्वरूप शासीन हुए अतः दोनों को तुलना में प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली रहा है।

(ई) गैर कांग्रेसी सरकारों के प्रति दायित्व :

नींवे शामचुनाव के पश्चात् पहली बार प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का दोहरा पक्ष प्रकट हुआ। यह दोहरा व्यक्तित्व धा०-संघीय संवैधानिक सरचना के अध्यक्ष तथा कांग्रेस दल के नेता का रूप। श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री का दलीय शक्ति के पद सोपान (hierarchy) में अतिरिक्त प्रभाव होगा क्योंकि उन्हे उन राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है जिनकी राज्यों में मरकारे हैं।^{१५}

(जी) कांग्रेस संसदीय दल के साथ सम्बन्ध :

प्रधानमंत्री की शक्ति के विश्लेषण के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री का अपने संसदीय दल के साथ सम्बन्ध तथा लोक-सभा के अन्य विरोधी दलों के साथ सम्बन्ध एक मूलभूत तत्व के रूप में प्रकट होता है। सदन के नियंत्रिय सदस्यों की प्रधानमंत्री में निष्ठा, प्रधानमंत्री के आलोचकों को नियन्त्रित करती है तथा प्रधानमंत्री को किसी भी समस्या का मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली बनाती है।^{१६} यदि प्रधानमंत्री का मत्रिमण्डल तथा संसदीय दल

१५. कांग्रेस के विभाजन के पश्चात् श्रीमती इंदिरागांधी के समर्थकों की गणता का बढ़मर उपस्थित हुआ तो सी०पोडाई० तथा डी०एम०के० के समर्थन के कारण वह उन लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सकार हुई जो विभाजन के समय किनारे पर थे। इवात कांग्रेस दल के पूर्व संघर्षोदयों ने जो स्थगित प्रस्ताव रखा था, वह १०६ के मुद्रावले १४० मत लेकर दुरी तरह में परागित हुआ था। यह ममर्थन अविभाजित कांग्रेस की सूर्योदय मतसङ्गा से भी अधिक था।

१६. अगस्त १९६६ में राष्ट्रपति के चुनाव के भत्तदान तथा मतवालों की बीच की अवधि में जब कांग्रेसाध्या, प्रधानमंत्री के विशद मुक्त बोट की मांग की लेकर अनुशासनात्मक बायंचाही करने की सीख रहे थे तो श्रीमती गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल में अपने समर्थन को प्रदानित किया था।

१७. अगस्त को उन्होंने य०पी० के भासदो, १८ अगस्त को अन्य हिन्दी भाषी राज्यों के १५० सामंज्ञी तथा १६ अगस्त को गैर हिन्दी भाषी राज्यों के ७०४ सामंज्ञों को सम्बोधित किया। १९. अगस्त १९६६ को जब कांग्रेस कार्य समिति अपने ऐनिहासिक अधिवेशन के लिए भित रही थी, लगभग ३५० सामंज्ञ श्रीमती गांधी के प्रति अपनी निष्ठा अवक्त बनाने के लिए एकद दृष्ट तथा २२ (५० में से) स्वतंत्र सामंज्ञों ने भी प्रधानमंत्री को समर्थन दिया। इस जानकारी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूपमें भी नरम बना दिया तथा प्रधानमंत्री को अधिक भारतीय कांग्रेस समिति के विशेष अधिवेशन की मांग करने लिए पोत्साहित किया।

किसी विषय पर विभाजित होने हैं तो प्रधानमन्त्री उस विषय पर गदन के विरोधी दल का समर्थन प्राप्त कर सकता है।

संरक्षण

प्रधानमन्त्री जिम व्यापक हृषि को मंरक्षण प्रदान कर सकता है वह दलीय शक्ति के पदसोपान क्रम में उमकी भहस्ता यो बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यह जून १९७० के अंतिमण्डल में परिवर्तन के पश्चात् इस प्रकार के मंरक्षण में गंभीर हृषि से बूढ़ि हुई है। दलंगान में भी प्रधानमन्त्री योजना आणोग वा अध्यक्ष है। मंत्रिमण्डल की दो भान्य अत्यधिक शक्तिशाली समितियाँ—राजनीतिक मामलों की समिति तथा वैदेशिक मामलों की समिति भी उसी की अध्यक्षता में गठित होती है। इसके अतिरिक्त भौतिक लाइसेंस को भी उसका संरक्षण प्राप्त है और वह मंत्रिमण्डलीय सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री के मंचिवालय का भी मुख्यिया है।

ये तत्त्व समीक्षा व्यवस्था के सामान्य राजनीतिक स्वामित्व के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। एक सफल प्रशासन, विणेप आधिक स्तर तथा मान्य के मामले में संतोषजनक स्थिति, पड़ीमी राज्यों तथा महाभित्यों से संबंध, विरोधी दलों की स्थिति, तथा चुनावों के निर्णय, ये परिस्थितियाँ उन तत्त्वों को, जो प्रधानमन्त्री की सत्ता का निर्माण करते हैं, प्रभावशाली ढंग में परिवर्तित कर सकती हैं।

प्रस्तुत रेखाचित्र शक्ति के पद सोपान कम बनाम भान्य तत्त्वों की परिवर्तनशील स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। ये तत्त्व हैं—जातिराज्य का राष्ट्रपति, कांग्रेस का अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, कांग्रेस कार्पकारिसी तथा कांग्रेस का संसदीय बोर्ड (जिसे इसके बाद में बाप्रेस उच्च कमान कहा जाएगा) बाप्रेस का संसदीय दल, मंत्रिमण्डल, संग्रह तथा उसके बाहर विगोधी दल तथा प्रशासनिक नेवाएं जो प्रभाव को इंगित करने वाली रेखाएँ, प्रभाव की दिशा तथा इसके स्वस्थाप को वर्कन करती हैं। इसमें उत्तर नेहरू युग को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, शास्त्री का प्रधानमंत्रित्व काल; द्वितीय, चौथे आमचुनाव तक इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व, तृतीय, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के विभाजन तक तथा चतुर्थ विभाजन व पश्चात् इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री की स्थिति दूसरे काल में भवाधिक दुर्बल तथा चौथे काल में सर्वाधिक मुहूर्ण रही। रेखाचित्र १ में जात होता है कि प्रधानमन्त्री को अपने महायोगियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त था। क्योंकि उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय जैसे, परमाणु अस्त्र का निर्माण न करना मंत्रिमण्डल से स्वतन्त्र रह कर दिए थे। किन्तु कांग्रेस अध्यक्ष के सदमें में वह प्रभाव साधारण था। शास्त्री ने जनवरी १९६५ में कामराज के पुनः कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दूसरी ओर मुख्य मंत्रियों तथा कांग्रेस उच्च कमान की स्थिति निर्णायिक की थी जिसे उन्होंने भाषा तथा लाद संकट के समय स्पष्ट हृषि से अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार, प्रशासनीय सेवाएं भी मुख्य तत्त्व के हृषि में सामने

माईं। प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् जब भी खाहते (जैसाकि उन्हें माया विवाद के सदर्म में किया था) एक महत्वपूर्ण तत्व के हूप में प्रस्तुत हो सकते थे। यास्त्री कांग्रेस के समदीय दल पर भी प्रधानमंत्री होने के नाते नियन्त्रण प्राप्त नहीं कर सके तथा उनके नीति सम्बन्धी निर्णय कांग्रेस के विभिन्न दबावों से तथा प्रतिदबाव गम्भीरों से प्रभावित हुए।

वित्त संसद्या २-इंदिरा गांधी घण्टे निर्वाचन में स्वेच्छ के कारण अपने प्रभाव को तत्काल संगत नहीं बना सकी। मुख्यमंत्री, जो मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा परों असफल करने में सफल सिद्ध हुए थे, उन्हें प्रधानमंत्री पर कठोर नियन्त्रण प्राप्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष तथा उच्च कमान दलों में अनिवार्यत वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री का मंत्रिमण्डल पर नियन्त्रण न केवल एस० के० पाटिल, संजीव रेही, जगजीवनराम तथा वाई. बी. चह्नाएं जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के दबाव से दुर्बल हुआ अपितु ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठाष्टूत नये मंत्रियों को सरकार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने दी। मोरारजी देसाई के विरुद्ध पर्याप्त स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् भी संसदीय दल के ऊपर प्रधानमंत्री का नियन्त्रण नाममात्र का था तथा मुख्य मंत्रियों के माध्यम से ही उन्हे बहुमत प्राप्त हो सका था। विरोधी दलों से प्रधानमंत्री का दैचारिक आदान-प्रदान मंग होने के कारण १९६६ का वर्ष 'धघ' तथा कानून व व्यवस्था के अभाव का वर्ष मारित हुआ। मात्र एक दिशा में प्रधानमंत्री की स्थिति सुधरी, राष्ट्रपति की तुलना में उनकी स्थिति सुधरी क्योंकि शक्ति मनुलन डा० राधाकृष्णन के पक्ष में नहीं रहा।

मार्च १९६७ से नवम्बर १९६६ के घटनाक्रम से सम्बन्धित चित्र ३ से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री को दो दिशाओं में स्पष्ट प्रभाव प्राप्त हुआ। प्रथम, राष्ट्रपति डा० जाकिरहुसैन उनके द्वारा मनोनीत प्रत्याशी थे तथा उनकी विजय ने प्रधानमंत्री की शक्ति में यकायक वृद्धि की। दूसरे, संसद के नवीन कांग्रेसी सदस्यों से उन्हें अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री का प्रभाव कांग्रेस अध्यक्ष (जो चुनाव में बुरी तरह पराजित हुआ था।) तथा कांग्रेस उच्च कमान पर (इसके मुख्य सदस्य एस० के० पाटिल, अनुल्योप, के० बी० सहाय प्रादि चुनाव हार चुके थे) बढ़ा तथा संजीव रेही को लोकसभा का अध्यक्ष बना कर, प्रधानमंत्री ने यडी चतुरता से उन्हे राजनीति से निर्वासित कर दिया। पूर्व मुख्य मंत्रियों में से जो कुछ व्यक्ति थे अपने राज्य की राजनीति में अस्थिरता तथा दल बदल्यों से असतुष्ट होकर प्रधानमंत्री की सद्भावना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। प्रशासनिक सेवाएं भी दुर्बल हो गई थीं। मंत्रिमण्डल में मोरारजी देसाई की उपस्थिति के दबाव जूद उनके प्रधानमंत्री के साथ सम्बन्ध एकपक्षीय थे।

क्योंकि प्रधानमंत्री ने समय-समय पर मन्त्रिमण्डल में न केवल परिवर्तन ही किए अपितु स्वयं मंत्रिमण्डल में संतुलन को वह अपने पक्ष में करने में स्पष्टतः सफल हुई। डी०एम०के० तथा साम्बवादी दलों से प्रत्यक्ष समर्थन ने प्रधानमंत्री के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया। चित्र न० ४-१९७०

यह काल प्रधानमंत्री की सर्वव्यापी शक्ति का है। मात्र विरोधी दलों के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री को श्रादेश देने की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकी है। कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हीं के,

मंत्रिमण्डल का एक सदस्य है। कांग्रेस संसदीय दल की संपूर्ण निष्ठा उसे प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति धी०पी० गिरि का निर्वाचन बहुत कुछ श्रीमती गांधी के कारण हुआ है। प्रधानमन्त्री की व्यापक लोकप्रियता के कारण मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस उच्च कमान उसे रूप करने का विचार भी नहीं कर सकते हैं। निम्नांकित चार रेखाचित्रों में प्रधान मंत्री की विरोधी दलों के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। एक से चार सर्व्या के इन रेखा चित्रों में विरोधी दलों को एक इकाई के रूप में माना गया है तथा प्रत्येक राजनीतिक दल के चित्रों में उन्हें प्रधानमन्त्री से समान दूरी पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री को मिले राजनीतिक समर्थन (अथवा विरोधी) की समानता भी इसमें इंगित की गई है। (संयोगवश यह रेखाचित्र एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व काल तथा उसके बाद के समय में भारतीय राजनीति के गैर-संद्वान्तिक स्वरूप को भी स्पष्ट करता है।

रेखाचित्र संख्या (१) में हमें प्रधानमन्त्री द्वारा विरोधी दल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अक्टूबर १९६४ में मध्यावधि चुनावों के समय केरल में हुई घटनाओं के पश्चात् वामपंथी दल विशेषतः मार्कसवादी साम्यवादी दल प्रधानमन्त्री का कटु आलोचक बन गया था। सरकार की भाषा नीति की कटु आलोचना का नेतृत्व धी०एम०के० ने किया तथा उसके समूख प्रधानमन्त्री के समर्थण ने जनसंघ को सरकार का विरोधी बना दिया। तथापि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के सीमित समय के दौरान सभी विरोधी दलों ने प्रधानमन्त्री को सर्वसम्मत समर्थन प्रदान किया।

द्वितीय रेखाचित्र में बताया गया है कि किस प्रकार प्रधानमन्त्री की स्थिति और विगड़ी। भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन तथा कंट्रोल में उदारता बरतने की नीति ने वामपंथी दलों को और अधिक आलोचक बना दिया। दक्षिण पंथी दलों में जनसंघ ने ताशकद समझौते तथा गो-मुरक्खा के प्रश्न को सेकर प्रधानमन्त्री का विरोध किया जबकि अकाली दल तथा द्राविड़ मुनेत्र कपगम स्थानीय भावनाओं के आधार पर सूख फले-फूले।

रेखाचित्र (३) के अन्तर्गत चतुर्थ आमचुनावों के पश्चात् भारतीय राजनीति में हुए उप परिवर्तनों को दर्शाया गया है। सी०पी०आई० तथा पी०एस०पी० प्रधानमन्त्री के सक्रिय समर्थक बन गए जबकि सी० पी० एम० का विरोध कम हो गया। दक्षिण पंथी दलों में प्रधानमन्त्री ने अकाली दल तथा द०मु०क० से संपर्क स्थापित किया जबकि जनसंघ तथा स्वतन्त्र दल इसके कटु आलोचक बने रहे।

चौथा रेखाचित्र, जिसमें कांग्रेस के विमाजन के पश्चात् के समय को दर्शाया है, भारतीय राजनीति के चित्र को बदल देता है। भा० साम्यवादी दल (सी०पी०आई०) तथा द०मु०क० भव गैर-सरकारी संयुक्त दलीय सामेजारो के सदस्य बन गये हैं। प्रधानमन्त्री का याम पंथ की ओर झुकाव होने के बावजूद मा०मा० साम्यवादी दल (सी०पी०एम०) प्रधानमन्त्री की आलोचना करता है। प्र०स० दल (पी०एस०पी०) तथा स०स० दल (एस०एस०पी०) दोनों इस विषय पर विमाजित हैं कि प्रधानमन्त्री के प्रति कौनसा र्वया

भेपनाया जाए। दक्षिणी पंथी दलों में संगठन कोप्रेस, जनसंघ तथा स्वतन्त्र दल तीनों अब भी प्रधानमंत्री के घोर विरोधी हैं।

प्रधानमंत्री की सत्ता-समुत्थान (recovery) के क्षेत्र

१९६६ के राजनीतिक संकट के दौरान भारत के सर्वाधिक विशाल राजनीतिक दल की क्षमता का जो हास हुआ, उससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री के पद का संस्थाकरण होना चाहिए। विभाजन के समय प्रधानमंत्री के पद पर तीव्र प्रहार^{१५} किये गए तथा देश के गणमान्य लोगों द्वारा उसे स्वार्थी, धोखेवाज, दुष्ट वल्कि 'मुरुदा के लिए एक खतरा' तक बताया गया। उसे पड़यत्रकारी भी बताया गया।^{१६} लोक समा में विरोधी दल के प्रथम नेता डॉ० रामसुभग सिंह ने प्रधानमंत्री के पद व उस पद को प्राप्त व्यक्ति की आलोचना पर्याप्त अशोभनीय भाषा में की। उन्होंने सदन में कहा—

“वह अब हमसे कहती है कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है क्योंकि उस दल से, जिसकी बदौलत ये जो कुछ आज है या बन सकी हैं, गम्भीर व लज्जाजनक अनुशासन-हीनता के कारण उन्हें निपासित किया जा चुका है।”

“श्रीमती गांधी की दो प्रकार की अन्तरात्माएँ हैं और स्पष्टतः उनमें से एक कपटपूर्ण है। अपने राजनीतिक संगठन के प्रति उनका विश्वासघात का कार्य न तो प्रथम है और न अन्तिम ही।^{१७}

इस प्रकार प्रधानमंत्री के पद का अपमान किया गया। संपूर्ण राजनीति की हतचल जो कोप्रेस के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई, का मूल संकेत यही है कि भारत में मंत्रिमंडल

^{१५} १९६६ अगस्त १९६६ को हिन्दी भाषी राज्यों के १५० काप्रेस संसद् सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने बताया कि उनके दल के कुछ सदस्यों द्वारा सरकार को परेशान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हीं सदस्यों द्वारा निम्नतर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से तथा सरकारी रूप से बदलाव करने वा प्रयास किया जा रहा है। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, अगस्त १९६६, १९६६। दूसरे दिन गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के १०० काप्रेस संसदी के सम्मुख बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बहा, विश्व में इस प्रकार का प्रवार किया जा रहा है कि इसके अवज्ञे राजनीतिक संगठन में प्रधानमंत्री का पठन हुआ है मुझे इमान विरोध करता है। ऐसा मात्र इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं इससे सम्बन्धित हूँ अर्थात् इसलिए क्योंकि इससे प्रधानमंत्री के पद का प्रश्न सम्बन्धित है। पूर्वोंत अगस्त २०, १९६६

^{१६} गुजरात के पचायत भवी ठाकुर भाई देसाई ने तथा यू० पी० की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुद्दे ता हृष्णानी ने श्रीमती गांधी की सम्बादी बताया इन्डियन एक्मप्रेस, नई दिल्ली अगस्त ११, १९६६। संगठन काप्रेस ने काप्रेस कार्य नियन्ति के एक अधिकृत प्रतावद द्वारा काप्रेस के विभाजन का उत्तरदायित्व श्रीमती गांधी को सम्मूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करने की मूलभूत महत्वाकांक्षा पर ढाला। इसका जड़ेश यह था कि प्रत्येक शक्ति में उनके महोपयोगी ही उनके मनीनीत सदस्य हों। अद्वितीय काप्रेस कमेटी इनोनामिक्स रिस्यू, नई दिल्ली १९६६, नवम्बर १९६६।

^{१७} आर. एस. सिंह, 'डेमोक्रेसी एण्ड दि पर्सनेलिटी बल्ट,' पूर्वोंत, स्प्रिंग नम्बर, नवम्बर १९६६।

शासन प्रणाली की सफलता के लिए भारतीय रजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद संस्थात्मक बनाया जाना चाहिए ताकि शक्ति के पदसोपान कम में उसे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो सके। नेहरू की मृत्यु के पश्चात् संयुक्त नेतृत्व के विकास का प्रयास पूर्णतः असफल हुआ।^{२०} प्रधान-मंत्री की शक्ति की निम्नाकित न्यूनतम सीमाओं के विषय में ग्राधिकतम सहमति अनिवार्य है—

(अ) राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहायता :

चतुर्थ आमचुनाव के पश्चात् संविधान की व्याख्या एक सक्रिय राष्ट्रपति के पक्ष में करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पद के विषय में यह नई व्याख्या तब की गई जब आमचुनावों में कांग्रेस की पराजय के पश्चात् विरोधी दलों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश सुव्वाराव का १६६७ के राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया। ६ विरोधी दलों द्वारा प्रस्तावित एक संयुक्त पत्र में राष्ट्रपति की नई भूमिका की प्रस्तावना इस प्रकार की गई: “नवीन आमचुनावों के परिणाम स्वरूप वदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में इस परिवर्तन को देखना चाहिए....यह परिवर्तन कुछ ऐसे तनाव व संघर्ष उत्पन्न करेगा जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को संविधान के वास्तविक संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा। बहुत कुछ राष्ट्रपति के प्रजातंत्रीय व न्यायिक दृष्टिकोण तथा उसके कार्य करने की पढ़ति पर निर्भर करेगा।^{२१} परिस्थिति में परिवर्तन यही था कि आमचुनाव के पश्चात् लोकसभा

२० मित्रभाषी कामराज ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसने दश मिनट से भी कम समय लिया। उन्होंने कहा—राजनीतिक घट से नेहरू की अनुपम्यति से उत्पन्न गूम्य घो भरना सम्भव नहीं है। अत अब दल को सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सामूहिक इंटिरेष्न के आधार पर बार्य करना चाहिए। जो एम. भार्गव, पूर्वोन्न यन्य, पृष्ठ १४४ ‘संयुक्त नेतृत्व की विशेषताएं’ मह बताई गई थी कि प्रधानमंत्री तथा अधिमंडल अपनी निर्णय सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग दल के संगठन पद के साथ करेंगे तथा इनके साथ ही विभिन्न राज्यों की सहमति भूली भूली अपेक्षा संबन्धी निर्णयों में विशेष रूप से आवश्यक होती। डकन बी० फोरेस्टर, आपटर नेहरू, पालियामेट्री अपेक्षा संलग्न १६६५, १६६६ पृष्ठ २१३

२१ जिन लोगों ने यह तरफ़ दिया कि राष्ट्रपति निर्वाचित सरकार का उल्लंघन कर सकता है अब तक व्यवहार में इनका विरोध किया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति ने ऐसा प्रयास नहीं किया यद्यपि डा० राधाकृष्णन ने १६६२ में कृष्ण मेनन को अपदस्थ करवाने में महात्मार्थ भूमिका अदा की थी। इन्हुं भारत की नवीन राजनीतिक व्यवस्था एक अधिक महिय राष्ट्रपति को सम्भव बना सकती है अथवा इसकी अपेक्षा कर सकती है। एक राष्ट्रपति का ज्यन, दि इकोनोमिस्ट, लंदन, अप्रैल १५, १६६७

२२ टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली अप्रैल २७, १६६७, इसमें पहले संघिकान मासा के भूतपूर्व गदर्य तथा प्रशासनिक गुप्तार आयोग के गदर्य एवं ० कामय ने यह विवार बयान किये थे कि एक टृष्णा व इंटिरेष्न से विहीन राष्ट्रपति देश के लिए उपयोगी होने के स्थान पर भार लिया होगा। जनता, नई दिल्ली १६, १६६७

में कांग्रेस दल का बहुमत कम हो गया था किन्तु अभी भी इसे निरपेक्ष बहुमत प्राप्त था। यद्यपि कांग्रेस श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पर्याप्त समर्थन नहीं थी तथापि कांग्रेस में आन्तरिक संघर्ष अब कोई नई बात नहीं थी। संसदीय कांग्रेस दल का एह समर्थन प्रधानमंत्री को प्राप्त था। अतः राष्ट्रपति की उस प्रकार की भूमिका के लिए कोई स्वान नहीं था जिसकी अपेक्षा विरोधी दल कर रहे थे। चूंकि संविधान की किसी व्यवस्था द्वारा राष्ट्रपति को वैयक्तिक निरंय की शक्ति नहीं मिली है (जब कि राज्यों के राज्यपालों के लिए इस प्रकार के अधिकार की व्यवस्था की गई है)। यत यह नितान्त सदैहास्पद है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उपेक्षा कर सकता है।^{२३} वह अन्य परिवर्तन, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के लिए परिवर्तित भूमिका का प्रस्ताव किया जा रहा है, यह है कि कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई है। इन राज्यों में गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति ने केन्द्र व राज्य के परस्पर सम्बन्धों को नये आयाम प्रदान किए थे। हालांकि केन्द्र व राज्यों दोनों में कांग्रेस की सरकार होने पर स्थिति विशेष उत्तमाहंगनक नहीं थी तथापि विचारों से सम्बन्धित अन्तिम निरंय कांग्रेस उच्चकमान में किया जा सकता था। तब केन्द्र व राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रपति को पंच के रूप में स्वीकार करने की परम्परा को विकसित किया गया।^{२४} कुछ समय पश्चात् उत्तरप्रदेश में राजनीतिक संकट का सामना करने के लिए सात विरोधी दलों ने राष्ट्रपति से जो कुछ करने का आग्रह

^{२३} भूतपूर्व मुहूर्य न्यायाधीश के० सुब्बाराव के अनुसार “संवैधानिक इटिकोण के अनुसार जब संवैधानिक प्रावधान आवश्यक अवधारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप में कार्य करने की व्यवस्था करते हैं तब इस प्रकार के विषयों में राष्ट्रपति मतियों की परामर्श लेने के बावजूद भी यदि चाहे तो उनके परामर्श के विवारित कार्य कर सकता है।” “दि प्रेमीडेट ऑफ इण्डिया, दि आयाम टिप्पनू, गोहाटी अगस्त १८, १९६६ के स्थानम के अनुसार ‘जहाँ तक समझ को विवेक लोटाने का प्रश्न है.....इस प्रकार वी परम्परा का विकास आवश्यक है कि गण्डियन वैयक्तिक निरंय के आधार पर कार्य करे।’” कन्वेण्स एण्ड प्रोत्राइट्रीज आफ पारिवारिक देनोकोगी इन इण्डिया, नई दिल्ली, दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पविलिक एडमिनिस्ट्रेशन १९६६, पृष्ठ ४२। यह उल्लेखनीय है कि १९५१ में राष्ट्रपति डा० प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखकर दियको पर सम्मति देने अथवा उसे वापिस लौटाने के सबध में तथा ससद को घोषणा भेजने के सबध में निरंय की स्वतन्त्रता की भाग की थी। जेहूल ने यह पत्र अटार्नी जनरल एम सी मीलनवाड़ तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अध्यर को उनकी दिप्पणी के लिए प्रेगिन किया। अटार्नी जनरल वा मन या कि राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक निरंय पर प्रधानमंत्री वी मलाह मानना अनिवार्य था। योकि संप्रगुता जनता में निवास करती है अतः उसका प्रयोग समझ और प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। अध्यर वा मन या कि राष्ट्रपति के पद में ऐसे मुहूर्तों की उठाया गया है कि यदि उन्हें मान दिया जाय तो संविधान सभा द्वारा प्रतिवादित तथा विचारित गम्भीर संवैधानिक दोषों उनक जाग्रा तथा राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा। ऐनविल अन्निटन काम्स्टीट्यूजन आफ इण्डिया, लेन करेटन ब्रेग, १९६६ पृष्ठ ११४-११७

^{२४} इनका बहना पर्याज होगा कि राष्ट्रपति के बायों वी विमुक्त रूप में तथा गोमिन शा में सीरीज़ बरने वाले दोनों ही पक्ष इस तथ्य की अंतिम नहीं बर पाते हैं हि केन्द्र व राज्यों के मध्य सम्बन्धों के दोनों को संविधान के अनुसार नियमित करने के लिए परिस्थितियों अंतर राष्ट्रपति में मध्यस्थ तथा पक्ष वी भूमिका की जाता करेगो। दि स्टेट्समेन, नई दिल्ली, मई १९, १९६७।

किया उसका अर्थ यह था कि वह प्रधानमंत्री से बिना प्रभावित हुए स्वतन्त्र हप से कार्य करे। राष्ट्रपति को एक स्मरण पथ प्रस्तुत करते हुए संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, पी० एस० पी०, स० म० द०, (समीरा) भाकांद तथा शोपित दल ने कहा—

“दूसरा विचारणीय विषय यह है कि वे मामले, जो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के वैयक्तिक निर्णय से सम्बन्धित हैं, ऐसे मामलों पर संविधान के ग्रन्तच्छेद ३५८ में, अथवा और किसी प्रकार इन शब्दों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति को संसद् अथवा राज्य के अन्य राजनीतिक दलों के परामर्श से कार्य करना चाहिए। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस प्रकार की परम्परा का विकास करे।”^{२५}

इन विचारों का यह अर्थ था कि शक्ति की धुरी का स्वानान्तरण संसद् भवन के स्वान पर राष्ट्रपति भवन हो जाए। भारतीय संविधान की व्यवस्था से एक स्वतन्त्र राष्ट्रपति का विचार मेल नहीं खाता है। यह स्वीकार करना ही होगा कि संविधान के ग्रन्तर्गत राष्ट्रपति मात्र मवैधानिक अध्यक्ष है। एक स्वतन्त्र राष्ट्रपति का विचार समीक्षा प्रजातंत्र को भारत से शांतिपूर्ण ढग से समाप्त कर देगा।^{२६}

(व) लोकसभा को भंग करना :

लोकसभा को भंग करने का अधिकार अब ब्रिटेन में दीर्घ विवाद के पश्चात् प्रयानमंत्री

२५ राजनीतिक दल बेन्ड तथा राज्य सरकारों के जबलत राजनीतिक विषयों का निपटाया करने के लिए राष्ट्रपति को मध्यस्थित अथवा पचायती निर्णय देने की परम्परा को स्वीकार कर सकते हैं। ‘प्रेसीडेंस पावर,’ दि टिव्यून, अप्रैल १५, १९६७। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, ६ अक्टूबर १९७०, स० स० द० के मध्य तिमये ने इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव प्रकाशित किया था जिसके अनुसार राष्ट्रपति से यू० पी० की तिथि के सदर्भ में संविधान की व्यवस्था के अनुसार अपनी निर्णय शक्ति का स्वतंत्र हप से प्रयोग करने के बजाय केंद्रीय मन्त्रिमंडल के उस अवैधानिक निर्णय को स्वेच्छा प्रदान कर दी, जो गवर्नर की अपार्टमेंट (अपेट) रिपोर्ट पर आधारित था तथा इस प्रकार उसने अवैधानिक पद्धति से उस राज्य परा प्रशासन अपने हाथ में लेने तथा विधान सभा स्थगित करने के लिए अपनी व्यापारण शक्तियों का प्रयोग किया। उसने संविधान की सरकार मुक्ताखा बचाव के लिए ली गई शपथ का इस प्रकार उल्लंघन किया तथा यह मत उसने स्वयं विदेश प्रबाल के दोरान किया। दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, अक्टूबर १९, १९७०।

२६ १९६७ के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मुख्यालय के प्रत्याशी होने के विषय में एक सामाजार एवं ने टिप्पणी की है कि न्यायिक दोनों के लिए निरपेक्षता तथा स्वतन्त्रता सर्वाधिक आवश्यक रुप होते हैं जिन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्रपति हास्रा मन्त्रिमंडल की अवहेलना का समर्थन उन विदेशी शक्तियों की सेनाओं के हास्रा ही किया जाएगा जो हमारी स्वतन्त्रता तथा प्रातातद को नष्ट करने को उत्तुक है। हमें इस विषय पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम अमेरिका का नहीं अपितु भारत का राष्ट्रपति जुन रहे हैं। मार्ड लॉड मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनना चाहते हैं—एक ऐसा राष्ट्रपति जो निर्मयता से स्वतंत्र कार्य करने का इच्छुक है, मात्र अपनी व्याधया के अनुसार संविधान की रक्षा का दायित्व लेना चाहता है और मदि आवश्यक हो तो संसद् व मन्त्रिपरिषद् की अवहेलना करने को भी तियार है क्योंकि उसकी हृष्टि में इन दोनों का वस्तित्व उसकी इच्छा पर आधित है। युड इण्डियन प्रैमीडेंट दी दृष्टिपोइंट, फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई, अप्रैल २०, १९६७।

का विशेषाधिकार बन गया है। यह शक्ति प्रधानमन्त्री की सर्वाधिक प्रभावशाली गतिः है।

भारत में बहुत बर्पों बाद पहली बार प्रधानमन्त्री को लोकसभा को भग करने का अवसर मिला। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात् श्रीमती गांधी के दल का बहुमत अल्पमत में बदल गया। यह ऐसी राजनीतिक स्थिति थी जिसमें प्रधानमन्त्री द्वारा लोकसभा को भग करने का आग्रह न तो आशचर्यजनक होता और न दुखदायी। उस समय राजनीतिक तथा संवैधानिक पंडितों की पर्याप्त सख्त्य ने इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री के अधिकारों को विवादास्पद घाना था। स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमन्त्री की इस शक्ति के विषय में संदेह व्यक्त किया।^{२७} राष्ट्रपति को इस प्रकार वैयक्तिक निरांयं प्रदान नहीं किया जा सकता जैसाकि राज्य के स्तर पर राज्यपालों को प्राप्त हो गया है। जब तक लोकसभा प्रधानमन्त्री के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अविश्वास का प्रस्ताव पारित न कर दे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री को यह अधिकार प्रदान करना ही होगा 'चाहे वह बहुमत रखता हो या अल्पमत, चाहे उसके दल ने उसे निष्कासित कर दिया हो। उसे पर्याप्त संख्या में उसके बे विकल्प प्रदान नहीं किये जा सकते जैसे १६५० में सर एलन लॉसेल्स ने ग्रिटेन के राजा को देने चाहे थे^{२८} और जिन्हें भारत के विरोधी दल राष्ट्रपति को देना चाहते हैं।

^{२७} मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की राय पर ही राष्ट्रपति सदस्य को भग कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुभव करने पर भी कि प्रधानमंत्री को सदस्य में बहुमत प्राप्त है, या नहीं है वह सदस्य को भग करने का निर्णय उन परिस्थितियों के सदर्भ में ही ले सकेगा जो ऐसा परामर्श देने के समय विद्यमान हों। दि नेशनल हेराल्ड, नई दिल्ली, जनवरी ४, १९७०। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुव्वाराव का मत है कि यह अधिकार (सदस्य को भग करने का) उस देश में सफलतापूर्वक प्रयुक्त हो सकता है जहाँ प्रजातन्त्र पर्याप्त छड़ हो चुका हो किन्तु एक नव-न्यायित प्रजातन्त्र के सरलतापूर्वक कार्य करने में यह सहायक नहीं होगा। दि आनाम ट्रिप्पून, 'गोहाटी, अगस्त १८, १९६६। ४ नवम्बर, १९६६ को एक सवाइदाता सम्मेलन में बोलते हुए भोराजी देसाई ने कहा, जब उसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तब अन्य व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। वह एक पराजित प्रधानमन्त्री जो पुन निर्वाचित की माग करने का अधिकार देने को तत्पर नहीं थे। दि हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, नवम्बर ५, १९६६। जनसभ के भूतपूर्व अध्यक्ष बटलविहारी धारपेठी ने भी प्रधानमन्त्री के लोकसभा को भग करने के अधिकार वा विरोध किया। उसके विचार से उस प्रकार का निर्णय असंवैधानिक है तथा राष्ट्रपति को इस पकार के अधिकार को अस्वीकार कर देना चाहिए था। श्रीमती गांधी को सदस्य को भग करवाने की माय करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह संपूर्ण कानून का विश्वाय खो चुकी है। पूर्वोक्त नवम्बर ३, १९६६।

^{२८} 'लदन का 'दि टाइम्स' इस विचार विमर्श का केन्द्र बन गया। राजा के निजी मचिव मर एलन लॉसेल्स ने इस विषय पर विचार-विमर्श से सम्बद्धि कॉन्वेंशन में अपने विचार 'शीर्सेंस' के छव्वनाम से प्रस्तुत किए थे। इनमें उसने तर्क दिया था कि राजा सदस्य को भग दर्शने के आग्रह को अस्वीकार कर दक्षता था किन्तु वह ऐसा तभी कर सकता था जब उसे विश्वास हो जाए ति (१) वर्तमान संसद अब भी अपना कार्य करने के योग्य तथा शक्तिशाली है (२) एक आम चूनाव देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक होगा तथा (३) वह एक वैकल्पिक प्रधानमन्त्री का चयन परने में सफल हो सकेगा जो पर्याप्त समय तक देश का शासन चला सकते थोग्य ऐसी सरकार का निर्माण कर सके जिसे काम चलाऊ बहुमत प्राप्त हो। दि टाइम्स, संदर्भ, मई २, १९५०।

लोकमना में विरोधी दल के नेता डा० राममुभग सिंह ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति को समृद्ध के माध्यम का निराशय किसी एक व्यक्ति द्वारा चाहे वह कितना ही महान् व्यक्ति न हो, नहीं करना चाहिए।^{३६} किन्तु इस मामले में एक व्यक्ति कोई मामान्य व्यक्ति न होकर स्वयं प्रधानमन्त्री है तथा वह प्रधानमन्त्री ही हो गवता है। ऐसे विचार में प्रधानमन्त्री एक व्यक्ति नहीं है वल्कि एक सत्य है। राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की सलाह पर लोकसभा को भग दरने का दायित्व भी देखेहो में परे होकर स्वीकार करना चाहिए।^{३७}

यद्यपि राज्यों में राज्यपालों ने मुक्त्यमन्त्री के प्रशासन के विना भी विधान सभा के अधिवेशन ग्रामन्त्रित करने के अधिकार को ले लिया है³¹ किन्तु राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। मौभाग्यवश दल बदलने की प्रक्रिया ने, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, अभी केन्द्रीय राजनीतिक स्थिति को आच्छादित नहीं किया है। दल बदल को नियन्त्रित करने के लिए तथा राजनीति की अस्थिरता को रोकने के लिए एक मात्र रचनात्मक तरीका यही है कि प्रधानमन्त्री को उसकी सुविधानुमार लोकसभा की बैठक वुल्याने व भग करवाने की शक्ति दी जाए। (यद्यपि इस मंदिरधानिक व्यवस्था का आदर किया जाना चाहिए कि लोकसभा के दो अधिवेशनों के मध्य द्वः माह से अधिक का अंतर नहीं हो)। यदि यह अधिकार प्रधानमन्त्री को नहीं दिया गया तो, जिस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है और केन्द्र में संयुक्त दलीय भरकार बनने की समाविधा सामने आ रही है उस स्थिति³²में ऐसी सरकार की स्थिरता कम हो जाएगी। राष्ट्रपति को मविधान के संरक्षक के रूप में संसदीय प्रजातन्त्र को संसदीय अराजकता में परिवर्तित होने से रोकने के स्थान पर³³ संसदीय प्रजातन्त्र को विकसित करने का माध्यम बनने का प्रयास करता चाहिए।

२६ दि हिन्दूस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, तबाहर २६, १९६६।

३० 'संविधान ने राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियाँ देने के साथ यह स्पष्ट कर दिया था कि इन शक्तियों का प्रयोग मात्र भविमण्डल की राष्ट्र के आधार पर ही किया जा सकता था। वह संघर्ष अथवा प्रथानमन्त्री वीर उंचाई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श के बिना तसदू को यह नहीं कर सकता है।' ए ट्रेंजरस डोविन्ट, वि इडियन, एवं सप्रेम नई दिल्ली मई ३, १९६७ एक अन्य प्रमुख पत्र ने लिखा 'तसदू' को भग कर न ये कुनाकों को करवाने वीर सलाह राष्ट्र के लब्धकारों देना प्रधानमन्त्री का 'भाग्यताप्राप्त विशेषाधिकार' है जिसमें मांग वह तब तर राजा है जब उन्हें यह अनुभव हो कि अब जनता से नये सिरे से समर्थन प्राप्त करने अथवा शासक दल की महांकों को बढ़ाने वा सुखवगर उत्तमित हो गया है। हालंकि वे व्योंग में श्री विस्मत ने ऐसा दो बार लिया नथा थीमोंनी गावी को देखा कदम उठाने से रोका नहीं जा सकता 'मिडटर्म-पोन्ट फि टाइम्स ऑफ हाइडिया, नई दिल्ली अब्रूवर २६ १९६७।

३१ स्वयं प्रशासनिक मुद्दार आपोगे ने अपनी मिफारिंग में राज्यपालों के इस अधिकार को स्वीकार किया है। तब यह मान उत्पन्न होता है कि वह राज्य विधान सभा में मुद्दमन्ती यो बहुमत प्राप्त हो तो मुद्दम वर्ती राज्यपाल वो विधान सभा का अधिकार शेष आमंत्रित करने की राय नहीं देता है तथा ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल छोड़े तो परिस्थिति के अनुसार उम्म प्रक्रम पर विधान गभा वा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसका अधिकार आमंत्रित कर जाता है। प्रशासनिक मुद्दार आपोगे, रिपोर्ट ऑफ सेटटर-एन्ट रिपोर्टम, नई दिल्ली, खारनमेट ऑफ इंडिया, १९६६ पृष्ठ ८७।

३२ इन्हें यान्त्रिकि के विवार के समयान्त मध्यसंक्षेप के एसमूँगी की पह मुख्य धारणा है - के एसमूँगी, दि प्रोडेंट अडर 'दि इटियन कालोटीयशन', बन्वी, भारतीय विद्याभवन, पृ१६८ ते पृ१८८ दि

(स) मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें अपदस्थ करना :

प्रधानमन्त्री वी शक्तियों के जिस अन्य पक्ष पर अधिकतम सहमति की आवश्यकता है वह है प्रधानमन्त्री द्वारा अपने सहयोगियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा अपदस्थ करने का विवाद रहित गवर्नर्च अधिकार। मन्त्रिमण्डल के निर्माण का कार्य स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता है अथवा किसी के परामर्श से किया जाता है। किन व्यक्तियों को मन्त्री पद प्रदान किये जाते हैं तथा किन्हें वचित किया जाता है। यह प्रधानमन्त्री की शक्ति तथा दल की शक्ति की व्यवस्था में महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।^{३३} ये ही घटक मन्त्रिमण्डल के पुनर्गठन को भी प्रभावित करते हैं।^{३४} तथापि नेहरू की मृत्यु के पश्चात् नेतृत्व के नाम पर मन्त्रिमण्डल के निर्माण का कार्य पूर्णतः प्रधानमन्त्री का अधिकार नहीं माना गया तथा विकल्पस्वरूप दल का संयुक्त उत्तरदायित्व माना गया जिसमें दलीय शक्ति के अम में प्रभावशाली सदस्यों की महत्वपूर्ण मिमिका थी। स्वाभाविक रूप में मंयुक्त नेतृत्व अन्य क्षेत्रों के समान ही इस क्षेत्र में भी प्रभावशाली मिद्द नहीं हुआ। यह द्वीकार करना ही होगा कि मन्त्रिमण्डल के निर्माण का कार्य पूर्णतः प्रधानमन्त्री को दिया जाना चाहिए।^{३५} मदि प्रधानमन्त्री द्वारा चयन किये गए सदस्य उसके दल के प्रभावशाली मद्द्यों को पसन्द नहीं आते हैं तो प्रधानमन्त्री स्वयं उसके परिणामों को भुगत लेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में दल के प्रभावशाली लोगों को इस कार्य में भाग लेने का अवसर नहीं प्रदान किया जाना चाहिए।^{३६} नियुक्त करने से सम्बन्धित अधिकार का सहज अर्थ

^{३३} उदाहरण के लिए अतुलधोप ने मन्त्रिमण्डल से अशोक सेन तथा हुमायूं कबीर को निकलवाने का अत्यधिक प्रयास किया जिसे यद्यपि शास्त्री ने नहीं माना किन्तु श्रीमती गांधी को अतुलधोप की मांग के सम्मुख झुकना पड़ा।

^{३४} नेहरू एम०प० पाटिल को मवालय से रेलवे में स्थानान्तरित नहीं कर सके। श्रीमती गांधी फरवरी १९६६ में चढ़ाग, जगजीवनराम तथा मोरारजी देसाई को क्रमशः गृह, खाद्य एवं वित्त मन्त्रालय से नहीं हटा मरी। किन्तु जून १९७० में उन्होंने चढ़ाग से वित्त मन्त्रालय तथा दिनेशसिंह से विदेश विभाग में लिया यद्यपि दोनों इस विषय पर अपनी अविच्छाप विशित कर चुके थे।

^{३५} मन्त्रीमण्डलीय शासन में प्रधानमन्त्री को अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने तथा समय-नमय पर उसमें परिवर्तन करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। उसके लिए अर्थे दल के पार्येक गुट को संतुष्ट करना आवश्यक नहीं है। उसका दायित्व मात्र यह देखना होता है कि उसके कार्यकारी दल को संयुक्त रूप से संपूर्ण दल की निष्ठा प्राप्त हो : सर्व फौर कोहेमन दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, अक्टूबर १३, १९६६.

^{३६} अतुर्थ बाम चुनाव के पश्चात् जब कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव का प्रश्न उपस्थित हुआ तब एस० के० पाटिल ने दो मुद्दाओं रखे। प्रथम, मोरारजी देसाई को श्रीमती गांधी के नेतृत्व में उप प्रधान-मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सदन का नेता बनाया जाए तथा द्वितीय, कांग्रेस उच्च कमान नये मन्त्रिमण्डल के निर्माण में भाग ले। एच०एम० जैनः दि यूनीयन एजेन्सीवूटीव, इलाहाबाद, चैन्य प्रकाशन, १९६१ पृष्ठ १८७। जब कुछ मद्दस्यों ने शास्त्री मन्त्रिमण्डल में संजीव रेही की नियुक्ति का विरोध किया तो लोकसभा के अध्यक्ष ने मद्द की याद दिलाया कि यह पूर्णतः प्रधानमन्त्री का अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को ले जिसे वह उचित समझे या पसंद करे या जो उसके विचार

मन्त्रियों को पदमुक्त करना भी है। सरकार की किसी नीति से मतभेद होने पर भिन्न मतावलम्बी सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिए।^{३७} ऐसा महाकार त्यागी द्वारा ताशकंद समझौते पर, एम०सी० छागला द्वारा शिक्षानीति पर, तथा अशोक भेहता द्वारा चेकेस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप के प्रति अपनाये गए सरकारी रूख के विरोध में किया गया। जब प्रधानमन्त्री यह अनुभव करे कि उसके मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य सरकार द्वारा स्वीकृत नीति ने गम्भीर मतभेद रखता है अथवा यदि वह अपने मन्त्रिमण्डल को अधिक सामजिक्यपूर्ण बनाना चाहे जिसमें कुछ मन्त्री वाधक हों, तो प्रधानमन्त्री को उन सहयोगियों से त्यागपत्र मांगने का अधिकार है और इस अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। जून १९६६ में प्रधानमन्त्री द्वारा मोरारजी देसाई को मन्त्रिमण्डल में समिलित नहीं करने पर उनके समर्थकों ने जो विरोध किया (उनके द्वारा मोरारजी देसाई को दुवारा समिलित किए जाने की तीव्र मांग ही काग्रे स के विभाजन का मूल कारण बनी) उससे यह गलत अम उत्पन्न हुआ कि प्रधानमन्त्री ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मन्त्रियों की नियुक्ति के समान उनको अपदस्थ करना भी पूर्णतः प्रधानमन्त्री का अधिकार है तथा किसी व्यक्ति को, चाहे वह काग्रे स का अध्यक्ष ही क्यों न हो, इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।^{३८}

इसके अतिरिक्त अटार्नी जनरल द्वारा (२० पी० के संदर्भ में) प्रस्तावित इस विचार को कि मन्त्रियों को हटाने के सम्बन्ध में एक मयुक्त दलीय सरकार के मुहम्मदनी की तुलना एक दलीय सरकार के मुस्यमन्त्री से नहीं की जा सकती है,^{३९} केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के संदर्भ में

मेर्ई मानदार चिढ़ हो.... इस विषय में वही निर्णय कर सकता है। सदन नहीं। एक बार उसकी नियुक्ति के पश्चात् सदन के पास एकमात्र विकल्प उसके विरुद्ध अविभास का प्रस्ताव पारित करना ही बढ़ता है।

^{३७} प्रधानमन्त्री ने रेलवे मंत्री को अपने पत्र में लिखा 'चूं कि आपने उम कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया था (जिसने रेलवे में भारत के भाग लेने की नीति की धारोंवाली की पी), तो यह मानना गलत नहीं होगा कि आप भी उन प्रह्लादों को स्वीकार करने वालों में से ये जी उम समिति द्वारा पारित किए गए। इसका सहज अंदर यह है कि आप सरकार द्वारा नियन्त्रित नीति से भयभेद रखते हैं—ऐसी परिस्थिति में यह मान्य परम्पराओं के अनुकूल ही होगा कि आप मन्त्री-मण्डल की सदस्यता से जनना त्याग पत्र दें।' दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, ७ नवम्बर १९६६ पृ० ५

^{३८} २० जुलाई १९६६ में पर्याप्त समीक्षा दल की कार्यकारी समिति की बैठक में मोरारजी देसाई के समर्थकों ने यह प्रस्ताव भेजा कि उसमें बैधेग की कार्य समिति को उन घटनाओं पर सोच है जिनके दारण उप प्रधानमन्त्री तथा विदेशी मोरारजी देसाई को जाने पद से त्याग पत्र देना पड़ा है। समिति वा विचार है कि दल की एकता को ध्यान में रखने हुए थी देसाई को पुनः उन्होंना मूल स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। थीमनी गौधी ने इसकी प्रतिक्रियास्वरूप यह कहा था कि आपने मन्त्रिमण्डल में विभागों का विभाग समाप्त कर दिया था विशेषाधिकार है। इस विषय पर कोई प्रताव नहीं रखा जा सकता, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, जुलाई २१, १९६६।

^{३९} पूर्णोत्तम, ६ नवम्बर १९७०

नहीं लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित मामलों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

(ब) उप-प्रधान मंत्रियों का अभाव :

१७ वर्ष पश्चात् १९६७ में भारत में उप-प्रधानमंत्री के पद की पुनर्व्यवस्था की गई। प्रशासनिक सुधार-आयोग ने भारत सरकार की व्यवस्था पर रिपोर्ट देते हुए यह सुझाव दिया है कि मुख्य संस्थागत समर्थन उप-प्रधानमंत्री का होता है जो मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व करने के साथ प्रधानमंत्री के कार्य को भी कम कर सकता है। ४० तथापि यदि सरदार पटेल तथा मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्रित्व काल में मन्त्रिमण्डल की गतिविधि पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उप प्रधानमंत्री की उपस्थिति किसी भी अर्थ में प्रधानमंत्री की स्थिति को मुहूर्द बनाने में सहायक नहीं सिद्ध हुई थी। अनिवार्यतः उप-प्रधानमंत्री दल का वरिष्ठ नेता ही हो सकता है अतः वह प्रधानमंत्री का प्रतियोगी बन जाता है। वस्तुतः जब पटेल उप-प्रधानमंत्री थे तब प्रधानमंत्री नेहरू पटेल को आश्वस्त किया विना कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। मोरारजी देसाई को उप-प्रधानमंत्री बनाते समय यह भाना गया था कि उन्हे प्रधानमंत्री पर नियन्त्रणकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ४१ एक उप प्रधानमंत्री अपनी स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री के समकक्ष कुछ शक्तियाँ चाहता है, जिन्हें स्वाभाविकतः प्रधानमंत्री प्रदान नहीं करता। परिणामतः सामन्जस्य के विपरीत प्रधानमंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री के सम्बन्ध तनावपूर्ण बन जाते हैं। एक उप-प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद के अन्य आकांक्षियों की तुलना में प्रधानमंत्री के उत्तराधिकार के निर्णय के लाभ की स्थिति में होता है। परिणामतः मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य उसकी प्रतिष्ठा तथा गौरव को कम करना चाहते हैं। ४२ इसके अतिरिक्त

४० पूर्वोत्तम, पृष्ठ १०.

४१ कामराज को विश्वास था कि इन्दिरा गांधी की जीत निश्चित थी। मोरारजी देसाई एक सुदृढ़ उम्मीदवार थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं थे। अतः कामराज की चाल मंत्रिमण्डल में देसाई को सम्मिलित कर, उनके द्वारा प्रधानमंत्री पर नियन्त्रण रखना था। कुलदीप नायर: 'विठ्ठीन दि लाइन', नई दिल्ली, हिन्द पोकेट बुक्स १९७०। चतुर्व तस्करण, पृ० ४२ नवीन सरकार की सफलता अंशतः उस संतुलन पर निर्भर करेगी जो श्रीमती गांधी तथा श्री देसाई के मध्य स्थापित होगा। ए वेबिनेट ऑफ़ नेसीसिटी, दि टाइम्स, लंदन, मार्च १३, १९६७

४२ १९६७ में उत्तराधिकार के नाटक का बर्जन इस प्रकार से है—३० से अधिक कांग्रेसी संसाइ सदस्य चब्बाण के निवास पर मिले तथा उन्होंने यह प्रत्यावर्त पारित किया कि देसाई तथा कामराज व अन्यों के सम्बुद्ध यह पूर्णत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उप-प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों वी तुलना में थोड़ नहीं होगा व मंत्रिमण्डल में मात्र द्वितीय स्थान रखेगा। यह दूसरा सरदार पटेल नहीं बन सकता और न उसे ऐसा बनाने का प्रयास ही करना चाहिए।..... सामर्दों को बैठक का यह रवेश उचित नहीं लगा। मेरी श्रीमती गांधी के पास अपनी शिखायत लेवर गए। उस समय चब्बाण तथा जगजीवनराम श्रीमती गांधी के पास बैठे थे। श्रीमती गांधी ने स्पष्ट बताए हुए कहा कि उप-प्रधानमंत्री पद मोरारजी देसाई के आप्रह पर नियमित किया जा रहा था, अन्यथा उन्हें मन्त्री समान है। कुलदीप नायर, पूर्वोत्तम, पृष्ठ ४६

प्रधानिति के समय उप-प्रधानमन्त्री निरन्तर निपुण हालिकोण आगता कर प्रधानमन्त्री में विश्वास को समाप्त कर तुरन्त प्रधानमन्त्री को पत्रदाते का पद्धत्यन्त भर सकता है।^{४३}

इस प्रकार उप-प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री की गता व शक्ति के लिए गतरा गिर हो गता है। जैसाकि प्रधानमन्त्रिक गुणार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उप-प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री की स्थिति के लिए गकट्टूर्ण व सत्त्वारु गिर हो गता है। अतः उप-प्रधान-मन्त्री के गद को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए।

(इ) दलीय आदेश :

१६४३-४८-५४ तथा पुनः १६६२ दोनों अवधियों पर^{४४} वांछेग के अध्ययन द्वारा दल के नाम पर प्रधानमन्त्री को आदेश देने के प्रयाग ने स्वयं दलीय शक्ति व्यवस्था में गंभीर सफट उत्पन्न कर दिया। तथा दोनों ही वार^{४५} शक्तिशाली व्यक्ति की विजय हुई रिनु प्रधानमन्त्री की स्थिति तथा उसके दायित्वों के विषय में कोई महमति उत्पन्न न हो गती।

^{४३} बन्दुक भोजारजी देगार्ड ने अपनी गरवारी स्थिति में विभिन्न विषयों पर अंतिमांडल में जो हालिकोण बताया है उसमें वे गंभीर प्रधान मन्त्री द्वारा अपनाये गये निर्णयों तथा नीतियों के विवरीन नीति की प्रत्युत्तर करने वाले नेता के हाथ में स्वयं को प्रकट करते प्रोत्त द्वारा है। विदेश नीति के सम्बन्ध में समय-समय पर दिए गए उसके अन्तर्बन्ध अवश्य अवश्य रवीकृत भवतारी नीति के विरुद्ध आनि है रथा इस तथ्य के प्रमुख प्रमाण हैं। विरोध मायुर भोजारजी दि ऑफिसलेटिव लाइब्ररी, ब्रेटियोट नई दिल्ली, जून १६, १६६६,

^{४४} १६४३ में कांग्रेस के अध्ययन जै वी. कृष्णानी ने यह दावा किया था कि कोई भी सरकार अपनी शक्ति सम्बन्धित दल से प्राप्त करती है। कोई भी राष्ट्र को दल के समग्रत वी दुर्बल बनाया है अपना नोंगो वी शक्ति में उसकी प्रतिष्ठा वी विदेश के प्रयाग करता है अतः सरकार वी स्थिति की प्रभावित करता।..... कांग्रेस दुर्बलिन, सद्या ६, नई दिल्ली, दिसंबर १६४३, पृष्ठ ११। इनमो पहले कृष्णानी द्वारा निरन्तर इस आपह के सर्वभ में कि सरकार वी गति-विधियों में बौद्धेय अध्ययन की भी समिक्षिति दिया जाए, तेहरु ने इन्हनी, पटेस, प्रगाढ तथा राजनीतालाजारी को एक अध्यक्ष गुप्त व अप्रसारित वक्त में लिखा-रायंकारी समिति के लिए मधीं समस्याओं पर विचार से विचार करना अपना उसके बारे में विदेश देना सध्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समिति यह अनुबन्ध करे कि सरकार के सम्मुख कौनसी समस्याएं उत्तम होंगी और उद्यन्तकूल वह उसके विषय में एक सामान्य नीति का निर्धारण कर दे जिसे सरकार समिति वी सवाह के साथ अपना उसके विचार विप्रावित करे। निरन्तर समिति से संसक्षण राजना समव नहीं है। सामान्यत दलीय वायंकारियों नीति वी विद्युत रपोर्टों का निर्देश कर देती है तथा उसे विधानित करने वा दायित्व सरकार पर टोड देनी है कोनेक पूर्वोदृत पृष्ठ ८.

^{४५} १६६६ में कांग्रेस अध्ययन निविलिंग्स ने कहा, धीमनी गांधी के दर्जन से घट प्रवीत होता है हि एक बार समझी वक्त का नेता निर्वाचित होने के प्रवाद समग्रत का अनितर व समाप्त हो जाना चाहिए। अपना कम से कम तत्परतान् उसे प्रधानमन्त्री को जिसको उसने भुता है विदेश देने वा अपना परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं है। बस्त घटनी, 'दि कांग्रेस रिपब्लिक्स,' नई दिल्ली, चार एण्ड कम्पनी, १६७०, पृष्ठ ३.

तथापि ससदीय सोकतंत्र में प्रधानमन्त्री की शक्तियों में अत्यधिक कटौती नहीं की जा सकती है।^{४६}

मेहरू के पश्चात् दल के सत्ताधिकारियों ने पुनः प्रधानमन्त्री के पद को सकुचित करने का प्रयास किया। ये प्रयास एस०के० पाटिल समिति की रिपोर्ट में इस प्रकार रखे गये, “समिति यह चाहती है कि राष्ट्रीय अवया अन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्णय लेने से पूर्व सरकार काग्रेस कार्य समिति से परामर्श ले।”

“समिति का यह भी विचार है कि काग्रेस के ससदीय दल का नेता सरकार के कार्य का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करे ताकि दल के ससदीय तथा सगठनात्मक पक्ष के मध्य उचित सामजस्य स्थापित किया जा सके।”^{४७}

दल से इस प्रकार का निर्देश मात्र साम्यवादी देशों में ही दिया जा सकता है। इसके विपरीत २५ अगस्त १९६६ के एकता-प्रस्ताव का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमन्त्री को दलीय नीतियाँ क्रियान्वित करनी होती हैं। किन्तु साथ ही सरकार का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्र के प्रति उसके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक दायित्व होते हैं। काग्रेस अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शक्ति के प्रतियोगी केन्द्र-विन्दु नहीं हैं। देश तथा दल के कल्याण के लिए सहायक रूप में कार्य करना होता है।^{४८}

४६ १९५४ में प्रधानमन्त्री ने यह चेतावनी दी थी कि प्रधानमन्त्री अवया एक मुद्दमन्त्री वह आधार स्तम्भ है जिस पर प्रजातंत्रीय दैवा आधित होता है अत एक बार उसका व्यवन कर नेने पर उसे पूर्णत वैयक्तिक निर्णय लेने की स्वतंत्रा होनी चाहिए। यदि उसे व्यवस्थापिका का विश्वाम प्राप्त नहीं है तो वह पद त्याग देगा ... किन्तु प्रधानमन्त्री से यह अवेद्धा करना कि वह तभी तक अपने पद पर बना रहे जब तक दलीय कार्यकारिणी ऐमा चाहे, उसके प्रति अन्याय होगा। ऐमा कदम संसदीय प्रजातंत्र का उपहास होगा। काग्रेस बुलेटिन सद्या ६, १९५४, पृष्ठ २६०-६१। गवर्नर १९६६ में काग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमन्त्री को दल से बहिर्भूत किया था तथा काग्रेस दल से नवीन नेता चुनने को बहा था। श्रीमती गांधी के समर्थकों ने जिनमे वाई० बी० चड्हाण, जगदीवन राम, एफ. ए. अहमद, स्वर्णसिंह दिवेशमिह, के. रमुरोप्या, एम. एन. मिन्हा, बी.पी. नायक, एम. एल. सुराहिया, एम. गी. शुक्ला, के. बहानद रेडी, बी. पी. चान्द्रिहा, जी. एम. सादिक, वाई. एग. परमार, डी. पी. मिथा, डी.सी.वैद्यन तथा जी.एन.नन्दा थे, यह उत्तर दिया ‘श्रीमती गांधी दल समय तक दल की नेता रहेंगी जब तक स्वयं दल नेता में अविराम का प्रस्ताव नहीं करता। जब तक उन्हें संसद वा विश्वास प्राप्त है उन्हें प्रधानमन्त्री बने रहने का अधिकार है। वह मार्तीय प्रवानव वा सर्वाधिक दुष्यद दिन होगा जब हुए सोमो वा शुक्र तिन्हे मासपूर्ण दल वा समयन भी प्राप्त न हो, प्रधानमन्त्री को अदाद्य करने का माहम बरे, जिन्हें हिन्दुनान टाइम्स, नई दिल्ली, नवम्बर १३, १९६६।

४७ पूर्वोदृत अवैत १५, १९६६

४८ पूर्वोदृत, अगस्त २६, १९६६ एतना प्रमाणाद पर टिप्पणी रखने हुए बादेम दल के मराठारी पदों ने दिया। इस डाका प्रमाणान में एम्बेसेंट रखने अवया एिंड्रो वर्ने वा प्रदाय भगवान् परिवाम देया अनिम तोर पर वास्तविक शक्ति सरकार में फिलित होती है जबकि दल उने प्रभावित कर परता है। ‘दि पार्टी एण्ड दि गवर्नेंट, ए. आई० सी० सी० इसोनोनिट रिपू०, नई दिल्ली यथा २१ मस्या ५ गिंवर १९६६।

अन्य राजनीतिज्ञों में इस विषय पर मतेक्षण हप्टिगोचर नहीं होता है। इसके लिए उनके सामने कोई अवसर भी उपस्थित नहीं हुआ है। किन्तु जनसंघ^{४५} तथा साम्बवादी दल संझान्तिक स्प से दल के संगठन की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। तथापि यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि भारतीयों ने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है उसमें शक्ति की सरचना में प्रधानमन्त्री ही सर्वोपरि होगा तथा उसे कभी भी दलीय संगठन के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए।

(फ) कांग्रेस संसदीय दल की व्यापक भूमिका :

हाल तक दल की शक्ति-व्यवस्था के सत्ताधिकारियों की सर्वव्यापकता ने कांग्रेस संसदीय दल को उसकी उचित भूमिका प्राप्त नहीं करने दी थी। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल का व्यवहार उन स्कूल के बच्चों के समान था जो अपने अध्यापक से डरते हैं तथा उनकी बात ध्यान में सुनते हैं (१९६२ की घटनाएँ इसका अपवाद हैं जब संसदीय दल ने कृष्ण मेनन का नेहरू की इच्छाओं का विरोध करते हुए बहिर्कार किया)। जो प्रधानमन्त्री अपने दल के सत्ताधारियों के गुट को तोड़ना चाहता है उसे अपने संसदीय दल से अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए तथा इसको अपनी शक्ति का मूल आधार बनाना चाहिए जैसाकि श्रीमती गांधी ने १९६७ के परचाल किया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक प्रधानमन्त्री को अवसर बुलानी चाहिए जिसमें सरकारी नीति के सभी पक्षों पर स्पष्ट रूप से विचार होना चाहिए। प्रधानमन्त्री व दल के अल्पसंख्यकों द्वारा संसदीय दल की बैठकों में जिस मर्वेसम्मति पर पहुँचा जाता है उसका सम्भान किया जाना चाहिए। संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत बन कर ही प्रधानमन्त्री अपने पद के विश्व उत्पन्न संकट का सामना कर सकता है।

(जी) एक सुहृद सचिवालय :

अततः प्रधानमन्त्री का सचिवालय सरकारी तंत्र का स्थापी अंग बन जाना चाहिए। श्रीमती गांधी के समान एक सुहृद प्रधानमन्त्री का सचिवालय प्रधानमन्त्री के बढ़ते हुए दायित्वों जैसे नियोजन, सुरक्षा, सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था, वैदेशिक सम्बन्ध सरकार के कार्यों में समायोजन के कारण अपरिहार्य बन गया है। किन्तु प्रधानमन्त्री को सचिवालय पर इतना अधिक आश्रित नहीं हो जाना चाहिए कि वह प्रधानमन्त्री के निर्णयों पर नियंत्रण का कार्य करने लगे, जैसे शास्त्री के प्रधानमन्त्री काल में हुआ।^{४६} ये तत्व प्रधानमन्त्री की मत्ता की न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं जिन पर अधिकतम सहमति होना आवश्यक है।

^{४५} १९४६ में राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न राजनीतिक विरोध की स्थिति में जनसंघ की कार्यकारिणी समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया हि भारतीय संदर्भ में संगठन की सर्वोच्च भाना जाना चाहिए। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, मित्रम्बर २, १९६६.

^{४६} इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण है कि प्रधानमन्त्री का सचिवालय अविलंभता भारतीय राजनीति में जैकि का केन्द्र बन गया है। यह स्वयं में निहित स्वार्थ का समूह है। इसने कई विषयों पर पर्याप्त सम्बन्ध ढासा है जिनमें आदिक वा समूह है। इसने कई विषयों पर पर्याप्त प्रभाव ढासा है जिनमें आदिक नियोजन तथा वैदेशिक विभाग मुख्य हैं। माइकेस ड्रीवर, प्रूर्वोड़त, पृ. ११५।

प्रधानमन्त्री की सत्ता पर अंतर्निहित नियंत्रण

यह तक दिया जा सकता है कि प्रधानमन्त्री को इतने विस्तृत अधिकार देकर हम उसकी तानाशाही का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। किन्तु तानाशाही सर्वथा व्यक्तिगत स्तर पर होती है जबकि हमारा तक संस्थाकरण के लिए है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रधानमन्त्री की सत्ता में कुछ ऐसे अंतर्निहित नियंत्रण होते हैं कि जिनकी उपेक्षा कर वह स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा—(१) प्रधानमन्त्री को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। नेहरू के नेतृत्व में शासक दल के भारी बहुमत के दिन अब समाप्त हो गये हैं।* इस तथ्य का पता श्रीमती गांधी को तब चल गया जब उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के सुधार के प्रश्न पर पीछे हैटना पड़ा (२) कांग्रेस संसदीय दल के प्रति प्रधानमन्त्री का दायित्व सदैव एक अनिवार्य सत्य रहा है और दल में निहित समूहों ने इसे आवश्यक बना दिया है (३) चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् देश के सधीय ढाँचे में परिवर्तन हुआ है। प्रथम बार प्रधानमन्त्री को राज्यों में शक्ति का हस्तांतरण उन दलों को करना पड़ा है जिनकी राज्यों में सरकार बनी है (४) यद्यपि प्रधानमन्त्री के लिए समकक्षों में प्रथम का विचार अब ग्रहणीय नहीं है तथापि एक कुशल प्रधानमन्त्री सरकार के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य पर अपने मत्रिमण्डल के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास करेगा क्योंकि स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति भी अब ऐसे प्रयास करता है (५) भारत में जनमत पर्याप्त मुखर होता जा रहा है तथा उसका आधार वे संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं जो अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्रदान करती हैं।

प्रधानमन्त्री नेहरू के काल में कई स्वस्थ परम्पराओं का विकास हुआ। क्योंकि उनके लिये प्रजातंत्रीय मूल्यों में विश्वास प्राथमिक महत्ता रखता था। इन परम्पराओं का प्रयोग उस प्रधानमन्त्री के विरुद्ध किया जा सकता है जो अपनी शक्ति का स्वद्धृत प्रयोग करने का प्रयास करता है। भारत में संसदीय लोकतन्त्र को खतरा एक सुदृढ़ प्रधानमन्त्री के संस्थाकरण^{५१} से नहीं है अपितु ऐसे प्रधानमन्त्री से है जिसकी उचित सत्ता को व्यापक रूप से नियन्त्रित कर दिया गया हो।

निष्कर्ष

चतुर्थ आम चुनावों ने दल-बदल तथा अस्थायित्व की उस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया

* १९६७ के तोकसभा चुनाव और १९७२ के विधान सभा के चुनावों में फिर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला परन्तु इसके आधार पर यह कहता कि भारी चुनावों में भी देश होगा, सम्बन्ध सही नहीं है। बतः लेखक की धारणा में इन चुनावों से कोई आघारभूत परिवर्तन नहीं होता। मतादाक ५१ यह सब कहने के पश्चात् यह भानना चाहिए कि प्रजातन्त्र में एक प्रधानमन्त्री तानाशाह नहीं बन सकता है। भारत में सरकार वा ढाँचा इस प्रकार का है तिं किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर प्रधानमन्त्री को न केवल अपने सहयोगियों का समर्थन ही प्राप्त करना होगा, अपितु कांग्रेस के कार्य नेताओं तथा दलों का समर्थन भी प्राप्त करना होगा। राज्यों में कई गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय से यह और भी आवश्यक हो गया है। डॉ. एस. पाण्डित, दू इयर्स आर्ट्स बल—दि स्टेटेंडिंग, नई दिल्ली, जनवरी २१, १९६६।

जिसने पहले स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था को प्रस्तावित किया और तदुपरांत केन्द्रीय स्तर पर सर्वधानिक व्यवस्था के लिए मंकट उत्पन्न किया था। सामूहिक दल-बदल की घटनाओं तथा उसके पश्चात् कई राज्यों में राष्ट्रगति शासन की घोषणा ने अनेक गणमान्य भारतीयों को भारतीय सदर्भ में संसदीय प्रजातंत्र की उपर्योगिता के बारे में मन्देह अधिक्षम्त करने को बाध्य किया।^{५३} अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्वीकार करने के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्र का अध्यक्ष विधायकों की अस्थिर व परिवर्तनशील निष्ठाओं पर निर्भर नहीं करेगा और दल-बदल तथा विधान सभाओं में पक्ष परिवर्तन राष्ट्र अध्यक्ष को प्रस्तावित नहीं करेगे।^{५४} तथापि यह कहा जा सकता है कि संसदीय प्रजातंत्र के विषय में यह शका गलत है और व्याधि का निदान व उसका उपचार अप्रिपक्ष है। यदि वडे पैमाने पर दल-बदल की घटनाएँ हुईं हैं तो यह हमारी व्यवस्था में निहित अभावों की सूचक है, सम्पूर्ण व्यवस्था की अनुपर्योगिता की सूचक नहीं।^{५५} नेहरू की मृत्यु के पश्चात् से ही भारत की मूल समस्या राजनीति के सर्वोच्च शिखर दिल्ली में नेतृत्व की शून्यता रही है जिसका प्रभाव स्वामानिक रूप से राज्यों पर पड़ा। इस लेख का मूल विचार यही है कि भारत के पास मात्र योग्य विकल्प है कि प्रधानमन्त्री के पद का संस्थानकरण कर दिया जाए ताकि राजनीतिक संरचना तथा दलीय शक्ति व्यवस्था के मध्य कोई वैपर्य नहीं रहे। यदि प्रधानमन्त्री पद को संकटों से बचाना है तो ऐसा करना ही होगा। संसदीय कार्यपालिका के स्थान पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के स्थानान्तरण का अर्थ शक्ति व्यवस्था में उत्पन्न गतिरोध के स्थान पर राजनीतिक संरचना में गतिरोध उत्पन्न करना होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पश्चात् भी भारत में स्थायित्व का अभाव रहेगा क्योंकि स्थायित्व के उस आधार का यहीं अभाव रहेगा जिसके अन्तर्गत एक मुहूर राष्ट्रीय दल, व्यवस्थापिका का ग्रबल बहुमत तथा लोकप्रिय नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक ऐसी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बाद, जो भारतीय जनमत के अधिकांश भाग का समर्थन प्राप्त न कर सके, भारत के सम्मुख कोई विकल्प नहीं रहेगा।^{५६} वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यदि प्रभाव-

५३ इस दिग्गं वें पहला पट्टर जै. भार. दी. टाटा द्वारा चतुर्वें आम चुनावों के मुख्य वर्णन पर व्यापक विविधताएँ इस्ट्रोन के मध्युत्र भाग में दिया गया था। डि.स्टेट्स, नई दिल्ली, अगस्त २२, १९७०। आमाम के राज्यपाल थी। को. १० नेहरू, मैमूर के राज्यपाल पर्सीर, ग्रू. पी. के भूत्यूर्वे मुद्रार्थी चरणगिरि तथा भूत्यूर्वे विदेश मंत्री एम. मी. टागडा में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के पड़ा में विचार व्यक्त किए थे। पूर्वोक्त अगस्त ८, १९७०।

५४ डि.टाइग्र औंड इन्डिया, नई दिल्ली एक्सप्री २५, १९६६।

५५ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के राष्ट्र द्वा रे कुछ सामने होते हैं। यदि उग्रा संचालन करने वाले जल्दी हो जाएं तो वे भी गमान हो जाते हैं, संगीय प्रशार्तें भी भासान बाल्यता भी इसी बारीलों से है। मानवीय नहरों की वोश्यता ही सम्पूर्ण विषमताएँ अनुकूल होती है ए. बी. गियरो-मैन हैर वेन नोट डि.ग्राम, नई दिल्ली, अगस्त २२, १९७०।

५६ भूत्यूर्वे उप प्रधानमंत्री भीरामकी देगाई, अप्रौद्योगिक, भटनगराम, भटनगरामी आमनें (राजनीति) ए. मी. नीतामन (पी. एम.) मुद्राराम व पट्टर के राज्यपाल तथा ब्राह्म व बर्मीर, मैमूर, ब्रह्म प्रदेश,

जानी भरकार प्रदेशिन है और यदि प्रधानमन्त्री को गोकरण को नग करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता तो प्रधानमन्त्री को अपने अन्तिम के लिए द्वेष दबो देना वा विरोध प्रत्यक्ष करने तथा किसी भी भ्रष्टार विधेयक पारित करवाने के लिए बाह्य होना पड़ता है। ५५ बर्तमान दरिनियतियों में एक दृढ़त व्यक्ति प्रधानमन्त्री का अर्थ शक्ति के विनाश को गण्डुपति भवन को स्थानान्तरित करना होगा। तब भ्रमागम ही एवं अविनाशकवादी भरकार की अम्बावनाएँ स्फट हो जाती हैं। हम गण्डुपति को दिना किसी के प्रति उत्तरदायी देनाएँ नवेव्यापों तथा शक्तिजानी बना देने हैं। प्रधानमन्त्री द्वारा तानाजाही पूर्ण तुलने का वर्णन करने की सम्भावनाएँ पूर्णतः गलत हैं। प्रधानमन्त्री नेहरू को वे नहीं शक्तियों प्राप्त थीं जिनका हमने समर्थन किया है किंग भी उन्होंने अंग्रेजादक के लिये नायं नहीं किया। प्रधानमन्त्री के विस्तर इस प्रकार के अनन्तिहित नियन्त्रण विद्यमान होते हैं जो उने तानाजाही बनने में रोक सकते हैं जिन्हुंने राष्ट्रपति की तानाजाही को गोपने के प्रभावगतों नियन्त्रण बहुत बहुत बहुत हैं।

यदि भारत में संसदीय प्रजातन्त्र को यना झना है तो प्रधानमन्त्री की मत्ता को उसे प्रदान करना ही होगा। जब प्रधानमन्त्री जैसे उच्च पद के विनाश प्रभावशाली दबाव लियाजील होते हैं तो वे उसमें कुंठा तथा अनुत्तरदायित्व की भावना कर विकास कर देते हैं। किसी भी भरकार के मर्वीच्छ स्तर पर आजाधीनता (decency) की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परकल्प ५७ भरकार (जिसमें मंत्रिक नेतृत्व के नाम पर निरांय विद्युतना तथा स्थिति है) का एक और प्रयोग भारतीय राजनीतिक अवधारणा को इतना प्रयोग्य बना देगा जिसका कोई भी पुनर्निर्माण संभव नहीं होगा। प्रधानमन्त्री की मत्ता के मंस्याकरण के विषय में महमति के अभाव ने देश के मध्यमे विश्वाल दल को दो भागों में विभाजित कर दिया है तथा स्वयं देश में तीव्र विरोध उत्पन्न ही गये हैं। भारत के लिए इस प्रकार के अन्य विभाजन का मापना करना सम्भव नहीं है। गजनीतिक सरनामा तथा शक्ति व्यवस्था के मध्य वैपर्य का अन्तर समाप्त किया जाना चाहिए। नभी प्रधानमन्त्री स्थायित्व का आधार बन सकता है। भारत को यसाभिति का स्वाभित्व नहीं चाहिए, जो एक अधिकारात्मक कार्यालिका अथवा एक सक्रिय राष्ट्रपति का परिणाम होगा। उने सक्रिय स्थायित्व एक हृषि प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में ही प्राप्त हो सकता है।

राजस्वान तथा हिमाचल पुर्देश में मुख्यमन्त्री अडिशनल गोपन प्रणाली से प्रसारण रा दिये जाने हैं। पूर्वोत्तर

५६ धी. के नेतृत्व विनौने द्वारा उत्तर से ही अधिकार वार्षिकानिया में पूर्ण असता गृहार घट्ट रिया है, ने संसद को भय बरने वा अधिकार राष्ट्रपति को देता चाहा है—इन दरिनियतियों में भारत में यह स्थिति अवधारणा तथा कार्यालिका में अप्य विस्तृता। उपर दोनों वी द्वारा दोनों है। इस सरट के विनाश दो तरों हैं दिनमें से एक तात्पर है राष्ट्रपति के समान राष्ट्रपति वी द्वारा ही उत्तर वा अधिकार प्रदान बरता है—पूर्वोत्तर, अगस्त ८ १९३०।

५७ 'परम्परा' एक तात्पर भाव है विश्वा भाव पहले ही 'देश बाहर'। विश्वावाद एवं ''

में है जो विशितियों को दानने वी इच्छुक है।

Further Readings

1. *Gangal S. C.* : Prime Minister and The Cabinet in India, Delhi, Navachetna Prakashan, 1972. pp. 13-88.
2. *Kocknek, Stanley,* : "post-Nehru India", Asian Survey, May, 1966.
3. *kothari, Rajni* : "The congress System on Trial" Asian Survey, February 1967.
4. *Lacy, creighton* : o p. cit., ch. II, pp. 47-75

राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण की समस्या

संमवतः देश का कोई भी राजनीतिक पद विस्मृति व विवादों की उस चरमसीमा के बीच नहीं भूलता रहा है जितना कि राज्यपाल का पद। यदि पहली अवस्था १९४७-६७ के दौरान एकदलीय प्रभुत्व व १९७१-७२ के पाँचवे लोकसभा व विधान सभा चुनावों से उत्पन्न राजनीतिक स्थिति का कारण थी तो दूसरी अवस्था १९६७-७१ की साभा सरकारों की राजनीति से उत्पन्न हुई। इस प्रकार एक दलीय प्रभुत्व के दौरान राज्यपाल की क्षमताओं व मीमांशों से सम्बन्धित प्रश्न नहीं उठाए गए लेकिन ये प्रश्न साभा-सरकारों के अस्तित्व काल में उठे किन्तु अतिम रूप से अनुत्तरित रहे। मैंने प्रस्तुत लेख में यह तर्क किया है कि राज्यपाल के पद से सम्बन्धित उपलब्ध अपार सामग्री के बाबजूद उसकी भूमिका-निर्धारण का प्रश्न अभी भी विद्यमान है। प्रस्तुत लेख 'आँफिस आँफ गवर्नर: दि प्राव्हलम आँफ रोल याइडेन्टिफिकेशन (जनरल आँफ अफीकन एण्ड एशियन स्टडीज, विंग १९६८, १. (२), पृ. १७१-१८२) में इसी दिशा में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। सम्पादक

चनुर्यं ग्राम चुनावों के पश्चात् का समय 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था' का परीक्षाकाल है। केन्द्र राज्य मन्दन्ध इस संकटप्रस्त काल का एक धर्वाधिक गम्भीर पक्ष है। ऐसा इस स्वतः स्पष्ट कारण ने है कि केन्द्र में कांग्रेस मत्ताहृद है जबकि अन्य दल या तो पूर्ण स्वयं या संयुक्त मोर्चे के आधार पर अधिकाज राज्यों में पदाहृद हैं।^१ स्वाभाविकतः केन्द्र की कांग्रेस सरकार को शंका की हृष्टि से देता जाता है यद्यपि वस्तु स्थिति अपसर ऐसी नहीं होती। कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह राज्यों की तथाधित गैर-कांग्रेसी सरकारों को सप्रयास या तो बदनाम करती है या उन्हें भगदस्थ करती है।

^१ १९६७ में चुनावों में जनरल विहार, बेरल, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विहृद था।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल^३ जो कि व्यवहार में केन्द्रीय सत्तारूढ़ दल द्वारा मनोनीत होता है, केन्द्रीय सरकार के प्रति व्याप्त इस अविश्वास व संशय का भागीदार बनता है। चलते हुए इस अविश्वास का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य बनता है क्योंकि उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह गैर-कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध किए गए पड़्यत्र में सह-अपराधी होता है। अतः संदर्भानिक क्षमता के व्यापिक हिट्टिकोगु से ही राज्यपाल की भूमिका पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रामाणिकता पर पटे उम्मेदवारों के व्यापक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए।

अपने पद की शपथ के द्वारा राज्यपाल को संविधान की सुरक्षा व उसे मंत्रकाण्ड देना पड़ता है।^४ यह संविधान आज एक संक्रमण का कान का अनुमति करता प्रतीत हो रहा है और उसे एक दलीय प्रभुत्व (one Party deminance) से राज्यों के मुद्दे राजनीतिक समत्व^५ की यात्रा करनी पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि राज्यों में समान रूप से समनुचित दलों अथवा दलीय इकाइयों का अस्तित्व है और साथ ही शक्ति के अविघ्न परिवर्तन तथा उसके स्थाई धारणा की सभावनाएँ भी विद्यमान हैं। वर्तमान सार्वानिक विधियों में राज्यपाल का पद सम्बन्धी एक विलक्षण आयाम, जो कि संभवतः पूर्ण रूप से संविधानेतर नहीं है, यह है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास के संदर्भ की दिशा में वह अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।

यह अभिव्यक्त करना तो सरल है लेकिन उसे व्यावहारिक रूप में परिणत करना उतना ही कठिन। ऐसा सभव है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास^६ और राजनीतिक दलों की निष्ठा के बीच कुछ चुनना चाहे क्योंकि विकासशील देशों में ये दोनों सदा एक साथ विद्यमान नहीं होते। इसके अतिरिक्त वह राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता से सम्बन्धित लोकतंत्र, विकास एवं राष्ट्रवाद के प्रतियोगी दावों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होता है। यह समस्यां उसके लिए जटिल बन जाती है क्योंकि भारत ऐसे विकासशील देश में राजनीति को लोकतंत्र, विकास व राष्ट्रवाद के प्रतियोगी दावों में सही विकल्प के बरए की ही चुनौती नहीं होती बल्कि उनमें एक साथ, समनुचित विकास करने की चुनौती रहती है ताकि एक पक्ष दूसरे पक्षों का पूरक बन सके न कि उनका विरोधी। संतुलित विकास का यह प्रतिमान न केवल राजनीतिक व्यवस्था को बेधता ही दान प्रकरता है बल्कि उसके इंद्र-गि दं विश्वास व प्रभावोत्पादकता के विस्तार पथ का निर्माण भी करता है।

^३ संविधान वौ धारा १५५, में राज्यपाल के चयन वो पदति को लेकर संविधान समा मे विस्तार चर्चा हुई थी, (भी. ए. ए. दी. घण्ट पृ ४५४-६).

^४ धारा १५६.

^५ राज्यों में राजनीतिक समत्व वी ध्वनस्था अनिवार्यन्। समूजों राजनीतिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक समव वी अवस्था ही यह आवश्यक नहीं है लेकिन यह उम दण मे एक महत्वपूर्ण बदल प्रदग्ध होगा क्योंकि राज्यों वी राजनीतिक समन्व वी रिपब्लिकों को बेग्र के राजनीतिक समत्व वी भी प्रभावित बनना चाहिए।

^६ १९४६ में देश वी मापदण्डी गरजार वी बर्तानी इसका एक उदाहरण है।

विश्वास के सकट से सम्बन्धित इस व्यापार दृष्टि के संदर्भ में ही राज्यपाल की भूमिका-निर्धारण की समस्या पर ध्यान पात्र किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है।

II

उन अभिमुखी भूत्यों एवं मानदण्डों को सुझाना संभव नहीं है जिनका एक महिता के रूप में राज्यपालों द्वारा अपनी भूमिका-निर्धारण व आचरण के लिए पालन हो सके। इसके वावजूद मूल्यों व मानदण्डों के उस प्राथमिकता-क्रम को निर्धारित किया जा सकता है जिससे राज्यपालों को भारत के राजनीतिक विकास की माकातिक अवस्था के संदर्भ में अपनी भूमिका निर्धारित करने एवं उसका पालन करने की दिशा में सहायता मिल सके। यहाँ इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है :

(१) इस लेख में अन्यंत्र यह सुझाया गया है कि राज्यपालों को राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास के आधारस्वरूप लोकतंत्र, विकाम एवं राष्ट्रवाद के प्रतियोगी दावों में से कुछ चुनना होता है। यहाँ यह तक दिया जा सकता है कि संविधान के सरकार के हृष में राज्यपाल को अपनी आचरण संहिता के लिए लोकतंत्र को प्रथम सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए और उससे प्रतिबद्धता माननी चाहिए। ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि शेष दो अभिमुखी मानदण्ड पूर्ण रूप से बाजी पर न लगा दिये गए हों और उस स्थिति में उसके लिए तदनुसार कायेवाही करना आवश्यक न हो गया हो। ऐसा प्राथमिक रूप से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वह लोकतंत्र व मारतीय सविधान की रक्षा करने के लिए शपथ-बद्ध है और वह अपने इस दायित्व के लिए राज्य विधानसभा और जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह उत्तरदायित्व प्रतीकात्मक रूप से मात्र कानूनी ही है।^{१७} इस उत्तरदायित्व में कोई भी छोल स्वयं सरकार के लिए घातक होगी। इस संदर्भ में चौथे ग्राम चुनाव में प्राप्त इस सीख का उल्लेख करना प्रासादिक है कि जनता विवेकपूर्वक राजनीतिक दलों के भाग्य के सम्बन्ध में कोई निरांय लेने में सक्षम है। जनता का पिछड़ापन, उसकी आदिम निष्ठाएँ

६ विकास के हित में राव वीरेन्द्रमिह मविमंडल की वर्वास्ती क्योंकि वहाँ जल्दी-जल्दी अनेक दल-परिवर्तन हो रहे थे, और सत्यग्रहात् राज्य में राष्ट्रपति शासन, विधान सभा वा भग होना और समुपरिवर्तन मध्यावधि चुनाव इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं।

७ संयुक्त रूप से सविधान की धाराएँ १६३-६४ इस स्थिति को साप्त करती हैं। धारा १६३ (१) के अनुसार “मुद्दामंडों की अध्ययता में एक मंत्रिपरिवद् होगी जिसका कार्य राज्यपाल को मताहू व परामर्श देना होगा, मिवाय उन स्थितियों के बब उमे सविधान द्वारा दी गई शक्तियों के अन्तर्गत अपने विवेक के अधीन कार्य करना होता है (स्वतंत्र अनुवाद)। धारा १६४ (१) इसे बानूनी प्रतीकात्मक व्यापार की स्थिति प्रदान करती है। इसमें यह धर्यत्वाद्या है कि “मंत्रिपरिवद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।”

या धन के प्रलोभन के प्रति उसकी अधीनता ये समस्त विसंगतियाँ इस दिशा में बायक होते हुए भी उसे इस उपलब्धि से वंचित नहीं करती। इसी प्रकार कानून व व्यवस्था के ग्रंथ होने, राष्ट्रीय एकता को चुनीती मिलने, दलों की विदेशों में निष्ठा होने और अन्य समाज स्थितियों में लोकतात्त्विक सिद्धान्तों के कुशल निर्वाह के लिए राज्यपाल को मितव्ययता से ही अपना मत प्रकट करना चाहिए। यहाँ भी उसे यथासंभव राजनीतिक दल उपराष्ट्रवादी व आक्रामक रूप से राष्ट्रवादी तो हो सकते हैं लेकिं राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं। यदि वे ऐसे हो जाएँ तो चुनावों में जनता उनको अस्तीकार कर देंगी।^५

(२) उपरोक्त तर्क को बढ़ाते हुए यह कहा जा सकता है कि जब राज्यपाल लोकतात्त्विक सिद्धान्तों के प्रति निष्ठाबद्ध होने की शपथ लेता है तब उस स्थिति में उसे संसदीय सरकार के अन्तर्गत सर्वधारिक अध्यक्ष के लोकतात्त्विक व्यवहार व मानदण्ड के प्रति ही निष्ठावान नहीं होना पड़ता बल्कि संविधान-प्रदत्त संघीय ढांचे के अन्तर्गत राज्य स्वायत्तता की सुरक्षा के दायित्व का भी सम्मान करना पड़ता है। उसे कर्त्तव्यनिष्ठा से यह आभास देना समाप्त करना चाहिए कि वह हर नाजुक राजनीतिक स्थिति का समाधान करने में केंद्र द्वारा निर्देशित होता है। समाजसिक सांक्रांतिक स्थितियों में तो इस प्रकार का आभास न देना और भी अधिक आवश्यक हो गया है जब राजनीतिक व्यवस्था व राज्यपाल का पद, दोनों के प्रति विश्वास का संकट उपस्थित हो गया है।^६

(३) यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब राज्यपाल विकास व राष्ट्रवाद के बोप दो मानदण्डों से प्रेरित होता है तब भी अनिवार्यतः उसे यथासंभव लोकतात्त्विक सिद्धान्त के समीप होना चाहिए। उदाहरण के लिए हरियाणा के राज्यपाल ने जो कुछ किया वह बंगाल के राज्यपाल की अपेक्षा अधिक लोकतात्त्विक था।^७ यह तथ्य कि हरियाणा के राज्यपाल ने मध्यावधि चुनाव के विकल्प को स्वीकार किया और उसके बीच की घटिय में

५ यही उस तथ्य पर द्याया जा सकता है कि नक्सलवादी प्रकरण के पश्चात् परिचय बंगाल में सोक निर्वाचनों से दरियां-रंधी साम्यवादी सहर दृष्टिगत हुई। किंतु अब यूनियन सरकार द्वारा उस स्थिति में नक्सलवादी में पुलिस कार्यवाही की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार डॉ. एम. के. सरकार ने भाषायी आदोलनों के पश्च पर भी संतुलित रूप से व्यवहार किया। यह कहना भल्त नहीं होगा कि यह नहीं माना जाता है कि डॉ. एम. के आदोलन तात्पुरता की गुरुत्व के लिए था न कि एक राष्ट्र विरोधी भान्दोलन।

६ इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राज्यपाल जब भी रिहाई से बोढ़ता है तो वह केंद्रीय सरकार से काप्रेसी शामनादेश लेकर ही बोटा है।

७० इसका अभिप्राय अत्रय मूर्खों की इस कार्यवाही का समर्थन करता नहीं है जिसके अन्तर्गत उन्होंने बोए हुए यहुमत की परीक्षा करने के लिए विधानसभा वा अधिबोधन मुलाने से इवार कर दिया।

राष्ट्रपति शासन की मिफारिश की जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया, इस उदाहरण की पुष्टि करता है।^{११}

(III)

यहाँ यह प्रेस्न किया जा सकता है कि 'पूर्व-निर्धारित परिवेश के सम्मान निहितायं यथा हैं?' वे हठतापूर्वक मात्र यह स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल मुख्यतः एक संविधानिक अध्यक्ष है और उसे संसदीय शासन के स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप कार्य कर संतुष्ट हो जाना चाहिए। वेजहट की गृहोत शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राज्यपाल को बहुचर्चित तीन अधिकारों (मन्त्रि परिषद् द्वारा सूचना प्राप्ति का अधिकार, राज्यपाल द्वारा मन्त्रिपरिषद् को प्रोत्साहन देने का अधिकार व उसे चेतावनी का अधिकार) के प्रयोग की स्वतन्त्रता है लेकिन विश्लेषण की अन्तिम स्थिति में उसे मन्त्रिपरिषद् की सलाह के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए।^{१२}

इसके पश्चात् अब हमें राज्यपाल के विवेक की प्रकृति व उसकी सीमा से सम्बन्धित जटिल प्रश्न पर चर्चा करनी होगी और मन्त्रिमण्डल की सलाह की तुलना में उसके क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार करना होगा। यहाँ 'संविधान प्रदत्त विवेक' (statutory discretion) एवं 'स्थितियों के अनुरूप विवेक' (situational discretion) के मध्य अन्तर स्थापित करना उपयोगी होगा। पहला विवेक संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है और दूसरे का सम्बन्ध राष्ट्रपति के उस विवेक से है जिसको विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्थिति की अत्यावश्यकता से आधार मिल सकता है। यहाँ इस पक्ष से सहमति व्यक्त की जा सकती है कि ये दोनों प्रकार के ही विवेक अत्यधिक सीमित हैं—प्रथम स्वयं संविधान द्वारा और दूसरा संसदीय सरकार के स्वीकृत कार्यकारी मानदण्डों द्वारा।

संविधानिक विवेक को संविधान में बुद्धि निश्चित मामलों के अन्तर्गत मान्यता दी गई है और वह भी आसाम के सन्दर्भ में जहाँ राज्यपाल मन्त्रियों के परामर्श के बिना भी कार्य कर सकता है। धारा १६३(१) की शब्दावली व उसमें निहित भावना द्वारा यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है। उसके अनुसार—

"मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका कार्य राज्यपाल को उसके काथों में सलाह व सहायता देना होगा, सिवाय उनके जिनमें उसके लिए संविधान द्वारा, उसमें स्पष्टतः लिखित विषयों के रान्दर्भ में स्वविवेक से कार्य करने की आवश्यकता होगी है।"^{१३} (इटेलिक्स ऐडेड)

इसी प्रकार धारा १६३(२) की शब्दावली भी राज्यपाल के विवेक को सीमा को व्यापक नहीं कर सकती। इसमें यह व्यवस्था है कि—

११ यह आगेरे संग्रह आता है कि वह इस प्रक्रिया को इग्निए नहीं बनाता था कि विवेक विवेस चुनावों^{१४} की इच्छुक नहीं थी। उसके आसाम थी कि कहीं केरल की पुनाग्रुहित न हो जाए।

१२ वार् पृ. कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसकी पुष्टि की।

“यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उठ सड़ा होता है कि कोई विषय-विशेष ऐसा है अथवा नहीं जिसके अन्तर्गत राज्यपाल को अपने विवेक के अधीन कार्य करने की आवश्यकता होती है तो इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय अनितम होगा और राज्यपाल द्वारा किये गए किसी भी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे उस सन्दर्भ-विशेष में विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं।”¹³

इस धारा पर कुछ और कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रथम, यह संवधानिक व स्थिति-जन्य दोनों विषयों से सम्बन्धित है। द्वितीय, यह धारा संवधानिक विवेक की सीमा विस्तृत नहीं करती। साथ ही इससे राज्यपाल को यह छुट भी नहीं मिलती कि वह संवधानिक विवेक को या तो इच्छानुसार या एकपक्षीय रूप से बढ़ा ले। तृतीय, राज्यपाल जब इन दोनों थे शियों में से किसी एक के अन्तर्गत विवेक के अधीन कोई कदम उठाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कार्य उसके विवेकाधिकार की परिमि के बाहर है। इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

अब स्थितिजन्य विवेक पर चर्चा की जा सकती है। इस प्रकार के विवेक को प्रयुक्त करने के अवसर आज की भारतीय राजनीति के अन्तर्गत अधिक प्राप्त होते हैं जबकि कुछ राज्यों में साभा मन्त्रिमण्डलों की अस्थिर एवं अनिश्चित राजनीति व्याप्त है। इसके विपरीत राजनीतिक समत्व की स्थिति में जब किसी एक दल को विधान सभा में पूर्ण वहुमत प्राप्त हो, जैसे मद्रास, तो वहाँ इसके अवसर कम उपलब्ध होते हैं। इस सम्बन्ध में दो स्थितियों का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रथम राज्यपालों को इस प्रकार के स्थितिजन्य विवेक के अवसरों पर सुस्थापित लोकतान्त्रिक परम्पराओं का पालन करना चाहिए या उनकी अनुपस्थिति में ऐसी लोकतान्त्रिक परम्पराओं को विकसित करना चाहिए। द्वितीय, राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के संवधानिक अध्यक्ष की मूमिका का निर्वाह करे और इस प्रकार अपनी कर्तव्य निष्ठा से यह आमास देना समाप्त करे कि अपने स्थितिजन्य विवेक के प्रयोग से वह केन्द्र द्वारा प्रेरित होता है। इस सन्दर्भ में इस बात पर भी वल दिया जा सकता है कि किसी राज्य में कानून व व्यवस्था भंग होने की मूलना देते हुए (जिसको स्थितिजन्य विवेक को विलकुल अनितम-स्थिति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है) भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए केवल तभी उत्तरदायी है जब राष्ट्रपति उस राज्य में आपस्कालीन स्थिति घोषित करदे।

१३ इसे वास्तव में १९३५ के अधिनियम से प्राप्त की गई एक अविशिष्ट धारा के रूप में देखा जा सकता है केवल अन्तर इतना है कि १९३५ के अधिनियम में राज्यपाल को अत्यधिक विवेकाधिकारी शक्तियों प्राप्त थीं जो कि इसमें नहीं हैं। यह सामान्यत विदित है कि १९३५ के अधिनियम में राज्यपाल दो उनके अधिकार निर्णय के अधीन अनेक उत्तरदायित्व व शक्तियों प्राप्त थीं (वह मत्रियों से वरामर्ग ले सकता था लेकिन उने मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अनिरित वह विस्तृत अपानी पृष्ठ में बाध्यवाली करने को स्वतन्त्र था और इसके लिए मत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं थी।) उत्तरी स्थिति को और अधिक सुष्टु बनाने के निए यह व्यक्तियों की सलाह आवश्यक नहीं थी। विषय है कि अमूर्द वायं उमके विवेच एवं व्यक्तिगत निर्णय के अधीन है अथवा नहीं।

अब एक अन्य जटिल समस्या राज्यपाल के पद की भूमिका विशिष्टीकरण (differentiation) पर ध्यान देना आवश्यक है। यह गामान्यतः विदित है कि एक राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी होती है : (१) राज्य के संवैधानिक प्रध्यक्ष की ओर (२) केन्द्र के एजेन्ट की। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि "केन्द्र का एजेन्ट" प्रयोग अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह संघ-विरोधी न होते हुए भी असंघीय स्थिति का तो परिचायक है ही। मध्यिक उपयुक्ततः यह कहा जा सकता है राज्यपाल के दो प्रकार के कर्तव्य हैं—एक, राज्य का अध्यक्ष होने के कारण उसके दायित्व और दूसरे, केन्द्र की तुलना में उसके संवैधानिक उत्तरदायित्व। इस विषयान्तर के अतिरिक्त समस्या सीमाओं के निर्धारण व सामर्जस्य से भवित है। स्थितियों की महजता के लिए प्रस्तुत दो आधारों को विकसित किया जा सकता है। प्रथम, यह पक्ष लिया जा सकता है कि सामान्यतः दोनों भूमिकाओं में कोई परस्पर-व्यापन नहीं है। जब तक कि उसकी विशेष रूप से कोई व्यवस्था न हो तब तक राज्यपाल की 'केन्द्र के एजेन्ट' की भूमिका वहाँ से प्रारम्भ होती है, जहाँ उसकी राज्य के अध्यक्ष की भूमिका समाप्त होती है। द्वितीय, इसके अतिरिक्त एक अन्य सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। केन्द्र के एजेन्ट की तुलना में राज्यपाल की राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका प्रधान है क्योंकि पहले का सम्बन्ध आपत्तिकालीन स्थितियों से है जबकि दूसरे का सम्बन्ध राज्य की सामान्य स्थितियों से। यह स्वतः स्पष्ट को पुनर्स्पष्ट करना ही होगा कि आपत्तिकालीन स्थितियाँ वहाँ से प्रारम्भ होती हैं जहाँ सामान्य स्थिति समाप्त होती है। यदि ये दो आधार स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो दोनों भूमिकाओं में सहज सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

IV

अन्त में, अब तक संदानिक पक्ष के आधार पर चीथे आम चुनावों के उपरान्त कुछ राज्यों के राज्यपालों की कार्यवाही पर धृष्टिपात किया जा सकता है :

१. राजस्थान से चर्चा आरम्भ करते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ राज्यपाल ने सुस्थापित लोकतांत्रिक अभिसमय का पालन करते हुए ही मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने के लिए आमन्वित किया क्योंकि वह विधानसभा में सर्वाधिक मत-प्राप्त दल के नेता थे। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की इस सम्बन्ध में पहले समयानुकूल नहीं थी और उनके द्वारा निर्देशीय सदस्यों को निवारणावश्यक थी (राज्यपाल ने वहूपर की गणना में निर्देशीय सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया)। यदि उन्होंने चुनावों के तुरन्त बाद ही सुखाड़िया को आमन्वित किया होता और इस प्रकार राज्य में दल-वदल अथवा अन्य किसी प्रकार की अस्थिरता की सम्भावना समाप्त कर दी होती तो उन पर केन्द्र में निर्देशित होने का आरोप नहीं लगता और उनकी उक्त कार्यवाही ने उतना विवाद नहीं उत्पन्न किया होता।

२. मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल ने लोकतांत्रिक मानदण्डों के अनुरूप कार्य करते हुए विधान सभा के मत्र वसान (proroguation) सम्बन्धी मुच्यमन्त्री की मताएँ स्वीकार

की। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि मुख्यमन्त्री के दल के टिकट पर खड़े हुए ३६ निर्वाचित सदस्यों ने दल का त्याग कर दिया था और वह इस स्थिति से निवाटने के लिए कुछ समय चाहते थे। राज्यपाल ने लोकतांत्रिक मानदण्डों का पालन किया होता यदि उसने मुख्यमन्त्री के आदेश पर सदन भंग कर दिया होता (इस मामले में ऐसा आदेश नहीं दिया गया था)। काफ्रे स उच्च कमान ने ३० पी० मिश्र को मदन भंग का आप्रह घरने की अनुमति न देकर संमतः एक स्वस्य लोकतांत्रिक अभिसमय के विकास का प्रतिरोध किया। मुख्य मन्त्री का तथाकथित अहंकेन्द्रित (ego-centric) ध्यवहार एक विलुप्त ग्रलग मामला है और न्याय की हृष्टि से ३० पी० मिश्र की दुर्दशा को तर्कसंगत ठहराने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

३. हरियाणा की घटनाओं की समीक्षा करते हुए तकनीकी हृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वहाँ तत्कालीन मुख्यमन्त्री राव वीरेन्द्रसिंह ने विधान सभा में बहुमत का विश्वास नहीं खोया था और इसलिए राज्यपाल द्वारा सदन भंग करने व राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना अनुचित था। इसके बावजूद, राज्यपाल के निर्णय के पक्ष में कहने के भी पर्याप्त आधार है। इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध हैं कि अतीत में भी राज्यपालों ने किसी राज्य विशेष में संवैधानिक संकट से सम्बन्धित निर्णय लेने में मुख्यमन्त्री के सदन में सार्विक बहुमत को कोई निरण्यिक मापदण्ड नहीं माना। कभी कभी उन्होंने स्थिति के गुणात्मक पक्ष को भी इस निर्णय का आधार बनाया है। इस तर्क का यह उद्देश्य नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में राज्यपाल द्वारा गुणात्मक पक्ष वाले मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाए, उद्देश्य माप्र तथ्य प्रस्तुत करना है। द्वितीय, राज्य में दल-परिवर्तन आए-दिन को बात हो गई थी और मुख्यमन्त्री पद पर बने रहने के लिए मंत्रित्व पदों को अधिवेशी ढंग से वितरित कर रहे थे। इस प्रयोग की सामाजिक मूल्यपरकता की तो बात ही क्या, राज्य की यह राजनीति स्वयं लोकतन्त्र के लिए एक अभिशाप थी। अततः जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है, इस प्रकरण की सर्वाधिक विशेषता यह थी कि राज्य में मध्यावधि चुनावों की व्यवस्था की गई थी जिनमें अन्तिम निरण्यिक स्वयं जनता थी।

४. अब सर्वाधिक समस्याप्रस्त एवं विवादास्पद राज्य-पश्चिम बंगाल पर हृष्टिपात किया जाए। इस सम्बन्ध में कठिपय महत्वपूर्ण पक्ष इस प्रकार हैं :

प्रथम, अजयमुखर्जी ने अपने बहुमत के अभाव की कथित स्थिति का सदन में परीक्षण करने के लिए सदन के अधिवेशन को न बुला कर लोकतांत्रिक परम्पराओं का पालन नहीं किया यद्यपि उनके बहुमत के प्रति न्यायसंगत संशय व्यक्त किये गए थे। इस प्रकार वह कानूनी नहीं तो कम से कम नैतिक-व्यक्ति तो अवश्य हार गए थे।

द्वितीय, यह विवादास्पद है कि यथा विधानसभा का अधिवेशन शीघ्र बुलाने का राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार है जबकि स्वयं द्वारा १७४ (१) में यह व्यवस्था है कि सदन के दो अधिवेशनों के मध्य ६ माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

तृतीय, यह तो और भी अधिक विवादास्पद है कि उसके द्वारा अपनाया गया वैकल्पिक मार्ग राजनीतिक हृष्टि से सर्वाधिक कानूनित था। जैसाकि इसमें पूर्व भी कहा जा चुका है कि राज्यपाल की वह कार्य चाहीं अधिक न्यायोचित व निष्पद होती जिसके अन्तर्गत उसने

राष्ट्रपति को स्वयं उत्पन्न संवेदानिक मंकट से सूचित किया होता, विधान सभा को भंग लिया होता और इस प्रकार मध्यावधि चुनावों के माध्यम से जनता के निर्णय हेतु उपयुक्त बातावरण तैयार किया होता।

(५) राज्यपाल के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण पंजाब से मिलता है। यहाँ मुख्य मन्त्री ने यह स्वीकार किया कि दल परिवर्तन के कारण उनका बहुमत समाप्त हो गया था, उन्होंने त्यागपत्र दिया और साथ ही राज्यपाल को मदन भंग करने व मध्यावधि चुनावों की व्यवस्था करने की सलाह दी। मध्यावधि चुनावों की सलाह राज्यपाल ने इसनिए नहीं मानी क्योंकि इसमें काफी व्यय होता। उम्मका यह भी तर्क था कि निवृत्तमान मुख्यमन्त्री विधान सभा को भंग करने की मांग नहीं कर सकता। इसके बावजूद राज्यपाल ने उसे इस शर्त पर सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया कि वह दो दिन के अन्दर-अन्दर यह सूचना दे कि वह ऐसा करने की स्थिति में है। जब मुख्यमन्त्री राज्यपाल से मिलने गए तो वह राजधानी से बाहर थे। मुख्यमन्त्री राज्यपाल के लिए यह सन्देश छोड़कर कि वह राज्यपाल के लौटाने पर उनसे मिलेंगे, स्वयं दिल्ली चले गए। इसी बीच दो दिन की अवधि पूरी होने के बाद राज्यपाल ने विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए इस आधार पर आमन्त्रित कर लिया क्योंकि वह निवृत्तमान मुख्यमन्त्री के उत्तर की अनिश्चित-काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे।

राज्यपाल की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार अनुपयुक्त नहीं होंगे :

१. विधान सभा भंग न करने और इस प्रकार मध्यावधि चुनाव करवाने सम्बन्धी राज्यपाल के निरांय की उपयोगिता संदिक्षण है। मुख्यमन्त्री ने जिस प्रकार त्याग-पत्र देकर तोकतांत्रिक आचरण संपन्नादा था, वह उसी प्रकार त्याग-पत्र से पूर्व मध्यावधि चुनाव की मांग भी कर सकता था। इसी प्रकार आर्थिक व्यय का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नेतृत्व व जनता के मूल्य-प्रतिमानों, प्रशासन के मनोवेदन एवं विकास पर वड़े दल-परिवर्तन के प्रभाव का सामाजिक मूल्य। सिद्धान्तहीन दल-परिवर्तन की राजनीति का एक मात्र उत्तर मध्यावधि चुनाव ही है।

२. इस शीघ्रता का मूल्यांकन करना कठिन है कि किस कारण राज्यपाल ने विपक्षी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया। या तो राज्यपाल द्वारा निवृत्तमान मुख्यमन्त्री को दुवारा आमन्त्रित नहीं करना चाहिए था और यदि उसने ऐसा किया था तो उसे मुख्यमन्त्री की सब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी जब तक कि वह दिल्ली में नहीं लौटे थे।

V

अब तक के विशेषण से यह स्पष्ट होता है कि भाज राज्यपाल के पद में गम्भीर नेतृत्व पुनः प्रतिष्ठा (rehabilitation) का नहीं है भवितु भूमिका-री-डी. (role-differentiation) का है। भूमिका विशिष्टीकरण की समस्या (जिसे एक द्वितीय प्रभुत्व के कारण अब तक संस्थापन स्वरूप नहीं मिल मात्र) ने इनना,

रूप से लिया है कि स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ही विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है। चौथे आम चुनावों के बाद राज्यपालों के कार्यों का पारवैदश्य यह अभिव्यक्त करता है कि राज्यपालों के लिए भपने संवेधानिक एवं स्थितिजन्य विवेक पा सुस्पष्ट सीमांकन करना अत्यधिक जटिल कार्य है। इस तथ्य के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य उनके चरित्र पर धारोप करना नहीं हैं प्रतितु कार्य की गम्भीरता मात्र ही प्रदर्शित करना है। त्रिव्याख्यन की अपेक्षा संक्षणिक रूप से उन अभिमुखी मानदण्डों का प्रायमिकता-क्रम निर्धारित करना सरल है जिसे राज्यपाल भपने विशिष्टीकरण में प्रयुक्त कर सकें। संवेधानिक विरोधाभास यही है कि यद्यपि राज्यपाल-पद के लिए भूमिका विशिष्टीकरण जितना ही कठिन कार्य है, उसके प्रति प्रयाम करना उतना ही शावश्यक व महत्वपूर्ण। प्रस्तुत सेता में प्रस्तावित प्रायमिकता-क्रम विवरणत आपहों से युक्त हो सकता है और इसलिए यह मम्भव है कि उसे सर्वस्वीकृति न प्राप्त हो सके, लेकिन इसके बावजूद यह इतना तो मुझाता ही है कि राजनीति-शास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों को इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए पारस्परिक महयोग प्रदान करना ही होगा। इस सेता में प्रस्तुत प्रायमिकता-क्रम इस दिशा में मात्र एक लोकोक्तीय प्रथम कदम हो हैं लेकिन भपनी भन्तरिम प्रकृति के बावजूद इसका विवेकसम्मत एवं न्यायसंगत आधार अवश्य है।

Further Readings

1. *Nakade, Shiv Raj* : "Article 356 of the Constitution : Its use and Misuse," Journal of Constitutional and Parliamentary Studies 111 (4), Oct-Dec. 1969, 78-123.
2. Report of The Center-State Relations Inquiry Committee, Madras, Govt. of Tamilnadu, 1971, ch. VIII, pp. 119-131. (Popularly known as Rajamannar Committee Report.)

मुख्यमंत्री का पद : उ० प्र० के राज्यपाल का राष्ट्रपति के नाम पत्र

एकदलीय प्रभुत्व की स्थितिवश मुख्यमन्त्री का पद १९४७-६७ व १९७१-७२ के लोकसभा व विधानसभा चुनावों के दौरान एक पृथक् सर्वेधानिक भ्रष्टाचार के रूप में नहीं उभरा। १९६७-७१ की अल्पकालिक अवधि में सामान्य सरकार की राजनीति के दौरान मुख्यमन्त्री की स्थिति व शक्तियों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रश्न उठाए गए। डॉ० वी० गोपाल रेही (तत्कालीन महात्मपूर्ण राज्यपाल उ० प्र०) का राष्ट्रपति के नाम लिखा गया पत्र, जिसे यहाँ उनप्रस्तुत किया जा रहा है, इस तर्क को आधार देता है कि एक सामान्य सरकार के मुख्य-मन्त्री को पद व स्थिति की दृष्टि से एक बहुमत प्राप्त दल के मुख्यमन्त्री के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। यद्यपि व्यवहार में इन दोनों मुख्यमन्त्रियों में महत्वपूर्ण अन्तर है, फिर भी राज्यपाल के मत से सहमति कठिन प्रतीत होती है और इस भ्रष्टाचार का आधार संसदीय सरकार से सम्बन्धित सिद्धान्त है। संदातिक घटकंसंगति के बावजूद यदि डॉ० रेही के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे मुख्यमन्त्री की स्थिति और अधिक कमज़ोर हो जाएगी और उसका उसके मत्रिमंडल पर नियन्त्रण दुर्बल हो जाएगा जो कि अपनी सामान्य प्रकृति के सम्पादक कारण वैसे ही अधिक सुदृढ़ नहीं है।

प्रिय राष्ट्रपतिजी,

आप संभवतः राज्य की उस राजनीतिक गतिविधि से परिचित हैं जो हाल ही में वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री चरणसिंह के इस निवेदन से उत्पन्न हुई है कि मन्त्रिपरिषद् से समस्त कांग्रेस (सत्ताहृष्ट) दल के सदस्यों व एक भारतीय कातिदल के सदस्य को पदमुक्त किया जाए।

आपको स्मरण होगा कि फरवरी १९७० में भूतपूर्व मुख्यमन्त्री थी सी.वी. युप्ता के त्वाग-पत्र के उपरांत मैंने श्री चरणसिंह को नई मंत्रि परिषद् के गठन के निए घामनित किया था। ऐसा कांग्रेस (सत्ताहृष्ट) के नेता थी कमलापति विश्वासी के उस घामनान के याद

किया गया कि उनके दल ने श्री चरणसिंह को समर्थन देने का निश्चय किया है। उस समय (१७-२-७०) विपान समा में विभिन्न दलों की निम्नलिखित संख्या थी :

कांग्रेस (सत्ताहृष्ट) १३६, कांग्रेस (संगठन) ६८, भा० का० दल ६४, जनसंघ ४३, एस० एस० पी० ३२, दक्षिणापथी साम्यवादी ४, माष्ठासंघादी साम्यवादी १, पी० एस० पी० ३, वित्तान मजदूर पार्टी १, रिपब्लिकन १, मुस्लिम मजलिस २, निर्दलीय सदस्य ४, रिक्त स्थान ६, आरम्भदृ २, हिन्दू महाराजा १, कुल योग ४२६।

श्री चरणसिंह भा० का० दल के नेता थे और प्रारम्भिक भवस्था में मंत्रिपरिषद् के समस्त १० सदस्य उनके ही दल के थे। तदुपरांत १६ व २१ घ्रन्ति को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और २७ सत्ताहृष्ट कांग्रेस के सदस्य व १ भा० का० दल का सदस्य उसमें सम्मिलित हुए। १६ जुलाई को मंत्रिमंडल में पुनः विस्तार के परिणामस्वरूप भा० का० दल के ६ मंत्री और बढ़े।

कांग्रेस मंत्रियों में से एक ने ११ जुलाई, १९७० को त्याग-न्यता दे दिया। परिणामस्वरूप मंत्रिपरिषद् में अब सत्ताहृष्ट कांग्रेस के २६ व भा० का० दल के २० मंत्री रह गए। केविनेट में २३ मंत्री थे जिसमें से मुख्यमन्त्री गहित १० भा० का० दल के थे तथा शेष २३ सत्ताहृष्ट कांग्रेस के। इस प्रकार एक साभा मन्त्रिमण्डल कामयोगीत हुआ जिसका मुख्य घटक सत्ताहृष्ट कांग्रेस थी और मुख्यमन्त्री भा० का० दल का सदस्य था।

एक समय भा० का० दल व सत्ताहृष्ट कांग्रेस में विलय की घर्ची थी। इन दोनों दलों में विलय सम्बन्धी वार्ता कुछ भवसरों पर इकी और भंततः २८ अगस्त, १९७० को पूरी तरह से टूट गयी।

प्रारम्भिक मतभेद :

संयुक्त मंत्रिमण्डल के घटक, इन दोनों दलों में प्रथम महसूपूर्ण भ्रंतर उस समय उपस्थित हुआ जबकि सत्ताहृष्ट कांग्रेस के सदस्य व राज्य के तत्कालीन सूचना मंत्री श्री गेंदासिंह ने त्वागापन दे दिया। उसके पश्चात् निवारक नजरबन्दी अध्यादेश (Preventive Detention Act.) व उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश (U.P. Universities Amendments Ordinance) को लेकर सत्ताहृष्ट कांग्रेस व भा० का० दल में भी अधिक मतभेद इतिहास हुए। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर दोनों दलों में अत्यधिक मतभेद थे। इसके पश्चात् श्री कमलापति त्रिपाठी ने मुख्यमन्त्री को लिखा कि उनके दल के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वह अनवरत रूप से इस मंत्रिमण्डल में बना रहे और उन्होंने दैर से दैर सितम्बर तक विधान सभा का अधिवेशन बुलाने की मांग की। प्रारम्भ में मुख्यमन्त्री ने यह संकेत दिया कि सदन की बैठक २ सितम्बर को बुलाई जा सकती है लेकिन उसके बाद सत्ताहृष्ट कांग्रेस के आग्रह पर यह तिथि ६ अक्टूबर कर दी गई।

इन दोनों दलों (सत्ताहृष्ट कांग्रेस व भा० का० दल) में दूरी बढ़ती गई और २४ सितम्बर १९७० को मुख्यमन्त्री ने एक लम्बा प्रेस व्यवतार्थ दिया जिसमें सत्ताहृष्ट कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों की भत्तेना की गई थी। उन्होंने यह संकेत दिया कि उक्त साभा

मुख्य मन्त्री का पद: उ० प्र० के राज्यपाल का राष्ट्रपति के नाम पत्र २७७

मंत्रिमण्डल चलाना सम्भव नहीं हो रहा था और उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ हुए साझे की समाप्ति की घोषणा कर दी। वस्तुतः उन्होंने तो यह कहा कि "हम विधाता के प्रति आमारी हैं कि कांग्रेस के ऐसे लोकतंत्रादियों व देशमक्तो से अन्ततः हमारा समझौता समाप्त हो गया।" मुख्यमन्त्री ने ऐसे आरोप भी लगाए कि भा० का० दल के सदस्यों को विवश किया जा रहा है कि वे सत्तारूढ़ कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं। उन्होंने कहा कि "वे १६ जुलाई से ही विधान सभा के भा० का० दल के सदस्यों की दल के प्रति निष्ठा कम करने के प्रयासों में व्यस्त थे क्योंकि उस समय हुए मंत्रिमण्डल के विस्तार ने उन्हें निराश कर दिया था।" इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि २ सितम्बर, १९७० को भा० का० दल के ५ सदस्यों ने दल से त्याग पत्र देकर अपना निर्दलीय गुट बना लिया।

मुख्यमंत्री के प्रेस बक्तव्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस विधानमण्डलीय दल द्वारा कटु आलोचना की गई।

२४ सितम्बर को मुख्यमंत्री ने १३काँपे सी मंत्रियों व १ भा० का० दल के मंत्री से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया। तदनुसार त्यागपत्र न प्रस्तुत करने पर उन्होंने कुछ ही घटों वाद मुके यह सलाह दी कि मैं इन मंत्रियों को बखस्त कर दूँ। लगभग इसी के साथ मुझे उ० प्र० सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलापति विपाठी का पत्र भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने मुझे उनके दल द्वारा साभा मंत्रिमण्डल से निकल जाने की मुश्चना दी और निवेदन किया कि श्री चरणसिंह के अल्पमत में ही जाने के कारण उनसे त्यागपत्र का अनुरोध किया जाए। मैंने इस पत्र की एक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भेज दी। यागले दिन सत्तारूढ़ कांग्रेस के समस्त मंत्रियों ने श्री विपाठी को प्रायंना का ढड़ समर्थन किया कि श्री चरणसिंह से त्यागपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए।

संयुक्त पथ:

१५ सितम्बर को मुझे संगठन कांग्रेस, जनसंघ, तथा संयुक्त समाजवादी पार्टी के विधान मुख्यमन्त्री का एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में यह आग्रह है कि मैं ने विधानमण्डलीय कांग्रेस के मंत्रियों को बखस्त कहा। लेकिन इस पत्र में म.व उन्होंने मंत्रियों के निकाले जाने के सम्बन्ध में ही मुख्यमंत्री के एक अधिकारी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। उसी दिन मुझे श्री चरणसिंह का एक भीर पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ और मंत्रियों व भा० का० दल के एक उपमन्त्री की बखस्तीयों से संबंधित अपनी मांग का समर्थन किया था। इस पत्र में उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ६ अक्टूबर को सदन के अधिवेशन तक संभवतः बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। इस रिपोर्ट को लियते समय तक किसी भी राजनीतिक दल ने यह स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि यह श्री चरणसिंह को नई सरकार को अपना समर्थन देगा।

२६ सितम्बर को जनसंघ विधानमण्डल दल के नेता श्री माधो प्रसाद विपाठी व संगठन कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री गिरधारी लाल ने मुझे मान यह ही सूचित किया कि

वे श्री चरणसिंह की वर्तमान सरकार को अपना समर्यन दे रहे हैं। उसी दिन श्री कमलापति त्रिपाठी ने मुझे पुनः पत्र लिखा जिसमें उनका यह मत था कि वर्तमान साम्भा मंत्रिमण्डल की समाप्ति के फलस्वरूप श्री चरणसिंह अल्पमत में हैं और इसलिए उनसे त्यागपत्र मांगा जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि उन्हें नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया जाए तो वे वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में हैं। अपनी पूर्व मांग का समर्यन करते हुए २६ सितम्बर को ही श्री चरणसिंह ने मुझे यह पत्र लिखा कि मैं समस्त सत्तारूढ़ कांप्रेसी मन्त्रियों व १ भा० क्रा० दल के मंत्री को पदमुक्त कर दूँ। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मैं विजनेस आँफ यू० पी० (एलोकेशन) रूल्स के नियम ३ के अन्तर्गत उनकी सलाह को मानते हुए समस्त कांप्रेसी मंत्रियों का कायंभार ले लूँ। आवश्यक सरकारी कामकाज के संचालन को दृष्टि में रखते हुए मन्त्रालयों की वापसी से सम्बन्धित उनकी सलाह को मैंने स्वीकार कर लिया।

उस साम्भा मंत्रिमण्डल के टूट जाने से, जिसमें सत्तारूढ़ कांप्रेस प्रमुख सामेदार थी (उसके १४१ सदस्य थे जबकि भा० क्रा० दल के ६४) श्री चरणसिंह अल्पमत में हो गए। अतः स्वाभाविकतः मेरे दिमाग में यह संशय उत्पन्न हुआ कि क्या इस स्थिति में उनका मुख्यमन्त्री पद पर बने रहना संवैधानिक है, और क्या मैं इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हूँ।

२५ सितम्बर को विधि सचिव व महाधिवक्ता (Advocate-General) से प्रारम्भिक चर्चा के उपरांत मैंने यह उपयुक्त समझा कि मुख्यमन्त्री के पत्र व साम्भा मंत्रिमण्डल की समाप्ति से उत्पन्न कुछ निश्चित प्रश्नों पर मैं भारत के ऐटॉर्नी जनरल का मत प्राप्त करूँ। उनके द्वारा दिए गए उत्तर नीचे पुनर्प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

“प्रश्न (१) मंत्रिपरिषद के संयुक्त उत्तरदायित्व को दृष्टि में रखते हुए क्या राज्यपाल कथित १४ मंत्रियों की वर्खास्ति करने से इंकार कर सकता है और मुख्यमन्त्री की तरसम्बन्धी सलाह के बावजूद उन्हें पदासीन रहने की अनुमति अर्थवा निर्देश दे सकता है ?

उत्तर—वर्तमान स्थिति में मुख्यमन्त्री के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जिसके अन्तर्गत वह १४ मंत्रियों की वर्खास्ती से सम्बन्धित कोई सलाह राज्यपाल को दे और राज्यपाल का इस स्थिति में यह संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह मुख्यमन्त्री की ऐसी सलाह माने। राज्यपाल को चाहिए कि वह मुख्यमन्त्री अर्थवा साम्भा मंत्रिमण्डल के किसीभी मन्त्री को पदासीन न रहने दे और मंत्रिमण्डल के सदस्यों (मुख्यमन्त्री) को त्याग-पत्र देने का निर्देश दे और यदि वे ऐसा करने से इन्कार कर दें तो राज्यपाल को अविलम्ब समस्त मंत्रियों को वर्खास्ति कर देना चाहिए।

प्रश्न (२) राज्यपाल के इस तथ्य के प्रति सचेत होने के कारण कि श्री चरणसिंह को विधान सभा का विश्वास प्राप्त नहीं है, व्या वह मुख्यमन्त्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है और उनके द्वारा इस मलाह को न मानने पर, क्या विधान सभा के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना वह (राज्यपाल) उन्हें ६ अवटूबर से पूर्व ही वर्खास्ति कर सकता है ?

अमुदवर्ती चत्ताह :

उत्तर : है ।

प्रश्न (३) यदि १४ अंतिमों की वस्तुतात्त्वी के सम्बन्ध में राज्यपाल मुख्यमन्त्री दो चत्ताह नामने के लिए दाव्य हो तो क्या इसके बहुतार वह मुख्यमन्त्री की इन्हीं मार्ग
नामने के लिए दाव्य नहीं होगा—(च) ऐप तत्त्वालङ्घ दोषेस के अंतिमों को उनके पर ते
मुक्ति, (द) वर्तमान विविध दर्शनों के एवं अंतिमों को लिपुक्ति दिल्ली परिसर पर्यावरण
टैक्सिडे का उन्नर्णुपे दर्शन होता ही बदल जाएगा (ज) नवदानन ते लिपिरित ६ माह
को अद्वितीय के अनुर्भव विवाह समान के अधिवेशन वा स्पर्शन (मत तीर्त्तिर्दि रिनम्बर के
प्रतिनिधियों में कठीनी) ।

उत्तर : प्रश्न (१) विधा (२) के उत्तरों को व्याप्त में रखते हुए प्रश्न (३)
में उठाइ गई (अ) (ब) (स) सम्भावनाओं का तदात ही नहीं उठता ।

प्रश्न (४) क्या राज्यपाल के लिए वह उपयुक्त होगा कि वह वर्तमान त्विरियों में
भवित्वा प्रश्न (३) में उठाइ गई सम्भावनाओं को व्याप्त में रखकर वह मत त्विर रखे कि
राज्य का जातन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हो रहा (आरा ३५६) ।

उत्तर : इन मामले पर दिए गए वक्तव्य में वस्तु त्विरिति वी इटि के राज्यपाल के
लिए वह सोचना चाहिए होगा कि राज्य का वर्तमान जातन संविधान वी पारानों के अनु-
रूप नहीं चलाया जा रहा । प्रश्न (१) व (२) के प्रस्तों को व्याप्त में रखते हुए
राज्यपाल के लिए यही बात प्रश्न (३) की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में भी सोचना
अनावश्यक है ।

प्रश्न (५) यदि राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सत्ताह उत्त समय भी स्वीकार कर से जर
उनकी इटि में मुख्यमन्त्री ने बहुमत का समर्थन यो दिया हो तो क्या वह राज्यपाल द्वारा
भी गई शपथ के विरुद्ध नहीं होगा कि “वह संविधान व कानून वी रक्षा करेगा व उसे
संरक्षण देगा ?”

उत्तर : है ।

इस मध्यमध्य में यह उल्लेख किया जा सकता है कि एटॉनी जनरल वी मलाह के पापार
पर जब मैंने २८ मिनिस्टर को प्रातःकाल मुख्यमन्त्री से शाम तक उनका त्याग-पत्र लेने
शोर उनमे तत्त्वावधी अनुरोध करने का निर्णय लिया, उस समय मेरे पास एटॉनी जारी
की नियिन मलाह नहीं थी । इस बीच उनका मत प्राप्त हो चुका है लेकिन परीक्षण के
उपरान मुझे अपने पूर्व मत को बदलने का कोई कारण नहीं दियाई देता ।

उत्तर विवरण मे :

मुख्यमन्त्री का पत्र बतल रात काफी देर मे प्राप्त हुआ । आगे त्यागपत्र देने के स्थान
पर उन्होंने कुछ साटीकरण चाहे है । उन्होंने एटॉनी जनरल वी मलाह पर राज्य के
एड्वोकेट जनरल की टिल्पणी भी भेजी है । उन्होंने यह मुझकर दिया है कि उन्हें १०
मिनिस्टर भवित्वा १ मन्त्रीवर को विधानसभा वा सामना करने वा द्वारा मिनगा चाहिए ।

स्थिति यह है कि पूर्वनिर्धारित तिथि में परिवर्तन के लिए मंत्रिपरिषद् का नियमनन्वी प्रस्ताव आवश्यक है और इस समय राज्य में संयुक्त उत्तरदायित्व पर आधारित कोई मंत्रिपरिषद् ही नहीं है : उन्होंने यह भी सुझाया है कि मैं दलों की तुलनात्मक संख्या जात कर्त्ता और उस समय तक वह पदासीन ही रहें। यह स्पष्टतः उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा तभी सम्भव है जब वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करें।

मैं इस तथ्य से संतुष्ट हूँ कि श्री चरणसिंह को पुराने याडहर पर नया भवन निर्मित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें समय द्वारा मान्यता प्राप्त आवरण के अनुरूप त्यागपत्र प्रस्तुत करना ही चाहिए ताकि नई सरकार का गठन हो सके।

मैंने साधारणीपूर्वक मुख्य मन्त्री के धन पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उन्होंने प्रस्तुत की जा रही सिफारिश के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है।

विचाराधीन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान परिस्थियों में यह मध्यव है कि उत्तरप्रदेश में स्थायित्व सहित किसी सरकार का गठन हो सके ? मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि विधान सभा में किसी दल अधिकारी दलों के समूह को अल्पकालिक बहुमत प्राप्त हो। सरकार के प्रभावी संचालन के लिए यह आवश्यक है कि वह अस्थिर मतों को पुनर्गुटबन्दी के बावजूद कायम रह सके।

सलान वक्तव्य (अ) से यह ज्ञात होगा कि दलों की संख्या में दैनिक परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने एक और संगठन कांग्रेस व जनसंघ के नेताओं की यह सूचना प्राप्त की है कि वे भा० भा० दल के गरकारी पक्ष का समर्थन करेंगे। दूसरी ओर इस तथ्य के संकेत भी उपलब्ध हैं कि श्री निरधारोलाल (विधायी नेता) का दावा है कि उन्हें स्वर्य सरकार बनाने को आमंत्रित किया जाए। श्री कमलापति जिपाठी ने स्पष्टतः यह घटत किया है कि वह आमंत्रित करने पर सरकार गठित कर सकते हैं। श्री चरणसिंह ने भी बहुमत का दावा किया। परस्पर विरोधी दावों और प्रतिदावों तथा अस्थिर दलीय स्थिति में राज्य में कोई स्थिर सरकार नहीं बन सकती, ऐसी मेरी धारणा है।

दूर्ण समर्थन :

मैं इस निष्कर्ष पर निम्नलिखित कारणों से पहुँचा हूँ :

- कोई भी एक दल, स्वयं अपने आप पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। सर्वाधिक सदस्य संख्या सत्ताहृष्ट कांग्रेस की (१४५) है। जब तक कि सत्ताहृष्ट कांग्रेस किसी अन्य दल अधिकारी दलों के साथ सरकार बनाने के प्रश्न पर समझौता न करे, तब तक वह भी सरकार नहीं बना सकती। ऐसे समझौते के कोई संकेत उपलब्ध नहीं हैं।

- श्री चरणसिंह ने अपनी वर्तमान सरकार के प्रति संगठन कांग्रेस, जनसंघ व स्वतन्त्र दल के पूर्ण समर्थन का दावा किया है। स्वतन्त्र पार्टी ने इस सम्बन्ध में कोई सिद्धित सूचना नहीं दी है और संगठन-कांग्रेस व जनसंघ का समर्थन भौतिक से अधिक वर्तमान सरकार को कायम करने के विषय में है। उन्होंने इस बात का संकेत नहीं दिया कि वे श्री चरणसिंह के नेतृत्व में गठित किसी नई सरकार का समर्थन करेंगे। इन दलों की संख्या भगाणा ६१, ४८, व ४ है और भा० भा० दल की सदस्य संख्या ८५ है। इस

प्रकार कुल योग २२३ होता है। लेकिन सत्तास्थङ् कांग्रेस ने इस संसदा को चुनौती दी है। उसके भानुमार इन सभी दलों की सम्मिलित संसदा किसी भी स्थिति में २०६ से अधिक नहीं होगी। यह उल्लेख करना नी संगत है कि २८ सितम्बर को आकाशवासी के समाचार चुनिटिन के अनुसार संगठन कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री गिरधारी लाल ने यह दावा किया है कि उन्हें अधिकारपूर्वक नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया जाए। बुध समाचार पत्रों में श्री गिरधारीलाल की यह घोषणा प्रकाशित हुई है कि “विपक्षी दल का नेता होने के कारण सरकार गठित करने का यह उनका अवसर है” (नेशनल हेराल्ड, २८ सितम्बर का समाचार दृष्टव्य) इस प्रकार यह विलुल स्पष्ट है कि संगठन कांग्रेस की नई सरकार गठित करने के प्रश्न पर श्री चरणसिंह औ समर्थन देन की कोई इच्छा नहीं है।

उ०प्र० विधान सभा में दलीय स्थिति

(२८ सितम्बर की ११-३० तक की स्थिति। योत : सचिव, विधान सभा)

तिथियों के क्रम में स्थिति

दल का नाम	१७-६-७०	२१-६-७०	२५-६-७०	२६-६-७०	२८-६-७०
सत्तास्थङ् कांग्रेस	१३६	१३७	१४१	१४३	१४५
संगठन कांग्रेस	६८	६५	६२	६१	६१
भा० क्रा० दल	६४	६५	६४	६४	६५
जनसंघ	४३	४३	४३	४३	४३
एस०एस०पी	३२	३१	३०	२६	२६
साम्यवादी	४	४	४	४	४
मार्क्सवादी साम्यवादी	१	१	१	१	१
पी०एस०पी०	३	३	३	३	३
के०एम०पी०	१	१	१	१	१
स्वतन्त्र	४	४	४	४	४
मुस्लिम मजलिस	२	२	२	२	२
निर्दलीय	४	४	४	४	४
रिक्त स्थान	-	१	१	१	१
असंघ	२	२	२	२	२
हिन्दू महासभा	-	-	-	-	-

नोट : (१) भा० क्रा० दल। जनसंघ देश। निर्दलीय सदस्य को न्यायालय के प्रादेश के अन्तर्गत मतदान का अधिकार नहीं है।

(२) संगठन कांग्रेस के निम्नलिखित राज्यों ने यह घोषणा की है कि वे सत्तास्थङ् कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं लेकिन इस आग्रह की वीर्यता वृच्छा प्राप्त नहीं हुई है : (प) श्री जगदीश्वरदामात (म) श्री हरिहर वर्मा निः (द) श्री चांद बद्राद्वारा तिर।

(३) श्री भीम प्रसाद ने यह घोषणा की है कि वह एस०एस०पी० से भा० क्रा० दल में चले गए हैं, लेकिन इस आशय की कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

३. आज की अधिकृत संख्या के अनुसार संगठन कांग्रेस की सदस्य संख्या ६१ है। इसलिए उनके द्वारा सरकार बनाने की कोई सम्भावना नहीं है। इसके भी कोई संकेत नहीं है कि कोई अन्य दल उनके साथ गठबन्धन करेगा। मैं विलुक्त आशावान् नहीं हूँ कि निकट भविष्य में राजनीतिक दलों की संख्या या उनके समायोजन से सम्बन्धित कोई स्पष्ट चिह्न सामने आएगा। वर्तमान अनिश्चितता की अवस्था को स्थायित्व देना जनहित में नहीं है और राज्य का सर्वाधिक हित इस बात में है कि विधान सभा को निर्वित कर दिया जाए।

त्यागपत्र से इन्कार :

कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि मुख्यमन्त्री ने मेरे अनुरोध पर त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया है। मुख्यमन्त्री ने मुझसे उन सभी को पदमुक्त करने का आग्रह किया है। जब मैंने मुख्यमन्त्री से त्यागपत्र देने का निवेदन किया तो उन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण चाहा और टाल-मटोल कर रहे हैं। यद्यपि यह सही है कि साभा मंत्रिमण्डलों के अवहार से सम्बन्धित दर्शन अभी कोई निरिचत स्वरूप नहीं पा सका है, उसका प्रामाणिक विश्लेषण होना शेष है, किर भी ऐसी सरकारों के मुख्य मंत्रियों की शक्तियों को राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों के संदर्भ में देखना होगा और ऐसा करते समय स्थिति के उचित यथार्थ पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, साभा सरकार के मुख्यमन्त्री को एक दलीय बहुमत वाले दल के मुख्यमन्त्री के समक्ष नहीं रखा जा सकता और इस प्रकार मंत्रियों की पदमुक्त अवधा मंत्रिपरिषद् के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में दोनों की स्थिति एकरूप नहीं है।* ऐसा इसलिए है क्योंकि साभा सरकार सरकार के अस्तित्व से सरकार का मूलभूत स्वरूप ही बदल जाता है। जब सरकार के पुनर्गठन से सम्बन्धित कोई अवसर उपस्थित होता है तो संविधान में निहित भावना की यह मार्ग है कि मुख्यमन्त्री पहले त्यागपत्र प्रस्तुत करे और फिर सरकार का पुनर्गठन। संविधान की रक्षा की दृष्टि से राज्यपाल किसी और विकल्प की अनुमति नहीं दे सकता।

अतः मैं सत्यपूर्ण हूँ कि कुल मिलाकर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि राज्य में शासन संविधान की धाराओं के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता और मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्रपति संविधान की धारा ३५६ को घोषित करते हुए :

(अ) राज्य सरकार के समस्त कार्य तथा राज्यपाल में निहित और प्रयोग योग्य सभी शक्तियाँ अपने आप को सौंप दे।

(ब) यह घोषित करे कि राज्य व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियाँ संसद् द्वारा या उसकी सक्षम की अधीन प्रयोग की जाएंगी।

* इटानिसम सम्पादक द्वारा जोड़े गए हैं।

(म) घोरणा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रासंगिक (incidental) व परिणामी (Consequential) व्यवस्थाएँ करे। विशेष रूप से वह जिस सीमा तक उचित गमधेर वहाँ तक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करे और उन सभी व्यवस्थाओं को भग करदे जो व्यवस्थापिका और भंत्रिपरिपद से सम्बन्धित हैं।

Further Readings

1. *Santhanam,K.* : *Transition in India and Other Essays.* Bombay, Asia publishing House, 1964, pp. 47-50.
2. *Siwach, J. R.* : *Appointment And Dismissal of The chief Minister, Journal of Constitutional and Parliamentary Studies, II(1) Jan-March 1968, page 75-83.*

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन

[भारत के संविधान-निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जो कि वस्तुतः उनके द्वारा संसदीय व संघीय शामन पद्धतियों को समायोजित करने के प्रयासों का प्रतिफल था। अतः उन्होंने कानून की विवेकममति के सम्बन्ध में संसद् को संवौचता प्रदान की और न्यायपालिका में यह घोषणा की कि एक और तो वह विधायी प्रस्तावों व कार्यकारी आदेशों के बीच असंगति पर ध्यान दे और दूसरी और संविधान के शब्दों को हट्टिगत रखते हुए संविधान की व्याख्या करे। कुल मिना कर यह कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय को अमेरिका की भाँति कानून की विहित प्रक्रिया के सिद्धान्त के अनुरूप काम नहीं करना था और ऐसा करते हुए कानून में निहित बुद्धिमत्ता व विवेक को चुनौती नहीं देनी थी। उनको यह भी अधिकार नहीं प्राप्त था कि वे प्राकृतिक न्याय के आधार पर इन कानूनों के ग्रोवित्य को चुनौती दे। इसके विपरीत हमारे उच्चतम न्यायालय को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप काम करते हुए कानून के शब्दों पर ही ध्यान देना था। संविधानिक आलोचकों ने यह अनुभव किया है कि विशेष रूप से १६६७-७१ के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की विहित प्रक्रिया का पालन करने की प्रवृत्ति हट्टिगत हुई है।]

एम० मोहन कुमारमगलम की पुस्तक 'जूडिशल अपोइंटमेंट्सः एन एनालिसिंग ऑफ द रीसेन्ट कंट्रॉवर्सी ऑवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच० पिलिंग कम्पनी, नई दिल्ली, १६७३ पृ० १५-३५) के प्रस्तुत अंश न केवल कुछ हाल के मुद्दों का विश्लेषण ही करते हैं बल्कि भारतीय न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रामाणिक भालो-धना भी प्रस्तुत करते हैं।
सम्पादक]

निम्नलिखित विषयों द्वारा वर्णित विवेकममति के सम्बन्ध में संसद् व न्यायपालिका के सम्बन्ध अधिक मित्रता-पूर्ण नहीं रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि ये सम्बन्ध स्थाई एवं सद्भावयुक्त हों, व इनका आपार-

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन

२८५

पारस्परिक सम्मान तथा दोनों महत्वपूर्ण धर्मों के प्रति समझ ही बयोकि ये दोनों ही भारतीय सविधान को क्रियाशील बनाते हैं। अतः यह जांच करना आवश्यक है कि पिछले छ वर्षों के दौरान न्यायालय में क्या हुआ था और न्यायालय में अनिवार्यतः ऐसा कौन सा नेटट्व हो जो सविधान के इन दोनों महत्वपूर्ण धर्मों में समधुर सम्बन्ध स्थापित कर सके। मात्र यही जांच वह सही पृष्ठभूमि प्रदान करेगी जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद से सम्बन्धित महीलिए यह आवश्यक है।

यह प्रासादिक है कि पिछले छ वर्षों के अनुभव को, जो कि दुर्गायवण न्यायालिका व ससद के प्रति वास्तविक सर्वांग धर्मवा कानून की अनिवार्यता व आनियों का काल रहा है, सही तौर पर समझा जाए और उससे सही निकल प्राप्ति निकाले जाए। ऐसा इसलिए ही नेहीं बयोकि उच्चतम न्यायालय ने मात्र सरकारी पथ का विरोध ही किया या ससद का विरोध किया बल्कि इसलिए भी कि इसके भवितरीक न्यायालय ने कानून, विषेषतः सर्वधारिक कानून की सम्पूर्ण धर्मस्थानों के प्रति आनियाँ उत्पन्न कर दी। ऐसा उन्होंने अपने पूर्व निरायों को अनवरत रूप से बदल कर किया।

उच्चतम न्यायालय में यह दुर्भायित्वपूर्ण प्रवृत्ति बस्तुत गोलकनाथ के मामले^१ से प्रारम्भ होती है। उस मामले में निहित प्रणय यह था कि क्या ससद को सविधान के भाग III में संशोधन का अधिकार है (इस मामले में यूल अधिकार निहित है) ससद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को इससे पूर्व दो अवसरों पर और चुनावी दी जा चुकी थी, १९५२ में पहली बार शकरी प्रसाद के मामले^२ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. हरिलाल कानिया की अध्यक्षता में गठित बैच, जिसमें अनेक गण्यमान्य न्यायाधीश थे (उनमें से तीन बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने) ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि ससद मूल अधिकारों सहित सविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है वर्गतः इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

तदुपरान्त १९६५ में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख पुन उपस्थित हुआ। संज्ञनसिंह के मामले^३ में भारत के लब्ध-प्रतिष्ठित तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. थी० ची० गजेन्द्र गढ़वें की अध्यक्षता में गठित बैच ने ३-२ के बहुमत से शकरी प्रसाद के मामले में दिये गए निराय का पुनः समर्थन किया।

संसद की सविधान में निराय इस आधार पर दिया गया कि संसद की सविधान में संशोधन से सम्बन्धित शक्ति सविधान की धारा ३६८ में निहित है। इस धारा का उस समय का स्वरूप इस प्रकार है:

सविधान में संशोधन की प्रक्रिया—३६८: इस सविधान में संशोधन केवल ससद के किसी भी सदन में तत्सम्बन्धी विधेयक लानकर ही किया जा सकता है। जब प्रस्तुत विधेयक प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित हो जाए और सदन में उपस्थित व

* १९६७ (२) एस०सी०बार० ७६२
* १९६२ एस०सी०बार० ८६२

मतदान करने वालों की संख्या का २/३ बहुमत उसे प्राप्त हो जाए तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और विधेयक को इस प्रकार की स्वीकृति मिल जाने पर उसकी व्यवस्थाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन हो जाएगा :

वशतें यदि यह संशोधन निम्नलिखित में परिवर्तन करना चाहे—

(अ) धारा ५४, धारा ५५, धारा ७३, धारा १६२, अथवा धारा २४१ या

(ब) भाग V का अध्यक्ष iv, भाग VI का अध्याय v अथवा भाग XI का अध्याय i, या

(स) सातवें अनुच्छेद में निहित सूचियों में से किसी भी एक या'

(द) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, या

(य) इस धारा की व्यवस्थाएँ ।

उक्त स्थितियों में इस विधेयक को कुल विधान सभाओं में से कम सेकम आधी विधान-सभाओं का समर्थन प्राप्त करना होगा और अनिवार्यतः एक प्रस्ताव द्वारा इन विधान सभाओं को यह विधेयक पारित करना होगा । राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व यह कायंवाही आवश्यक होगी ।" (स्वतन्त्र अनुवाद) *

इस धारा की सहज भाषा प्रकटता, संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाती सिवाय इसके कि संसद को संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा । संसद में एक साधारण विधेयक कानून बन जाता है यदि उसे संसद में उपस्थित सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं : प्रथम, संसद सदस्यों का बहुमत संदर्भ में उपस्थित हो और मतदान करें, और द्वितीय, इन सदस्यों का २/३ भाग अनिवार्यतः संवैधानिक संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें । यदि प्रक्रिया सम्बन्धी इन दोनों शर्तों का पालन किया जाए तो धारा ३६८ की व्यवस्थाएँ यह सकेत देंगी कि संविधान का प्रत्येक भाग संशोधन के अधीन है ।

न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह—दोनों मामलों में^१ इस हिट्कोण को स्वीकार किया और संसद द्वारा जिन अनेक संशोधनों को महस्त्वपूर्ण व आवश्यक माना गया था और जो १९५१ से १९६७ की अवधि के दौरान अंगीकृत किए गए थे, उन संशोधन-कारी भागों में कुछ भूल अधिकारों से भी सम्बन्धित थे ।

परन्तु गोलक नाय के मामले में^२ न्यायालय ने इस मत को अस्वीकार कर दिया । इसने संविधान की धारा १३ को प्रामाणिक माना जो इस प्रकार है :

१३ (१) : वे समस्त कानून, जो इस संविधान के प्रमाणी होने से पूर्व भारतीय संविधान में उस सीमा तक कायंशील थे, अवैध होंगे जिस सीमा तक वे इस भाग की व्यवस्थाओं^३ के प्रतिकूल हों ।

* १९५५ (१) एम.सी.आर. ६३३

१ १९५५(१) एम. सी. आर. ६३३

२ १९६७(२) एम. सी. आर. ६३३

३ भाग III, संविधान का वह भाग जिसमें भूल अधिकार निहित है ।

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन

(२) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस माग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीने या उनमें कटौती करे और ऐसा कोई भी प्रस्तावित कानून, जो इस व्यवस्था के प्रतिकूल हो, अवैध होगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत तर्क यह था कि 'कानून' शब्द अपनी परिधि में संविधान न्यायालय द्वारा स्वीकृत तर्क यह था कि 'कानून' को भी सम्मिलित करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि संविधान में सशोधन करने वाला कानून भी धारा १३ के अन्तर्गत होगा और इसलिए उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। लेकिन मूल अधिकारों में सशोधन करने से सम्बन्धित या उन्हें आधार नहीं पढ़ूँचाता। अतः यह निष्कर्ष मान्य हो गया कि मूल अधिकारों में कोई भी कानून अपनी प्रवृत्ति से ही अस्तित्व प्राप्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता या उन्हें आधार नहीं पढ़ूँचाता। और धारा ३६८ के अन्तर्गत मूल अधिकार सशोधन शक्ति से परे हैं।

छ: न्यायाधीशों का यह हप्टिकोण था, जो कि कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है। आखिर कार माग III (संविधान में सम्बन्धित अध्याय) में परिवर्तन की व्यवस्था करने वाले किसी भी संविधानिक सशोधन को अनिवार्यत मूल अधिकारों का विरोधी होना चाहिए। इस प्रकार गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निरांय ने मदा के लिए मूल अधिकारों को संशोधन शक्ति से परे कर दिया। उन्होंने वस्तुत मूल अधिकारों को निश्चेष्ट कर दिया और संविधान निरांयों के उत्तराधिकारियों को इस अवमर में विचार कर दिया कि वे यदि अनुमत के आधार पर संविधान में सशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि गोलकनाथ के मामले में निरांय ६-५ के अनुपात से लिया गया। यह सायोगिक बहुमत पिछ्ने दो निरांयों को अस्वीकार करने के लिए निराम्त अपर्याप्त है।

न्यायालय में अगली कानूनी लड़ाई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रभन पर लड़ी गई।^१ कोई भी अवक्त जिसने मारतीय राजनीति को निकटता से समझा है, इस तथ्य से इन्हाँर नहीं कर सकता कि जुलाई १९६६ में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित मरमारी निरांय ने पिछ्ने २५ बर्पों के राजनीतिक-प्राधिक जीवन को एक नया आयाम दिया। जब यह निरांय लिया गया तो राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत धातिरूपि का प्रावधान करने से पूर्व न्यायालय के तात्कालिक निरांय पर आवान दिया गया था। न्यायालय का यह निरांय गुजरात राज्य बनाम शातिलाल मंगलदास^२ के मामले पर दिया गया था। न्यायालय का यह निरांय गुजरात विवादप्रस्त प्रश्नों की समझ के लिए यह आवश्यक है कि उम मामले में व्याख्यायित धारा ३१(२) के इतिहास की समीक्षा की जाए। धारा ३१(२) का संविधान में मौतिक स्थान इस प्रकार था:

^१ १९७०(३) एप सी आर. १३०
^२ १९६६(१) एप सी. आर. ३४१

नहीं थे। यदि यह वैभानिक स्थिति थी तो यह प्रत्यक्षतः प्रमाणित था कि सरकार द्वारा उनकी मान्यता वापिस लेने व प्रिवीपर्स का भुगतान रोकने से सम्बन्धित शक्ति भी सारल्प में राजनीतिक थी और किसी प्रकार न्यायालय में उसकी वैदिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

इसके बावजूद जब नरेशों ने मान्यता वापिस लेने के आदेश को चुनौती दी तब न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय में अन्तर स्थापित किया और सरकार के आदेश को अवैध घोषित कर दिया।

वास्तविक शिकायत यह नहीं है कि न्यायालय ने सरकारी आदेशों अथवा कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय द्वाग गोलकनाथ के मुकद्दमे से पूर्व व उसके पश्चात् अनेक रोमें निर्णय दिये गए। ऐने अधिकारों के प्रति न कोई शिकायत की गई और न इसका कोई आधार ही था। गोलकनाथ, बैंक राष्ट्रीयकरण एवं प्रिवीपर्स के मामले पर वास्तविक शिकायत उस समय मामले आई जब सरकार ने कार्यकारी आदेश के लिए व्यवस्थापन सम्बन्धी अथवा उसकी पारित करने की दिशा में न्यायालय के पूर्व निर्णयों की स्थित अवहेलना करते हुए आगे ही पिछले निर्णयों को ठुकरा दिया।

गोलकनाथ के मामले में इसने गंकरीप्रभाद व सज्जनसिंह दोनों के मामले में अपनी पूर्वधारणा की अवहेलना की।

बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इसने शातिलाल मंगलदास के मामले की उपेक्षा की।

नरेशों के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित मामले पर इसने उसमान ग्रली के मुकद्दमे की अवहेलना की।

ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ने ही विधि की अनिश्चित अवस्था को जन्म दिया है और इससे अधिक हानिप्रद एवं अनिश्चित और कुछ नहीं हो सकता कि देश का कानून ही अनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त इन तीनों ही निर्णयों पर सरकार की समाजवादी नीतियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यवस्थापन बाजी पर लग गए थे। गोलकनाथ के मामले में कृपि से सम्बन्धित सुधारों के कानूनों की वैदिकता सदिग्द ही। बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करने से सम्बन्धित था ताकि देश के चन्द लोगों का उस पर से नियन्त्रण हटे और वह सरकारी नियन्त्रण व नेतृत्व में आए। नरेशों को अमान्य घोषित करना प्राचीन मान्यतावादी एवं सामंती व्यवस्था के पुरावशेषों पर अन्तिम प्रहार था। यह समानता एवं समाजवाद के पद्धति में एक महान् कदम था।

इस प्रकार कानून के विषय में व्याप्त अनिश्चितता और देश के सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में व्यवधानों से मुक्ति की आवश्यकता स्वरूप संविधान के २४ वें एवं २५ वें संशोधनों को स्वीकार किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से दो लक्षणों की प्राप्ति की इच्छा की गई थी।

(१) यह व्यवस्था करना कि संसद की संशोधन शक्ति इतनी अधिक व्यापक है कि उससे संविधान की प्रत्येक धारा व भाग में संशोधन करना संभव हो सके।

(२) न्यायालय में कानूनी लड्डाई के बिना ऐसी व्यापक योजनाओं को नियान्वित किया जाए जिसके आधार पर भारतीय समाज में समाजवादी परिवर्तन जन्म पा सके।

प्रतः ये दोनों संशोधन निम्नलिखित क्षेत्रों में व्याप्त थे :

धारा ३६८, जिसमें संशोधन शक्ति निहित है, उसमें और अधिक संशोधन किया गया ताकि इस शक्ति से विना किसी शंका के संविधान के प्रत्येक भाग व उसकी धारा को संशोधित किया जा सके। संशोधन को गई धारा का स्वरूप है :

संविधान में संशोधन की संसदीय शक्ति व उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया—३६८ (१) इस संविधान की व्यवस्थाओं के वावजूद संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए बूढ़ी द्वारा, परिवर्तन द्वारा अथवा संविधान के किसी प्रावधान को रद्द कर संशोधन कर सकती है। ऐसा इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।

(१) इस संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है और जब विधेयक प्रत्येक सदन में वहाँ की कुल सदस्यता के बहुमत से पारित हो जाए और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में से २/३ संदस्यों के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायगा और विधेयक को मिली स्वीकृति के उपरांत संविधान विधेयक की व्यवस्थाओं के अनुरूप पारित माना जाएगा :

बशर्ते यह संशोधन यदि निम्नलिखित में प्रतिवर्तन करना चाहे—

(अ) धारा ५४, धारा ५५, धारा ७३, धारा १६२ अथवा धारा २४१ या

(ब) भाग V का अध्याय iv, भाग vi का अध्याय V अथवा भाग XI का अध्याय i, या

(स) सातवें अनुच्छेद को गोई भी सूची, या

(द) संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व या

(इ) इस धारा की व्यवस्थाएँ,

(२) प्रस्तावित संशोधन के लिए राज्यों के आधे विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होगी। इन विधानमण्डलों को विधेयक निर्माण प्रक्रिया से पूर्व इस आशय के प्रस्ताव पारित करने होंगे और तदुपरांत विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत किए गए किसी भी संशोधन के प्रति धारा १३ का गोई भी भाग क्रियान्वित नहीं होगा।

सबसे पहले शीर्षक (marginal note) के संशोधन पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि पूर्ववर्ती नोट मात्र 'संविधान के संशोधन की प्रक्रिया' या और गोलकनाय के मामले में बहुमत ने केवल यह स्वीकार किया था कि यह प्रक्रिया ही निर्धारित करता है, शक्ति नहीं प्रदान करता।

द्वितीय, धारा ३६८ में एक नई उप-धारा जोड़ी गई थी जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि धारा ३६८ (१) के अन्तर्गत किये गए किसी भी संवैधानिक संशोधन पर धारा १३ के अधिकारों की अधीनता स्वीकार करनी होगी।

इसलिए उसे भी मूल अधिकारों की अधीनता स्वीकार करनी होगी।

२५ वें संशोधन के प्रथम भाग का सार यह था कि

'राशि' (amount) शब्द जोड़ दिया गया था। प्रतः संशोधन के उपरांत धारा ३१ (२) का नया स्वरूप इस प्रकार है :

सावेजनिक उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी सम्पत्ति को नहीं लिया जाएगा। साथ ही किसी ऐसे कानून की सत्ता के अतिरिक्त भी सम्पत्ति अधिग्रहण नहीं होगी जो अपने स्वरूप से या तो इस प्रकार की गई अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करती हो या उन सिद्धान्तों अथवा प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हो जिनके अन्तर्गत क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है और उसका मुगतान होता है। ऐसा कोई भी कानून न्यायालय में इस आधार पर विवादयोग्य नहीं माना जाएगा कि उसमें प्रत्यावित क्षतिपूर्ति अपर्याप्त है अथवा ऐसी राशि का सम्पूर्ण भाग या कुछ भाग नकद के अतिरिक्त किसी और प्रकार से प्रदान किया गया है :

किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित किसी गैंग्सिंग सम्पत्ति की सम्पत्ति जो धारा ३० (१) में उल्लिखित है, का अनिवार्य अधिग्रहण अपवाद है। इस संदर्भ में राज्य को यह देखना होगा कि इस कानून [३१ (२)] के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के फलस्वरूप निर्धारित अथवा निश्चित की गई राशि उस धारा [३० (१)] में दिये गए अधिकार को सीमित अथवा समाप्त नहीं करेगी।

लक्ष्य स्पष्ट था। उसका पहला उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की इस व्याख्या से बचना था कि क्षतिपूर्ति का अर्थ राज्य द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्ति की चानू बाजार दर पर निश्चित क्षतिपूर्ति से है। इसका (दूसरा उद्देश्य 'राशि' संशोधित धारा का आधारभूत शब्द) की उप-मुक्तता से सम्बन्धित निर्णय सम्पूर्ण रूप से राज्य पर छोड़ दिया जाए और यह मामला न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हो।

धारा ३१ (C) एक नई धारा थी जो इस प्रकार है :

धारा १३ में निहित व्यवस्थाओं के बावजूद कोई भी कानून जो धारा ३६ की उप-धाराओं (ब) व (स) में निहित सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य की नीति को प्रभावी बनाता हो, इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जाएगा कि वह धारा १४, १६ व ३१ में दिए गए अधिकारों से वचित करता है या उन्हें सीमित करता है, और किसी भी कानून को, जिसमें यह घोषणा हो कि वह राज्य की उक्त नीतियों को प्रभावी बनाता है, इस आधार पर न्यायालय में चुनीतों नहीं दी जाएगी कि वह इस नीति को प्रभावी नहीं बनाता :

बास्तें जहाँ ऐसा कानून किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किया जाए वहाँ वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित न रखा गया हो और उसे उनकी स्वीकृति न मिल गई हो। (१९७२ की रिट मार्किका संघर्ष १३%, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में २४-४-७३ को दिये गए निर्णय में न्यायालय ने बहुमत से रेखांकित स्पल को अवैध घोषित कर दिया।

इस धारा के अन्तर्गत हमारे संविधान के इतिहास में प्रथम बार मूल अधिकारों की तुलना में निवेशक सिद्धान्तों को प्रायमिकता दी गई।

धारा ३६ (बी) व (सी) इस प्रकार है :

राज्य विशेष स्थप से निम्नलिखित के संदर्भ में अपनी नीति निर्धारित करेगा :

".....

(बी) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियन्त्रण इस आधार पर वितरित हो कि उससे सामान्य हित का विकास हो सके,

(सी) आधिक व्यवस्था का संचालन इस फल में परिणत हो जिसके अन्तर्गत सामान्य अहित के मूल्य पर धन का व उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो।

मैं दोनों धाराएँ सरकार को यह निर्देश देती है कि वह भारतीय समाज के समाज-वादी परिवर्तन की दिशा में प्रयास करे। नई धारा ३१ (सी) को जोड़ते समय संसद वस्तुतः यह घोषणा कर रही थी कि धारा ३६ (बी) व (सी) से प्राप्त आदेश को क्रियान्वित करने के मार्ग में व्यक्तियों के अधिकारों को (जोकि आवश्यक स्थप से मूल अधिकार हैं) व्यवधान नहीं उपस्थित करने दिया जाएगा।

संविधान के ये दोनों संशोधन (२४ वाँ व २५ वाँ) पिछले वर्ष के अन्त में सर्वोच्च न्यायालय में बहस के लिए प्रस्तुत हुए। ६६ कार्य-दिवसों की सुनवाई के उपरान्त, जोकि न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक लम्बी है, २४ अप्रैल १९७३ को मुख्य न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने से दो दिन पूर्व, न्यायालय ने अपना निर्णय घोषित कर दिया।*

इस भास्मले पर दिये गए सभी घाराह निर्णय एक बार फिर अस्पष्टता व भ्रान्तियों का मिश्रण थे।

न्यायमूर्ति रे के नेतृत्व में छः न्यायाधीशों ने यह स्पष्टतः अभिव्यक्त किया है कि :

(१) गोलकनाथ के भास्मले में गलत निर्णय दिया गया था और इसलिए उसकी अवहेलना की गई।

(२) संविधान में संशोधन से सम्बन्धित संसदीय शक्ति असीमित है और इसलिए २४ वाँ व २५ वाँ संशोधन दोनों पूर्णरूप से वैध हैं क्योंकि धारा ३६द में निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया गया था।

(३) धारा ३१ (सी), जिसके द्वारा संसद ने न्यायिक पुनर्विलोकन को यह देखने से रोक दिया था कि कोई अधिनियम विशेष धाराओं ३६ (बी) व (सी) को क्रियान्वित करता है अथवा नहीं, वैध है। अतः इस धारा से न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में हुई कभी भी वैध है।

परन्तु जहाँ तक अन्य निर्णयों का सम्बन्ध है, वहाँ उनमें किसी सुसंगति अथवा स्पष्टता का पता लगाना कठिन है, उनमें किसी सामान्य सूत्र का अभाव है। चार न्यायाधीश पहले छः न्यायाधीशों से इस बात पर तो सहमत थे कि गोलकनाथ के भास्मले में गतत निर्णय दिया गया था लेकिन सभी सातों न्यायाधीशों ने प्रकटतः यह भत व्यक्त किया है कि धारा ३६d के अन्तर्गत प्राप्त संशोधन शक्ति - जिसमें २४ वें संवैधानिक संशोधन से संशोधन हुआ, इतनी व्यापक नहीं है कि वह अपने परिवेश में ऐसे संशोधन को ग्रहण कर

* १९७२ की रिट पाचिका न. १३५ घर्माधिराज केशवानन्द भारती धनाम केल राज्य २४-४-१९७३ को निर्णित।

सके जो संविधान की आधारभूत संरचना एवं उसके ढाँचे को समाप्त कर दे। परन्तु इस सामान्य धारणा के बावजूद, इन पाँचों पृथक् निर्णयों को पढ़ने से यह जात नहीं होता कि इन न्यायाधीशों की ट्रिप्टि से संविधान की आधारभूत संरचना व ढाँचा क्या है जोकि संशोधन शक्ति की परिधि से बाहर है तथा वह कौनसी धाराएँ हैं जो संशोधित नहीं की जा सकतीं।

न्यायाधीश खन्ना स्पष्ट हैं कि मूल अधिकार तथा सम्पत्ति संबंधी अधिकार इस “आधारभूत संरचना तथा ढाँचे” का भाग नहीं हैं। यदि इनके मत को न्यायाधीश रे सहित छः न्यायाधीशों के मत से जोड़ दिया जाए तो यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि संसद को संविधान के भाग में संशोधन का अधिकार है। इस आधार पर गोलकनाथ का मामला दफ़ना दिया गया।

परन्तु न्यायाधीशों हेगड़े व मुखर्जी का कहना है कि मूल अधिकारों में “संशोधन” तो हो सकता है लेकिन उन्हे “रद्द” नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनके लम्बे निर्णयों से यह आभास नहीं होता कि “संशोधन” व “रद्द” करने के बीच सीमा-रेखा कहाँ खींची जाए।

संशोधन के प्रश्न पर इन दोनों न्यायाधीशों का निष्कर्ष इस प्रकार है :

हम आश्वस्त हो चुके हैं कि संसद को संविधान के आधारभूत सत्त्वों व विशेषताओं, जैसे भारत की सम्प्रभुता, हमारी राज व्यवस्था का लोकतात्त्विक स्वरूप, देश की एकता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताओं को समाप्त करने अथवा उन्हें निप्रभावी करने की शक्ति नहीं है। साथ ही संसद को लोक-कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज की रचना से सम्बन्धित आदेश को तोड़ने की भी शक्ति नहीं है।

इस अस्पष्ट कथन की ओर अधिक अस्पष्टता प्रदान करते हुए इन न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि :

ये सीमाएँ निर्दर्शी (illustrative) हैं न कि सर्वांगीण (exhaustive) इस प्रकार ये न्यायाधीश जब भी चाहें अपनी इच्छानुसार संविधान के किसी भी भाग को उसकी आधारभूत संरचना व ढाँचा मान सकते हैं।

तदुपरांत इन विद्वान न्यायाधीशों का यह निष्कर्ष है कि : “लेकिन इन सीमाओं के बावजूद यह प्रश्न नहीं उपस्थित हो सकता कि संशोधन शक्ति एक व्यापक शक्ति है और वह संविधान के प्रत्येक भाग व उसकी धारा में व्याप्त है।

मेरे विचार से यह न्यायपूर्वक कहा जा सकता है कि न्यायाधीशों हेगड़े व मुखर्जी द्वारा अपनाई गई ट्रिप्टि वास्तव में गोलकनाथ के मुकद्दमे के अनुहृष्प बने कानून से भी बदतर है। कम से कम गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय तो दिया कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान का प्रत्येक भाग संशोधित किया जा सकता है और निर्णय की स्पष्टता के कारण उसकी विसंगतियों से निवटने के लिए २४ वें संशोधन का आधार लिया जा सका।

परन्तु इस ट्रिप्टि ने एक नए विचार को जन्म दिया है—आधारभूत तत्त्व व मूल विशेषताएँ, जिनमें प्रतीतः मूल अधिकार सम्मिलित हैं, कालान्तर में वह कोई भी व्यक्तिया

समिति कर सकते हैं जो न्यायाधीश उपयुक्त समझें। ये ग्राधारभूत तत्त्व भी संशोधन के आधीन हैं जब तक कि उन्हें “रद” अथवा “निष्प्रभावी” नहीं किया जाता।

न्यायाधीशों शेलेट व ग्रोवर ज० ज० का भी कोई विशेष पृथक् भत नहीं है। उन्होंने संविधानिक संरचना के मूल तत्त्वों का सूची निर्माण इस चेतावनी के साथ किया है कि “इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, इनका मात्र उदाहरण ही दिया जा सकता है।”

इसके उपरान्त उन्होंने निम्नलिखित सूची दी है :

१. संविधान की सर्वोच्चता ।
२. गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप की सरकार तथा देश की सम्प्रभुता ।
३. संविधान का धर्मनिरपेक्ष व संघीय स्वरूप ।
४. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति का निर्धारण ।
५. माग III से प्राप्त मूल अधिकारों व स्वतन्त्रताओं से प्राप्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा व माग IV में निहित लोक-व्यापारिकारी राज्य के निर्माण का आदेश ।
६. राष्ट्र की एकता व अखण्डता ।

यहाँ भी एक अस्पष्ट स्थिति से साक्षात्कार होता है जो कि इन न्यायाधीशों की इस चेतावनी से और अधिक अस्पष्ट हो गई है कि ये छः सूचीय सूची मात्र निर्दर्शी हैं न कि सर्वोच्ची ।

इसके उपरान्त हेड़े व मुखर्जी की ही भाँति न्यायाधीशों का अन्तिम कथन यह है कि “धारा ३६८ में निहित शक्ति इतनी व्यापक है कि वह संविधान की प्रत्येक धारा में संशोधन करने की तय तक अनुमति देती है जब तक कि इसके मूल तत्त्वों को रद नहीं किया जाता अथवा उन्हें उनके अस्तित्व से निरावृत नहीं किया जाता”.....इसका अर्थ चाहे कुछ भी हो ।

मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने भी उस मूल संरचना की सूची तैयार की है जोकि संशोधन शक्ति की परिधि से बाहर है। यह सूची इस प्रकार है :

१. संविधान की सर्वोच्चता ।
२. सरकार का गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक स्वरूप ।
३. संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ।
४. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण ।
५. संविधान का संघीय स्वरूप ।

न्यायाधीश जगन्नाथ रेही ने तो इसे और अधिक सामान्य अर्थ प्रदान किया है। उनके अनुसार :

धारा ३६८ के अन्तर्गत संशोधन की शक्ति व्यापक है लेकिन यह इतनी व्यापक नहीं है कि यह पूर्ण रूप से किसी भी मूल अधिकार को रद कर सके अथवा उसे निष्प्रभावी कर सके या उसे नष्ट कर सके अथवा संविधान की मूल संरचना तथा उसके अस्तित्व को नष्ट कर सके ।

तदुपरात थोड़ी राहत देते हुए न्यायाधीश का यह कथन है कि :

इन सीमाओं के अन्तर्गत संसद् प्रत्येक धारा में संशोधन कर सकती है ।

इन छ न्यायाधीशों द्वारा दिये गए निर्णयों से कोई सुस्पष्ट व ग्राह्य नियम निर्धारित कर पाना स्पष्टतः असम्भव है। इन निर्णयों से विश्वरानीय रूप से यह नहीं निश्चित किया जा सकता कि संशोधन की शक्ति कितनी व्यापक है, इसकी सीमाओं का विस्तार क्या है और कब हम नियिद्ध-सेन्ट्र में प्रविष्ट हो जाते हैं यानि कब संविधान की मूल संरचना को रद्द किया जाने लगता है, उसे निप्प्रभावी बनाया जाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि यदि उन छ: न्यायाधीशों का हिट्कोण न्यायालय में प्रमुख्यात्मक हो जाता तो संविधान में ससद् द्वारा संशोधन करने की शक्ति के सम्बन्ध में पूर्ण अनिश्चितता व्याप्त हो जाती है। यह भनिश्चितता गोलकनाथ के मामले में व्याप्त अनिश्चितता से भी अधिक होती। यदि इन छ: न्यायाधीशों का मत न्यायालय का अधिकृत मत बन जाता तो राज्य के कानून के सम्बन्ध में न केवल अनिश्चितता विद्यमान ही होती बल्कि उसमें वृद्धि भी होती।

जहाँ तक न्यायालय के भविष्य का प्रश्न है यह विषय भ्रष्टाचार का था। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व की पूर्ण आवश्यकता के रूप में राज्य के कानून में स्थिरता व निश्चितता होनी ही चाहिए। यह निश्चितता केवल तभी उपस्थित हो सकती है जब कोई न्यायपालिका अपने द्वारा लिये गए निर्णयों के प्रति निश्चित होती है, अनिश्चितता व भ्राति के पक्ष को यथासम्भव कम करती है और समयांतर से अपनी आधारभूत मान्यताओं में अधिक परिवर्तन नहीं करती।

न्यायालय के हाल के निर्णय से यह स्पष्ट है कि गोलकनाथ के मामले में दिया गया निर्णय सुस्पष्टतः गलत था। इस मामले में निर्णय देने वाले १३ न्यायाधीशों में से १० ने यह मत अभिव्यक्त किया है जो लगभग सर्वसंम्भव मत ही है। लेकिन उस निर्णय के सम्बन्ध में की गई संविधान की व्याख्या से उत्पन्न अनिश्चितता ने देश को कितनी हानि पहुँचाई है। अब जबकि न्यायालय ने उस निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया है, उसका यह प्रमुख दायित्व व कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उस गलत निर्णय से पूर्व अनित्य व्याप्त मत की स्थिरता को पुनः प्राप्त किया जाए।

Further Readings

1. *Joshi, G. N.* : Aspects of Indian constitutional Law, Bombay, University of Bombay 1965, chs. V & VI, pp. 173-232.
2. *Seervai, H. M.* : P. T. O. for full reference.
3. *Subba Rao, K.* : Conflicts in Indian Polity, Delhi, S. Chand & Co. 1970, pp. 92-118.

भारत में योजना आयोग : पुनर्गठन का प्रश्न

भारत में योजना आयोग की संरचना, भूमिका व स्थिति प्रत्यधिक विवाद का विषय रही है। इसे एक संविधानेतर संस्था बताया गया है जो व्यवहार में केविनेट से भी अधिक प्रभुत्वशाली है। इस स्थिति ने भारत की संघीय राजव्यवस्था में केन्द्र-वादी शक्तियों को और अधिक सुट्ट किया है। यह भी कहा गया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक सलाहकारी परिषद् का काम न कर अपनी वर्तमान सरचना के कारण यह एक राजनीतिक परिषद् के रूप में अधिक काम करती है।

ग्राविन्द के० शर्मा० ने आपने लेख '(दि प्लानिंग कमीशन इन इंडिया : ए केस फॉर रीऑर्गनाइजेशन)' में इस बात पर, बत दिया है कि योजना आयोग तकनीकी विशेषज्ञों की एक सलाहकारी परिषद् मान्न के रूप में कार्य करे। वह इस मत से सहमत नहीं है कि यदि प्रधानमन्त्री व अन्य केन्द्रीय मंत्री विशेषतः वित्तमन्त्री इससे सम्बद्ध न हों तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। साथ ही वह इस मत के भी समर्थक नहीं है कि विशेषज्ञ की अन्तिम स्थिति में योजना के एक राजनीतिक प्रक्रिया होने के कारण योजना आयोग से भवियों का मम्बन्व सैद्धांतिक रूप से तकंसंगत व व्यवहार में वांछनीय है।

सम्पादक

'योजना व्यवस्था' पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में प्रशासकीय मुधार आयोग^१ ने यह प्रस्तावित किया कि योजना आयोग को एक पूर्णतः तकनीकी परिषद् बनाया जाए और मन्त्री-सदस्यों को उससे अलग रखा जाए। उसका यह भी प्रस्ताव था कि प्रधानमन्त्री को भी, उससे दूर रखा जाए जोकि प्रारंभ से ही इसका अध्यक्ष रहा है।^२ सरकार ने पूर्णतः

^१ ए. आर. सी. की भारत सरकार द्वारा जनवरी १९६६ में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य केन्द्र, राज्य व वित्त स्तरों पर प्रशासन की विविध समस्याओं का सामना करना था और उनके मम्बन्व में विचारिये प्रस्तुत करना था। इसके बायं को एक विषय योजना व्यवस्था भी थी।

^२ 'योजना व्यवस्था' पर ए. आर. सी. की अन्तरिम रिपोर्ट, एवन्डेंड ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली, लेट, १९६७ पृ० ८०-१४ (जब से इसका उल्लेख ए. आर. सी. रिपोर्ट के रूप में होगा)।

से इसकी सिफारिशों को नहीं माना है और उसने यह उपयुक्त समझा है कि पूर्व व्यवस्था को ही छलते रहने दिया जाए जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और वित्त-मंत्री उसका एक सदस्य ।^३

अन्तरिम सरकार द्वारा दिसम्बर १९४६ में नियुक्त सलाहकारी योजना बोर्ड के अनुसार मौलिक रूप से योजना आयोग को एक समग्र गैर-राजनीतिक सलाहकारी परिषद् होना चाहिए ।^४ स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद प्रस्तुत दूरगामी राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में इस सिफारिश को क्रियान्वित किया जा सकता था । लेकिन ये प्रयास विलङ्घु व्यर्थ नहीं हुए क्योंकि योजना आयोग की स्थापना करते समय भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव तत्संबंधी बोर्ड की सिफारिशों से प्रेरित हुआ था ।

प्रारम्भ में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोग के ५ स्थाई गैर-मंत्री सदस्य थे । लेकिन १९५६ तक एक प्रबल मंत्रीय तत्व आयोग में स्थान पा चुका था । ऐसा उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री व मंत्री-सदस्यों ने गैर-मंत्री सदस्यों की उपस्थिति को प्रति-संतुलित किया । इस स्थिति ने योजना आयोग के सलाहकारी स्वरूप से समझौता कर लिया । बस्तुतः इस स्थिति ने एक विवाद को जन्म दिया जो आज तक अनिर्ण्यत है ।

यह दिपोर्ट मुद्दतः योजना आयोग के पुनर्गठन से संबंधित थी । अतिम पूर्ण दिपोर्ट, जो कि मार्च १९६८ में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी में पुनर्गठन के विषय के अतिरिक्त भी वर्चा की गई थी ।

३ यह स्थिति ए. आर. सी. की सिफारिशों से पूर्व की रिपोर्ट से मिल है । उस समय पांच स्थाई गैर-मंत्री दिव्योङ्गों के विपरीत आयोग में ७ मंत्री सदस्य थे (प्रधानमंत्री सहित, जोकि आयोग का अध्यक्ष था) ।

४ यह नेहरू ने, अन्तरिम सरकार के उपायकारी के रूप में सलाहकारी योजना बोर्ड की नियुक्ति इस दृष्टिपक्ष से की थी ताकि योजना के खेत्र में उस समय तक किये गए कामों की समीक्षा की जा सके और योजना के सम्बन्ध में प्रायमिकताओं व सदृशों को प्रस्तावित किया जा सके । माय ही उसके बिंदु उपयुक्त व्यवस्था का भी प्रावधान था ।

५ नै० १ दी (मी) ५०, यांचे १५ १६५०

६ आयोग के विवास से गम्भीरित संडिल ऐतिहासिक सर्वेक्षण की इटिंग से एच० के पुराकारों, दि प्लानिंग कमीशन—ए. इस्टिंशिंट एकाउट, इहियन इंस्टीट्यूट बॉर्ड परिषक एवं मिस्ट्रीजन, नई दिल्ली, ५० स० ११२, उल्लिखित ।

७ इन प्रक्रिया में सम्बन्धित एहत दिन प्रकार हुई और उसने अंते निरंतरता पाई, इस इटिंग से आगे चंदा की 'फोरेंटिडम इन इटिंग ए. स्टडी बॉर्ड प्रूनियन-स्टेट रिसेजन्स' एवेन एच अन्तिम तिंम भद्र, १६३५, पू० स० २६३-२७० इटिंग ।

८ इन धारणा को बनेक स्वर्णों से समर्पन प्राप्त होता है । देखें: (१) आरनन गविरि : "यद एक गाम्भीर भावना प्रतीत होती है कि योजना आयोग मात्र एक समाहारी परिषद् ही नहीं थी । यह बहुत एक अतिरिक्त सत्ता थी और यद्यपि भारत सरकार की साधारण व्यवस्था का आग नहीं थी तिर भी वह प्रायिक वार्षिकम हे गम्भीर में तिरंगे नहीं थी और उत्तर तिरंगे गारी के द्वारा सामूहिक जाने होते थे ।" योजना आयोग पर ड्विन लोहगढ़ा और आरनन गविरि वी २१ वी रिपोर्ट, १६३० ई०, पू० ४ प्रस्तुत धारणा की उदाहरण द्वारा निवारित किया गया है (देखें पृ० ४-५) गविरि ने आगे इन धारणा की आयोग में संविधानों के इवान के प्रति गूर्वपूर्ण आरति के रूप में गम्भीर

योजना आयोग की मंत्रीय मद्दत्यता से जो जटिलता उत्पन्न होती है वह यह कि आयोग के निर्णय राजनीतिक हॉटिट से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और तकनीकी-आर्थिक हॉटिट से उनकी उपेक्षा होती है। इसका समाधान यही है कि विशेषज्ञों की एक विशुद्ध तकनीकी परिपद को अंगीकृत किया जाए (जिसे कि अब से विशुद्ध तकनीकी परिपद के मॉडल की सज्जा दी गई है) जैसाकि प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव था। विकल्प स्वरूप विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों के एक संयुक्त आयोग की कल्पना भी की जा सकती है (जिसे कि आगे से मिश्रित मॉडल कहा जाएगा)। इस प्रस्तावित मॉडल मे ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जो राजनीतिज्ञों के प्रमाण को सीमित करेंगे और विशेषज्ञों को उनका उचित स्थान प्रदान करेंगे। स्पष्टतः व्यवहार में प्रयुक्त संतुलन से सम्बन्धित अनुभूत जटिलता के कारण ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेषज्ञों की एक विशुद्ध तकनीकी परिपद का प्रस्ताव रखा था।

दिया है (देखें पृ० ७) १ (११) डॉ० दी० आर गाडगिल (योजना आयोग के भूतपूर्व उपायित) : “अमफलता का मूल कारण वह प्रतिया है जिसके अन्तर्गत योजना आयोग ने जो मूलतः एक सलाहकारी परिपद है, स्वयं को जन नीतियों के निर्धारण की वास्तविक प्रक्रिया से जोड़ लिया है”.... डॉ० आर० गाडगिल; प्लानिंग ए३ इकोनोमिक पॉलिसी इन इंडिया, एगिया पब्लिशिंग हाउस, १९६१, पृ० १०७ आगे ३० गाडगिल का यह कथन है कि—“योजना आयोग की गतिविधियाँ भौतालयों व केविनेट की गतिविधियों के सहज प्रतीत होती हैं।” (पृ० १०४) कूड़ान्यैस इन्वेस्टरों कमेटी की रिपोर्ट से ३० गाडगिल द्वारा उद्भूत एक उदाहरण द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। उस उदाहरण में योजना आयोग द्वारा १९५५ में एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय के भव्यतय में वदा की गई भूमिका से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह धारानों के राशन को समाप्ति से सम्बन्धित है (देखें पृ० १६५-२०६)। प्रकारान्तर मे डॉ० गाडगिल द्वारा इस प्रकार भी सिद्ध होता है : पह सर्वविदित है कि शामीण सहयोग की दिशा मे प्रगति इसी कारण अवरुद्ध रही क्योंकि योजना आयोग ने धारा व कृषि भौतालय के बैच क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। (पृ० १०८) (२) अशोक चंदा : प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता व केविनेट चंद्रियों के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण स्थान से लत यह आयोग सभी प्रकार के प्रश्नों पर निर्णय लेने लगा....”पूर्वोक्त, पृ० २७३ उन्होंने इसको स्पष्ट करते के लिए उदाहरण दिया है। इस मामले मे आयोग ने नीति सम्बन्धी प्रश्न पर राज्य सरकार के विशुद्ध अपनी वात स्थापित की (देखें पृ० २८४-२८५)। पृष्ठ २७२-२७३, २८१, २८३, २८५, व २८६ भी उल्लिखित हैं (४) श्री पी. पी. अग्रवाल, (योजना आयोग के एक मूल भूतपूर्व अफिल्मर) ‘दि प्लानिंग कमीशन’ इविन जनरल ऑफ प्रिलिक एडमिनिस्ट्रेशन अब्दूल-दिसम्बर, १६६०, पृ० ३३३। (५) ए. आर. सी. रिपोर्ट, पृ० ६ इस प्रकार यह आकलन समिति थी जिसने विवाद को जन्म दिया। ऐसा ए. आर. सी. की रिपोर्टरिश से हुआ और इससे पूर्व इस विषय पर एक लम्बे समय तक बहस हुई।

६ यह मिश्रित प्रतिमान की एक निहित दुर्बलता है और यह विवाद की जड़ भी है। इस तरके के सम्बन्ध में प्रत्युत है : (१) डॉ. डी. आर. गाडगिल “लेकिन यदि एक ही दशा मे प्रक्रिया के दोनों पथ (सलाह व निर्णय) हप में झुँगे हूए हो तो अपरिहार्य हप से किसी एक को उपेक्षा कीजनी होगी। अंततः वस्तुनिष्ठ हॉटिट को ही धारा क्षेत्रना पड़ता है।”

(२) अशोक चंदा : “जब राजनीति व योजना घर से युड़ जाते हैं तो अंततः योजना की अवहेलना होती है।” पूर्वोक्त, पृ० २७२, तथा (३) ए. आर. सी. रिपोर्ट, पूर्वोक्त पृ० १२-१३

(II)

प्रस्तुत लेख में योजना आयोग के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग के विशिष्ट सुझावों को चर्चा का आधार बनाया जा रहा है, वही दूसरी और एक सलाहकारी परिपद की संरचना एवं उसके कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के सामान्य संदर्भ में भी विचार करना अभिप्रेत है। तदुपरान्त मिथित मॉडल व विशुद्ध मॉडल के सापेक्ष गुणों पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा मानव विशेषज्ञों के आयोग की सिफारिश^{१०} करने का उद्देश्य यह है कि राजनीतिज्ञ योजना-निर्धारण प्रक्रिया में दूर रहें और योजनायों को उनका स्वामानिक तकनीकी आर्थिक आधार प्रदान किया जाए। उन कारणों की चर्चा करना आवश्यक है जिनके बशीभूत हो सरकार को आयोग का सुभाव अस्वीकार करता पड़ा और प्रधानमन्त्री व वित्तमन्त्री आयोग में यथावत बने रहे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारण दिये गए : (१) मंत्रियों के अभाव में विशेषज्ञों के पास सामाजिक-राजनीतिक यथार्थवाद की दृष्टि का अभाव रहेगा (२) प्रधानमन्त्री व महत्वपूर्ण केविनेट मंत्रियों के रहने से आयोग के निर्णयों को एक विशिष्ट प्रतिष्ठा व बल मिलेगा, (३) प्रधानमन्त्री एक और केन्द्रीय सरकार व आयोग के मध्य सम्बन्धों का काम देगा तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास परिपद के मध्य ।

प्रथम तर्क जोकि राजनीतिज्ञों की उपस्थिति को नीतियों के सामाजिक-राजनीतिक यथार्थवाद के तत्त्वों के समावेश के लिए आवश्यक मानता है और विशेषज्ञों को इस संदर्भ में अनुपयुक्त' बस्तुतः बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार में राजनीतिज्ञों व विशेषज्ञों का अन्तर कभी इतना सुस्पष्ट नहीं रहा। यह कल्पनातीत है कि विशेषज्ञ समाज से विलुप्त असम्पृक्त हैं तथा राजनीतिज्ञ तकनीकी विषयों में नितान्त भ्रमानी या विशेषज्ञ मानवीय संवेदनाओं से अद्यते हैं जबकि राजनीतिज्ञों के पास वैज्ञानिक सुस्पष्टता का अभाव है। अतः हमारी दृष्टि में नीतियों को सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ प्रदान करना न केवल राजनीतिज्ञों का काम है और न ही उनका एकाधिकार। ^{११} यह कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र में राजनीतिज्ञों की दृष्टि अक्सर वर्ग-विशेष तक ही केन्द्रित रह पाती है।

दूसरा तर्क कि प्रधानमन्त्री व वरिष्ठ केविनेट मंत्रियों की उपस्थिति आयोग को गरिमा प्रदान करती है, अब पुराना पड़ चुका है और इसे खीच तान कर प्रस्तुत किया गया है यद्योंकि अन्ततः सर्वोच्च नेताओं की उपस्थिति से इसकी प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि नहीं होगी।

^{१०} यद्यपि ए. आर. मी. ने आयोग से मन्त्रीय सदस्यता की पूर्ण गमाप्ति की मिफारिश की है जिस पर ए. आर. मी. के अध्ययन दल ने प्रधानमन्त्री की अव्यय के इस गे उपस्थिति पर निरन्तरता बनाए रखने का सुझाव प्रस्तुत किया है ('योजना अवधारणा' पर ए. आर. मी. के अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट दृष्टिव्य)। यद्यन्मेट और इन्डिया, प्रैम, नई दिल्ली, मार्च, १९६७ पृ. ८ १३-१४)

^{११} एक दूसरे सदर्भ में प्रोफेसर देनमन हमारी धारणा को समर्थन देते हुए प्रतीत होते हैं। प. एवं इनमन, दि. प्रोफेसर बोल प्रानिग-ए. स्टैंफोर्ड और इन्डियाज फाइल इयर लाइब्रेरी १९५०-५४ दौरान इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अकेयम सोसाइटी प्रैष, १९९१, पृ. ७३ उल्लिखित।

प्रतिष्ठा में अनुमानित संबद्धन इसके कार्यों व उनमें उत्तम परिणामों पर निर्भर करेगा। यदि आज आयोग की प्रतिष्ठा घटी हुई है तो इसका स्पष्ट यह कारण है कि इसके कार्यों व उत्तमिका का विवरण अधिक उत्साहप्रद नहीं है। यह संभव है कि व्यवधान के रूप में प्रधानमन्त्री की उपस्थिति ने प्रारम्भिक व्यवस्थाओं में लाभ पहुँचाया हो परन्तु ऐसी व्यवस्था की निरतरता सदिग्द है।^{१२} अत इस स्थिति में प्रतिष्ठा में संबद्धन की वजाय देखना यह है कि कहीं प्रधानमन्त्री की उपस्थिति ने आयोग गतिविधियों में अप्रासंगिक रूप से तो प्रसार नहीं किया है और कहीं इसका मूल उद्देश्य तो इस कारण उपेक्षित नहीं हुआ है।^{१३} इस संदर्भ में यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि कार्यों का इस प्रकार का परस्पर व्यापन व्यवस्थातिका के सम्बन्ध में कार्यवानिका के उत्तरदायित्व को तो नहीं घटाएगा? इसके अतिरिक्त स्थितियों के भावी स्वरूप के अन्तर्गत आयोग पर पक्षपात व भाई-भतीजावाद का आरोप लगाकर इसकी प्रतिष्ठा को तो धूमिल नहीं किया जाएगा? अब इस प्रश्न पर विवाद के लिए तो कोई स्वान ही नहीं है कि प्रधानमन्त्री व अन्य वरिष्ठ केविनेट मंत्रियों की उपस्थिति के कारण आयोग कार्यकारिणी सम्बन्धी विषयों में उनके पक्ष से प्रतिवद्ध हो जाता है और इससे योजना के क्रियान्वयन के मम्बन्ध में इसके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।^{१४}

योजना आयोग की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर रहेगी कि सत्तारूढ़ दल योजना को क्या महत्व प्रदान करता है। एक बार यह स्थिर हो जाने पर, हमारी दृष्टि में नीति निर्माण अवस्था में मंत्रियों की सतत धूमिका सतही हो जाती है।

मिश्रित मौदिल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में दिया जाने वाला तीसरा तकं कि प्रधानमन्त्री योजना आयोग व केन्द्रीय मरकार तथा राष्ट्रीय विकास परिपद के बीच एक आवश्यक सम्बन्ध नूत्र प्रदान करता है, वस्तुतः इस दिशा में उत्तम हानियों की उपेक्षा करता है। इससे थोड़तर अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस तकं में यह धारणा निहित है कि मंत्रियों के सम्बद्ध होने से मरकार के साथ आयोग का सम्बोधण मुगम हो जाता है जबकि तथ्य यह है कि "प्रतिनिधित्व प्राप्त" मंत्रियों ने अपने मत्रालयों के सुमधुर सम्बन्धों पर कुठाराघात किया है और यह इसी का परिणाम है कि उक्त मत्रालय अवसर यह अनुभव करते हैं कि उनकी स्थिति का दोपपूर्ण प्रतिनिधित्व होता है।^{१५}

एक विकल्प के रूप में इस बात पर बल दिया जा सकता है कि योजना आयोग के साथ मन्त्रियों के अनौपचारिक सम्बन्ध विकसित हो और उन्हें उनके मत्रालयों में सम्बन्धित मांगों पर विचार करते समय आयोग की थैठकों के लिए आमन्दित किया जाए।^{१६} केन्द्रीय

१२ आकलन आयोग जी रिपोर्ट से इन सम्बन्ध मिलता है, पूर्वों पृ० ८

१३ देखें डॉ. गाडगिल पूर्वोंक पृ० १०८

१४ ए. आर. सी. रिपोर्ट, पूर्वोंक, पृ० ८. ह-१०-१२

१५ इन्होंनिक एष्ट पोलीटिकल थीकली, समाजीय, बगड २, न० १८ मई ६, १९६७

प. ८, ८२३-८२४

१६ वही पृष्ठ सा ८२४

सरकार व आयोग के मध्य आवश्यक सम्पर्क स्थापित करने वाला एक दूसरा विकल्प भी सहज उपलब्ध है और वह यह कि ऐसे कार्यकारी दल का माध्यम विकसित किया जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के मतालय उसकी संघटक इकाई के रूप में हों। इसके द्वारा योजना निर्धारण की प्रारम्भिक आवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है।^{१७} जहाँ तक राष्ट्रीय विकास परियद से सम्पर्क-सूत्र का प्रश्न है, चतुर्थ आम चुनावों के बाद के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रतिमानों का अवलोकन करने पर यह सहज स्पष्ट हो जाता है कि गैर-कांग्रेसी सरकारें सम्भवतः ऐसी व्यवस्था स्वीकार न करें जो योजनाओं को राजनीतिक रंग प्रदान करती हों। यह स्थिति पुनः इस बात पर बल देती है कि योजना आयोग मात्र एक विशेषज्ञों की परियद ही हो।^{१८}

अतः सरकार द्वारा दिये गए तर्कों की निकट से की गई परीक्षा उनके अनीचित्य को सिद्ध करती है, ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये तर्क उसके हड़ विश्वास को प्रदर्शित नहीं करते। परन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग की उक्त सिफारिश को अस्वीकार कर सरकार उसी स्थल पर पुनः लौट आई है जहाँ से उसने अपनी यात्रा आरम्भ की थी। इसने जो बांधनीय था, उसकी अवहेलना कर दी है। यह इसी का परिणाम है कि वह पूर्व आलोचना आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती है कि योजना आयोग मात्र एक सलाहकारी परियद से कुछ अधिक है। केविनेट के सम्मुख जब योजना आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं तो प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री का समर्थन उन्हें मिलेगा ही। अतः उनकी स्वीकृति तो एक पुर्वानुमानित निष्कर्ष है। दूसरे शब्दों में, उनके (मंत्रियों के) स्थान पाने से आयोग में नीति-निर्माण की क्षमता का जो समावेश किया गया था वह समस्त क्षिप्रीत दावों के बावजूद स्वामाविकातः आयोग को नीति-निर्माण की भूमिका अदा करने को प्रेरित करेगा। अतः एक सलाहकारी योजना आयोग की प्राप्ति का मंतब्य एक विशुद्ध मॉडल की कल्पना से ही मेल खाता है।

III

विशुद्ध मॉडल को अंगीकृत करने की दिशा में कुछ अन्य आपत्तियाँ हैं जिनका परिदर्शन करना आवश्यक है।

प्राप्तः यह आशंका व्यक्त की जाती है कि राजनीतिक तत्वों के समर्थन के अभाव में आयोग के प्रस्ताव राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी हो जाएंगे और इस प्रकार आयोग एक प्रभावहीन परियद बन जाएगी। प्रारम्भ में ही यह व्यक्त करना आवश्यक है कि विशेषज्ञों की पैरवी करते समय हमारा अभिप्राय इस तथ्य का प्रतिवाद करना नहीं है कि योजना घपने अन्तिम विश्लेषण में एक राजनीतिक प्रतिया है और इसके प्रभावी होने में लिए राजनीतिक समर्थन आवश्यक है। लेकिन हमारी दृष्टि में राजनीतिक समर्थन की मात्रा इस

^{१७} इस सुझाव को यही शैदाशिक दोर्कों में समर्थन प्राप्त हुआ है।

^{१८} देश में उभरती नई राजनीतिक रिपब्लिक इस मामले की और अधिक आवश्यक बना देती है।

दह दह निर्माण है जि अरकार का दोषन के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस दह दह निर्माण है जि अरकार के लिये राक्षसीरिति, जिस वकार का दोषन की विवरण है तुम्हे चाहते हैं। एक दह दह अरकार भर देने पर निर्माण है जि एक दोषन विवरण व वह राक्षसीरिति द्वितीय से प्राप्त होते हैं जबकि जोर दियोवान है तो उसका वर्णन किया है। निर्माण है यह निर्माण निराकार वाक्य चाहता है कि इस वकार की विवरण को विवरण वाक्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।¹⁰

एह एवं इन दो प्रकार उत्तराद वाला है यह है कि योग्यत्वप्रिवेश्यु व योग्यत्वप्रिवेश्यु विवर के अधी नियमोंके लिया वाले ? यही यह ग्रन्थद्वारा लिया वाले हैं कि दो दोनों विवरों प्रश्नाद्वारा उत्तराद विवर के अधी वाला बुझी हुई है और उत्तराद विवर अधी विवर द्विभाजन है। विवर यह सही है कि दो दोनों विवर के अधी एक विवराद दोनों सही लिखी वाली है, नियम यह प्रश्न उत्तराद नहीं चाहत है कि क्या यह प्रश्न विवर यत्ती यित्ति एह बुझी हुई विवराद के उत्तराद को लियोगी है ? इन तथ्य को ध्यान में रखने हुए कि नियम विवर के अधी लियन्वदन में कोई विवराद नहीं होना चाहिए और उनके अधी विवर अधी लियन्वदन को स्वीकार किया जाना चाहिए प्रश्नादिविवर सुधार आयोग ने लियन्वदिविवर इकार के प्रश्नादिविवर के योग्यत्वप्रिवेश्यु विवर के अधी लियन्वदन का जापन सुनाया है प्रश्नादिविवर को योग्यत्वप्रिवेश्यु विवर के अधी लियन्वदन के अवलम्बन कराते रहना चाहिए दोनों के तिर लियन्वदिविवर का यह बुझी की प्रति उन्हें लियन्वदन कराते रहना चाहिए वह यत्ती इच्छानुसार दोनों में भार ते तके और विवादिविवर कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, उने आयोग की दृष्टि बुझते का प्रविकार होना चाहिए, यत्ती इच्छानुसार विवर में जाग लेने पर वह इसकी व्यवस्था कर सकता है, इत्यादि । १०

दावेंग में एक बार गाँवनंति क नहर के पास ही जाने पर अस्य प्रमाण निष्ठा स्थित है दिन पर विवरणिमने आवश्यक होता—विशेषज्ञ दोकान परिषद् के कार्य, सरकारीक नियंत्रण की गति को स्थित और राजनीतिज्ञों की मूलिका के सह नियंत्रण व उच्चके शिक्षाविधय के साम्बन्ध की निष्पत्र व्याख्या।

प्रार्थिक विकास की दृष्टि द्वारा उनके प्रतिवानों के मरणमें सखार से नीति अस्त्वची निर्देश प्राप्त करने के उत्तरांत योजना आदोग का कार्य योजना निर्भासु व उनके नीति संदर्भों की सम्पूर्ण व्याख्या करना होगा। लिखित कानूनधि ने योजना की प्रति के दूसरोंद्वय का काम भी कम महसूस करना चाहता है। माय ही आवश्यकतानुमार नीतियों में दर्शित व संरोक्षण भी महसूस करना चाहता है। २१

१८ विद्युत के सही देश, जिनका योजना की प्रभावोत्तमता में विस्तार है हमारे कदम का प्रभाव है। उनकी योजना परिपूर्ण विशुद्ध एवं से विशेषताएँ की परिपूर्ण हैं उनकी प्रवृत्ति सनातनी है और उनका कार्य मात्र बैंकिंग योजनाएँ विश्वास करता और उनके नीति समन्वय परिवर्तनों को सम्पूर्ण करता है। इनके बावजूद वे राजनीतिक हित से प्रभावी हैं क्योंकि उनमें सरकारों का बहुत जो योजनाओं में अधिक विश्वास है।

२० ए. वार. गी. रिंग्स, पूर्वोत्तर, १० १०

२१ प्रायः अनिश्चय मुख्यार्थ आवेदन द्वाय वर्णित योद्दता आवेदन के लाई इष्टव्य, प. ४-२

राजनीतिक निर्णयों के संदर्भ में प्रशासनिक मुधार आयोग का यह प्रस्ताव है कि योजना आयोग द्वारा कुछ निश्चिन प्रस्तावों पर विचार-विभाग के उपरात, समस्त मुकाबों व टिप्पणियों सहित वे प्रस्ताव केविनेट के पास अन्तिम निर्णय के लिए भेजे जाएंगे।^{२२}

नई व्यवस्था में राजनीतिज्ञों की दो प्रकार वी भूमिका होगी और वे इसका निर्धारण राष्ट्रीय विकास परियद के माध्यम से करेंगे। प्रथम, उनका कार्य योजना निर्माताओं को योजना सबधी एक वृहत् दौला प्रदान करना होगा और समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त मुझावों के प्रकाश में नीतियों में सार्वजनिक स्थापित परन्ता होगा। द्वितीय राजनीतिज्ञ समयानन्द से राष्ट्रीय योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और आवश्यकतानुसार उनके संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

IV

प्रशासनिक मुधार आयोग के मुनिश्चित प्रस्तावों के विशद्ध सरकारी पक्ष की स्थिति एवं विशुद्ध मॉडेल के विचार के प्रति अन्य आपत्तियों का विवेचन करते के उपरात घब निश्चित माडिन की तुलना में विशुद्ध मॉडेल के गोलिया गुणों पर सामान्य चर्चा की जाएगी।

निश्चित मॉडेल पर उपलब्ध विविध अध्ययन सामग्री में प्र०० ८० एच० हेनसन की कृति 'दि प्रोसेस ऑफ़ प्लानिंग' का एक विशिष्ट स्थान है। प्र०० हेनसन भारत की उस योजना व्यवस्था के प्रशंसक हैं जिसके अंतर्गत राजनीतिज्ञ योजना-निर्धारण के कार्य में मार्ग लेकर योजना लक्ष्यों से प्रतिवर्द्धता अनुग्रह करते हैं। उनके अनुसार भारतीय व्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि उसने योजना को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया है।^{२३} प्र०० हेनसन के विशेषण से पूर्ण सहभावित संभवतः नहीं हो सकती क्योंकि वह इस व्यवस्था में निहित अच्छाइयों पर तो पर्याप्त ध्यान देते हैं लेकिन इसमें निहित विरोधाभासों व विसंगतियों की असावधानी पूर्वक उपेक्षा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफेसर हेनसन ने व्यवस्था में निहित भुक्त समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है और वह समस्या यह है कि निश्चित माडिन में राजनीतिक स्थितियों के पक्ष में तकनीकी व आर्थिक पक्षों की उपेक्षा की जाती है। यद्यपि उनका यह कथन नहीं है कि "ममस्या विशेषज्ञों के समुक्त दृष्टिकोणों को अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम देने व उसे पर्याप्त धब्द देने की है और ऐसा करते समय यह देखना है कि आयोग वस्तुन, एक अराजनीतिक परियद न बन जाए,"^{२४} किन्तु इस समस्या के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित निदान आसोचता का विषय है। उनका निदान 'संगठनात्मक अभि-

२२ लेकिन प्रशासनिक मुधार आयोग के अध्ययन द्वारा न यह निष्पारित ही है कि पूरे केविनेट को नहीं बल्कि उसकी एक उपनिवित वी योजना आयोग के प्रस्तावों पर अहित निर्णय लेने चाहिए। (ए. आर. सी. स्टडी टीप रिपोर्ट पृ. १३ उल्हिचन) इस व्यवस्था प्रशासनिक मुधार आयोग के इस प्रस्ताव का लोक विरोध किया जाएगा। (देखें ए. आर. सी. रिपोर्ट पृ. १५)

२३ ए. एल हेनसन, पूर्वोत्तर, पृ. ८ ७२-७३

२४ वही, पृ. ७८

'व्यक्ति' वाली एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें तकनीकी कार्य व राजनीतिक निष्ठा निर्माण के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सके। २५ उनका सुझाव इस अतर्कसंगत धारणा को स्थान देता है कि आयोग के अन्तर्गत तकनीकी व राजनीतिक निष्ठा निर्माण की प्रक्रियाओं को दो पृथक् बगाँ में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसाकि विदित है और स्वयं प्रो० हेनसन ने भी कहा है कि भारत में ऐसा होता है और इसके बया परिणाम मामने आते हैं, यह कोई रहस्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि समस्या इसमें कहीं अधिक गहन व गम्भीर है और वह मात्र संगठनात्मक व्यवस्था अथवा निर्माण तक ही सीमित नहीं है, जैसाकि प्रो० हेनसन का विचार है। इस प्रकार का समाधान समस्या का मात्र सतही स्पर्श ही करेगा। यदि व्यापक हृष्टिकोण से सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए तो जटिल व मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, राजनीतिज्ञ किसी सीमा तक विशेषज्ञों के प्रस्तावों व मुझावों को मुनने के लिए तंयार हैं। देश का राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रीय नीतियों के सम्बन्ध में तकनीकी आधिक हृष्टि के पक्ष में किस सीमा तक अरुचिकर निर्णय लेने को तैयार है, यह जानते हुए भी कि अवसरवादिता और विकास की दिशाएँ भिन्न हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विशेषज्ञ कितने तटस्य हैं और वे अपने न्यायोचित व उपयुक्त मत पर विना परिणाम की चिंता किए कितनी ईमानदारी व साहस से टिक सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्या कुछ अभिसमयों व परम्पराओं के विकास तथा ऐसी आचरण संहिता के निर्माण से भी सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत आयोग में राजनीतिज्ञ व विशेषज्ञ एक दूसरे के मत का सम्मान कर सके। इस दिशा में प्रेस का हृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। आवश्यक यह है कि वह इन अभिसमयों व परम्पराओं को समर्थन दे और इनके उल्लंघन के उदाहरणों को निर्मांकितापूर्वक सामने लाए। जनमत की भूमिका भी कम महत्व की नहीं है। उल्लेखनीय है कि वह इन समस्त स्थितियों के प्रति कैसा हृष्टिकोण अपनाता है, उसकी प्रतिक्रिया का बया स्वरूप होता है। यह स्थिति प्रकारांतर से यह प्रदर्शित करेगी कि देश का जनमत कितना प्रोड है। यहीं यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि ये समस्त प्रस्ताव आवश्यक रूप से लम्बी अवधि के उपाय हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि मिश्रित मॉडल एक ऐसा प्रादर्श है जो वर्तमान परिस्थितियों में अग्राही है और विशुद्ध मॉडल बेहतर रूप से वर्तमान आवश्यकताओं व बातावरण का प्रतिनिवित्व करता है।

अंत में चौथे आम चुनावों के उपरांत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के परिवर्तित संदर्भ में २५

२५ "इसमें ऐसा लग सकता है कि योजना आयोग को दो प्रकार की बेंटों हो रही है। गांधारण बेंटों जहीं तकनीकी बात इस जाएगा, ऐसेल गैर-मंत्री सदस्यों भी उपस्थिति में रोगी और साथ ही उसमें दो ही गरकारी अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे किंतु उनक मदस्य मनाह के लिए चाहूँगे। पूर्ण अधिकृत जन, जहीं तकनीकी बाये का मूल्यांकन होगा और महाविद्युत नीति संबंधी निर्णय लिए जाएंगे, मर्दी सदस्यों (मंत्री सदस्यों व गैर-मंत्री सदस्यों) भी उपस्थिति में होगा पूर्णांन पृ. ७४-७५

२६ केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर योजना के प्रभाव सम्बन्धी भूदर्शन वे लिए देवे (१) के, सन्दार्भ दूनियन बेंट रिसेप्शन इन इहिया, इहियन इंटीट्यूट औक परिवर्तन एक्समिनर्स बन, मई दिनी, १९६०.

यह उपयुक्त होगा कि एक सलाहकारी विशेषज्ञ योजना व्यवस्था हो जो राष्ट्रीय विकास परिपद् द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर काम करे। यह स्थिति राज्य सरकारों को सहज स्वीकार्य होगी और उनमें भागिक विश्वास का संचार करेगी। अतः आगामी वर्षों में आयोग के लिए यह आवश्यक व चांदनीय होगा कि वह केन्द्रीय सरकार से अधिकाधिक स्वतंत्र हो। 'गैर-कानूनी' सरकारों मिश्रित मॉडल के प्रन्तर्गत योजनाओं के आकार लद्यों व व्यायमिकताओं के संबंध में संमतः किसी वैचारिक अव्यया संदर्भिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगी। एक ऐसी योजना परिपद् जिसकी स्वतन्त्रता व तटस्थिता संदिग्ध हो उसे संमतः समाप्त करना ही होगा।

अतः योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित किसी भी योजना को यदि महत्वशाली होना है तो उसे अनिवार्यतः सरकारी सत्ता से उचित स्वतन्त्रता के साथ काम करना होगा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह भी देखना होगा कि सरकार इसके बाबजूद उसकी उपेक्षा नहीं करे। दूसरे शब्दों में, हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसकी विशेषज्ञ व सलाहकारी भूमिका उसे निष्प्रभावी न बनाए। पुनर्गठन के प्रश्न का केन्द्र-विन्दु यही पूर्व आवश्यकता है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि वर्तमान व्यवस्था में विना परिवर्तन किए गविष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से केन्द्र-राज्य संबंधों में जो नया परिवर्तन आया है और जो आगे भी आएगा, यह मिश्रित मॉडल को अंगीकृत करने की दिशा में बाधक होगा। विशुद्ध मॉडल को विना किसी गम्भीर विकल्प के, अनिवार्यतः स्वीकारना ही होगा।

Further Readings

1. *Paranjape H.K.* : The Reorganised Planning Commission (A Study in the implementation of Administrative Reports) Delhi, The Indian Institute of Public Administration, 1970. pp. 1 to 56.
2. Report of the center-State Relations Inquiry Committee, op. cit. pp. 104-109

पृ. ४३-४६ (२) एस. एच. ए. हाफी, मूलियन-स्टेट रिलेशन्स इन इंडियन (मन्मादित), मीनाथी प्रकाशन, मेरठ, १९६७, पृ. ११५-१३६, १३८' (१)टी. टी. साकडावाला, मूलियन स्टेट काइनेशन रिलेशन्स, आलवानी परिसरिंग हाउस, बम्बई, पृ. ७८-११७ ए. आर. सी. एरोरे के विवार, पृक्षोक्त, पृ. १२ उल्लिखित। योजना आयोग को प्रबल व स्वतन्त्र बनाने के लिए उसे संवैधानिक पद प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव विवाद का विषय रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में भौतिक्य के अधाव की स्थिति में यह सम्भव नहीं है। यदि यह सम्भव भी हो तो इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। संघीय सोक्सेवा आयोग, जोकि एक संवैधानिक परिपद् है, का उदाहरण इस दिशा में सकेत देता है।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

[भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था सफल लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का आधार है। अतः वे भारतीय प्रशासन को योग्यता व्यवस्था के सिद्धान्तों के आधार पर संरचित करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने केन्द्रीय व राज्य स्तरों पर लोक सेवा आयोगों का जाल बिछा कर किया। हमारी लोक सेवा विट्ठि प्रतिमान पर आधारित एक एकीकृत लोक सेवा है, और इस कारण केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति राज्य स्तरीय प्रशासन को भी नया रूप देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे देश के सदर्म में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को एक केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करना होता है।

डॉ० मुतालिब ने अपने सुविख्यात लेख “दि इन्डियन थूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन” पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लन्दन, लेण्ड ४२, १९६४, पृ० ३७३-३६०) में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की संरचना व कार्य-क्षमता की समीक्षा की है। आज जबकि लोक सेवा अपनी गैर-प्रतिवद्धता व विशिष्ट वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण जन आलोचना का विषय बन गई है, और उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विशेषतः क्रियान्वयन के स्तर पर योगदान देने में असमर्य रही है, मुतालिब का प्रस्तुत मूल्यांकन और मी अधिक प्रासारित हो गया है। प्रस्तुत सदर्म में आज यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि क्या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग इस आलोचना के प्रति सजग है और क्या वह इस स्थिति में परिवर्तन व मुधारों के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठा सकती है?] सम्पादक]

भारत में लोक सेवा आयोग को लोकतन्त्र का आकार (Bulwark of democracy) माना जाता है।^१ यह सोक सेवाओं में योग्यता को एक मात्र मापदण्ड स्वीकार कर सोन-

^१ भारतीय संविधान भारा के सदस्यों द्वारा घटना भवितव्य है। इसके अतिरिक्त समय-नमय पर राज्य विधानसभाओं व संगठ के सदस्यों द्वारा केन्द्रीय व राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग द्वे वार्षिक रिपोर्टोर दर्ता दी जाएंगी।

तंत्र के कार्य व उसके व्यवहार को समर्थन देता है और उसे प्रोत्साहित करता है। यह प्रशासन को निधक्षा उपकरण प्रदान कर उसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के संगमावित दबावों से बचाता है। इसके द्वारा किसी भी राजनीतिक स्वरूप को सरकार अपनी नीतियाँ क्रियान्वित करती है। इसके अतिरिक्त सेवा-विषयों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार रखने के कारण यह कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन-तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। एक राजनीति-शास्त्री की भाषा में यह समस्या लोक सेवकों के राजनीतिक बन्ध्यकरण (Pol. sterilization) में निहित है।^३

१९१६ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत जब स्वशासन सम्बन्धी सर्वेधानिक सुधार प्रारम्भ हुए, उस समय भारत में प्रथम धार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। यह स्थापना सुधारों की उसी मानना के साथ प्रारम्भ हुई जैसेकि ब्रिटेन व अमेरिका में लोक सेवा आयोग की शुरूआत हुई थी। वस्तुतः लोक सेवा आयोग की स्थापना को सुधारों की त्रियान्विति के लिए एक आवश्यक उपाय माना गया और इसकी स्वीकृति इन सुधार सम्बन्धी योजनाओं की समकालीन व उसका एक भाग थी।^३ लेकिन जहाँ पूर्वोक्त दोनों पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लोक सेवा को राजनीतिज्ञों की कार्यवाहियों से 'मुक्ति' दिलाना था, वहाँ भारत में इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन-तंत्र को राजनीतिज्ञों के सम्बिंदु अतिकरण से स्वतन्त्र रखना था। भारतीय सर्वेधानिक सुधारों से सम्बन्धित १५ मार्च १९१६ की प्रथम भारत सरकार विज्ञाप्ति के अनुच्छेद ५५ में यह स्पष्ट किया गया था कि "उन अधिकांश राष्ट्रमण्डलों (डीमीनियनों) में जहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना ही चुकी थी, वहाँ इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई है कि एक स्थायी संस्था के निर्माण द्वारा लोक सेवा को राजनीतिक प्रभाव से बचाया जाए। इस संस्था का कार्य सेवा सम्बन्धी विषयों का नियमन करना होना चाहिए.....हमारी यह धारणा है कि वे संभावनाएँ जिनके अनुसार लोक सेवाएँ अधिकाधिक मन्त्रीय नियन्त्रण में आ जाएँगी, इस आधार को बल प्रदान करती है कि ऐसी संस्था का गठन हो....."

पद तथा रचना :

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भारतीय सर्विधान निर्माताओं ने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को न्यायपालिका के निकट का पद प्रदान किया। ऐसा करते समय वे १९२४ के प्रवर जन सेवाओं सम्बन्धी राजकीय आयोग (ली आयोग) के इस मत थे प्रेरित हुए थे कि "इस बात को सर्वाधिक आवश्यकता है कि अत्यधिक लोक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को आयोग

२ एप्सटीन, एल. डी., पोलिटिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स दि यूनाइटेड स्टेट्स एण्ड प्रेट्रिटेन, प्रिन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन रिप्प्यू, घण्ट X १६५०, पृ. सं. २८१-२६०.
३ बार्कर, सर डम्प्यू बार., बेमोरेन्ड दु दि इडियन स्टेट्यूटी कमोशन, घण्ट XV, लार्फिल बोर्ट एविडेन्स के बंगा, एच. एम. एग. थो. संदन, १६३०, पृ. १६६ पैरा ३. सर डम्प्यू बार. बार्कर १९२६ में स्थापित प्रथम सोक्सेवा आयोग के अध्यक्ष थे।

का सदस्य बनाया जाए ताकि वे राज्य तथा उसके कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्ण व भात्तीय सम्बन्ध स्थापित कर सकें। जहाँ तक व्यावहारिक हो, इन आयुक्तों को समस्त राजनीतिक संगठनों से दूर रहना चाहिए और कम से कम दो सदस्य तो उच्च न्यायिक अथवा कानूनी योग्यताएँ प्राप्त होने चाहिए। इन्हे.....पूर्णकालिक अधिकारी होना चाहिए और इनका देतन व अन्य सुविधाएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कम नहीं होनी चाहिए।

तदनुरूप संविधान निर्माताओं ने अनेक उपायों का उल्लेख किया जिससे केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय बाह्य प्रभाव व दबावों से बचे रहें। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का चयन करते समय राष्ट्रपति को अपने सर्वेधानिक दायित्व के अनुरूप यह देखना होता है कि लगभग आधे सदस्य ऐसे हों जिन्होंने अपने नियुक्ति-काल से पूर्व कम से कम दस वर्ष तक या तो किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के शाधीन कार्य किया हो।”^५ संविधान सभा में इस प्रावधान की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. ग्रन्वेडकर ने यह कहा कि लोक सेवाओं में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संदर्भ में उस व्यक्ति से अधिक थे पछ कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं लोक सेवाओं से सम्बद्ध रहा हो।^६

संविधान में शेष आधे सदस्यों के सम्बन्ध में किसी विशेषता अथवा योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। मोटे तौर पर कार्यपात्रिका इस सम्बन्ध में ली आयोग की इस सलाह से निर्देशित होती है कि सदस्यों का चयन “ऐसे व्यक्तियों से हों जो अत्यधिक सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जहाँ तक सम्भव हो समस्त राजनीतिक संगठनों से परे हों.....उनमें कम से कम दो सदस्य उच्च न्यायिक व अन्य कानूनी योग्यताओं से सम्पन्न हों।” इसी के अनुरूप, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस बात का ध्यान रखा है कि शेष आधी नियुक्तियाँ भी, इस आधार पर नहीं की जाएँ कि वे ‘राजनीतिक नियुक्तियाँ’ प्रतीत हों (यद्यपि राजनीतिक प्राथमिकता के आधार पर उनके चयन के मार्ग में कोई वाधा नहीं है)।

१९६२ के अन्त में नियुक्त २१ सदस्यों में से ५ सदस्य भारतीय नागरिक सेवाओं (I. C. S.) के रहे हैं तथा १ सदस्य नागरिक सेवाओं का, ४ शिक्षाविद हैं, व ३ इंजीनियर हैं। इसके अतिरिक्त १ वैज्ञानिक, ४ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के भूतपूर्व अध्यक्ष व सदस्य, २ उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश व १ भूतपूर्व सोकलभा अध्यक्ष ने भी आयोग में सदस्यों के रूप में स्थान पाया है। एक सदस्य एक प्रान्तीय विधान सभा का निर्वाचित सदस्य था तथा एक अन्य सदस्य १९४४ में एक देशी रियासत का मंत्री था। एक सदस्य जोकि व्यवसाय से इंजीनियर था, निजी क्षेत्र से लिया गया था। उसका एक निजी प्रतिष्ठान में काफी प्रमुख पद था।

^५ पैरा २५

^६ भारत का संविधान, घारा ३१६ (१)

६ सी. ए. डी. अध. IX. १,२ अगस्त १९४६, प. ५६२

आयोग की सरचना से किसी भी सेवा एजेंसी के दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होती है : (अ) जिस किसी भी सेवा से यह सम्बद्ध हो उसके संदर्भ में 'प्रबोध व प्रामाणिक सत्ता' के रूप में कार्य करना और साथ ही (ब) निष्पक्ष आधार पर परामर्श प्रदान करना । दूसरे शब्दों में इस व्यवस्या में 'विशेषज्ञ' व 'सामान्य' हण्ठियों का समायोजन करना होता है ताकि कर्मचारियों के विशेषज्ञ कार्यों के सम्पादन में संकीर्ण विशेषीकरण व सतही परिचय दोनों से ही बचा जा सके । इसके अतिरिक्त आयोग में लोक सेवाओं के सुरक्षित प्रतिनिधित्व ने आयोग व प्रशासकीय इकाइयों के पारस्परिक सम्बन्धों पर हितकारी प्रभाव डाला है । इस तथ्य के बावजूद कि आयोग इनसे वास्तविक व वैधानिक रूप से स्वतंत्र है, इसमें वरिष्ठ लोक सेवकों के प्रवेश से एक सेवा एजेंसी के रूप में आयोग व सेवा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रशासकीय इकाइयों की दीच की दूरी कम हुई है ।

संविधान ने आयोग के आकार को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा है । २६ जनवरी १९५० को जब संविधान क्रियाशील हुआ और संघीय लोक सेवा आयोग केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में परिणत हुआ, उस समय आयोग के अध्यक्ष सहित ४ सदस्य थे ।^७ यह संस्था ६ और ८ सदस्यों के बीच स्थिर रही है यद्यपि १९५६ में सर्वाधिक संस्था ८ नियत की गई थी ।^८

सामान्यतः एक सदस्य या तो ६ वर्ष की अवधि और या ६५ वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) सदस्य रह सकता है । अपनी अवधि की समाप्ति पर वह पुनर्नियुक्ति का अधिकारी नहीं होता ।^९ इसके अतिरिक्त वह अवधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के आधीन कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता सिवाय इसके कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का एक सदस्य (अध्यक्ष नहीं) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग अथवा राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ।^{१०} केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की प्रतिष्ठानता की प्रकृति महत्वपूर्ण है योग्यि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के आधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता ।

इस प्रतिवन्ध का जनता पर गम्भीर भनोवेजानिक प्रभाव पड़ा है । और वे आयोग के सदस्यों का विशेष सम्मान इस कारण करती है योग्यि जनहित के लिए वे भावी पदों का त्याग करते हैं । इसके अतिरिक्त, जहाँ तक प्रशासन की गतिशील व परिवर्तनशील प्रकृति थी, इसके लिए भावशक्ति था कि प्रशासन में नया खून पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाता । कार्यविधि को निश्चितता ने राष्ट्रपति को इस योग्य बनाया है कि वह सरकारी, मैरन्सरकारी, तकनीकी व प्रशासनिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के भव्य उपित प्रनुपात बनाए रख सके और ऐसा कानूनीतर से हुए रिक्त-स्थानों पर नई नियुक्तियाँ कर, संभव बनाता है ।

^७ यू. पी. एम. सी. भी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, २६ जनवरी १९५०-५१ मार्च १९५१, पृष्ठ १

^८ यू. पी. एम. सी. भी सातवीं रिपोर्ट, १९५१-५२ पृष्ठ ४, १ जून १९५२ को इसमें अध्यक्ष सहित

^९ गदरस्य थे ।

^{१०} भारत का सरिधान, द्यारा ३१६

१० वरी, द्यारा ११६

४१
विवरण द्वारा प्रायोग के सुन्दरतम् लक्षण
यह या वि प्रायोग के

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व कर्मचारियों की रोका सम्बन्धीय अधिकारी होता है। यद्यपि यह व्यवस्था एक विविध रूप का व्यवस्था है, इसके द्वारा भी उत्तराधिकारी के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व कर्मचारियों की रोका सम्बन्धीय अधिकारी होता है। यदि यह विविध रूप का व्यवस्था है, तो उत्तराधिकारी के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व कर्मचारियों की रोका सम्बन्धीय अधिकारी होता है। यदि यह विविध रूप का व्यवस्था है, तो उत्तराधिकारी के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व कर्मचारियों की रोका सम्बन्धीय अधिकारी होता है। यदि यह विविध रूप का व्यवस्था है, तो उत्तराधिकारी के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों व कर्मचारियों की रोका सम्बन्धीय अधिकारी होता है।

भायोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों का निपटारण राष्ट्रपति द्वारा होता है। यद्यपि यह व्यवस्था हमें १६३५ के अधिनियम की एक परोदूर के स्वरूप में प्राप्त हुई है लेकिन संविधान अपने पूर्ववर्ती कानून से इस सम्बन्धना में नियत है कि उसमें यह व्यवस्था है कि सदस्यों की सेवा सम्बन्धी शर्तों "नियुक्ति के उपरान्त उसके पदों में परिवर्तित नहीं की जाएंगी" (धारा ३१८)। यह नियतदेह एक पुरातात्त्विक है।

पायांग की इस सलाह का पालन नहीं किया गया।
एवं वह आदि-सीधी-एम. कमीशन से निपुण पाया है कि उच्च स्तरात्मक उच्चतम रायावाद के पायांगों तक प्रविष्टि नहीं की जाय। यह उल्लेखनीय है कि उच्च स्तरात्मक उच्चतम रायावाद के पायांगों तक प्रविष्टि नहीं की जाय। यह अधिकार बनारस की भाँति एवं विद्यान ने बासे प्राकृत के कमीशन के पास भी बाय

आयोग के मदम्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की विशेष मुद्रिभाएँ व आय प्राप्त हो ।

कार्य :

इस प्रकार बेन्द्रीय लोक सेवा आयोग को उसके स्वतन्त्र व निष्पक्ष पद के लिए कुछ मर्दानिक उपाय प्रदात किए गए हैं जो अंशतः जेम्स, वॉट्ट्सन की 'संरक्षणवादी' (protectionist) विचारधारा^{१२} की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । इस विचारधारा के मन्त्रगत राजनीतिज्ञों को अविश्वास की हृष्टि से देखा जाता है और उन्हें नागरिक सेवा एजेंसी से दूर रखा जाता है । बेन्द्रीय लोक सेवा आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए प्रशासनिक पद सोपान से बाह्य रखा गया है और स्वतन्त्र रूप से संगठित किया गया है । नेकिन आगे के पृष्ठों में यह सुझाया गया है कि आयोग की वर्तमान प्रतिष्ठा का कारण मुख्य कार्यपालिका के व्यवस्थापन अंग के रूप में इसकी अमताओं की उपेक्षा नहीं करना है ।

वास्तव में आयोग के कार्यों व दायित्वों सम्बन्धी व्यवस्थाएँ यह संकेत देती हैं कि आयोग कार्यपालिका के आधीन है । विविध कानूनों एवं नियमों के माध्यम में कार्यपालिका प्रभागिक रूप से आयोग का कार्य क्षेत्र निर्धारित करती है । जब आयोग के कार्यों व शक्तियों को परिमापित करने का अवसर उपस्थित हुआ तब संविधान निर्माताओं ने इस दात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सेवाओं सहित समस्त सावंतव्य विषयों के कुगल प्रियान्वयन का अंतिम दायित्व सरकार का है आयोग वो मान सलाहकारी भूमिका प्रदान की, न कि कार्यकारी ।^{१३}

इस प्रकार संविधान ने सर समुद्रत होर के प्रस्तुत मत का पालन किया जो कि उन्होंने १६३५ में अभिव्यक्त किया था : संयुक्त प्रधार समिति का यह निरिचित मत या और भेरा व भेरे सलाहकारों (मार्ल व यही, दोनों जगह) का भी यह मत है कि सोह गेवा आयोगों की सलाहकारी भूमिका देना अधिक उपयुक्त होगा । अनुमत द्वारा यह प्रभागित हुआ है कि ये सलाहकारी भूमिका का अधिक अच्छी तरह निर्धारित करें न कि अधिक अधिदेशात्मक भूमिका । यदि उन्हें अधिदेशात्मक शक्ति दे दी जाए तो यह है कि दो पृथक् सरकारों की स्थापना हो जाएगी ।^{१४}

बेन्द्रीय लोक सेवा आयोग के कार्यों के बार खोत हैं :

१. भारतीय संविधान;

१२ स्पेन एंटरटेन्ट डु बेटी और एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड दि गिविन रिसिट्रिट्स दी लिंग्स रिट्रिविशन, हेलेट बेटी बर्न लोरेट बोर्डिंग एवं गिविन रिसिट्रिविशन, दृष्टि लोरेट, ब्रदर लॉर, बर्लीसेट रिट्रिविंग बाल्डिंग, बालिगार्ड, १११७, पृ. ५५ ।

१३ एस. बी. बारात, 'राजनीति संविधान की दृष्टि से एन ईडिविन एशेच', ईडिविन ब्रदर्स बोर्ड एन ईड ईडिविनिटीजन, वॉल II, १११९ ।

१४ एस. बी. बार, एस. १००, बौलव २१२ ।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

३१३

२. विधायी भविनियम;
३. नियम, भविनियम व कार्यपालिका सम्बन्धी आदेश;
४. अभिसमय।

धारा ३२० की उपधारा (१) में यह व्यवस्था है कि आयोग केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए विधि परीक्षाएँ आयोजित करेगा। उपधारा (२) के अनुमार यह आयोग का कर्तव्य होगा कि वह दो या दो से अधिक राज्यों की प्रार्थना के आधार पर उन्हें किसी भी ऐसी सेवा में संयुक्त भर्ती के कार्य में महायता देगा और वत्सम्बन्धी उद्देश्य के लिए योजनाओं के निधरिण एवं क्रियान्वयन में इन राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। उपधारा (३) के अन्तर्गत आयोग राष्ट्रपति द्वारा सलाह मागने पर उसे उल्लिखित एवं अनुलिखित सभी विषयों पर सलाह देगा।

धारा ३२१ के अन्तर्गत संसद केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसे कानून के माध्यम से संसद किसी भी स्थानीय सत्ता अथवा कानून द्वारा नियमित किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान के सम्बन्ध में आयोग के प्रतिरिक्त कार्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकती है, उदाहरण के लिए डेरिटोरियल काउन्सिल्स एकट, १९५६ तथा देहली म्युनिसिपल कारपोरेशन एकट, १९५७।

कार्यपालिका सम्बन्धी आदेशों व नियमों का स्रोत धारा ३२० की उपधारा (३) तथा उसमें निहित उपबन्ध है। भविनियम जारी कर राष्ट्रपति समय-समय पर आयोग के साथ परामर्श का देव परिभाषित कर सकता है। ऐसे सभी भविनियम जो यह स्पष्ट करते हैं कि उन सभी मामलों में या जिनमें सामान्यता या किसी विशेष परिस्थिति में आयोग की मताह आवश्यक नहीं होती संसद द्वारा पारित किए जाते हैं।

अन्त में, आयोग द्वारा ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं जो न तो संविधान में उल्लिखित होते हैं और न ही संसद के विधेयकों में। उदाहरण के लिए, सुरक्षा सेवाओं में भर्ती करना आयोग का दायित्व नहीं है क्योंकि ये सेवाएँ लोक सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आती। सुरक्षा सेवाओं के सभी अंगों में केंटिंगों की भर्ती सर्वप्रथम १९४६ में रक्षा मन्त्रालय के अनुरोध पर की गई थी जो कि अब आयोग की गति-विधियों की नियमित विशेषता बन गई है।^{१५} इसी प्रकार, उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के निकाय में भव्याद् भविकारियों का चयन भी एक संविधानेतर कार्य है। इस निकाय में नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार व राज्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा नियी देव के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में भेजा जा सकता है।^{१६}

सुविधा की हाफ्ट से केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के दायित्वों को तीन प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है: कार्यकारी, नियामक एवं अद्य-न्यायिक।

^{१५} यू. पी. एस. सी. की छठी रिपोर्ट, १९५५-५६, पृष्ठ ११

^{१६} यू. पी. एस. सी. की चौथी रिपोर्ट, १९५८-५९, पृष्ठ २० वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् इव पूरा के नियन्त्रक सत्ता है। यह परिषद् न कि आयोग विज्ञापन की व्योग्य करती है और उन्मीदशार्तों के विवरण के लिए आवेदन आवश्यक नहीं है।

बेन्द्रीय सोक सेवा आयोग (सलाह-मशविरे से मुक्ति) अधिनियम के पापीन आयोग मुख्यतः उन सभी सोक महत्व के पदों पर चयन के लिए उत्तरदायी है जिनके लिए पद रिक्त हो अथवा नए पदों की व्यवस्था की गई हो। यह योग्यता के हित में युक्ति प्रतियोगिता पर बल देकर और अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर अपने सामने की स्थिति का उपयोग कर सकता है। यह सरकार द्वारा सूचित किए गए रिक्त स्थानों व पदों को पूरे देश में वित्तियत करता है और दिल्ली व अन्य स्थानों पर प्रतियोगी परीक्षामों के माध्यम से उगमुक्त उम्मीदवारों का चयन करता है। अपने अधीनस्थ सचिवालय के सम्बन्ध में आयोग पी मुख्य कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। आयोग का अध्यक्ष आयोग, सचिवालय के वरिएट अधिकारियों का चयन करता है व उन्हें नियुक्ति देता है। यह अपनी वित्तीय व्यवस्थामों के अनुरूप मुख्य अस्थाई नियुक्तियाँ भी करता है।

नियामक य भद्र-न्यायिक कायों की प्रकृति सलाहकारी है। आयोग (१) भर्ती की पद्धतियों तथा (२) नियुक्ति पदोन्नति एवं विभिन्न सेवामों में स्थानान्तरण के गमन अन्याएँ जाने वाले विद्वान्तों के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करता है तथा इस सम्बन्ध में उम्मीदवारों की उगमुक्तता स्पष्ट करता है।

आयोग की न्यायपालिका के समीकरण पद देने वा एक कारण यह है कि भुत्तिविवा विषयों पर इसके कायों को न्यायिक विवेक से संपादित किया जाता है। इस प्रकार पदः

(१) सृजित पदों व याचिकासी गहिरा भारत सरकार के प्राप्तीनाय सोह सेवों से सम्बन्धित अनुग्रहान्तर के मामलों पर अपनी सलाह देता है।

(२) रियों प्रधिकारी के इस दाये पर भी सलाह देता है कि सरकार उनके द्वारा उत्तरी प्रधिकृत क्षमता में विषय गए कायों के व्यावहारिक परामर्श वानुकी सागत का अन्य स्वर्ण उठाए।

(३) रियों वर्तमारी के सरकारी सेवानाम में पाहत होने की स्थिति में वेदन देने व उग्री राजि निर्णीति बनाने के प्रस्तुत पर भी परामर्श देता है।

यह भी इस बेन्द्रीय आयोग वा कार्यक्षम है कि यह आयोग के वारिएट कायों वे सम्बन्धित एक प्रतिवेदन राष्ट्रान्तरि वो दायुक्त करे। ऐसे प्रतिवेदन वी प्राप्ति पर राष्ट्रान्तरि उम्मी एक प्रतिविति समान अस्थाई-पद के लाय गदा पड़ा पर राजने के लिए भविता है। इसके बाहर सामग्रों पर द्रव्यान् दाना जाता है जिसमें आयोग वी गतान् प्रधोरार कर दी गई ही।¹⁰

गोमाणः :

सामोद वे वार्ष द्वे वार्षिकी संरेक्षित विवाह विवाही इवानी इत्यादी व वार्षिकी वार्षिकी सामोदी के साम्बन्ध में व देवता इष्टो वा इष्टार ही दूर्वित करती है। वीव इष्टारी वीवानी भी इति वारी है। सामोद पर वो इष्टार वीवानी वारी है:

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

(१) धारा १६ व धारा ३५५ में उल्लिखित नियुक्तियों की सुरक्षा तथा (२) संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा धारा ३२० (३) के उपवन्धों के अन्तर्गत तंयार अधिनियम द्वारा आयोग की संबीक्षा से कुछ पदों व सेवाओं का बहिर्गमन।

धारा १६ की प्रथम दो उपधाराएँ सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार की व्यवस्थाएँ करती हैं। कोई भी नागरिक घर्म, नस्त, जाति, सिंग, बंग, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा उनमें से किसी के भी आधार पर राज्य के अन्तर्गत किसी भी पद के लिए श्रयोग नहीं होगा, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक भर्ती करने व सलाह देने की ऐसी के रूप में आयोग अवसर की समानता के सिद्धान्त अनुमति देती है। लेकिन उपधारा (४) विना आयोग को उल्लेख किए ही, सरकार को पद सुरक्षित रहने दे।

धारा ३२० (४) के साथ धारा ३५५ एक अन्य सीमा लगाती है। धारा ३५५ में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सम्बन्धी मामलों में आवश्यक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में प्रशासन की धमता बनाए रखते हुए भारत सरकार को अनुमूलित जातियों व आदिम जन-जातियों के दावों पर व्यान देना होता है। लेकिन ऐसा रमब है कि सरकार इन वर्गों के दावों से निवटने के लिए कार्यविधि के सम्बन्ध में आयोग की सलाह न ले।

धारा ३२० (३) राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह आयोग में सलाह योग्य मामलों के सम्बन्ध में अधिनियम बनाए। यद्यपि सविधान की यह धारा मोटे तौर पर इसमें एक महत्वपूर्ण लिखित परिवर्तन लाया गया है। १९३५ अधिनियम में आयोग की संबीक्षा से विषयों को बाहर करना संबंधित भाग का एक मूल अंग था और आयोग में विचार-विमर्श को प्रकट बहिष्करण अधिनियमों के अधीन रखा गया था। मारतीय संविधान में इस स्थिति को परिवर्तित कर दिया गया है और अधिनियमों को धारा ३२० (३) में उल्लिखित विचार विमर्श की व्यवस्था का अपवाद बनाया गया है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त अपने पूर्ववर्ती कानून के विपरीत संविधान में आयोग के कामों को सीमित करने के लिए संसदीय स्वीकृति को आवश्यक बताया गया है लेकिन इसके कामों में वृद्धि से सम्बन्धित प्रस्ताव के लिए ऐसी स्वीकृति आवश्यक नहीं है। १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत १९३७ में पारित विचार-विमर्श अधिनियमों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तित कर अंगीकृत किया गया है। ये अधिनियम वास्तव में आज तक प्रभावी रहे हैं यद्यपि उन्हें 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' (विचार-विमर्श से मुक्त) अधिनियम, १९५८' का नाम दे दिया गया और उसी वर्ष १ सितम्बर से लागू कर दिया गया। १९८ कुछ परिवर्तनों के साथ संसद ने भी उन्हें उसी वर्ष पारित कर दिया।

१८ पू. गी. एम. श्री. की नवी रिपोर्ट, १९२८-६, पृष्ठ ११, इसमें पू. गी. एम. श्री. (विचार विमर्श के मुद्रित) अधिनियम, १९५८ की एक प्रतिलिपि है।

आयोग के कार्यों को राष्ट्रपति द्वारा कई प्रकार से सीमित किया गया है। इन आदेशों में गैर-प्रतियोगी पदों व सेवाओं का वर्गीकरण ही सम्मिलित नहीं है बल्कि उन कार्यों की परिगणना भी सम्मिलित है जिनकी भर्ती के लिए आयोग प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित कर सकता है। इसी प्रकार, अनुशासन के मामलों से सम्बन्धित कुछ सहायक आदेश भी हैं जिन्हें आयोग की संबोधा से दूर रखा गया है।

बहिष्कृत वर्ग :

बहिष्कृत वर्ग की प्रथम श्रेणी में न्यायाधिकरण, आयोगों व उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की सदस्यता व अध्यक्ष ऐसे पद आते हैं जिनका नियुक्ति किसी जांच करने अथवा जननिहित सम्बन्धी किसी मामले पर सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। यद्यपि कार्यपालिका ऐसे पदों के लिए नियुक्तियाँ करने हेतु विवेकाधिकार प्राप्त है लेकिन लोकमत का यह निर्देश होता है कि ऐसी समस्त नियुक्तियाँ प्रदर्शित क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए।

द्वितीय, 'गोपनीय' अथवा उच्च 'नीति निर्धारक' प्रकृति के पद हैं, उदाहरण के लिए बाहर के देशों में भारत के राजनीतिक वाणिज्य एवं अन्य मिशनों के अध्यक्ष, तथा निजी संचिवों व निजी सहायकों के पद। इसका उद्देश्य नियुक्त करने वाले अधिकारियों को इस लिए स्वतन्त्र रखना है क्योंकि वह जिन पर आधिकारित रहने वाले हैं उन्हें अपनी इच्छानुसार नियुक्त करें। इस प्रकार की राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी व्यक्तिगत उपयुक्तता की अधिकाधिक आवश्यकता होती है।

तृतीय, ऐसे पदों को भी बहिष्कृत किया गया है जिनके लिए व्यक्तिगत अथवा अनुभव निर्धारक तत्व हो सकते हैं। यह नियुक्तियाँ वर्ग I, केन्द्रीय सेवाओं व अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ पदों के लिए सुरक्षित हो सकती हैं। इन पदों को बहिष्कृत करने का निहित मन्त्रमूल यह प्रतीत होता है कि राजनीतिक अधिकारियों को अपने सहयोगियों के चयन में पर्याप्त स्वतन्त्रता भिले वशतें चयन का क्षेत्र इन सेवामों (Career Services) तक ही सीमित हो। वृत्तिक सेवाओं सम्बन्धी इस सीमा ने जहाँ सर्वोच्च व्यवस्थापन को उन उच्च पदों को उपलब्ध कराने में सहायता पढ़ूँचाई है जिनकी वृत्ति कर्मचारी आकांक्षा रखता है वही कार्यक्षेत्र में निरन्तरता भी प्रदान वी है। यदि राजनीतिक अधिकारी यह अनुभव करे कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ भली-भाति कार्य नहीं कर पा रहा तो वह उसका स्थानांतरण कर अपनी पसन्द के किसी अन्य लोक सेवक को नियुक्त कर सकता है।

चतुर्थ, नियुक्ति के निम्न प्रकार के चयनों के सम्बन्ध में भी आयोग से सलाह-मण्डिरा नहीं किया जाता :

(अ) किसी भी ऐसे अधिकारी का अखिल भारतीय सेवाओं में पद जो कि स्वतः ही इन अखिल भारतीय सेवाओं का एक सदस्य हो,

(ब) किसी भी ऐसे अधिकारी की केन्द्रीय सेवा वर्ग I में नियुक्त जो कि या तो केन्द्र की मण्डिर मेनाओं में अधिकारी हो या स्वतः ही किसी अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा वर्ग में अधिकारी हो।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

(म) केन्द्रीय सेवा वर्ग II या उसमें सम्मिलित किसी भी पद पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति जो स्वतः ही या तो केन्द्रीय सेवा वर्ग II या केन्द्रीय सेवा वर्ग III या केन्द्रीय समावेश सेवाओं का कोई अधिकारी हो, तथा

(द) किसी राज्य सेवा के अधिकारी भी केन्द्रीय सेवा वर्ग या केन्द्रीय सेवा वर्ग II में अधिविधिक पद पर नियुक्ति ।^{१६}

क्योंकि इन पदों के लिए चयन में पदोन्नति निहित रहती है इसलिए आयोग की किसी भूमिका की इसमें व्यवस्था नहीं है। जहाँ पदोन्नति निहित होनी है वहाँ सामान्यतः आयोग जो तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाता है।

पंचम, वर्ग III, वर्ग IV कर्मचारियों व कारखाने के कर्मचारियों का गम्भीर (जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या का ६५% है) आयोग की संचीका परिधि के बाहर है।^{१७} यद्यपि मंत्रालयों व विभागों द्वारा अधीनस्थ वर्गों में मर्ती कर्मचारियों के कार्यों में विकेन्द्रीकरण की नई प्रवृत्ति की परिचायक है, लेकिन इस दिशा में आयोग की सामान्य देवतरेख के घमाव का मुख्य कारण आयोग के कार्यमार्ग को हल्का करना प्रतीत होता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह स्थिति आयोग के निर्माण के मूल लक्ष्यों से समभीता करती है। यह मूल लक्ष्य है सेवा में मर्ती के प्रणन पर स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि योग्यता की व्यवस्था में निहित रूप से विचार। यदि यह तर्क दिया जा सकता है कि सभी विभाग कर्मचारियों के चयन में कुछ सामान्य स्वयं विना वास्तविक मर्ती करें तो मर्ती करने की एक केन्द्रीय ऐंजेसी के रूप में आयोग स्वयं विना वास्तविक मर्ती किए ही इस दिशा में अत्यधिक योगदान दे सकता है। विभागों के विभिन्न चयन बोर्ड इस समझ के आधार पर अपने भर्ती करने व परीक्षा लेने से संबंधित प्रस्ताव आयोग को भेज सकते हैं कि इन बोर्डों द्वारा पालन किये गए सिद्धान्तों के अनुरूप ही आयोग द्वारा इनके कार्यक्रमों के वास्तविक स्वरूप का निरीक्षण किया जाएगा।

एक मुख्य प्रवृत्ति यह हटिटात होती है कि इनमें से कुछ चयन बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श के उपरांत की जाती है। उदाहरण के लिए, रेलवे सेवा आयोगों तथा डाक व तार चयन बोर्डों का तत्संबंधी विभागों द्वारा चयन अधिकांशतः आयोग से विचार-विमर्श के उपरांत ही किया जाता है। अठा, अस्सर कुछ अल्पकालिक व्यस्थाएँ व कार्यकारी पदों पर नियुक्ति को मी आयोग से विचार-विमर्श की निर्धारित परिधि से निकाल दिया जाता है। यह ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्त व्यक्ति संभवतः एक वर्ग से अधिक काम नहीं करता। यदि व्यापक जनहित में यह आवश्यक हो कि इन पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ हों तो वे करदी जाती हैं क्योंकि आयोग की तत्संबंधी प्रक्रिया

^{१६} यू. पी. एस. सी. (विचार-विमर्श से मुक्ति) अधिनियम, १९५८ से जल्दियाँ।

^{१७} उदाहरण के लिए १९५१ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जो कुल संख्या १५ साथ थी विषय में १००० वर्ग I, के २०००० वर्ग II के कर्मचारी ये जिनकी कुल कर्मचारियों भी संख्या के सदर्श में मात्र १.६ प्रतिशत संख्या थी। उभयन द्वारा वर्ग ३ के एक शासी छोटे वय की शर्जनी की जाती है।

अत्यधिक समय साध्य होती है और उससे अनुचित विलम्ब होता है। ऐसी नियुक्तियों की यथासनात्मक शीघ्र सूचना दी जाती है, विशेषतः तब जब प्रस्तावित पद ६ माह से अधिक समय के लिए हों। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग से मंत्रणा की जानी चाहिए।

अंततः इस क्षेणी में वे पद आते हैं जो सरकार के कार्यपालिका अंग न होकर शेष दोनों भगों के होते हैं (अर्थात् व्यवस्थापिका व न्यायपालिका संबंधी पद)। अतः संसद के दोनों सदनों में स्थिति सचिवालयों के सचिव आदि ऐसे पद हैं जो आयोग की संवीक्षा से दूर हैं।

अधिनियम ५ के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों के अतिरिक्त अन्य मामलों में अनुसनात्मक कार्यवाही के प्रश्न पर आयोग से मंत्रणा आवश्यक नहीं है :

(अ) निन्दा

(ब) वेतन-वृद्धि अथवा पदोन्नति पर रोक

(स) आदेश की अवहेलना अथवा उपेक्षा से सरकारी पक्ष को हुई आधिक हानि के राष्ट्रपूर्ण भाग या अंश का वेतन से भुगतान

(द) किसी निम्नतर सेवा, वेतनमान अथवा पद पर अवनति या निम्नतर सेवा काल अथवा सेवा काल की निम्नतर अवस्था की दिशा में अवनति

(इ) अनिवार्य अवकाश

(ई) सेवा से मुक्ति

(उ) सेवा से वर्तास्तगी

(ब) किसी याचिका, स्मरण-पत्र अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त तथ्यों पर पुनर्विचार कर राष्ट्रपति द्वारा अपने पूर्व आदेशों के अधिकारी पर पुनर्वित और तदुपरात आवश्यक होने पर उसमें परिवर्तन या उसकी अवहेलना।^{२१}

उपरोक्त-उल्लिखित दण्ड, जो कि केन्द्रीय लोक सेवाओं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपोल) के नियमों में निहित हैं कठोर प्रकृति के हैं और इस कारण उन्हें किसी ऐसी स्वतंत्र सविधिक ऐजेंसी जिसका अंशतः न्यायिक स्वरूप हो, से मंत्रणा के उपरांत ही लागू किया जा सकता है।

सुरक्षा सेवा (नागरिक) से संबंधित किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रश्न पर आयोग से विचार-विमर्श अनावश्यक है। अंत में, केन्द्रीय लोक सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा) नियमों अथवा रेल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा) नियमों के अन्तर्गत भी जारी किये गए किसी आदेश पर आयोग से मंत्रणा आवश्यक नहीं है। ये बहिष्करण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से न्यायसंगत हैं।

कार्यपालिका से सम्बन्ध :

आयोग के कार्यों एवं सीमाओं से मम्बनिधि पिछली चर्चा उन दो मूल प्रश्नों की ओर दिग्गित करती है जो कार्यपालिका व एक सेवा ऐजेंसी से सम्बन्धित है। यदि आयोग वास्तव में सलाहकारी है तो इस बात की क्या गारटी है कि इसकी विशेषज्ञ व कुशल सलाह

२१ दृ. पा. एम. सो. (विचार-विमर्श से मुद्रित) अधिनियम, १९५८ से।

का कार्यपालिका द्वारा पालन किया जाएगा ? किसी प्रबल व्यवस्था के अभाव में आयोग द्वारा की जाने वाली योग्यता व्यवस्था के रक्षक की भूमिका पूर्णतः प्रभावशाली नहीं होगी विशेषतः जब कि रक्षक के गाम कोई साधन नहीं होगा और वह रक्षा करते समय सजग भी नहीं होगा । दूसरे, यदि कार्यपालिका आयोग की संवीक्षा से स्वतंत्रपूर्वक विषय वहिष्ठत करती रहे तो व्या आयोग की स्थापना का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाएगा ?

स्वयं आयोग ने अनेक बार ये आशंकाएँ व्यक्त की हैं । प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में इसने अभिव्यक्त किया कि "आयोगी का यह मत नहीं है कि एक लोकतात्त्विक व्यवस्था के कार्यों पर आरोपित भीमाएँ न्यायमंगत हैं । आयोग के प्रस्तावों ने जनहित में अपने कार्यों को न्यूनतम आवश्यक की सीमा तक रखने का ही प्रयास किया है । अतः इसने घपनी पहली व दूसरी रिपोर्ट में यह आप्रह किया है कि उसे संसद द्वारा कुछ सविधिक उपाय प्रदान किए जाएँ जिससे सरकार द्वारा उसकी सलाह को अस्वीकार करने की भव्यावनाओं को कम किया जा सके । उदाहरण के लिए, इसने ब्रिटेन में स्वीकार किए गए सुपरएन्डुएशन एक्ट (१९५६) के समान ही एक कानून की मराहना की जिसके अंतर्गत कोई भी लोकसेवक तब तक पेशन नहीं पा सकता जब तक कि वह यह प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करे कि उसकी नियुक्ति नागरिक सेवा आयोग की स्वीकृति से हुई है ।^{२२} इस स्थिति में पारस्परिक सद्भाव व दोनों पक्षों में इस चेतना में सुधार आया कि उनका अंतिम लक्ष्य समान ही है — जनहित की दिशा में कार्य ।

कुछ स्थापित अभिसमयों का प्रचलन विशेष उल्लेखनीय है । जहां सविधान निर्माताओं की आकृताओं के अनुरूप सविधान नहीं प्रकट हुआ वही कुछ स्थापित अभिसमयों ने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है । कई मामलों में ये अभिसमय कार्यपालिका द्वारा स्थापित किये गए । इस प्रकार कतिपय ट्रान्सान्टों को छोड़कर राष्ट्रपति ने अधिकाश अवसरों पर विभिन्न मामलों को आयोग की संवीक्षा में दूर करने से पूर्व आयोग से इस विषय पर मन्त्रणा की है यद्यपि यह उसका सर्वधानिक दायित्व नहीं था । बस्तुतः प्रचलित यू०पी०एस०सी० (विचार-विमर्श से मुक्ति) अधिनियम आयोग से मंत्रणा के पश्चात् ही लागू किये गए थे ।^{२३} इसी प्रकार एक सुस्थापित अभिसमय के माध्यम से आयोग की सलाह को सभी विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है । जहां यह सलाह किसी मंत्रालय को अस्वीकार्य होती है उस स्थिति में दोनों पक्ष एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं । यदि मंत्रालय द्वारा बताये गए कारण आयोग को पुनर्विचार करने अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं करते तो सम्बन्धित प्रशासकीय इकाई का इस संबंध में भाग सुधम नहीं हो जाता क्योंकि इसके निर्णयों की प्रशासन के अन्तर्गत व वाहू दोनों भीर से संवीक्षा

२२ यू. पी. एस. सी. की प्रथम रिपोर्ट, पैरा १०, द्वितीय रिपोर्ट १९५१-५२ पैरा ६, इस कानून के बारण सभी वर्गों के लोक सेवकों के चयन में व्यावहारिक रूप से लिडिंग सिविल सवित्र कमीशन की भूमिका रही है ।

२३ यू. पी. एस. सी. छठी व सातवीं रिपोर्ट के कम्ता ३(११) व ५ (२) पैरा ।

पी जाती है। इस स्थिति में गंगालय द्वारा आयोग की सलाह को ठुकराना एक जटिल प्रश्न बन जाता है।^{२४} स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आंतरिक व्यवस्थाओं के विषय में यह निर्णय किया गया कि वह कोई भी मामला जिसमें मंत्रालय विशेष, आयोग की सलाह को न मानना चाहता हो, विचार के लिए एक केविनेट समिति के सुधुदं किया जाएगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री (जो सेवा संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है) तथा सम्बन्धित मंत्रालय अधिकारी विभाग के मंत्री होते हैं। यदि प्रधानमंत्री अधिकारी गृह-मंत्री प्रशासकीय हॉटिं से मामले में सम्बद्ध हो तो वित्तमंत्री इस बैठक में भाग लेता है।^{२५} अतः यदि कोई मंत्रालय आयोग की भवहेलना करना चाहे तो उसे इस उच्चस्तरीय केविनेट समिति वा समर्थन प्राप्त करना होता है।

इस आंतरिक नियश्रृण के ऊपर सविधान प्रदत्त उपाय भी आरोपित है। पूर्ववर्ती आयोगों के विपरीत, जिन्हें कि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी होती थी, केन्द्रीय लोक नेवा आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना उसका एक संवैधानिक दायित्व है। धारा ३२३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दोनों सदनों को प्रस्तुत करनी होती है और इसके साथ एक जापन भी संलग्न होता है जिसमें अस्वीकृत सलाहों के संबंध में कारण स्पष्ट किए जाते हैं और इस अस्वीकृति को न्यायसंगत ठहराया जाता है। इस सम्बन्ध में सविधान निर्माताओं के आशय की थाह लेना कठिन नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाएं यह प्रकट करती हैं कि उन्होंने प्रतीततः जेरमी वेधम के इम मत का समर्थन किया कि "प्रचार न्याय की मूल आत्मा है। यह प्रयास के लिए तीव्रतम् प्रेरणा है और यह वैदेशीय के द्वितीय किये गए समस्त उपायों में सर्वाधिक कारगर है।"

आयोग की रिपोर्टें दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं—ये व्यवस्थापन का माध्यम हैं और लोकतांत्रिक उपाय भी है। आयोग के राष्ट्रपति में मन्त्रालयों पर इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। निर्धारित, सीमाओं के अन्तर्गत आयोग राष्ट्रपति को प्रभावशाली नीति निर्धारण कियान्वयन व समायोजन के कार्य में सहायता देता है। आयोग द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का संवैधानिक दायित्व वस्तुतः यह संकेत देता है कि यह एक इराहरे प्रशासन का ही संघटक भाग है और अन्य ऐंगेंसियों के कार्यों से इसकी गतिविधियाँ अन्तर्सम्बन्धित हैं।

आयोग की रिपोर्ट नागरिकों व संसद के प्रति उनके उत्तरदायित्व की भी व्यवस्था करती है वयोंकि उन रिपोर्टों पर अंतरः संसद में विचार होता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रचार मिलता है।^{१०} राज्यसभा में आयोग के तीन वर्षों (१९५०-५३) की रिपोर्टों पर विचार के समय उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया यह मत रोचक है। उन्होंने कहा "संसद में होने वाली किसी भी वहस में अभिध्यक्त शक्तियों व दायित्वों के विशेष सदर्म में सरकार के कार्यों अथवा गतियों के आधार पर उसकी आलोचना हो सकती है और वह प्रासंगिक होगी

^{२४} प्रशासन पर आंतरिक व बाह्य नियवर्णों के विस्तृत अध्ययन के लिए एम. ए. मुतलिद वा अध्ययन 'दि.

इंटरेस्टेशन ट्रॉफ एक्टेशन दू दि इस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट्स, केनेडि इन इडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इडियन इस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, १९६३, पृ. स. ३६-१००

^{२५} य. पो. एम. सी. की प्रथम रिपोर्ट, १९५०-५१, पूर्वोंत, पैरा १०

लेकिन आयोग के सुभावों अथवा निर्णयों से संबंधित कोई भी आलोचना अप्रासंगिक होगी क्योंकि वह एक संवेदातिक अधिकार प्राप्त संस्था है। मैं आशा करता हूँ कि सदस्य इसे ध्यान में रखेगे। “राज्यसभा के उपाध्यक्ष के ये विचार व्यवहार के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि समय-समय पर संसद् सदस्यों द्वारा ग़लत या सही आवारों पर आयोग की आलोचना की जाती है।

यह सब स्थिति एक मूल प्रश्न उत्पन्न करती है : क्या यह आयोग मात्र एक सलाहकारी संस्था ही है ? २५० लाइम्स ब्राइसन के विचार इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश देते हैं : “हमारे मत में किसी भी प्रक्रिया में नीति-निर्माण सबधी निर्णय अनितम अवस्था होनी है। अतः इस निर्णय तक पहुँचने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी होती है और इसमें व्यासंभव भावधानी व दूरदर्शिता वरती जाती है लेकिन वह विशेषज्ञ इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रशासन का कार्य करता है न कि मनाह संबंधी कार्य। सलाह देने का कार्य किसी न किसी रूप में सगठन के समस्त सदस्यों द्वारा किया जाता है और यह सलाह देने का कार्य कभी भी राजनीतिक हैट्ट से अनभिज्ञ नहीं होता।” केवल बाहु व्यक्ति जो कि विशेषज्ञ होता है, जिसे कि उसकी राजाह के लिए पारिथमिक मिलता है और उसके विशेष तकनीकी ज्ञान के कारण मुना जाता है अपनी राय को पूर्णतः बस्तुनिष्ठ मान सकता है। २६ ब्राइसन की परिमापा के अनुसार आयोग आवश्यक रूप से एक बाह्य सलाहकारी परिपद है क्योंकि यह सेवा सबधी मामलों पर निर्णय लेने में कार्यपालिका को सहायता देती है लेकिन यह निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रभावित हो जाती है। यह इसके कार्यपालिका से अन्तसंबंधों की ताकिक परिणति है जो कि एक व्यक्ति के नियम २७ और इस स्थापित अभिसमय पर आधारित है कि आयोग की सलाह सामान्यतः स्वीकार की जानी चाहिए। इस प्रकार यह स्थापित सम्बन्ध इसमें कार्यवाहियों के वैकल्पिक क्रम की अपेक्षा नहीं करता वल्कि इससे भावी स्वरूप की रूपरेखा चाहता है। जहाँ इसे यह आभास होता है कि इसके विचार कार्यपालिका की व्यवस्था व्याल्या के अधीन है, इसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उनके स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने से पूर्व व पश्चात् इस सम्बन्ध में विरोध कर सके। यह बहुत कम होता है कि वह इस अधिकार के सम्बन्ध में मौन रह जाए कि इसकी विशेषज्ञता सामान्य धारणा के लिए ही है और इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक अन्य प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है जो इसके पास नहीं है। यह ज्ञान विशेष समय व अवसर से संबंधित है और इसका व्यावसायिक स्वरूप है। २८ एक बाह्य विशेषज्ञ के विपरीत आयोग द्वारा दी गई

२६ लाइम्स ब्राइसन, ‘नोट्स ऑन ए घोरी भांक एडवाइस’, गोलिटिन बाटरलो, नं ६ LXVI, १९५१, पृ. स. ३२१-३३६.

२७ एक व्यक्ति के नियम के अन्तर्गत कमीशन पद के लिए व्यक्ति चुनता है। प्रशासनिक इसारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी की सिफारिश स्वीकार करती है।

२८ उदाहरण के लिए मुत्तिव के केंस रस्टो में आयोग की मिफारिल न भानने के लिए मराठारी मत को देविए, पूर्वोत्त, पृ. ८८-८९.

सलाह राजनीतिक हिट से अनमित्त नहीं होती क्योंकि यह इसका संबंधानिक दायित्व है कि वह अपनी गतिविधियों की परिचायक एक रिपोर्ट संसद को भेजे जहाँ पर प्रस्तुत रिपोर्ट की आलोचना व समीक्षा की जाती है।

यद्यपि आयोग अपनी रिपोर्ट में किए गए कार्यों का एक सामान्य सर्वेक्षण करता है लेकिन यह विस्तार से उन मामलों का उल्लेख करता है जहाँ उसकी सलाह अस्वीकृत की गई थी। आयोग की सलाह को अस्वीकार करने के कारणों की व्याख्या करने वाला राष्ट्रपति का संसद को झापन परिचालन ऐजेंसियों के भावी निरंकुश आवेग को नियंत्रित करने का साधन बनता है क्योंकि पूरे समाज में सरकार से सम्बन्धित जानकारी के प्रमार का मुघारवादी प्रभाव पड़े गा।

इस उपाय ने सविधान निर्माताओं के मन्तव्य को कितना पूरा किया है, यह तो इस तथ्य से ही ज्ञात किया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवा विषयों से संबंधित अनेक सौ मामले आयोग को सौंपने के पश्चात् इससे प्राप्त सलाह को काफी कम संख्या में अस्वीकार किया गया।^{३६}

वर्ष	अस्वीकृति के कुल मामलों की संख्या
१९५०-५१	६
१९५१-५२	२
१९५२-५३	२
१९५३-५४	४
१९५४-५५	१
१९५५-५६	१
१९५६-५७	१
१९५७-५८	कुछ नहीं
१९५८-५९	कुछ नहीं
१९५९-६०	१
१९६०-६१	३
१९६१-६२	१
कुल १२ वर्ष	२२

यह कहा जा सकता है कि आयोग की सलाह को बिना सार्वजनिक विवाद के टाला जा सकता है या उससे कतरा कर निकला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्रालय किसी उम्मीदवार का चयन नहीं चाहता तो वह प्रस्तावित पद बापिस भाँग सकता है और फिर उस पर १ वर्ष के लिए अपनी अस्थायी नियुक्ति कर सकता है। इस अवधि की समाप्ति पर वह आयोग से खुली प्रतियोगिता के आशय का आग्रह कर सकता है और वह

^{३६} यू. पी. एस. सी. की ११ छोटी रिपोर्ट में (१९६०-६१) में अस्वीकृति संबंधी ४ मामलों का उल्लेख है जिसमें से १ में दिल्ली नगर निगम ने कमीशन को सलाह नहीं दी। दिल्ली प्रशासन ये संबंधित कुछ पर्याप्त कमीशन भर्ती करने की एजेंसी के हृषि में काम करता है।

है जो प्रशासन के साथ भर्ती करने की इस ऐजेंसी को इस तरह एकीकृत करती है ताकि वह एक स्टाक ऐजेंसी के लिए निर्धारित उपयुक्त कार्यों को सुचाह रूप से पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था आयोग को उसके स्वभाव के अनुरूप लड़ा करती है कि मोटे तौर पर इसके निष्कर्ष मात्र सलाह ही हैं और इसनिए उसकी विशेषता व व्यावहारिक मूल्य ही उसे परिचालित प्रशासकीय ऐजेंसियों की अनुबृति दिला सकता है। आयोग जिन अधिकारों का उपयोग करता है वे अधिकार उसे सेवा सम्बन्धी विषयों में उसके विशेष ज्ञान के कारण प्राप्त हुए हैं, न कि उसके पद के कारण।

संसद् की भूमिका :

संसदीय भूमिका के सम्बन्ध में ग्रव तक की चर्चा यह स्पष्ट करती है कि एक अर्द्ध में अन्तिम शक्ति के समस्त उपाय संसद् के पास है। लेकिन यह सदैह किया जा सकता है कि विशेषज्ञता के अभाव में वह मेवा सम्बन्धी मामलों में निर्णायक की भूमिका का निर्वाह करने में समक्ष होगी। इस सम्बन्ध में आयोग की सक्षमता का अतिरिक्त कारण यह है कि उसका अपेक्षाकृत समिति सम्प्रेषण माध्यम है।^{३२} लेकिन सम्भवतः यह बांधनीय नहीं होगा कि आयोग को उसका मामला पहुँचाने के लिए संसद् तक नीची पहुँच का अधिकार दे दिया जाए। इसके बावजूद संसद् द्वारा अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है यदि अधिनियमों से पूर्व (जिनके सम्बन्ध में कार्यपालिका व आयोग में अतर है) आयोग को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद् तक एक ज्ञापन द्वारा अपनी बात पहुँचाने का अवसर प्रदान किया जाए। इससे निर्णय देने में पूर्व मम् को अधिक जानकारी प्राप्त करने की मुविधा मिलेगी।

संसद् इस विषय में अधिक न्याय तथा कर सकती है जब वह वर्द के दौरान कार्यपालिका व आयोग के मध्य उपस्थित विवादों से निवटने का दायित्व अपनी एक समिति को सौंप दे। इस सिफारिश के पक्ष में अनेक कारण दिए जा सकते हैं। प्रथम, अत्यधिक कार्यमार के कारण संसद् के पास कार्यपालिका व आयोग के अन्तसंबन्धों पर विचार करने का समय नहीं है, विशेषतः जब इस संवेदानिक व्यवस्था में इच्छित परिणाम अपेक्षित हों। द्वितीय, कार्यपालिका द्वारा आयोग से अमहमति से उत्पन्न प्रामाणिक कठिनाइयों के माध्यम में, एक व्यवस्था योग्य भूमूह में, अधिक कुशलतापूर्वक विचार हो सकता है न कि एक बड़ी बैठक में। तृतीय, यह अपेक्षा करना अन्यथा न होगा कि तथ्यों से पर्याप्त रूप से परिचित संसद् का रचनात्मक योगदान होगा क्योंकि अवसर अफवाह व प्रजानतावश कई अहितकारी व अप्रासाधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। वास्तव में जितना अधिक भारतविश्वास होगा उतनी अधिक समझने की इच्छा होगी।^{३३}


^{३२} अपनी परवर्ती रिपोर्ट में ही वर्मीशन पूर्व रिपोर्ट में लंबन जापन में गरकारी भड़ व संग्रह में हृष्ट विचार-दिमाने पर टीका टिप्पणी भर दाता है।

^{३३} यह सिफारिश आवस्तव गमिति व जनलेपा गमिति से प्रेरित है जिनमें राजनीति व दूसरी से ऊर उठार निषाद भा से भावै बर्ले की रक्षा दर्शायें जाती है।

का कार्य अपनी पूर्ववर्ती संस्थाओं की अपेक्षा अधिक कठिन है क्योंकि राजनीतिज्ञ भी भी शक्ति के प्रथम उन्माद में हैं इसलिए बहिष्करण सम्बन्धी मूच्ची में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसा विशेषतः राज्यों के सदर्भ में हो रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है। यह मुझाव प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होगा कि यद्यपि कुछ सेवा व पद सम्बन्धी मामलों में आयोग को इस बहिष्करण के प्रति सहमत किया जा सकता है लेकिन आगे चल कर इसके खतरनाक परिणाम होंगे। इस सम्बन्ध में आयोग की भूमिका इस बात पर अत्यधिक बल देने की है कि व्यक्तिगत अथवा दलगत हितों के निए सार्वजनिक अथवा लोक पदों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति से दुष्टकारा पाया जाए। ऐसा कर वह राजनीतिक कार्यपालिका को दलीय दबाव से बचा सकेगा और इस सघय का निवारण हो सकेगा कि सेवाओं के व्यवस्थापन में कार्यपालिका योग्यता के बदले किसी अन्य विचार से निर्देशित हुई थी।


Further Readings

1. *Bhalerao, C.N.* : Union and State Public Service Commissions, Bombay popular Prakashan, 1968.
2. *Bhamimbhri, C.P.* : Bureaucracy and Politics in India, Delhi, Vikas, 1971, pp. 56-78.
3. *Bhamimbhri, C.P.* : Administrators in a changing Society, Delhi, National, 1972, pp. 1-43 and pp. 197-240.




संरेत-चित्र

का. का. स.—कौटीस कार्य समिति
को. मं. बो.—कौटीस समर्दीय बोर्ड




चित्र संख्या २

जनवरी १९१९—मार्च १९१९



चित्र संख्या ३

मार्च १९२०—जनवरी १९२१




चित्र संख्या ४

१६७०

भारतीय सरकार एवं राजनीति

३३०



राजनीतिशास्त्र विषयक हमारे अन्य प्रकाशन

- | | |
|--|---|
| 1. सत्रहवीं शताब्दी का दूरोप | ग्रांग. डेविड,
अनु. नाथुराम खड़गावत |
| 2. बीसवीं शताब्दी का विश्व भाग (I) | जून. ज्योफे मेमते एवं
विक्टर एस.
अनु. शान्तिप्रसाद वर्मा
एवं देवनारायण आसोपा |
| 3. राजस्थान में राजनीतिक जन-जागरण | के. एस. सरसेना |
| 4. भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन एवं संवेधानिक विकास रणजीतसिंह दरड़ा | |
| 5. भारतीय संविधान: स्वरूप एवं व्यवहार | रणजीतसिंह दरड़ा |
| 6. अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन की नवीन प्रवृत्तियाँ | नगेन्द्रसिंह
अनु. (थीमती) शील के. आसोपा |
| 7. तुर्की की राजनीति एवं प्रशासन | (थीमती) शील के. आसोपा |